उत्तर प्रदेश में विद्यालयीय शिक्षा

अवस्थिति, चुनौतियां एवं भावी संभावनाएं

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING

राज्य सलाहकार समिति

1.	प्रमुख सचिव शिक्षा उ.प्र. शासन, लखनऊ	*अध्यक्ष*
2.	सचिव, बेसिक शिक्षा उ.प्र. शासन, लखनऊ	*सदस्य*
3.	सचिव, माध्यमिक शिक्षा उ.प्र. शासन, लखनऊ	*सदस्य*
4.	राज्य परियोजना निदेशक (डी.पी.ई.पी.) उ.प्र. सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद्, लखनऊ	*सदस्य*
5.	शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ.प्र. शासन, लखनऊ	*सदस्य*
6.	शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) उ.प्र. शासन, लखनऊ	*सदस्य*
7.	शिक्षा निदेशक (साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा) उत्तर प्रदेश, लखनऊ	*सदस्य*
8.	शिक्षा निदेशक (उर्दू एवं प्राच्य भाषाएं) उत्तर प्रदेश, लखनऊ	*सदस्य*
9.	प्रो. के.पी. पांडेय भूतपूर्व कुलपति महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी	*सदस्य*
10.	प्रो. आर.एस. पांडेय भूतपूर्व विभागाध्यक्ष (शिक्षा विभाग) इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	*सदस्य*
11.	श्री गोविंद बल्लभ पंत सेवानिवृत्त शिक्षा निदेशक (एस.सी.ई.आर.टी., उ.प्र.) लखनऊ	*सदस्य*
12.	प्रो. ओ.एस. देवल राष्ट्रीय समन्वयक (स्टडीज़ ऑन स्कूल एजूकेशन) एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली	*सदस्य*
13.	निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, उ.प्र. लखनऊ	*संयोजक*

राज्य कार्यान्वयन समिति

1.	निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, उत्तर प्रदेश लखनऊ	*अध्यक्ष*
2.	अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक)	*सदस्य*
3.	अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक)	*सदस्य*
4.	अपर शिक्षा निदेशक (अनौपचारिक शिक्षा वर्तमान में साक्षरता एंवं वैकल्पिक शिक्षा)	*सदस्य*
5.	संयुक्त शिक्षा निदेशक (प्रशिक्षण) शिक्षा निदेशालय इलाहाबाद	*सदस्य*
6.	सचिव उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् इलाहाबाद	*सदस्य*
7.	सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् इलाहाबाद	*सदस्य*
8.	श्री सर्वेन्द्र विक्रम बहादुर सिंह वरिष्ठ विशेषज्ञ (डी.पी.ई.पी.) राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ	*सदस्य*
9.	श्री बी.पी. वर्मा परामर्शदाता	*सदस्य*
10.	प्राचार्य राज्य शिक्षा संस्थान इलाहाबाद	*सदस्य सचिव*

प्राक्कथन

विद्यालयीय शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (एन.सी.ई.आर.टी) विगत 40 वर्षों से भारत सरकार, राज्य सरकारों, राज्य स्तरीय संस्थानों, गैर सरकारी संगठनों के साथ कार्यरत है। इस समयावधि में इसने विभिन्न परियोजनाओं पर कार्य करते हुए विद्यालयीय शिक्षा के लेखन-प्रकाशन हेतु आंकड़ों का ठोस आधार तैयार किया है। दो महत्त्वपूर्ण लेखन-प्रकाशन हैं – अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण एवं शैक्षिक शोध सर्वेक्षण। इस प्रकार के प्रकाशन एन.सी.ई.आर.टी. के कार्यकलापों के अभिन्न अंग हैं।

विद्यालयीय शिक्षा संबंधित सूचनाओं के महत्त्व को दृष्टिगत रखते हुए यह प्रस्तावित किया गया कि विद्यालयीय शिक्षा के क्षेत्र में राज्य स्तर पर शिक्षा की वर्तमान स्थिति, चुनौतियों और भावी संभावनाओं का अध्ययन किया जाए।

एक राष्ट्रीय सलाहकार समूह गठित कर एक दृष्टिकोण पत्र (एप्रोच पेपर) और परियोजना क्रियान्वयन प्लान तैयार करने का निर्णय लिया गया जिस पर राज्य स्तरीय अधिकारियों से तद्विषयक अनेकों बार आयोजित विभिन्न गोष्ठियों में विचार-विमर्श किया गया। इन गोष्ठियों में परिचर्चा के मुख्य प्रश्न थे – 'सभी के लिए शिक्षा', प्रौढ़ साक्षरता, वैकल्पिक शिक्षा सहित प्राथमिक शिक्षा की स्थिति क्या है; विद्यालयीय शिक्षा के विभिन्न स्तरों–पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर से जुड़ी हुई समस्याएं एवं चुनौतियां क्या हैं, प्रत्येक राज्य की सफलताओं तथा उनकी महत्त्वपूर्ण उपलब्धियाँ क्या हैं जिन्हें अन्य राज्यों में यथासंभव आत्मसात किया जा सके, वे कमियाँ या चुनौतियाँ कौन सी हैं जिन्हें प्रभावपूर्ण ढंग से दूर करने की आवश्यकता है, निर्बल वर्ग के बच्चों को किस प्रकार के प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं, गैर सरकारी संगठनों का क्या योगदान है तथा समुदाय का सहयोग, अकादमिक समर्थन तंत्र और अध्यापकों की वृत्ति-दक्षता कितने प्रभावपूर्ण हैं ?

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्/राज्य शिक्षा संस्थान के निदेशकों के अनुसार ये प्रश्न सार्थक हैं और इनसे सम्बंधित आंकड़ों को प्रस्तावित अध्ययन के माध्यम से एकत्र किया जाना चाहिए। इस प्रकार राज्य स्तरीय अध्ययन के निम्नांकित मुख्य उद्देश्य चिह्नित किए गए –

- विगत 50 वर्षों में राज्य/संघ शासित प्रदेशों की विद्यालयीय शिक्षा का क्रमोत्तर विकास, प्रौढ़ साक्षरता तथा वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम का अध्ययन।
- 'सभी के लिए शिक्षा' के लक्ष्य को पूरा करने हेतु राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा अपनायी गई मुख्य नीतियों, रणनीतियों, नवाचारों तथा किए गए विभिन्न प्रयोगों आदि को चिह्नित करना।
- 'सभी के लिए शिक्षा' के उद्देश्यों को पूरा करने हेतु पूर्व प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक स्तर तक गुणवत्तापरक शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में संगत पाठ्यक्रम एवं आधुनिक शिक्षण-अधिगम

प्रक्रियाओं के माध्यम से राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा राष्ट्र एवं राज्य स्तरीय नीतियों के क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाइयों और कमियों को चिह्नित करना।

- विभिन्न मुद्दों का अध्ययन यथा विद्यालय में उपलब्ध संसाधन एवं उनका उपयोग, निर्बल वर्ग के बच्चों को दिया जा रहा प्रोत्साहन, अध्यापकों की वृत्ति-दक्षता, गैर-सरकारी संगठनों का योगदान, सामुदायिक सहभागिता, अकादमिक समर्थन तंत्र, शिक्षा के लिए संसाधनों को एकत्र करना।
- शैक्षिक योजनाओं का क्रियान्वयन और उनके अनुवीक्षण तंत्र का अध्ययन।
- भविष्य के लिए कार्य योजना एवं रणनीति प्रस्तावित करना जिससे राज्य/संघ शासित प्रदेशों की आवश्यकताओं/लक्ष्यों की प्रतिपूर्ति करते हुए नई सहस्त्राब्दी की भावी चुनौतियों का सामना करना ताकि उन्हें सुलझाया जा सके।

आख्या तैयार करने में उत्तर प्रदेश प्रथम राज्य है। राष्ट्रीय सलाहकार समूह के सदस्यों के प्रति मैं अपना आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने आख्या को इस रूप में लाने में अपना अमूल्य सहयोग प्रदान किया। श्री शरदिन्दु, निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, उ.प्र. एवं उनके सहयोगियों को मैं धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने निर्धारित समय में कार्य को पूरा किया और इसे वृत्तिक स्वरूप प्रदान किया।

जगमोहन सिंह राजपूत
निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान
और प्रशिक्षण परिषद्

नई दिल्ली

आमुख

उत्तर प्रदेश में विद्यालयीय शिक्षा : अवस्थिति, चुनौतियां एवं भावी संभावनाएं विषयक प्रस्तुत प्रतिवेदन एक व्यवस्थित अध्ययन का परिणाम है, जिसके लिए विद्यालयीय शिक्षा में नीतियों एवं कार्यक्रम निरूपण हेतु गठित राष्ट्रीय स्तर की शीर्ष संस्था राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् का मार्गदर्शन सतत उपलब्ध रहा है। इस अध्ययन में विद्यालयीय शिक्षा के परिदृश्य से संबंधित विकासात्मक पहलुओं, कार्यक्रमों के क्रियान्वयन तथा उनके आधार पर अपेक्षित विस्तार एवं शिक्षा में अभिगम्यता एवं आच्छादन की स्थितियों को मुख्य रूप से रेखांकित किया गया है। इसमें अध्ययनगत विश्लेषणों एवं व्याख्याओं के संदर्भों में वर्तमान शैक्षिक मुद्दों से जुड़े तीन बिंदुओं—न्याय, उत्कृष्टता एवं संगतता को विशेष रूप से उजागर किया गया है। यहां संकेत करना उचित होगा कि प्रतिवेदन की प्रस्तुति में अनेक महत्त्वपूर्ण सूचनाओं एवं आख्याओं को संकलित एवं परीक्षित करते हुए अत्यंत सावधानीपूर्वक निष्कर्ष निगमित किए गए हैं।

प्रतिवेदन के विविध अध्यायों की योजना-निर्मिति में उपलब्ध आंकड़ों एवं आधार-सामग्रियों को पर्याप्त सावधानी एवं वस्तुनिष्ठता के साथ समीक्षा का विषय बनाया गया है। इससे उ.प्र. राज्य के 50 वर्षों की विद्यालयीय शिक्षा को अपेक्षित गहराई एवं व्यापकता के साथ तथ्यात्मक आधार-सामग्रियों के माध्यम से अन्वेषित करने में मदद मिली है। इस अध्ययन के सिलसिले में अनेक गौण स्रोतों तक पहुंचा गया है। एक दर्जन से अधिक शिक्षाशास्त्रियों, अनुभवी शिक्षकों एवं प्रशासकों का सावधानीपूर्वक साक्षात्कार किया गया तथा राज्य के विश्वविद्यालयों के शिक्षा विभागों एवं विभिन्न ऐसी संस्थाओं, जिनका विद्यालयीय शिक्षा से प्रत्यक्ष रूप से सरोकार है, से भारी मात्रा में सामग्रियां एवं सूचनाएं संकलित की गई हैं।

पूरे प्रतिवेदन को कुल 10 अध्यायों में गठित करते हुए विद्यालयीय शिक्षा के सभी पक्षों, जिनमें समय-समय पर प्रयुक्त नवीन प्रयोग भी शामिल हैं, द्वारा विद्यालयीय शिक्षा की समस्याओं एवं उत्तरित एवं अनुत्तरित मुद्दों को भी विशेष रूप से प्रकाश में लाया गया है।

प्रथम अध्याय में उ.प्र. राज्य परिदृश्य के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को सामने रखते हुए सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं जनांककीय विलक्षणताओं का चित्रण किया गया है। इस अध्याय में वर्तमान शैक्षिक व्यवस्था की संगठनात्मक संरचना को स्पष्ट करते हुए शिक्षा में हुए विस्तार, आच्छादन, अभिगम्यता एवं प्रतिभाग दरों को विशेष रूप में प्रस्तुत किया गया है। राज्य स्तरीय नीतिगत पहल, जिनमें विशेष प्रकार की प्रोत्साहन योजनाएं शामिल हैं, इस दृष्टि से विनिर्दिष्ट की गई हैं कि राज्य में विद्यालयीय शिक्षा के विकास के क्रम में अपनाए गए विकासात्मक परिप्रेक्ष्यों पर ध्यान जा सके। अध्याय 2 तथा 3 प्रारंभिक शिक्षा के वरीयता अनुक्षेत्रों से संबंधित हैं। अध्याय 2 में सभी के लिए शिक्षा (शिक्षा का सार्वजनीकरण एवं प्रारंभिक बाल देख-रेख) तथा अध्याय 3 में सभी के लिए शिक्षा एवं विशिष्ट

आवश्यकता वाले बालकों की शिक्षा के संदर्भों को विश्लेषित किया गया है। इन अध्यायों की योजनाओं को निर्मित करते समय विगत वर्षों से संबंधित अद्यतन रूप में उपलब्ध सूचनाओं एवं विवरणों को विशेष रूप से आधार बनाया गया है। अध्याय 4 में राज्य की माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा अनुक्षेत्र का विशद वर्णन, उसकी संरचना, अभिगम्यता, लिंग एवं आंचलिक विषमताओं के आलोक में किया गया है। इसे तीन संवर्गों में विभक्त किया गया है – माध्यमिक शिक्षा, उच्च माध्यमिक शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा। अध्याय 5 में विद्यालयीय आधारिक संरचनाओं एवं सुविधाओं के प्रावधान संबंधी प्रगति का विस्तृत विवरण उपलब्ध है। इसमें केंद्र सरकार द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं, वित्त प्रदायिनी अभिकरणों की सहायता का भी उल्लेख है। अध्याय 6 में पाठ्यक्रम की पुनर्रचना एवं नवीनीकरण में प्रयुक्त युक्तियों तथा तद्विषयक नवीन आयामों को विवेचित किया गया है। इन युक्तियों का अनुप्रयोग पाठ्यक्रमों एवं पाठ्यपुस्तकों के निर्माण में राज्य स्तरीय पाठ्यक्रम नवीनीकरण योजना के माध्यम से किस प्रकार संभव हो सके, यहां विस्तारपूर्वक चर्चित है।

इस प्रतिवेदन का प्रमुख अंश विद्यालयीय शिक्षा में गुणवत्ता से भी संबंधित है। इससे जुड़े मुद्दों को शिक्षकों, शिक्षण-अधिगम प्रक्रियाओं एवं छात्र मूल्यांकन की स्थितियों से जोड़ते हुए अपेक्षित गहनता के साथ अध्याय 7 में विश्लेषित किया गया है। यहां उल्लेखनीय है कि समीक्षा के परास को सीमित रखते हुए भी गुणवत्ता से जुड़े अनेकानेक मुद्दों को राज्य स्तरीय विद्यालयीय शिक्षा में पाई जाने वाली असमानताओं के संदर्भों से विशेष रूप से जोड़ा गया है। अध्याय 8 विद्यालयीय शिक्षा में वर्तमान शैक्षिक एवं प्रशासनिक अवलंब प्रणाली का चित्रण करता है। इसके तहत नव-सृजित अवलंब व्यवस्थाओं, राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय स्तर के संगठनों द्वारा प्राप्त समर्थनों को भी इस उद्देश्य से प्रकाश में लाया गया है कि प्रशासनिक व्यवस्था को गतिशील बनाने की दृष्टि से संबंधित भावी योजनाओं को भी दर्शाया जा सके। विद्यालयीय शिक्षा के संसाधनों को केंद्र, राज्य एवं अन्य द्वारा उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से, जिन्हें आयोजनागत एवं आयोजनेत्तर प्रावधानों में दर्शाया गया है, स्कूली शिक्षा का भार, संसाधनों का उपयोजन, निजी पहल तथा अतिरिक्त संसाधनों की लामबंदी को विश्लेषित करते हुए अध्याय 9 में सावधानीपूर्वक प्रस्तुत किया गया है।

अध्याय 10 में उ.प्र. राज्य के विद्यालयीय शिक्षा अनुक्षेत्र में दृष्टिगत सकारात्मक पक्षों एवं न्यूनताओं को अंकित करते हुए विद्यालयीय शिक्षा के सीमित संसाधनों, गैर-सरकारी स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका एवं समर्थन तथा सामुदायिक प्रतिभाग का विवेचन किया गया है। साथ ही उभरती नई चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रयुक्त युक्तियों एवं राज्य स्तरीय नवीन पहल को भी रेखांकित किया गया है।

इस प्रतिवेदन की प्रस्तुति में विद्वान विशेषज्ञों एवं राज्य के विश्वविद्यालयों के शैक्षिक अनुसंधानकर्ताओं, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् तथा राज्य परियोजना कार्यालय के आभ्यांतरिक विशेषज्ञों के प्रति मैं कृतज्ञ हूं, जिन्होंने इसे प्रस्तुत स्वरूप देने में सहयोग किया है। इस संबंध में मैं विशेष रूप से प्रो. के.पी. पाण्डेय, पूर्व संकाय प्रमुख एवं पूर्व कुलपति, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी तथा लखनऊ विश्वविद्यालय के डॉ. मुजम्मिल (अर्थशास्त्र विभाग), डॉ. एस.के. शुक्ल, डॉ. सरोज आनन्द, डॉ. सुबोध कुमार तथा डॉ. प्रभा सिंह (सभी शिक्षाशास्त्र विभाग), डॉ. पी.के. साहू, आचार्य, शिक्षाशास्त्र विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, श्री सर्वेन्द्र विक्रम बहादुर सिंह, वरिष्ठ विशेषज्ञ, उ.प्र. सभी के लिए शिक्षा परियोजना, डॉ. हिमांशु मोहन, डॉ. स्नेह प्रभा सिंह (दोनों राज्य शैक्षिक अनुसंधान

और प्रशिक्षण परिषद् से संबद्ध) एवं श्री बी.पी. वर्मा, परियोजना-परामर्शी के प्रति मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने कई स्तरों पर इस अध्ययन को उपयुक्त दिशा एवं प्रभावी आधार प्रदान किया है।

अंत में मैं इस अध्ययन के लिए गठित राज्य स्तरीय परामर्शदायी समिति से प्राप्त परामर्श, निर्देशन, मार्गदर्शन तथा सहयोग को औपचारिक रूप से ज्ञापित करना चाहूंगा। यहां पर विशेष रूप से श्रीमती नीरा यादव, प्रमुख सचिव शिक्षा तथा श्री पी.सी. शर्मा, पूर्व प्रमुख सचिव शिक्षा, श्री नेत राम, सचिव बेसिक शिक्षा तथा उनके पूर्ववर्ती श्री एन. रविशंकर के उत्साहवर्द्धक एवं प्रेरक समर्थन एवं मार्गदर्शन का उल्लेख किए बगैर नहीं रहा जा सकता। इन सभी के दीर्घ शैक्षिक एवं प्रशासनिक अनुभवों के फलस्वरूप ही यह अध्ययन कार्य इस रूप में निष्पन्न हो सका है। मैं अपने सभी सहयोगी निदेशक साथियों के प्रति भी आभारी हूँ, जिन्होंने इस अध्ययन के लिए अपेक्षित सूचनाओं, प्रतिवेदनों एवं अभिलेखों को समय-समय पर उपलब्ध कराया तथा अनेक संदर्भों में विद्यालयीय शिक्षा के परिदृश्य संबंधी यथार्थ स्थितियों को संज्ञान में लाने का आधार प्रस्तुत किया है।

इस योजना की क्रियान्वयन समिति के प्रति भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिन्होंने अनेक व्यावहारिक कठिनाइयों के बावजूद इस प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को निष्कंटक बनाया है। अंत में मैं प्रो. जे.एस. राजपूत, निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहूंगा, जिनके प्रतिनिधि प्रो. ओ.एस. देवल ने मुझे तथा परामर्शदायिनी समिति को औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों स्तरों पर उपयोगी सुझाव देकर परियोजना के क्रियान्वयन को गतिशील बनाया है।

मैं अपने राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के अन्य सहयोगियों, विशेष रूप से श्री विजय श्रीवास्तव को सचिवीय सहायता के लिए भी धन्यवाद देना चाहूंगा।

शरदिन्दु
निदेशक
राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

कार्यकारी सारांश

उत्तर प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य है, जिसमें भौगोलिक दृष्टि से विविधताएं परिव्याप्त हैं। सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक एवं वाणिज्यिक विरासतों की दृष्टि से इसमें एक अद्भुत प्रकार का वैविध्य है। यह 29,411 वर्ग कि.मी. के परिक्षेत्र को आच्छादित करता है (नव-सृजित उत्तरांचल को शामिल करते हुए), जो देश के पूरे भूभाग का 9 प्रतिशत है। प्रदेश में 19 प्रशासनिक मंडल तथा 83 जनपद हैं, जिनमें 348 तहसीलें, 904 विकास खंड, 1,12,803 गांव, 753 अधिनियमित नगर तथा 12 नगर महापालिकाएं (उत्तरांचल को लेते हुए) हैं।

शैक्षिक प्रशासन की दृष्टि से उ.प्र. राज्य को 17 मंडलों में विभक्त किया गया है, जिनमें शैक्षिक विस्तार लाने तथा माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा स्तरों पर गुणवत्ता सुनिश्चित करने के प्रयोजन से एक संयुक्त शिक्षा निदेशक और एक उप शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) तथा एक सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) शिक्षा के लिए नियुक्त हैं। इस शैक्षिक व्यवस्था का संचालन माध्यमिक शिक्षा एवं भाषा मंत्री, राज्य मंत्री माध्यमिक शिक्षा एवं राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) बेसिक शिक्षा की सहायता से करता है। संगठनात्मक संरचना के लिए प्रमुख सचिव शिक्षा को जिम्मेवारी दी गई है, जो शिक्षा विभाग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी है तथा जो सचिव माध्यमिक एवं बेसिक शिक्षा के कार्यों को भी देखता है। इन दोनों अधिकारियों की सहायता के लिए कई स्तरों पर औपचारिक-सहयोगियों की भी व्यवस्था की गई है। जनपद स्तरीय प्रशासन के परामर्श हेतु जिला शिक्षा परामर्शदात्री समितियां प्रत्येक जनपद में गठित हैं।

विस्तार एवं आच्छादन

सन् 1950-51 से 1999-2000 के मध्य राज्य में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तरीय विद्यालयों की संख्या अभूतपूर्व रूप से बढ़ी है। सन् 1950-51 में केवल 31,979 प्राथमिक विद्यालय, 2,854 उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा 987 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय थे। यह संख्या कई गुना बढ़ी है। अब 96,764 प्राथमिक विद्यालय, 21,678 उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा 11,524 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय विद्यमान हैं।

इन विद्यालयों में विद्यार्थियों के नामांकन की दृष्टि से भी लगभग यही स्थिति दृष्टिगोचर होती है। वर्ष 1950-51 में प्राथमिक विद्यालयों में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या 27,27,123 थी, जबकि 1999-2000 में यह संख्या 1,34,04,060 तक पहुंच गई, जो लगभग पांच गुनी वृद्धि का परिसूचक है। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या अतिशय वृद्धि के साथ 1950-51 में 3,48,137 के सापेक्ष 1999-2000 में 31,82,027 हो गई।

इसी प्रकार माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा अनुक्षेत्र में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या वर्ष 1950-51 में 4,17,405 थी, जो कि 1999-2000 में कई गुना बढ़कर 57,95,677 तक पहुंच गई।

विभिन्न स्तरों पर शिक्षकों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि के अनुरूप न होते हुए भी अधिकाधिक हुई है।

प्रदेश की आबादी के जनांककीय एवं सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि के परिप्रेक्ष्य में साक्षरता दर तथा विद्यालयों एवं उनमें नामांकित विद्यार्थियों की संख्या की दृष्टि से शिक्षा में दृष्टिगत विस्तार एवं आच्छादन प्रमुखतः अत्यंत संतोषजनक प्रतीत होता है।

सामान्य, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणियों में विद्यालयीय शिक्षा के स्तरों के अनुरूप आच्छादन

छठे अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण (1993) के समय राष्ट्रीय स्तर पर प्राथमिक विद्यालय स्तर के बच्चों की संपूर्ण संख्या 93.76 प्रतिशत थी, जबकि उ.प्र. राज्य के लिए ऐसे बच्चों की यह संख्या 88.6 प्रतिशत थी। अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय स्तर पर यह संख्या 91.32 प्रतिशत दर्शाई गई थी, जिसके सापेक्ष उत्तर प्रदेश राज्य के लिए यह संख्या 85.57 प्रतिशत थी। इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय स्तर पर यह संख्या 88.55 प्रतिशत थी, जबकि उत्तर प्रदेश राज्य के लिए यह 89.57 प्रतिशत थी।

सामान्य श्रेणी के लिए उच्च प्राथमिक शिक्षा स्तर पर राष्ट्रीय सांख्यकीय के अनुसार उनका प्रतिभाग 85 प्रतिशत आंका गया था, जबकि उत्तर प्रदेश राज्य के लिए यह 82.09 प्रतिशत था। अनुसूचित जाति एवं जनजाति श्रेणियों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर यह प्रतिभाग क्रमशः 82.54 प्रतिशत तथा 79.66 प्रतिशत प्रदर्शित किया गया था। इसके सापेक्ष उत्तर प्रदेश राज्य के लिए यह प्रतिभाग अनुसूचित जाति के लिए 78.25 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 68.95 प्रतिशत था। इस क्रम में यह भी उल्लेखनीय है कि माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तरों पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति श्रेणियों की प्रतिभाग दर सामान्य श्रेणी की प्रतिभाग दर के सापेक्ष राष्ट्रीय सांख्यकीय में दर्शाए गए सूचकांक से अधिक रही है।

उच्च माध्यमिक शिक्षा अनुक्षेत्र में लगभग इसी प्रकार का प्रतिभाग पाया गया है। सामान्य संवर्ग में राष्ट्रीय स्तर पर यह प्रतिभाग 63.6 प्रतिशत था, जबकि उत्तर प्रदेश राज्य के लिए यह 78.49 प्रतिशत रहा है। पुनश्च अनुसूचित जाति एवं जनजाति श्रेणियों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर यह प्रतिभाग क्रमशः 67.03 प्रतिशत एवं 48.33 प्रतिशत अनुमानित था, जबकि उत्तर प्रदेश राज्य के लिए उन्हीं संवर्गों में यह प्रतिभाग दर क्रमशः 74.92 प्रतिशत तथा 71.48 प्रतिशत दर्शाया गया है।

लिंग आच्छादन की दृष्टि से प्रतिभाग

छठे अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण (1993) के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में बालिकाओं एवं बालकों का प्राथमिक शिक्षा अनुक्षेत्र में नामांकन क्रमशः 37.41 एवं 62.59 प्रतिशत था। माध्यमिक शिक्षा अनुक्षेत्र में बालिकाओं और बालकों के लिए यह प्रतिशत क्रमशः 24.75 तथा 75.35 प्रतिशत रहा है, जबकि उच्च माध्यमिक शिक्षा अनुक्षेत्र में यह प्रतिशत क्रमशः 32.64 एवं 67.36 प्रतिशत था।

प्राच्य, अरबी एवं उर्दू भाषा का शिक्षा संबंधी परिदृश्य

राज्य की प्राच्य भाषाएं—संस्कृत, उर्दू तथा अरबी की विद्यालय स्तर पर शिक्षा हेतु देशी शिक्षा व्यवस्था के प्रोत्साहन पर विशेष बल दिया है। इनके पाठ्यक्रमों को उच्चीकृत बनाते हुए अद्यतन स्वरूप दिया गया है। इन संस्थाओं के प्रबंधन एवं उनकी देखरेख के लिए राज्य सरकार द्वारा उपयुक्त शैक्षिक एवं वित्तीय समर्थन प्राप्त है।

आंग्ल-भारतीय विद्यालय

संप्रति राज्य में 110 ऐसी संस्थाएं (21 आंग्ल-भारतीय विद्यालयों को सम्मिलित करते हुए) हैं, जो काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट, नई दिल्ली से संबद्ध हैं तथा 688 ऐसी संस्थाएं हैं, जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली से संबद्ध हैं। इनके अतिरिक्त उ.प्र. सरकार ने 32 अन्य संस्थाओं को भी 8वीं कक्षा तक की शिक्षा के लिए मान्यता प्रदान की है।

राज्य स्तरीय नीतिगत पहल

राज्य स्तरीय पहल में तीन मुख्य व्यवस्थाएं परिलक्षित हैं : विशेष तौर से चिुति लक्ष्य समूहों के संदर्भ में विद्यालयीय शिक्षा की अभिगम्यता में विस्तार, शिक्षण अधिगम परिणामों, शिक्षक निविष्टियों, शिक्षण-अधिगम सामग्रियों एवं भौतिक आधारिकाओं की दृष्टि से गुणवत्ता सुनिश्चित करना तथा समर्थनीय विकास को दृष्टिगत रखकर संस्थागत क्षमता विकास लाना।

राज्य में इस दृष्टि से चलाए जा रहे कतिपय नवाचारी कार्यक्रम अधोलिखित हैं :

- आनन्ददायी अधिगम
- क्रिया आधारित अधिगम
- विद्यालय भवन निर्माण परियोजनाओं में सामुदायिक भागीदारी
- संपूर्ण साक्षरता अभियान
- 'ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड' परियोजना के माध्यम से शिक्षण अधिगम सामग्रियों का प्रावधान तथा
- नामांकन अभियान–स्कूल चलो अभियान।

उ.प्र. बेसिक शिक्षा परियोजना

उ.प्र. बेसिक शिक्षा परियोजना 10 जनपदों के लिए सन् 1993 में प्रवर्तित की गई। बाद में चलकर आच्छादित जनपदों की संख्या बड़े जनपदों से लेते हुए 17 कर दी गई। इस परियोजना के विशेष मुद्दे रहे हैं – संस्थागत क्षमता निर्माण, गुणवत्ता सुधार, विद्यालयों में ठहराव को अभिवृद्ध करना तथा बालिकाओं, अनुसूचित जाति एवं जनजाति श्रेणियों को लक्ष्य बनाकर शैक्षिक अभिगम्यता के बिंदुओं में विस्तार लाना।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम

भारत सरकार ने केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना के रूप में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी.पी.ई.पी.) को विशेष वित्तीय एवं तकनीकी सहायता के आधार पर चलाया है। उ.प्र. राज्य में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम-II के तहत 18 जनपदों तथा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम-III में 38 जनपदों को क्रमशः वर्ष 1997 एवं वर्ष 2000 में आच्छादित किया गया है।

राज्य स्तरीय आयोग एवं समितियां

स्वातंत्र्योत्तर काल में उ.प्र. राज्य के तहत कई शैक्षिक समितियों के माध्यम से शैक्षिक पुनर्रचना एवं नवीकरण संबंधी विचार मुखर हुए हैं। नई शिक्षा नीति (1986) तथा कार्य योजना (1986 एवं 1992) के समारंभ होते ही उ.प्र. सरकार ने सार्थक एवं द्रुत क्रियान्वयन युक्तियों को अपनाया तथा इस संबंध में कई अनुवर्ती सुधार कार्य, जो शैक्षिक संरचना, शिक्षा प्रबंधन एवं शिक्षा के कथ्य एवं प्रक्रिया से संबंधित हैं, चलाए गए हैं। पूरी व्यवस्था को प्रभावी आयाम देने की दृष्टि से राज्य स्तर पर विद्‌यालयीय शिक्षा से संबंधित एक समिति 1993 में डॉ. हरिकृष्ण अवस्थी, तत्कालीन कुलपति, लखनऊ विश्वविद्‌यालय की अध्यक्षता में गठित की गई, जिसमें कई बिंदुओं पर व्यापक विचार करते हुए पाठ्‌यक्रमों के गठन, परीक्षाओं के संचालन, जिसमें परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग रोकने संबंधी उपाय भी शामिल हैं, पाठ्‌यक्रम के निर्माण, विशेष अध्ययन सामग्री की रचना तथा प्रशासनिक एवं संगठनात्मक सुधार संबंधी सुझाव प्रस्तुत किए गए। इन्हें उपयुक्त स्तरों पर समय-समय पर क्रियान्वित भी किया गया है। इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं द्‌वारा निर्गत संदर्शिकाओं के आलोक में भी राज्य की स्थानीय परिस्थितियों पर दृष्टि रखते हुए विशेष प्रकार की कार्य योजनाएं चलाई गई हैं।

राज्य पहल की प्रमुख विशेषताएं

विद्‌यालयीय शिक्षा से संबंधित कार्यक्रमों एवं नीतियों की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं : शिक्षण अधिगम की व्यवस्थाओं में यथेष्ट गुणवत्ता लाना, शैक्षिक अवसरों की समानता एवं शैक्षणिक व्यवस्थाओं में सुधार के प्रति विशेष आग्रह। तद्‌नुसार विद्‌यालयों में विश्वसनीय मूल्यांकन व्यवस्था लागू करना तथा कुशल एवं विकेंद्रीकृत प्रशासन की ओर विशेष बल दिया गया है। विशेष तौर से प्राथमिक शिक्षा अनुक्षेत्र में सहभागिता एवं आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण निविष्टियों को बढ़ाने एवं समर्थ शैक्षिक अवलंब सृजित करने की दृष्टि से विकास खंड एवं संकुल संसाधन केंद्रों को सुदृढ़ बनाया गया है।

प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण

नई शिक्षा नीति, 1986 एवं संशोधित कार्य योजना, 1992 के संकल्पों के अनुरूप साक्षर आबादी की दिशा में महत्त्वपूर्ण प्रगति लाने तथा प्रारंभिक शिक्षा के महत्त्व को अंगीकार किया गया है। उ.प्र. राज्य की वर्तमान स्थिति के विश्लेषण से यह पता चलता है कि शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य समस्याएँ विद्‌यालयों में अभिगम्यता के बिंदुओं को बढ़ाना, सभी की शिक्षा के लिए अवसरों को उपलब्ध कराना, गुणवत्ता एवं पूर्ण अधिगम सुनिश्चित करना, बच्चों द्‌वारा पूरी शिक्षा अवधि तक शिक्षा प्राप्त करने की व्यवस्था सुलभ कराना तथा शैक्षिक नियोजन एवं प्रबंधन में कुशलता एवं प्रभाविता लाने की हैं।

प्रोत्साहन

राज्य सरकार ने सुविधावंचित श्रेणी के बच्चों, विशेष तौर से अनुसूचित जाति, जनजाति एवं बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से विशेष प्रावधान किए हैं। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बच्चों के लिए लागू किए गए कतिपय प्रोत्साहन कार्यक्रम इस प्रकार हैं : छात्रवृत्तियां देना, पुस्तक क्रय में सहायता हेतु निःशुल्क पाठ्‌यपुस्तक वितरण, शुल्कों की प्रतिपूर्ति, आश्रम पद्‌धति, विद्‌यालयों की स्थापना, छात्रावास एवं निःशुल्क अनुशिक्षण (कोचिंग) केंद्र।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम-II के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बच्चों के लिए निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण की योजना सन् 1998-99 से ही चलाई गई है। इसमें बालिकाओं (किसी भी जाति की) को भी कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षा अवधि हेतु शामिल किया गया है।

राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में प्राथमिक शिक्षा स्तर पर पोषाहार समर्थन के तहत मध्याह्न भोजन की योजना प्रारंभ में 248 विकास खंडों के माध्यम से वर्ष 1995 में पहले से ही क्रियान्वित है। दूसरे चरण में सन् 1996 से 643 अतिरिक्त विकास खंडों में भी यह योजना आगे लागू की गई है।

1986 से प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण संबंधी प्रगति

1986 से लेकर प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्यों की प्राप्ति को उत्तरोत्तर रूप में सुनिश्चित किया गया है। यह प्रगति विशेष रूप से प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों के नामांकन, जिनमें अनुसूचित जाति, जनजाति एवं बालिकाएं शामिल हैं, विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं तथापि कतिपय क्षेत्रीय विषमताएं अभी भी विद्यमान हैं। इनमें से विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं :

- *असमानताएं* : उ.प्र. राज्य में औसत साक्षरता दर न्यून है। यह स्थिति महिलाओं-पुरुषों, ग्रामीण-शहरी तथा विभिन्न सामाजिक संवर्ग के विद्यार्थियों की शैक्षिक निष्पत्तियों में असमानता के फलस्वरूप और अधिक उग्र बन गई है।
- *अंचलों में अंतर* : यद्यपि उ.प्र. राज्य सामान्यतः समरसता रखता है तथापि सामाजिक परिसूचकों की दृष्टि से एक अंचल से दूसरे अंचल में महत्त्वपूर्ण अंतर विद्यमान हैं।
- *विद्यालयीय अवधि में सीमित प्रतिभाग* : उ.प्र. राज्य में न केवल प्रौढ़ों से संबंधित वयवर्ग, अपितु इनसे कम वयवर्गों में भी निरक्षरता परिव्याप्त है।
- *अपूर्ण नामांकन* : नामांकन में महत्त्वपूर्ण वृद्धि होते हुए भी सुविधावंचित समूहों के अधिकांश बच्चे अभी भी प्राथमिक विद्यालयों में नामांकित नहीं हो पा रहे हैं।
- *पूरी विद्यालयीय अवधि तक पहुंचने वालों का निम्न दर* : यह अनुमानित किया गया है कि कक्षा 1 में नामांकित होने वाले बच्चों में से लगभग 30 प्रतिशत बच्चे कक्षा 5 तक नहीं पहुंच पाते।
- *व्यवस्था की न्यून कुशलता* : सामान्यतः विद्यालयों में नामांकित बच्चों में से लगभग दो तिहाई ही पूरी प्राथमिक स्तरीय शिक्षा तक पहुंच पाते हैं तथा पूरी शिक्षा तक पहुंचने वाले बच्चों में से लगभग 1/2 ही पाठ्यक्रम पर प्रभुत्व अर्जित कर पाते हैं। शिक्षा पर होने वाले वार्षिक परिव्यय का महत्त्वपूर्ण अंश इस अकुशलता के चलते विनष्ट हो रहा है।
- *अनाकर्षक विद्यालयीय शिक्षा* : अपर्याप्त आधारिक संरचना, शिक्षा की निकृष्ट गुणवत्ता, अनुदेशनात्मक सामग्रियों का घटिया किस्म का होना, शिक्षकों का विद्यालय से अनुपस्थित रहना तथा शैक्षणिक गतिविधियों में उनकी अपेक्षित स्तर की अभिप्रेरणा का न होना परिषदीय विद्यालयों को अनाकर्षक बनाने में विशेष रूप से जिम्मेवार है।

अशासकीय संगठनों एवं सामुदायिक प्रतिभाग की भूमिका

राज्य में विद्यालयीय शिक्षा के क्षेत्र में विशेष तौर से उच्च प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्तर तक कई अशासकीय संगठन महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ये संगठन 50 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालयों,

80 प्रतिशत माध्यमिक विद्यालयों तथा 83 प्रतिशत इंटरमीडिएट स्तर के विद्यालयों के प्रबंधन की जिम्मेवारी अपने हाथ में लिए हुए हैं। संप्रति विविध स्तरों पर कई स्वैच्छिक संगठन, न्यास एवं पंजीकृत संस्थाएं कार्यरत हैं। ग्राम शिक्षा समितियों को भी सन् 1980 से सामुदायिक स्तर पर भवन-निर्माण कार्यक्रम के माध्यम से गतिशील कर दिया गया है।

केंद्र पुरोनिधानित कार्यक्रमों का क्रियान्वयन

केंद्र द्वारा पुरोनिधानित कार्यक्रमों का क्रियान्वयन अपेक्षित ईमानदारी के साथ किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा तीन वित्तीय वर्षों सन् 1987-88, 1988-89 तथा 1889-90 में 'ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड' के तहत शिक्षण अधिगम सामग्रियों की आपूर्ति हेतु अनुदान स्वीकृत किया गया। इस संबंध में यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि इस योजना के तहत कुल 37 बिंदुओं से संबंधित शिक्षण-अधिगम सामग्रियां विद्यालयों को वितरित की गई थीं।

रुचिपूर्ण शिक्षा तथा यूनिसेफ की सहायता से विभिन्न अंचलों में एवं यू.एस.ए.आई.डी. की मदद से क्रियात्मक अनुसंधान के माध्यम से कतिपय सुधार योजनाएं भी लागू की जा चुकी हैं। ये योजनाएं विशेष तौर से बालिकाओं की शिक्षा से संबंधित हैं तथा रायबरेली के महाराजगंज विकास खंड में वर्ष 1996 से ही प्रवर्तित हैं।

विद्यालय पूर्व शिक्षा

विद्यालय पूर्व शिक्षा के कार्यक्रम विशेष तौर से समन्वित बाल विकास योजना, उ.प्र. बेसिक शिक्षा परियोजना तथा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के तहत अभिसरण रूप में प्रावधानित हैं। उ.प्र. बेसिक शिक्षा परियोजना के अधीन 1200 शिशु शिक्षा केंद्र अभिसरण रूप में तथा 50 ऐसे केंद्र, जो समन्वित बाल विकास योजना से आच्छादित नहीं थे, सीतापुर जनपद में स्वैच्छिक संगठन की मदद से प्रवर्तित किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम-II में आच्छादित जनपदों के 2,310 केंद्र तथा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम-III द्वारा आच्छादित जनपदों के 1,888 केंद्र (4,765 केंद्र के लक्ष्य के सापेक्ष) सन् 2000-2001 की अवधि में चलाए गए हैं।

प्रारंभिक शिक्षा की अभिगम्यता, ठहराव एवं पूर्ण शिक्षा अवधि पूरी किए बगैर विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों की स्थिति

विद्यालयों में सार्वभौम पहुंच को प्रोत्साहन करने की दृष्टि से उ.प्र. राज्य ने 300 की आबादी के लिए 1.5 कि.मी. की दूरी पर एक प्राथमिक विद्यालय प्रावधानित करने का मानक बनाया है। इसी प्रकार 300 की आबादी के लिए 3 कि.मी. की दूरी पर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थापित करने का भी मानक है। इसके बावजूद यह पाया गया है कि शिक्षा की सार्वभौम अभिगम्यता सुनिश्चित न कर पाने में एक प्रमुख कारण ऐसे विद्यार्थियों की संख्या है जो पूरी विद्यालयीय शिक्षा अवधि को पूरा किए बगैर बीच में ही विद्यालय से विरत हो जाते हैं। इधर के कुछ वर्षों में ऐसे बच्चों की संख्या में उल्लेखनीय रूप से ह्रास हुआ है। यह ह्रास बालक एवं बालिकाओं दोनों ही संवर्गों के लिए दृष्टिगोचर हुआ है। वर्ष 1980-81 से वर्ष 1993-94 की अवधि में विद्यालयों से विरत होने वाले बालकों की संख्या 64 प्रतिशत से घटकर 20 प्रतिशत हो गई है। बालिकाओं के संबंध में यह ह्रास 80 प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक पहुंच गया।

वैकल्पिक विद्यालयीय शिक्षा एवं विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों की शिक्षा

प्रदेश के साक्षरता संबंधी आंकड़े यह द्योतित करते हैं कि विगत 50 वर्षों में साक्षर व्यक्तियों की आबादी में विशेष रूप से वृद्धि हुई है। सन् 1981 से 2001 की अवधि में राज्य के अंतर्गत साक्षरता दर में तेजी से वृद्धि हुई है। यह दर 33.35 प्रतिशत से बढ़कर 57.36 प्रतिशत हो गई है। महिला संवर्ग के सिलसिले में यह परिलब्धि विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण रही है। इसी प्रकार विगत दो दशकों में महिलाओं की साक्षरता 17.19 प्रतिशत से बढ़कर 42.98 प्रतिशत तक पहुंच गई है। इन तथ्यों के आधार पर यह कहने में कोई अत्युक्ति नहीं होगी कि निरक्षरता निवारण की दृष्टि से राज्य में प्रशंसनीय प्रयास के संकेत मिलते हैं।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति के समुदायों में राज्य के भीतर साक्षरता की स्थिति को देखने से यह ज्ञात होता है कि 28 जनपदों में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की साक्षरता संख्या 2.20 प्रतिशत (बहराइच जनपद) से 9.37 प्रतिशत (जौनपुर जनपद) के मध्य विचरणशील है। इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति के संबंध में साक्षरता की स्थिति भी निम्न है। राज्य के 16 जनपदों में इस संवर्ग के साक्षर व्यक्तियों की संख्या 1.33 प्रतिशत (बहराइच) से 8.86 प्रतिशत (शाहजहांपुर) के बीच पाई गई।

साक्षरता के प्रमुख कार्यक्रम

राज्य में राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का समारंभ 15-35 वर्ष वयवर्ग के प्रौढ़ों की साक्षरता को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से किया गया है। सन् 1980 से 1997 के मध्य प्रौढ़ शिक्षा के विविध कार्यक्रमों के माध्यम से 216 लाख प्रौढ़ों को क्रियात्मक स्तर की साक्षरता प्रदान की गई। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि इन कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं की साक्षरता (58.61 प्रतिशत) तथा अनुसूचित जाति संवर्ग के व्यक्तियों की साक्षरता (31.70 प्रतिशत) विशेष रूप से आच्छादित हुई है।

राज्य में साक्षरता कार्यक्रमों को तीन चरणों में अपनाया गया है : संपूर्ण साक्षरता अभियान (सं.सा.अ.), उत्तर साक्षरता अभियान (उ.सा.अ.) तथा सतत शिक्षा कार्यक्रम (स.शि.का.)। इन अभियानों के माध्यम से प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों को ग्राम, विकास खंड, जनपद एवं राज्य स्तरों पर प्रभावी ढंग से संगठित करने के साथ उनका अनुश्रवण भी सुनिश्चित किया गया है।

वैकल्पिक विद्यालयीय शिक्षा (अनौपचारिक एवं मुक्त विद्यालय)

राज्य में विविध प्रकार की वैकल्पिक विद्यालयीय शिक्षा प्रणाली को चिुति एवं क्रियान्वित किया गया है। ये हैं : सन् 1979-80 से केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता के आधार पर प्रवर्तित अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम, जिसे 1987-88 से उपांतरित रूप में क्रियान्वित किया गया है। इस क्रियान्वयन का वित्तीय आधार 60:40 तथा 90:10 (केवल बालिकाओं के लिए) है, जिसमें केंद्र एवं राज्य सरकार की भागीदारी उक्त रूप में प्रावधानित है। वैकल्पिक शिक्षा के कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षा में अभिगम्यता का विस्तार, अधिगमकर्ताओं की सहभागिता संवर्द्धन तथा अधिगम कौशल स्तर समुन्नत बनाने पर विशेष बल दिया गया है।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के तहत वैकल्पिक विद्यालयीय शिक्षा व्यवस्था

वैकल्पिक विद्यालयीय शिक्षा व्यवस्थाओं के उपस्थापन को जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में मुख्य रूप से स्थान दिया गया है। इसके तहत बच्चों को प्राथमिक स्तर की शिक्षा हेतु लचीली अभिगम्यता सुनिश्चित

की गई है। वर्ष 1998-99 में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम जनपदों के तहत वैकल्पिक शिक्षा के 1,225 केंद्र चलाए गए। इनमें से 777 केंद्र (66.42 प्रतिशत) **शिक्षा घर** प्रतिमान के आधार पर, 176 केंद्र (14.36 प्रतिशत) **बालशाला** प्रतिमान के तहत, 121 केंद्र (9.87 प्रतिशत) **प्रहर पाठशाला** प्रतिमान के आधार पर तथा 86 केंद्र (7.02 प्रतिशत) **मकतब मदरसा** के रूप में सम्मिलित किए गए हैं। वैकल्पिक विद्यालयीय व्यवस्थाओं के अन्य कार्यक्रम यथा केम्प व्यवस्था एवं ऋषिघाटी प्रतिमान, सीमित रूप में ही प्रवर्तित हो सके। यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश राज्य द्वारा विद्यालयों में न जाने वाले बच्चों के लिए **शिक्षा आश्वासन (गारंटी) योजना** के सफल संचालन के आलोक में यहां भी यह योजना सन् 1999-2000 से लागू हो चुकी है।

शिक्षा मित्र योजना

विद्यालयों में शिक्षकों की कम संख्या तथा उपयुक्त मात्रा में शिक्षकों की अनुपलब्धता को दृष्टिगत रखकर राज्य सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था के तहत एक **शिक्षा मित्र योजना** भी चलाई है, जिससे स्थायी रूप में नियुक्ति होने तक प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी से जुड़ी समस्या का समाधान प्राप्त किया जा सके।

वैकल्पिक विद्यालयीय शिक्षा का मुक्त स्वरूप

विद्यालय स्तर की शिक्षा में उ.प्र. राज्य को दो प्रकार की मुक्त शिक्षा व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं : प्रथम, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय, नई दिल्ली के माध्यम से हाई स्कूल तक के विद्यार्थियों को शिक्षा का अवसर तथा द्वितीय, पत्राचार शिक्षण संस्थान, इलाहाबाद के माध्यम से इंटरमीडिएट स्तर के विद्यार्थियों को दूरवर्ती पद्धति से शिक्षा ग्रहण करने की व्यवस्था।

बाल श्रमिकों की शिक्षा

उ.प्र. में दो ऐसे जनपद हैं, जिनमें बाल श्रमिकों की संख्या का संकेंद्रण अपेक्षाकृत अधिक है। ये जनपद हैं मुरादाबाद तथा फिरोजाबाद। प्रत्येक जनपद में लगभग 15 हजार ऐसे बच्चे हैं, जो विद्यालय नहीं जाते हैं तथा वहां बाल श्रमिकों का संकेंद्रण भिन्न मात्रा में पाया जाता है।

वैकल्पिक विद्यालयीय शिक्षा के मुद्दे एवं वरीयताएं

सर्व शिक्षा अभियान के समारंभ होने से वैकल्पिक शिक्षा की वरीयताओं को विशेष महत्त्व प्राप्त हुआ है। विभिन्न प्रकार की वैकल्पिक विद्यालयीय शिक्षा योजनाएं, जो प्रशासनिक दृष्टि से प्रायः अलग-अलग रूप में चलाई जा रही थीं, उन्हें वर्ष 2001 से अब एक छत्र के भीतर **सर्व शिक्षा अभियान** के तहत शामिल कर दिया गया है।

विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों की शिक्षा

राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान, इलाहाबाद द्वारा जनपद स्तर पर कराए गए सामाजिक मूल्यांकन अध्ययन के तहत यह पाया गया कि विभिन्न अक्षमताओं वाले बच्चों की आबादी इलाहाबाद जनपद में 1.4 प्रतिशत थी। अशक्त बच्चों की श्रेणी में मुख्य रूप से शारीरिक अक्षमता वाले बच्चे (55.18 प्रतिशत) पाए गए। इसके बाद दृष्टि दोष, श्रवण दोष तथा वाक् दोष वाले बच्चे पाए गए। इन बच्चों की आवश्यकताओं के संदर्भ में यह प्रकाश में आया है कि उन्हें समन्वित शिक्षा की विशेष आवश्यकता है।

समन्वित शिक्षा में गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका

वर्ष 1999-2000 में बस्ती तथा सिद्धार्थनगर जनपदों के तहत एक गैर-सरकारी स्वैच्छिक संगठन द्वारा समन्वित शिक्षा का कार्यक्रम चलाया गया। 2000-2001 में बरेली तथा बाराबंकी जनपद में तीन गैर-सरकारी स्वैच्छिक संगठन समन्वित शिक्षा के कार्यक्रम से जुड़े हैं।

माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा

वर्ष 1990-91 में प्राप्त स्थिति के अनुसार उ.प्र. राज्य के माध्यमिक विद्यालयों में 47,60,406 विद्यार्थी नामांकित थे। सन् 1999-2000 में यह संख्या स्वल्प वृद्धि के साथ 57,95,677 हो गई। लगभग यही स्थिति बालिकाओं की संख्या के बारे में प्राप्य रही है। सन् 1990-91 के सापेक्ष 1999-2000 में बालिकाओं की संख्या लगभग 4 लाख तक बढ़ गई। इसी प्रकार माध्यमिक स्तर के शिक्षकों की संख्या, जो सन् 1990-91 में 1,26,172 थी, स्वल्प वृद्धि के साथ 1999-2000 में 1,41,332 हो गई। सन् 1990-91 में माध्यमिक विद्यालयों की संख्या 5999 थी, जो 1999-2000 में 11,524 तक पहुंच गई। लिंग के आधार पर विश्लेषण करने पर यह ज्ञात होता है कि सन् 1990-91 में बालिकाओं के लिए उपलब्ध माध्यमिक विद्यालयों की संख्या 5,113 थी, जो सन् 1999-2000 में बढ़कर 9,175 हो गई। इसके सापेक्ष बालिका विद्यालयों की संख्या भी बढ़कर 1999-2000 में 2,349 हो गई।

अभिगम्यता, आच्छादन एवं गुणवत्ता में सुधार

उ.प्र. राज्य में नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के बाद माध्यमिक स्तर की शिक्षा में अभिगम्यता, आच्छादन एवं गुणवत्ता का आकलन विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं विद्यालयों की संख्या के आधार पर किया जा सकता है। यह वर्ष 1998 तथा वर्ष 1999 के लिए उपलब्ध आंकड़ों के सापेक्ष सरलता से अनुमानित किया जा सकता है।

सन् 2000 में +2 परीक्षाओं में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या 8.97 लाख थी, जिसमें 672033 नियमित एवं 225052 व्यक्तिगत अभ्यर्थी थे। इन आंकड़ों के आधार पर उ.प्र. माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्वाह की जा रही जिम्मेवारी एवं उसकी विशदता के बारे में सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है।

मदरसों के आधुनिकीकरण की योजना

राज्य में स्थित मदरसों एवं मकतबों का आधुनिकीकरण उनमें पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रमों में विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी, साधारण गणित जैसे विषयों का समावेश करते हुए किया जा रहा है। इससे कल्याणकारी राज्य के कार्यक्रमों एवं क्रियाओं में वहां पर पढ़ने वाले विद्यार्थियों की सहभागिता सुनिश्चित हो सकेगी। इन संस्थाओं में व्यावसायिक शिक्षा तथा कंप्यूटर साक्षरता के कार्यक्रम भी पाठ्यक्रमों के तहत अंगीकृत किए जा रहे हैं।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विद्यार्थियों के लिए प्रोत्साहन

इधर के दशकों में राज्य सरकार ने अनुक्षेत्रीय कार्यक्रमों के प्रतिलाभों को नियमित रूप में उदिष्ट लक्ष्य-समूहों को प्राप्त हो सकें, यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से विशेष बल दिया है। इसके अंतर्गत विशिष्ट कंपोनेंट प्लान के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बच्चों की शिक्षा के लिए बजट का 20 प्रतिशत अंश प्रत्येक कार्यक्रम में निर्धारित किया गया है।

उच्च माध्यमिक स्तर

उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा को विभिन्न धाराओं एवं विषयों में बांटा गया है। केंद्र सरकार द्वारा पुरोनिधानित माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण की योजना सन् 1993 से ही क्रियान्वित हो चुकी है। इस संबंध में एक संशोधित कार्यक्रम सन् 1998 से क्रियाशील है। अक्षम बच्चों के लिए समन्वित शिक्षा का कार्यक्रम भी विद्यालयीय व्यवस्था में समाविष्ट किया गया है। राज्य में पाठ्यक्रमों के तहत व्यवसायोन्मुख विषयों को शामिल करने के प्रति अधिकाधिक प्रयास किया गया है। विशेष तौर से उच्च माध्यमिक स्तर पर इन पाठ्यक्रमों में मूल्य आधारित शिक्षा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अपनाए जाने पर विशेष आग्रह है।

मुक्त अधिगम व्यवस्था

राज्य ने मुक्त अधिगम व्यवस्था के तहत +2 के विद्यार्थियों को दृष्टिगत रखकर पत्राचार शिक्षा की प्रणाली को पहले से ही लागू कर दिया है। इस व्यवस्था में सुविधावंचित संवर्गों को विशेष लाभ मिल रहा है।

+2 स्तर पर व्यावसायीकरण

उ.प्र. राज्य ने व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रमों का समारंभ गंभीरता के साथ किया है। ये कार्यक्रम 910 संस्थाओं में चलाए जा रहे हैं, जिनमें 118 नव-सृजित उत्तरांचल राज्य में अवस्थित हैं। ये सभी संस्थाएं केंद्र पुरोनिधानित योजना के अधीन हैं।

व्यावसायीकरण का विस्तार : समस्याएं एवं मुद्दे

व्यावसायिक धारा में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या में स्थिर रूप में वृद्धि हुई है। वर्ष 1999-2000 में यह संख्या तीव्र विकास के साथ 62,625 तक पहुंच गई है। वर्ष 1994-95 में इस अनुक्षेत्र में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या मात्र 40 हजार थी, जबकि 1995-96 में यह स्वल्प वृद्धि के साथ 43,272 हो गई। इसी प्रकार सन् 1996-97 में यह संख्या बढ़कर 50,176 तथा 1997-98 में घटकर 45,000 रह गई। सन् 1998-99 में प्राप्य स्थिति के अनुसार विद्यार्थियों की संख्या 49,890 थी, जो 1999-2000 में लगभग 1.25 गुनी बढ़ी है। इसके बावजूद उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा में व्यावसायिक धारा के प्रति 25 प्रतिशत विद्यार्थियों को आकर्षित करने का लक्ष्य वर्ष 2000 तक भी अप्राप्य रहा है।

सहलग्नताएं

उ.प्र. राज्य में व्यावसायिक शिक्षा के अपने प्रारंभिक चरणों में ही कोई ठोस नीति न होने के कारण अपेक्षित प्रगति स्तर तक नहीं पहुंच सकी। इसका मुख्य कारण यह भी रहा है कि व्यावसायिक शिक्षा के प्रभावी क्रियान्वयन की दृष्टि से विभिन्न उद्योगों एवं रोजगार क्षेत्रों की सहभागिता बढ़ाते हुए उनकी सहलग्नताओं को प्रोत्साहन नहीं दिया जा सका है। इससे व्यावसायिक शिक्षा संबंधी नीति में बदलाव लाकर व्यावसायिक शिक्षा की अर्थपूर्णता एवं अभीष्ट प्रभावोत्पादकता बढ़ाने की आवश्यकता है।

कार्यक्रम में अनुभव तथा राज्य में दृष्टिगत प्रभाव

सन् 1990 के दशक में +2 स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में नए पाठ्यक्रमों के समारंभ होते

ही रोजगारपरक पाठ्यक्रमों को विशेष महत्त्व दिया गया है। इस कार्यक्रम में उच्च माध्यमिक विद्यालयों को कार्यजगत की ऐसी सहयोगी संस्थाओं से संबद्ध किया जा रहा है, जो रोजगार की दृष्टि से अहम् महत्त्व रखती हैं।

भावी परिदृश्य

इस दिशा में उभरते अधोलिखित भावी परिदृश्य की ओर संकेत किया जा सकता है :

- स्थानीय आवश्यकताओं एवं संसाधन विलक्षणताओं के अनुरूप व्यापारिक अभिकरणों को जोड़ना
- व्यावसायिक निर्देशन एवं परामर्श की पद्धति का उपयोग
- पर्याप्त मात्रा में उपकरणों एवं आधारिक संरचनाओं का प्रावधान
- शिक्षकों/अनुदेशकों का शिक्षण एवं उनकी संपूर्ति।

विद्यालयों में मूलभूत संरचनाएं एवं सुविधाएं

उ.प्र. राज्य के प्राथमिक शिक्षा अनुक्षेत्र में परिषदीय विद्यालयों को मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने की दृष्टि से पर्याप्त सुधार हुआ है। इस संबंध में आधारिक व्यवस्था एवं सुविधाओं के विकास के प्रति सतत प्रयास किए गए हैं।

वर्ष 1993 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा संपादित अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण से यह प्रकाश में आया है कि परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं की दृष्टि से पर्याप्त सुधार हुआ है। इस सर्वेक्षण आख्या के अनुसार राज्य में तत्समय 4,355 प्राथमिक विद्यालय ऐसे थे, जो कच्चे भवनों, झोपड़ियों तथा बिना भवन के चलाए जा रहे थे। इस क्रम में 2,757 विद्यालयों के भवन निर्माण एवं उनके नवीकरण हेतु अनुदान प्रावधानित किया गया था। इसके अलावा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के तहत 3,627 विद्यालयों तथा बेसिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत 7,006 विद्यालयों में अपेक्षित भवन निर्माण एवं जीर्णोद्धार के कार्य संपन्न हुए हैं।

प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में हैंडपंप तथा शौचालय सुविधाएं

राज्य सरकार ने प्रत्येक प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में पेयजल की सुविधाएं प्रावधानित करने हेतु संकल्प किया है, किंतु सीमित संसाधनों के फलस्वरूप यह सुविधा मात्र 69,062 प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में ही अब तक उपलब्ध हो सकी है। इसी प्रकार वर्ष 1998-99 में 1,17,485 परिषदीय विद्यालयों में से 40,061 प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शौचालय सुविधा उपलब्ध हो सकी है। इस प्रकार की सुविधा प्रावधानित किए जाने की दृष्टि से कुल 77,424 प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रतीक्षारत् हैं।

माध्यमिक शिक्षा

उ.प्र. इंटरमीडिएट अधिनियम के तहत निजी प्रबंध व्यवस्था द्वारा चलाए जा रहे विद्यालयों की मान्यता हेतु आवश्यक शर्तें विहित हैं। इन शर्तों के अनुसार यह अपेक्षा है कि वे पक्के भवन, उपयुक्त सफाई-सुविधाएं, फर्नीचर, प्रयोगशाला एवं पुस्तकालयों से सज्जित हों। उ.प्र. सरकार ने इन विद्यालयों को अतिरिक्त कक्षा भवन निर्माण एवं फर्नीचर अनुरक्षण एवं पुस्तकालय विकास के लिए वित्तीय प्रावधान किया है।

केंद्र पुरोनिधानित योजनाएं

सन् 1984-85 में राज्य में 895 विकास खंड थे। भारत सरकार ने तीन अनुवर्ती विषयों में 'ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड' परियोजना के तहत शिक्षण-अधिगम सामग्रियों की आपूर्ति हेतु वित्तीय प्रावधान किया था। सन् 1986-87 में राज्य में 7,224 एकल शिक्षक प्राथमिक विद्यालय थे। भारत सरकार ने ऐसे एकल शिक्षक प्राथमिक विद्यालयों में द्वितीय शिक्षक की नियुक्ति हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की। इस प्रकार वर्ष 1989-90 तक 7,224 शिक्षक नियुक्त हुए।

वित्तदायी अभिकरणों से सहायता

बेसिक शिक्षा परियोजना का लक्ष्य सार्वभौम नामांकन, बेसिक शिक्षा (कक्षा 1 से 8 तक) को पूरी करना एवं गुणवत्ता में सुधार लाना था। इस परियोजना पर कुल व्यय 193 मिलियन अमेरिकन डॉलर (728.78 करोड़ रु.) हुआ। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के लिए विहित भागीदारी संरूप के अनुसार भारत सरकार को परियोजना व्यय का 85 प्रतिशत तथा उ.प्र. राज्य को 15 प्रतिशत वहन करना था। इस कार्यक्रम के मुख्य मुद्दे थे: अभिगम्यता में विस्तार लाना, विद्यालयों में ठहराव बढ़ाना, गुणवत्ता सुधार, क्षमता संवर्द्धन तथा नियोजन, शोध एवं मूल्यांकन। उ.प्र. राज्य में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम-III को 38 अतिरिक्त जनपदों में भी लागू किया गया है। इस चरण में प्रयुक्त युक्तियां एवं प्रक्रियाएं प्रायः वही हैं, जो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम-II के तहत विकसित की गई थीं।

विद्यालयीय पाठ्यक्रमों का विकास

उ.प्र. राज्य का शिक्षा विभाग नवीन पाठ्यक्रम संरचनाओं के प्रति सजग है। आवश्यकता आधारित पाठ्यक्रमों के विकास, उनके नवीकरण एवं पुनर्रचना का कार्य हाथ में लेते हुए सहभागिता पर आधारित उपागम विकसित करने का प्रयास किया गया है।

विद्यालयीय शिक्षा के विविध स्तरों पर पाठ्यक्रम नवीकरण की अधोलिखित विशेषताएं मुख्य रूप से उल्लेखनीय हैं।

प्राथमिक स्तर

इस स्तर के पाठ्यक्रम में कक्षा 1 से 5 तथा कक्षा 6 से 8 तक के पाठ्यक्रम शामिल हैं। सत्र 2000-2001 से लागू किए गए नए पाठ्यक्रम के कतिपय मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं :

- ❑ पाठ्यक्रम योजना के तहत माहवार क्रियाओं का विवरण उपलब्ध है। इसके साथ ही 220 दिन के कार्य-दिवस के अनुसार प्रभावी शिक्षण कार्यक्रम की व्यवस्था भी अभिकल्पित है।
- ❑ पाठ्यक्रम की संरचना के तहत पांच अंगभूत घटकों का उल्लेख किया गया है। ये हैं - विशिष्ट उद्देश्य, विषय-वस्तु, शिक्षण विधि, शिक्षक समर्थन तथा अपेक्षित मूल्यांकन एवं परीक्षण की विधियां।

माध्यमिक स्तर (हाईस्कूल)

नवीन शिक्षा संरचना के परिप्रेक्ष्य में एक नया पाठ्यक्रम विकसित किया गया है, जिसे वर्ष 1998 से माध्यमिक स्तर की शिक्षा हेतु लागू किया गया है। इसके तहत उ.प्र. के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर के लिए नए विषयों संबंधी प्रावधान भी समाविष्ट हैं।

उच्च माध्यमिक

+2 स्तर की पाठ्यक्रम संरचना, जिसमें इंटरमीडिएट स्तर की शिक्षा शामिल है, पूरी तरह से परिवर्तित की जा चुकी है। इसके तहत पूर्व में प्रचलित 11 संवर्गों को पुनः संरचित करते हुए 6 संवर्गों यथा—वाणिज्य समूह (2 तथा 3), रचनात्मक संवर्ग, तकनीकी संवर्ग (बुनियादी समूह) को हटा दिया गया है।

व्यावसायिक समूह

व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में स्थानीय संदर्भों से जुड़े 35 तरह के व्यवसाय विहित हैं। निर्धारित पाठ्यक्रमों के अनुसार इनमें दो प्रकार की परीक्षाएं—सिद्धांत एवं व्यवहार की ली जाती हैं। अब मानविकी विज्ञान तथा वाणिज्य समूहों में कंप्यूटर विज्ञान को भी एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में शामिल किया गया है।

पाठ्यक्रम के भार की समस्या का निवारण

विद्यालयीय शिक्षा के चारों स्तरों पर पाठ्यक्रम क्रियान्वयन में आ रही कठिनाइयों का सम्यक् निवारण करने की दृष्टि से एक त्रिमुखी उपागम अपनाया गया है। इसके मुख्य बिंदु हैं : पाठ्यक्रम की इकाईयों को सूचना के बजाय अवधारणा के आधार पर चिुति एवं चयनित करना, अधिगमकर्ता की सक्रियता एवं पहल विकसित करना तथा शिक्षण एवं अधिगम की व्यवस्थाओं में क्रिया आधारित कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करना।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के पाठ्यक्रम का अंगीकरण

राज्य के विद्यालयीय पाठ्यक्रम को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा निर्गत राष्ट्रीय पाठ्यक्रम परिप्रेक्ष्य एवं न्यूनतम अधिगम स्तर की अपेक्षाओं के अनुरूप आशोधित एवं परिवर्द्धित किया गया है। इनमें कक्षागत परिस्थितियों के यथार्थ को समझने, समय की उपलब्धता, बच्चों पर अधिगम का भार, तदनुरूप उपयोगी उपागमों के अपनाए जाने एवं पाठ्य-वस्तुओं के तार्किक अनुक्रम पर विशेष रूप से बल दिया गया है।

पाठ्यपुस्तकों की रचना, उनका उत्पादन एवं आपूर्ति

राज्य में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तरीय शिक्षा के लिए पाठ्यपुस्तकों की रचना का कार्य राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के अधीन चलाई जा रही व्यवस्था के तहत लेखकों की कार्यशालाओं के माध्यम से संपन्न किया गया है। इन पाठ्यक्रमों के उत्पादन एवं आपूर्ति के लिए राज्य स्तरीय पाठ्यपुस्तक अधिकारी कार्यालय मुख्य अभिकरण है जिसे यह कार्य सौंपा गया है। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए पाठ्यपुस्तकों की आपूर्ति हेतु उ.प्र. माध्यमिक शिक्षा परिषद् विभिन्न विषय समितियों द्वारा गठित विशेषज्ञों की सहायता से पाठ्यपुस्तकों की एक अधिमानित सूची प्रस्तुत करता है, जिसमें से विद्यालय स्तर पर इन पाठ्यपुस्तकों का अवचयन होता है। इन पाठ्यपुस्तकों के प्रकाशन एवं वितरण का कार्य पूरी तरह से निजी अनुक्षेत्र को सौंपा गया है। जनपद, विकास खंड एवं संकुल स्तर पर स्थापित केंद्रों के माध्यम से इन पाठ्यपुस्तकों की आपूर्ति सुनिश्चित की जाती है, जिसके लिए राज्य सरकार को किसी प्रकार का आर्थिक भार नहीं वहन करना पड़ता है। प्रारंभ में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा तैयार की गई पाठ्यपुस्तकों के अंगीकरण के बाद राज्य ने अपने स्तर पर ही पाठ्यपुस्तकों की रचना एवं निर्माण का कार्य ले लिया है, जिसमें राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों एवं समस्याओं को उपयुक्त रूप से प्रतिबिंबित किया गया है।

इस प्रकार पाठ्यपुस्तकों की गुणवत्ता तो सुनिश्चित हुई ही है, इन अधिगम सामग्रियों के निर्माण पर आने वाली लागत यथासंभव निम्न एवं व्यय साध्य बनाई गई है। शिक्षकों तथा विद्यार्थियों को ये पुस्तकें सत्र के प्रारंभ में ही उपलब्ध हो सकें, इस बात के लिए अपेक्षित प्रयास किया गया है।

विद्यालयीय शिक्षा में गुणवत्ता

व्यक्तिगत एवं सामाजिक विकास सुनिश्चित करने की दृष्टि से विद्यालयीय शिक्षा की गुणवत्ता अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। विद्यालय स्तर की शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए विभिन्न प्रकार की संस्थाओं एवं विभागों को कार्यशील किया गया है। इनमें मुख्य रूप से राज्य स्तरीय एवं विश्वविद्यालय स्तरीय संस्थाएं भी उल्लेखनीय हैं। उ.प्र. राज्य में अध्यापक शिक्षा की कई ऐसी संस्थाएं हैं, जो प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में प्रशिक्षित शिक्षकों की मांग की आपूर्ति करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। संप्रति शिक्षक-प्रशिक्षण की ये संस्थाएं—शिशु शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय (नर्सरी शिक्षकों के लिए), जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान (प्राथमिक स्तरीय शिक्षकों के लिए) एवं विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग तथा संबद्ध महाविद्यालय (माध्यमिक स्तरीय शिक्षकों के लिए) अपना योगदान कर रहे हैं। अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों एवं उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थानों की भूमिका महत्त्वपूर्ण रही है। इन संस्थानों के माध्यम से सेवापूर्व एवं सेवारत् अध्यापक शिक्षा की आवश्यकता की संतुष्टि हेतु राज्य की क्षमता को पर्याप्त बल मिला है।

बहुकक्षा शिक्षण

ग्रामीण अंचलों में एकल विद्यालय की संख्या प्रायः अधिसंख्य है। एक ही शिक्षक के कंधों पर 70-80 बच्चों की शिक्षा की जिम्मेवारी है। ऐसी दशा में शिक्षक की सहायता एवं विद्यालयीय शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की दृष्टि से बहुकक्षा शिक्षण प्रणाली को प्रारंभिक तौर पर परीक्षणोपरांत लागू किया गया है। इस संबंध में शिक्षकों के निर्देशन हेतु तथा उन्हें बहुकक्षा शिक्षण की परिस्थितियों में विशेष सूझ-बूझ विकसित करने की दृष्टि से एक व्यापक अनुदेशनात्मक सामग्री विकसित की गई है। इस सामग्री के अनुप्रयोग से विद्यालयीय शिक्षा की गुणवत्ता पक्ष को भी प्रबल आधार प्राप्त हुआ है।

विद्यालयों में आभ्यांतरिक रूप में शैक्षिक पर्यवेक्षण की प्रक्रिया

विद्यालयों में चल रहे आभ्यांतरिक शैक्षिक पर्यवेक्षण के कार्य को औपचारिक स्वरूप नहीं प्राप्त हो सका है। यह कार्य अभी तक प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक, समन्वयक तथा विद्यालय संदर्भों में गठित कई समितियों द्वारा संपन्न हो रहा है। प्राथमिक शिक्षा स्तर के लिए विकास खंडों एवं संकुल स्तरों पर शिक्षण अधिगम की क्रियाओं के पर्यवेक्षण का कार्य सौंपा गया है। इसके अतिरिक्त पंचायत स्तर पर ग्राम शिक्षा समितियों को आभ्यांतरित पर्यवेक्षण के कार्य का दायित्व सौंपा गया है।

छात्र मूल्यांकन

राज्य में संप्रति छात्र मूल्यांकन संबंधी कार्य विद्यालय पूर्व शिक्षा से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा पर भिन्न-भिन्न रूपों में हो रहा है। विद्यालय पूर्व शिक्षा में बच्चों की क्रियाओं को भी मूल्यांकन का आधार बनाया जाता है तथा औपचारिक रूप में ली जाने वाली परीक्षाएं लगभग नहीं के बराबर हैं। निम्न प्राथमिक स्तर पर एक कक्षा से दूसरी कक्षा में प्रोन्नति के लिए अनावरोध की नीति अपनाई

जा रही है। इस स्तर पर प्रायः गृह परीक्षाएं ली जाती हैं तथा एक कक्षा से दूसरी कक्षा में प्रोन्नति बिना किसी रुकावट के संपन्न होती है। कक्षा 5 के स्तर पर वार्षिक परीक्षाएं ही ली जाती हैं। राज्य में स्कूली व्यवस्था के तहत अब सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली को अपनाया गया है, जिसमें कक्षा कार्य, इकाईयों पर आधारित मासिक परीक्षाएं, त्रैमासिक, षट्मासिक एवं वार्षिक परीक्षाएं आयोजित करने का प्रावधान है। यह मूल्यांकन कक्षा 1 से 5 तक सतत एवं व्यापक रूप में किया जा रहा है। माध्यमिक स्तर पर दो वर्ष की शिक्षा के बाद कक्षा 10 के अंत में उ.प्र. माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा हाईस्कूल की परीक्षा ली जाती है। इसी तरह की परीक्षा +2 स्तर पर इंटरमीडिएट परीक्षा के नाम से संपन्न होती है। उ. प्र. मा. शिक्षा परिषद् के परीक्षा परिणामों के विगत पांच वर्षों के आंकड़ों से यह विदित होता है कि विद्यालयीय स्तर की शिक्षा में गुणवत्ता की दृष्टि से अभी बहुत कुछ करने को शेष है।

विद्यालयीय शिक्षा में शैक्षिक एवं प्रशासनिक समर्थन प्रणाली

शैक्षिक समर्थन प्रणाली

शैक्षिक समर्थन प्रणाली का मुख्य उद्देश्य है शिक्षकों, शैक्षिक प्रशासकों, पर्यवेक्षकों तथा अन्य अभिकर्मियों की दक्षता के स्तर को समुन्नत बनाना। इस दृष्टि से विशेष प्रकार की संरचनाएं एवं संसाधन सृजित किए गए हैं, जो अनुश्रवण के माध्यम से विद्यालयीय शिक्षा की परिस्थितियों में अपेक्षानुसार द्रुत एवं प्रभावी पग उठाने का प्रयास करते हैं।

शिक्षक दक्षताओं को समुन्नत करना : कार्यक्रमों की प्रगति एवं आच्छादन

शिक्षक दक्षताओं को समुन्नत करने की दृष्टि से कई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। उ.प्र. बेसिक शिक्षा कार्यक्रम के तहत सन् 1994 से शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को पांच चक्रों में संचालित किया गया है। इन कार्यक्रमों में शिक्षण के परिणामों को सुनिश्चित करने की दृष्टि से नियोजन, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन के परिप्रेक्ष्य में उनकी दक्षताओं का विकास करना मुख्य प्रयोजन रहा है।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के तहत सन् 1997-98 में जो प्रथम चक्र का शिक्षण प्रशिक्षण कार्य चलाया गया, उनमें प्रमुख बिंदु थे — शिक्षकों को अभिप्रेरित करना, उनकी आत्म-छवि सुधारना, उन्हें वर्तमान परिस्थितियों-विशेष तौर से सुविधावंचित संवर्गों के संबंध में विश्लेषण हेतु सक्षम बनाना, उन्हें सामुदायिक प्रतिभाग एवं जिम्मेवारी संभालने में उपयुक्त मनोवृत्ति विकसित करने में मदद करना, बाल-केंद्रित, क्रिया-आधारित प्रबंधन की ओर अग्रसर होना, आनंददायी कक्षा-शिक्षण की युक्तियों में अपेक्षित सूझ-बूझ विकसित करना तथा उन्हें एक आदर्श विद्यालयीय शिक्षा की दृष्टि से प्रभावी कक्षा-शिक्षण की विधाओं में प्रवीणता से सज्जित करना।

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के राज्य शिक्षा संस्थान तथा जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों की सेवापूर्व एवं सेवारत प्रशिक्षण में भूमिका

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा सभी के लिए शिक्षा एवं साक्षरता के कार्यक्रमों को वास्तविक रूप में सफल बनाने की दृष्टि से बहु-विमात्मक उपागम अपनाए गए हैं। इन उपागमों के तहत इसके मुख्य घटक राज्य शिक्षा संस्थान, मनोविज्ञानशाला, आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान, राज्य हिंदी संस्थान तथा जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान अपने स्तर पर चलाए जा रहे सेवापूर्व एवं सेवारत् प्रशिक्षण के कार्यक्रमों का प्रभावी रूप से अनुपालन सुनिश्चित करते हैं।

जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान में शिक्षण सामग्रियों के विकास के साथ मूल्यांकन उपकरणों के निर्माण तथा शिक्षकों के क्षमता संवर्द्धन को दृष्टिगत रखते हुए क्रियात्मक अनुसंधान एवं अनुश्रवण की अन्य कार्य-पद्धतियों को विकास खंडों तथा संकुल स्तरों पर लागू करने के लिए अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए हैं। इन कार्यक्रमों में विशेष लक्ष्य-समूहों को शामिल करते हुए अभिनव युक्तियों के अपनाए जाने एवं समस्याओं के सद्यः समाधान हेतु मासिक बैठकें भी आयोजित की जाती हैं।

प्रशासन एवं पर्यवेक्षण संबंधी व्यवस्थाओं में सुधार की युक्तियां

लगभग कई वर्षों से प्रारंभिक एवं माध्यमिक स्तर की शिक्षा में विकेंद्रीकरण की योजना प्रस्तावित एवं क्रियान्वित हुई है। इसके तहत प्रारंभिक शिक्षा अनुक्षेत्र में जनपद, विकास खंड एवं न्याय पंचायत के संकुल स्तरों को विशेष रूप से गतिशील रखते हुए उनकी प्रभावकारिता हेतु प्रयास किए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा अनुक्षेत्र में मंडलीय एवं जनपद स्तर की संस्थाएं/व्यवस्थाएं सृजित की गई हैं, जिससे विद्यालयीय शिक्षा के निष्पादन स्तर को कुशल एवं प्रभावी ढंग से समुन्नत बनाने का संकल्प पूरा हो सके।

राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान एक स्वायत्तशासी संस्था के रूप में स्थापित किया गया, जिससे प्रशासनिक एवं पर्यवेक्षण संबंधी उपलब्ध संरचनाओं में गुणवत्तापूर्ण आयाम लाने का कार्य सरल हो सके।

विद्यालयीय शिक्षा के संसाधन

सन् 1950-51 में सकल घरेलू उत्पादन का केवल 0.44 प्रतिशत ही शिक्षा पर व्यय किया गया था, जो क्रमशः वर्ष 1970-71 में स्वल्प वृद्धि के साथ 1.76 प्रतिशत हो गया। सन् 1980-81 में यह 2.5 प्रतिशत तक पहुंच गया तथा वर्ष 1990-91 में यह 4 प्रतिशत से भी अधिक बढ़ गया, जो वर्ष 1995-96 में घटकर 3.28 प्रतिशत रह गया।

राज्य का परिव्यय

सन् 1950-51 में कुल शैक्षिक परिव्यय के अनुपात में विद्यालयीय शिक्षा के प्रति होने वाला परिव्यय 68.3 प्रतिशत था, जो सन् 1980-81 में 81.29 प्रतिशत तक बढ़ गया तथा वर्ष 1999-2000 में यह और अभिवृद्धि होकर 85.70 प्रतिशत तक पहुंच गया। इसी क्रम में यहां यह उल्लेख करना भी समीचीन होगा कि सन् 1950-51 में राज्य के आय-व्यय प्रावधानों में दर्शाए गए व्यय के अनुपात में कुल शैक्षिक परिव्यय 13.70 प्रतिशत था, जो सन् 1980-81 में 20.1 प्रतिशत हो गया तथा सन् 1999-2000 में यह आंशिक वृद्धि के साथ 20.48 प्रतिशत हो गया। इससे यह संकेत मिलता है कि पूरी शिक्षा में सामान्य तौर से तथा विद्यालयीय शिक्षा में विशेष तौर से व्यय संबंधी वरीयताओं पर ध्यान दिया गया है।

शैक्षिक वित्त के स्रोत

उ.प्र. में विद्यालयीय शिक्षा के लिए शैक्षिक वित्त के कई स्रोत विद्यमान हैं, यद्यपि ये आभ्यांतरिक या घरेलू वित्तीय साधनों पर अधिकतर आधारित हैं। विद्यालयीय शिक्षा में प्रारंभिक शिक्षा के स्तर पर बाह्य वित्त प्रदायी अभिकरणों द्वारा भी विशेष प्रकार की योजनाएं चलाई गई हैं। यदा-कदा कतिपय विशेष शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए विशेष वित्तीय सहायता भी प्राप्त हुई हैं। विद्यालयीय शिक्षा

के वित्तीयन में अधिकतर दायित्व राज्य सरकार के कंधों पर है। उ.प्र. राज्य में केंद्रीय एवं स्थानीय निकायों की भूमिका प्रायः हाशियों पर है।

प्राथमिक स्तर (निम्न एवं उच्च) पर शैक्षिक संस्थाओं के अनुरक्षण हेतु उ.प्र. सरकार को दो प्रकार की वित्तीय जिम्मेवारियां निभानी पड़ती हैं। यह शासकीय प्राथमिक विद्यालयों को प्रत्यक्षतः वित्तीय समर्थन प्रदान करती है, जबकि अशासकीय प्राथमिक विद्यालयों को वित्तीय अनुदान के रूप में सहायता प्रावधानित करती है। इसी प्रकार माध्यमिक शिक्षा स्तर पर यह शासकीय माध्यमिक विद्यालयों का पूरा वित्तीय भार वहन करती है, जबकि निजी रूप में प्रबंधित शैक्षिक संस्थाओं के लिए यह वित्तीय अनुदान देती है। इस परिप्रेक्ष्य में यह देखा जा सकता है कि राज्य में विद्यालयीय शिक्षा के वित्तीयन में राज्य सरकार की भागीदारी बढ़ रही है।

बाह्य वित्त-पोषित योजनाएं

उ.प्र. राज्य की विद्यालयीय शिक्षा के बाह्य वित्तीयन की सबसे महत्त्वपूर्ण विशेषता यह है कि ये विशेष उद्देश्य एवं ऐसे विशेष जनपदों के लिए उपलब्ध होती हैं, जहां कार्यक्रमों का समारंभ किया जाना है।

राज्य स्तरीय बजट में शैक्षिक व्यय

विगत पांच दशकों में उ.प्र. राज्य के शैक्षिक व्यय में घातीय वृद्धि अंकित हुई है। यह राज्य स्तरीय बजट-परिव्यय के सापेक्ष बहुत तेजी से बढ़ी है। गत 20 वर्षों की अवधि में उ.प्र. में शैक्षिक व्यय सकल परिव्यय के सापेक्ष थोड़ा कम बढ़ा है।

शिक्षा बजट में विद्यालयीय शिक्षा

विद्यालयीय शिक्षा के लिए आबंटित बजट राज्य के कुल शिक्षा बजट के सापेक्ष विगत पांच दशकों में भारी वृद्धि का संकेत प्रस्तुत करता है। वर्ष 1950-51 में प्रारंभिक शिक्षा के लिए यह आबंटन 3.21 करोड़ रु. था, जबकि माध्यमिक शिक्षा के लिए यह 1.69 करोड़ रुपये रहा है। वर्ष 1999-2000 में प्राथमिक और माध्यमिक स्तरों के लिए यह बजट आबंटन क्रमशः 3327.91 करोड़ तथा 1896.81 करोड़ रुपये रहा है।

प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित व्यय

राज्य में प्रारंभिक शिक्षा सबसे अधिक संसाधनों का उपभोग करती है। इस पर पूरे शिक्षा बजट का 55 प्रतिशत व्यय होता है।

माध्यमिक शिक्षा संबंधी व्यय

पूरी शिक्षा के बजट का लगभग एक तिहाई से कम व्यय माध्यमिक शिक्षा पर होता है। वर्ष 1997-98 में यह व्यय ठीक एक तिहाई था। पूर्व के वर्षों में, उदाहरणार्थ 1960-61 में यह अंश पूरे शिक्षा बजट का लगभग 1/5 था।

आयोजनागत और आयोजनेत्तर व्यय

आयोजनागत एवं आयोजनेत्तर व्यय का अनुपात यह दर्शाता है कि शिक्षा के दोनों ही स्तरों पर आयोजनागत व्यय राशि में ह्रास की प्रवृत्ति दृष्टिगत है, जबकि इसके विपरीत आयोजनेत्तर व्यय में कुल व्यय का अनुपात वृद्धि प्रदर्शित करता है।

राज्य के बजट हेतु शुल्क का योगदान

उ.प्र. के बजट हेतु शुल्क का योगदान बहुत कम रहा है। वर्ष 1984-85 में शुल्क से राज्य के बजट में 13.46 करोड़ रुपये प्राप्त हुआ था, जो उस वर्ष के कुल शैक्षिक व्यय के 2 प्रतिशत के बराबर था। वर्ष 1999-2000 में शुल्क का योगदान 125.25 करोड़ रुपये था, जो निरपेक्ष रूप में सबसे बड़ी राशि है, लेकिन तुलनात्मक रूप में यह योगदान लगभग 2 प्रतिशत ही था।

संसाधनों का उपयोग

उ.प्र. राज्य में इस बात पर मतैक्य है कि कई प्रकार की शैक्षिक सुविधाओं का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाया है। यहां उल्लेखनीय है कि इष्टतम व्यय की नीतियां प्रदेश की विद्यालयीय शिक्षा के वित्तीयन के लिए अधिक संसाधन जुटाने में सकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं।

कार्यपूर्ति की तुलना में सहायता अनुदान

उ.प्र. में स्कूली शिक्षा के वित्तीयन की व्यवस्था अधिकांशतः राज्य की सहायता पर आधारित है, जो माध्यमिक स्तर पर निजी प्रबंध वाली शैक्षिक संस्थाओं को तथा प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर स्थानीय निकाय द्वारा प्रबंधित (परिषदीय) विद्यालयों को सहायता अनुदान प्रदान करती हैं। उ.प्र. राज्य में भी अन्य की भांति विद्यालयीय शिक्षा के लिए वित्तीयन को कर आय से निर्दिष्ट करने की प्रथा प्रचलन में नहीं है।

समता के मुद्दे, शुल्क मुक्ति आदि

उ.प्र. की स्कूली शिक्षा एक त्रिभुजीय समस्या से जकड़ी है। परिमाणात्मक उपलब्धियां, गुणात्मक कार्यपूर्ति तथा समानता के मुद्दे अर्थात् राज्य के निर्धन और पिछड़े वर्गों के लिए निःशुल्क अथवा कम लागत की शिक्षा उपलब्ध कराना, इस समस्या के तीन पक्ष हैं।

उ.प्र. राज्य में विद्यालयीय शिक्षा के अनुक्षेत्र के प्रमुख सकारात्मक पक्ष एवं न्यूनताएं

राज्य की विद्यालयीय शिक्षा के परिदृश्य से जुड़े प्रमुख सकारात्मक पक्ष एवं न्यूनताओं को संक्षेप में आगे सारांकित किया जा रहा है :

सकारात्मक पक्ष

- ❑ राज्य में नए विद्यालय स्थापित करने,नामांकन बढ़ाने, विद्यालयों में छात्रों का ठहराव सुनिश्चित करने तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की दृष्टि से विशेष प्रयास किए गए हैं।
- ❑ राज्य के शैक्षिक परिदृश्य में उ.प्र. बेसिक शिक्षा परियोजना 17 जनपदों में तथा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम-II एवं III 60 जनपदों में सफलतापूर्वक लागू की गई हैं, जिसका सुस्पष्ट प्रभाव विद्यालयों की भौतिक निविष्टियों एवं आधारिक संरचनाओं में समृद्धता एवं विद्यालय तथा कक्षागत प्रक्रियाओं में समर्थवान परिणामों के माध्यम से देखा जा सकता है।
- ❑ कक्षागत प्रेक्षण अध्ययनों के प्रारंभिक, मध्य एवं अंतिम चरणों पर की गई तुलना से यह पता चलता है कि विद्यार्थियों के उपलब्धि स्तरों में प्रशंसनीय रूप से वृद्धि हुई है, विद्यालय की भौतिक निविष्टियां समुन्नत हुई हैं, कक्षागत एवं विद्यालयीय संदर्भों में अनुदेशन की प्रक्रियाएं गतिशील बनी हैं तथा 6-14 वयवर्ग के बच्चों में विहित विद्यालय अवधि तक शिक्षा पूरी किए बगैर स्कूल से विरत हो जाने वाले छात्रों की संख्या घटी है।

- विद्यालयीय पाठ्यक्रम में अपेक्षित सुधार किया गया है, प्राथमिक विद्यालयों के लिए नवीन प्रकार की पुस्तकें विकसित की गई हैं तथा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की प्रणाली का समारंभ किया गया है।
- प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक अनुक्षेत्रों में जनपद स्तर से विकास खंड स्तर तक राज्य में प्रशासन, पर्यवेक्षण एवं शैक्षिक समर्थन के संबंध में नियंत्रण हस्तांतरित हुआ है।
- विकास खंड एवं संकुल स्तरों के रूप में शैक्षिक अवलंब की संरचनाएं वर्ष 1985 के बाद शनैः-शनैः आगे की ओर संबलित हो रही हैं।
- प्राथमिक शिक्षा के लिए सेवापूर्व प्रशिक्षणार्थियों के प्रवेश की अर्हता हेतु सामान्य शिक्षा के स्तर को वर्तमान में प्रचलित मानक से बढ़ाकर स्नातक उपाधि की धारिता अनिवार्य कर दी गई है।
- राज्य में 222 माध्यमिक विद्यालयों के कक्षा 11 और 12 के लिए कंप्यूटर साक्षरता का समावेश करते हुए सूचना-प्रौद्योगिकी के पाठ्यक्रम का समारंभ हो चुका है।

न्यूनताएं

- यद्यपि सामाजिक विषमताओं, वर्गीय भेद, स्थानीय परिस्थितियां, शहरी एवं ग्रामीण परिवेश संबंधी विशेषताएं तथा लिंग पर आधारित असमानताओं के प्रभावों को न्यूनातिन्यून बनाने के लिए बहुशाखीय युक्तियों का प्रयोग किया गया है तथापि कई तरह के अंतर एवं न्यूनताएं अभी भी विद्यमान हैं।
- प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के लिए विद्यार्थियों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, लेकिन इस दृष्टि से संस्थाओं एवं शिक्षकों की संख्या में वृद्धि उसी रूप में सुनिश्चित नहीं हो सकी है। परिणामस्वरूप प्राथमिक स्तर से लेकर माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तरों तक की कक्षाएं विपुल संख्यातिभार से बोझिल हैं तथा उनकी शैक्षिक स्थिति कमजोर है।
- पाठ्यक्रमों में, विशेष तौर से प्राथमिक स्तर पर, स्थानीय विशिष्टताओं को पर्याप्त रूप में समाविष्ट करने संबंधी अनेक न्यूनताएं अभी भी दृष्टिगत हैं।
- निजी एवं पब्लिक खर्च पर प्रबंधित विद्यालयों के सापेक्ष अधिकांश सरकारी एवं परिषदीय विद्यालयों में शिक्षण अधिगम एवं पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का स्तर संतोषप्रद नहीं है।
- विद्यालयों का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण आमतौर से औपचारिक एवं रस्म अदायगी का रूप धारण कर चुका है। इनमें न तो शैक्षिक उद्देश्यपूर्णता है और न ही शैक्षिक दृष्टि।

अपूर्ण कार्यों एवं अनुत्तरित मुद्दों की ओर

राज्य में कतिपय अपूर्ण कार्यों और मुद्दों को जो विद्यालयीय शिक्षा से संबंधित हैं, इस प्रकार परिगणित किया जा सकता है:

- **अभिगम्यता** : राज्य में अभी भी सुविधावंचित संवर्गों यथा—अनुसूचित जाति/जनजाति, घुमंतू, शहरी इलाकों की गंदी बस्तियों में रहने वाले श्रमिक वर्ग तथा गरीबी रेखा के नीचे के परिवार के बच्चों को विद्यालयों तक पहुंच पाने की सुविधा उसी रूप में उपलब्ध नहीं है, जो उस वयवर्ग के सुविधा संपन्न एवं धनी लोगों के बच्चों को प्राप्त है।
- **विस्तार एवं आच्छादन** : प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या, लड़कों तथा लड़कियों का विद्यालय में नामांकन एवं शिक्षकों की तादाद को लेकर

अभूतपूर्व वृद्धि हुई है तथा सुविधावंचित संवर्गों के संबंध में विद्यालयीय शिक्षा स्थितियों का आच्छादन पूर्णरूपेण न्यायोचित एवं समान नहीं कहा जा सकता। यह अधिकतर वर्तमान सामाजिक-आर्थिक विषमताओं एवं असंतुलन के परिणामस्वरूप है।

- **गुणवत्ता एवं उत्कृष्टता :** विद्यालयीय शिक्षा में उपलब्धियों एवं निष्पादन के मूल्यांकन हेतु मानदंडों की विज्ञप्ति पूर्ण स्पष्टता के साथ नहीं की जा सकी है।
- **शिक्षक अभिप्रेरणा एवं व्यावसायिकता :** शिक्षकों की अभिप्रेरणा में उत्तरोत्तर ह्रास एवं उनकी व्यावसायिकता की भावना के अभाव से जुड़ी समस्या शाश्वत रूप में बनी हुई है। शिक्षकों द्वारा निजी ट्यूशन एवं व्यावसायिक दृष्टि से अनुशिक्षण (कोचिंग) की कक्षाओं द्वारा अधिक धन उपार्जित करने की प्रवृत्ति पर कोई प्रभावी प्रतिबंध नहीं लग सका है।
- **शिक्षा के लिए संसाधनों को जनित करना एवं उनका बेहतर उपयोजन सुनिश्चित करना :** बजट के आबंटन में ग्रामीण एवं शहरी अनुक्षेत्रों की वर्तमान विशेषताओं एवं असमानताओं को दृष्टिगत रखना अत्यावश्यक है। इधर कुछ समय से ऐसे लोगों पर जो यह भार आसानी से वहन कर सकते हैं, शैक्षिक उप-कर लगाने की बात इस दृष्टि से पर्याप्त महत्त्वपूर्ण बन गई है।
- **अवलंब सामग्री निर्मित करना :** विद्यालयीय स्तर के पाठ्यक्रमों की अपेक्षा के अनुरूप सफल एवं प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह समीचीन होगा कि पाठ्यपुस्तकें पूरक श्रव्य-दृश्य सामग्रियां, ऑडियो-वीडियो कैसेट्स, शिक्षक निर्देशिकाएं एवं स्व-निर्देशित अनुदेशनात्मक किट्स को शामिल करते हुए एक ऐसा पैकेज तैयार किया जाए, जो विद्यालयों को उपलब्ध हो तथा जिसे शिक्षक एवं विद्यार्थी अपनी आवश्यकतानुसार समन्वित एवं इष्टतम रूप में प्रयोग में ले सकें। इससे विद्यालयीय शिक्षण व्यवस्था में विद्यार्थी अनुकूल, स्व-अध्ययन केंद्रित (मॉड्यूलर) एवं बहुल माध्यम निर्दिष्ट पैकेजों की रचना करने का मार्ग प्रशस्त होगा।
- **स्वायत्तता एवं जवाबदेही :** विगत कुछ वर्षों से शिक्षकों एवं विद्यालयों को स्वायत्तता प्रदान करने का मामला जटिल बनता जा रहा है। उन्हें कैसे तथा किस रूप में स्वायत्तता दी जाए, यह मसला अभी भी विवादास्पद बना हुआ है।
- **लिंग विषमता :** लिंग संबंधी विषमता से जुड़े मुद्दों से निपटने में अभिभावकों (विशेष तौर से गांव के) की मानसिकता मुख्य बाधा रही है।
- **साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा :** प्राथमिक विद्यालयों के आभामंडल में विद्यार्थी-अनुकूल सहजता लाने के प्रयास को गति देने के लिए स्थानीय विशिष्टताओं पर आधारित पाठ्यक्रमों, पाठ्यपुस्तकों, शिक्षण-अधिगम सामग्रियों तथा प्रभावी मूल्यांकन केंद्रित वैकल्पिक शिक्षण विधाओं एवं उपागमों को अन्वेषित करने की महत्ती आवश्यकता है।
- **मूल्यांकन प्रणाली :** हमारे विद्यालय, शिक्षक तथा विद्यार्थीगण अपनी व्यवस्था के विशिष्ट सकारात्मक पक्षों एवं उनकी न्यूनताओं की पहचान करने की दृष्टि से शैक्षिक अंकेक्षण तथा मूल्यांकन करने के लिए अभ्यस्त नहीं हैं। इस संबंध में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की प्रणाली को जिसे अभी हाल ही में लागू किया गया है, प्रभावी बनाने की दृष्टि से पर्याप्त सतर्कता एवं अनुश्रवण की आवश्यकता होगी।

- **माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण** : केंद्र समर्थित योजनाओं तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय की कार्ययोजना द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के नियत होने के बावजूद उच्च माध्यमिक शिक्षा (+2 स्तर) के पाठ्यक्रमों में व्यावसायिक पुट लाने का कार्य अपेक्षित रूप में प्रभावी नहीं हो सका है। इसके लिए मुख्य कारक है, विद्यालय तथा उद्योगों में सहलग्नता का अभाव, व्यावसायिक शिक्षा को निम्न दर्जा दिए जाने के रूप में देखा जाना, समुचित ढंग से प्रशिक्षित कोर-शिक्षकों एवं अनुदेशकों की कमी तथा समुदाय द्वारा सामान्य रूप में एवं प्रशासन द्वारा विशेष रूप में अपेक्षित समर्थन एवं प्रतिबद्धता का न होना।
- **प्रमुख प्रतिमान बदलाव** : विद्यालयीय परिवेश में सक्रिय अधिगम प्रणालियों के अनुप्रयोग एवं प्रोत्साहन की दृष्टि से पूरी व्यवस्था को अभी भी इंगित मील के पत्थर तक पहुंचाना है। कक्षा-शिक्षण में अभी भी विद्यार्थियों की पहल बहुत पक्की नहीं बन सकी है। इस संबंध में मुख्य समस्या शिक्षकों द्वारा गतिशील शिक्षण-अधिगम पद्धतियों एवं नवाचारी अनुदेश के तरीकों को अपनाए जाने संबंधी उनकी दक्षता पर केंद्रित है।
- **शोध अवलंब तथा प्रशिक्षण निविष्टियां** : राज्य में विद्यालयीय शिक्षा से संबंधित नीति के निर्माण एवं कार्यान्वयन के संबंध में राज्य स्तर पर संपन्न शोध एक समर्थवान अवलंब विकसित नहीं कर पाए हैं। पूरे शिक्षा अनुक्षेत्र को दृष्टिगत रखकर क्रियात्मक अनुसंधान की युक्तियों के अनुप्रयोग तथा प्रभावी प्रशिक्षण निविष्टियों के माध्यम से क्षमता संवर्द्धन का कार्य उच्च वरीयता लक्ष्यों में सम्मिलित किए जाने की अपेक्षा रखता है।

सारणियों की सूची

सारणी संख्या	विषय-वस्तु	पृष्ठ संख्या
1.01	उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल की सापेक्षिक स्थिति	4
1.02	भारत की जनसंख्या वृद्धि के सापेक्ष उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि	7
1.03	ग्रामीण और शहरी जनसंख्या (प्रतिशत में)	7
1.04	भारत और उत्तर प्रदेश में लैंगिक अनुपात (महिलाएं प्रति 1000 पुरुष)	8
1.05	मानव विकास के संकेतक	9
1.06	उ. प्र. में विभिन्न आयुवर्ग और लैंगिक आधार पर जनसंख्या वितरण (1991)	9
1.07	उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कुछ अन्य राज्यों की तुलना में	11
1.08	विभिन्न स्तरों पर विद्यालयों की संख्या	22
1.09	विभिन्न स्तरों पर छात्रों की संख्या	25
1.10	विभिन्न स्तरों पर अध्यापकों की संख्या	28
1.11	प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का आच्छादन (प्रतिशत में)	30
1.12	नामांकन के रूप में बालिकाओं और बालकों की प्रतिभागिता	31
1.13	संस्कृत पाठशालाओं, विद्यार्थियों और अध्यापकों की संख्या	33
1.14	अरबी संस्थाओं, विद्यार्थियों और अध्यापकों की संख्या	34
1.15	उर्दू विद्यालयों की संख्या	35
1.16	उत्तर प्रदेश में शैक्षिक परिव्यय का सारांश	36
2.01	प्राथमिक विद्यालयों की संख्या– वर्ष 1950-51 से 1999-2000 तक	43
2.02	प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षार्थियों और शिक्षकों की संख्या 1950-51 से 1999-2000	44
2.03	प्राथमिक विद्यालयों का कक्षा 1 से 5 तक नामांकन	45
2.04	उच्च प्राथमिक विद्यालयों का नामांकन कक्षा 6 से 8 तक	45
2.05	उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा में प्रतिभागिता (1987-88) साक्षरता अनुपात (आयु 10-14 वर्ष)	48
2.06	बच्चों का अनुपात आयुवर्ग 12-14 वर्ष विद्यालयों में जिनका नामांकन नहीं हुआ (1986-88)	48
2.07	उत्तर प्रदेश में साक्षरता में अंतर-क्षेत्रीय विभिन्नताएं	50
2.08	उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा में प्रतिभागिता	51
2.09	प्राथमिक विद्यालय स्तर पर डी.पी.ई.पी.-II जनपदों में शालात्याग की दर	53
2.10	एकल-शिक्षक विद्यालय, उत्तर प्रदेश (प्रतिशत)	53
2.11	छात्रावास की सुविधा में विकास	55

2.12	निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण योजनांतर्गत लाभान्वित संवर्ग	56
2.13	संप्राप्तियां (बास, मास, फास), कक्षा 5	58
2.14	शिक्षण-अधिगम सामग्री से आच्छादित विद्यालयों की संख्या	59
3.01	साक्षरता दर (प्रतिशत में)	66
3.02	उत्तर प्रदेश राज्य में प्रौढ़ शिक्षा की वर्षवार प्रगति	69
3.03	अनौपचारिक शिक्षा केंद्रों में नामांकन की स्थिति	73
3.04	विषय एवं नामांकन स्थिति	79
3.05	सतत संपर्क शिक्षा कार्यक्रम में नामांकन	80
3.06	उत्तर प्रदेश के कतिपय चयनित जनपदों में बाल श्रम की प्रस्थिति एवं प्रकृति	82
4.01	उत्तर प्रदेश में विद्यालयों, विद्यार्थियों तथा शिक्षकों की संख्या	93
4.02	उत्तर प्रदेश में माध्यमिक विद्यालयों (उच्चतर माध्यमिक) की संख्या	95
4.03	उत्तर प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या	95
4.04	उत्तर प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या	96
4.05	उत्तर प्रदेश में विद्यालयों, विद्यार्थियों तथा शिक्षकों की संख्या	97
4.06	हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा का परीक्षाफल	102
4.07	चयनित संस्थाएं, स्वीकृत वर्कशेड और आबंटित ट्रेड्स	109
4.08	उपलब्ध व्यावसायिक पाठ्यक्रम	112
4.09	विद्यार्थियों का वर्षवार नामांकन	113
4.10	निर्धारित विषय, अंक तथा कालांश	114
4.11	व्यावहारिक संवर्ग के +2 उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत	117
5.01	उत्तर प्रदेश के लिए एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा छठे अखिल भारतीय शिक्षा सर्वेक्षण स्तर पर उपलब्ध आंकड़े	122
5.02	बी.ई.पी. तथा डी.पी.ई.पी.-II (31-01-2000 तक) के अंतर्गत आधारिक संरचना का विकास	124
5.03	उत्तर प्रदेश राज्य में भवन विहीन राजकीय हाई स्कूल/इंटर कालेज	127
5.04	उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में पीने का पानी तथा शौचालयों की उपलब्धता के लिए 30-01-2000 तक की स्थिति का सारांश	128
5.05	दसवें वित्त आयोग के अंतर्गत उच्च प्राथमिक बालिका विद्यालयों में शौचालयों के निर्माण तथा हैंडपंप लगाने में हुई प्रगति	130
5.06	नए प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों तथा शौचालयों का निर्माण एवं हैंडपंप का लगना	131
5.07	आपरेशन ब्लैकबोर्ड के अंतर्गत आच्छादित विद्यालय	132
5.08	निर्मित विद्यालय भवनों की संख्या	132
5.09	दसवें वित्तीय कमीशन की संस्तुति के अनुसार उच्च प्राथमिक विद्यालयों में निर्मित विद्यालय भवन/शौचालय, चहारदीवारी की स्थिति	133

5.10	दसवें वित्त आयोग के पुरस्करण के अनुसार नए बालिका विद्यालय/शौचालय/ चहारदीवारी तथा हैंडपंप लगाने के संबंध में क्रियान्वित	134
5.11	दसवें वित्त आयोग के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों में लगाए गए हैंडपंप	138
5.12	परिषदीय प्राथमिक पाठशालाओं में लगाए गए हैंडपंपों की प्रगति	138
6.01	अधिभार संरूप के साथ कक्षा 1 से 5 तक की पाठ्यक्रम संरचना	153
6.02	समय अधिभार एवं मूल्यांकन संरूप के साथ कक्षा 6 से 8 तक के लिए पाठ्यक्रम प्रारूप	154
7.01	अध्यापक शिक्षा संस्थाएं (प्रकारात्मक)	181
7.02	माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों का आच्छादन क्षेत्र – नवीं पंचवर्षीय योजनांतर्गत सेवारत शिक्षक-शिक्षा	190
7.03	प्रशिक्षित अध्यापक—मांग और पूर्ति (1997-2002)	191
7.04	विगत पांच वर्षों का उ.प्र. परिषद् का परीक्षाफल	200
7.05	राजकीय तथा अराजकीय संस्थाओं के हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट का परीक्षाफल	203
7.06	प्रबंध का प्रकार और विद्यालयों की संख्या	206
9.01	उत्तर प्रदेश में शैक्षिक व्यय राज्य घरेलू उत्पाद (एस.डी.पी.) के प्रतिशत के रूप में	236
9.02	उत्तर प्रदेश में शैक्षिक तथा कुल बजट व्यय	241
9.03	उत्तर प्रदेश में स्कूल शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय	243
9.04	उत्तर प्रदेश में शैक्षिक व्यय, अनुपात	244
9.05	उत्तर प्रदेश में विद्यालयीय शिक्षा पर आयोजनागत तथा आयोजनेत्तर व्यय	247
9.06	उत्तर प्रदेश में स्कूल शिक्षा का शुल्क ढांचा	248
9.07	उत्तर प्रदेश में शैक्षिक शुल्क तथा शैक्षिक व्यय	249
9.08	शैक्षिक शुल्क आदि से राज्य सरकार को प्राप्त आय	250

चित्रों की सूची

चित्र संख्या	विषय-वस्तु	पृष्ठ संख्या
1.1	भारत : उत्तर प्रदेश की अवस्थिति	3
1.2	उत्तरांचल में प्रशासकीय खंड (2002)	5
1.3	उत्तर प्रदेश में प्रशासकीय खंड	6
1.4.	दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर	8
1.5	लिंग और आयुवर्ग के आधार पर जनसंख्या का प्रतिशतवार वितरण (1991)	10
1.6	उत्तर प्रदेश का वर्तमान शैक्षिक स्वरूप	12
1.7	उत्तर प्रदेश सचिवालय स्तर पर शैक्षणिक प्रशासन तंत्र	15
1.8	उत्तर प्रदेश शिक्षा निदेशालय (बेसिक)	16
1.9	उत्तर प्रदेश शिक्षा निदेशालय (माध्यमिक)	17
1.10	माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ.प्र. का प्रशासनिक ढांचा	18
1.11	राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, उत्तर प्रदेश	19
1.12	साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा निदेशालय	20
1.13	निदेशालय, उर्दू तथा प्राच्य भाषाएं	21
1.14	उत्तर प्रदेश में विद्यालयों की संख्या में वृद्धि (1999-2000)	23
1.15	उत्तर प्रदेश के विद्यालयों में नामांकन की स्थिति (1999-2000)	26
1.16	उत्तर प्रदेश के विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या (1999-2000)	29
2.1	आधारभूत, मध्यावधि एवं अंतिम मूल्यांकन सर्वेक्षण की संप्राप्ति (कक्षा 5)	58
3.1.	उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर राष्ट्रीय साक्षरता दर के सापेक्ष (2000-2001)	67
3.2	पत्राचार शिक्षा, वर्गवार छात्र नामांकन स्थिति (1999-2000)	80
4.1	उत्तर प्रदेश में माध्यमिक विद्यालयों का विकास (1950-2000)	99
4.2	उ.प्र. में माध्यमिक विद्यालयों का प्रबंधन व्यवस्था के अनुसार प्रतिशत	100
7.1	उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् का हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाफल (2000)	201
7.2	विद्यालय प्रबंधन के आधार पर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत (1999)	205
9.1	उत्तर प्रदेश के कुल बजट में शिक्षा बजट का प्रतिशत (1950-51 से 1999-2000)	242
9.2	उत्तर प्रदेश में विद्यालयीय शिक्षा पर जन-व्यय	244
9.3	उत्तर प्रदेश में स्तरवार शिक्षा पर व्यय (1999-2000)	245

संक्षेप अक्षर

ABSA	Assistant Basic Siksha Adhikari	सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी
ASP	Alternative Schooling Programme	वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम
B.Ed	Bachelor of Education	शिक्षाशास्त्र में स्नातक
BAS	Baseline Assessment Survey	आधारभूत मूल्यांकन सर्वेक्षण
BEP	Basic Education Project	बेसिक शिक्षा परियोजना
BETI	Better Education Through Innovation	नवाचारों द्वारा अच्छी शिक्षा
BRC	Block Resource Centre	खंड विकास केंद्र
BSA	Basic Shikhsa Adhikari	बेसिक शिक्षा अधिकारी
BTC	Basic Teacher Certificate	बेसिक टीचर सर्टिफिकेट
CBSE	Central Board of Secondary Education	केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्
CCE	Continuous and Comprehensive Evaluation	सतत एवं व्यापक मूल्यांकन
CEP	Continuing Education Programme	सतत शिक्षा कार्यक्रम
C.P.Ed.	Certificate in Physical Education	शारीरिक शिक्षा प्रमाणपत्र
CPI	Central Pedagogical Institute	केंद्रीय पेडागाजिकल संस्थान
CRC	Cluster Resource Centre	समूह संसाधन केंद्र
CREDA	Centre for Rural Education Development and Assessment	ग्रामीण शिक्षा विकास एवं मूल्यांकन केंद्र
CSVE	Centrally Sponsored Schemes of Vocationalization of Education	व्यावसायिक शिक्षा की केंद्रपुरोधानित योजनाएं
CTE	College of Teacher Education	शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय
CWD	Child and Women Development	महिला एवं बाल विकास
DEAC	District Education Advisory Council	जिला शिक्षा सलाहकार परिषद्
DIET	District Institute of Education and Training	जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान
DIOS	District Inspector of Schools	जिला विद्यालय निरीक्षक
DLC	District Literacy Committee	जिला साक्षरता समिति
DLL	Desired Level of Learning	वांछित अधिगम स्तर
DPEd	Diploma in Physical Education	शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा
DPEP	District Primary Education Programme	जिला बेसिक शिक्षा कार्यक्रम
ECCE	Early Childhood Care and Education	शिशु की प्राथमिक देखरेख और शिक्षा
EFA	Education For All	सबके लिए शिक्षा
ELTI	English Language Teaching Institute	आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान

ET	Educational Technology	शैक्षिक तकनीकी
EVS	Environmental Studies	पर्यावरणीय अध्ययन
FAS	Final Assessment Survey	अंतिम मूल्यांकन सर्वेक्षण
GOI	Government of India	भारत सरकार
GOI-UN	Government of India-United Nations	भारत सरकार एवं संयुक्त राष्ट्र
GOUP	Government of Uttar Pradesh	उत्तर प्रदेश सरकार
HTC	Hindustani Teacher Certificate	हिंदुस्तानी अध्यापक प्रमाणपत्र
IASE	Institute of Advanced Studies in Education	उन्नतशील शिक्षण संस्थाएं
ICDS	Integrated Child Development Services	समेकित बाल विकास सेवाएं
ICSE	Indian Council of Secondary Education	भारतीय माध्यमिक शिक्षा. परिषद्
IEHC	Integrated Education for Handicapped Children	विकलांग बच्चों हेतु समेकित शिक्षा
LT	Licentiate in Teaching	लाइसेंसिएट इन टीचिंग
M.Ed	Master of Education	शिक्षाशास्त्र में परास्नातक
M.Phil	Master of Philosophy	दर्शनशास्त्र में परास्नातक
MAS	Mid-Term Assessment Survey	मध्यावधि मूल्यांकन सर्वेक्षण
MGT	Multi Grade Teaching	बहुकक्षा शिक्षण
MHRD	Ministry of Human Resource Development	मानव संसाधन विकास मंत्रालय
MIS	Management Information System	सूचना प्रबंधन तंत्र
MLL	Minimum Level of Learning	न्यूनतम अधिगम स्तर
NCERT	National Council of Educational Research and Training	राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
NCLP	National Child Labour Project	राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना
NCTE	National Council of Teacher Education	राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्
NFE	Non-Formal Education	अनौपचारिक शिक्षा
NGO	Non-Government Organization	गैर-सरकारी संस्था
NIEPA	National Institute of Education Planning and Administration	राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान
NOS	National Open School	राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय
NPE	National Policy on Education	राष्ट्रीय शिक्षा नीति
NPRC	Nyaya Panchayat Resource Centre	न्याय पंचायत संसाधन केंद्र
OBB	Operation Black Board	ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड
OBC	Other Backward Castes	अन्य पिछड़ी जातियां
Ph.D	Doctor of Philosophy	पी-एच.डी.

PLC	Post Literacy Campaign	उत्तर साक्षरता अभियान
POA	Plan of Action	कार्ययोजना
PTA	Parent Teacher Association	अभिभावक अध्यापक संगठन
RS	Ruchipurna Shiksha	रूचिपूर्ण शिक्षा
SC	Scheduled Caste	अनुसूचित जाति
SCERT	State Council of Educational Research and Training	राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
SGS	School Guarantee Scheme	विद्यालय गारंटी योजना
SIE	State Institute of Education	राज्य शिक्षा संस्थान
SIEMAT	State Institute of Educational Management and Training	राज्य शिक्षा प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान
SIET	State Institute of Educational Technology	राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान
SISE	State Institute of Science Education	राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान
SOPT	Special Orientation Programme for Primary Teachers	प्राथमिक अध्यापकों हेतु विशिष्ट प्रतिस्थापन कार्यक्रम
SPO	State Project Office	राज्य परियोजना कार्यालय
SRG	State Resource Group	राज्य संसाधन समूह
SSA	Sarva Shiksha Abhiyan	सर्व शिक्षा अभियान
SSK	Shishu Shiksha Kendra	शिशु शिक्षा केंद्र
ST	Scheduled Tribe	अनुसूचित जनजाति
SUPW	Socially Useful Productive Work	समाजोपयोगी उत्पादक कार्य
TLC	Total Literacy Campaign	संपूर्ण साक्षरता अभियान
TLM	Teaching Learning Material	शिक्षण-अधिगम सामग्री
TLP	Total Learning Programme	संपूर्ण साक्षरता कार्यक्रम
UEE	Universalization of Elementary Education	प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनीकरण
UGC	University Grant Commission	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
UPEFA	Uttar Pradesh Education for All	उत्तर प्रदेश सभी के लिए शिक्षा
UPPSS	Uttar Pradesh Prathmik Shikshak Sangh	उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ
VEC	Village Education Committee	ग्राम शिक्षा समिति
VTC	Vernacular Teacher Certificate	वर्नाकुलर टीचर सर्टिफिकेट

गांधी जी का जंतर

तुम्हें एक जंतर देता हूँ। जब भी तुम्हें संदेह हो या तुम्हारा अहम् तुम पर हावी होने लगे, तो यह कसौटी आज़माओ :

जो सबसे गरीब और कमज़ोर आदमी तुमने देखा हो, उसकी शक्ल याद करो और अपने दिल से पूछो कि जो कदम उठाने का तुम विचार कर रहे हो, वह उस आदमी के लिए कितना उपयोगी होगा। क्या उससे उसे कुछ लाभ पहुंचेगा? क्या उससे वह अपने ही जीवन और भाग्य पर कुछ काबू रख सकेगा? यानी क्या उससे उन करोड़ों लोगों को स्वराज्य मिल सकेगा, जिनके पेट भूखे हैं और आत्मा अतृप्त है?

तब तुम देखोगे कि तुम्हारा संदेह मिट रहा है और अहम् समाप्त होता जा रहा है।

मो० क० गांधी

विषय सूची

प्राक्कथन (vii)
आमुख (ix)
कार्यकारी सारांश (xii)
सारणियों की सूची (xxxiii)
चित्रों की सूची (xxxvi)
संक्षेप अक्षर (xxxvii)

अध्याय 1 : उत्तर प्रदेश में विद्यालयीय शिक्षा के 50 वर्ष 1

1.1 ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य 1
1.1.1 प्राकृतिक परिदृश्य 2
1.1.2 जनांक्कीय विशेषता 4
1.1.3 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत 4
1.1.4 जनसंख्या वृद्धि दर तथा जनसंख्या घनत्व 4
1.1.5 ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति 7
1.1.6 लैंगिक अनुपात 8
1.1.7 मानव विकास के संकेतक 9
1.1.8 लिंग एवं आयुवर्ग के अनुसार जनसंख्या का वितरण 9
1.1.9 सामाजिक-आर्थिक विशेषताएँ 11
1.1.10 साक्षरता दर 11
1.2 उत्तर प्रदेश में विद्यालयीय शिक्षा प्रणाली 12
1.2.1 उत्तर प्रदेश में प्रचलित शिक्षा व्यवस्था का संगठनात्मक स्वरूप 13
1.2.2 वर्तमान स्वरूप 14
1.2.3 बेसिक शिक्षा निदेशालय 14
1.2.4 माध्यमिक शिक्षा निदेशालय 18
1.2.5 राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (एस.सी.ई.आर.टी.) उ.प्र. निदेशालय 20
1.2.6 साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा निदेशालय 20
1.2.7 निदेशालय (उर्दू एवं प्राच्य भाषाएं) 21
1.3 जिला शिक्षा सलाहकार समिति 21
1.4 विस्तार और आच्छादन 22
1.4.1 विद्यार्थियों का नामांकन 25
1.4.2 विद्यालयीय शिक्षा स्तरों पर सामान्य, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संवर्गों का आच्छादन 30
1.4.3 लिंग आच्छादन के परिप्रेक्ष्य में प्रतिभाग 31

1.4.4	प्राच्य, अरबी और उर्दू भाषाओं का शैक्षिक परिदृश्य	32
1.4.4.1	संस्कृत पाठशाला	32
1.4.4.2	माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद्	33
1.4.4.3	अरबी मदरसा	34
1.4.4.4	राज्य में उर्दू भाषा	34
1.4.4.5	आंग्ल-भारतीय विद्यालय	35
1.5	राज्य का परिव्यय	36
1.6	राज्य स्तरीय उत्प्रेरक नीति और प्रोत्साहन कार्यक्रम	37
1.6.1	उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परियोजना	38
1.6.2	जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम	38
1.6.3	विशेष प्रेरणादायी योजनाएं	39
1.7	राज्य स्तरीय आयोग और समितियां	39
1.7.1	राज्य स्तरीय पहल में परिलक्षित दिशा बोध	40
अध्याय 2 : प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण		**41**
2.1	उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनीकरण	41
2.2	प्राथमिक शिक्षा अधिनियम	42
2.2.1	विद्यालय	43
2.2.2	शिक्षार्थी और शिक्षक	44
2.3	लिंग आधारित कक्षा 1 से 8 तक नामांकन में वृद्धि	44
2.4	विद्यालय पूर्व शिक्षा	46
2.5	प्राथमिक शिक्षा की अभिगम्यता	47
2.6	समस्याएं और मुद्दे	47
2.7	विद्यालयीय व्यवस्था में सीमित प्रतिभाग	48
2.7.1	न्यूनता (कमी)	48
2.8	प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनीकरण के संदर्भ में राज्य में विद्यमान क्षेत्रीय असमानताएं	49
2.9	ठहराव	52
2.10	शालात्याग	52
2.11	एकल शिक्षक विद्यालय	53
2.12	बहुकक्षा शिक्षण	54
2.13	विविध प्रोत्साहनपरक योजनाएं	55
2.13.1	निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण	55
2.13.2	मध्याह्न भोजन	56
2.13.3	मूल्यांकन और प्रोत्साहन योजनाओं में मार्गावरोध	56
2.14	शिक्षा के सार्वजनीकरण की प्रगति (वर्ष 1986 से)	57

2.14.1	शैक्षणिक उपलब्धियां	58
2.15	केंद्र पुरोनिधानित योजनाओं का क्रियान्वयन	59
2.15.1	ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड	59
2.15.2	शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों हेतु क्षेत्रीय स्तर पर चलाए जा रहे सघन कार्यक्रम	60
2.15.3	रुचिपूर्ण शिक्षा	60
2.15.4	बालिका शिक्षा परियोजना	61
2.15.5	बालिका शिक्षा उन्नयन कार्यक्रम	61
2.15.6	उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना	62
2.15.7	जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम	62
2.16	स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका	63
2.17	सामुदायिक प्रतिभाग की भूमिका	64
अध्याय 3 :	**वैकल्पिक शिक्षा एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा**	**65**
3.1	निरक्षरता उन्मूलन	66
3.1.1	वर्तमान स्थिति	66
3.1.2	कुछ गंभीर प्रकरण	66
3.1.3	साक्षरता के प्रमुख कार्यक्रम	68
3.1.4	साक्षरता कार्यक्रम के विविध चरण	69
3.1.5	साक्षरता आंदोलन से संबंधित प्रकरण	71
3.2	वैकल्पिक शिक्षा (अनौपचारिक एवं मुक्त विद्यालय)	71
3.2.1	अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम	72
3.3	डी.पी.ई.पी. के तहत वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम	73
3.3.1	वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम की आधारभूत विशेषताएं	75
3.4	डी.पी.ई.पी. जनपदों में वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रमों का आच्छादन	76
3.4.1	शिक्षा गारंटी योजना	76
3.4.2	शिक्षा मित्र योजना	77
3.4.3	मुक्त स्वरूप की वैकल्पिक शिक्षा	77
3.4.4	पत्राचार शिक्षा व्यवस्था	79
3.5	बाल श्रमिकों की शिक्षा	81
3.6	वर्तमान में चलाए गए कार्यक्रमों का आच्छादन एवं गैर सरकारी स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका	83
3.6.1	कामकाजी बच्चों की शिक्षा के लिए विभिन्न प्रतिमानों का क्रियान्वयन	83
3.7	वैकल्पिक शिक्षा के मुद्दे एवं वरीयताएं	84
3.8	विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों की शिक्षा	85
3.8.1	विकलांग बच्चों के लिए समन्वित शिक्षा की प्रस्थिति	85

3.8.2	डी.पी.ई.पी. (द्वितीय) के जनपदों में समन्वित शिक्षा का आच्छादन	86
3.8.3	समन्वित शिक्षा में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका	87
3.9	समन्वित शिक्षा हेतु सामग्री विकास	87
3.9.1	जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम-III में प्रगति	87
3.10	माध्यमिक स्तर पर समन्वित शिक्षा कार्यक्रम	88
3.11	भावी वरीयताएं	88
3.12	निष्कर्ष	88
अध्याय 4 : माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा		**90**
4.1	उत्तर प्रदेश राज्य में माध्यमिक शिक्षा : ऐतिहासिक परिदृश्य	91
4.1.1	10+2+3 प्रणाली का प्रारंभ	93
4.1.2	उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा का विस्तार	95
4.1.3	राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से विस्तार	97
4.1.4	एक परिदृश्य	101
4.2	माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता	101
4.2.1	हाई स्कूल की निम्न गुणवत्ता	101
4.2.2	इंटरमीडिएट परीक्षा	102
4.2.3	माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम	103
4.2.4	राज्य मुक्त विद्यालय	103
4.3	मदरसों के आधुनिकीकरण की योजना	103
4.4	अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए प्रोत्साहन	104
4.5	अन्य योजनाएं	105
4.6	उच्च माध्यमिक स्तर	105
4.7	माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा में सुधार के प्रयास	105
4.8	सेमेस्टर प्रणाली का क्रियान्वित न हो पाना	106
4.9	विद्यालय-संकुल तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों की भूमिका	107
4.10	माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा स्तरों पर महत्त्वपूर्ण मुद्दे एवं युक्तियां	107
4.11	+2 स्तर पर व्यवसायीकरण	108
4.11.1	ऐतिहासिक परिदृश्य	108
4.11.2	केंद्रीय पुरोनिधानित योजना के रूप में व्यावसायिक शिक्षा	109
4.11.3	व्यवसायीकरण कहां तक : समस्याएं एवं मुद्दे	110
4.11.4	उपलब्ध व्यावसायिक पाठ्यक्रम तथा नामांकन स्थिति	112
4.11.5	पाठ्यक्रम एवं विभिन्न घटकों का सापेक्ष महत्त्व	113
4.11.6	प्रमाणीकरण प्रक्रियाएं	115
4.11.7	शिक्षण कर्मियों की उपलब्धता	115
4.11.8	शिक्षण अधिगम सामग्री	116

4.11.9 सेवार्थियों के संवर्गों की रचनात्मक स्थिति 116
4.11.10 सहलग्नताएं 117
4.11.11 कार्यक्रमों से प्राप्त अनुभव एवं राज्य में इनका प्रभाव 118
4.11.12 भावी परिदृश्य 119

अध्याय 5 : विद्यालय आधारिक संरचना एवं सुविधाएं 120
5.1 विद्यालय भवन/कक्षों एवं सुविधाओं की व्यवस्था पर प्रगति 120
5.1.1 प्राथमिक विद्यालय 121
5.1.2 उच्च प्राथमिक विद्यालय 122
5.2 वर्तमान प्रस्थिति 124
5.2.1 प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में हैंडपंप 125
5.2.2 प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शौचालय सुविधाएं 126
5.2.3 माध्यमिक विद्यालय 126
5.3 आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता : वर्तमान स्थिति 127
5.4 केंद्र द्वारा संचालित योजनाएं 132
5.4.1 ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड 132
5.5 अतिरिक्त आधारिक संरचना का निर्माण 133
5.6 निधि प्रदायक अभिकरणों से सहायता 141
5.6.1 उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना 141
5.6.2 ज़िला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम 142
5.7 अगला कार्य 143

अध्याय 6 : विद्यालय पाठ्यक्रम में विकास 144
6.1 राज्य स्तर पर विद्यालय पाठ्यक्रम को सुधारने का प्रयास 144
6.2 पाठ्यक्रम नवीनीकरण एवं नियोजन की पद्धति 147
6.3 पाठ्यक्रम नियोजन 148
6.4 उत्तर प्रदेश में विद्यालयीय स्तर पर पाठ्यक्रम नवीनीकरण 149
6.5 पाठ्यक्रम नवीनीकरण 150
6.6 शिक्षा स्तर विशेष पर राज्य में पाठ्यक्रम नवीनीकरण संबंधी विशिष्टताएं 152
6.6.1 प्रारंभिक स्तर 152
6.6.2 मूल्यांकन संरूप के साथ कक्षा 6 से 8 तक के लिए पाठ्यक्रम प्रारूप 153
6.6.3 माध्यमिक स्तर (हाई स्कूल) 154
6.6.4 उच्चतर माध्यमिक स्तर 155
6.6.4.1 इंटरमीडिएट (+2) स्तर के लिए निर्धारित अध्ययन की प्रचलित योजना 156
6.7 स्तर आधारित विशिष्ट लक्षण 158
6.7.1 उत्तर प्रदेश के प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम की कुछ विशेषताएं 158

6.7.2	उच्च प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम की कतिपय विशिष्टताएं	159
6.8	पाठ्यक्रम के भार की समस्या का निराकरण	160
6.9	राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के पाठ्यक्रमों की अपेक्षाओं के अनुरूप क्रियान्वयन	160
6.10	पाठ्यपुस्तकों की संरचना, उत्पादन तथा आपूर्ति की व्यवस्थाएं	163
6.10.1	बेहतर पाठ्यपुस्तकों को विकसित करना	164
6.10.2	पाठ्यपुस्तक लेखकों का चयन	164
6.10.3	कार्यशाला विधि में	166
6.11	संदर्भ सामग्री	166
6.11.1	लेखनपूर्व कार्यशाला	166
6.12	संपादकीय निर्देशक बिंदु	169
6.13	क्षेत्र परीक्षण	169
6.14	विश्लेषणोपरांत पाठ्यपुस्तकों के कुछ विशिष्ट लक्षण	170
6.15	दूसरे लक्षण	175
6.16	निष्कर्ष टिप्पणी	178
अध्याय 7 : विद्यालयीय शिक्षा की गुणवत्ता		**179**
7.1	विद्यालयपूर्व स्तर पर अध्यापक शिक्षा	181
7.2	प्रारंभिक शिक्षा हेतु सेवापूर्व अध्यापक शिक्षा	183
7.2.1	डाइट्स की भूमिका और कार्य	184
7.2.2	बहुकक्षा शिक्षण	186
7.2.3	अध्यापक अभिप्रेरणा	187
7.3	माध्यमिक शिक्षा के लिए सेवापूर्व अध्यापक शिक्षा	187
7.3.1	शिक्षक शिक्षा संस्थाएं	187
7.3.2	प्रवेश प्रक्रिया और पाठ्यक्रम	189
7.3.3	माध्यमिक स्तर पर सेवारत शिक्षक शिक्षा	189
7.3.4	प्रशिक्षित माध्यमिक शिक्षकों का आच्छादन क्षेत्र—मांग और पूर्ति	190
7.4	मुद्दे	191
7.5	विद्यालयों में आंतरिक अकादमिक देखरेख करने की प्रक्रिया	194
7.6	विद्यार्थियों का मूल्यांकन	194
7.6.1	पृष्ठभूमि	194
7.6.2	प्रचलित पद्धति	195
7.7	अनवरोधन	197
7.8	व्यापक और सतत मूल्यांकन	197
7.9	सार्वजनिक परीक्षा पद्धति	198
7.10	उ.प्र. परिषद् का पांच वर्षों (1996-2000) के परीक्षाफल का विश्लेषण	200

7.11 शासकीय और अशासकीय संस्थाओं की गुणवत्ता 202
7.12 विद्यालय परिषदों की भूमिका एवं कर्तव्य 204
7.13 भावी स्वरूप तथा परिदृश्य 206

अध्याय 8 : विद्यालयीय शिक्षा में शैक्षिक तथा प्रशासनिक आधारभूत व्यवस्था 208
8.1 शैक्षिक अवलंब आधारभूत पद्धति/व्यवस्था 208
8.2 शिक्षक दक्षताओं को समुन्नत करना : कार्यक्रमों की प्रकृति एवं आच्छादन 209
8.3 जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम आच्छादित जिलों में शिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम 211
8.4 एस.सी.ई.आर.टी., एस.आई.ई./डाइट्स आदि की सेवापूर्व/सेवारत प्रशिक्षण को प्रभावी बनाने में भूमिका 212
8.4.1 सेवापूर्व अध्यापक शिक्षण 212
8.4.2 सेवारत अध्यापक शिक्षण संस्थान और कार्यक्रम 213
8.4.2.1 जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान द्वारा सेवारत शिक्षा 213
8.4.2.2 राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के विभागों द्वारा सेवारत प्रशिक्षण 213
8.4.2.3 "सभी के लिए शिक्षा" परियोजना के अंतर्गत सेवारत प्रशिक्षण 214
8.4.2.4 माध्यमिक स्तर पर सेवारत शिक्षा 214
8.4.2.5 उच्च शिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के विभागों द्वारा आयोजित सेवारत प्रशिक्षण 215
8.5 विकास खंड संसाधन केंद्र 215
8.5.1 बी.आर.सी. समन्वयक की जिम्मेदारियां 216
8.5.2 बी.आर.सी. की भूमिका 216
8.6 सी.आर.सी./एन.पी.आर.सी. की भूमिका 217
8.7 राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् 217
8.8 शैक्षिक अनुसमर्थन के संवर्धन हेतु कार्यक्रमों/संस्थाओं का विश्लेषण एवं चित्रण 219
8.8.1 डाइट-बी.आर.सी.-सी.आर.सी. 219
8.9 राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठनों का सहयोग 220
8.9.1 राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् 220
8.9.1.1 प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कुछ मुख्य भूमिकाएं 221
8.9.2 राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एन.सी.टी.ई.) 221
8.9.3 राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय 222
8.9.3.1 भूमिका 223
8.9.4 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय 223
8.9.4.1 भूमिका 223
8.9.5 राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान (नीपा) 224
8.9.5.1 भूमिका 224
8.10 राज्य स्तरीय संदर्भ समूह (एस.आर.जी.) 224

8.11	प्रशासकीय तथा पर्यवेक्षण कौशल की प्रभावी रणनीति	226
8.11.1	प्रशासन का विकेंद्रीकरण और आधुनिकीकरण	226
8.11.2	निरीक्षण और पर्यवेक्षण क्रियाविधि	226
8.11.3	निरीक्षण के मानक	226
8.11.4	विषय पर आधारित पर्यवेक्षण	227
8.12	शैक्षिक आयोजकों तथा प्रशासकों का प्रशिक्षण	228
8.12.1	राज्य शैक्षिक प्रबंधन और प्रशिक्षण संस्थान की भूमिका	228
8.12.2	संवर्ग आधारित प्रशिक्षण	229
8.12.3	योजना आधारित प्रशिक्षण	229
8.12.4	क्षेत्रीय स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	229
8.12.5	इंडक्शन प्रशिक्षण	229
8.12.6	उपलब्धियां	229
8.12.7	न्यूनताएं	229
8.13	भविष्य की शैक्षिक योजनाओं का नवीनीकरण और प्रशासनिक अवलंबन प्रक्रिया	230
8.13.1	प्रशासनिक तंत्र	230
8.13.2	स्थानीय स्तर पर सृजित अवलंब को मजबूत करना	230
8.14	योजना प्रक्रिया को प्रभावी बनाना	231
8.15	गैर सरकारी प्रयासों को बढ़ाना	232
8.16	शैक्षिक संसाधनों का संचालन	232
8.17	पर्यवेक्षण और निरीक्षण का सुदृढ़ीकरण	233
8.18	सूचना प्रबंधन तंत्र का सुदृढ़ीकरण	234
अध्याय 9 : स्कूल शिक्षा हेतु संसाधन		**235**
9.1	वित्तीय संसाधन तथा शैक्षिक विकास	235
9.2	शैक्षिक वित्त के साधन	237
9.3	केंद्र सरकार की भूमिका	238
9.4	राज्य सरकार का उत्तरदायित्व	239
9.5	बाह्य पोषित परियोजनाएं	240
9.6	राज्य के बजट में शैक्षिक व्यय	241
9.7	शैक्षिक बजट में स्कूल शिक्षा	242
9.7.1	प्राथमिक शिक्षा पर व्यय	245
9.7.2	माध्यमिक शिक्षा पर व्यय	246
9.8	आयोजनागत तथा आयोजनेत्तर व्यय	246
9.9	शैक्षिक शुल्क की दरें	248
9.9.1	राज्य के बजट हेतु शुल्क का योगदान	249
9.10	संसाधनों का उपयोग	250
9.11	कार्यपूर्ति की तुलना में सहायता अनुदान	251

9.12	शिक्षा के लिए अतिरिक्त संसाधन विदोहन	252
9.13	समता के मुद्दे : शुल्क-मुक्ति इत्यादि	253
अध्याय 10 : भावी कार्य एवं परिदृश्य		**255**
10.1	प्रमुख सकारात्मक पक्षों एवं न्यूनताओं का संक्षिप्त विवरण : सकारात्मक पक्ष	256
10.2	सन् 1991 के बाद परस्परोन्मुखी आर्थिक एवं शैक्षिक सुधार	261
10.2.1	आर्थिक सुधार संबंधी पैकेज का विकास एवं जन्म	262
10.2.2	बजट-घाटे का मुद्दा	262
10.2.3	शैक्षिक सुधार	263
10.2.4	सुधार की आवश्यकता	264
10.2.5	कार्यान्विति	264
10.2.6	गत्यावरोध	265
10.3	विद्यालयीय शिक्षा के लिए सीमित संसाधन	266
10.4	निजी पहल : विद्यालय पूर्व से विद्यालयीय शिक्षा तक	268
10.5	गैर सरकारी स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका एवं उनका समर्थन	269
10.6	विकेंद्रीकरण तथा निक्षेपण	270
10.7	पंचायती राज संस्थाओं तथा स्थानीय स्वशासन का सशक्तीकरण	272
10.8	सामुदायिक सहभागिता	273
10.9	औपचारिक व्यवस्था के साथ दूरवर्ती शिक्षा विधा को प्रोत्साहन	275
10.9.1	दूरवर्ती विद्या का विस्तार	275
10.10	नवीन प्रतिमान परिवर्तन	275
10.11	अपूर्ण कार्यों तथा अनुत्तरित मुद्दों का संबोधन	276
10.11.1	अनुत्तरित मुद्दे	278
	परिशिष्ट	**283**
I.	संदर्भिका	283
II.	आंकड़ा संग्रह तथा संकलन के स्रोत	286
III.	साक्षात्कार अनुसूची के उत्तरदाताओं की सूची	289
IV.	सेमिनार पेपर	290

भारत का संविधान

भाग 4क

नागरिकों के मूल कर्तव्य

अनुच्छेद 51 क

मूल कर्तव्य – भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह –

(क) संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे,

(ख) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे,

(ग) भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे,

(घ) देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे,

(ङ) भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हों,

(च) हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्त्व समझे और उसका परिरक्षण करे,

(छ) प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणिमात्र के प्रति दयाभाव रखे,

(ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे,

(झ) सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे, और

(ञ) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत् प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू सके।

अध्याय 1

उत्तर प्रदेश में विद्यालयीय शिक्षा के 50 वर्ष

इस अध्याय में राज्य के परिदृश्य को भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है। विद्यालयीय शिक्षा के विस्तार एवं सहभागिता की स्थिति को दर्शाते हुए यह अध्याय राज्य की वास्तविक शैक्षिक प्रणाली की संगठनात्मक रचना का महत्त्व भी निरूपित करता है। इसके अलावा राज्य स्तरीय नीतिपरक पहल, जिसमें विशिष्ट प्रकार की अभिप्रेरक योजनाएं सम्मिलित हैं, को भी इस आशय से रेखांकित किया गया है कि राज्य विद्यालयीय शिक्षा के विगत 50 वर्षों की अवधि में दृष्टिगत विकासात्मक बिंदुओं पर प्रकाश डाला जा सके।

विभिन्न प्रगति विवरणों तथा तथ्यों के अनुशीलन से यह स्पष्ट होता है कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा के स्तर में लगातार गति आयी है और यह गति गुणात्मक एवं संख्यात्मक दोनों रूपों में देखी जा सकती है। प्रस्तुत अध्याय विद्यालयीय शिक्षा की पृष्ठभूमि का विवरण देते हुए उससे संबंधित मुख्य विशेषताओं को उजागर करता है। इसमें उपलब्ध महत्त्वपूर्ण सांख्यिकीय साक्ष्यों के आधार पर राज्य के अधीन चलाए जा रहे विविध कार्यक्रमों एवं क्रियाकलापों में निहित सामाजिक और सांस्कृतिक लोकाचारों की व्याख्या भी प्रतिपादित है। यहां उत्तर प्रदेश के विद्यालयीय शिक्षा क्षेत्र में हुए विकास का आकलन अत्यंत सावधानी एवं अपेक्षित गहनता के साथ किया गया है। पूरी प्रस्तुति के लिए अधिकांशतः गौण स्रोतों का ही अवचयन किया गया है।

1.1 ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

उत्तर प्रदेश का बहुत ही प्राचीन और रोचक इतिहास है। वैदिक काल में इसे ब्रह्मर्षि देश अथवा मध्य देश कहा गया है। इस युग के महान संतों जैसे–भारद्वाज, गौतम, याज्ञवल्क्य, वशिष्ठ, विश्वामित्र तथा वाल्मीकि इसी राज्य में पैदा हुए हैं। आर्यों की अनेक पवित्र पुस्तकें यहीं लिखी गई। भारत के दो महाकाव्य रामायण तथा महाभारत के लिए उत्तर प्रदेश की भूमि ही प्रेरणा स्रोत रही है। ईसा से पूर्व छठी शताब्दी में उत्तर प्रदेश दो नए धर्मों - जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म से

संबंधित रहा है। भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में ही दिया था जहां बौद्ध धर्म ने अपने धार्मिक संगठन की नींव रखी थी। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में बुद्ध का देहावसान हुआ। उ.प्र. में कई केंद्र जैसे - अयोध्या, प्रयाग, वाराणसी तथा मथुरा शिक्षा के सुविख्यात केंद्र रहे हैं। महान् दार्शनिक और धर्म सुधारक श्री शंकराचार्य ने मध्यकाल में बद्रीनाथ में अपना आश्रम स्थापित किया। जब उत्तर प्रदेश मुस्लिम शासन के अंतर्गत रहा, तो इस राज्य में हिंदू तथा इस्लामी संस्कृति का संश्लेषण हुआ। रामानंद और उनके शिष्य कबीर, तुलसीदास, सूरदास एवं अन्य अनेक विद्वानों ने हिंदी तथा अन्य भाषाओं के विकास में योगदान किया।

उत्तर प्रदेश ने ब्रिटिश शासन की अवधि में भी अपना बौद्धिक नेतृत्व सुरक्षित रखा। अंग्रेजों ने आगरा और अवध को एक प्रांत में मिला दिया और इसे आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत कहा। सन् 1935 में इसकी संज्ञा संयुक्त प्रांत के रूप में कर दी गई। जनवरी 1950 में संयुक्त प्रांत का पुनः नामकरण उत्तर प्रदेश हुआ।

1.1.1 प्राकृतिक परिदृश्य

उत्तर प्रदेश अपनी भौतिक विशेषताओं तथा अपने सामाजिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्त्व के संदर्भ में विविधताओं के साथ-साथ भारत का एक अद्वितीय राज्य है। इसका क्षेत्रफल 2,94,411 वर्ग कि.मी. (नव-निर्मित राज्य उत्तरांचल सहित) है, जो देश के कुल क्षेत्रफल का 9 प्रतिशत है। चित्र 1.1 के द्वारा भारत के मानचित्र में उत्तर प्रदेश और नवगठित राज्य उत्तरांचल की स्थिति भी स्पष्ट की गई है। यह अपनी भौतिक, जलवायु संबंधी एवं स्थितिगत विशेषताओं के कारण एक समृद्ध राज्य है। इसके उत्तर में हिमालय की पर्वत श्रेणी है, जिसे शिवालिक कहा जाता है और जो उत्तर में पश्चिम से पूरब तक फैला है। इस राज्य में सबसे उपजाऊ तथा विस्तृत गंगा का मैदानी क्षेत्र है, जिसमें गंगा, यमुना तथा उनकी सहायक नदियों के जल-प्रवाह का बहुत बड़ा योगदान है। दक्षिण में प्रायद्वीपीय पहाड़ी तथा खनिज संपन्न पठार हैं। उत्तर में तिब्बत तथा नेपाल हैं। उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश, पश्चिम में हरियाणा तथा दक्षिण-पश्चिम में राजस्थान और दक्षिण में मध्यप्रदेश तथा पूरब में बिहार राज्य स्थित हैं। राज्य के पास 19 प्रशासकीय प्रखंड हैं। 348 तहसीलों के साथ 83 जिले हैं, जिनमें 904 विकास खंड हैं।

भारत के महासर्वेक्षक की अनुज्ञानुसार भारतीय सर्वेक्षण विभाग के मानचित्र पर आधारित।
समुद्र से भारत का जल प्रदेश, उपयुक्त आधार-रेखा से मापे गए बारह समुद्री मील की दूरी तक है।
चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा के प्रशासी मुख्यालय चंडीगढ़ में हैं।

चित्र 1.1 : भारत : उत्तर प्रदेश की अवस्थिति

यहां 1,12,803 गांव हैं, 753 अधिनियमित नगर तथा 12 महापालिकाएं हैं। उत्तरांचल के नए राज्य के गठन के बाद सही स्थिति सारणी 1.01 में दर्शाई गई है।

सारणी 1.01 : *उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल की सापेक्षिक स्थिति*

राज्य	*क्षेत्र (वर्ग मी.)*	*क्षेत्र*	*जिले*	*तहसील*	*विकास खंड*	*गांव*	*कस्बा*	*नगरपालिकाएं*
उत्तर प्रदेश	240928	17	70	298	809	97134	631	11
उत्तरांचल	*53483*	*2*	*13*	*50*	*95*	*15669*	*122*	*1*

स्रोत : *सूचना दैनंदिनी 2000-2001*, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

चित्र 1.2 द्वारा उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल के मिले-जुले प्रशासनिक मंडलों (सन् 1991) की स्थिति के अनुसार रेखांकित किया गया है।

1.1.2 जनांककीय विशेषता

देश की अत्यधिक आबादी वाले राज्यों में उ.प्र. का प्रथम स्थान है। 1991 की जनगणना के अनुसार इसकी आबादी 13.91 करोड़ थी, जो 7.40 करोड़ पुरुषों तथा 6.51 करोड़ महिलाओं को सम्मिलित करते हुए देश की कुल जनसंख्या का 16.59 प्रतिशत रही है। ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 80.16 तथा शहरी जनसंख्या का प्रतिशत 19.84 है। उत्तरांचल सहित उ.प्र. की जनसंख्या का घनत्व उच्चतर है - प्रतिवर्ग कि.मी. में 473 व्यक्ति हैं, जबकि इसकी तुलना में राष्ट्रीय औसत 237 है। राज्य में 1000 पुरुषों की तुलना में 879 स्त्रियों का अनुपात है, जबकि 1991 में राष्ट्रीय स्तर के सापेक्ष प्रति 1000 पुरुषों पर 927 स्त्रियों का औसत रहा है।

1.1.3 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत

1991 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 2.93 करोड़ थी, जिसमें 1.56 करोड़ पुरुष तथा 1.37 करोड़ महिलाएं थीं, जो पूरी जनसंख्या का 21.5 प्रतिशत है। दशकीय विकास दर 25.48 रही है, जो 2001 में 25.80 की तुलना में थोड़ा कम है।

1.1.4 जनसंख्या वृद्धि दर तथा जनसंख्या घनत्व

राज्य के विकास में विशाल जनसंख्या वृद्धि मुख्य बाधा रही है। देश की जनसंख्या वृद्धि के सापेक्ष राज्य की जनसंख्या वृद्धि का ब्यौरा सारणी 1.02 में प्रस्तुत है।

चित्र 1.2 : उत्तरांचल में प्रशासकीय खंड (2002)

चित्र 1.3 : उत्तर प्रदेश में प्रशासकीय खंड

सारणी 1.02 : *भारत की जनसंख्या वृद्धि के सापेक्ष उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि*

वर्ष	जनसंख्या (करोड़)		प्रतिशत			जनसंख्या घनत्व (प्रतिवर्ग कि.मी.)	
	भारत	उ.प्र		भारत	उ.प्र.	भारत	उ.प्र
1951	36.11	6.32	17.50	-	-	117	215
1961	43.92	7.38	16.80	21.63	16.38	142	251
1971	54.82	8.83	16.10	25.04	19.54	177	300
1981	68.33	11.09	16.23	24.76	25.39	230	377
1991	84.63	13.91	16.44	23.85	25.55	267	473
2001	102.7	16.60	16.16	21.34	25.80	324	689

स्रोत : संबंधित वर्ष के जनगणना के आंकड़े।

सारणी 1.02 से विदित होता है कि देश की जनसंख्या 1951 में 36.11 करोड़ थी, जो 2001 में बढ़कर 102.7 करोड़ हो गई, जबकि उ.प्र. की जनसंख्या 1951 में 6.32 करोड़ थी जो 2001 में बढ़कर 16.60 करोड़ हो गई। इसी प्रकार जनसंख्या घनत्व के संदर्भ में देखा जा सकता है कि 1951 में प्रतिवर्ग कि.मी. 117 व्यक्ति थे और 2001 में 324 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि. मी. हो गए। स्पष्ट है कि उ.प्र. में जनसंख्या घनत्व 1951 में 215 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि.मी. से बढ़कर 2001 में 689 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि.मी. हो गया।

जहां तक दशकीय वृद्धि का संबंध है भारत के लिए 1951 से 1961 तक यह वृद्धि 21.63 प्रतिशत थी और उ.प्र. के लिए उसी अवधि में 16.38 प्रतिशत रही। ये वृद्धि दर भारत तथा उ.प्र. के लिए 1991-2001 की अवधि में क्रमशः 21.34 प्रतिशत तथा 25.80 हो गई जिसे चित्र 1.4 द्वारा भी स्पष्ट किया गया है।

1.1.5 ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति

सारणी 1.03 ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में भारत तथा उ.प्र. की 1951 से 1991 तक की जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करती है।

सारणी 1.03 : *ग्रामीण और शहरी जनसंख्या (प्रतिशत में)*

वर्ष	भारत		उ.प्र.	
	ग्रामीण	नगरीय	ग्रामीण	नगरीय
1951	82.71	17.29	86.36	13.64
1961	82.03	17.97	87.15	12.85
1971	80.09	19.91	85.98	14.02
1981	76.66	23.34	82.05	17.95
1991	74.29	25.71	80.16	19.84

स्रोत : संबंधित वर्ष की जनगणना के आंकड़े।

चित्र 1.4 : दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर

सारणी 1.03 में उपलब्ध आंकड़े यह प्रदर्शित करते हैं कि राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर दोनों के संदर्भ में नगरीकरण की प्रवृत्ति बढ़ती गई। नगरीय जनसंख्या 1951 में 17.29 प्रतिशत थी, जो 1991 में 25.71 हो गई, जबकि उ.प्र. में यह प्रतिशत 1951 में 13.64 से बढ़कर 1991 में 19.84 हो गया।

1.1.6 लैंगिक अनुपात

1951 से 1991 तक का भारत तथा उ.प्र. का लैंगिक अनुपात सारणी 1.04 में प्रदर्शित किया गया है।

सारणी 1.04 : *भारत और उत्तर प्रदेश में लैंगिक अनुपात (महिलाएं प्रति 1000 पुरुष)*

वर्ष	*भारत*			*उ.प्र.*		
	ग्रामीण	*नगरीय*	*योग*	*ग्रामीण*	*नगरीय*	*योग*
1951	965	860	946	925	820	910
1961	963	845	941	924	812	909
1971	949	848	930	889	821	879
1981	951	879	934	893	846	885
1991	938	894	927	884	860	879
2001	–	–	933	–	–	898

स्रोत : संबंधित वर्ष की जनगणना के आंकड़े।

सारणी 1.04 से स्पष्ट है कि देश के लिए लिंग अनुपात 1951 में 946 का था, जो घटकर 2001 में 933 हो गया। उ.प्र. में यह अनुपात 1951 में 910 था और 2001 में घटकर 898 हो गया। दोनों ही स्तरों (राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर) पर लिंग अनुपात कम हुआ है। दोनों के संबंध में उक्त अवधि में मामूली वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई दे रही है।

1.1.7 मानव विकास के संकेतक

मानव विकास के संकेतक सारणी 1.05 में जन्म, मृत्यु एवं शिशु मृत्यु दरों के रूप में दर्शाए गए हैं। ये संकेतक राज्य में राष्ट्रीय स्तर के सापेक्ष अधिक हैं।

सारणी 1.05 : मानव विकास के संकेतक

राज्य/अखिल भारत	*जन्म दर*		*मृत्यु दर*		*शिशु मृत्यु दर*	
	1988	1999	1988	1999	1988	1999
उत्तर प्रदेश	37.1	32.4	13.2	10.5	124	85
अखिल भारत	31.5	26.5	11.0	9.0	94	72

स्रोत : 1. *वार्षिकी, 1990,* स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. भारतवर्ष में ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यकी (जून-2000), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

1.1.8 लिंग एवं आयुवर्ग के अनुसार जनसंख्या का वितरण

सारणी 1.06, उ.प्र. राज्य के लिए विभिन्न आयुवर्ग के पुरुषों तथा स्त्रियों के अनुसार जनसंख्या का वितरण प्रस्तुत करती है।

सारणी 1.06 : *उ.प्र. में विभिन्न आयुवर्ग और लैंगिक आधार पर जनसंख्या वितरण (1991)*

आयुवर्ग	*(जनसंख्या हजार में)*					
	योग		*पुरुष*		*स्त्री*	
योग	139112	(100)	74037	(100)	65075	(100)
0-4	19054	(13.69)	9790	(13.22)	9264	(14.23)
5-9	20083	(14.43)	10604	(14.32)	9479	(14.56)
10-14	16938	(12.71)	9234	(12.47)	7704	(11.18)
15-19	12985	(09.33)	7358	(09.93)	5627	(08.64)
20-24	11360	(08.16)	5822	(07.86)	5528	(08.51)
25-29	10250	(07.36)	5253	(07.09)	4997	(07.67)
30-39	16856	(12.11)	8692	(11.74)	8164	(12.54)
40-49	12551	(09.02)	6687	(09.03)	5862	(09.01)
50-59	8515	(06.12)	4661	(06.29)	3854	(05.92)
60+	10521	(07.56)	5937	(08.01)	10521	(07.56)

स्रोत : भारत की जनगणना, 1991

टिप्पणी : कोष्ठक में प्रतिशत दिया है।

सारणी 1.06 से ज्ञात होता है कि 1991 में 5-9 वर्ष वयवर्ग में जनसंख्या का अनुपात 14.43 प्रतिशत था, जिसमें बालक 14.32 तथा बालिकाएं 14.56 प्रतिशत थीं। 10-14 वर्ष वयवर्ग के लिए यह अनुपात 12.17 था, जिसमें 12.47 बालक तथा 11.18 बालिकाएं थीं। इसके अनंतर के *वयवर्ग 15-19 तथा 20-24* वर्ष के लिए *क्रमशः* 9.93 प्रतिशत पुरुषों के लिए 8.64 प्रतिशत महिलाएं तथा 7.86 प्रतिशत पुरुषों के लिए 8.51 प्रतिशत महिलाएं हैं।

यह देखा जा सकता है कि 5-9 वर्ष वयवर्य के अतिरिक्त जहां पुरुष एवं स्त्रियों की स्थिति में आंशिक अंतर है वहीं यह अन्य आयुवर्गों में जैसे 10-14, 15-19 वर्षों में, स्त्री जनसंख्या पुरुष जनसंख्या से कम है। विभिन्न आयुवर्ग और लैंगिक आधार पर जनसंख्या विवरण प्रतिशत को चित्र 1.5 द्वारा पुनः स्पष्ट किया गया है।

***चित्र 1.5 :** लिंग और आयुवर्ग के आधार पर जनसंख्या का प्रतिशतवार वितरण (1991)*

1.1.9 सामाजिक आर्थिक विशेषताएं

राज्य की सामाजिक आर्थिक विशिष्टताएं यहां की ग्रामीण एवं कृषि से उद्भूत हुई हैं। यहां की अर्थव्यवस्था का मूल स्रोत कृषि है तथा कुछ स्थानों में स्थानीय कुटीर उद्योगों से समर्थित औद्योगिक एवं प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में हैं।

इन विशेषताओं के साथ उ.प्र. अपने धार्मिक कार्यक्रमों, परंपरागत मेलों तथा सांस्कृतिक क्रियाकलापों के लिए विख्यात है। यह देखने योग्य है कि भिन्न-भिन्न स्थानों एवं विभिन्न अवसरों पर प्रतिवर्ष 2250 से अधिक मेले आयोजित होते हैं। यहां के लगभग 78 प्रतिशत निवासी कृषि एवं पशुपालन पर निर्भर करते हैं। कृषि कार्य हेतु 167.32 लाख हेक्टेयर जमीन उपलब्ध है। 1997-98 में कुल खाद्यान्न उत्पादन 401.55 लाख मीट्रिक टन था। राज्य की मुख्य फसलें, गेहूं, चावल, गन्ना, दाल तथा आलू आदि हैं। इस प्रकार राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 1983-84 में जनसंख्या का 45.3 प्रतिशत गरीबी की रेखा के नीचे था, जो देश की आबादी का 37.4 प्रतिशत था। 1999-2000 में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत 31.15 प्रतिशत हो गया जबकि संपूर्ण भारत के सापेक्ष गरीबी की रेखा से नीचे का प्रतिशत 26.10 था।

1.1.10 साक्षरता दर

सारणी 1.07 में उ.प्र. राज्य की साक्षरता दर संबंधी सूचना उपलब्ध है। साथ ही, इस बारे में देश तथा कुछ अन्य राज्यों की सूचनाएं भी 2001 की जनगणना के अंतिम योग के आधार पर अंकित हैं। यहां यह उल्लेखनीय है कि अनुसूचित जाति (पुरुष/महिला) संबंधी आंकड़े 1991 की जनगणना पर आधारित हैं।

सारणी 1.07 : उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कुछ अन्य राज्यों की तुलना में

राज्य/अखिल भारत	*संपूर्ण*			*अनुसूचित जाति*	
	योग	*पुरुष*	*महिला*	*पुरुष*	*महिला*
केरल	90.92	94.20	87.86	85.2	75.3
महाराष्ट्र	77.27	86.27	67.51	70.4	41.5
कर्नाटक	67.04	76.29	57.45	49.6	25.9
मध्य प्रदेश	64.11	76.80	50.28	50.5	18.6
उत्तर प्रदेश	57.36	70.23	42.98	40.8	10.6
बिहार	47.53	60.32	33.57	30.6	7.0
भारत	65.38	75.85	54.16	49.9	23.7

स्रोत : भारत की जनगणना।

सारणी 1.07 से मोटे तौर पर जो स्थिति प्रकट होती है, वह इस प्रकार है –

- उत्तर प्रदेश में कुल साक्षरता 57.36 प्रतिशत थी, जो भारत की साक्षरता दर 65.38 प्रतिशत के सापेक्ष न्यून है। इसी प्रकार पुरुष साक्षरता की दर 70.23 प्रतिशत एवं महिला साक्षरता की दर 42.98 प्रतिशत थी, जो राष्ट्रीय प्रतिशत के सापेक्ष न्यून है।

- प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए पुरुष साक्षरता 40.8 प्रतिशत पाई गई, जबकि स्त्री साक्षरता 10.6 प्रतिशत ही रही है।

इसके आधार पर कहा जा सकता है कि पूरे प्रदेश में दोनों प्रकार से — अनुसूचित जाति एवं सामान्य संवर्ग में स्त्री साक्षरता की दर पुरुष साक्षरता की दर से बहुत निम्न है।

1.2 उत्तर प्रदेश में विद्यालयीय शिक्षा प्रणाली

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् 1949-50 के बीच प्राथमिक शिक्षा की पंचवर्षीय, मिडिल या उच्च प्राथमिक शिक्षा की तीन वर्षीय, हाईस्कूल की दो वर्षीय और इंटरमीडिएट की दो वर्षीय शैक्षिक पद्धति (5+3+2+2) अंगीकृत की गई।

संप्रति प्रचलित शैक्षिक स्वरूप चित्र 1.6 में प्रदर्शित है।

चित्र 1.6 : उ.प्र. का वर्तमान शैक्षिक स्वरूप

1.2.1 उत्तर प्रदेश में प्रचलित शिक्षा व्यवस्था का संगठनात्मक स्वरूप

उत्तर प्रदेश की प्रचलित शैक्षिक व्यवस्था अतीत के 150 वर्षों के विविधता भरे इतिहास की देन है। यह प्रारंभ में पूर्णतया केंद्रीय व्यवस्था के रूप में लागू हुई। अब इसका स्वरूप विकेंद्रीकृत हो गया है। शिक्षा विभाग प्रथम बार 1850 में एक लघु शैक्षिक संगठन के रूप में स्थापित हुआ था। यह व्यवस्था उस समय प्रांत के विजिटर जनरल के संरक्षण में थी, जो वर्नाकुलर स्कूल को देखते थे। वुड के घोषणा पत्र के उपरांत विजिटर जनरल का पद 'डायरेक्टर जनरल ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन' के रूप में बदल दिया गया। फलतः 1883 में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट के तहत प्राथमिक शिक्षा का उत्तरदायित्व जिला परिषदों को स्थानांतरित कर दिया गया। शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा की जिम्मेदारी नगरपालिकाओं को दी गई। किंतु सर्वेक्षण और पर्यवेक्षण या जांच का उत्तरदायित्व शिक्षा विभाग को सौंपा गया। प्रारंभ में सचिवालय स्तर पर शिक्षा विभाग के कार्यों का संचालन मुख्य सचिव, उ.प्र. सरकार की देखरेख में और उसके बाद व्यावसायिक सचिव, उ.प्र. सचिवालय के अंतर्गत होता था।

उ.प्र. के शिक्षा विभाग में दूसरा महत्त्वपूर्ण विकास उस समय हुआ जब उ.प्र. इंटरमीडिएट अधिनियम 1921 लागू हुआ। इसके तहत माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ.प्र., इलाहाबाद की स्थापना और हाईस्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा लेने की संकल्पना की गई, जो पहले इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा संचालित की जाती थी। बोर्ड की इंटर की परीक्षाओं को नियमित करने तथा उसके पाठ्यक्रम को निर्धारित करने का कार्य इस परिषद् को सौंपा गया। सचिवालय स्तर पर शिक्षा का प्रभार एक पूर्णकालिक सचिव के अधीन कर दिया गया। 1923 में कृषि और उद्योग विभाग जैसे अन्य विभाग भी शिक्षा सचिव को सौंप दिए गए।

प्रत्येक मंडल स्तर पर कुमायूं मंडल को छोड़कर एक सहायक मदरसा निरीक्षक के साथ ही मंडलीय विद्यालय निरीक्षक भी नियुक्त किए गए। जिला स्तर पर एक उप जिला विद्यालय निरीक्षक नियुक्त हुआ। बालिका शिक्षा की व्यवस्था को देखने के लिए राज्य को दस क्षेत्रों में बांटकर प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक बालिका विद्यालय निरीक्षिका की व्यवस्था की गई। 'सार्वजनिक शिक्षा निदेशक' के पद का नाम 'शिक्षा निदेशक' कर दिया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् प्रत्येक जिले में एक जिला विद्यालय निरीक्षक का पद सृजित हुआ। इसी क्रम में राज्य को पांच मंडलों में विभक्त कर प्रत्येक मंडल की देखभाल करने के लिए मंडलीय उप शिक्षा निदेशक बालक/बालिका के पद भी बने।

वर्तमान में उत्तर प्रदेश को 17 मंडलों में विभक्त कर प्रत्येक मंडल में एक संयुक्त शिक्षा निदेशक, एक उप शिक्षा निदेशक और एक सहायक उप शिक्षा निदेशक माध्यमिक तथा बेसिक का पद है जिससे प्रदेश में माध्यमिक और बेसिक शिक्षा का विकास और विस्तार हो सके। 1972 में राज्य बेसिक शिक्षा बोर्ड का गठन, बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 के अंतर्गत हुआ। प्रशासनिक एवं पर्यवेक्षणीय अधिकारी से संपन्न यह बोर्ड एक सामूहिक संस्था के रूप में बेसिक शिक्षा के सभी पहलुओं की देखरेख करता है।

1.2.2 वर्तमान स्वरूप

शिक्षा विभाग के वर्तमान संगठनात्मक स्वरूप को दो विभागाध्यक्षों के अधीन विभक्त कर दिया गया है, जैसाकि दूसरे चित्र में दर्शाया गया है। प्रथम, सचिवालय स्तर पर और दूसरा निदेशालय स्तर पर। सचिवालय स्तर पर जिसे चित्र 1.7 से देखा जा सकता है, माध्यमिक शिक्षा और भाषा मंत्रालय, राज्य मंत्री और राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) बेसिक शिक्षा। इस संगठनात्मक व्यवस्था के अंतर्गत प्रमुख सचिव, शिक्षा विभाग का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है, जो सचिव, बेसिक शिक्षा और सचिव, माध्यमिक शिक्षा दोनों के कार्यों को देखता है। चार विशेष सचिव भी हैं, जिनकी सहायता तीन संयुक्त सचिव और दो उप सचिव तथा एक अनु सचिव करते हैं।

इन सबके अतिरिक्त एक विशेष कार्य अधिकारी, जो पुस्तकालय की देखभाल करता है तथा एक वरिष्ठ शोध अधिकारी होता है, जो योजना, बजट और उसका क्रियान्वयन देखता है। शिक्षा की एक राज्य स्तरीय स्थायी समिति होती है, जो शिक्षा मंत्री को शैक्षिक मुद्दों या समस्याओं पर परामर्श दिया करती है।

विद्यालयीय शिक्षा विभाग में निदेशालय स्तर पर पांच निदेशालय अलग-अलग कार्य कर रहे हैं। ये हैं - शिक्षा निदेशालय (बेसिक), शिक्षा निदेशालय (माध्यमिक), निदेशालय (एस.सी.ई. आर.टी.), प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, अनौपचारिक शिक्षा निदेशालय, जिसका पुनर्नामकरण साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा निदेशालय (दिनांक 1.4.2001 से प्रभावी) तथा उर्दू एवं प्राच्य भाषा निदेशालय। इन सभी निदेशालयों के प्रभावी समन्वयन और इनकी कार्यशैली की कुशलता में संवृद्धि की दृष्टि से सचिवालय स्तर पर इनकी नियमित बैठकें होती रहती हैं, जिनमें सभी निदेशकों की उपस्थिति की अपेक्षा की जाती है। किसी निदेशालय से संबंधित निर्णय प्रायः उसके निदेशकों की सलाह एवं उनके परामर्श के उपरांत ही लिया जाता है।

निदेशालयों के संगठनात्मक स्वरूप की एक संक्षिप्त आख्या ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत है।

1.2.3 बेसिक शिक्षा निदेशालय

बेसिक शिक्षा निदेशालय निदेशक की अध्यक्षता में कार्य करता है। इसे दो अपर निदेशक, जिनमें एक बेसिक शिक्षा के लिए होता है, सहायता प्रदान करते हैं। छः उप शिक्षा निदेशक, चार सहायक निदेशक तथा चार सहायक उप शिक्षा निदेशक समय-समय पर शिक्षा निदेशक द्वारा किए गए कार्यों को पूरा करते हैं। शिक्षा निदेशक (बेसिक), बेसिक शिक्षा परिषद् का पदेन सभापति या अध्यक्ष होता है, जिसकी सहायता के लिए एक पूर्णकालिक सचिव होता है, जो उप शिक्षा निदेशक स्तर का होता है। सचिव की सहायता के लिए भी एक संयुक्त सचिव और एक उप सचिव, मुख्यालय इलाहाबाद में होता है (चित्र 1.8)।

चित्र 1.7 : *उत्तर प्रदेश सचिवालय स्तर पर शैक्षणिक प्रशासन तंत्र*

चित्र 1.8 : शिक्षा निदेशालय (बेसिक)

चित्र 1.9 : शिक्षा निदेशालय (माध्यमिक)

1.2.4 माध्यमिक शिक्षा निदेशालय

माध्यमिक शिक्षा निदेशालय (जैसाकि चित्र 1.9 में दिखाया गया है) की अध्यक्षता निदेशक (माध्यमिक) करते हैं और इनकी सहायता के लिए 4 अपर शिक्षा निदेशक हैं, जो माध्यमिक शिक्षा के विभिन्न विभागों को देखते हैं। इनमें एक महिला शिक्षा के लिए, एक माध्यमिक शिक्षा के लिए, एक व्यावसायिक शिक्षा के लिए तथा एक पत्राचार शिक्षा के लिए हैं। अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) की सहायता के लिए दो संयुक्त शिक्षा निदेशक, आठ उप शिक्षा निदेशक और सात सहायक शिक्षा निदेशक होते हैं। शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ.प्र. का पदेन अध्यक्ष होता है। सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद् की सहायता के लिए तीन अपर सचिव और आठ उप सचिव केंद्रीय कार्यालय, इलाहाबाद में होते हैं। इनके अलावा 5 क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए पांच अपर सचिव, उप सचिव सहित रहते हैं, जिसे चित्र 1.10 में देखा जा सकता है।

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ.प्र. का प्रशासनिक ढांचा

चित्र 1.10 : माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ.प्र. का प्रशासनिक ढांचा

चित्र 1.11 : राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश

1.2.5 राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (एस.सी.ई.आर.टी.) उ.प्र., निदेशालय

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, उ.प्र. की स्थापना 1981 में हुई है। यह राज्य स्तर पर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् की प्रतिकृति है। प्रशिक्षण और अनुसंधान कार्य, जो प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित हैं, सभी इसकी देखरेख में संपन्न होते हैं। यह राज्य के लिए विद्यालयीय शिक्षा के सभी स्तरों पर शैक्षिक सहायता प्रदान करने वाली शीर्ष संस्था के रूप में जानी जाती है। इसकी देखभाल एक निदेशक, एक संयुक्त शिक्षा निदेशक, एक सहायक उप शिक्षा निदेशक मुख्यालय द्वारा होती है। यहां उल्लेखनीय है कि राज्य की आवश्यकताओं की दृष्टि में रखकर राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् का गठन हुआ है। राज्य में कार्य कर रही सभी विशिष्ट संस्थाएं संप्रति इसके अधीन हैं। सभी डाइट्स, प्रस्तावित आई.ए. एस.ई., और सी.टी.ई. अकादमिक रूप से एस.सी.ई.आर.टी. के अंतर्गत आती हैं। दो अन्य आई.ए.एस.ई., लखनऊ और रूहेलखंड विश्वविद्यालयों के अंतर्गत आते हैं। फिर भी शैक्षिक क्षेत्रों में ये दोनों संस्थाएं भी एस.सी.ई.आर.टी. के अंतर्गत नियंत्रित हैं। चित्र 1.11 एस.सी. ई.आर.टी. का अकादमिक और प्रशासनिक स्वरूप व्यक्त करता है।

1.2.6 साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा निदेशालय

नव-सृजित साक्षरता और वैकल्पिक शिक्षा निदेशालय को प्रौढ़ों की शिक्षा से संबंधित साक्षरता योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रभावी समन्वयन, क्रियान्वयन के साथ ही सतत शिक्षा की व्यवस्था की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। राज्य में विद्यालय से बाहर के बच्चों और समाज के विभिन्न वर्गों एवं विशेष समूहों के बच्चों की शिक्षा के लिए भी यह निदेशालय उत्तरदायी है। इस प्रकार के विशिष्ट संवर्गों के बच्चों की शिक्षा व्यवस्था से जुड़े नूतन प्रयासों को यह निदेशालय प्रोत्साहित करेगा।

इस निदेशालय में निदेशक के अतिरिक्त अपर निदेशक और उप निदेशक हैं। चित्र 1.12 निदेशालय के स्वरूप को दिखाता है -

साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा निदेशालय

चित्र 1.12 : साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा निदेशालय

1.2.7 निदेशालय (उर्दू एवं प्राच्य भाषाएं)

राज्य में उर्दू तथा प्राच्य भाषा निदेशालय, भाषा के क्षेत्र में अपेक्षित गुणवत्ता और स्तरों को प्राप्त करने की दृष्टि से स्थापित किया गया है। चित्र 1.13 उर्दू तथा प्रांच्य भाषा निदेशालय के स्वरूप को दिखाता है।

निदेशालय, उर्दू तथा प्राच्य भाषाएं

चित्र 1.13 : निदेशालय, उर्दू तथा प्राच्य भाषाएं

1.3 जिला शिक्षा सलाहकार समिति

प्रत्येक जिले में प्रशासन की सहायता और सलाह के लिए एक जिला शिक्षा सलाहकार समिति होती है, जिसमें संबंधित जिले के विधान सभा और विधान परिषद् के सदस्य और लोक सभा तथा राज्य सभा के सदस्य के साथ सात कार्यालयेत्तर सदस्यों सहित मुख्य विकास अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक (संयोजक) और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हुआ करते हैं। इस समिति का स्वरूप सदैव बदलता रहता है। समिति के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं -

(अ) प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने के लिए स्थान का चयन।
(ब) प्राथमिक शिक्षा की देखरेख सुनिश्चित करना।
(स) प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु नेतृत्व प्रदान करना।
(द) प्राथमिक शिक्षा के विकास के अपेक्षित कार्यों को गतिशील बनाना।
(य) नए शासकीय माध्यमिक विद्यालयों का प्रवर्तन।
(र) शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के भवनों का निर्माण।
(ल) माध्यमिक शिक्षा में व्यावसायीकरण से संबंधित कार्यक्रमों का अनुश्रवण।

इस जिला शिक्षा सलाहकार समिति की बैठक सदैव एक सांसद अथवा विधायक की अध्यक्षता/उपस्थिति में होती है।

1.4 विस्तार और आच्छादन

सन् 1951 से अब तक उत्तर प्रदेश राज्य की विद्यालयीय शिक्षा में भारी विस्तार हुआ है। इससे अभिगम्यता एवं आच्छादन की स्थिति स्पष्टतः सुधरी है। यह सुधार ग्रामीण एवं शहरी, लिंग तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति संवर्गों के संबंध में विशेष तौर से देखा जा सकता है। यह स्थिति सन् 1950-51 से 1960-61, 1970-71, 1980-81, 1990-91 तथा 1999-2000 तक दशकीय विकास दर के माध्यम से आकलित की गई है। इस भाग में विद्यालयों की संख्या, विद्यार्थियों का नामांकन, विद्यालयीय शिक्षा के भिन्न-भिन्न स्तरों पर सहभागिता दरों एवं आच्छादन से संबंधित आंकड़ों को प्रस्तुत किया गया है, जिससे नीति-निर्माण एवं क्रियान्वयन विषयक प्रगति का क्रमबद्ध रूप में विवरण एवं विश्लेषण प्राप्त हो सके।

सारणी 1.08 के अंतर्गत लड़के-लड़कियां एवं ग्रामीण अनुक्षेत्रों से संबंधित प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय स्तर पर हुई वृद्धि को दशकीय रूप में प्रदर्शित किया गया है। उत्तर प्रदेश में विद्यालयों की संख्या में वृद्धि को चित्र 1.14 द्वारा भी स्पष्ट किया गया है।

सारणी 1.08 : *विभिन्न स्तरों पर विद्यालयों की संख्या*

स्तर		*1950-51*	*1960-61*	*1970-71*	*1980-81*	*1990-91*	*1999-2000*
पूर्व प्राथमिक विद्यालय	बालक और बालिकाएं	6	73	141	65	45	45
प्राथमिक विद्यालय	बालक	29459	35156	50503	70606	77111	96764
	बालिकाएं	2520	4927	11624	मिश्रित	मिश्रित	मिश्रित
	योग	31979	40083	62127	70606	77111	96764
	ग्रामीण क्षेत्र	23710	35302	55998	64021	71188	87482
उच्च प्राथमिक विद्यालय	बालक	2386	3674	6779	10355	11753	18441
	बालिकाएं	468	661	2008	3200	3319	3237
	योग	2854	4335	8787	13555	15072	21678
	ग्रामीण क्षेत्र	1984	3772	6367	11322	13530	18852
माध्यमिक विद्यालय	बालक	833	1489	2834	4420	5113	7122
	बालिकाएं	154	282	581	758	886	1427
	योग	987	1771	3415	5178	5999	8549
	ग्रामीण क्षेत्र	503	749	1840	3394	4093	7168

स्रोत : *शिक्षा की प्रगति,* शिक्षा निदेशालय, उ.प्र. 1999-2000

सारणी 1.08 से यह देखा जा सकता है कि सन् 1950-51 में प्राथमिक विद्यालयों की कुल

संख्या 31,979 थी, जो 1999-2000 में बढ़कर 96,764 हो गई। यह तीन गुनी वृद्‌धि का संसूचक है। 1950-51 में ग्रामीण अनुक्षेत्रों में विद्‌यालयों की संख्या 23,710 थी जो 1999-2000 में 87,482 तक पहुंच गई। यह लगभग चार गुनी वृद्‌धि प्रदर्शित करती है। उच्च प्राथमिक विद्‌यालयों की संख्या के बारे में जो स्थिति सन् 1950-51 में थी वह भी 1999-2000 में काफी बढ़ी हुई प्रतीत होती है। इस प्रकार सन् 1950-51 में उच्च प्राथमिक विद्‌यालयों की संख्या 2,854 थी जो 1999-2000 में लगभग चार गुनी बढ़कर 21,678 हो गई। ग्रामीण अनुक्षेत्रों में भी यह स्थिति इसी प्रकार की वृद्‌धिशील प्रवृत्ति सूचित करती है। सन् 1950-51 में ग्रामीण अनुक्षेत्रों में उच्च प्राथमिक विद्‌यालयों की संख्या 1,984 थी जो 1999-2000 तक बढ़कर 18,852 हो गई। जो संख्या में लगभग नौ गुनी वृद्‌धि को प्रदर्शित करती है।

चित्र 1.14 : *उत्तर प्रदेश में विद्‌यालयों की संख्या में वृद्‌धि (1999-2000)*

माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के बारे में यह कहा जा सकता है कि सन् 1950-51 में इनकी संख्या मात्र 987 थी जबकि 1999-2000 तक यह संख्या बढ़कर 11,524 हो गई और लगभग बारह गुनी वृद्धि को प्रदर्शित करती है। ग्रामीण अनुक्षेत्रों में सन् 1950-51 में ऐसे विद्यालयों की संख्या मात्र 503 थी जो सन् 1999-2000 तक बढ़कर 4,168 हो गई। यह लगभग आठ गुनी वृद्धि का द्योतक है।

पूर्व प्रस्तुत आधार सामग्री के आलोक में यह सुस्पष्ट हो जाता है कि सन् 1950-51 से 1990-2000 की अवधि तक प्राथमिक विद्यालयों की संख्या में पांच गुनी वृद्धि, उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या में लगभग सात गुनी वृद्धि तथा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या में लगभग नौ गुनी वृद्धि अंकित हुई है। इसी प्रकार ग्रामीण अनुक्षेत्रों में भी पूर्वोक्त सभी विद्यालय स्तर पर क्रमशः चार गुनी, नौ गुनी एवं आठ गुनी वृद्धि दृष्टिगोचर हुई है। इस प्रकार विद्यालयीय स्तर की संस्थाओं—प्राथमिक, उच्च प्राथमिक तथा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक की संख्या में वृद्धि हुई। वृद्धि के आधार पर दृष्टिगत विस्तार अत्यंत प्रशंसनीय रहा है।

विस्तार के संबंध में प्राप्य स्थिति का विस्तारपूर्वक विश्लेषण यदि दशकीय बिंदुओं पर किया जाए तो लगभग ऐसी ही परिस्थिति उभरती है। सन् 1950-51 में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 31,979 थी, जो सन् 1960-61 के दशक में बढ़कर 40,083 हो गई। यह लगभग 1.25 गुनी वृद्धि बताती है। यह स्थिति सन् 1970-71 के दशक में थोड़ी और सुधरी हुई प्रतीत होती है जबकि ऐसी संस्थाओं की संख्या लगभग दो गुनी वृद्धि के साथ 62,127 हो गई। सन् 1980-81 एवं 1990-91 के दशकों में ऐसे विद्यालयों की संख्या बढ़कर क्रमशः 70,606 एवं 77,111 हो गई जो आधार वर्ष (1950-51) के संदर्भ में लगभग 2.25 गुनी वृद्धि का संसूचक है। इस प्रकार सन् 1980-81 एवं सन् 1990-91 के दशकों को छोड़कर यहां यह वृद्धि स्वल्प प्रतीत होती है, प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालयों की संख्या की दृष्टि से एक वृद्धिमान प्रवृत्ति स्पष्टतः परिलक्षित होती है। सन् 1999-2000 अर्थात् विगत सदी के अंत तक ऐसे विद्यालयों की संख्या 96,764 तक पहुंच गई जो पिछले दशक अर्थात् 1990-91 के सापेक्ष 1.25 गुनी वृद्धि प्रदर्शित करती है।

उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या में दशकीय वृद्धि पर ध्यान देने से एक ऊर्ध्वगामी विस्तार दिखाई पड़ता है। सन् 1950-51 के दशक में उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 2,854 थी जबकि 1960-61 में यह संख्या 1.5 गुनी वृद्धि के साथ 4,335 हो गई। सन् 1970-71 के दशक में ऐसे विद्यालयों की संख्या में भारी वृद्धि दृष्टिगोचर हुई। इनकी संख्या 8,787 हो गई जो लगभग तीन गुनी वृद्धि दर्शाती है। अनुवर्ती दशक 1980-81 में ऐसे विद्यालयों की संख्या कुल पांच गुनी वृद्धि के साथ 13,555 हो गई। लगभग इसी प्रकार का ऊर्ध्वगामी विस्तार 1990-91 एवं 1999-2000 के दशकों में परिलक्षित होता है जिससे विस्तार की गति अत्यंत आशाजनक कही जा सकती है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्राथमिक शिक्षा के पूरे स्तर अर्थात् 1 से 8 को समेकित करते हुए प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों

की संख्या अत्यंत संतोषजनक रूप में बढ़ी है जो विगत पचास वर्ष के अंतराल में लागू की गई नीतियों एवं कार्यक्रमों की सफलता का द्योतक है।

माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या में हुई वृद्धि भी दशकीय बिंदुओं पर लगभग वैसी ही प्रवृत्ति संकेतित करती है। सन् 1950-51 में इस ऊर्ध्वगामी अनुक्षेत्र में केवल 987 विद्यालय थे। सन् 1960-61 में यह संख्या बढ़कर 3,415 तक पहुंच गई। इसी प्रकार सन् 1980-81 एवं 1990-91 के दशकों में इन विद्यालयों की संख्या में ऊर्ध्वगामी विस्तार दिखाई पड़ता है जो इनकी संख्या क्रमशः 5,178 एवं 6,142 से स्पष्ट है। सन् 1990-91 के दशक से लेकर 1999-2000 तक यह वृद्धि लगभग दो गुनी हो गई। इस प्रकार परिमाणात्मक दृष्टि से माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक क्षेत्र में अति व्यापक विस्तार झलकता है। सारणी 1.08 से यह भी पता चलता है कि विद्यालयीय शिक्षा के सभी स्तरों पर ग्रामीण अनुक्षेत्रों में विद्यालयों की संख्या में हुई वृद्धि पर्याप्त उत्साहवर्द्धक है।

1.4.1 विद्यार्थियों का नामांकन

विस्तार का दूसरा पक्ष विद्यार्थियों के नामांकन से संबंधित है। इस बारे में पूरा आकलन प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तरों पर विद्यार्थियों की पंजीकृत/नामांकित संख्या के आधार पर किया गया है। सन् 1950-51 से लेकर सन् 1999-2000 तक की अवधि में इस संबंध में प्राप्त आंकड़ों को विविध दशकीय बिंदुओं पर सारणी 1.09 में दर्शाया गया है।

सारणी 1.09 : *विभिन्न स्तरों पर छात्रों की संख्या*

स्तर		*1950-51*	*1960-61*	*1970-71*	*1980-81*	*1990-91*	*1999-2000*
नर्सरी विद्यालय	बालक	644	4486	13742	9276	4711	6256
	बालिकाएं	162	3068	10551	5979	5227	6173
	योग	806	7554	24293	15255	9938	12429
प्राथमिक विद्यालय	बालक	2292175	3170868	6748031	6593572	7893063	8560920
	बालिकाएं	334948	787660	3867691	2774829	4068501	4843140
	योग	2627123	3958528	10615722	9368401	11961564	13404060
उच्च प्राथमिक विद्यालय	बालक	278339	446139	1095740	1412783	2026314	2171874
	बालिकाएं	69798	103688	285166	391731	721254	1010153
	योग	348137	549827	1380906	1804514	2747568	3182027
माध्यमिक विद्यालय	बालक	359580	757592	1851759	2752494	3614474	4021356
	बालिकाएं	57825	154485	463977	695829	1145932	1774321
	योग	417405	912077	2315736	3448323	4760406	5795677

स्रोत : *शिक्षा की प्रगति,* शिक्षा निदेशालय, उ.प्र. 1999-2000 ।

सारणी 1.09 के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि सन् 1950-51 में प्राथमिक विद्यालयों के तहत नामांकित विद्यार्थियों की संख्या 27,27,123 थी जबकि सन् 1999-2000 में यह संख्या बढ़कर 1,34,04,060 हो गई। इससे विद्यार्थियों की सख्या में लगभग पांच गुनी वृद्धि परिलक्षित है। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भी विद्यार्थियों का नामांकन लगभग नौ गुनी वृद्धि के साथ सन् 1950-51 में 3,48,137 के सापेक्ष सन् 1999-2000 में 13,82,027 हो गया। लगभग ऐसी ही स्थिति माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक अनुक्षेत्र में प्राप्त है। सन् 1950-51 में इस अनुक्षेत्र में 4,17,405 विद्यार्थी नामांकित थे जबकि सन् 1999-2000 में 14 गुनी वृद्धि के साथ यह संख्या लगभग 57,95,677 तक पहुंच गई। विद्यार्थियों के नामांकन में दृष्टिगत आधार वर्ष 1951 से 2000 तक के उत्तरोत्तर विकास की यह स्थिति सारणी से भी प्रतिबिंबित होती है।

चित्र 1.15 : उत्तर प्रदेश के विद्यालयों में नामांकन की स्थिति (1999-2000)

सारणी 1.09 में प्रदत्त आंकड़ों का विश्लेषण आधार वर्ष 1951 से प्रारंभ कर दशकीय बिंदुओं पर भी किया जा सकता है। इस सारणी से यह स्पष्ट है कि सन् 1950-51 में प्राथमिक विद्यालयों के तहत नामांकित विद्यार्थियों की संख्या 27,27,123 थी जो सन् 1960-61 में बढ़कर 39,58,528 तथा 1970-71 में बढ़कर 1,06,15,722 हो गई। इस प्रकार 1950-51 से लेकर 1960-61 के दशक में यह वृद्धि लगभग 1.5 गुनी तथा 1960-61 से लेकर 1970-71 के दशक में यह वृद्धि 2.5 गुनी हो गई। सन् 1980-81 में इस अनुक्षेत्र में नामांकन बढ़कर 83,68,101 तक पहुंच गया जबकि 1991 में यह 1,19,61,101 तक पहुंच गया जो क्रमशः 3.5 एवं 4.5 गुनी वृद्धि का सूचक है। सन् 1999-2000 में विद्यार्थियों की संख्या में बड़े पैमाने पर वृद्धि दृष्टिगत हुई है। कुल नामांकित विद्यार्थियों की संख्या 1,34,04,060 हो गई जो आधार वर्ष 1950-51 के सापेक्ष लगभग पांच गुनी वृद्धि दर्शाती है।

सन् 1950-51 में उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अंतर्गत नामांकित विद्यार्थियों की संख्या 3,48,137 थी जो 1960-61 में बढ़कर 5,49,827 तथा 1970-71 में बढ़कर 13,80,906 हो गई जो क्रमशः 1.5 एवं 0.5 गुनी वृद्धि का द्योतक है। सन् 1980-81 में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या 1.5 गुनी बढ़कर 18,04,514 तक पहुंच गई जबकि सन् 1991 में भी इसी के अनुरूप यह संख्या 27,47,568 हो गई। सन् 1999-2000 में इस अनुक्षेत्र के तहत नामांकित विद्यार्थियों की संख्या 1.25 गुनी वृद्धि के आधार पर 31,82,027 हो गई।

माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा अनुक्षेत्र के तहत सन् 1950-51 में कुल नामांकित विद्यार्थियों की संख्या 4,17,405 थी जो सन् 1960-61 में बढ़कर 9,12,077 तथा 1970-71 में और आगे बढ़कर 23,15,736 तक पहुंच गई। इस प्रकार यह वृद्धि इन दशकों में क्रमशः 2.25 गुनी एवं 2.50 गुनी अंकित हुई है। पुनः सन् 1980-81 के दशक में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या में अभिवृद्धि हुई। सन् 1980-81 में यह संख्या 34,48,323 थी जो 1990-91 में बढ़कर 47,60,406 हो गई तथा 1999-2000 में और आगे बढ़कर 57,95,677 तक पहुंच गई जो 1.25 गुनी वृद्धि सूचित करती है। प्रदेश में छात्रों की संख्या में हुई वृद्धि को चित्र 1.15 द्वारा भी स्पष्ट किया गया है।

विद्यालयीय शिक्षा के विविध स्तरों पर आधार वर्ष 1951 से लेकर सन् 2000 तक शिक्षकों की संख्या में हुई वृद्धि दशकीय बिंदुओं पर सारणी 1.10 में दर्शाई गई है।

सारणी 1.10 : *विभिन्न स्तरों पर अध्यापकों की संख्या*

स्तर		*1950-51*	*1960-61*	*1970-71*	*1980-81*	*1990-91*	*1999-2000*
नर्सरी विद्यालय	पुरुष	8	51	270	69	24	28
	महिलाएं	14	348	750	490	243	256
	योग	22	399	1020	559	267	284
प्राथमिक विद्यालय	पुरुष	65110	87340	170857	203712	209120	236310
	महिलाएं	5189	11714	32502	44042	57037	82004
	योग	70299	99054	203359	247754	266157	318314
उच्च प्राथमिक विद्यालय	पुरुष	11605	19057	41306	58775	78814	82798
	महिलाएं	2900	4202	10880	14326	19415	23890
	योग	14505	23259	52186	73101	99329	106888
माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	पुरुष	15453	30222	64810	96117	106650	114494
	महिलाएं	2774	5854	14838	19747	19522	26838
	योग	18227	36076	79648	115864	126172	141332

स्रोत : *शिक्षा की प्रगति;* शिक्षा निदेशालय, उ.प्र. 1999-2000 ।

सारणी 1.10 से यह विदित होता है कि आधार वर्ष 1951 में प्राथमिक विद्यालयों के अंतर्गत शिक्षकों की संख्या 70,299 थी, जो सन् 1999-2000 में 4.5 गुनी वृद्धि के साथ 3,18,314 हो गई। इसी प्रकार उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सन् 1950-51 में शिक्षकों की संख्या 14,505 थी जो 1999-2000 में बढ़कर 1,06,888 हो गई। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय अनुक्षेत्र के अंतर्गत सन् 1950-51 में शिक्षकों की संख्या 18,227 थी जबकि 1999-2000 में यह संख्या ऊर्ध्वगामी रूप में 1,41,332 तक पहुंच गई। पूर्वोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि विद्यालयीय शिक्षा के सभी स्तरों पर आधार वर्ष सन् 1951 के सापेक्ष 1999-2000 तक शिक्षकों की संख्या में तीव्र वृद्धि हुई है।

शिक्षकों की संख्या में हुई वृद्थि की स्थिति को दशकीय रूप में विश्लेषित करने पर पूरा परिदृश्य संतोषजनक प्रतीत होता है, किंतु विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि के सापेक्ष यह पूर्णतः संतोषप्रद नहीं है। सन् 1950-51 में प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की संख्या 70,299 थी जो सन् 1960-61 में 1.5 गुनी बढ़कर 99,054 हो गई। सन् 1970-71 में इस अनुक्षेत्र के तहत शिक्षकों की संख्या दो गुनी वृद्धि के साथ 2,03,359 तक पहुंच गई। इसी प्रकार सन् 1980-81 में शिक्षकों की संख्या 2,47,754 थी जो सन् 1990-91 में छात्रों के नामांकन में अभूतपूर्व वृद्धि के सापेक्ष स्वल्प ही मानी जाएगी। सन् 1999-2000 में प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की संख्या 3,18,314 दर्शाई गई है जो थोड़ी सी वृद्धि का संसूचक है।

आधार वर्ष 1951 में उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की संख्या 14,505 थी जो 1960-61 में बढ़कर 23,259 तथा 1970-71 में आगे बढ़कर 52,186 हो गई। इसी प्रकार सन् 1980-81 में ऐसे शिक्षकों की संख्या 73,101 थी जो 1990-91 में ऊर्ध्वगामी रूप

में 99,329 तक पहुंच गई। सन्‌ 1999-2000 में उच्च प्राथमिक शिक्षकों की संख्या 1,06,888 अंकित है। इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि शिक्षकों की संख्या में कुल मिलाकर उच्च से निम्न स्तर की वृद्‌धि परिलक्षित होती है।

माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्‌यालय अनुक्षेत्र के तहत सन्‌ 1951 में शिक्षकों की संख्या 18,227 थी जो सन्‌ 1960-61 में बढ़कर 36,076 तथा 1970-71 में और बढ़कर 79,648 हो गई। इसी प्रकार 1980-81 में इस अनुक्षेत्र के तहत शिक्षकों की संख्या थोड़ी वृद्‌धि के साथ 1,15,864 अंकित हुई है जबकि 1990-91 में यह पुनः स्वल्प वृद्‌धि के साथ 1,26,172 हो गई। पुनश्च 1999-2000 में शिक्षकों की संख्या उर्ध्वगामी रूप में 14,11,332 अंकित की गई है। चित्र 1.16 द्‌वारा सन्‌ 1999-2000 में शिक्षकों की संख्या को प्रदर्शित किया गया है।

चित्र 1.16 : उत्तर प्रदेश के विद्‌यालयों में शिक्षकों की संख्या (1999-2000)

सारणी 1.08, 1.09 तथा 1.10 को समन्वित रूप में देखने पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि विद्यालयों एवं छात्रों के नामांकन की स्थिति के सापेक्ष आच्छादन अत्यंत संतोषजनक रहा है। यह खासतौर से राज्य के निवासियों की विविध सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि एवं जनांकिकीय विशेषताओं को दृष्टिगत रखकर संतोषप्रद स्थिति का द्योतक है।

1.4.2 विद्यालयीय शिक्षा स्तरों पर सामान्य, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संवर्गों का आच्छादन

सारणी 1.08 से सारणी 1.10 तक में उपलब्ध आंकड़ों से आबादी के विविध संवर्गों का लिंग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा ग्रामीण/शहरी के आधार पर सहभागिता दर का अनुमान लगाया जा सकता है। विभिन्न संवर्गों के विद्यार्थियों (अनुसूचित जाति एवं जनजाति) की सहभागिता प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तरों पर किस रूप में विद्यमान है, भारत के छठे शिक्षा सर्वेक्षण (संदर्भित आंकड़े 1993) के आधार पर सारणी 1.11 में दर्शाए गए हैं।

सारणी 1.11 : *प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का आच्छादन (प्रतिशत में)*

विद्यालयीय स्तर	*योग*	*अनुसूचित जाति*	*अनुसूचित जनजाति*
एक कि.मी. तक के प्राथमिक विद्यालय	80.60 (93.76)	85.57 (91.32)	89.57 (88.55)
तीन कि.मी. तक के उच्च प्राथमिक विद्यालय	82.09 (85.00)	78.25 (82.54)	79.66 (68.95)
8 कि.मी. तक के माध्यमिक विद्यालय	86.54 (77.91)	83.10 (90.34)	81.66 (75.83)
उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	78.49 (63.60)	74.42 (67.03)	71.48 (43.38)

स्रोत : *छठा अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण,* संदर्भ आंकड़े 30 सितंबर, 1993 ।

टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े राष्ट्रीय स्तर के आच्छादन को सूचित करते हैं।

सारणी 1.11 के प्रेक्षण से यह विदित होता है कि छठे सर्वेक्षण के समय राष्ट्रीय स्तर पर प्राथमिक स्कूलों के माध्यम से सेवित बच्चों की आबादी 93.76 प्रतिशत है जबकि इसके सापेक्ष उत्तर प्रदेश राज्य के लिए यह प्रतिशत 88.6 है। इसी क्रम में यह भी उल्लेखनीय है कि अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए राष्ट्रीय प्रतिशत 91.32 है, जबकि उत्तर प्रदेश के लिए यह प्रतिशत 85.57 है। इसके सापेक्ष अनुसूचित जनजाति के लिए यह राष्ट्रीय प्रतिशत 88.55 है जबकि उत्तर प्रदेश के लिए यह 89.57 प्रतिशत है।

उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर पर सामान्य संवर्ग के बच्चों की सहभागिता का राष्ट्रीय प्रतिशत 85 है जबकि उत्तर प्रदेश के लिए 82.09 प्रतिशत है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति संवर्गों में इस अनुक्षेत्र के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सहभागिता दर अनुसूचित जाति के लिए 82.54

प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 68.95 प्रतिशत है जबकि उत्तर प्रदेश के लिए इन दोनों संवर्गों में सहभागिता का प्रतिशत क्रमशः 78.25 प्रतिशत एवं 68.95 प्रतिशत है। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तरों पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति की सहभागिता दर सामान्य संवर्ग के सापेक्ष राष्ट्रीय स्तर से पर्याप्त अधिक है। इस प्रकार सारणी में दिए हुए आंकड़ों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि माध्यमिक शिक्षा अनुक्षेत्र में सामान्य संवर्ग के लिए सहभागिता दर राष्ट्रीय स्तर पर 77.91 प्रतिशत है जबकि उसी संवर्ग के लिए उत्तर प्रदेश में यह दर बहुत अधिक 64.54 प्रतिशत है। राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए सहभागिता दर क्रमशः 90.34 प्रतिशत एवं 75.83 प्रतिशत है, जबकि इन्हीं संवर्गों में उत्तर प्रदेश के लिए ये दर क्रमशः 83.1 प्रतिशत तथा 81.66 प्रतिशत है।

उच्च माध्यमिक विद्यालय स्तर पर भी लगभग इसी प्रकार की सहभागिता दर विद्यमान है। इस प्रकार राष्ट्रीय स्तर पर सहभागिता दर 63.6 प्रतिशत पाई गई है जबकि उत्तर प्रदेश के लिए यह 78.49 प्रतिशत रहा है। पुनश्च, अनुसूचित जाति एवं जनजाति संवर्गों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सहभागिता दर क्रमशः 67.03 प्रतिशत एवं 43.38 प्रतिशत आकलित हुई है जबकि उत्तर प्रदेश के लिए इन्हीं संवर्गों में यह दर क्रमशः 74.42 प्रतिशत एवं 71.48 प्रतिशत थी। पूर्व संदर्भित आंकड़ों एवं उनके निहितार्थों के आधार पर यह कहने में अत्युक्ति नहीं होगी कि शिक्षा में हुए विस्तार एवं दशकीय रूप में दृष्टिगत आच्छादन से यह स्पष्टतः परिलक्षित है कि विभिन्न संवर्गों के बच्चों की सहभागिता की दर पर्याप्त आशाजनक है। यह स्थिति उत्तर प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में अवस्थित उस आबादी के लिए जो सामाजिक दृष्टि से सुविधावंचित संवर्ग की है, विशेष तौर से लागू होती है।

1.4.3 लिंग आच्छादन के परिप्रेक्ष्य में प्रतिभाग

प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा स्तरों पर बालक एवं बालिकाओं का प्रतिभाग जैसाकि 1993 के संदर्भित आंकड़ों में उनके नामांकन के माध्यम से दर्शाया गया है, सारणी 1.12 से प्रतिबिंबित किया जा रहा है।

सारणी 1.12 : *नामांकन के रूप में बालिकाओं और बालकों की प्रतिभागिता*

विद्यालय स्तर		*योग*	*बालिकाएं*	*बालक*	*बालिकाएं (प्रतिशत में)*	*बालक (प्रतिशत में)*
प्राथमिक	योग	13049355	4881977	8167378	37.41	62.59
	ग्रामीण	10344582	37163060	6631522	25.89	74.11
उच्च	योग	4543954	1445001	3098953	31.80	68.20
प्राथमिक	ग्रामीण	3073701	842229	2231472	27.40	72.60
माध्यमिक	योग	2151363	532502	1618861	24.75	75.35
	ग्रामीण	1146579	210390	936189	18.34	81.66
उच्चतर	योग	864454	282538	581916	32.64	67.36
माध्यमिक	ग्रामीण	335647	84043	251604	25.03	74.17

स्रोत : *छठा अखिल भारतीय शिक्षा सर्वेक्षण*, संदर्भ आंकड़े 30 सितंबर, 1993 ।

सारणी 1.12 से यह देखा जा सकता है कि प्राथमिक शिक्षा अनुक्षेत्र में बालकों एवं बालिकाओं की प्रतिभागिता उनके नामांकन के अनुसार क्रमशः 62.59 एवं 37.41 प्रतिशत रही है। माध्यमिक शिक्षा अनुक्षेत्र में बालकों एवं बालिकाओं के लिए यह प्रतिशत क्रमशः 67.36 एवं 32.64 पाया गया।

पूर्वोक्त विश्लेषण के आधार पर जो स्थिति स्पष्ट रूप में उभरती है वह यह है कि महिला एवं पुरुषों के साक्षरता अनुपात एवं आर्थिक विवशताओं, जिनका विविध कार्यक्रमों पर सीधा प्रभाव पड़ता है, लिंग के आधार पर विविध विद्यालयीय शिक्षा स्तरों के संदर्भ में दृष्टिगत आच्छादन पर्याप्त संतोषजनक है।

1.4.4 प्राच्य, अरबी और उर्दू भाषाओं का शैक्षिक परिदृश्य

उ.प्र. राज्य में प्राच्य भाषाओं – संस्कृत, उर्दू और अरबी भाषाओं के विकास को दृष्टिगत रखकर उनके लिए शिक्षण संस्थाएं एवं शैक्षिक स्वरूप सृजित करने हेतु विद्यालय स्तर पर समुचित प्रयास किया गया है। इनके पाठ्यक्रमों को उच्चीकृत और परिष्कृत भी किया गया है। इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था के लिए समुचित शैक्षिक प्रबंधन और रखरखाव सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित अकादमिक एवं वित्तीय समर्थन उपलब्ध होता है।

1.4.4.1 संस्कृत पाठशाला

उ.प्र. में संस्कृत पाठशालाओं का संगठन औपचारिक शिक्षा व्यवस्था के समतुल्य है जिसमें विभिन्न पाठ्यक्रमों की स्थिति अधोलिखित रूप में विहित है :

प्रथमा	उच्च प्राथमिक स्तर
पूर्व मध्यमा	माध्यमिक स्तर
उत्तर मध्यमा	उच्चतर माध्यमिक स्तर
शास्त्री	
आचार्य	उच्च शिक्षा स्तर

इन संस्थाओं में आधार वर्ष 1951 से 1999-2000 तक शिक्षक और शिक्षार्थियों की संख्या पाठशालाओं की संख्या राज्य द्वारा अनुदानित धन का विवरण सारणी 1.13 में प्राप्य है।

सारणी 1.13 से वर्ष 1950-51 में मान्यता प्राप्त संस्कृत पाठशालाओं की संख्या 3,400 थी। सन् 1960-61, 1970-71, 1980-81 और 1990-91 में ऐसी पाठशालाओं की संख्या घटी, फिर भी वर्ष 1999-2000 की तुलना में चालू दशकीय स्थिति कुछ बढ़ी हुई दृष्टिगोचर हो रही है।

सारणी 1.13 के आधार पर 1951 में छात्र नामांकन 34,093 थी जो 1999-2000 में 1,20,456 हो गया। वर्ष 1990-91 से 1999-2000 तक की अवधि में इस नामांकन में दो गुनी से ज्यादा वृद्धि हुई जबकि चालू दशकों में विकास दर सामान्य रही।

सारणी 1.13 : *संस्कृत पाठशालाओं, विद्यार्थियों और अध्यापकों की संख्या*

	1950-51	*1960-61*	*1970-71*	*1980-81*	*1990-91*	*1999-2000*
मान्यता प्राप्त पाठशालाएं	3400	1050	900	957	928	1284
विद्यार्थी	34093	42892	51245	62798	45100	120456
अध्यापक	3603	4644	4420	4580	4450	4480
अनुदानित पाठशालाएं	332	637	810	867	928	928
राज्य सरकार का अनुदान (रु. में)	253518	962953	3573313	2195400	9153600	403735000

स्रोत : *शिक्षा की प्रगति,* शिक्षा निदेशालय, उ.प्र. 1999-2000 ।

1950-51 में इन संस्थाओं के तहत शिक्षकों की संख्या 3,603 थी, जो 1999-2000 में सामान्य वृद्धि प्रदर्शित करती हुई 4,480 हो गई। 1950-51 में सहायता प्राप्त पाठशालाओं की संख्या 332 थी, जो 1999-2000 में 928 हो गई। इस प्रकार 1960-61 से 1990-91 तक दशकीय वृद्धि दर कुछ बढ़ती हुई दिखाई दी।

राज्य द्वारा प्रदत्त अनुदान की स्थिति भी अत्यंत उत्साहवर्द्धक रही। 1950-51 के आधार वर्ष में जो राज्य अनुदान रुपए 2.53 लाख था वह 1999-2000 में बढ़कर रु. 4,037 लाख हो गया।

इस व्यवस्था के तहत पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक तथा उनकी परीक्षाओं के संचालन का उत्तरदायित्व संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी को दिया गया है। राज्य सरकार के संबंधित निदेशालय की सहायता से इन संस्थाओं का पर्यवेक्षण, नियंत्रण और उनकी गुणवत्ता निर्धारित की जाती है।

1.4.4.2 माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद्

उ.प्र. माध्यमिक संस्कृत शिक्षा अधिनियम 30 सितंबर, 2000 को अस्तित्व में आया, जिससे राज्य में माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद् का गठन हुआ। यह परिषद् संस्कृत पाठशालाओं से संबंधित समस्याओं की देखभाल करती है। इस अधिनियम में परिषद् के अधिकारों और क्रियाकलापों के समाधान के साथ ही कर्मचारियों के कर्त्तव्यों का स्पष्ट उल्लेख है। परिषद् के क्रियाकलापों में पाठ्यक्रम निर्धारण, शिक्षण, पाठ्यपुस्तक और अन्य आवश्यक शिक्षण सामग्रियों के निर्माण के साथ ही प्रथमा, मध्यमा और उत्तर मध्यमा की संस्कृत की कक्षाओं के पाठ्यक्रम की समाप्ति पर परीक्षाओं को संपन्न कराना है। राज्य सरकार ने अपनी अधिसूचना दिनांक 17.2.2001 के तहत शिक्षा निदेशक, माध्यमिक की अध्यक्षता में उ.प्र. माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद् का गठन किया था। इसका मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। संयुक्त शिक्षा निदेशक,

मुरादाबाद इसके सदस्य सचिव हैं। अध्यक्ष और सदस्य सचिव के अलावा सोलह अशासकीय और आठ पदेन सदस्य होते हैं।

1.4.4.3 अरबी मदरसा

अरबी मदरसा के निम्नलिखित स्तर हैं :-

तहतानिया ——▶ प्राथमिक स्तर

फौकानिया ——▶ उच्च प्राथमिक स्तर

मुंशी ——▶ हाईस्कूल स्तर

मौलवी ——▶ इंटरमीडिएट स्तर

आलिम, कामिल, फाजिल ——▶ उच्च शिक्षा स्तर

सारणी 1.14 से इस प्रकार के विद्यालयों में नामांकित विद्यार्थियों और शिक्षकों की संख्या ज्ञात होती है।

सारणी 1.14 : ***अरबी संस्थाओं, विद्यार्थियों और अध्यापकों की संख्या***

	1950-51	*1960-61*	*1970-71*	*1980-81*	*1990-91*	*1999-2000*
मान्यता प्राप्त अरबी मदरसा	86	104	146	283	400	840
विद्यार्थी	–	16706	29578	53442	89735	95389
अध्यापक	620	726	1606	3670	5560	5948
अनुदानित अरेबिक मदरसा	186	104	123	209	237	317
राज्य सरकार का अनुदान (रु. में)	90672	124156	331415	800800	4128800	55907000

स्रोत : *शिक्षा की प्रगति,* शिक्षा निदेशालय, उ.प्र., 1999-2000 ।

सारणी 1.14 से यह परिलक्षित होता है कि अरबी मदरसों की मान्यता प्राप्त संख्या, नामांकित विद्यार्थियों की संख्या और शिक्षकों की संख्या 1950-51 के आधार वर्ष से 1999-2000 तक लगातार बढ़ते क्रम में रही है। 1960-61 के वर्ष को छोड़कर सहायता प्राप्त अरबी मदरसों की संख्या में भी उत्तरोत्तर विकास की स्थिति पाई गई।

इस प्रकार के विद्यालयों के पाठ्यक्रम का निर्माण तथा परीक्षाओं का संचालन रजिस्ट्रार, अरबी मदरसा, उ.प्र. के द्वारा किया जाता है। अकादमिक और वित्तीय सहायता निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उ.प्र. द्वारा की जाती है, किंतु प्रशासनिक और परिवेक्षकीय नियंत्रण निदेशक, उर्दू और प्राच्य भाषाएं द्वारा किया जाता है।

1.4.4.4 राज्य में उर्दू भाषा

उर्दू भाषा के महत्त्व को दृष्टिगत रखते हुए राज्य में उर्दू निदेशालय का गठन 1989 में हुआ। मूलतः यह निदेशालय उर्दू भाषा के विकास और प्रसार के लिए उत्तरदायी है। सन् 1991

में संस्कृत तथा बारह अन्य आधुनिक भाषाओं के विकास, प्रबंधन और पर्यवेक्षण को भी इस निदेशालय के अंतर्गत लाया गया।

इसके अतिरिक्त प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में केंद्रपुरोनिधानित योजना के अंतर्गत उर्दू अध्यापकों की नियुक्ति उर्दू पढ़ाने के लिए की गई। मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में कुछ विद्यालय भी खोले गए, जिसके संबंध में विवरण सारणी 1.15 से प्राप्त होता है।

सारणी 1.15 : *उर्दू विद्यालयों की संख्या*

वर्ष	*प्राथमिक विद्यालय*	*उच्च प्राथमिक विद्यालय*
1994-95	577	144
1995-96	577	144
कुल	1154	288

स्रोत : *शिक्षा की प्रगति,* शिक्षा निदेशालय, उ.प्र. 1999-2000 ।

यह भी उल्लेखनीय है कि उर्दू शिक्षा देने के लिए प्राथमिक स्तर पर कुल 7,589 मकतब चल रहे हैं।

उर्दू विद्यालय और अध्यापकों से संबंधित सूचनाएं आगे सारांकित हैं :

प्राथमिक स्तर

प्राथमिक विद्यालय 15,855

परिषदीय प्राथमिक विद्यालय (उर्दू माध्यम) 422

सहायता प्राप्त मकतबों की संख्या 1,151

परिषदीय प्राथमिक विद्यालय (उर्दू एक विषय के रूप में) 356

शिक्षक और विद्यार्थी

परिषदीय विद्यालयों में शिक्षक 7,589

उर्दू माध्यम से पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या 2,68,000

उर्दू एक विषय के रूप में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या 12,75,000

उच्च प्राथमिक स्तर

उर्दू एक विषय के रूप में पढ़ाने वाले निजी पूर्व माध्यमिक विद्यालय 363

उर्दू एक विषय के रूप में पढ़ाने वाले परिषदीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय 4,453

उर्दू एक विषय के रूप में लेकर पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या 67,200

माध्यमिक स्तर

उर्दू शिक्षा देने वाले राजकीय विद्यालयों की संख्या 109

उर्दू शिक्षा देने वाले निजी विद्यालयों की संख्या 830

1.4.4.5 आंग्ल-भारतीय विद्यालय

वर्तमान में काउंसिल फॉर द इंडियन सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, नई दिल्ली से संबंधित 110

संस्थाएं (21 एंग्लो-इंडियन स्कूल्स सहित) और सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंड्री एजूकेशन, नई दिल्ली से 688 संस्थाएं संबंधित हैं। इस प्रकार की संस्थाओं के अतिरिक्त उ.प्र. शासन, लखनऊ ने 32 अन्य संस्थाओं को कक्षा 8 तक की परीक्षा लेने के लिए मान्यता दी है। इस प्रकार राज्य में कुल 830 एंग्लो-इंडियन स्कूल हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय उ.प्र. में इस प्रकार के विद्यालयों की संख्या 32 (उत्तरांचल सहित) थी।

निम्नलिखित संस्थाएं दो हजार रुपए प्रतिवर्ष की दर से आवर्तक अनुरक्षण अनुदान पा रही हैं :

* ला मार्टिनियर कालेज, लखनऊ
* लोरेटो कान्वेंट हाई स्कूल, लखनऊ
* सेंट एग्नेस लोरेटो हाई स्कूल, लखनऊ
* रेलवे प्राथमिक (अंग्रेजी माध्यम) विद्यालय, टूंडला, आगरा
* रेलवे प्राथमिक (अंग्रेजी माध्यम) विद्यालय, मुगल सराय, वाराणसी।

1.5 राज्य का परिव्यय

योजनागत अवधि के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के शैक्षिक परिव्यय में पर्याप्त वृद्धि परिलक्षित हुई है। वास्तविक शैक्षिक परिव्यय के रूप में यह 1950-51 में 7.10 करोड़ रुपए से बढ़कर 1980-81 में 345.87 करोड़ रुपए और 1999-2000 में यह व्यय 6096.33 करोड़ रुपए तक पहुंच गया।

इस प्रकार कुल शैक्षिक व्यय के सापेक्ष विद्यालयीय शिक्षा का परिव्यय 1950-51 की तुलना में 4.85 करोड़ रु. से 1980-81 में 281.17 करोड़ रु. हो गया तथा पुनः बढ़कर 1999-2000 में 5224.72 करोड़ रु. हो गया। उत्तर प्रदेश में शैक्षिक परिव्यय से संबंधित आंकड़े सारणी 1.16 से देखे जा सकते हैं।

सारणी 1.16 : *उत्तर प्रदेश में शैक्षिक परिव्यय का सारांश*

(करोड़ रु. में)

वर्ष	*विद्यालयीय परिव्यय*	*कुल शैक्षिक व्यय*	*कुल व्यय*
1950-51	4.85 (68.31)	7.10 (13.70)	51.84
1980-81	281.17 (81.29)	345.87 (20.15)	1716.09
1999-2000	5224.72 (85.70)	6096.33 (20.48)	29761.88

स्रोत : राज्य बजट

टिप्पणी : (I) कोष्ठक में दी गई संख्या प्रतिशत में है।
(II) उ. प्र. में शैक्षिक परिव्यय की विस्तृत जानकारी अध्याय 9 में दी गई है।

कुल शैक्षिक परिव्यय के अनुपात के रूप में विद्यालयीय शिक्षा का परिव्यय सन् 1950-51 में 68.31 प्रतिशत था, जो सन् 1980-81 में बढ़कर 81.29 प्रतिशत और 1999-2000 में 85.70 प्रतिशत हो गया। इसी अवधि में यह भी देखा जा सकता है कि राज्य के संपूर्ण बजट के अनुपात के रूप में शैक्षिक परिव्यय सन् 1950-51 में 13.70 प्रतिशत था जो

सन् 1980-81 में 20.15 प्रतिशत और 1999-2000 में सामान्य वृद्धि के साथ 20.48 प्रतिशत हो गया।

ये अनुपात मोटे तौर पर दो प्रकार की प्रवृत्तियां दर्शाते हैं :

- संपूर्ण शैक्षिक परिव्यय संपूर्ण बजट के परिव्यय के अनुपात में 6.78 प्रतिशत बढ़ गया और
- विगत पांच दशकों में कुल शैक्षिक परिव्यय के तहत विद्यालयीय शिक्षा का परिव्यय 17.39 प्रतिशत तक अभिवृद्ध हुआ है।

इन उभरती प्रवृत्तियों को दृष्टिगत रखकर यह कहा जा सकता है कि परिव्यय संबंधी प्राथमिकताओं पर पूरी शिक्षा के संदर्भ में सामान्य रूप से तथा विद्यालयीय शिक्षा के संदर्भ में विशेष रूप से वरीयता प्राप्त हुई है।

1.6 राज्य स्तरीय उत्प्रेरक नीति और प्रोत्साहन कार्यक्रम

नामांकन प्रतिभाग दरों, अभिगम्यता तथा परिव्यय संबंधी पूर्व विश्लेषित आंकड़े जो विद्यालयीय शिक्षा में विस्तार एवं आच्छादन के संसूचक हैं, राज्य स्तरीय पहल, आंकड़े एवं प्रयासों की झलक प्रस्तुत करते हैं। इनके आधार पर न्याय, उत्कृष्टता एवं राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर संप्रति रेखांकित संवैधानिक प्रतिबद्धता को पूरा करने हेतु कृत प्रयासों के बारे में भी रुझान मिलते हैं।

राज्य स्तरीय पहल की मुख्य तीन विशेषताएं हैं, जिनमें (1) विद्यालयीय सुविधा से वंचितों को विद्यालय तक पहुंचाने के अवसरों में विस्तार; (2) शिक्षण-अधिगम परिणामों, शिक्षक-निविष्टियों, शिक्षण अधिगम सामग्रियों तथा भौतिक अधोसंरचना की दृष्टि से निष्पादन में गुणवत्ता सुनिश्चित करना तथा (3) संस्थागत-क्षमता विकास जिसका मुख्य ध्येय व्यवस्था में दृष्टिगत न्यूनताओं के निराकरण हेतु प्रभावी एवं कुशल युक्तियों, कार्यक्रमों एवं नवाचारी नीतियों का अनुप्रयोग है। निम्नलिखित अनुच्छेदों में इन प्रयासों को विद्यालयीय शिक्षा के संदर्भ में संक्षिप्त रूप में आगे रेखांकित किया गया है :

- संवैधानिक प्रतिबद्धताओं के अनुसार 6-14 वयवर्ग के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना आवश्यक माना गया है। इसीलिए प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लिए शिक्षा के बजट में प्राथमिक शिक्षा को प्रथम वरीयता देते हुए बजट में विशेष प्रावधान किया गया है।
- विद्यालय से पलायन और नियत विद्यालयीय शिक्षा-अवधि पूरा किए बगैर स्कूल छोड़ देने वालों का विद्यालय में ठहराव सुनिश्चित करने की दृष्टि से विद्यालयीय कार्यक्रमों को अधिक प्रभावी ढंग से प्रारंभ किया गया है।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के बालक-बालिकाओं के विद्यालय में प्रवेश पर अधिक बल देना।
- समाज में कमजोर वर्गों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें, मध्याह्न भोजन की व्यवस्था और छात्रवृत्तियां देना।

- प्राथमिक शिक्षा के परिवेश को समुन्नत करते हुए नए भवनों का निर्माण, पुराने भवनों की मरम्मत, अन्य उपयोगी सहायता और सहायक शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना।
- नए प्राथमिक विद्यालयों को असेवित क्षेत्रों तथा उन स्थलों पर जिन्हें विद्यालयीय मानचित्र में रेखांकित किया गया है, में खोलना जैसा कि छठे अखिल भारतीय शिक्षा सर्वेक्षण की आख्या में इंगित किया गया है।
- अनौपचारिक शिक्षा के उन क्रियाकलापों को, जिन्हें केंद्र सरकार की सहायता से राज्य में लागू किया गया है, पूर्ण समर्थन देना।
- समाज के कमजोर वर्ग के बच्चों, जिनके परिवारों में शिक्षा की उपयोगिता एवं विद्यालयीय व्यवस्था के प्रति जागरुकता का अभाव है, को प्रोत्साहित करना।
- प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता संवर्धन के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम लागू किए गए हैं:
  - पाठ्यक्रमों की संरचना में समाजोपयोगी उत्पादक कार्य, पर्यावरणीय अध्ययन और सहपाठ्यक्रमीय क्षेत्रों को शामिल करते हुए अपेक्षित परिवर्तन लाया गया है।
  - अभिनव शिक्षण-अधिगम प्रक्रियाओं और बेहतर परीक्षण एवं मूल्यांकन पद्धतियों को अपनाकर।
  - शिक्षकों को आवश्यकता आधारित सेवारत् प्रशिक्षण की निविष्टियों से सज्जित करना।
- अन्य नवाचारी कार्यक्रम, जो लागू किए गए हैं, वे इस प्रकार हैं :
  - आनंददायी शिक्षा
  - क्रिया आधारित अधिगम
  - विद्यालयीय भवन निर्माण योजनाओं में समुदाय की सहभागिता।
  - पूर्ण साक्षरता अभियान
  - ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना द्वारा शिक्षण अधिगम और सहायक सामग्री का प्रावधान
  - विशेष नामांकन अभियान यथा : "स्कूल चलो अभियान"।

1.6.1 उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परियोजना

उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परियोजना 1993 में 10 जिलों में लागू की गई। इस योजना के अंतर्गत आच्छादित जनपदों की संख्या 17 (बड़े जिलों से नव-निर्मित जिलों के कारण) (वाराणसी, भदोही, गोरखपुर, इलाहाबाद, बांदा, इटावा, सीतापुर, अलीगढ़, सहारनपुर, पौड़ी, नैनीताल, उधमसिंह नगर, कौशांबी, चित्रकूट, हाथरस, चमोली और औरैया) हो गई। इस योजना के अंतर्गत प्रमुख उद्देश्य था संस्थागत क्षमता निर्माण, गुणवत्ता संवर्धन, विद्यालयों में धारिता (ठहराव) एवं विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं के प्रवेश का विस्तारीकरण।

1.6.2 जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम

केंद्रपुरोनिधानित योजना के रूप में भारत सरकार ने जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का समारंभ आर्थिक और प्राविधिक सहायता देते हुए राज्यों की प्राथमिक शिक्षा के लिए किया। 1997

में डी.पी.ई.पी.-II और 2000 में डी.पी.ई.पी.-III का राज्य के क्रमशः 18 और 38 जिलों में पूर्व निर्धारित लक्ष्यों के साथ सूत्रपात हुआ।

इन कार्यक्रमों का विस्तारपूर्वक वर्णन इस प्रतिवेदन के समुचित स्थानों पर किया गया है।

1.6.3 विशेष प्रेरणादायी योजनाएं

राज्य सरकार ने कतिपय उत्प्रेरक योजनाएं विशेष तौर से चिह्नित समूहों यथाः अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और बालिकाओं के लिए प्रवर्तित है। उत्प्रेरक योजनाओं में विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रम समय-समय पर सम्मिलित किए जाते रहे हैं। कुछ उत्प्रेरक योजनाओं का विस्तृत विवरण द्वितीय अध्याय में दिया गया है।

1.7 राज्य स्तरीय आयोग और समितियां

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सन् 1951 के अनंतर राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरों पर द्रुत एवं प्रभावी समाधान तथा सुधारात्मक कार्यक्रमों को चिह्नित करने के उद्देश्य से शिक्षा के विभिन्न पक्षों पर गहन विचार को दृष्टिगत रखकर कई आयोग एवं समितियां गठित की गईं। उत्तर प्रदेश राज्य में ऐसी अनेक समितियों ने बड़े पैमाने पर नवाचारी विचारों एवं अवधारणाओं के विकास में अवदान किया है। इस प्रकार की पहली समिति जिसे माध्यमिक शिक्षा पुनर्गठन समिति का नाम दिया गया था तथा जिसकी अध्यक्षता आचार्य नरेंद्र देव ने की थी, बाद में सन् 1952 में पुनर्गठित हुई थी। इस समिति ने पाठ्यक्रम, व्यावसायिक शिक्षा, सांप्रदायिक संस्थाओं, परीक्षाओं एवं शिक्षकों के प्रशिक्षण के बारे में गुणवत्तापरक परिवर्तन लाने की संस्तुति की थी। समिति ने अन्य मामलों के अलावा पाठ्यपुस्तकों की आपूर्ति, शिक्षा का नियंत्रण, शिक्षक विद्यार्थी अनुपात, शुल्क संरचना एवं कार्य दिवसों के बारे में भी सुझाव दिए थे। उल्लेखनीय है कि इनमें से कई संस्तुतियों को स्पष्ट नीति के अभाव में क्रियान्वित नहीं किया जा सका।

अनुवर्ती दशक में कोठारी आयोग (1964-66) के तुरंत बाद राज्य में शिक्षाशास्त्रियों, शिक्षा विशेषज्ञों एवं शैक्षिक प्रशासकों के कार्यदलों का गठन किया गया, जिससे समय-समय पर की गई इन संस्तुतियों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। इन संस्तुतियों को अपेक्षित महत्त्व देते हुए मूल्य शिक्षा, राष्ट्रीय एकता एवं विद्यालयीय शिक्षा के व्यावसायीकरण जैसे मुद्दों को गंभीरतापूर्वक लिया गया है। बाद में चलकर डॉ जे.डी. शुक्ला की अध्यक्षता में एक नैतिक शिक्षा समिति (संज्ञप्ति संख्या 2884/XV/14-30(7)80 दिनांक 26 मई 1980 द्वारा) गठित की गई। इस समिति ने उत्तर प्रदेश के विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में नैतिक शिक्षा के प्रवर्तन संबंधी समस्याओं पर गहनता के साथ विचार-विमर्श किया। समिति द्वारा मुख्य रूप से अधोलिखित सुझाव दिए गए :

- नैतिक शिक्षा को कक्षा 1 से 12 तक के पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाए।
- नैतिक शिक्षा को अपेक्षाकृत व्यापक परिप्रेक्ष्य एवं विशद् अर्थ में लिया जाए।
- सभी धर्मों के प्रति आदर एवं समभाव प्रोत्साहित किया जाए।
- नैतिक शिक्षा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में शिक्षकों की भूमिका को महत्त्वपूर्ण मानते हुए उन्हें नैतिक शिक्षा में प्रशिक्षण का प्रावधान किया जाए।

नई शिक्षा नीति 1986 तथा तदनेत्तर निर्मित कार्ययोजना (1986-92) के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में शैक्षिक संरचना विषयवस्तु, शैक्षिक प्रबंधन एवं शैक्षिक प्रक्रियाओं को समुन्नत बनाने की दृष्टि से कई सुधार कार्यक्रमों को प्रवर्तित किया। पूरी शैक्षिक व्यवस्था को व्यावहारिक रूप में कार्यशील बनाने के उद्देश्य से जनपद एवं विकास खंड स्तरों पर कोर दल गठित किए गए, जिससे व्यापक समस्याओं को अपेक्षित सूक्ष्मता एवं सावधानियों के साथ विश्लेषित किया जा सके। संशोधित कार्ययोजना 1992 में इंगित नवीन युक्तियों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विद्यालयीय शिक्षा के लिए राज्य स्तर पर लखनऊ विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति एवं विधान परिषद् के सदस्य डॉ. हरिकृष्ण अवस्थी की अध्यक्षता में एक समिति दिसंबर 1993 में गठित की गई। इस समिति ने कई मुद्दों पर विचार किया तथा पाठ्यक्रम का गठन, परीक्षाओं के संचालन, जिसमें परीक्षाओं में अनुसूचित साधन प्रयोग रोकने के लिए उठाए जाने वाले उपायों, पाठ्यक्रम एवं अध्ययन सामग्री निर्माण तथा प्रशासनिक एवं संगठनात्मक सुधारों के बारे में विशेष सुझाव दिए। लगभग एक दशक की अवधि में उत्तर प्रदेश शासन ने शैक्षिक विकास प्रक्रिया को द्रुत बनाने की कोशिश की, जिससे शिक्षा में उच्च स्तरीय विस्तार एवं आच्छादन, बच्चों की विद्यालय में पहुंच, उनका विद्यालय में ठहराव तथा विद्यालयीय शिक्षा अवधि को पूर्ण किए बगैर विरत हो जाने वाले बच्चों की संख्या मे कमी की जा सके।

1.7.1 राज्य स्तरीय पहल में परिलक्षित दिशा बोध

राज्य स्तरीय पहल में विद्यालय शिक्षा संबंधी नीतियों एवं कार्यक्रमों के माध्यम से जो रुझान सामने आया है, उसमें मुख्य रूप से गुणवत्ता का मुद्दा, शैक्षिक अवसरों की समानता, समुन्नत विद्यालय विधियां एवं विश्वसनीय मूल्यांकन व्यवस्था मुख्य रूप से उल्लेखनीय हैं। इसके अलावा विद्यालयों के कुशल एवं प्रभावी प्रशासनिक ढांचे विकसित करना, सहभागिता एवं आवश्यकता पर आधारित प्रशिक्षण निविष्टियां तथा विकास खंड एवं संकुल स्थलों पर शैक्षिक समर्थन का सबलन भी प्रमुख गतिविधियों में शामिल रहा है। साथ ही प्रभावी युक्तियों के अनुप्रयोग से विद्यालय में बच्चों की पहुंच के आधार को विस्तारित करने के उद्देश्य से वैकल्पिक शिक्षण, दूरवर्ती शिक्षण अधिगम की व्यवस्था एवं सूचना-प्रौद्योगिकी के अपनाए जाने पर भी बल दिया गया है। इस क्रम में विद्यालय स्तरीय पाठ्यक्रमों एवं पाठ्यपुस्तकों में राज्य के विशिष्ट संवर्गों के बच्चों की आवश्यकताओं एवं अवधारणाओं को महत्त्व देते हुए पर्याप्त तब्दीलियां लाई गईं हैं। सेवापूर्व तथा सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को इस रूप में पुनर्नियोजित किया गया है कि अध्यापक शिक्षा में जवाबदेही के मुद्दे को उसका अभिन्न अंग बनाया जा सके। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना तथा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम - II एवं III के समारंभ होने से प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शिक्षा अनुक्षेत्रों में पूरा ध्यान क्षमता संवर्द्धन एवं समर्थ विकास सुनिश्चित करने के प्रति केंद्रित है। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर के शिक्षण को भी सुधार के इन दायरों में लाया गया है तथा उनमें लागू पाठ्यक्रमों, परीक्षाओं, मूल्यांकन प्रणालियों एवं व्यावसायिक शिक्षा के घटकों को नवीन संकल्पनाओं एवं संदर्भों के अनुरूप परिवर्तित किया जा रहा है।

अध्याय 2

प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण

यह अध्याय प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लिए राज्य द्वारा उठाए गए कदमों से संबंधित अद्यतन और गहनतम सूचनाओं का विवरण प्रस्तुत करता है। इसमें प्रारंभिक बाल देख-रेख तथा उक्त की शिक्षा के ऊपर भी प्रकाश डाला गया है। यह अध्याय गैर-सरकारी संगठनों और सामुदायिक प्रतिभाग की स्थिति दर्शाते हुए एकल शिक्षक और बहुकक्षा श्रेणी शिक्षण की समस्याओं का विश्लेषण भी प्रस्तुत करता है।

भारत में शिक्षा का विकास मुख्यतः उस संवैधानिक व्यवस्था से प्रभावित हुआ है जिसके तहत 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। विकास योजनाओं ने शिक्षा की महत्ती भूमिका, विशेषतः बुनियादी शिक्षा और निरक्षरता उन्मूलन के महत्त्व को रेखांकित किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 और संशोधित कार्ययोजना 1992 में साक्षर आबादी की आवश्यकता एवं प्राथमिक शिक्षा के महत्त्व को मुखर अभिव्यक्ति प्राप्त हुई थी। उ.प्र. में विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के तहत प्राथमिक शिक्षा में लगातार विकास के स्वरूप परिलक्षित हुए हैं।

2.1 उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनीकरण

राष्ट्रीय कार्यसूची के रूप में शिक्षा-व्यवस्था का प्रमुख बिंदु प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण एवं सभी के लिए शिक्षा है। मौलिक अधिकार में शामिल करते हुए 14 वर्ष की आयु वाले सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिलाने का प्रयास इसी संकल्प की मुखर अभिव्यक्ति है, जो व्यक्ति के जीने के अधिकार से भी संबंधित है। यहां विशेष रूप से यह उल्लेखनीय है कि 'सभी के लिए शिक्षा' का वास्तविक अभिप्रेत सार्वभौम नामांकन में ही अनुसीमित न होकर प्राथमिक विद्यालय स्तरीय शिक्षण-अधिगम की व्यवस्थाओं में सुधार सुनिश्चित करने से भी जुड़ा हुआ है, जिससे न्यूनतम अधिगम स्तर के लिए निरूपित उद्देश्यों की भी संप्राप्ति हो सके।

राज्य के नीति-निर्देशक तत्त्वों में 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य

शिक्षा देने का प्रावधान है। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति तथा 1992 की कार्यनीति में साक्षर जनसंख्या और प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण को बहुत महत्त्व दिया गया है।

प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के संदर्भ में 1992 की कार्य योजना में निम्नलिखित पहलुओं पर विशेष बल दिया है :

- सार्वजनिक पहुंच और नामांकन सुनिश्चित करना
- सार्वजनिक अधिगम स्तर प्राप्त करने की दृष्टि से शिक्षा में गुणवत्ता विकसित करना।

इन सभी क्षेत्रों में उ.प्र. राज्य द्वारा अपेक्षित प्रयास किए गए हैं और वर्तमान स्थिति को संक्षेप में निम्नवत् रूप में रेखांकित किया जा सकता है।

2.2 प्राथमिक शिक्षा अधिनियम

उत्तर प्रदेश की वर्तमान प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था उ.प्र. बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 से शासित है। यह अधिनियम अगस्त, 1972 में लागू हुआ। इस अधिनियम के लागू होने के अनंतर सभी नगरपालिकाओं और जिला परिषदों के प्राथमिक शिक्षा देने वाले विद्यालयों का नियंत्रण बेसिक शिक्षा परिषद् के तह.। कर दिया गया। यह अधिनियम बेसिक शिक्षा का प्रबंधन करता है। यह पूरे राज्य में लागू है। इस अधिनियम के तहत 'बेसिक शिक्षा' पद का अर्थ कक्षा 8 तक की विद्यालयीय शिक्षा देने से है। अधिनियम की धारा-4 के अनुसार परिषद् का मुख्य कार्य राज्य में बेसिक शिक्षा को विकसित करना एवं एतदर्थ इसके प्रबंधन को संयोजित करना है। इसे निम्नांकित उत्तरदायित्व दिए गए हैं —

(अ) बेसिक शिक्षा के लिए शिक्षक-प्रशिक्षण की व्यवस्था और पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकों का निर्माण।

(ब) परीक्षाओं का संचालन और पूर्व माध्यमिक स्तर तथा उच्च प्राथमिक (जूनियर बेसिक) स्तर पर डिप्लोमा और प्रमाण पत्रों को देना तथा व्यवस्था करना।

(स) प्राथमिक शिक्षा देने वाली संस्थाओं को मान्यता प्रदान करना, उनके संचालन हेतु नियमों का निर्माण और शैक्षिक पर्यवेक्षण।

(द) राज्य के किसी भी भाग में प्राथमिक शिक्षा की प्रगति के लिए योजनाएं बनाना।

(य) ऋण प्राप्त करना तथा राज्य सरकार से अथवा अन्य स्रोतों से अनुदान अथवा सहायता प्राप्त करना।

परिषद् को नियुक्ति का अधिकार है। राज्य सरकार से पूर्व में अनुमति प्राप्त कर अन्य अनेक अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों की आवश्यकतानुसार समुचित रीति से नियुक्ति करना एवं राज्य सरकार द्वारा स्थापित नियमों के अनुसार उनकी सेवा शर्तों को लागू करना परिषद् के अधिकार क्षेत्र में शामिल है। परिषद् का अपना कोष है, जिसमें कई स्रोतों से प्राप्त धन जमा किया जाता है। अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यकता पड़ने पर इसे किसी भी प्रकार के परिव्यय की शक्ति प्रदत्त है।

अधिनियम की धारा-10 के अनुसार जिला बेसिक शिक्षा समिति और नगर बेसिक शिक्षा समिति को प्राथमिक शिक्षा देने के लिए व्यवस्था प्रदान करता है। प्रत्येक गांव या गांव समूहों के लिए ग्रामीण शिक्षा समिति का गठन धारा-11 के अंतर्गत किया गया है, जो प्राथमिक विद्यालयों की समुचित प्रबंधन व्यवस्था हेतु जिला बेसिक शिक्षा समिति को सुझाव दे सकती है।

अधिनियम की धारा-12 के अनुसार शिक्षा निदेशक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह प्राथमिक विद्यालयों का प्रभावी नियंत्रण, जांच और निरीक्षण के माध्यम से करता रहे। वह किसी विद्यालय विशेष की मान्यता समाप्त करने का सक्षम अधिकारी होता है। यदि कोई विद्यालय संतोषप्रद ढंग से कार्य नहीं कर रहा है तो राज्य सरकार को अधिनियम की धारा-19 में अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बनाने, खासतौर से नियुक्तियों और प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों की सेवा शर्तों को देखने के बारे में अधिकार प्राप्त हैं।

2.2.1 विद्यालय

उत्तर प्रदेश में योजनावधि के अंतर्गत विद्यालयों की संख्या की दृष्टि से उपलब्धियां सारणी 2.01 में दर्शाई गई हैं –

सारणी 2.01 : *प्राथमिक विद्यालयों की संख्या—वर्ष 1950-51 से 1999-2000 तक*

(हजार में)

प्रकार	*1950-51*	*1960-61*	*1970-71*	*1980-81*	*1990-91*	*1999-2000*
ग्रामीण	23.71	35.30	56.00	64.02	71.19	87.48
नगरीय	8.27	4.78	6.13	6.59	5.92	9.28
योग	31.98	40.08	62.13	70.61	77.11	96.76

स्रोत : *शिक्षा की प्रगति,* शिक्षा निदेशालय, 1999-2000

सारणी 2.01 वर्ष 1950-51 से वर्ष 1999-2000 तक हुई वृद्धि को प्रदर्शित करती है। इसके अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्ष 1950-51 में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 31.98 हजार थी, जो वर्ष 1960-61 में बढ़कर 40.08 हो गई। अगले दशक 1970-71 में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या बढ़कर 62.13 हजार तक, जो पुनः बढ़कर 1980-81 के दशक में 70.61 हजार हो गई। 1990-91 के दशक में प्राथमिक विद्यालयों की जो संख्या 77.11 हजार थी वह 1999-2000 में बढ़कर 96.76 हजार हो गई। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के रूप में विभक्त प्राथमिक विद्यालयों से संबंधित आंकड़ों से पता चलता है कि लगभग 26 प्रतिशत ऐसे विद्यालय शहर में हैं जबकि ग्रामीण अनुक्षेत्रों में इनका प्रसार 74 प्रतिशत है। उपर्युक्त आंकड़ों के अनुसार 1999-2000 में शहरी क्षेत्रों में विद्यालय घटकर 10 प्रतिशत रह गए, जबकि ग्रामीण अनुक्षेत्रों में 90 प्रतिशत विद्यालय अवस्थित हैं।

2.2.2 शिक्षार्थी और शिक्षक

सारणी 2.02 वर्ष 1950-51 से वर्ष 1999-2000 तक की अवधि में शिक्षार्थियों और शिक्षकों की वृद्धि को दर्शाती है -

सारणी 2.02 : *प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षार्थियों और शिक्षकों की संख्या (1950-51 से 1999-2000)*

प्रकार	*1950-51*	*1960-61*	*1970-71*	*1980-81*	*1990-91*	*1999-2000*
विद्यार्थियों की संख्या (हजार में)	2727	3958	10615	9368	11962	13404
शिक्षकों की संख्या (हजार में)	70	99	203	247	266	318

स्रोत : *शिक्षा की प्रगति,* शिक्षा निदेशालय, 1999-2000

सारणी 2.02 से संकेत मिलता है कि 1950-51 में शिक्षार्थियों की जो संख्या 2727 हजार थी वह 1999-2000 में बढ़कर 13404 हजार हो गई। इसी प्रकार 1950-51 में जहां शिक्षकों की संख्या 70 हजार थी, वह 1999-2000 में बढ़कर 318 हजार हो गई। पांच दशकों (1950-51 से 1999-2000 तक) में प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षार्थियों की संख्या बढ़कर पांच गुनी हुई तो शिक्षकों की संख्या भी लगभग 4.5 गुनी हो गई। इस प्रकार योजनावधि में शिक्षक-शिक्षार्थी के अुनपात को विषम रूप से प्रभावित करने का यह युक्तिसंगत कारण प्रतीत होता है।

2.3 लिंग आधारित कक्षा 1 से 8 तक नामांकन में वृद्धि

उ.प्र. की प्राथमिक शिक्षा दो स्तरों वाली है –

- ❑ प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 तक
- ❑ उच्च प्राथमिक विद्यालय कक्षा 6 से 8 तक।

इन दोनों स्तरों पर प्राथमिक शिक्षा में नामांकन संबंधी वृद्धि को दर्शाते हुए सारणी 2.03 एवं 2.04 में आवश्यक आंकड़े प्रस्तुत हैं जो संख्या वृद्धि के साथ लिंग पर आधारित नामांकन की स्थिति स्पष्ट करते हैं।

नामांकन की दृष्टि से प्राथमिक विद्यालय स्तर पर सात गुना और उच्च प्राथमिक स्तर पर 20 गुना वृद्धि हुई है।

सारणी 2.03 : *प्राथमिक विद्यालय का कक्षा 1 से 5 तक नामांकन*

(हजार में)

	1950-51	*1960-61*	*1970-71*	*1980-81*	*1990-91*	*1996-97*	*1997-98*
बालिकाएं	334	787	3867	2774	4068	7708	8414
बालक	2392	3171	6748	6593	7893	10606	10991
योग	2726	3958	10615	9367	11961	18404	19405

स्रोत : *शिक्षा की प्रगति,* शिक्षा निदेशालय, 1997-98

सारणी 2.03 से यह ज्ञात होता है कि प्राथमिक विद्यालय के अंतर्गत 1950-51 में कक्षा 1 से 5 तक कुल नामांकन 2,726 हजार था जो 1997-98 में बढ़कर 19,405 हजार हो गया। इस प्रकार यह सात गुनी वृद्धि संसूचित करती है। 1990-91 में बालिकाओं का नामांकन 334 हजार था जो 1997-98 में 8,414 हजार हो गया। इस प्रकार बालिकाओं के नामांकन में 25 गुनी वृद्धि हुई है। 1950-51 में प्राथमिक विद्यालयों के बालकों का नामांकन 2,392 हजार था, जो 1997-98 में 10,991 हजार हो गया। यह साढ़े चार गुना से कुछ अधिक वृद्धि का संकेत देता है।

नामांकन की इस प्रवृत्ति से यह स्पष्ट है कि बालिकाओं के नामांकन में असाधारण वृद्धि हुई है, जिससे प्राथमिक स्तर की शिक्षा की प्रगति में सकारात्मक संकेत प्राप्त होता है। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन की स्थिति सारणी 2.04 में दर्शाई गई है।

सारणी 2.04 : *उच्च प्राथमिक विद्यालयों का नामांकन कक्षा 6 से 8 तक*

(हजार में)

	1950-51	*1960-61*	*1970-71*	*1980-81*	*1990-91*	*1996-97*	*1997-98*
बालिकाएं	69	103	285	391	721	939	2341
बालक	278	446	1095	1413	2026	2091	4639
योग	347	549	1380	1804	2747	3030	6980

स्रोत : *शिक्षा की प्रगति,* शिक्षा निदेशालय, 1997-98

सारणी 2.04 के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि सन् 1950-51 में उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6 से 8) पर कुल नामांकन 347 हजार था, जो 1997-98 में 6,980 हजार हो गया। यह उक्त अवधि में बीस गुनी वृद्धि प्रदर्शित करता है। 1950-51 में बालकों का नामांकन 278 हजार के सापेक्ष 1997-98 में 4,639 हजार हो गया, जिससे उक्त अवधि में सत्रह गुना वृद्धि परिलक्षित है। इसके विपरीत 1950-51 में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बालिकाओं का नामांकन द्रुतगति से बढ़कर 1997-98 में 2,341 हजार हो गया। 1950-51 में यह 69 हजार था, जो चौंतीस गुनी वृद्धि प्रदर्शित करता है।

इस प्रकार प्राथमिक और उच्च प्राथमिक दोनों स्तरों पर बालिकाओं के नामांकन में भारी वृद्धि अंकित हुई है।

2.4 विद्यालय पूर्व शिक्षा

इस कार्यक्रम का संबंध दो स्तरीय है — (1) यह बालिकाओं को नियमित रूप से विद्यालय में उपस्थित होने के लिए सहोदर की देखरेख और घर की जिम्मेदारियों से मुक्त करती है; (2) यह विद्यालय पूर्व आयु संवर्ग वाले बच्चों को विद्यालय जाने के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। विद्यालय पूर्व शिक्षा प्रमुखतः समन्वित बाल विकास कार्यक्रमों, बेसिक शिक्षा कार्यक्रमों एवं जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रमों की सम्मिलित भागीदारी के आधार पर संगठित हो गई है, जिससे इस प्रयास को प्रभावी बनाया जा सके। बाल विकास केंद्रों के द्वारा कार्य करने की रणनीति में महिलाओं को प्रशिक्षण देना और सहायक सामग्री के उपयोग से समतुल्य प्रशिक्षण और आंगनबाड़ी केंद्रों और प्राथमिक विद्यालयों को सज्जित करना मुख्य मुद्दा है। केंद्रों का चयन एवं प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास उत्तर प्रदेश के महिला एवं बाल विकास विभाग के परामर्श से तैयार किया जाता है। केंद्राभिमुख उपागम को इसलिए अपनाया गया है कि एक ही कार्य को कई लोग न करें – इस प्रकार की स्थिति से बचाव हो सके, ध्यातव्य है कि यह युक्ति लागत प्रभावी सिद्ध हुई है।

उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत 1,200 शिशु शिक्षा केंद्र तथा 50 केंद्र सीतापुर में, जो समन्वित बाल शिक्षा केंद्रों में शामिल नहीं है, गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा 2,310 केंद्र डी.पी.ई.पी.-II के जनपदों में और डी.पी.ई.पी.-III के अंतर्गत 1,886 केंद्र 2000-2001 में कार्य कर रहे हैं। सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत बालकेंद्रित शिक्षा के प्रमुख बिंदु निम्नवत् हैं :

- शिशु शिक्षा केंद्रों के समतुल्य प्रशिक्षण प्राथमिक विद्यालयों को इसलिए दिया गया है, जिससे ये केंद्र अतिरिक्त दो घंटों तक चल सकें तथा बड़े सहोदरों, विशेष रूप से बालिकाओं को अपने भाइयों या बहनों की देखरेख की जिम्मेवारी से मुक्त कर विद्यालय में बने रहने के लिए अवसर दिया जाए।
- प्राथमिक विद्यालय के समीपस्थ बाल विकास केंद्रों को पुनः स्थापित किया गया है।
- बच्चों के विकास को दृष्टिगत रखकर समुचित पर्यावरण निर्माण हेतु खेल-खेल में शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाना।

यह परियोजना बाल विकास केंद्रों को निम्नलिखित अतिरिक्त सुविधा प्रदान करती है:

- आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायक को अतिरिक्त समय देने हेतु प्रतिपूर्ति के रूप में मानदेय देना।
- बाल विकास केंद्रों में पूर्व विद्यालयीय शिक्षा को चलाने वालों को पुनर्बोधात्मक और वार्षिक अभिनवीकरण प्रशिक्षण प्रदान करना।

- प्रत्येक केंद्र में बच्चों को खेल-खिलौने, खेल-सामग्री देना। एक केंद्र पर बच्चों के खेल-खिलौने, सहायक शिक्षण सामग्रियों को क्रय करने हेतु एक मुश्त रु. 5,000/- की धनराशि अनुदान के रूप में प्रदान करना और आनुषांगिक खर्च को वहन करने के लिए रु. 1.500/- वार्षिक अनुवर्ती अनुदान प्रदान करना।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली द्वारा वर्ष 1998 में किए गए मूल्यांकन से ज्ञात होता है कि शिशु शिक्षा केंद्रों के बच्चे सापेक्षतः अनुशासित, सज्जित, अनेक कार्यक्रमों में प्रतिभाग करने वाले तथा आत्मविश्वासी होते हैं। इनमें कार्यरत् कर्मचारी और समुदाय के सदस्यों की आख्याएं हैं कि इन केंद्रों से प्राथमिक विद्यालय में लाए गए बच्चों की उपस्थिति एवं नामांकन अच्छे रहे। यह सामान्यतः प्रतिपुष्ट है कि समयावधि बढ़ाने से बालिकाओं की सहभागिता और नामांकन बढ़ा है। एक जनपद की वरिष्ठ छात्राओं ने सूचित किया है कि इस प्रकार की पहल से उन्हें उत्तम उपलब्धि की ओर बढ़ने में मदद मिली है। विद्यालय में ठहराव तथा छात्रों की प्राथमिक स्तर पर नियमित उपस्थिति बढ़ने की दृष्टि से यह प्रयास अत्यंत उत्साहवर्द्धक रहा है। कुछ स्थानों पर ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों ने सूचित किया है कि जहां पहले 60 प्रतिशत बच्चे नहीं आते थे, इन शिक्षा केंद्रों के खुलने पर नामांकन 85 प्रतिशत हो गया।

2.5 प्राथमिक शिक्षा की अभिगम्यता

उत्तर प्रदेश शासन में सार्वजनीकरण के लिए जो मापदंड स्वीकार किया गया है, उसमें 1.5 कि.मी. के क्षेत्र में (पहाड़ों पर 1 कि.मी.) 300 की आबादी के लिए एक प्राथमिक विद्यालय और 800 की आबादी वाले 3 कि.मी. की दूरी पर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय की सुविधा प्रावधानित है। इस प्रकार भारत सरकार के 1 कि.मी. की दूरी और 300 आबादी के मापदंड की तुलना में उत्तर प्रदेश ने थोड़े से अंतर के साथ प्राथमिक विद्यालयों को खोल रखा है।

यहां उल्लेखनीय है कि 1994-95 से 1997-98 तक 12,043 नए प्राथमिक विद्यालय और 2,325 उच्च प्राथमिक विद्यालय खुले हैं। इनके अतिरिक्त बहुत बड़ी संख्या में निजी विद्यालय हैं, फिर भी अद्यतन सर्वेक्षण से यह संकेत मिलता है कि आबादी का बहुत बड़ा भाग अब भी असेवित है जैसाकि उ.प्र. शासन का मापदंड है। जवाहर रोजगार योजना एवं रोजगार आश्वासन योजना तथा उ.प्र. की बेसिक शिक्षा परियोजना के खातों से प्राप्त निविष्टियों के उपयोग से शासन असेवित बस्तियों के तहत अगले पांच वर्षों में विद्यालय खोलने के लिए प्रतिबद्ध है।

2.6 समस्याएं और मुद्दे

शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को पूरा करने के लिए बीच के अंतरालों को कम करने के लिए सभी सहमत हैं। विशेषतः उच्च प्राथमिक स्तर पर इस लक्ष्य को प्राप्त किया जाना चाहिए। फिर भी राज्य द्वारा की गई 50 वर्षों की प्रगति निचले स्तर पर शिक्षा प्रारंभ करने के संदर्भ में अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। साक्षरता दर में हुई वृद्धि महत्त्वपूर्ण है, जिसे अध्याय 1 के सारणी 1.07 से देखा

जा सकता है, किंतु 21वीं शताब्दी में उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को प्रगति पथ पर अग्रसर कराने की दृष्टि से यह वृद्धि स्वल्प ही मानी जाएगी।

2.7 विद्यालयीय व्यवस्था में सीमित प्रतिभाग

प्राथमिक विद्यालयों में बहुत बड़ी संख्या में या तो बच्चे प्रवेश ही नहीं लेते या फिर पूरी विद्यालयीय शिक्षा पूर्ण किए बिना ही विद्यालय छोड़ देते हैं। इस प्रकार की मुख्य समस्या बालिकाओं या अन्य सुविधा वंचित संवर्ग के बालकों की है। अनुमानतः केवल 20 प्रतिशत बालिकाएं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रवेश ले पाती हैं। प्राथमिक शिक्षा में सीमित सहभागिता का ही परिणाम है कि वयस्क निरक्षरों की संख्या बढ़ी है।

नामांकन में ठोस वृद्धि के बावजूद सुविधा वंचित संवर्ग के बहुत बड़ी मात्रा में बच्चे प्राथमिक विद्यालयों में अब भी नामांकित नहीं हो पाते हैं। सामान्य नामांकन अनुपात को देखने से विदित होगा कि इस प्रक्रिया में बालिकाएं सर्वाधिक प्रभावित हैं।

प्राथमिक शिक्षा में प्रतिभाग की न्यूनता का अनुमान सारणी 2.05 तथा 2.06 से लगाया जा सकता है–

सारणी 2.05 : *उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा में प्रतिभागिता (1987-88) साक्षरता अनुपात (आयु 10-14 वर्ष)*

क्षेत्र	*पुरुष (प्रतिशत)*	*महिला (प्रतिशत)*
ग्रामीण	68	39
नगरीय	76	69

स्रोत : *जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी.पी.ई.पी.)-III*, स्टेट प्लान, उत्तर प्रदेश, मार्च, 1999

सारणी 2.06 : *बच्चों का अनुपात आयुवर्ग 12-14 वर्ष, विद्यालयों में जिनका नामांकन नहीं हुआ (1986-88)*

क्षेत्र	*पुरुष (प्रतिशत)*	*महिला (प्रतिशत)*
ग्रामीण	27	68
नगरीय	19	39

स्रोत : *जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी.पी.ई.पी.)-III*, उत्तर प्रदेश राज्य परियोजना, मार्च, 1999

2.7.1 न्यूनता (कमी)

इस प्रकार प्राथमिक शिक्षा में नामांकन की प्रगति को अवबाधित और आछन्न करने वाला महत्त्वपूर्ण कारक द्रुत गति से बढ़ती हुई जनसंख्या है। यद्यपि आज भारत विश्वभर में प्राथमिक शिक्षा का सबसे बड़ी व्यवस्था वाला और सबसे अधिक छात्र संख्या वाला देश है, जो विश्वभर की छात्र संख्या का 22 प्रतिशत है, शिक्षा में गुणात्मक वृद्धि मात्रात्मक वृद्धि की तरह नहीं हुई, जिसके फलस्वरूप आधारिक संरचना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया एवं विद्यार्थियों की गुणवत्ता में बहुत अधिक भिन्नताएं विद्यमान हैं।

उत्तर प्रदेश की वर्तमान स्थिति के विश्लेषण से यह संकेत मिलता है कि शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य समस्या है – अभिगम्यता (पहुंच), न्यायसंगत समानता, गुणवत्ता एवं बच्चों द्वारा शिक्षा अवधि को पूरा करना, कार्यकुशलता तथा शैक्षिक प्रबंधन एवं नियोजन।

2.8 प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के संदर्भ में राज्य में विद्यमान क्षेत्रीय असमानताएं

उत्तर प्रदेश में विगत पांच वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में यद्यपि महत्त्वपूर्ण प्रगति हुई है, फिर भी यह राज्य देश में शैक्षिक रूप से सर्वाधिक पिछड़ा माना जाता है। 1990-91 की राष्ट्रीय साक्षरता दर 52.1 प्रतिशत के सापेक्ष उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर 41.6 प्रतिशत रही। पुरुष साक्षरता दर राष्ट्रीय स्तर 63.8 प्रतिशत और महिला साक्षरता दर 39.4 प्रतिशत की तुलना में प्रदेश में यह क्रमशः 55.4 प्रतिशत और 26 प्रतिशत रही है। नामांकन संबंधी आंकड़े नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त अंतर बताते हैं। साथ ही इन आंकड़ों में प्राप्य अंतर लिंग भेद, अपवंचित, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बच्चों में भी अधिक पाया गया। ऐसा अनुमान है कि प्राथमिक विद्यालयों में नामाकित छात्रों की संख्या का एक तिहाई भाग प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किए बिना ही छोड़ जाता है, जिनमें अनुसूचित जाति और बालिकाओं का अनुपात अधिक होता है। 6-11 वर्ष के समूह वाले लगभग 2.53 लाख बच्चे विविध कारणों से वर्ष 1998-99 में प्राथमिक विद्यालयों में नामांकित नहीं हो सके। इतनी बड़ी संख्या में विद्यालय न जाने वाले बच्चों में, प्रायः बालिकाओं और अनुसूचित जाति के बच्चे रहे हैं।

उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक निधि प्रदत्त स्कूलों में जो शिक्षा दी जाती है, उसमें प्राथमिक विद्यालय स्तर के 84 प्रतिशत छात्र हैं, जिनको दृष्टिगत रखकर बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। आशा के विपरीत इन बच्चों की शिक्षण-अधिगम संप्राप्ति का स्तर न्यून है और अधिकांश बच्चे भाषा में उचित दक्षता नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। असंवेदनशील शिक्षण-अधिगम सामग्रियों एवं प्रविधियों, निम्न स्तरीय प्रशिक्षण और उत्प्रेरण, विषम शैक्षिक सुविधाएं, शिथिल विद्यालय प्रबंधन आदि जैसी स्थितियां प्राथमिक शिक्षा की दक्षता और गुणवत्ता को गंभीरतापूर्वक प्रभावित करती हैं और ये विद्यालयीय आकर्षण को न्यून बनाती हैं। शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य समस्या विद्यालयों में पहुंच और समानता, गुणवत्ता एवं धारिता प्रबंधन और योजना की दक्षता और प्रभाविकता की है। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था की अधोलिखित विशेषताएं खासतौर से उल्लेखनीय हैं।

असमानताएं

उत्तर प्रदेश में साक्षरता की दर औसत से कम है। ऐसा इसलिए भी है कि पुरुष एवं महिला, नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या एवं विभिन्न सामाजिक समूहों जैसे—अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक आदि संवर्गों में शैक्षणिक उपलब्धियों की दृष्टि से पर्याप्त असमानताएं परिव्याप्त हैं।

मंडलों के बीच विभिन्नताएं

यद्यपि उत्तर प्रदेश एक विशाल और समांग राज्य है, फिर भी सामाजिक क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण अंतर मंडल स्तर पर प्रायः दिखाई देते हैं। ये विभिन्नताएं विशेष रूप से लिंग-अनुपात एवं निर्धनता में दिखाई देती है। सारणी 2.07 में उ.प्र. के पांच मंडलों से संबंधित साक्षरता दर और अन्य महत्त्वपूर्ण संकेतक दर्शाए गए हैं।

सारणी 2.07 : *उ.प्र. में साक्षरता में अंतर-क्षेत्रीय विभिन्नताएं*

क्षेत्र	*उ.प्र. की जनसंख्या में प्रतिभाग 1991 (प्रतिशत)*	*बच्चों की मृत्यु दर 1981*		*महिला-पुरुष अनुपात 1991*	*अनुमानित शिशु जन्म दर 1988-90 (प्रति हजार)*	*साक्षरता दर आयु 7+ 1991 (प्रतिशत)*		*ग्रामीण निर्धनता दर 1987-88*
		पुरुष	*महिलाएं*			*महिलाएं*	*पुरुष*	
हिमालयन	4.3	106	110	955	32.4	43	76	8
पश्चिम	35.6	170	145	841	39.7	27	55	26
केंद्रीय	17.4	164	158	855	37.8	28	55	36
पूर्वी	37.9	154	144	923	37.4	21	55	43
दक्षिणी	4.8	166	147	846	37.1	24	58	50
समस्त क्षेत्र	100.0	160	146	879	38.0	25	56	35

स्रोत : *जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी.पी.ई.पी.)-III,* राज्य योजना उ.प्र., मार्च, 1999

सारणी 2.07 महिला और पुरुष साक्षरता दर हिमालयन क्षेत्र (जो अब उत्तरांचल में है) को शीर्ष पर दर्शाती है, जहां 1991 में महिला साक्षरता 43 प्रतिशत और पुरुष साक्षरता 76 प्रतिशत थी। पूर्वी उत्तर प्रदेश सबसे नीचे है, जहां महिला साक्षरता 21 प्रतिशत और पुरुष साक्षरता 55 प्रतिशत है। यहां यह मुख्य रूप से अंकित करना समीचीन होगा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश राज्य की संपूर्ण जनसंख्या का 38 प्रतिशत आबादी धारण करता है।

विद्यालयीय व्यवस्था में सीमित प्रतिभाग

उत्तर प्रदेश में अधिक आयु के लोगों में अशिक्षा व्याप्त है, किंतु यह युवा वर्ग में भी परिलक्षित होती है। बच्चों का एक बहुत बड़ा समूह या तो प्राथमिक विद्यालय में प्रविष्ट होता ही नहीं है या पांच वर्ष की विद्यालयीय शिक्षा को पूरा किए बिना ही छोड़ देता है। इस प्रकार की स्थिति कमजोर वर्ग के बच्चों और बालिकाओं के मध्य विशेष रूप से देखी जा सकती है। अनुमानतः लगभग 20 प्रतिशत बालिकाएं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रवेश ले पाती हैं। उत्तर प्रदेश के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों की सहभागिता सारणी 2.08 से प्रदर्शित होती है।

सारणी 2.08 : *उ.प्र. में प्राथमिक शिक्षा में प्रतिभागिता*

साक्षरता दर *आयु 10-14 वर्ष* *(1987-88)*	*पुरुष*	*महिला*
ग्रामीण	68 प्रतिशत	39 प्रतिशत
शहरी	76 प्रतिशत	69 प्रतिशत
12-14 वर्ष वयवर्ग के बच्चे, जो कभी विद्यालय में नामांकित नहीं हुए (1986-87)		
ग्रामीण	27 प्रतिशत	68 प्रतिशत
शहरी	19 प्रतिशत	39 प्रतिशत
ग्रामीण बच्चों के स्कूल का भाग (1987-88)		
5-9 वर्ष वयवर्ग	45 प्रतिशत	28 प्रतिशत
10-14 वर्ष वयवर्ग	31 प्रतिशत	

स्रोत : *जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी.पी.ई.पी.)-III,* राज्य योजना उ. प्र., मार्च, 1999

सारणी 2.08 से यह स्पष्ट होता है कि उत्तर प्रदेश के ग्राम्यांचल की महिलाओं का उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रतिभाग केवल 39 प्रतिशत है जबकि उत्तर प्रदेश के नगरीय क्षेत्र का प्रतिभाग 86 प्रतिशत है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित पुरुषों में उच्च प्राथमिक स्तर पर सहभागिता 68 प्रतिशत और नगरीय क्षेत्रों में 76 प्रतिशत है। इसी प्रकार की प्रवृत्ति वर्ष 1986-87 से संबंधित आंकड़ों को देखने से ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में अवस्थित पुरुषों और महिलाओं के प्रतिशत के सापेक्ष पाया गया है।

अपूर्ण नामांकन

विगत आठ वर्षों के मध्य प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों की संख्या 23 प्रतिशत बढ़ी है, समग्र नामांकन का अनुपात चालू वर्ष में बढ़कर 81 से 99 प्रतिशत हो गया है। नामांकन में भारी वृद्धि के बावजूद बहुत बड़ी संख्या में सुविधावंचित समूह के बच्चे आज भी प्राथमिक विद्यालयों में नहीं आ पाते हैं। यहां पुनः उल्लेखनीय है कि सुविधावंचित संवर्ग में बालिकाएं ही अधिसंख्य हैं।

विद्यालय की अवधि पूरा करने की निम्न दर

यह अनुमान लगाया गया है कि लगभग 30 प्रतिशत बच्चे कक्षा एक में नामांकित होने के पश्चात् कक्षा 5 पूर्ण नहीं कर पाते। राज्य योजना के एक पत्रक में डी.पी.ई.पी.-III के तहत उ.प्र. के 25 प्रतिशत बच्चों द्वारा शालात्याग प्रदर्शित किया गया है, जिससे पांच वर्ष की प्राथमिक शिक्षा के चक्र को पूरा करने हेतु औसतन 6.33 वर्ष की आवश्यकता है। इस प्रकार 1.26 के अंतर को न्यून करने की आवश्यकता है, यद्यपि गुणवत्ता बनाए रखने का उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों

में धारिता बनाए रखना है। विश्व बैंक के एक अनुमान से ज्ञात होता है कि 1991 में कक्षा 5 तक की विद्यालयीय शिक्षा पूरा करने के लिए 8.7 वर्ष अपेक्षित रहे हैं।

व्यवस्था की निम्न स्तरीय कार्यकुशलता

बच्चों द्वारा स्कूल के शालात्याग और उनकी अपेक्षित संप्राप्तियों की निम्न स्तरीय दरों के चलते मूल्यवान संसाधनों में भारी अपव्यय घटित होता है। लगभग दो तिहाई नामांकित बच्चे विद्यालयीय शिक्षा को पूरा करते हैं और मात्र उनमें से आधे बच्चे संपूर्ण पाठ्यक्रम पूरा करते हैं। इस अकुशलता के फलस्वरूप वार्षिक परिव्यय का बड़ा भाग व्यर्थ जाता है।.

अनाकर्षक लोकसमर्थित विद्यालयीय व्यवस्था

स्कूलों में अपर्याप्त आधारिक संरचना, शिक्षा का असंतोषप्रद गुणवत्ता स्तर, शिक्षा के निकृष्ट उपादान, विद्यालय से अनुपस्थित रहने की प्रवृत्ति और शिक्षकों में प्रेरणा का अभाव ये सभी सम्मिलित रूप से निम्न कोटि की शिक्षा व्यवस्था जनित करते हैं, जिससे विद्यालयों का आकर्षण समाप्त हो गया है। अधिकांश अभिभावक अपने पाल्यों को निजी विद्यालयों में पढ़ाने की वरीयता देते हैं। निर्धन बच्चे और वे जिनके लिए कोई अन्य विकल्प नहीं है, परिषद्रीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए विवश होते हैं। इस संवर्ग में बड़ी संख्या में बच्चे प्रथम पीढ़ी के पढ़ने वाले होते हैं, जो शिक्षा से मिलने वाले प्रतिलाभ के बारे में आश्वस्त नहीं हैं। इस प्रकार विद्यालयीय परिवेश का संगत एवं आकर्षक न होना बड़ी संख्या में बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए विवश करता है।

2.9 ठहराव

प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने में मुख्य अवरोधक अधिसंख्य बच्चों द्वारा शालात्याग की प्रवृत्ति रही है। इस संबंध में राष्ट्रीय स्तर पर संपन्न प्रतिदर्श सर्वेक्षण में बच्चों द्वारा शालात्याग के निम्नलिखित कारण इंगित किए गए हैं :

1. शिक्षा/अध्ययन में अभिरुचि का न होना — 28.4 प्रतिशत
2. घरेलू आर्थिक कार्यक्रमों में भाग लेना — 24.5 प्रतिशत
3. अन्य आर्थिक कारण — 21.00 प्रतिशत,
4. घरेलू कार्य — 11.6 प्रतिशत

2.10 शालात्याग

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम-II के तहत जिलों में प्राथमिक स्तर पर शालात्याग की स्थिति सारणी 2.09 में दर्शाई गई है।

सारणी 2.09 से यह संकेत प्राप्त होता है कि 1980-81 से 1993-94 तक बालक/बालिकाओं दोनों ही संवर्गों में असाधारण रूप में शालात्याग की प्रवृत्ति रही है। यहां विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि इस स्थिति के बावजूद बालकों की शालात्याग दर लगभग 64 प्रतिशत से 20 प्रतिशत जबकि बालिकाओं की शालात्याग दर उसी अवधि में लगभग 80 प्रतिशत से 20 प्रतिशत हो गई।

सारणी 2.09 : *प्राथमिक विद्यालय स्तर पर डी.पी.ई.पी.-II जनपदों में शालात्याग की दर*

वर्ष	*बालक (प्रतिशत)*	*बालिकाएं (प्रतिशत)*	*योग (प्रतिशत)*
1980-81	63.70	80.20	73.30
1990-91	30.67	42.42	34.82
1993-94	19.86	20.08	34.82

स्रोत : *जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी.पी.ई.पी.)-III* राज्य योजना, उत्तर प्रदेश, मार्च, 1999

2.11 एकल शिक्षक विद्यालय

उ.प्र. के प्राथमिक विद्यालयों में एकल-शिक्षक की स्थिति वाले स्कूल प्रायः देखे जा सकते हैं। राज्य भर में बहुत बड़ी संख्या में विद्यालयों की शिक्षण व्यवस्था एक अध्यापक पर निर्भर है। सारणी 2.10 चौदह जिलों का प्रतिदर्श प्रस्तुत करती है। इससे ज्ञात होता है कि इन जनपदों में अधिकांश विद्यालय एकल-शिक्षक कोटि वाले हैं।

सारणी 2.10 : *एकल-शिक्षक विद्यालय, उ.प्र. (प्रतिशत)*

जनपद	*1997-98*	*1998-99*	*1999-2000*
मुरादाबाद	10.4	12.6	14.9
बदायूं	12.3	14.5	21.1
बरेली	4.0	16.3	19.0
पीलीभीत	22.1	17.7	26.0
शाहजहांपुर	26.5	29.6	38.1
फिरोजाबाद	10.9	17.11	20.9
ललितपुर	23.0	34.5	23.7
खीरी	27.5	32.8	38.2
हरदोई	13.8	22.5	24.0
गोंडा	27.5	36.0	40.8
सिद्धार्थनगर	12.6	19.5	37.2
महाराजगंज	16.7	18.0	30.9
देवरिया	16.3	14.9	19.5
सोनभद्र	33.5	46.0	63.0

स्रोत : एक अनुमान, *पहुंच और धारित,* डी.पी.ई.पी.-II और नीपा (2000)।

सारणी 2.10 से यह स्पष्ट होता है कि 1999-2000 में सोनभद्र जिले में 63.0 प्रतिशत विद्यालय एकल-शिक्षक संवर्ग वाले विद्यालय थे। उसी प्रकार के आंकड़े अन्य जनपदों यथा—गोंडा जिले में 40.8 प्रतिशत तथा खीरी एवं शाहजहांपुर जिलों में 38 प्रतिशत से अधिक

एकल विद्यालयों के प्राप्य हैं। सारणी के अनुसार सर्वोत्तम जिला मुरादाबाद है, जहां सन् 1999-2000 में 15 प्रतिशत विद्यालय एकल शिक्षक वाले थे।

सामान्यतः चिंताजनक बात यह है कि सन् 1997-98 से लेकर 1999-2000 की अवधि में एकल-विद्यालयों के प्रचलन की प्रवृत्ति ने जोर पकड़ा है।

1998-99 में प्राथमिक विद्यालयों में 6-11 वर्ष वयवर्ग के बच्चों की संख्या 2.09 करोड़ थी, जिसके सापेक्ष 2.06 करोड़ बच्चे ही नामांकित किए जा सके। फलतः नामांकन अनुपात का योग 99.8 प्रतिशत हुआ। उच्च प्राथमिक स्तर पर 1998-99 से सकल नामांकन अनुपात 59.7 प्रतिशत पाया गया।

2.12 बहुकक्षा शिक्षण

प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह संवैधानिक प्रतिबद्धता है कि 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। बहुत से विद्यालय ऐसे हैं, जो एक या दो अध्यापकों से कक्षा 5 तक की शिक्षा दिलाते हैं। यह स्थिति तब और जटिल हो जाती है, यदि विद्यार्थियों का नामांकन बढ़ जाए। शिक्षकों के सेवापूर्व प्रशिक्षण के तहत ऐसी जटिल परिस्थितियों का सामना करने के उद्देश्य से प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में अपेक्षित सुधार लाने हेतु विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है।

बेसिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत बहुकक्षा शिक्षण की समस्या पर ध्यान देते हुए सेवारत शिक्षक-प्रशिक्षण के प्रथम चक्र में विशेष बल दिया गया है। इस समस्या पर जो एक चुनौती के रूप में अध्यापकों के समक्ष है, विभिन्न दृष्टियों से विचार किया गया, इनमें विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं : बहुकक्षा शिक्षण के लिए बैठक की विशिष्ट व्यवस्था, सहयोग, समकक्ष नेता की भूमिका, मानीटर समूह शिक्षण द्वारा अधिगम, विषय शिक्षण के लिए समय सारणी बनाना, अभ्यास क्रियाएं, एक दिन के लिए शिक्षण योजना तैयार करना, शिक्षण नीति निर्धारित करना आदि। शिक्षकों को प्रशिक्षण की अवधि में अपने प्रयोग के लिए उक्त समस्या पर परिचर्चा करने और विस्तृत योजना तैयार करने हेतु समुचित अवसर और निर्देश प्रस्तावित किए गए हैं।

डी.पी.ई.पी. II, III में बहुकक्षा शिक्षण समस्या पर ध्यान केंद्रित कर सेवारत प्रशिक्षण द्वितीय एवं तृतीय चक्र में विशेष रूप से विचार किया गया है। इनके तहत प्रभावी शिक्षक प्रशिक्षण पैकेज के जरिए अध्ययन सामग्री निर्माण, कक्षा-कक्ष की व्यवस्था, समूह शिक्षण द्वारा अधिगम, पाठ नियोजन, समय और संसाधनों की उपलब्धता, शिक्षण-अधिगम की युक्तियुक्त रणनीति आदि बिंदुओं पर कार्यशाला की पद्धति अपनाते हुए शिक्षकों को विशेष रूप से प्रबोधित किया गया है।

शिक्षकों के तृतीय प्रशिक्षण चक्र में उनसे यह अपेक्षा की गई कि विषय वस्तु और कक्षानुरूप सहायक सामग्री, पाठ योजनाएं एवं निर्देशिकाएं, तैयार कर उन्हें लागू करने के लिए कक्षा की वास्तविक स्थितियों में उनका उपयोग करने की दृष्टि से स्थानीय संदर्भों के अनुरूप प्रस्ताव विकसित करें।

2.13 विविध प्रोत्साहनपरक योजनाएं

यहां विशेष रूप से ध्यातव्य है कि सामाजिक रूप से पिछड़े तथा सुविधा वंचित समूहों के लिए विभिन्न प्रकार की प्रोत्साहन योजनाओं को लागू करने की रणनीति प्रभावी सिद्ध हुई है।

राज्य सरकार ने सुविधा वंचित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विशेष प्रावधान किया है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए जो विभिन्न प्रोत्साहन योजनाएं लागू हैं, उनमें से उल्लेखनीय हैं – छात्रवृत्ति देना, पुस्तकों के क्रयार्थ सहायता, शुल्क समायोजन, आश्रम पद्धति वाले विद्यालयों की स्थापना, छात्रावास, निःशुल्क अनुशिक्षण आदि। समाज कल्याण विभाग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं के लिए प्राथमिक स्तर से उच्च माध्यमिक स्तर तक सीधे उनकी संस्थाओं में छात्रवृत्ति की धनराशि भेज देता है। इस संदर्भ में दी जाने वाली छात्रवृत्ति की राशि प्राथमिक विद्यालय स्तर पर 25 रु, उच्च प्राथमिक स्तर पर 40 रु तथा माध्यमिक स्तर पर 60 रु प्रतिमाह की दर से दो किस्तों में अग्रिम सहायता के रूप में वितरित कर दी जाती है। अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं से कक्षा-8 तक शिक्षण शुल्क नहीं लिया जाता है। प्रवेश में अनुसूचित जाति को 21 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजाति को 2 प्रतिशत आरक्षण है।

ग्रामीण परिवेश से आने वाले छात्र/छात्राओं को सर्वोत्तम शैक्षिक सुअवसर प्रदान करने के लिए छात्रावास की सुविधा दी गई है। इस प्रकार की सुविधा की व्यवस्था पिछली दो पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि से प्रावधानित है, जिसे सारणी 2.11 से देखा जा सकता है।

सारणी 2.11 : ***छात्रावास की सुविधा में विकास***

योजना वर्ष	*छात्रावासों की संख्या*
7वीं योजना	27
8वीं योजना	43
9वीं योजना	102

स्रोत : नवीन पंचवर्षीय योजना, उ.प्र.।

2.13.1 निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण

शिक्षा सत्र 1999-2000 में सबके लिए शिक्षा योजनांतर्गत, उ.प्र. में अनुसूचित जाति के बालकों तथा सभी बालिकाओं को कक्षा 1-5 तक निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण की योजना चलाई गई। इस प्रकार की सुविधा प्राप्त कर रहे छात्र/छात्राओं की संख्या सारणी 2.12 से स्पष्ट होती है।

सारणी 2.12 के अवलोकन से यह विदित होगा कि इस योजना ने बच्चों और उनके अभिभावकों को विशेष रूप से आकर्षित किया है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि बच्चों के पास पाठ्यपुस्तकों की उपलब्धता उनके अधिगम-परिणामों पर सकारात्मक प्रभाव डालती है

जैसा कि राज्य स्तरीय बेसिक शिक्षा परियोजना से आच्छादित जनपदों के अंतिम सर्वेक्षणात्मक मूल्यांकन आख्या से भी परिपुष्ट होता है।

सारणी 2.12 : *निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण योजनांतर्गत लाभान्वित संवर्ग*

वर्ष	*अनुसूचित जाति के बालक*	*अनुसूचित जनजाति के बालक*	*बालिकाएं*	*योग*
1999-2000	928849	1952	1879565	2808866
2000-2001	2186280	5351	5485856	7677487

स्रोत : बेसिक शिक्षा निदेशालय, उ.प्र.।

2.13.2 मध्याह्न भोजन

प्राथमिक शिक्षा में राष्ट्रीय पुष्टाहार योजना जो सामान्यतया मध्याह्न भोजन या पोषाहार योजना के रूप में प्रचलित है, 1995 में आरम्भ की गई। इसके प्रथम चरण में उत्तर प्रदेश के उन 248 विकास खंडों को आच्छादित किया गया, जो वर्ष 1995 में सेवा समाश्वासन योजनांतर्गत पहले से ही सेवित थे।

दूसरा चरण 1996 में प्रारंभ हुआ और इस योजना को 643 अन्य विकास खंडों में लागू किया गया, जिन्हें न्यून महिला/बालिका साक्षरता के आधार पर चिह्नित किया गया था अर्थात् वे विकास खंड जिनमें महिला शिक्षा का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से कम (39.29 प्रतिशत) था, उन्हें इस चरण में लिया गया। इस प्रकार इस योजना के तहत 904 विकास खंडों में से कुल 891 विकास खंडों को आच्छादित किया गया।

उ.प्र. राज्य द्वारा पके हुए भोजन के बदले खाद्यान्न (चावल और गेहूं) की आपूर्ति करना अनुमन्य है। भारत सरकार के मानक के अनुसार प्राथमिक शिक्षा का एक विद्यार्थी प्रतिदिन 100 ग्राम की दर से खाद्यान्न प्राप्त करता है। इस योजना का मुख्य प्रयोजन नामांकन में वृद्धि, विद्यालयों में प्रवेश, ठहराव एवं उपस्थिति में ठहराव की दशाओं में सुधार करना तथा बच्चों की पोषण-आवश्यकताओं की संतुष्टि को संपूरित करना है। जिससे प्राथमिक शिक्षा में सार्वभौमीकरण को और गति मिल सके।

2.13.3 मूल्यांकन और प्रोत्साहन योजनाओं में मार्गावरोध

सर्वेक्षणात्मक मूल्यांकन से यह स्पष्ट है कि जहां प्राथमिक स्तर पर शिक्षा में कतिपय प्रोत्साहन योजनाएं कुछ श्रेयस्कर प्रभाव उत्पन्न करती रही हैं, वहीं अनेक योजनाएं वांछित परिणाम देने में असफल रही हैं। इसके पीछे कई कारणों में से प्रमुखतः उनकी प्रशासनिक क्रियान्वयन पद्धति रही है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम से आच्छादित जनपदों की प्रगति आख्या यह दर्शाती है कि कुछ योजनाएं अत्यधिक सफल, जबकि कुछ अच्छा परिणाम देने में पूर्णतया असफल रही हैं।

2.14 शिक्षा के सार्वजनीकरण की प्रगति (वर्ष 1986 से)

वर्ष 1986 से प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनीकरण करना विशेष रूप से उल्लेखनीय प्रयास माना जा सकता है क्योंकि इस अवधि में प्राथमिक विद्यालयों में लड़कियों, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजाति के बच्चों का नामांकन अभूतपूर्व रूप से संपन्न हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसे बच्चों को दृष्टिगत रखकर जो विद्यालय छोड़ चुके हैं, 1.5 कि.मी. की दूरी पर एक प्राथमिक विद्यालय तथा इसी प्रकार अनौपचारिक शिक्षा की सुविधाएं भी प्रदान कीं। विगत 15 वर्षों में प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन वृद्धि असाधारण रही। उसी तरह शिक्षकों की संख्या में भी भारी वृद्धि हुई है। फिर भी उत्तर प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि की तीव्रता से विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या, अध्यापकों की संख्या की अपेक्षा तेजी से बढ़ी है, तथापि राज्य में तेजी से हुई जनसंख्या वृद्धि के चलते प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों की संख्या, राज्य द्वारा सृजित सुविधाओं एवं शिक्षकों की संख्या के सापेक्ष और द्रुत रूप में बढ़ी है। जैसाकि पहले इंगित किया जा चुका है, बालिकाओं की संख्या में हुई बढ़त यहां विशेष रूप से उल्लेखनीय है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का समारंभ होने के बाद शिक्षा के सार्वजनीकरण की प्रगति, नामांकन वृद्धि, धारिता, विद्यालय से विरत हो जाने वाले बच्चों की संख्या में ह्रास तथा शैक्षिक संप्राप्ति स्तर से जुड़े कार्यक्रमों के प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश की गई।

प्राथमिक शिक्षा पर व्यय के लिए उच्च प्राथमिकता प्रदान की गई और पहली बार लिंग पर आधारित भेद-भाव को समाप्त कर अब तक लोग जहां पहुंच नहीं पाए थे, वहां तक कार्यक्रम को पहुंचाना और 15 से 35 वयवर्ग के लोगों में पाई जाने वाली निरक्षरता को दूर करने का प्रयास किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण का नया आयाम जोड़ते जुए 14 वर्ष के सभी बच्चों का नामांकन और उनकी विद्यालय में धारिता को बनाए रखने के उद्देश्य से नियमित विद्यालय के समतुल्य स्तर के अनौपचारिक शिक्षा केंद्रों की स्थापना एवं शिक्षा की गुणवत्ता में भारी सुधार लाने का मार्ग प्रशस्त किया, जिससे उच्च स्तरीय अधिगम सुनिश्चित किया जा सका है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति की मान्यता के अनुरूप कार्यक्रमों को पूरा करने हेतु 1992 में राज्यों से विचार-विमर्शोपरांत एक कार्ययोजना स्वीकार की गई। लड़कियों और अनुसूचित जातियों एवं अल्पसंख्यक संवर्ग के बच्चों के लिए उपयुक्त प्रावधान के साथ शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को पुनः रेखांकित किया गया। शैक्षिक नियोजन और प्रबंधन के विकेंद्रीकरण पर बल दिया गया और न्यूनतम अधिगम स्तर पर आधारित पाठ्यक्रमों के निर्माण-प्रक्रिया को संपुष्ट किया गया। प्राथमिक शिक्षा की विभिन्न नीतियों में घटित यह परिवर्तन योजनागत वर्ष में होने वाले व्यय की मात्रात्मक वृद्धि से परिलक्षित होता है, जो सातवीं पंचवर्षीय योजना के तहत 37 प्रतिशत से आठवीं योजना के तहत बढ़कर 47 प्रतिशत हो गई।

2.14.1 शैक्षणिक उपलब्धियां

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, उ.प्र., लखनऊ द्‌वारा (राज्य के उन 12 जिलों में जहां प्राथमिक शिक्षा योजना लागू थी) किए गए मूल्यांकनपरक सर्वेक्षणों से यह पता चलता है कि कक्षा-2 और 5 के बच्चों के निष्पादन परिणाम समुन्नत हुए हैं। कक्षा-5 के छात्रों की भाषा और गणित संबंधी उपलब्धियों का एक उदाहरण सारणी 2.13 में दिए गए आंकड़ों से प्राप्त होता है। इसे चित्र 2.1 में भी प्रदर्शित किया गया है।

सारणी 2.13 : *संप्राप्तियां (बास, मास, फास), कक्षा 5*

सर्वेक्षण	*भाषा*		*गणित*	
	माध्य	*प्रामाणिक विचलन*	*माध्य*	*प्रामाणिक विचलन*
प्रथम	43.94	14.23	34.50	13.16
मध्य	44.48	10.88	34.78	12.03
अंतिम	87.98	07.54	87.65	08.73

स्रोत : छात्र उपलब्धियां—*अंतिम मूल्यांकन सर्वेक्षण,* उ.प्र. बी.ई.पी. जनपद, 2000

***चित्र 2.1** : आधारभूत, मध्यावधि एवं अंतिम मूल्यांकन सर्वेक्षण की संप्राप्ति (कक्षा 5)*

मूल्यांकनपरक सर्वेक्षण तीन अंतरालों पर निष्पन्न हुए हैं। इन्हें आधारभूत सर्वेक्षण, मध्यावधि सर्वेक्षण तथा अंतिम सर्वेक्षण की संज्ञा दी गई है। सारणी 2.13 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि विद्यार्थियों की भाषा और गणित की संप्राप्तियों के औसत मान बढ़े हैं, किंतु यह वृद्धि अल्प परिणाम में है। ऐसा इसलिए हुआ कि आधारभूत सर्वेक्षण के तत्काल बाद मध्यावधि सर्वेक्षण करा लिया गया, तथापि मध्यावधि मूल्यांकनपरक सर्वेक्षण और अंतिम मूल्यांकन सर्वेक्षण के बीच विद्यार्थियों की उपलब्धियों में असाधारण प्रगति परिलक्षित हुई। भाषा की उपलब्धियों का औसत 44.48 से 87.98 हो गया और गणित में यह उछाल 34.78 से 87.65 हुआ। यह भी असाधारण बात है कि मानक विचलन के मान में भी दोनों विषयों में ह्रास दिखाई दिया, जिससे ज्ञात होता है कि दोनों ही कक्षाओं में औसत उपलब्धियों में वृद्धि के साथ विचलनशीलता घटी है जो एक अच्छा संकेत है।

ठीक ऐसी ही स्थिति कक्षा 2 के छात्रों की भाषा एवं गणित में उपलब्धियों के संबंध में पाई गई।

2.15 केंद्रपुरोनिधानित योजनाओं का क्रियान्वयन

2.15.1 ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड

भारत सरकार ने 1987-88, 1988-89 और 1989-90 में लगातार तीन वर्षों तक शिक्षण अधिगम सामग्रियों की आपूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश ऑपरेशन ब्लैक-बोर्ड योजनांतर्गत अनुदान स्वीकृत किया। इस योजना के अंतर्गत आच्छादित विद्यालयों की संख्या सारणी 2.14 में दी गई है।

सारणी 2.14 : ***शिक्षण - अधिगम सामग्री से आच्छादित विद्यालयों की संख्या***

वर्ष	*विकास खंड*	*प्राथमिक विद्यालय*	*स्वीकृत धनराशि (हजार में)*
1987-88	277	18924	151587
1988-89	372	26633	186657
1989-90	246	19831	157378
योग	895	65388	495622

स्रोत : शिक्षा निदेशालय, बेसिक शिक्षा।

इस योजना में विद्यालयों को शिक्षण-अधिगम सामग्रियों के अंतर्गत लगभग 37 वस्तुएं दी गईं। राज्य में वर्ष 1986-87 के मध्य 7,224 एकल शिक्षक प्राथमिक विद्यालयों में इस योजना के तहत भारत सरकार द्वारा दूसरे अध्यापक के पद सृजन हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की गई। इस प्रकार सात हजार दो सौ चौबीस (7,224) अध्यापक वर्ष 1989-90 में नियुक्त किए जा सके। योजना का दूसरा भाग विद्यालय भवन के निर्माण से संबंधित था।

वर्ष 1993-94 में प्राथमिक शिक्षकों के लिए एक नई पहल के रूप में विशिष्ट (एस.ओ.पी.टी.) कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों को श्यामपट्ट

प्रयोग और न्यूनतम अधिगम स्तर के साथ भाषा, गणित तथा पर्यावरणीय अध्ययन का प्रशिक्षण दिया गया।

2.15.2 शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों हेतु क्षेत्रीय स्तर पर चलाए जा रहे सघन कार्यक्रम

उत्तर प्रदेश में वर्ष 1994-95 से केंद्र पुरोनिधानित योजनांतर्गत शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों हेतु एक क्षेत्रीय सघन कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इस योजना का मूलभूत उद्देश्य रहा है—शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों को, जिन्हें उचित रूप से प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षा की आधारभूत सुविधाएं प्राप्त नहीं हो सकी हैं, प्राथमिक शिक्षा की सुविधाओं को मुहैया करना। इसी क्रम में 172 प्राथमिक विद्यालय और 243 उच्च प्राथमिक विद्यालय अल्पसंख्यक बहुल 18 जनपदों और विकास खंडों में खोले गए हैं। इन्हें विद्यालय भवन और काष्ठोपकरण से सज्जित करने के लिए आर्थिक सहायता भी प्रावधानित है।

2.15.3 रुचिपूर्ण शिक्षा

यूनिसेफ की सहायता से उत्तर प्रदेश में उच्च प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु भौगोलिक और सांस्कृतिक विभिन्नताओं के परिप्रेक्ष्य में रुचिपूर्ण शिक्षा आरंभ की गई है। इसका प्रमुख ध्येय—क्रिया आधारित आनन्ददाई अधिगम प्रोत्साहित करने की दृष्टि से उत्तरोत्तर वृद्धिशील उपागम का अनुप्रयोग, शिक्षकों को अपनी संभावित क्षमताओं के संवर्धन हेतु सशक्तीकरण की ओर ले जाना, कक्षा-शिक्षण को उत्प्रेरक बनाकर अधिगम परिवेश समुन्नत करना, स्थानीय रूप में विकसित शिक्षण अधिगम सामग्रियों का उपयोग एवं विद्यालयों के नियोजन तथा प्रबंधन में समुदाय का प्रतिभाग बढ़ाना है। रुचिपूर्ण व्यवस्था राज्य के बारह जिलों और चौबीस विकास खंडों को आच्छादित करती है। रुचिपूर्ण शिक्षा का एक प्रकोष्ठ बेसिक शिक्षा निदेशालय में भी स्थापित किया गया है, जो परियोजना के सभी पहलुओं के क्रियान्वयन के लिए राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् तथा जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, स्थानीय शिक्षा अधिकारियों और अन्य संबंधित विभागों के प्रति उत्तरदाई है।

इसके प्रमुख प्रबंधाधिकारी शिक्षा विभाग, उ.प्र. सरकार, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ, समुदाय और यूनिसेफ हैं। रुचिपूर्ण शिक्षा की संलग्नता को अन्य विकासशील विभागों एवं अशासकीय संगठनों से स्थापित करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। शिक्षकों और प्रशिक्षकों के द्वारा निर्मित हस्तपुस्तिका शिक्षकों को प्रोत्साहन हेतु तैयार की गई है। इसी प्रकार सहभागिता आधारित विद्यालय-मानचित्रण, सूक्ष्म नियोजन एवं क्रियाओं का समुदाय-आधारित अनुश्रवण प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्राथमिक शिक्षा में उ.प्र. प्राथमिक शिक्षक संघ ने आश्वासन दिया है कि शिक्षकों द्वारा रुचिपूर्ण शिक्षा की युक्तियों के प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने में यह संगठन पूरी तरह सहयोग करेगा।

इस रणनीति द्वारा छात्रों के नामांकन में वृद्धि, बच्चों की विद्यालयों में धारिता, विद्यार्थियों की संप्राप्ति, शिक्षण-अधिगम की प्रक्रिया में प्रगति, नियमित उपस्थिति को प्रभावित

करना, बच्चों की संचार दक्षताओं को विकसित करना और शिक्षक की अभिप्रेरणा में परिवर्तन सुझाए गए हैं। इस प्रकार प्रतिभागिता पर आधारित नियोजन की युक्ति ने सेवित समुदाय के सक्रिय प्रतिभाग को बढ़ावा दिया है, जिससे विद्यालयों की सुविधाओं एवं विद्यालयीय प्रबंधन में अपेक्षित समर्थन प्राप्त हुआ है।

2.15.4 बालिका शिक्षा परियोजना

इस परियोजना के तहत वैकल्पिक विद्यालयीय शिक्षा व्यवस्था के केंद्रों को स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के 6-14 वर्ष वयवर्ग के ऐसे बच्चों को पंजीकृत करना है जो सामाजिक रूप से अपवंचित श्रेणी के हैं और जिन्हें विद्यालयों में नामांकित नहीं किया गया है या जिन्होंने किसी सामाजिक या आर्थिक कारण से विद्यालय छोड़ दिया है। यह परियोजना विशेष रूप से ऐसे बच्चों को आच्छादित करती है, जिनमें बालिकाएं आती हैं और समाज के अपवंचित संवर्ग के होने के नाते जिन्हें विद्यालयों में कभी नामांकित नहीं किया गया। इस प्रकार इन वैकल्पिक शिक्षा केंद्रों में 2 या 3 वर्षों तक बच्चे अध्ययन करते हैं और बेसिक शिक्षा निदेशालय द्वारा संचालित कक्षा 5 की परीक्षा में बैठते हैं। वैकल्पिक शिक्षा केंद्रों का यह भी उद्देश्य है कि ये ग्राम शिक्षा समितियों को सुदृढ़ करें और उनकी प्रतिभागिता से विद्यालयीय प्रबंधन के विकेंद्रीकरण में सहयोग दें। इनकी सहलग्नता दूसरे विकास कार्यक्रमों से भी है, जिससे समुदाय का समर्थ विकास सुनिश्चित हो सके। इस प्रकार की यह पहल एक पंजीकृत संस्था द्वारा जिला कार्य बल (टास्क फोर्स) के संरक्षण में क्रियान्वित होती है। सम्प्रति बाराबंकी जिले के दो विकास खंडों के 16 गांवों में 100 वैकल्पिक शिक्षा केंद्र बंकी और देवा विकास खंडों में चलाए जा रहे हैं, जिनसे 3,350 बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। इन केंद्रों में 3,350 बच्चों में से 2,933 बच्चे इन केंद्रों में आने के पूर्व पूर्णतया निरक्षर थे। इनमें से कुल 2 892 बच्चे परीक्षाओं में सम्मिलित हुए और 1,698 बच्चे कक्षा 6 में प्रविष्ट हुए। इस प्रकार बच्चो की मफलता दर कक्षा 5 तक की परीक्षा में बैठने से लगभग 93 प्रतिशत हुई। बालिका शिक्षा परियोजना राज्य के वर्तमान शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत चलाई जा रही है। इसके अतर्गत स्थानीय शिक्षा विभाग के अधिकारियों तथा अन्य सरकारी विभागों और विकास अभिकरणों से सहयोग हेतु एक सुव्यवस्थित संगठन उपलब्ध है।

2.15.5 बालिका शिक्षा उन्नयन कार्यक्रम

रायबरेली जनपद के महराजगंज विकास खंड में 1996 में बालिका शिक्षा के उन्नयन के लिए यह कार्यक्रम चलाया गया। इस पर 1997 में कार्य प्रारंभ किया गया। हरचंदपुर विकास खंड के अध्यापकों के दल ने बालिका शिक्षा के उन्नयन में सक्रिय सहयोग प्रदान किया, क्योंकि ये लोग इस प्रकार के क्रियाकलापों में अनुभव रखते थे।

जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान के अनुभागों तथा इस क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों को लिंग-भेद एवं बालिका शिक्षा को अवबाधित करने वाले कारकों के बारे में संवदेनशील बनाया गया है। साथ ही बालिका शिक्षा से संबंधित समस्याओं को सहभागिता के आधार पर चिह्नित किया

गया है और चुने गए विकास खंडों में शिक्षकों के लिए एक हस्तपुस्तिका भी विकसित की गई है तथा उसे शिक्षकों को उपलब्ध कराया गया है।

2.15.6 उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना

सभी के लिए शिक्षा राज्य द्‌वारा किए जाने वाले प्रयासों के परिपूरक के रूप में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना आई.डी.ए. की सहायता से 1993 में पांच वर्षों के लिए प्रवर्तित की गई है। इसके तहत 22 जनपद आच्छादित हैं। गुणवत्ता में वृद्‌धि तथा विविध स्तरों पर क्षमता संवद्‌र्धन इस परियोजना का मुख्य उद्‌देश्य है। यह परियोजना जिला आधारित कार्यक्रम के रूप में विकसित की गई है, जिसमें राज्य से तकनीकी समर्थन एवं निर्देशन के साथ पूरी क्रियान्वित प्रक्रिया का सुनिश्चित करना अपेक्षित है। अब तक राज्य के सत्रह जिलों मैं यह परियोजना लागू की गई है। यहां उल्लेखनीय है कि राज्य के समग्र नामांकन के लक्ष्य और बच्चों द्‌वारा प्राथमिक शिक्षा की अवधि को पूरा करने के प्रयासों को आगे बढ़ाना इस परियोजना का मुख्य उद्‌देश्य है।

पूरी परियोजना के विशिष्ट उद्‌देश्य इस रूप में निरूपित किए गए हैं — (अ) संस्थागत क्षमता का निर्माण, (ब) गुणवत्ता और प्राथमिक शिक्षा अवधि को पूर्ण करने में सहायता देना, तथा (स) विद्‌यालयों तक पहुंच का प्रसार।

2.15.7 जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम

प्राथमिक शिक्षा की सार्वजनिकता सुनिश्चित करने की दृष्टि से राज्य सरकार द्‌वारा अनुपूरक के रूप में सन् 1997 के सितम्बर माह में पांच वर्षों (1997-2000) के लिए 22 जिलों को आच्छादित करते हुए जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम संचालित हुआ। इस कार्यक्रम के अंतर्गत गुणवत्ता के पहलू यथा—विद्‌यालयीय प्रभावकारिता, शिक्षक-प्रशिक्षण और अभिप्रेरण तथा पाठशाला प्रबंधन के मुख्य भाग हैं। इसमें वैकल्पिक विद्‌यालयीय व्यवस्था को अपेक्षित महत्त्व देते हुए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया गया है। समूह शक्ति के विकास हेतु सेवाओं को सम्मिलित रूप देने पर बल दिया गया है। योजना के सभी क्षेत्रों में महिलाओं की भूमिका को भी रेखांकित किया गया है। प्रत्येक स्तर पर लड़कियों की स्कूलों में पहुंच और उनकी धारिता तथा संप्राप्ति स्तर को विशेष रूप से बढ़ाने पर आग्रह है। विशेषतः इस कार्यक्रम का उद्‌देश्य परियोजना जनपदों में प्रोत्साहनपरक एवं मूल्य आधारित कार्यक्रमों को विकसित तथा लागू करना है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का उद्‌देश्य है :

1. लिंग और सामाजिक समूहों में नामांकन, शालात्याग और शिक्षण अधिगम संप्राप्ति के स्तर पर दृष्टिगत अंतरों को कम से कम अर्थात् 5 प्रतिशत तक लाना।
2. प्राथमिक विद्‌यालयों में समग्र शालात्याग की दर को घटाकर 10 प्रतिशत तक करना। औसत संप्राप्ति स्तर को पढ़ने-लिखने एवं गिनने संबंधी कुशलताओं की दृष्टि से 25 प्रतिशत तक अभिवृद्‌ध करना तथा कुशलताओं में औपचारिक तथा वैकल्पिक विद्‌यालयीय व्यवस्था के माध्यम से अभिगम्यता (पहुंच) को विकसित करना।

जनपदीय प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के मुख्य घटक इस प्रकार हैं :

1. संस्थागत क्षमता विकसित करना तथा तत्संबंधी प्रयासों को सुदृढ़ करना।
2. विद्यालयों से शालात्याग को कम करना, गुणवत्ता लाना तथा प्राथमिक शिक्षा को सबके लिए सुलभ करना।
3. दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रम को गतिशील करना।

परियोजना उपागम

- ❑ समग्र : प्राथमिक शिक्षा को सार्वजनिक बनाने के लिए समग्र नियोजन और प्रबंधन की पद्धति का अनुप्रयोग।
- ❑ सांदर्भिकता : स्थानीय आवश्यकता आधारित नियोजन।
- ❑ सहभागिता : नियोजन प्रक्रिया में समुदाय का निजत्व सुनिश्चित करने की दृष्टि से स्थानीय संस्थाओं, शिक्षकों एवं गैर सरकारी संगठनों का सक्रिय प्रतिभाग बढ़ाना।

2.16 स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका

राज्य में अशासकीय प्रबंधन के अंतर्गत अनुदानित मान्यता प्राप्त और वित्त-विहीन मान्यता प्राप्त विद्यालय आते हैं। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि इस प्रकार के प्रबंधन विद्यालयीय शिक्षा में राज्य में विशेष रूप से उच्च प्राथमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर प्रमुख भूमिका निभाते हैं। वे उच्च प्राथमिक स्तर पर लगभग 50 प्रतिशत, माध्यमिक स्तर पर 80 प्रतिशत और उच्च माध्यमिक स्तर पर 83 प्रतिशत विद्यालयों का प्रबंध करते हैं। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अधिकांशतः कक्षा 6 से 12 तक चलते हैं। निजी प्रबंधन की 85 प्रतिशत संस्थाएं राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त हैं।

इसके अतिरिक्त कुछ स्वयंसेवी संगठन, कुछ न्यास और समाज से जुड़ी शैक्षिक संस्थाएं राज्य में विविध स्तरों पर विद्यमान हैं। ये हैं — काली प्रसाद ट्रस्ट इलाहाबाद, राधास्वामी ट्रस्ट आगरा, महानन्द मिशन गाजियाबाद, महाबोधि सोसाइटी सारनाथ — वाराणसी, शांति शिक्षा निलयम वाराणसी, जैन ट्रस्ट वाराणसी, लखनऊ डिओसिजन ट्रस्ट एसोसिएशन, बीरा एजूकेशन ट्रस्ट नैनीताल, मोदी एजूकेशन ट्रस्ट मेरठ, जयपुरिया एजूकेशन ट्रस्ट कानपुर, गुरुनानक ट्रस्ट देहरादून, इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लेस्ड वर्जिन मैरी इलाहाबाद, आइरिया क्रिश्चियन ब्रदर्स नैनीताल और बिशप कैथोलिक चर्च ऑफ लखनऊ।

राज्य सरकार इन शैक्षिक संस्थाओं को मान्यताप्राप्त संस्थाओं के अधिनियमों के तहत संयमित एवं पर्यवेक्षित करती है।

2.17 सामुदायिक प्रतिभाग की भूमिका

ग्रामीण शिक्षा समितियों की सहभागिता के माध्यम से सामुदायिक प्रतिभाग को बढ़ाना शिक्षकों एवं विद्यालयों के कार्यों को समुचित ढंग से सुनिश्चित करने की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी पाया गया है। 1980 के अंत से ग्रामीण शिक्षा समितियों ने राज्य में समुदाय एवं विद्यालय के परस्पर सहयोग से निर्माण कार्यक्रमों में सक्रिय भूमिका निभाई है। इस प्रकार ग्राम्य शिक्षा समितियों के हाथों में संसाधनों और उत्तरदायित्वों को सौंपने से इस कार्यक्रम का सकारात्मक प्रभाव दिखाई दिया। तथापि आधारभूत अध्ययन (जिसे वाराणसी, सीतापुर, नैनीताल तीन जिलों में 1992-93 में किया गया) के माध्यम से यह पाया गया कि ग्राम शिक्षा समितियों के बारे में समुदाय की जागरूकता का स्तर अत्यंत निम्न था तथा ग्राम शिक्षा समितियों की बैठकें नियमित रूप से नहीं हो पातीं।

सामुदायिक विद्यालय निर्माण कार्यक्रम के सकारात्मक प्रभाव से उत्साहित होकर राज्य सरकार ने ग्राम शिक्षा समितियों का पुनर्गठन अधोलिखित रूप से किया है : (अ) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा महिला सदस्यों का प्रतिनिधित्व देकर, (ब) छात्रवृत्तियों के वितरण की जिम्मेवारी देकर, (स) विद्यालय निर्माण कार्यक्रम का उत्तरदायित्व सौंपकर।

पूर्वोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि उ.प्र. राज्य में सभी के लिए शिक्षा संबंधी कृत प्रयास पर्याप्त संतोषप्रद रहे हैं, तथापि प्रारंभिक बाल देख-रेख एवं शिक्षा के संदर्भ में समुदाय एवं प्राथमिक विद्यालय स्तर पर विशेष प्रकार के कार्यक्रमों को गतिशील बनाने की महती आवश्यकता है, जिससे शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य की संप्राप्ति सुगम एवं सुकर बन सके।

अध्याय 3

वैकल्पिक शिक्षा एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा

प्रस्तुत अध्याय में वैकल्पिक शिक्षा एवं विशिष्ट बालकों की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखकर प्रावधानित शिक्षा-व्यवस्था के बारे में गहनता के साथ जानकारी दी गई है। निरक्षरता-उन्मूलन की दिशा में कृत प्रयासों को राज्य स्तर पर लागू उपायों के संदर्भ में उजागर किया गया है। इसमें बाल-श्रम की स्थिति को विशेष रूप से दर्शाते हुए इस संबंध में संपन्न सर्वेक्षणात्मक अध्ययन के परिणामों को भी विवेचित किया गया है।

विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत इस बात के लिए प्रयासरत है कि यहां के प्रत्येक प्रौढ़ नागरिक को जो विशेषरूप से 15 से 35 वर्ष आयुवर्ग में हैं, शिक्षा प्राप्त हो। देश की संपन्नता एवं उसका विकास बहुत हद तक शिक्षित जनसामान्य पर निर्भर करता है। इस दृष्टि से विगत दशकों में अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला, ग्रामीण, निर्धन तथा अकुशल श्रमिकों के लक्ष्य समूहों के लिए प्रौढ़ एवं सतत शिक्षा कार्यक्रमों पर विशेष बल दिया गया है।

यह सामान्य रूप से माना जाता रहा है कि प्राथमिक शिक्षा के अवसरों में कमी होने से निरक्षरता बढ़ती है। इस संबंध में यह भी ध्यातव्य है कि सतत् शिक्षा के अवसरों के अभाव में प्राथमिक शिक्षा के प्रभाव विनष्ट हो जाते हैं। विद्यालयीय शिक्षा की अवधि पूरा किए बगैर स्कूल छोड़ देने वाले तथा विद्यालयों में अनुत्तीर्ण होने वाले बच्चों की संख्या इस स्थिति को और अधिक विषम बना देती है। इस परिदृश्य में उत्तर प्रदेश राज्य के संदर्भ में 21वीं सदी के इस प्रारंभिक चरण में भी सभी के लिए शत-प्रतिशत साक्षरता तथा जीवन-पर्यन्त शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति अभी भी सुदूर है।

प्रस्तुत अध्याय के अंतर्गत सभी के लिए शिक्षा के लक्ष्य को सुनिश्चित करने हेतु राज्य स्तर पर किए गए उन सभी प्रयासों का विवरण उपलब्ध है जो साक्षरता, वैकल्पिक शिक्षा तथा विशिष्ट बच्चों की आवश्यकताओं पर आधारित शिक्षा से संबंधित हैं। इस बारे में गुणवत्ता सुधार से जुड़े

मुद्दों के विश्लेषण की भी कोशिश की गई है तथा राज्य के शैक्षिक विकास से संबंधित गौण स्रोतों द्वारा प्राप्य साक्ष्यों के आधार पर चर्चाएं भी की गई हैं।

3.1 निरक्षरता उन्मूलन

3.1.1 वर्तमान स्थिति

आज किसी भी लोकतंत्र के लिए निरक्षरता उन्मूलन एक अहम् मुद्दा है। निरक्षरता उन्मूलन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य, जिसकी गणना देश के पिछड़े राज्यों में की जाती है, विशेष ध्यान की अपेक्षा रखता है। विगत 50 वर्षों के साक्षरता संबंधी आंकड़ों पर विहंगम दृष्टि डालने से यह पता चलता है कि राज्य में साक्षरों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। विशेष रूप से सन् 1981-2001 की अवधि में राज्य के भीतर साक्षरता वृद्धि की दर तेजी से बढ़ी है। यह दर 33.35 प्रतिशत से बढ़कर 56.00 प्रतिशत हो गई है। विगत दो दशकों में महिला संवर्ग की साक्षरता में सार्थक उपलब्धियां दृष्टिगत हुई हैं। महिलाओं की साक्षरता 17.19 प्रतिशत से बढ़कर 42.98 प्रतिशत हो गई है। पिछले दशक में अखिल भारतीय स्तर के सापेक्ष उत्तर प्रदेश में साक्षरता का विस्तार द्रुत रहा है। दूसरे शब्दों में, सन् 1991-2001 की अवधि में अखिल भारतीय स्तर पर साक्षरता वृद्धि 13.76 प्रतिशत पाई गई है।

इससे यह स्पष्ट होता है कि विगत दशक में राज्य स्तर पर कई युक्तियों के माध्यम से निरक्षरता उन्मूलन की दिशा में अथक प्रयास हुए हैं। तथापि सन् 2001 की जनगणना (अनन्तिम सांख्यिकी) के आधार पर यह प्रकाश में आया है कि साक्षरता की स्थिति के संदर्भ में उत्तर प्रदेश राज्य अखिल भारतीय स्तर के सापेक्ष पीछे है (चित्र 3.1)। साक्षरता की दृष्टि से 35 राज्यों तथा केंद्रशासित राज्यों के सापेक्ष उत्तर प्रदेश की अनुपस्थिति तेरहवीं बनती है। सन् 2015 ई. तक इस राज्य के अपूर्ण कार्यों में पुरुष साक्षरता में 30 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता में 57 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त करना शेष है।

सारणी 3.01 : *साक्षरता दर (प्रतिशत में)*

राज्य/	*1981*			*1991*			*2001*		
भारत	*पुरुष*	*महिला*	*योग*	*पुरुष*	*महिला*	*योग*	*पुरुष*	*महिला*	*योग*
उ.प्र.	47.45	17.19	33.35	55.73	25.31	41.60	70.23	42.98	57.36
भारत	56.50	29.85	43.67	64.13	39.29	52.21	75.85	54.16	65.38

स्रोत : *भारत सरकार की जनगणना,* 1991 तथा *टाइम्स ऑफ इंडिया,* 7 अप्रैल 2001

3.1.2 कुछ गंभीर प्रकरण

जनांककीय चरों यथा-भौगोलिक स्थिति, लिंग, जाति व समाज के अन्य संवर्गों के संदर्भ में साक्षरता दर की वृद्धि में असमानताएं मौजूद हैं। सन् 1991 की जनगणना में दृष्टिगत साक्षरता के आंकड़ों के वितरण से इस प्रकार की विषमताएं स्पष्टतः दिखाई पड़ती हैं। जनपद स्तर पर साक्षरता के

आंकड़े यह प्रदर्शित करते हैं कि 30 ऐसे जनपद हैं, जिनमें साक्षरता प्रतिशत औसत से कम है। ये जनपद हैं : बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, ऐटा, बदायूं, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, बहराइच, गोंडा, बाराबंकी, फैजाबाद, सुल्तानपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, बस्ती, देवरिया, आजमगढ़, मिर्जापुर तथा सोनभद्र।

चित्र 3.1 : उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर–राष्ट्रीय साक्षरता दर के सापेक्ष (2001)

महिला साक्षरता के संदर्भ में उक्त जनगणना के समय यह पाया गया कि उ.प्र. राज्य में 77 ऐसे जनपद थे, जिनमें देश की औसत साक्षरता दर (39.3 प्रतिशत) से भी न्यून महिला

साक्षरता विद्‌यमान थी। राज्य के भीतर 26 ऐसे जनपद थे, जिनमें राज्य के औसत अर्थात् 55.7 प्रतिशत से भी कम पुरुष साक्षरता उपलब्ध थी। इसके सापेक्ष महिला साक्षरता की दृष्टि से 35 ऐसे जनपद थे जहां साक्षरता प्रतिशत राज्य के औसत साक्षरता प्रतिशत अर्थात् 25.3 प्रतिशत से भी न्यून था। महाराजगंज जनपद में सबसे कम साक्षरता 10.3 प्रतिशत थी। इससे भी अधिक चौंकाने वाली स्थिति यह थी कि राज्य में 135 ऐसे विकास खंड थे, जिनमें साक्षरता 10 प्रतिशत से भी कम थी। पूरी स्थिति को दृष्टिगत रखकर साक्षरता के उच्च संकेंद्रण पर ध्यान देते हुए राज्य द्‌वारा 15 जनपदों को 'अत्यधिक पिछड़े' की सूची में घोषित किया गया। ये जनपद थे : बदायूं, बहराइच, बरेली, बस्ती, देवरिया, गोंडा, हरदोई, लखीमपुर खीरी, महाराजगंज, मुरादाबाद, पीलीभीत, शाहजहांपुर, सिद्‌धार्थनगर तथा सोनभद्र। इनमें से दो जनपदों—महाराजगंज तथा बहराइच को सबसे अधिक निरक्षरता संकेंद्रण के चलते 'सर्वाधिक पिछड़े' की श्रेणी में रखा गया।

राज्य में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के संदर्भ में यह पाया गया कि 28 जनपद ऐसे थे, जिनमें अनुसूचित संवर्ग के साक्षर व्यक्ति 2.20 प्रतिशत (बहराइच जनपद) से 9.37 प्रतिशत (जौनपुर जनपद) के बीच पाए गए। अनुसूचित जनजाति में साक्षरता की स्थिति उतनी ही असंतोषजनक थी। यह स्थिति 16 जनपदों में न्यूनतम 1.33 प्रतिशत (बहराइच) से अधिकतम 8.86 प्रतिशत (शाहजहांपुर) के मध्य पाई गई। इस प्रकार 1991 की जनगणना से उपलब्ध आंकड़े महिलाओं, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की आबादी में पूरे प्रदेश स्तर पर अधिक पिछड़ेपन को दर्शाते हैं।

3.1.3 साक्षरता के प्रमुख कार्यक्रम

राज्य में 15 से 35 वर्ष आयुवर्ग के प्रौढ़ों की साक्षरता बढ़ाने की दृष्टि से **'राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम'** का समारंभ किया गया। सारणी 3.02 से यह विदित होता है कि 1980 से 1997 के मध्य लगभग 2.16 लाख प्रौढ़ों को प्रौढ़ शिक्षा के विभिन्न कार्यक्रमों के तहत क्रियाशील रूप में साक्षर बनाया गया। इन कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं की साक्षरता (58.61 प्रतिशत) तथा अनुसूचित जाति की साक्षरता (31.70 प्रतिशत) में आच्छादन को बढ़ाकर एक प्रशंसनीय सफलता प्राप्त की गई। यहां उल्लेखनीय है कि 1991-92 तक साक्षरता अभियान के तहत प्रौढ़ शिक्षा केंद्र आधारित उपागम को ही अपनाया गया था। केरल राज्य के अर्नाकुलम जनपद से प्रेरणा लेकर **'राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण'** ने राज्य में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का समारंभ किया। इसके फलस्वरूप राज्य सरकार द्‌वारा प्रौढ़ शिक्षा केंद्र आधारित कार्यक्रमों को बन्द कर स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से क्रियाशील साक्षरता तथा साक्षरता अभियानों को चलाया जा रहा है।

सारणी 3.02 : उत्तर प्रदेश राज्य में प्रौढ़ शिक्षा की वर्षवार प्रगति

(लाख में)

वर्ष	केंद्रों की संख्या	पुरुष	महिला	योग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1980-81	11888	2.16	1.06	3.22	0.83	0.08
1981-82	12777	2.28	1.34	3.62	1.19	0.06
1982-83	12782	2.29	1.44	3.73	1.26	0.06
1983-84	19302	3.52	2.23	5.75	2.00	0.07
1984-85	23336	2.79	4.25	7.04	2.54	0.08
1985-86	25984	2.58	5.19	7.77	2.75	0.09
1986-87	30654	3.31	6.15	9.46	3.36	0.11
1987-88	32493	4.37	5.46	9.83	3.87	0.13
1988-89	35848	2.06	8.67	10.73	3.91	0.07
1989-90	35042	3.37	7.17	10.54	3.59	0.06
1990-91	66994	8.02	11.95	19.97	6.90	0.11
1991-92	30154	4.93	5.94	10.87	3.76	0.02
1992-93		2.71	4.87	7.58	2.08	0.01
1993-94		8.76	12.85	21.61	6.32	0.04
1994-95		6.66	7.16	13.82	2.92	0.02
1995-96		14.10	17.52	31.62	8.49	
1996-97		15.53	23.40	38.93	12.74	
कुल	337204	89.44 (41.39%)	126.65 (58.61%)	216.09 (100%)	68.51 (31.70%)	1.01 (0.47%)

स्रोत : बेसिक शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, 1998 ।

3.1.4 साक्षरता कार्यक्रम के विविध चरण

राज्य में साक्षरता कार्यक्रम को तीन चरणों में अपनाया गया है। ये हैं :

- संपूर्ण साक्षरता अभियान (स.सा.अ.)
- उत्तर साक्षरता अभियान (उ.सा.अ.)
- सतत शिक्षा कार्यक्रम (स.शि.का.)।

यहां उल्लेखनीय है कि संपूर्ण साक्षरता अभियान (स.सा.अ.) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के तहत चलाया गया है, जबकि उ.सा.अ. तथा स.शि.का. दोनों ही क्षेत्र विशिष्ट, समय सीमा के भीतर, निष्पादन-उन्मुख, लागत प्रभावी एवं स्वैच्छिक उपागम पर आधारित हैं। इन योजनाओं में प्रौढ़ शिक्षा अनुदेशकों के लिए वित्तीय प्रलोभन या मानदेय का कोई प्रावधान नहीं है। परंतु शिक्षण-अधिगम सामग्रियों के क्रय, अनुदेशकों के प्रशिक्षण, अभिप्रेरक वातावरण के निर्माण तथा

विविध क्रियाओं एवं गतिविधियों के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन को दृष्टिगत रखकर अपेक्षित निवेश सुनिश्चित किया जाता है। प्रथम चरण के साक्षरता अभियान में प्रति प्रौढ़ 65 रु. से 100 रु. तक के खर्च की आवश्यकता है। यह योजना 12 से 18 माह की अवधि तक चलती है।

उत्तर साक्षरता अभियान (उ.स.अ.) नव-साक्षरों की शिक्षा के लिए है। इस चरण में कार्यक्रम का पूरा खर्च प्रति प्रौढ़ 60 रु. की दर से केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा 67:33 के अनुपात में वहन किया जाता है। नव-सृजित उत्तरांचल राज्य को शामिल करते हुए सभी 33 जनपदों ने स.सा.अ. को अपनाया था। इनमें से 48 जनपदों में संपूर्ण साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त कर लेने का दावा किया गया है। 53 जनपदों ने उ.सा.अ. भी प्रवर्तित कर दिया है। यहां ध्यातव्य है कि राज्य में स.सा.अ. तथा सा.प.अ. के अतिरिक्त प्रौढ़ शिक्षा के घटक के रूप में सतत शिक्षा कार्यक्रम लागू करने का प्रयास किया गया है। यह स.शि. कार्यक्रम संप्रति राज्य के बारह जनपदों में चलाया जा रहा है।

राज्य, जनपद, विकास खंड तथा ग्राम स्तर पर प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के संचालन एवं अनुश्रवण (मानिटरिंग) हेतु व्यवस्थित प्रयास किया गया है। ये कार्यक्रम जनपदीय साक्षरता समितियों द्वारा नियोजित एवं आयोजित किए जाते हैं तथा इनका क्रियान्वयन विकास खंडों एवं ग्राम स्तर पर विकेंद्रीकृत संरचना के अधीन है।

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन की दृष्टि से जो अन्य पग उठाए गए हैं, वे इस प्रकार हैं :

- संगठनात्मक संरचना का विकास।
- निरक्षरों के लक्ष्य-समूहों की पहचान हेतु सर्वेक्षण तथा अनुदेशकों (स्वयंसेवी) एवं मास्टर प्रशिक्षकों को चिन्हित करना।
- उपयुक्त अभिप्रेरक पर्यावरण तैयार करना।
- शिक्षण-अधिगम सामग्रियों की व्यवस्था।
- साक्षरता से जुड़े कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण।
- शिक्षण-अधिगम क्रियाओं/क्रियाकलापों का पर्यवेक्षण।
- सूचना-व्यवस्था के प्रबंधन का अनुश्रवण।
- संगी-साथी द्वारा मूल्यांकन, प्रक्रियात्मक मूल्यांकन/वाह्य मूल्यांकन।
- उत्तर साक्षरता अभियान का क्रियान्वयन।
- सतत शिक्षा कार्यक्रम हेतु केंद्रों की स्थापना।

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों के प्रबंधन एवं उनकी देखरेख के उद्देश्य से समुचित प्रकार के मानव संसाधन विकसित करने हेतु राज्य ने विविध स्तर के कर्मियों के प्रशिक्षण की दिशा में व्यवस्थित एवं प्रशंसनीय प्रयास किया है। इस प्रकार के विशेष प्रशिक्षण अधोलिखित हैं :

- 25 से 30 मास्टर प्रशिक्षकों के लिए प्रमुख विशेषज्ञ
- 25 से 30 स्वयंसेवी अनुदेशकों हेतु एक मास्टर प्रशिक्षक
- 10 निरक्षरों के लिए एक स्वयंसेवी अनुदेशक।

इन संवर्गों से संबंधित व्यक्तियों/अभिकर्मियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय संसाधन समिति तथा जनपदीय विकास खंड एवं संकुल स्तरों पर तत्संबंधित संसाधन समितियों के माध्यम से आयोजित किए जाते हैं।

3.1.5 साक्षरता आन्दोलन से संबंधित प्रकरण

साक्षरता आन्दोलन का प्रमुख मुद्दा है – जीवन की आवश्यकताओं एवं अपेक्षाओं के अनुरूप प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों में समन्वयात्मक संबंध स्थापित करना। समाज के उन सुविधावंचित लोगों को दृष्टिगत रखकर, जो शिक्षा का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, इन कार्यक्रमों के अभीष्ट लक्ष्य समूहों के रूप में चिन्हित किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में विभिन्न जनपदों के पिछड़े विकास खंडों को शैक्षिक नियोजन के केंद्रवर्ती बिंदु के रूप में रखना होगा। इस प्रकार प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रमों में अनुक्षेत्र-केंद्रित, सूक्ष्म स्तरीय नियोजन को तेजी से गतिमान करना होगा। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों के परिमाणात्मक आच्छादन के तहत पाठ्यक्रम के गुणवत्तापरक अंशों को भी शामिल करना होगा। इसके साथ ही, सतत् शिक्षा की दृष्टि से संचार माध्यमों तथा प्रौद्योगिकी के निवेशों को समन्वित करने हेतु गहन प्रयास करने होंगे, जिससे प्रौढ़ अधिगमकर्ताओं में जीवन-पर्यन्त सीखते रहने की अभिप्रेरणा को सशक्त बनाए रखने में मदद मिले।

3.2 वैकल्पिक शिक्षा (अनौपचारिक एवं मुक्त विद्यालय)

स्वातंत्रयोत्तर काल में औपचारिक शिक्षा के आधार को विस्तृत करने हेतु व्यापक प्रयास हुए हैं। यह चिंता का विषय है कि 6 से 11 वर्ष आयुवर्ग के लिए उनके आवास से 1.5 कि.मी. की दूरी पर विद्यालय प्रावधानित किए जाने के बावजूद, पूरी औपचारिक व्यवस्था के माध्यम से शिक्षा के सार्वजनीकरण का लक्ष्य बच्चों को नहीं प्राप्त हो सका है। विद्यालयीय व्यवस्था के अंतर्गत सभी बच्चों की उनमें पहुंच एवं उनका विद्यालय में ठहराव के साथ न्यूनतम अधिगम स्तर की प्राप्ति सुनिश्चित करना एक मुख्य चुनौती बनी हुई है। प्राथमिक शिक्षा स्तर पर राज्य में बालिकाओं का सकल नामांकन अनुपात 98.7 प्रतिशत है। उनमें विद्यालयीय शिक्षा की अवधि पूरी करने से पहले ही विद्यालय से विरत हो जाने की दर 31.5 प्रतिशत है। ऐसे बालकों की शिक्षा से विरत होने की दर 24.9 प्रतिशत है।

इन सीमाओं के अलावा औपचारिक शिक्षा-व्यवस्था की न्यूनताओं से जुड़े कतिपय अन्य कारक भी हैं, जिन्हें साहू तथा यादव (2001) ने अधोलिखित रूप में चिन्हित किए हैं :
अभिभावकों की निरक्षरता, पारिवारिक उद्यमों एवं विविध कार्यों में बच्चों को लगाया जाना, परिवारों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित होते रहना, बालिकाओं का कम आयु में विवाह, शिक्षा व्यवस्था में लिंग पर आधारित पूर्वाग्रह, शिक्षा पर होने वाला निजी खर्च तथा विद्यालयों की दूरी।

- विद्यालयों का समुचित रूप में न चल पाना।
- शिक्षकों का नकारात्मक एवं अनभिप्रेरक व्यवहार।
- निरर्थक मुद्दों में बोझिल विद्यालयीय पाठ्यक्रम, विद्यालयीय गतिविधियां एवं कार्यक्रम।
- विरल आबादी।

इन तथ्यों से यह पता चलता है कि सभी के लिए शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने की दृष्टि से केवल औपचारिक शिक्षा-व्यवस्था पर निर्भर होने से काम चलने वाला नहीं है। अस्तु, पूरी शिक्षा प्रणाली के घटक के रूप में वैकल्पिक शिक्षा के विविध प्रतिमानों को अपनाए जाने की आवश्यकता है।

उत्तर प्रदेश राज्य के संदर्भ में विद्यालयीय शिक्षा व्यवस्था के कई विकल्प ढूंढे गए हैं तथा उन पर क्रियान्वयन भी हुआ है। विशेष रूप से उल्लेखनीय कार्यक्रम आगे वर्णित हैं।

3.2.1 अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम

केंद्र सरकार की वित्तीय सहायता से पोषित अनौपचारिक कार्यक्रम सन् 1979-80 से ही चलाए जा रहे हैं। इस योजना का संशोधित रूप सन् 1987-88 में लागू किया गया। केंद्र तथा राज्य सरकार सह-शिक्षा केंद्रों के संचालन में 60:40 की भागीदारी तथा बालिका शिक्षा केंद्रों के लिए 90:10 की भागीदारी के आधार पर खर्च वहन करती है। इस कार्यक्रम के अधोलिखित उद्देश्य हैं :

- 6 से 14 वर्ष वयवर्ग के उन बच्चों को जो स्कूली शिक्षा से वंचित रहे हैं - विशेषतौर से कामकाजी एवं विद्यालयों से विरत हो जाने वाले बच्चों के लिए वैकल्पिक शिक्षा के अवसरों का प्रावधान करना।
- औपचारिक शिक्षा केंद्रों में नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना।
- औपचारिक शिक्षा केंद्रों द्वारा प्राप्त परिणामों को औपचारिक रूप में उपलब्ध विद्यालयीय शिक्षा की धारा में किसी भी स्तर पर समायोजित करना।

अनौपचारिक शिक्षा केंद्र के पाठ्यक्रमों को संक्षिप्त रूप देते हुए कक्षा 1 से 5 तक के लिए विकसित किया गया है। इन्हें 2 वर्ष की अवधि में पूरा किया जा सकता है। किसी भी अभ्यर्थी द्वारा 2 वर्ष की अनौपचारिक शिक्षा पूरी कर लेने पर उसे औपचारिक शिक्षा संस्थाओं की कक्षा 6 में प्रवेश लेने का अवसर दिया जाता है।

सन् 2000 में उत्तर प्रदेश राज्य के 83 जनपदों के 596 विकास खंडों में अनौपचारिक शिक्षा केंद्रों की सुविधा उपलब्ध रही है। प्रत्येक विकास खंड के तहत 100 अनौपचारिक शिक्षा केंद्र चलाए गए, जिनमें प्रत्येक केंद्र पर 25 विद्यार्थियों को नामांकित किया जाता रहा है। राज्य में कुल 58,249 अनौपचारिक शिक्षा केंद्र कार्यशील हैं। इन केंद्रों को अधोलिखित संवर्गों में दर्शाया जा सकता है :

मकतब केंद्र	:	3,676
उर्दू केंद्र	:	4,421
बालिका शिक्षा केंद्र	:	37,125

सामान्य केंद्र	:	13,027
कुल अनौपचारिक शिक्षा केंद्र	:	58,249

सन् 1999-2000 में इन केंद्रों के तहत 13,85,571 विद्यार्थियों को नामांकित किया गया, जिनका विभिन्न संवर्गों में वितरण इस प्रकार था।

सारणी 3.03 : *अनौपचारिक शिक्षा केंद्रों में नामांकन की स्थिति*

बालक	*बालिका*	*योग*	*अनुसूचित जाति*	*अनुसूचित जनजाति*
6,69,971	7,15,600	13,85,571	3,54,919	4,528

स्रोत : सीमेंट, इलाहाबाद 2000

इन योजनाओं का मुख्य अभिप्रेत बाल श्रमिकों की पहचान करना तथा अनौपचारिक शिक्षा-केंद्रों द्वारा प्राथमिक शिक्षा में उनकी पहुंच बढ़ाना रहा है। अनौपचारिक शिक्षा केंद्रों की आयोजना हेतु शिक्षा निदेशालय, प्रभागीय, जनपदीय एवं परियोजना स्तरों पर राज्य के शिक्षा विभाग के पास एक सुगठित संरचना उपलब्ध है। ग्राम स्तरों पर इस योजना के सम्यक् परिचालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से पंचायती राज्य व्यवस्था को पूरी तरह संलिप्त किया गया है। अनौपचारिक शिक्षा केंद्रों के सृजन एवं उनके संचालन, अनुदेशकों की नियुक्ति तथा इन केंद्रों के क्रिया-कलापों के संयमन एवं अनुश्रवण की जिम्मेवारी ग्राम स्तरीय शिक्षा समिति को सौंपी गई है। यह देखा गया है कि राज्य सरकार के प्रयासों के अलावा 96 स्वैच्छिक संगठन भी केंद्र सरकार की शत-प्रतिशत सहायता के आधार पर अनौपचारिक शिक्षा केंद्र चला रहे हैं।

वार्षिक आधार पर विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें वितरित करने का भी प्रावधान किया गया है। इन केंद्रों के लिए अनुदेशकों की नियुक्ति स्थानीय तौर पर शिक्षित युवाओं में से रु. 200/- प्रतिमाह की प्रतीकात्मक मानदेय के आधार पर की जाती है। अब संशोधित मानदेय 1,000/- रु. प्रतिमाह करने का प्रस्ताव है। अनौपचारिक शिक्षा केंद्रों में शिक्षण-अधिगम की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में अनुदेशकों की सहायता हेतु लघु-अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं।

अनौपचारिक शिक्षा केंद्रों के अधीन सन् 1998-99 में परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों की संख्या 2,52,179 थी जिसमें 2,23,349 (88.56 प्रतिशत) विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। इनमें से 79,212 (35.46 प्रतिशत) विद्यार्थी औपचारिक रूप से चल रहे विद्यालयों की कक्षा 6 में नामांकित हो सके हैं।

3.3 डी.पी.ई.पी. के तहत वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम

राज्य में सन् 1997 की अवधि में शिक्षा के तहत अभिगम्यता (पहुंच) का विस्तार करने की दृष्टि से डी.पी.ई.पी. का समारंभ हुआ। प्रारंभ में 15 जनपदों को डी.पी.ई.पी. में शामिल किया गया। ये थे — महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बदायूं, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, बस्ती, पीलीभीत, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, सोनभद्र, देवरिया, हरदोई, बरेली तथा फैजाबाद। इन जनपदों में पुरुष

साक्षरता दर मुख्यतः 40 प्रतिशत से कम तथा महिला साक्षरता दर 20 प्रतिशत से भी कम थी। सन् 1999 में डी.पी.ई.पी. के अंतर्गत 23 और जनपदों को आच्छादित करते हुए कुल जनपदों की संख्या 38 तक पहुंच गई। प्राथमिक स्तर के बच्चों को दृष्टिगत रखकर लचीली पहुंच व्यवस्था प्रावधानित करने के उद्‌देश्य से वैकल्पिक शिक्षा के कार्य को डी.पी.ई.पी. का मुख्य प्रयास माना जा सकता है। वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रमों के विविध प्रतिमान विद्‌यार्थियों की आवश्यकताओं, अपेक्षाओं, पृष्ठभूमि तथा भौगोलिक स्थिति के अनुरूप विकसित किए गए हैं। उ.प्र. राज्य के डी.पी.ई.पी. के अधीन सन् 1998-99 में चलाए गए वैकल्पिक शिक्षा के विविध उल्लेखनीय प्रतिमान इस प्रकार हैं :

- शिक्षा घर
- बालशाला
- प्रहर पाठशाला
- मकतब मदरसा का सबलन
- ऋषि घाटी मॉडल पर आधारित वैकल्पिक शिक्षा केंद्र
- कैंप मोड तथा ब्रिज पाठ्‌यचर्या
- कामकाजी बच्चों के लिए वैकल्पिक शिक्षा केंद्र
- **शिक्षा घर** 6 से 11 वर्ष आयुवर्ग के बच्चों की शिक्षा के लिए एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें समय-सारणी, अधिगम की विषय-वस्तु तथा अधिगम प्रक्रिया की दृष्टि से पर्याप्त लचीलापन रखा गया है। ग्राम शिक्षा समिति इसके प्रबंध में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
- **बालशाला** मुख्यतः 3 से 11 वर्ष आयुवर्ग की बालिकाओं को दृष्टिगत रखकर चलाई गई हैं। इनकी व्यवस्था इस रूप में की जाती है जिससे छोटे या बड़े भाइयों या बहनों की शिक्षा का प्रावधान भी उसी वैकल्पिक शिक्षा केंद्र पर हो सके। इसके तहत छोटे बच्चों को खेलों तथा शाला-पूर्व क्रियाओं में व्यस्त रखा जाता है जबकि 6 से 11 वर्ष आयुवर्ग के बच्चों को प्राथमिक स्तरीय शिक्षा की दक्षताओं को अर्जित करने का अवसर दिया जाता है।
- **प्रहर पाठशाला** के अंतर्गत अनौपचारिक शिक्षा के लिए मौका दिया जाता है तथा इसमें ऐसी बालिकाएं जो 9 से 14 वर्ष की आयु संवर्ग में हैं तथा जिन्हें अल्पायु में ही औपचारिक प्राथमिक शिक्षा से वंचित रहना पड़ा है, स्थानीय संदर्भों में उपयुक्त क्राफ्ट यथाः सिलाई, प्रतिदिन के उपयोग की वस्तुओं के निर्माण आदि में अनुभव प्राप्त करती हैं।
- **वैकल्पिक शिक्षा** कार्यक्रम के तहत मकतब-मदरसा के सबलन का प्रयोजन यह है कि इन विद्‌यालयों में उपलब्ध सीमित धार्मिक विषय-वस्तु के आधार पर विशेष प्रकार की निविष्टियों के जरिए व्यापक एवं दृढ़ बनाया जाए। इस प्रकार इन संस्थाओं के

विद्यार्थियों को ऐसी दक्षताओं को विकसित करने के अवसर मुहैया कराए जाते हैं जो औपचारिक विद्यालयों से अपेक्षित हैं।

- **ऋषि घाटी मॉडल** पर आधारित वैकल्पिक शिक्षा केंद्रों को विरल आबादी वाले इलाकों में स्थापित किया जाता है। ये केंद्र विविध संदर्भ-विशिष्ट अनुक्षेत्रों में बच्चों की कुशलताओं का विकास करना अपना मुख्य ध्येय मानते हैं। ऐसे विद्यालयों के तहत बहुकक्षा शिक्षण तथा स्व-अधिगम की क्रियाओं को प्रोत्साहित किया जाता है।
- **कैंप मोड** तथा ब्रिज पाठ्यचर्याएं बच्चों को औपचारिक शिक्षा की मुख्य धारा में पुनः लाने की दृष्टि से आयोजित की जाती हैं। इसके साथ ही, विद्यालयों में न जाने वाले विशेष तौर से बाल श्रमिक कहे जाने वाले बच्चों को इस व्यवस्था के जरिए विद्यालयों में प्रवेश लेने के लिए अभिप्रेरित किया जाता है। विभिन्न प्रकार के अधिगमकर्ता संवर्गों को कई चरणों में इन कार्यक्रमों के तहत आच्छादित करने का प्रयास किया जाता है। इन अधिगमकर्ता संवर्गों में प्रमुखतः निम्न आयु एवं उच्च आयुवर्ग के बच्चे ऐसे कार्यक्रमों का लाभ उठाते हैं।
- **कामकाजी बच्चों** के लिए वैकल्पिक शिक्षा के कार्यक्रम प्रायः ऐसे अनुक्षेत्रों में आयोजित किए जाते हैं जहां ऐसे बच्चों की संख्या बहुतायत में पाई जाती है, यथाः फिरोजाबाद तथा मुरादाबाद जैसे जनपद जहां बाल-श्रमिक प्रचुर मात्रा में देखे जा सकते हैं।

3.3.1 वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम की आधारभूत विशेषताएं

ऐसे वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रमों के अंतर्गत स्वास्थ्य की रक्षा, साक्षरता, पर्यावरण चेतना तथा जीवन एवं संप्रेषण कौशलों से संबंधित आवश्यकता आधारित पाठ्यक्रम शामिल किए जाते हैं। इन वैकल्पिक शिक्षा केंद्रों की आधारभूत विशेषताएं अधोलिखित हैं :

- विद्यालयों की लचीली समयावधि
- शिक्षण-अधिगम क्रियाओं के आयोजन में अनुदेशकों की अंतर्भाविता एवं प्रतिबद्धता
- आवश्यकता-आधारित तथा स्थानीय विशिष्टताओं से संबंधित पाठ्यक्रम के आधार पर अनुभव जनित करना
- स्व-अधिगम तथा बहुकक्षा शिक्षण के लिए उपयुक्त सामग्री का अनुप्रयोग
- लचीले एवं क्रिया आधारित अधिगम उपागमों का अनुप्रयोग
- विद्यालयों में विशेष प्रकार से रचित पाठ्यपुस्तकों एवं अध्ययन सामग्रियों को व्यवहार में लाना
- पूरक अध्ययन सामग्रियों के विकास में अनुदेशकों की भूमिका एवं भागीदारी को प्रोत्साहित करना
- विद्यार्थियों के सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर विशेष बल देना

- वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रमों के प्रबंधन तथा अपने स्थानीय या पड़ोसी क्षेत्रों में अनुदेशकों के चयन में सामुदायिक-सहभागिता को बढ़ावा देना।

3.4 डी.पी.ई.पी. जनपदों में वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रमों का आच्छादन

यह पाया गया है कि राज्य में सन् 1998-99 के तहत 15 जनपदों में 1,225 वैकल्पिक शिक्षा केंद्र चलाए जा रहे थे। इनमें से 777 केंद्र (66.42 प्रतिशत) शिक्षा घर प्रतिमान के अनुरूप थे। इसके विपरीत 176 केंद्रों में बालशाला (14.36 प्रतिशत), 121 केंद्रों में प्रहर पाठशाला (9.8 प्रतिशत) तथा 86 केंद्रों में मकतब मदरसा (7.02 प्रतिशत) प्रकार के वैकल्पिक शिक्षा केंद्र आयोजित किए गए। अन्य प्रकार के वैकल्पिक शिक्षा केंद्र यथा: कैंप-मोड तथा ब्रिज पाठ्यचर्याएं एवं ऋषि घाटी मॉडल पर आधारित केंद्र बहुत सीमित मात्रा में चलाए गए।

3.4.1 शिक्षा गारंटी योजना

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा शिक्षा गारंटी योजना के सफल क्रियान्वयन के आलोक में विद्यालयों में न जाने वाले बच्चों को लक्ष्य बनाकर उत्तर प्रदेश राज्य ने भी 1999-2000 में एक ऐसी ही योजना तैयार की है।

इस योजना की जो प्रमुख उल्लेखनीय विशेषताएं हैं, वे इस प्रकार हैं :

- **शिक्षा गारंटी योजना विद्यालय** ऐसे गांवों या इलाकों में चलाए जाएंगें जहां 6 से 11 वर्ष आयु संवर्ग के विद्यालय न जाने वाले न्यूनतम 30 बच्चे हों।
- पर्वतीय क्षेत्रों के लिए विद्यालय न जाने वाले बच्चों की न्यूनतम संख्या 20 नियत की गई है।
- यह योजना पूरी तौर से ग्राम-पंचायत द्वारा क्रियान्वित होगी
- इसके लिए अनुदेश की नियुक्ति प्रतिमाह 1,000 रु. मानदेय पर ग्राम पंचायत द्वारा की जाएगी। अनुदेशकों को 'आचार्य जी' के नाम से संबोधित किया जाएगा। शिक्षा गारंटी योजना के खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाएंगे।
- 'आचार्य जी' की नियुक्ति में महिलाओं को वरीयता दी जाएगी। शिक्षा गारंटी योजना के तहत चलाए जाने वाले वैकल्पिक विद्यालयों को 'विद्या केंद्र' की संज्ञा दी जाएगी। इन विद्या केंद्रों में पीने का पानी एवं शौचालय आदि की व्यवस्था करना ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी होगी।
- इन विद्या केंद्रों में कक्षा 1 से 2 तक की कक्षाएं चलाई जाएंगी। शिक्षा गारंटी योजना विद्यालयों के तहत कक्षा 2 तक शिक्षा पूरी करने वाले विद्यार्थियों को नजदीक के नियमित विद्यालयों की कक्षा 3 में प्रवेश दिया जाएगा। इन शिक्षा गारंटी योजना विद्यालयों के बच्चों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें वितरित किए जाने का भी प्रावधान है।
- शिक्षा गारंटी योजना के तहत राज्य सरकार ने 20,000 वैकल्पिक विद्यालय केंद्रों के समारंभ करने की योजना बनाई है।

3.4.2 शिक्षा मित्र योजना

प्रायः यह पाया गया है कि अधिकांश ग्रामीण विद्यालयों में शिक्षकों की कमी रहती है। सन् 1990-91 में इस स्तर पर शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात 1:44 था जबकि 1999-2000 में यह अनुपात 1:42 हो गया। सांख्यिकी सूचना प्रबंधन के माध्यम से प्राप्त आंकड़ों से (2000) यह विदित होता है कि उत्तर प्रदेश के 15 डी.पी.ई.पी. जनपदों में 26.58 प्रतिशत शिक्षक बहु-कक्षीय विद्यालयों में थे। इनमें शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात 1:50 रहा है। ऐसे एकल शिक्षक विद्यालयों में विद्यालयों का नियमित रूप में न चल पाना प्रायः मुख्य समस्या पाई गई है। इससे विद्यालयों में शिक्षण-अधिगम की गुणवत्ता भी कुप्रभावित होती है। इसके अलावा शत-प्रतिशत साक्षरता का लक्ष्य पूरा होने से शिक्षा में जो विस्तार आएगा उसे देखते हुए वर्तमान विद्यालयों में अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता होगी। वित्तीय संकट के कारण राज्य सरकार स्थायी तौर पर पूर्णकालिक शिक्षकों की नियुक्ति में कठिनाई महसूस कर रही है।

विद्यालयों में शिक्षकों की अपेक्षित संख्या न होने के फलस्वरूप इस समस्या से निपटने के लिए राज्य में पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से शिक्षा मित्र योजना का समारंभ किया है। इस योजना के प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं :

- यह योजना ग्राम पंचायत स्तर पर क्रियान्वित होगी।
- प्रत्येक शिक्षा मित्र के लिए प्रतिमाह 2,250 रु. के मानदेय का प्रावधान किया गया है। इस बारे में सारे व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाएंगे।
- उच्च माध्यमिक (+2) स्तर की शिक्षा उत्तीर्ण किया हुआ अभ्यर्थी ही 'शिक्षा मित्र' की नियुक्ति के लिए अर्ह होगा।
- शिक्षा मित्रों में नियुक्ति हेतु 50 प्रतिशत महिलाएं होंगीं।
- सन् 1999-2000 में 10,000 शिक्षा मित्रों की नियुक्ति का प्रावधान था।
- शिक्षा मित्रों की अपेक्षित संख्या का आकलन विद्यालय के लिए नियत शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात मानक के आधार पर किया जाएगा।

ये दोनों ही योजनाएं जनपद स्तर पर संबंधित जिलाधिकारी की अध्यक्षता में पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से क्रियान्वित हो रही हैं। 'शिक्षा मित्र' एवं 'आचार्य जी' के प्रशिक्षण हेतु जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान को जिम्मेदारी दी गई हैं।

3.4.3 मुक्त स्वरूप की वैकल्पिक शिक्षा

जीवन-पर्यन्त सीखते रहने के क्रम को निरंतरता प्रदान करने की दृष्टि से सुविधावंचित संवर्ग के अधिगमकर्त्ताओं के लिए 'मुक्त अधिगम' की व्यवस्था अत्यंत उपादेय सिद्ध हुई है। विद्यालय स्तर पर उत्तर प्रदेश राज्य के विद्यार्थियों को दो प्रकार की मुक्त दूरवर्ती संस्थाओं में अभिगम्यता (पहुंच) उपलब्ध हैं। ये हैं : राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय, दिल्ली तथा पत्राचार शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद।

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय ने प्राथमिक/माध्यमिक स्तर की शिक्षा हेतु कई प्रकार के पाठ्यक्रमों का प्रावधान किया है। यह एक आधारभूत पाठ्यक्रम जो राष्ट्रीय स्तर पर कक्षा 8 के

समतुल्य है, भी चलाता है। इसके साथ ही माध्यमिक स्तर पर भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गृह विज्ञान, टंकण एवं शब्द-प्रक्रमण तथा उच्च माध्यमिक स्तर पर मानविकी, विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान विविध अनुक्षेत्रों से संबंधित व्यावसायिक शिक्षा तथा कई जीवन-संवर्धन पाठ्यक्रम भी चलाए जाते हैं। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय ने 6 से 14 वर्ष आयुवर्ग के विद्यालय से बाहर पाए जाने वाले बच्चों एवं प्रौढ़ों को दृष्टिगत रखकर एक 'खुली बेसिक शिक्षा परियोजना' का भी समारंभ किया है। यह तीन स्तरों पर कार्यशील होगी। प्रथम, तैयारी की दृष्टि से, द्वितीय प्राथमिक शिक्षा तथा तृतीय, प्रारंभिक शिक्षा जो औपचारिक रूप में तीसरी, पांचवीं एवं आठवीं कक्षाओं के समतुल्य होंगी। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय ने इन अनुक्षेत्रों से संबंधित मान्यता प्राप्त संस्थाओं की सूची भी जारी की है। इन्हें सुविधावंचित संवर्ग की शिक्षा के लिए विशिष्ट मान्यता प्राप्त संस्थाओं का नाम दिया गया है।

राज्य के विद्यार्थियों की सुविधा के लिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय ने एक क्षेत्रीय कार्यालय इलाहाबाद में स्थापित किया है। यह मुक्त शिक्षा की पद्धति से लाभ लेने वाले विद्यार्थियों की समर्थन-सेवा को दृष्टिगत रखकर उनके लिए एक प्रमुख केंद्र भी बन गया है। इसमें राज्य से संबंधित विद्यार्थियों के प्रवेश, अध्ययन सामग्री, अन्य आवश्यक पुस्तिकाओं एवं दस्तावेज़ों के लिए वितरण सेवाओं तथा मूल्यांकन क्रियाओं को समर्थन प्रदान करने के प्रयोजन से प्रशासनिक अवलंब भी खड़ा किया गया है। राज्य के विद्यार्थियों की सुविधा हेतु राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय ने कई ऐसी अधिमानित संस्थाओं की भी सूची निर्गत की है जहां अध्ययन केंद्र, सम्पर्क कक्षाएं तथा निर्देशन एवं परामर्श आदि के कार्य संपन्न होते हैं। राज्य के माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक संस्थाओं के अधीन 79 ऐसे अधिमानित केंद्र कायम किए गए हैं। ये केंद्र सामान्य पाठ्यक्रम के लिए शिक्षा-ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों को शैक्षणिक अवलंब मुहैया कराते हैं। व्यावसायिक शिक्षा संवर्ग के विद्यार्थियों के लिए 34 ऐसे अधिमानित केंद्र राज्य के विभिन्न जगहों पर स्थापित किए जा चुके हैं। इनके अतिरिक्त सुविधावंचित संवर्ग को दृष्टिगत रखकर राज्य की पांच संस्थाओं में ऐसे अधिमानित केंद्र चलाए जा रहे हैं। अधिमानित केंद्रों की संसूची को देखने से यह ज्ञात होता है कि सामान्य पाठ्यक्रमों के लिए राज्य के 39 जनपदों तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए 14 जनपदों में अब तक ऐसे केंद्र स्थापित हो चुके हैं। इनमें से अधिकांश अधिमानित केंद्र शहरी क्षेत्रों में अवस्थित हैं जिससे ग्रामीण अंचलों के विद्यार्थियों के लिए अभिगम्यता (पहुंच) अत्यंत सीमित रूप से उपलब्ध हो सकी है। इन सीमाओं के बावजूद यह कहा जा सकता है कि 'मुक्त विद्यालय' जैसी संस्था जिसका प्रमुख ध्येय वैकल्पिक/सम्पूरक शिक्षा व्यवस्था गढ़ना है, जीवन-पर्यंत अधिगम की अवधारणा को जन सामान्य तक सुलभ बनाने की प्रमुख भूमिका निभा रही हैं। इसके माध्यम से ऐसे व्यक्ति जो विद्यालय-शिक्षा के अवसरों से वंचित रहे हैं तथा जो अपनी परिस्थितिवश औपचारिक प्रणाली के तहत सतत् शिक्षा का उपयोग नहीं कर सकते, लाभांवित हुए हैं।

3.4.4 पत्राचार शिक्षा व्यवस्था

उत्तर प्रदेश राज्य में उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा के लिए पत्राचार शिक्षा व्यवस्था का प्रावधान सन् 1980 में किया गया। इस व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षा प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा में बैठने के लिए अवसर दिया जाता है।

यह संस्थान उच्च माध्यमिक स्तर पर तीन विषय अनुक्षेत्रों यथा - कला, विज्ञान एवं वाणिज्य को दृष्टिगत रखकर दो योजनाएं कार्यान्वित कर चुका है। ये हैं - पत्राचार शिक्षा के लिए सामान्य योजना तथा सतत संपर्क शिक्षा कार्यक्रम।

(I) पत्राचार शिक्षा की सामान्य प्रणाली

इस प्रणाली के तहत व्यक्तिगत अभ्यर्थी के रूप में इंटरमीडिएट परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों को लाभ दिया जाता है। सन् 1999-2000 सत्र में संस्थान ने राज्य के सभी जनपदों को आच्छादित करते हुए 488 केंद्रों को स्थापित किया। ये केंद्र दूरवर्ती पद्धति से शिक्षा लेने वाले विद्यार्थियों के लिए संपर्क कार्यक्रम आयोजित करते हैं। संस्थान द्वारा इन विद्यार्थियों को स्वाध्याय हेतु मुद्रित अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। दत्त कार्य जिसमें छात्रों द्वारा दिए गए उत्तरों के मूल्यांकन का प्रावधान है, इस व्यवस्था का अन्य घटक है। सन् 1999-2000 की अवधि में विभिन्न विषयों में नामांकन की स्थिति सारणी 3.04 तथा चित्र 3.2 में दर्शाई गई है।

सारणी 3.04 : *विषय एवं नामांकन स्थिति*

1. कला	16999	81.33%
2. विज्ञान	2475	11.84%
3. वाणिज्य	1427	6.83%
योग	20901	100%

स्रोत : *शिक्षा की प्रगति,* शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, 1999-2000

इस पद्धति में शिक्षा हेतु नामांकित विद्यार्थियों के उत्तीर्ण होने का प्रतिशत 51.52 से 55.08 के मध्य पाया गया है (खंडेलवाल, 1994)।

(II) सतत सम्पर्क शिक्षा कार्यक्रम की प्रणाली

इस प्रणाली में दो प्रकार की विधाओं का समन्वित उपयोग किया जाता है यथा : शिक्षक एवं विद्यार्थी द्वारा आमने-सामने की दशा में शिक्षण की व्यवस्था तथा अनौपचारिक शिक्षा की विधि। यह व्यवस्था राज्य के विभिन्न अंचलों में स्थित 116 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में चलाए जा रहे केंद्रों के जरिए गतिशील की गई है। इन केंद्रों में विद्यालयों की निर्धारित अवधि के बाद सम्पर्क कक्षाएं चलाई जाती हैं तथा विद्यार्थियों को स्वाध्याय के लिए अध्ययन सामग्री एवं दत्त कार्य आदि दिए जाते हैं। विद्यालयों में प्रावधानित प्रयोगशालाओं तथा शैक्षणिक उपकरणों के अलावा उनके भवन एवं फर्नीचर आदि का उपयोग भी इस तरह के कार्यक्रमों के लिए उपलब्ध

रहता है। इस प्रकार दो वर्षों के पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों के नामांकन की स्थिति सारणी 3.05 में प्रदर्शित है।

सारणी 3.05 : *सतत सम्पर्क शिक्षा कार्यक्रम में नामांकन*

विषय	*नामांकन संख्या*	*प्रतिशत*
1. कला	5843	44.27**%**
2. विज्ञान	6884	52.16**%**
3. वाणिज्य	472	3.58**%**
योग	**13199**	**100%**

स्रोत : *शिक्षा की प्रगति,* शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, 1999-2000

इस प्रणाली के माध्यम से नामांकित विद्यार्थियों का उत्तीर्ण प्रतिशत काफी उच्च (74 प्रतिशत) रहा है। दोनों ही प्रणालियों द्वारा पत्राचार पाठ्यक्रम में नामांकित अभ्यर्थियों के परीक्षा परिणाम व्यक्तिगत रूप में परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के सापेक्ष बेहतर पाए गए हैं (खंडेलवाल, 1994)। इन तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि दूरवर्ती शिक्षा के निविष्टियों से विद्यार्थियों की विद्यालयीय शिक्षा संबंधी पहुंच ही नहीं बढ़ी है अपितु अधिगम की प्रक्रिया में गुणवत्ता का भी समावेश हुआ है।

चित्र 3.2 : पत्राचार शिक्षा— वर्गवार छात्र नामांकन स्थिति (1999-2000)

3.5 बाल श्रमिकों की शिक्षा

यह प्रकाश में आया है कि 6-14 वर्ष आयुवर्ग के बच्चों को स्थायी या आनुषंगिक रूप में विविध प्रकार के श्रम कार्यों में संलिप्त करने की प्रथा ने विद्यालयीय शिक्षा को कुप्रभावित किया है। सभी के लिए शिक्षा अभियान में बाल श्रम एक प्रमुख अवरोधक बना हुआ है। 1996 में उच्चतम न्यायालय द्वारा बाल श्रम पर किए गए फैसले के अनन्तर श्रम विभाग ने सन् 1997 में ऐसे कामकाजी बच्चों का सर्वेक्षण कराया जो बाल श्रम निषेध रेगुलेशन एक्ट 1986 के तहत राज्य के विविध उद्योगों में चिन्हित थे। यह सर्वेक्षण अब वार्षिक आधार पर संपन्न होता है। अन्य विभाग यथा: ग्राम्य विकास विभाग एवं बेसिक शिक्षा विभाग इन सर्वेक्षणों को इस दृष्टि से संपन्न कराते हैं कि बाल-श्रमिकों की पहचान करते हुए उन्हें ऐसे श्रम कार्यों से विरत करते हुए उनकी प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा सुनिश्चित की जा सके।

उत्तर प्रदेश राज्य में दो ऐसे जनपद हैं जहां बाल श्रमिकों की अधिक संख्या है। ये जनपद मुरादाबाद तथा फिरोजाबाद हैं। इन दोनों जनपदों में लगभग 15 हजार ऐसे बच्चें हैं जो इस संवर्ग में आते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसे बाल-श्रमिकों का संकेंद्रण भिन्न-भिन्न अंशों में विद्यमान है। ऐसे मामले भी प्रकाश में आए हैं जहां बाल श्रमिकों को भिन्न-भिन्न धंधों में लगाया जाता है तथा उनके नियोक्ता शहरों या कस्बों में रहते हैं। इसके अलावा ऐसे बच्चे भी हैं जो अपने अभिभावकों के साथ कार्य स्थलों पर जाते हैं अथवा घर में ही कई धंधों में संलिप्त कर दिए जाते हैं। बहुत सारे बच्चे एक जनपद से दूसरे जनपदों में भी प्रवासित होते हैं तथा नियोक्ताओं के साथ रहकर श्रम कार्य में जुटा दिए जाते हैं। ऐसे बच्चों के उदाहरण भी प्रकाश में आए हैं जो अपने परिवार के साथ करघे मालिकों के अंतर्गत काम के लिए यथासमय प्रवासित होते रहते हैं। इस प्रकार राज्य में बाल श्रम के संदर्भ में विविध प्रकार की स्थितियां विद्यमान हैं।

अभी हाल में ही बाल श्रमिकों की समस्याओं के संबंध में पाई जाने वाली समस्याओं तथा उनके लिए किए गए उपायों को दृष्टिगत रखकर - 6 जनपद स्तरों पर एक सर्वेक्षण कार्य पूरा कराया गया है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि विभिन्न जनपदों में बाल श्रमिकों की समस्याओं की विकट स्थिति का आभास इन प्रदत्तों के माध्यम से स्पष्टतः परिलक्षित है। साथ ही वैकल्पिक शिक्षा के अंग के रूप में इन बच्चों के संबंध में प्रावधानित शिक्षा-उपायों का भी संकेत मिलता है।

बाल श्रमिकों के बारे में 6 जनपदों पर आधारित श्रम विभाग द्वारा किए गए सर्वेक्षण से जो तथ्य प्रकाश में आए हैं उन्हें सारणी 3.06 में दर्शाया गया है।

सारणी 3.06 : उत्तर प्रदेश के कतिपय चयनित जनपदों में बाल श्रम की प्रस्थिति एवं प्रकृति

क्रमांक	जिला	बाल श्रमिक	श्रम की प्रकृति	प्रावधानित विद्यालयों की संख्या	केन्द्र संचालित निरौपचारिक शिक्षा केंद्र
1.	भदोई	147	गलीचा उद्योग, बीड़ी बनाना ईट भट्टे	*20+49+7=96	500
2.	सोनभद्र	119	गलीचा उद्योग, रासायनिक उद्योग	10 (प्रस्तावित)	300
3.	मिर्जापुर	66	जोखिम एवं गैर-जोखिम संवर्ग	20	900
4.	इलाहाबाद	2,027	गलीचा उद्योग, बीड़ी बनाना बालू एवं पत्थर ढोना इत्यादि	40 (प्रस्तावित)	1,500 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र + 20 शिक्षा घर
5.	जौनपुर	326	जोखिम संवर्ग	–	–

टिप्पणी * 20 प्रावधानित विद्यालय, 49 बाल अधिकार परियोजना विद्यालय और 7 गलीचा निर्यात परिषदीय विद्यालय

** प्रति 100 खंड अनौपचारिक केंद्रों की संख्या

स्रोत : सीमेट वर्कशाप स्टैट्स रिपोर्ट, 2000

3.6 वर्तमान में चलाए गए कार्यक्रमों का आच्छादन एवं गैर–सरकारी स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका

राज्य में बाल श्रमिकों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से दो प्रकार के कार्यक्रम चलाए गए हैं : प्रथम वे कार्यक्रम जिनमें केंद्र द्वारा पुरोनिधानित, अनौपचारिक शिक्षा केंद्रों के माध्यम से कामकाजी बच्चों को शैक्षणिक सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं तथा द्वितीय, वे जहां भारत सरकार के श्रम मंत्रालय द्वारा समर्थित राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के तहत पूर्ण कालिक विद्यालयों के अवसर प्रावधानित होते हैं। इस परियोजना में गैर सरकारी स्वैच्छिक संगठनों की सहायता से विद्यालयों की व्यवस्था की जाती है। ऐसे संगठनों की संख्या जो अनौपचारिक शिक्षा केंद्र चलाते हैं मुख्य रूप से 1-20 के मध्य प्रत्येक जनपद में उपलब्ध हैं। डी.पी.ई.पी. जनपदों में बाल श्रमिकों को दृष्टिगत रखकर वैकल्पिक शिक्षा की व्यवस्था के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं।

3.6.1 कामकाजी बच्चों की शिक्षा के लिए विभिन्न प्रतिमानों का क्रियान्वयन

राज्य ने कामकाजी बच्चों की शिक्षा के लिए दो प्रकार के प्रतिमानों को प्रयोगात्मक रूप में विकसित किया है :

(i) ग्रामीण शिक्षा एवं विकास कार्य हेतु केंद्र (क्रेडा)

कैंप मोड तथा ब्रिज पाठ्यक्रम पर आधारित वैकल्पिक विद्यालय जो एम.वी. फाउंडेशन द्वारा चलाए गए आंदोलन 'स्कूल चलो' से संबद्ध, ग्रामीण शिक्षा एवं विकास कार्य के राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के तहत मिर्जापुर तथा भदोही जनपदों में संचालित हैं। इनका मुख्य उद्देश्य है — गलीचा उद्योग में लगे बाल श्रमिकों को वहां से हटाकर औपचारिक शिक्षा की मुख्य धारा में लाते हुए उन्हें प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा व्यवस्था से जोड़ना तथा उन्हें प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा को तेजी से उपलब्ध कराना। अनौपचारिक शिक्षा की कक्षाएं विद्यालय की निर्धारित कार्यावधि के अनन्तर चलाई जाती रहीं है। ग्रामीण शिक्षा एवं विकास कार्य केंद्र ने एक ऐसी युक्ति अपनाई है जिसमें कार्पेट उद्योग से जुड़े पणबंधधारियों जिनमें हथकरघा मालिक एवं कार्पेट मालिक भी शामिल हैं, को प्रत्यक्षतः जिम्मेदारी दी गई जिससे बाल श्रमिकों की नियुक्ति एवं उनके शोषण पर अंकुश लगे। इस युक्ति के तहत व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों ही रूपों में बातचीत की प्रक्रिया अपनाई गई। प्रत्येक गांव में स्वयंसेवी सक्रियकों को चिन्ह्ति किया गया। इस अभियान में अभिभावकों, पड़ोसियों, प्रौढ़ बुनकरों, हथकरघा मालिकों, विद्यालय में जाने वाले बच्चों तथा ग्राम समुदाय के सदस्यों को एकजुट किया गया। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के द्वारा चलाए गए विशिष्ट विद्यालयों में व्यावसायिक प्रशिक्षण के अलावा सम्पूरक पौष्टिक आहार तथा स्वास्थ्य की देख-रेख संबंधी सेवाएं भी उपलब्ध कराई गईं। साथ ही, जिन बच्चों को श्रम कार्यों से हटा लिया जाता है उन्हें प्रत्येक बालक पर 100 रु. की दर से वजीफे दिए जाने का भी प्रावधान है।

(ii) कैंप पर आधारित तथा ब्रिज पाठ्यक्रम प्रतिमान के अनुरूप वैकल्पिक शिक्षा

यह प्रतिमान ललितपुर जनपद के वर्धा में डी.पी.ई.पी. के तहत क्रियान्वित हुआ है। इसमें ऐसे बाल श्रमिक जो पत्थर काटते हैं तथा लकड़ी एकत्र करने का धंधा करते हैं, को दृष्टिगत रखकर एक 90 दिवसीय कैंप आयोजित किया गया। इस प्रतिमान में प्रयुक्त युक्ति इस प्रकार थी :

विद्यालय न जाने वाले बच्चों तथा उनके अभिभावकों को अभिप्रेरित करने के लिए गहन एवं नियोजित प्रयास किए गए। इस संबंध में एक त्रिदिवसीय कार्यशाला भी आयोजित की गई जिससे एक अल्पकालिक कैंप की व्यवस्था करने में तकनीकी मदद प्राप्त हो सके। इसमें एम.वी. फाउंडेशन, हैदराबाद, युवा स्वयं सेवकों, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों, विद्यालयीय अध्यापकों तथा जनपद स्तरीय शिक्षा के अभिकर्मियों को शामिल किया गया। ऐसे बच्चे जो विद्यालय नहीं जाते हैं उनका एक पार्श्व चित्र भी प्रस्तुत किया गया। अभिभावकों, बच्चों तथा समुदाय के सदस्यों से संपर्क भी स्थापित किया गया।

इसके तुरंत बाद एम.वी. फाउंडेशन के संदर्भदाताओं के सहयोग से अल्प कालिक त्रिदिवसीय आवासीय कैंप आयोजित किए गए। इस कैंप में 65 बच्चे थे जिनमें 9 बालिकाएं भी शामिल थीं तथा ऐसे बच्चे भी जो विद्यालय नहीं जाते हैं एवं विद्यालय अवधि को पूरा न कर विद्यालय से विरत हो जाते हैं, चिन्हित किए गए थे।

इसके अनन्तर दूसरे चरण में व्यवस्थाओं की टीम के सदस्यों ने एम.वी. फाउण्डेशन, हैदराबाद द्वारा संचालित एक 90 दिवसीय कैंप में हिस्सा लिया। इस कैंप में कोर समूह के सदस्यों को प्रशिक्षण भी दिया गया। शिक्षण-अधिगम सामग्री का उपयोग, अनुश्रवण तथा मूल्यांकन आदि की व्यवस्था में प्रशिक्षण प्राप्त कर कोर-समूह के सदस्यों ने ब्रिज कोर्स के रूप में ऐसे विद्यार्थियों के लिए जो त्रिदिवसीय अल्पकालिक कैंप में हिस्सा ले चुके थे एक 90 दिवसीय कैंप का आयोजन ललितपुर में किया। ब्रिज कोर्स पूरा कर लेने पर सभी 75 बच्चों को औपचारिक विद्यालयों तथा वैकल्पिक शिक्षा केंद्रों में नामांकित किया गया। सन् 1998-99 की अवधि में ललितपुर जनपद में पांच ऐसे कैंप आयोजित किए गए हैं।

वैकल्पिक विद्यालयों द्वारा बाल श्रमिकों को दी गई शिक्षा व्यवस्था के सिलसिले में यह प्रायः देखा गया है कि वे ऐसे बच्चों की समस्याओं को रोकने में बहुत संतोषजनक प्रभाव नहीं डाल पाए हैं। वैकल्पिक शिक्षा के आन्दोलन को और तेज करने की दृष्टि से एक उपयुक्त कार्य योजना विकसित करने की नितान्त आवश्यकता है जिससे संबंधित अनुक्षेत्रों के बाल-श्रमिकों को लाभ मिल सके तथा उन्हें गुणवत्तापूर्ण एवं आवश्यकता पर आधारित शिक्षा भी उपलब्ध हो सके।

3.7 वैकल्पिक शिक्षा के मुद्दे एवं वरीयताएं

'सर्व शिक्षा अभियान' के समारंभ होने से सभी के लिए शिक्षा संबंधी वरीयताएं रेखांकित हुई हैं। वैकल्पिक शिक्षा की अनेकानेक योजनाएं जो प्रशासनिक तौर पर अलग-अलग संरचनाओं के तहत चलाई जा रही हैं, उन्हें सन् 2001 से सर्व शिक्षा अभियान की छत्र-छाया में लाया गया है। इससे असेवित बस्तियों के शैक्षिक विकास की दृष्टि से अनुक्षेत्र-आधारित सूक्ष्म स्तरीय योजनाओं के

माध्यम से कई समस्याओं का हल सर्वांगिकता के आधार पर प्राप्त किया जा सकता है। तथापि, ऐसी दशाओं में आमने-सामने की शिक्षा एवं दूरवर्ती प्रणाली युक्त विधाओं के जरिए वैकल्पिक शिक्षा की प्रासंगिकता और अभिवृद्धि हो जाएगी। कई योजनाओं के क्रियान्वयन से प्राप्त अनुभवों के आधार पर वैकल्पिक शिक्षा विधाओं एवं उपागमों जिनमें स्थानीय विशिष्टताओं के पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकें, शिक्षण-अधिगम सामग्रियों तथा मूल्यांकन प्रणाली का अनुप्रयोग शामिल है, को अन्वेषित करते रहने की जरूरत है। इस सिलसिले में समुदाय केंद्रित एवं अधिगमकर्ता की अनुकूलतापरक प्राथमिक शिक्षा के उपागमों को और संजीदगी एवं दृढ़ता के साथ तलाश करते रहने की अपेक्षा है जिससे सार्वजनीन अभिगम्यता (पहुंच), ठहराव एवं गुणवत्तापूर्ण परिणामों की प्राप्ति के लक्ष्य सुगम बन सकें।

3.8 विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों की शिक्षा

सन् 1990 के विश्व सम्मेलन ने, जिसमें सभी के लिए शिक्षा के संबंध में आधारभूत अधिगम आवश्यकताओं पर बल दिया गया था, इस बात का स्पष्ट संकेत दिया कि विकलांग बच्चों की सीखने संबंधी जरूरतों को विशेष रूप में समझना अत्यावश्यक है। शिक्षा व्यवस्था के अविच्छिन्न अंग के रूप में हर श्रेणी के विकलांग बच्चों को शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करने हेतु उपाय किए जाने चाहिए। नई शिक्षा नीति (1986) ने भी राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था का अंग मानकर विकलांगों की आवश्यकताओं से जुड़े मुद्दों को उजागर करने पर जोर दिया था। ऐसे विशिष्ट संवर्ग के बच्चों की समस्याएं बहुत ही गंभीर हैं। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि ये बच्चे 6 से 14 वर्ष आयु संवर्ग के बच्चों की कुल आबादी के 1.8 प्रतिशत हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में इन बच्चों की शिक्षा संबंधी स्थिति उतनी ही असंतोषजनक है जितनी राष्ट्रीय परिदृश्य में देखी जा सकती है। राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान, इलाहाबाद (सीमेट) द्वारा जनपदीय स्तर पर संपन्न सामाजिक आकलन अध्ययन के जरिए यह ज्ञात हुआ है कि इलाहाबाद जनपद में विभिन्न प्रकार की अक्षमताओं वाले बच्चों की संख्या कुल आबादी के सापेक्ष 1.40 प्रतिशत है। इन अक्षमताओं वाले बच्चों का मुख्य संवर्ग शारीरिक विकलांगता (55.18 प्रतिशत) से संबंधित है। इसके बाद दृष्टि-अक्षम, श्रवण अक्षम एवं बोल सकने में अक्षम बच्चों का संवर्ग पाया गया है। उक्त अध्ययन से यह प्रकाश में आया है कि ऐसे अक्षम बच्चों में 56 प्रतिशत के लिए समन्वित शिक्षा की नितांत आवश्यकता है। इसके बाद 25.13 प्रतिशत बच्चों के लिए विशिष्ट शिक्षा तथा 3 प्रतिशत बच्चों के लिए गृह से आबद्ध शिक्षा व्यवस्था की जरूरत रेखांकित की गई।

3.8.1 विकलांग बच्चों के लिए समन्वित शिक्षा की प्रस्थिति

राज्य में विकलांग बच्चों को दृष्टिगत रखकर समन्वित शिक्षा का आयोजन करने हेतु प्रयास किए गए हैं। यह सोचा गया है कि विकलांग बच्चों को सामान्य शिक्षा व्यवस्था के तहत नामांकित किया

जाएगा। यह भी प्रस्ताव है कि ऐसे बच्चों की शिक्षा हेतु विशेष रूप से प्रशिक्षित शिक्षक एवं अपेक्षित उपकरणों का प्रावधान किया जाएगा। यहां उल्लेखनीय है कि समन्वित शिक्षा योजना के अंतर्गत राज्य ने प्राथमिक एवं माध्यमिक दोनों ही स्तरों पर व्यवस्थाएं गढ़ी हैं।

डी.पी.ई.पी.-II एवं III के तहत सामान्य शिक्षा को लामबंद करते हुए अपेक्षाकृत कम से मध्यम स्तर की अक्षमता (अपंगता) वाले बच्चों की शैक्षिक जरूरतों एवं अपेक्षाओं के प्रति पूरी व्यवस्था को विशेष रूप से संवेदनशील एवं सूक्ष्मग्राही बनाने के प्रयास किए गए हैं। इस दृष्टि से समन्वित शिक्षा की क्रियान्विति सुनिश्चित करने हेतु संगठनात्मक ढांचे को सक्रिय बनाया गया है। राज्य परियोजना निदेशक की अध्यक्षता में विकलांग बच्चों की शिक्षा संबंधी नीतियों एवं युक्तियों के निरूपण के लिए एक 'राज्य स्तरीय संदर्भदाता समिति' गठित की गई है। यही समिति डी.पी.ई.पी. के तहत समन्वित शिक्षा के कार्यक्रमों का भी मार्गदर्शन करती है। विकास खंड स्तर पर भी ऐसी ही समितियां इस आशय से गठित की गई हैं कि प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण एवं विद्यालयों में समन्वित शिक्षा के पर्यवेक्षण हेतु अपेक्षित तकनीकी समर्थन मुहैया हो सके।

संकुल केंद्रों, ग्राम शिक्षा समितियों एवं विद्यालय स्तरों पर विकलांग बच्चों के अभिभावकों को शामिल करते हुए वर्तमान व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ एवं प्रभावशाली बनाने का प्रयत्न किया गया है। ग्राम शिक्षा समितियों के सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में विकलांग बच्चों से संबंधित विशेष अंश जोड़ दिया गया है जिससे वे इनकी आवश्यकताओं एवं अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशीलता विकसित कर सकें। राज्य के 22 जनपदों में समन्वित शिक्षा हेतु जनपदीय संयोजकों की नियुक्तियों का भी प्रावधान किया गया है।

3.8.2 डी.पी.ई.पी. (द्वितीय) के जनपदों में समन्वित शिक्षा का आच्छादन

यह कार्यक्रम दो चरणों में क्रियांवित हुआ है। पहले चरण में पांच जनपदों के प्रत्येक से दो विकास खंडों को शामिल किया गया। ये डी.पी.ई.पी. जनपद थे - बस्ती, सिद्धार्थ नगर, सोनभद्र, बरेली तथा हरदोई। दूसरे चरण में शेष 17 डी.पी.ई.पी. जनपदों के दो-दो विकास खंड लिए गए हैं।

विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों की पहचान हेतु सर्वेक्षण कराए गए हैं। समन्वित शिक्षा की उपयोगिता को ध्यान में रखकर इनमें से स्वल्प अक्षमता वाले बच्चों को चिन्हित कर लिया गया है। परियोजना के प्रथम चरण में पांच जनपदों के दस विकास खंडों से विशिष्ट आवश्यकता वाले 9,021 बच्चों की पहचान की गई। इनमें से 2,735 बच्चों (30:30 प्रतिशत) को समन्वित शिक्षा हेतु चयनित कर लिया गया। शिक्षा में उच्च अध्ययन संस्थान, रूहेलखंड विश्वविद्यालय द्वारा 40 मास्टर प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया। इस क्रम में बस्ती तथा सिद्धार्थ नगर जनपदों में चिकित्सकीय शिविर भी आयोजित किए गए।

समन्वित शिक्षा के क्रियांवयन के क्रम में इसके द्वितीय चरण के तहत विशिष्ट आवश्यकताओं वाले 52,173 बच्चों की पहचान की गई। इनमें से 9,724 बच्चों (18.63 प्रतिशत) को समन्वित शिक्षा के लिए चुना गया। इन डी.पी.ई.पी. जनपदों के ग्राम शिक्षा समितियों के सदस्यों, समुदाय के प्रतिनिधियों तथा शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। इस प्रकार

दूसरे चरण में रूहेलखंड विश्वविद्यालय, बरेली, अमर ज्योति, दिल्ली तथा उ.प्र. ग्रामीण शोध संस्थान, इलाहाबाद के माध्यम से 121 मास्टर प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है।

विकास खंडों एवं न्याय पंचायत स्तरीय समन्वयकों तथा प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए कई प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा चुके हैं। इनमें से 18 समन्वयकों/शिक्षकों के लिए मानसिक मन्दता में ब्रिज कोर्स, 19 समन्वयकों के लिए समन्वित शिक्षा में आधारभूत पाठ्यक्रम तथा चयनित विकास खंडों के 2,835 प्राथमिक शिक्षकों के लिए पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हुए हैं।

इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अतिरिक्त, पांच चिकित्सकीय सहायता शिविर बरेली, हरदोई तथा बस्ती जनपदों में चलाए गए हैं। इन शिविरों में अक्षम बच्चों को सहायक सामग्रियां एवं उपकरण भी वितरित किए गए हैं।

3.8.3 समन्वित शिक्षा में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका

प्रथम चरण के जनपदों में समन्वित शिक्षा कार्यक्रम प्रगति पर है। सन् 1999-2000 की अवधि में बस्ती तथा सिद्धार्थ नगर जनपदों में एक गैरसरकारी संगठन-शिक्षित युवा सेवा समिति के माध्यम से समन्वित शिक्षा के कार्यक्रम चलाए गए हैं। सन् 2000-2001 में तीन गैर सरकारी संगठन यथाः जीवन धारा, अंधों के लिए राष्ट्रीय संगठन तथा समन्वित समाज विकास बरेली तथा बाराबंकी जनपदों में समन्वित शिक्षा कार्यक्रम चला रहे हैं। बहराइच जनपद के लिए एक अन्य संगठन के चयन का कार्य भी विचाराधीन है।

3.9 समन्वित शिक्षा हेतु सामग्री विकास

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी.पी.ई.पी.) द्वितीय के तहत समन्वित शिक्षा की आवश्यकता को दृष्टिगत रखकर प्रशिक्षण का आयोजन एवं अध्ययन सामग्रियों का निर्माण किया गया है जिन्हें सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण, सामुदायिक सहभागिता विकास, ग्राम शिक्षा समितियों के सदस्य के प्रशिक्षण, बच्चों के सामान्य अध्ययन, विद्यालयीय पाठ्यपुस्तकों तथा सेवा-पूर्व शिक्षा पाठ्यक्रमों के उपयोग में लाया जा रहा है।

3.9.1 जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम III में प्रगति

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी.पी.ई.पी.) से आच्छादित जनपदों के लिए संगठनात्मक संरचनाएं विकसित की जा चुकी हैं। इनमें संबंधित विकास खंडों को चिह्नित किया गया है। प्रारंभिक चरण के प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा आधारभूत पाठ्यक्रम भी पूरे कर लिए गए हैं। संप्रति, इन परियोजनाओं को जनपदीय स्तरों पर चलाने के लिए गैर सरकारी संगठनों के चयन का कार्य प्रगति पर है।

3.10 माध्यमिक स्तर पर समन्वित शिक्षा कार्यक्रम

इस योजना के तहत राज्य सरकार ने 6 से 12 कक्षाओं के बच्चों को दृष्टिगत रखकर उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के संदर्भ में अधोलिखित प्रकार के बच्चों के लिए विविध प्रकार की क्रियाओं का आयोजन किया है :

- आंशिक रूप में श्रवण विकलांग बच्चों के लिए
- आंशिक रूप में दृष्टि विकलांग बच्चों के लिए
- शारीरिक विकलांगता वाले बच्चों के लिए
- मानसिक दृष्टि से मंदित बच्चों के लिए।

राज्य में केंद्र सरकार द्वारा समर्थित परियोजना के रूप में 'विकलांग बच्चों के लिए समन्वित शिक्षा योजना' प्रवर्तित है। त्यागी एवं शरदिन्दु (1999) द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार यह योजना राज्य के 10 जनपदों के उच्च प्राथमिक विद्यालयों एवं माध्यमिक विद्यालयों में क्रियान्वित हो चुकी है। ये जनपद हैं : मेरठ, आगरा, बरेली, गोरखपुर, फैजाबाद, झांसी, मुरादाबाद, पौड़ी गढ़वाल तथा बलिया। इस योजना के अंतर्गत आंशिक विकलांगता प्रदर्शित करने वाले बच्चों को पोशाक के लिए प्रतिवर्ष 200 रु. प्रति बच्चे, 400 रु. पुस्तकों तथा स्टेशनरी खर्च के लिए तथा हर माह 50 रु. प्रति बच्चे को यात्रा भत्ता के रूप में दिया जाता है। इस योजना के तहत लक्ष्य समूह के बच्चों को अधिक संख्या में आकर्षित करने में सफलता नहीं मिल पाई है। इस परियोजना के अलावा राज्य का समाज कल्याण विभाग भी मूक एवं बधिर बच्चों के लिए कतिपय विद्यालय चलाता है।

3.11 भावी वरीयताएं

प्राथमिक शिक्षा स्तर पर विशेषतौर से जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी.पी.ई.पी.) के संदर्भ में विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों की समन्वित शिक्षा हेतु किए गए प्रयास उत्साहवर्द्धक रहे हैं। इन्हें राज्य के सभी जनपदों में प्राथमिक शिक्षा की शैक्षिक नियोजन एवं प्रबंधन व्यवस्थाओं से जोड़ना समीचीन होगा। इस दृष्टि से सभी जनपदों के लक्ष्य समूह के अधिगमकर्त्ताओं की पहुंच सुनिश्चित करने, उनके विद्यालय में ठहराव तथा उपलब्धि स्तर की स्थिति को सुधारने हेतु प्रयास अपेक्षित है।

3.12 निष्कर्ष

विगत दशक में राज्य ने विविध योजनाओं के परिमाणात्मक विस्तार की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण प्रगति की है जिससे प्राथमिक शिक्षा में सार्वभौम अभिगम्यता, विद्यालयों में बच्चों का ठहराव एवं निरक्षरता उन्मूलन का मार्ग प्रशस्त हुआ है। मोटे तौर पर शिक्षा व्यवस्था के संरचनात्मक प्रबंधन में परिवर्तन हुआ है तथा ग्रामीण क्षेत्रों के सुविधा वंचित संवर्ग के अधिगमकर्ताओं पर भी दृष्टि केंद्रित हुई है। तथापि एक निश्चित समयावधि के भीतर सभी के लिए शिक्षा के उद्देश्यों की

संप्राप्ति में चुनौतियां विद्‌यमान हैं। इस दृष्टि से अनेकानेक प्रयोगात्मक पहल एवं प्रयासों द्‌वारा प्राप्त अनुभव अनुक्षेत्र विशिष्ट एवं लक्ष्य-उन्मुख समेकित युक्तियों के अपनाए जाने के प्रति अपेक्षित मार्गदर्शन कर सकते हैं जिससे समाज के सभी वर्गों के बच्चों के लिए जीवन के संदर्भों से जुड़ी शैक्षिक परिस्थितियों में भाग लेने का मौका प्राप्त होगा। इस दृष्टि से प्रभावी युक्तियों के निर्धारण में अपेक्षित सहभागिता एवं विकेंद्रीकरण लाने, वैकल्पिक शिक्षा प्रतिमानों के तहत अधिगमकर्ताओं की भागीदारी उन्मुख उपागम को प्रोत्साहित करने तथा जीवन-पर्यंत अधिगम की अवधारणा को वास्तविकता का रूप देने हेतु महत्त्वपूर्ण पग उठाए जाने की नितांत आवश्यकता है।

अध्याय 4

माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा

प्रस्तुत अध्याय में माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के संदर्भ में राज्य में प्रचलित संरचना, अभिगम्यता तथा लिंग एवं आंचलिकता से जुड़ी दृष्टिगत विषमताओं का विवरण प्रस्तुत है। इसके साथ ही, माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के महत्त्वपूर्ण मुद्‌दों तथा उसमें सुधार लाने हेतु उठाए गए पगों एवं इनसे निपटने के लिए प्रयुक्त युक्तियों का भी विस्तृत वर्णन दिया गया है। इसके एक पूरे भाग में यह वर्णित है कि +2 स्तर की शिक्षा पर व्यावसायीकरण किस हद तक लाया जा सका है तथा इस लक्ष्य की प्राप्ति में क्या समस्याएं, मुद्‌दे, सहलग्नताएं एवं भावी परिदृश्य उभर रहे हैं।

माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की प्रणाली व्यक्ति के जीवन की उस कोमल अवस्था से संबंधित है जो विकास की दृष्टि से अति महत्त्वपूर्ण है। व्यक्ति के जीवन चक्र की इस अवधि के तहत शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक विशेषताओं के परिप्रेक्ष्य में बहुत तेजी से बदलाव आता है। मनोवैज्ञानिक इसे 'दबाव एवं तनाव' दौर की संज्ञा देते हैं, तो समाजशास्त्री इसे **समाजीकरण** की प्रक्रिया में परिलक्षित परिवर्तन का महत्त्वपूर्ण चरण मानते हैं। जिनमें बाल्यावस्था की परिणति क्रमशः प्रौढ़ावस्था में हो जाती है। इस प्रकार एक सार्थक माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा-व्यवस्था का सृजन अत्यंत चुनौतीपूर्ण कार्य है। इस स्तर पर शिक्षा की विषय-वस्तु एवं शैक्षणिक प्रक्रियाओं तथा पद्‌धतियों को अपेक्षित सावधानी के साथ विकसित करने की आवश्यकता होती है क्योंकि इसके तहत जिन्हें शिक्षित करने का बीड़ा उठाया जाता है वे अतिसंवेदनशील सेवार्थी की कोटि में होते हैं। यह संवर्ग अपनी समस्याओं एवं अपेक्षाओं का सद्‌यः समाधान ढूंढ़ निकालने हेतु आतुर एवं अधीर रहता है। राष्ट्रीय स्तर पर माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की स्थिति को दर्शाते हुए उनकी संरचना, अभिगम्यता, लिंग एवं क्षेत्रीय विषमताओं को उजागर किया गया है। इसके साथ +2 स्तर पर शिक्षा में व्यावसायीकरण उसमें उद्‌योगों, उद्‌यमों एवं व्यापार आदि से संलग्नता, उद्‌यमिता प्रशिक्षण, स्व-नियुक्ति के अवसरों तथा केंद्रीय सरकार द्‌वारा पुरोनिधानित व्यावसायीकरण की योजनाओं, उनकी कार्यान्विति तथा राज्य में उनके प्रभाव एवं अनुभवों आदि का भी विवरण दिया गया है।

4.1 उत्तर प्रदेश राज्य में माध्यमिक शिक्षा : ऐतिहासिक परिदृश्य

विश्व के किसी भी देश की शिक्षा प्रणाली के तहत माध्यमिक शिक्षा एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण एवं सार्थक स्थान रखती है क्योंकि शिक्षा प्राप्ति की अवस्था में यह प्रथम अंतय चरण है। विषय-वस्तु एवं प्रक्रिया दोनों ही दृष्टियों से यह प्राथमिक एवं उच्च शिक्षा अवस्थाओं से भिन्न है। इसका महत्त्व एवं इसकी सार्थकता इस बात में है कि उच्च शिक्षा की कड़ी होने के साथ यह अपने आप में एक समन्वित पूर्ण कार्यक्रम है जिसके माध्यम से अच्छे, उत्तरदाई, प्रतिबद्ध नागरिक, अर्द्ध-कुशल, तकनीकी व्यक्ति एवं कार्य जगत के मध्यम-स्तरीय अभिकर्मियों की रचना होती है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि इसकी गुणवत्ता का स्वाभाविक असर उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में ही परिलक्षित न होकर देश की सामाजिक, वैज्ञानिक, प्राविधिक तथा आर्थिक प्रगति एवं उत्थान में भी दृष्टिगोचर होता है। अस्तु, नीति निर्माताओं एवं अन्य के लिए यह नितांत आवश्यक है कि माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता एवं स्तरोन्नयन तथा इसके विस्तार एवं सार्वभौमीकरण को दृष्टिगत रखकर अपेक्षित ईमानदारी एवं उत्साह के साथ प्रयासरत हों जिससे देश की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्राविधिक, पुनर्रचना एवं प्रगति सुनिश्चित की जा सके तथा सामाजिक विकास, सामाजिक पुनरुत्थान एवं राष्ट्र तथा राज्य की सामाजिक बनावट का अनुरक्षण संभव हो सके।

शिक्षा का सामान्य रूप में एवं माध्यमिक शिक्षा का विशेषतौर से यह उद्देश्य है कि अच्छे नागरिकों के विकास को सुकर बनाया जाए, ऐसे उत्तरदाई, बहुज्ञ, आत्मनिर्भर, विचारशील व्यक्ति तैयार किए जाएं जो लोकतांत्रिक, सोच के धनी, तदनुभूतिजन्य हों, जो अच्छे निर्णय लेने तथा उसमें मूल्यांकन करने में समर्थ हों तथा जो सामाजिक पुनर्रचना एवं आर्थिक विकास में भागीदारी करने एवं प्रभावी भूमिका निभाने में सक्षम हों। इस अवस्था को प्रायः दो भागों में बांटा जाता है। प्रथम, माध्यमिक शिक्षा की अवस्था जो कक्षा 10 तक मानी जाती है तथा द्वितीय उच्चतर माध्यमिक अवस्था जो कक्षा 11 एवं 12 को शामिल करते हुए उपकल्पित होती है। पहली अवस्था सामान्य शिक्षा से तथा दूसरी अवस्था द्विभाजन एवं विविधीकरण से जुड़ी हुई है।

लेकिन पूर्व में ऐसी व्यवस्था नहीं रही है। विश्वविद्यालयों का आधिपत्य एवं उनके द्वारा संचालित माध्यमिक स्तर की परीक्षाओं के कारण माध्यमिक शिक्षा की संस्थाएं अपनी स्वतंत्र व्यवस्थाओं को नहीं विकसित कर सकीं। इस परिप्रेक्ष्य में कई राज्यों ने अपने 'माध्यमिक शिक्षा बोर्ड' का गठन किया। सन् 1917 के सैंडलर आयोग की संस्तुति के आलोक में कई अन्य राज्यों ने नवीन प्रकार की संस्थाओं, यथा : इंटरमीडिएट कालेज की स्थापना की। इनमें कला, विज्ञान, चिकित्सा, इंजीनियरिंग तथा शिक्षण आदि के पढ़ाए जाने का प्रावधान किया गया। ऐसा महसूस किया गया है कि माध्यमिक कक्षाओं के स्थान पर ये कक्षाएं विश्वविद्यालय एवं माध्यमिक शिक्षा के मध्य अधिक उपयुक्त विभाजक रेखा बन सकेंगी। उत्तर प्रदेश (जो उस समय संयुक्त प्रांत था) भारत का प्रथम राज्य था जिसने माध्यमिक शिक्षा परिषद् की स्थापना सन् 1921 में

की। इस व्यवस्था के तहत माध्यमिक शिक्षा परिषद् को हाईस्कूल तथा इंटरमीडिएट तक की शिक्षा की देखरेख सौंपी गई तथा इस स्तर की शिक्षा के लिए स्थापित संस्थाओं का नियंत्रण भी इसी परिषद् के तहत कर दिया गया।

सन् 1934 में तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार (संयुक्त प्रांत) द्‌वारा गठित सप्रू कमेटी ने जिसे बेरोजगारी के कारणों का पता लगाने का कार्य दिया गया, इन संस्थाओं में तत्समय प्रचलित पाठ्‌यचर्याओं तथा शिक्षा पद्‌धति पर क्षोभ व्यक्त किया तथा यह संकेत दिया कि ये संस्थाएं उद्‌यम-परक या जीवनोपयोगी शिक्षा न देकर विद्‌यार्थियों को परीक्षा में बैठने की तैयारी पर विशेष जोर देती हैं। यह संस्तुत किया गया कि इंटरमीडिएट स्तर की शिक्षा को समाप्त कर माध्यमिक शिक्षा की अवधि 6 वर्ष करते हुए उसे 10 वर्ष के स्थान पर 11 वर्ष कर दिया जाए तथा उच्च माध्यमिक स्तर को 3 वर्ष की अवधि का बनाकर तदुपरांत त्रिवर्षीय डिग्री पाठ्‌यक्रम विश्वविद्‌यालयों के स्तर पर चलाए जाएं। सन् 1944 में स्थापित केंद्रीय परामर्शदायिनी बोर्ड ने *6 वर्षीय हाईस्कूल की व्यवस्था को दो धाराओं में विभाजित करने की संस्तुति की - शैक्षिक एवं* तकनीकी जिसमें प्रवेश हेतु 11 वर्ष की आयु निर्धारित की गई। माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952) ने माध्यमिक शिक्षा की संरचना में एकरूपता एवं स्पष्टता का अभाव देखते हुए उच्चतर माध्यमिक विद्‌यालयों की स्थापना हेतु संस्तुति की जिसमें विद्‌यालयी शिक्षा की अवधि को एक वर्ष और बढ़ाने का प्रस्ताव था। ऐसा इसलिए भी किया गया क्योंकि विश्वविद्‌यालयों एवं व्यावसायिक पाठ्‌यक्रमों में प्रवेश लेने के लिए इच्छुक विद्‌यार्थियों का शैक्षिक स्तर सामान्यतः असंतोषजनक एवं उनकी प्रवेश आयु निम्न पाई गई। सात वर्षों की अवधि वाली माध्यमिक शिक्षा को अभ्यर्थियों में अपेक्षित स्तर की परिपक्वता, ज्ञान, अवबोध एवं विवेकपूर्णता लाने तथा बाद के जीवन में सक्षम प्रतियोगिता विकसित करने के उद्‌देश्य से पर्याप्त समझा गया। इस प्रकार देश के स्वतंत्र होने के समय वर्नाक्यूलर–मिडिल, हाईस्कूल तथा इंटरमीडिएट विद्‌यालयों के माध्यम से विभिन्न अवधि पर आधारित शिक्षा का प्रावधान था।

देश में सामान्य रूप से प्रचलित शिक्षा के परिदृश्य के सापेक्ष उत्तर प्रदेश राज्य की स्थिति अपवाद कही जा सकती है क्योंकि माध्यमिक शिक्षा आयोग की संस्तुतियों के समकाल ही राज्य द्‌वारा गठित आचार्य नरेन्द्र देव समिति (1952) ने एक वैसी ही व्यवस्था का अनुमोदन किया। ऐसी दशा में इंटरमीडिएट विद्‌यालयों को एक वर्ष की और अवधि प्रदान करते हुए उन्हें उच्चतर माध्यमिक संरचना से जोड़ दिया गया तथा तीन वर्षों के स्नातक पाठ्‌यक्रम की पहल की गई। इस शैक्षिक संरचना के अनुपालन में अधिक वित्त लगने के फलस्वरूप कई राज्यों में यह व्यवस्था नहीं अपनाई जा सकी। किंतु उत्तर प्रदेश राज्य में उच्चतर माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट शिक्षा प्रणाली दोनों ही साथ-साथ चलती रहीं। आगे चलकर नई शैक्षिक संरचना 10+2+3 के अधिमानित होते ही यह व्यवस्था परिवर्तित हो गई।

सन् 1950-51 में उत्तर प्रदेश राज्य में 987 माध्यमिक शिक्षा स्तर की संस्थाएं थीं जिनमें 4,17,405 विद्‌यार्थी नामांकित थे। इनमें लिंग एवं अनुक्षेत्रीय स्थितियों के सापेक्ष पर्याप्त विषमताएं विद्‌यमान थीं। उस समय इस प्रकार की लिंग आधारित विषमताएं लगभग सभी राज्यों में एक

जैसी थीं। सारणी 4.01 को देखने से विदित होगा कि बालिका एवं बालक विद्यालयों में 1:5.5 का अंतर विद्यमान था तथा महिला एवं पुरुष शिक्षकों की दृष्टि से यह अनुपात 1:6 था।

सारणी 4.01 : *उत्तर प्रदेश में विद्यालयों, विद्यार्थियों तथा शिक्षकों की संख्या*

वर्ष	*विद्यालयों की संख्या*			*विद्यार्थियों की संख्या*			*शिक्षकों की संख्या*		
	बालक	*बालिका*	*योग*	*बालक*	*बालिका*	*योग*	*पुरुष*	*महिला*	*योग*
1950-51	833	154	987	359580	57825	417405	15453	2774	18227

स्रोत : *शिक्षा की प्रगति,* शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, 1999-2000

लिंग संबंधी विषमता का प्रायः सभी राज्यों में पाए जाने की स्थिति में भी माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा महिला शिक्षा में अभिगम्यता के बिंदु पर अलग से विचार नहीं किया गया। इसके पीछे यह तर्क था कि हर प्रकार की शिक्षा जो दूसरों के लिए प्राप्य है, महिलाओं के लिए भी उपलब्ध होनी चाहिए। आयोग, 1952 के सर्वेक्षण दल ने इस बात को विशेष रूप से रेखांकित किया कि महिलाएं प्रायः उन सभी संकायों में प्रवेश प्राप्त कर सकी हैं (सीमित संख्या में) जो उन्हें उस समय लगभग एक पीढ़ी पहले उनकी पहुंच के बाहर अथवा उनके लिए वे विषय अनुपयुक्त समझे जाते थे। तथापि लड़कियों के लिए गृह-विज्ञान के पाठ्यक्रमों का प्रावधान, मिले-जुले सह-शिक्षा पद्धति वाले विद्यालयों में भी किए जाने की राय दी गई किंतु इस शर्त पर कि वे बालिकाओं की विशिष्ट आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सकें तथा पृथक से सफाई सुविधाओं, विश्राम कक्ष, दोनों लिंग के शिक्षकों की नियुक्ति तथा ऐसे विषय एवं पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं यथा गृह-शिल्प, संगीत, चित्रकला आदि की उपलब्धता सुनिश्चित हो।

परीक्षा के बोझ से पूरी शिक्षा-व्यवस्था के दबे होने का एहसास करते हुए आयोग द्वारा पूरी माध्यमिक शिक्षा स्तर के बाद केवल एक परीक्षा लेने की जिम्मेदारी दी गई। वित्तीय अभाव एवं शिक्षकों की कमी तथा असंतुलित छात्र-शिक्षक अनुपात के चलते राज्य में सेमेस्टर प्रणाली को लागू नहीं किया जा सका। तथापि आयोग की संस्तुति के अनुरूप तीन वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम जिसे उच्चतर माध्यमिक स्तर की शिक्षा के बाद लागू किया जाना था (केंद्रीय विश्वविद्यालयों, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय तथा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को छोड़कर) सामान्यतः शिक्षा संरचना का अंग नहीं बन सका। कतिपय माध्यमिक विद्यालयों को उच्चीकृत के आधार पर बहुल विद्यालयों के रूप में विकसित कर उनमें शिक्षा प्राप्त विद्यार्थियों को पालीटेक्निक तथा प्रौद्योगिकी संस्थानों में प्रवेश दिए जाने का प्रावधान किया गया।

4.1.1 10+2+3 प्रणाली का प्रारंभ

स्वातंत्र्योत्तर काल में पहला आयोग जिसने शिक्षा के सभी स्तरों से संबंधित परिदृश्य की समीक्षा करते हुए अपनी संस्तुतियां प्रस्तुत कीं वह सन् 1964 में डा. डी.एस. कोठारी की अध्यक्षता में गठित हुआ था। इस शिक्षा आयोग ने शिक्षा की समान संरचना लागू करने का महत्त्वपूर्ण सुझाव

दिया जिससे शैक्षिक स्तरों में समन्वय लाने के साथ कई प्रकार की विभ्रान्तियों का निवारण हो सके। यहां उल्लेखनीय है कि शिक्षा की राष्ट्रीय व्यवस्था विकसित करने की संकल्पना पहले से ही मुखर हो रही थी किंतु 10+2+3 नवीन शैक्षिक संरचना का प्रस्ताव अधोलिखित बिंदुओं से संबंधित था।

- दस वर्ष की सामान्य शिक्षा जिसमें 7 से लेकर 8 वर्ष की अवधि की प्राथमिक शिक्षा 3 अथवा 2 वर्षों की माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा एवं 1 से 3 वर्षों की व्यावसायिक शिक्षा शामिल है।
- दो वर्ष की उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा जिसमें सामान्य शिक्षा की प्रमुखता होगी तथा 1 से 3 वर्ष की व्यावसायिक शिक्षा।
- उच्च शिक्षा जिसमें तीन-वर्षीय स्नातक स्तर की शिक्षा तथा तदुपरांत दो या अलग-अलग अवधि की स्नातकोत्तर एवं शोध-उपाधि के लिए शिक्षा।

उक्त प्रस्ताव में निहित यह आशय था कि दस वर्ष की अव्धि की सामान्य शिक्षा किसी विशिष्टीकरण या विविधीकरण पर बल दिए बगैर प्रावधानित हो जिससे शिक्षा का आधार सुदृढ़ बन सके। इसके बाद केवल एक वाह्य परीक्षा की व्यवस्था उपकल्पित थी। तत्समय प्रचलित प्री-यूनिवर्सिटी पाठ्यक्रमों को विश्वविद्यालयों से हटाकर माध्यमिक विद्यालयों को हस्तांतरित करने की भी संस्तुति की गई। उच्च माध्यमिक विद्यालयों में इस रूप में परिवर्तन की अपेक्षा थी कि कक्षा 10 तक किसी भी प्रकार का विशिष्टीकरण न हो। विद्यालय में प्रवेश की आयु 6 वर्ष से कम नहीं रखने के साथ पाठ्यक्रम की बोझिलता को घटाने एवं भाषा, प्रारंभिक गणित तथा पर्यावरणीय अध्ययन पर विशेष बल देने का सुझाव दिया गया। उच्च माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रमों में अपेक्षित गहराई सुनिश्चित कर उनमें विविधता लाने का संकेत दिया गया जिससे प्रत्येक विद्यार्थी तीन विकल्पों में से एक को चुनकर विशेष योग्यता प्राप्त कर सके।

इन दोनों आयोगों का यह स्पष्ट प्रभाव शिक्षा विशेष तौर से माध्यमिक स्तर की शिक्षा के अभूतपूर्व विस्तार से देखा जा सकता है। इस विस्तार का क्रम यहां तक पहुंच गया है कि लगभग 90 प्रतिशत ग्रामीण आबादी में 1.5 से 2.5 कि.मी. की दूरी के तहत विद्यालयों की उपलब्धता सुनिश्चित है। तथापि सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1986 के क्रियान्वयन शैक्षिक संरचना 10+2+3 के अपनाए जाने से संबंधित है।

राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध आंकड़े यह बताते हैं कि सन् 1950-51 से लेकर सन् 1982-83 की तीन दशकों वाली अवधि में विद्यालयों की संख्या 13,596 से बढ़कर 1,23,300 तक पहुंच गई जो 7.2 प्रतिशत की वार्षिक अभिवृद्धि का सूचक है। इस प्रकार 11 से 14 वर्ष आयुवर्ग के बच्चों की संख्या 12.9 प्रतिशत से बढ़कर 40 प्रतिशत तथा शिक्षकों की संख्या 85,496 से बढ़कर 8,46,772 हो गई। इस क्रम में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या 7,300 से 52,279 तथा सन् 1983 तक 56,323 हो गई जिनमें विद्यार्थी नामांकन 97,45,519 संसूचित था।

4.1.2 उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा का विस्तार

राष्ट्रीय स्तर के सापेक्ष उत्तर प्रदेश राज्य में दृष्टिगत विस्तार को सारणी 4.02, 4.03 तथा 4.04 में दर्शाया गया है।

सारणी 4.02 : *उत्तर प्रदेश में माध्यमिक विद्यालयों (उच्चतर माध्यमिक) की संख्या*

प्रकार	*1960-61*	*1970-71*	*1980-81*
बालक	1489 (78.75)	2834 (90.33)	4420 (55.96)
बालिका	282 (83.12)	581 (106.03)	758 (30.47)
योग	1771 (79.43)	3415 (92.83)	5178 (51.63)
ग्रामीण	749 (48.91)	1840 (145.66)	3394 (84.46)

स्रोत : *शिक्षा की प्रगति,* शिक्षा निदेशालय, उ.प्र., 1999-2000

टिप्पणी : दशकीय विकास दर कोष्ठक में दर्शाई गई है।

सारणी 4.02 में उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा की प्रगति राष्ट्रीय आंकड़ों के सापेक्ष पर्याप्त संतोषजनक है। तथापि राज्य की बढ़ी हुई आबादी को दृष्टिगत रखकर संपूर्ण रूप में यह परिस्थिति बेहतर नहीं कही जा सकती। दो दशकों की अवधि सन् 1960-61 से 1980-81 में विद्यालयों की संख्या में समान रूप से बढ़त परिलक्षित होती है। दशाब्दिक रूप में सन् 1960 से यह संख्या तेजी से बढ़ी लेकिन इसके बाद यह घटकर परिपूर्णता की स्थिति में पहुंच गई। इसका एक निहितार्थ यह था कि राज्य सरकार को अपनी तेजी से बढ़ रही छात्र-आबादी की जरूरतों को संतुष्ट करने की दृष्टि से वैकल्पिक प्रतिमानों एवं मुक्त व्यवस्थाओं का आश्रय लेना पड़ा। बालकों और बालिकाओं की संख्या में भी काफी भिन्नता पाई गई। बालकों के विद्यालय बालिका विद्यालयों के सापेक्ष पांच गुना अधिक थे। दोनों दशकों में लगभग यह स्थिति बनी रही। इस प्रकार इन दशकों में ग्रामीण तथा शहरी विद्यालयों की संख्या भी लगभग विषम बनी रही। लेकिन 1970-71 के दशक में यह विषमता अपेक्षाकृत कम थी।

इन दो दशकों की महत्त्वपूर्ण विशेषताओं में विद्यार्थियों की नामांकन संख्या में अभिवृद्धि भी शामिल है। सारणी 4.03 में इससे संबंधित आंकड़े उपलब्ध हैं।

सारणी 4.03 : *उत्तर प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या*

1960-61			*1970-71*			*1980-81*		
बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
757592	154485	912077	1851759	463977	2315736	2752494	695829	3448323

स्रोत : *शिक्षा की प्रगति,* शिक्षा निदेशालय, उ.प्र., 1999-2000

सारणी 4.03 के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि उत्तर प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में सन् 1960-61 में विद्यार्थियों की संख्या 9,12,077 थी जो सन् 1970-71 में बढ़कर

23,15,736 हो गई। इस प्रकार विद्यार्थियों के नामांकन में उक्त अवधि में ढाई गुना वृद्धि दर्ज हुई। इसी प्रकार सन् 1980-81 में यह नामांकन बढ़कर 34,48,323 हो गया जो पूर्ववर्ती दशक से 1.6 गुना तथा सन् 1960-61 के सापेक्ष लगभग 4 गुना हो गया।

लिंग के आधार पर विश्लेषण करने पर यह मालूम होता है कि सन् 1960-61 में माध्यमिक स्तर पर बालकों की संख्या 7,57,592 थी जो सन् 1970-71 में 18,51,759 हो गई। इसके सापेक्ष बालिकाओं की संख्या उक्त दशकों में 1,54,485 से सन् 1970-71 में 4,63,977 तक पहुंच पाई। बाद के दशक अर्थात् 1970-71 से 1980-81 में दोनों ही संवर्गों में विद्यार्थियों की संख्या में अभिवृद्धि हुई है। इस प्रकार लिंग के आधार पर विद्यार्थियों की संख्या बालक एवं बालिका दोनों ही संवर्गों में वृद्धिशील रही है। मोटे तौर पर इन दोनों दशकों में विद्यार्थियों के नामांकन में चार गुना वृद्धि दर्ज हुई है।

जैसाकि पहले संकेत दिया जा चुका है उक्त अवधि में उत्तर प्रदेश राज्य के माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या भी बढ़ी है किंतु शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात की दृष्टि से यह वृद्धि बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है।

सन् 1960-61 से 1980-81 तक के दशकों में शिक्षकों की संख्या सारणी 4.04 में सारांकित है।

सारणी 4.04 : *उत्तर प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या*

1960-61			*1970-71*			*1980-81*		
पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग
30222	5854	36076	64810	14838	79648	96117	19747	115864

स्रोत : *शिक्षा की प्रगति,* शिक्षा निदेशालय, उ.प्र., 1999-2000

सारणी 4.04 से यह स्पष्ट होता है कि उत्तर प्रदेश राज्य के माध्यमिक विद्यालयों में सन् 1960-61 में शिक्षकों की संख्या 36,076 थी जो सन् 1970-71 में 79,648 तथा सन् 1980-81 में बढ़कर 1,15,864 तक पहुंच गई। इस प्रकार दोनों दशकों में मोटे तौर पर ऐसे शिक्षकों की संख्या में 2.4 गुना वृद्धि हुई है। यही स्थिति लगभग दोनों दशकों में पुरुष एवं महिला शिक्षकों की संख्या के बारे में देखी जा सकती है। लेकिन यहां विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि सन् 1960-61 में पुरुष शिक्षकों की संख्या 30,222 थी जो सन् 1970-71 में दो गुना से भी अधिक बढ़कर 64,810 हो गई जबकि सन् 1980-81 के सापेक्ष यह अभिवृद्धि मात्र .5 गुना हुई जिसमें यह संख्या 96,117 तक ही पहुंच सकी। पुरुष शिक्षकों के सापेक्ष महिला शिक्षकों की संख्या में वृद्धि 1960-61 एवं 1970-71 के दशकों में तीन गुना दर्ज की गई है। आगे के दशक में यह वृद्धि मात्र 1.4 गुना ही अंकित हो सकी।

इस प्रकार, महिला शिक्षकों की कुल संख्या सन् 1960-61 में 5,854 थी जो सन्

1970-71 में 14,833 तथा सन् 1980-81 में 19,747 हो गई। उक्त अवधि में दोनों ही संवर्ग के शिक्षकों की संख्या में वृद्धि कुल मिलाकर तीन गुना से भी अधिक दृष्टिगत हुई है।

4.1.3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से विस्तार

सारणी 4.05 में सन् 1990-91 तथा सन् 1999-2000 के दशक में माध्यमिक विद्यालयों, विद्यार्थियों एवं शिक्षकों की संख्या अंकित हैं।

सारणी 4.05 : *उत्तर प्रदेश में विद्यालयों, विद्यार्थियों तथा शिक्षकों की संख्या*

वर्ष	विद्यार्थियों की संख्या			शिक्षकों की संख्या			माध्यमिक विद्यालयों की संख्या		
	बालक	बालिका	योग	पुरुष	महिला	योग	बालक	बालिका	योग
1990-1991	3614474	1145932	4760406	106650	19522	126172	5113	886	5999
1999-2000	4021356	1774321	5795677	114494	26838	141332	9175	2349	11524

स्रोत : *शिक्षा की प्रगति,* शिक्षा निदेशालय, उ.प्र., 1999-2000

सारणी 4.05 से यह देखा जा सकता हैं कि सन् 1990-91 में उ.प्र. राज्य में माध्यमिक विद्यार्थियों की कुल संख्या 4760406 थी जो सन् 1999-2000 में स्वल्प वृद्धि के साथ 5795677 हो गई। लगभग यही स्थिति बालकों की संख्या-वृद्धि के बारे में पाई गई। सन् 1999-2000 में यह संख्या लगभग 4 लाख हो गई। लेकिन बालिकाओं की संख्या 1990-91 में 1145932 थी जो सन् 1999-2000 में बढ़कर 1774321 हो गई। बालिकाओं की संख्या में प्रदर्शित यह कमी चिंता का विषय है जिस पर आगे की योजनावधि में तत्काल कारगर उपाय अपेक्षित हैं।

सारणी 4.05 से यह भी स्पष्ट होता है कि सन् 1990-91 में माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या 126172 थी जो सन् 1999-2000 में थोड़ी वृद्धि के साथ 141332 हो गई। लिंग के आधार पर पुरुष शिक्षकों की संख्या संबंधी स्थिति लगभग इसी के अनुरूप रही, किंतु महिला शिक्षकों की संख्या पर्याप्त उत्साहवर्द्धक पाई गई। सन् 1991 में महिला शिक्षकों की संख्या मात्र 19552 थी जबकि 1999-2000 में उनकी संख्या बढ़कर 26838 हो गई। यह वृद्धि लगभग दो गुने तक पहुंच गई। महिला शिक्षकों की संख्या में वृद्धि के लिए कई कारक प्रभावी माने जा सकते हैं जिनमें महिला सबलीकरण अभियान, अधिक बालिका विद्यालयों का समारंभ किया जाना, समाज में शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार तथा आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में द्रुत विकास विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

विद्यालयों की संख्यात्मक स्थिति के बारे में सारणी 4.05 से यह ज्ञात होता है कि सन् 1990-91 में माध्यमिक विद्यालयों की संख्या 5,999 थी जो सन् 1999-2000 में बढ़कर

11,524 हो गई। इनमें लिंग के आधार पर बालकों के विद्यालयों की संख्या सन् 1990-91 में 5,113 थी जो सन् 1999-2000 में 9,175 हो गई तथा बालिका विद्यालयों की संख्या इसी समय में 886 से बढ़कर 2,349 हो गई। इस अभिवृद्धि के फलस्वरूप महिला शिक्षकों की संख्यात्मक वृद्धि को सहज ही देखा जा सकता है। कुल संख्यात्मक विकास पर थोड़ी और गहराई में विचार करने से यह विदित होगा कि विद्यालयों की संख्या लगभग दो गुना बढ़ी है। जिसके सापेक्ष विद्यार्थियों की संख्या में अभिवृद्धि अत्यंत हाशिए पर दिखाई पड़ती है। इन माध्यमिक विद्यालयों में अधिरचनात्मक सुविधाओं की दृष्टि से अथवा क्षेत्रीय विषमताओं के परिप्रेक्ष्य में स्थिति अति संकुचित बनी हुई है। उत्तर प्रदेश में माध्यमिक विद्यालयों की स्थिति चित्र 4.1 से भी स्पष्ट की गई है।

सरकारी, निजी एवं सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की जो स्थिति समीक्षा बैठक (फरवरी 2001) के अनुसार दर्शाई गई है उसमें राज्य में सन् 2000-2001 की अवधि में सरकारी माध्यमिक विद्यालयों की संख्या 548, प्राईवेट सहायता प्राप्त विद्यालयों की संख्या 4,435 तथा वित्तविहीन अधिमान्यता प्राप्त विद्यालयों की संख्या 6541 है। इस प्रकार संप्रति, माध्यमिक विद्यालयों की कुल संख्या 11,524 जो 11 से 14 वर्ष आयुवर्ग के बच्चों का विद्यालय में भारी नामांकन को देखते हुए शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात को आगे और कुप्रभावित कर सकता है (चित्र 4.2)।

राज्य में संप्रति 548 सरकारी विद्यालय हैं। इनमें से 151 के पास उनका निजी भवन नहीं है तथा 35 विद्यालयों के भवन निर्माणाधीन हैं, किंतु वित्तीय अभाव के कारण यह सारा कार्य अधर में पड़ा हुआ है। इतनी कम संख्या में सरकारी विद्यालयों की उपलब्धता से माध्यमिक शिक्षा के अवसर कुंठित होते दिखाई पड़ रहे हैं। इस समस्या के समाधान हेतु खास तौर से बालिकाओं के संदर्भ में सरकार निजी उद्यमिताओं को प्रोत्साहित कर रही है। सन् 1995-96 से बालिका विद्यालय की स्थापना हेतु सरकार द्वारा एक मुश्त 10 लाख रुपए के अनुदान का प्रावधान रहा है। इस प्रकार अब तक कुल 278 नए विद्यालय खुल चुके हैं। सन् 1998-99 से इस अनुदान की राशि बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई है। 361 बालिका विद्यालय जिन्हें यह अनुदान अनुमन्य है, 131 ऐसे विद्यालय अनुदान की दूसरी किश्त भी प्राप्त कर चुके हैं। बालिका विद्यालयों को इस ढंग से प्रोत्साहन देने के साथ राज्य सरकार ऐसे विद्यालयों को भी वित्तीय सहायता हेतु वचनबद्ध है जहां विद्यार्थियों का नामांकन बढ़ा है। यह वित्तीय सहायता आधारिक सुविधाओं, फर्नीचर, कक्षा गृह निर्माण, शौचालय एवं अन्य आवश्यक सामग्रियों के लिए दी जाती है। कतिपय अच्छे विद्यालयों को प्रोत्साहन अनुदान तथा ग्रामीण अंचलों में अवस्थित बालिकाओं को विशेष सुविधा प्रदान करने हेतु सह-शिक्षीय विद्यालयों को वित्तीय सहायता का प्रावधान है। इसी प्रकार की सुविधाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में विकसित करने के लिए शिक्षा विभाग को 33.73 करोड़ रु. का अनुदान प्राप्त कराया गया है। सन् 2000 से 2003 की अवधि में इसमें से 24.70 करोड़ रु. का उपयोजन 36 माध्यमिक विद्यालयों के भवन खड़ा करने हेतु

किया जा रहा है। शेष 9.83 करोड़ रुपए का उपयोग फर्नीचर, प्रयोगशालाओं, चहारदीवारी, पेयजल सुविधाओं आदि के लिए प्रावधानित है। सन् 2000-2001 में 18 नए माध्यमिक विद्यालयों के भवन, 17 हाई स्कूलों तथा 17 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान प्रयोगशाला सर्जित करने का लक्ष्य है।

चित्र 4.1 : उत्तर प्रदेश में माध्यमिक विद्यालयों का विकास (1950-2000)

चित्र 4.2 : उ.प्र. में माध्यमिक विद्यालयों का प्रबंधन व्यवस्था के अनुसार प्रतिशत

सरकार इस बात के लिए भी प्रयासरत् है कि अधिकाधिक निजी संस्थाओं को सहायता प्राप्त विद्यालयों की सूची में लाया जाए। इस प्रकार विद्यालयों को मान्यता प्रदान करने वाले नियमों को शिथिल कर दिया गया है।

पूर्व में सेवित विकास खंडों में से सन् 2000-2001 की अवधि में 541 न्याय पंचायतों को एक मुश्त अनुदान हेतु चिह्नित किया गया है। इस उद्देश्य से 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है जिससे इस कार्यक्रम के अंतर्गत 100 विद्यालय आच्छादित होंगे। इस क्रम में 20 संस्थाएं अनुदान की प्रथम किश्त प्राप्त कर चुकी हैं तथा दूसरे के लिए भी विशेष रूप से कार्य प्रगति पर है।

इन कार्यक्रमों के नियोजन, क्रियान्वयन एवं लामबंदी के साथ राज्य ने अन्य कई प्रशंसनीय पग उठाए हैं। राज्य एवं पब्लिक पुस्तकालयों की स्थिति सुधारने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इस दृष्टि से 3 करोड़ रुपए का प्रावधान पहले से ही कर दिया गया है। विद्यालयों के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश राज्य ने विविध स्तरों पर शुल्क वृद्धि हेतु

भी निर्णय लिया है। शिक्षकों के चयन एवं विनियमितीकरण की प्रक्रियाओं को सुधारने एवं लंबित न्यायालयी प्रकरणों के निस्तारण जैसे मामलों पर सरकार विशेष रूप से प्रयासरत है। शिक्षकों की भविष्यनिधि के संबंध में विद्यालयों को अपेक्षित कार्यवाही हेतु निर्देश दिए गए हैं। तथापि, राज्य की आबादी एवं यहां की समस्याओं की विशदता के आलोक में जो प्रगति होनी चाहिए थी, अभी सुनिश्चित नहीं हो सकी है। वित्तीय विवशताएं, प्रशासनिक विलंब एवं विभिन्न विभागों में समन्वय का अभाव आदि कतिपय ऐसी समस्याएं हैं जो अपेक्षित स्तर की प्रगति लाने में अवरोध पैदा करती हैं।

4.1.4 एक परिदृश्य

यह कहने में संकोच नहीं होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की अपनी कोई शिक्षा नीति नहीं बन सकी है जिससे अधिकांश मुद्दों पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं कार्य-योजना (1992) पर ही आश्रित रहकर प्रायः निर्णय लिए जाते हैं। इस प्रकार तदर्थ नीतियों में प्रचुरता आयी है तथा राज्य में शिक्षा की प्रगति एवं विकास की प्रक्रिया समन्वित एवं व्यवस्थाबद्ध तरीकों से सुनिश्चित नहीं की जा सकी है। इस परिप्रेक्ष्य में राज्य स्तरीय शिक्षा नीति संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करने का जो संकल्प अभी मुखर हुआ है, स्वागत योग्य है।

इन सभी विषम परिस्थितियों के बावजूद राज्य में माध्यमिक शिक्षा की प्रगति उल्लेखनीय है। राज्य के हर भाग तथा हर विद्यालय में नई शैक्षिक संरचना (10+2+3) अपनाई जा रही है। नए सरकारी विद्यालय अथवा निजी उद्यमकर्ताओं को अनुदान का प्रावधान कर दूरदराज के इलाकों एवं असेवित बस्तियों में विद्यालय स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। अधिकाधिक विद्यालयों में नए व्यावसायिक पाठ्यक्रमों या व्यावसायिक निविष्टियों को बढ़ाने का प्रावधान किया जा रहा है जिससे इस संबंध में सामान्यजन की आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जा सके। इसी प्रकार विद्यालयों की अपनी साधन-सुविधाओं, प्रयोगशालाओं एवं पुस्तकालयों की सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। बालिकाओं, अल्पसंख्यकों तथा पिछड़े संवर्ग के बच्चों की शिक्षा प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विशेष ध्यान दिया जा रहा है। शिक्षकों का प्रशिक्षण कार्य परिवर्द्धित एवं संशोधित रूप में चलाने की योजना बनाई जा रही है तथा शिक्षकों की समस्याओं, स्थितियों एवं शिकायतों को एक समग्र दृष्टि बोध के साथ निपटाने का संकल्प है जिससे अपेक्षित शीघ्रता एवं न्यायपूर्ण ढंग से उन्हें समाधान के घेरे में लाया जा सके।

4.2 माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता

4.2.1 हाई स्कूल की निम्न गुणवत्ता

परीक्षा परिणामों के बारे में जो स्थिति सारण॥ 4.06 को देखने से उभरती है उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि सत्र सन् 2000 की, उत्तर प्रदेश की बोर्ड परीक्षा में लगभग 23 लाख विद्यार्थी (16,39,958 नियमित और 5,23,576 व्यक्तिगत) जो हाईस्कूल की परीक्षा में बैठे थे

उनमें से 5,38,212 नियमित एवं 1,37,733 विद्यार्थी (क्रमशः 31.93 एवं 25.60 प्रतिशत) ही उत्तीर्ण हो सके।

सारणी 4.06 : *हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा का परीक्षाफल*

वर्ष		हाईस्कूल		इंटरमीडिएट	
		नियमित	व्यक्तिगत	नियमित	व्यक्तिगत
1999	परीक्षार्थियों की संख्या	1653013	676990	827603	225944
	उत्तीर्ण	525667	124456	539668	106589
	प्रतिशत	40.95	23.68	65.20	47.17
2000	परीक्षार्थियों की संख्या	1639958	523576	654503	192091
	उत्तीर्ण	538212	137733	480111	97959
	प्रतिशत	31.93	25.60	73.36	51.00

स्रोत : उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा (24 फरवरी 2001 बैठक की आख्या)।

इससे बेहतर परीक्षा परिणाम सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने नवीं कक्षा के सत्रांत में भी अनिवार्य रूप से आंतरिक परीक्षाएं आयोजित करने का निर्णय लिया है। यह भी तय किया गया है कि उन्हीं विद्यार्थियों को दसवीं कक्षा की परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी जिन्होंने 9वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग किए जाने की स्थिति पर भी गंभीरतापूर्वक विचार किया गया है तथा इन पर प्रभावी रोक लगाने हेतु कई महत्त्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। अपने ही विद्यालयों के परीक्षा केंद्रों में विद्यार्थियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं देने का प्रावधान किया गया है किंतु यह प्रतिबंध बालिका परीक्षार्थियों पर लागू नहीं होता। अन्य कई ऐसे उपाय किए गए हैं जिनसे अनुचित साधन-प्रयोग पर अंकुश लग सके। परीक्षकों की नियुक्ति कंप्यूटरों के माध्यम से करते हुए गोपनीयता सुनिश्चित की गई है। मूल्यांकन की अवधि एवं शिक्षकों की पारिश्रमिक दरें भी बढ़ाई गई हैं। सन् 2000 की परीक्षा सत्र से परीक्षा प्राप्तांक पत्रकों पर अभ्यर्थियों के पिता के नाम के साथ माता का नाम तथा उनका सत्यापित फोटोग्राफ भी दिया जाता है।

4.2.2 इंटरमीडिएट परीक्षा

+2 स्तर की परीक्षा में सन् 2000 में परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या 8.97 लाख (4,80,111 नियमित एवं 97,959 व्यक्तिगत) थी। इससे उ.प्र. शिक्षा बोर्ड की बड़ी जिम्मेदारी एवं परीक्षा के वृहद स्वरूप का अनुमान सरलतापूर्वक किया जा सकता है। सन् 1921 में इंटरमीडिएट एक्ट के अनुरूप स्थापित यह बोर्ड पहली परीक्षा सन् 1923 में आयोजित कर पाया। उस समय परीक्षार्थियों की संख्या मात्र 5,744 थी। अब इसे 23 लाख से भी अधिक परीक्षार्थियों की परीक्षा का इंतजाम करना पड़ रहा है। उक्त परिस्थिति में नवाचारी पद्धति ढूंढ़ने तथा सुदृढ़, दोष रहित एवं प्रभावी मूल्यांकन कार्यक्रम विकसित करने की आवश्यकता का सहज ही एहसास किया जा सकता है।

4.2.3 माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम

राष्ट्रीय स्तर पर लिए गए निर्णय के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य के माध्यमिक विद्यालयों में सन् 1998 में 10 वर्षीय सामान्य शिक्षा की अवधारणा को अपनाया गया। इसके तहत छः अनिवार्य एवं एक वैकल्पिक विषय के अध्ययन का प्रावधान है। विज्ञान विषय सभी के लिए (बालिकाओं के लिए भी) अनिवार्य बना दिया गया है। हाईस्कूल स्तर तक की शिक्षा में विशाखन को समाप्त कर दिया गया है। जिसे कोठारी आयोग की संस्तुति के अनुरूप भी कहा जा सकता है। किंतु इंटरमीडिएट स्तर पर अभ्यर्थियों को तीन धाराओं में से किसी एक को चयनित करना आवश्यक है। जो विद्यार्थी शैक्षणिक धारा में नहीं जाना चाहते उनके लिए कई व्यावसायिक विषयों की सूची दी गई होती है। वे उनमें से ही व्यावसायिक विषय का चयन करते हैं। ऐसी सूची में अनुपयोगी एवं अव्यवहार्य विषयों को हटा दिया गया है। विगत सत्र से इंटरमीडिएट कालेजों में सूचना प्रौद्योगिकी एवं कंप्यूटर साक्षरता के पाठ्यक्रम भी शामिल कर लिए गए हैं। कंप्यूटर शिक्षा के संदर्भ में एक नई योजना जिसमें निजी कंपनियों के माध्यम से शिक्षण की व्यवस्था होगी, शासन के विचाराधीन है। इसके तहत ऐसे विद्यालय जो 3 बजे के बाद अपने विद्यालय भवनों को व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रमों के लिए उपलब्ध करा सकते हैं, ये कंपनियां आवश्यक उपकरण एवं शिक्षकों की व्यवस्था करेंगी। विद्यार्थियों को शुल्क देना होगा। इस प्रकार की व्यवस्था लागू करने हेतु कंपनियों से अनुबंध पत्र भरवाने होंगे।

शिक्षा निदेशालय की कार्य पद्धति को कुशल एवं प्रभावी बनाने तथा उसकी विभिन्न इकाईयों में समन्वय के उद्देश्य से 52 जिला विद्यालय निरीक्षकों तथा 17 संयुक्त निदेशकों के घटकों में कंप्यूटरीकरण पूरा कर लिया गया है। 11वें वित्त आयोग द्वारा चिह्नित 30.10 करोड़ रुपए की राशि में से राज्य के जनपदीय मुख्यालयों को कंप्यूटर लैब की स्थापना हेतु अग्रिम राशि दी जा चुकी है। इसके साथ ही 57 जनपदों के राज्य इंटर कालेजों, परिसरों में संगणक प्रयोगशाला की स्थापना के लिए अपेक्षित कार्यवाही हो रही है।

4.2.4 राज्य मुक्त विद्यालय

राज्य में सतत् शिक्षा के कार्यक्रम को न चलोकर 'राज्य मुक्त विद्यालय' की शुरूआत के लिए आवश्यक विचार किया जा रहा है। इससे राज्य के अंतर्गत विद्यालय से विरत हो जाने वाले विद्यार्थियों एवं सेवारत अभ्यर्थियों के अलावा असेवित अनुक्षेत्रों तक पहुंच विकसित हो सकेगी। राज्य का यह दृढ़ संकल्प है कि कंप्यूटर एवं दूरदर्शन की सुविधाओं को दूर-दराज के इलाकों एवं बस्तियों तक उपलब्ध कराया जाए।

4.3 मदरसों के आधुनिकीकरण की योजना

राज्य के शैक्षिक कार्यों की परिधि में अल्पसंख्यकों, पिछड़ों एवं सुविधावंचित संवर्ग के बच्चों को शिक्षा का समान अवसर मुहैया कराने संबंधी कई कार्यक्रम आते हैं। इनमें से कतिपय कार्य

मदरसों एवं मकतबों के आधुनिकीकरण से संबंधित हैं जिसके अंतर्गत उनके पाठ्यक्रमों में विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी तथा सामान्य गणित को शामिल करना है जिससे वे कल्याणकारी राज्य के कार्यक्रमों एवं क्रियाओं में बच्चों को सक्रिय रूप में संलिप्त कर सकें। इन संस्थाओं में तत्काल प्रभाव से कंप्यूटर एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को भी रखा जाना है जिससे इनमें शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी मुख्य धारा से जुड़ने में कठिनाई का अनुभव न करें। शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े अनुक्षेत्रों में बालिकाओं को छात्रावास की सुविधा प्रदान करना, अनुसूचित जाति एवं जनजाति की भांति छात्रवृत्तियों का वितरण, अरबी-फ़ारसी मदरसों को सहायता प्राप्त विद्यालयों की सूची में लाना तथा उन्हें अधिमान्यता देना आदि कई ऐसी योजनाएं हैं जो इस संदर्भ में विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

अल्पसंख्यक समूह के बच्चों को छात्रवृत्तियां देने के उद्देश्य से 1999-2000 के बजट में 107.20 करोड़ रुपए प्रावधानित थे। कक्षा 1 से 5 के बच्चों को 25 रु प्रतिमाह, कक्षा 6 से 8 के बच्चों को 40 रु प्रतिमाह तथा 9 से 10 के बच्चों को 60 रु प्रतिमाह छात्र-वृत्ति देने का प्रावधान है। विगत एक वर्ष से यह राशि ग्राम पंचायत के माध्यम से सीधे वितरित की जाती है। संप्रति, राज्य में 840 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं जबकि सन् 1997-98 में इनकी संख्या मात्र 451 थी। इनमें से 317 मदरसों को सहायता प्राप्त विद्यालयों की सूची में चयनित किया गया है। इन मदरसों में शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों के वेतन पर होने वाले व्यय को राज्य सरकार वहन करती है। इस प्रकार इन संस्थाओं में ऐसे पदों की संख्या 15 है - प्रधानाचार्य (1), शिक्षक (12), लिपिक (1) एवं चपरासी (1)। इनके वेतन के वितरण का अधिकार अल्पसंख्यकों के लिए गठित कल्याण बोर्ड के अधिकारी को प्रदत्त हैं। सन् 2000-2001 में वेतन आदि के भुगतान हेतु 36 करोड़ रुपए का प्रावधान था जबकि इसके पूर्व के वर्षों में यह राशि 19 करोड़ रुपए थी। इन संस्थाओं में कार्यरत अभिकर्मियों के लिए सन् 1993 से ही पेंशन एवं आनुतोषिक की योजना लागू है।

4.4 अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए प्रोत्साहन

राज्य सरकार ने इधर विभिन्न अनुक्षेत्रों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से संबंधित क्षेत्रक कार्यक्रमों के लिए नियमित रूप से अनुलाभ मिलते रहने की प्रक्रिया सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से विशेष जोर दिया है तथा विशिष्ट संघटक योजनाओं में बजट का 20 प्रतिशत आबंटित करती है। कल्याणकारी योजनाओं में प्रमुख रूप से वजीफे, पुस्तक क्रय हेतु अनावर्तक सहायता, शुल्क की प्रतिपूर्ति, आश्रम प्रकार के विद्यालयों की स्थापना, छात्रावास एवं कोचिंग केंद्र शामिल हैं। यहां उल्लेखनीय है कि अल्पसंख्यक एवं पिछड़े संवर्गों के बच्चों को वजीफे की राशि समाज कल्याण विभाग द्वारा सीधे उन संस्थाओं में वितरण हेतु उपलब्ध कराई जाती है। धनाभाव के चलते सभी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां नहीं मिल पाती हैं।

4.5 अन्य योजनाएं

प्राथमिक तथा माध्यमिक दोनों ही स्तरों पर विद्‌यालयों एवं अनौपचारिक शिक्षा व्यवस्थाओं में सांस्कृतिक एवं मूल्यपरक शिक्षा की निविष्टियों को बढ़ाने के लिए भी योजनाएं प्रवर्तित हो चुकीं हैं। जनसंख्या शिक्षा एवं विकास संबंधी योजनाएं जिन्हें सन् 1980 से ही चलाया जा रहा है, माध्यमिक एवं साथ ही प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रमों के तहत सम्मिलित हैं। इनके अलावा अन्य कई योजनाएं यथा : पर्यावरण शिक्षा, विज्ञान शिक्षा, कंप्यूटर साक्षरता तथा विज्ञान शिक्षण का स्तरोन्नयन आदि भी माध्यमिक स्तर के विद्‌यार्थियों के लिए क्रियान्वित हो रही हैं।

4.6 उच्चतर माध्यमिक स्तर

उच्चतर माध्यमिक स्तर जिसे +2 के नाम से भी जाना जाता है कई धाराओं एवं विषयों में विभक्त है। सन् 1993 से ही केंद्र द्‌वारा पुरोनिधानित योजना के रूप में माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण क्रियान्वयन में है। इस संबंध में एक संशोधित कार्यक्रम सन् 1998 से लागू हो चुका है। योजना आयोग ने इस योजना को राज्यों के हस्तांतरण हेतु पहले से ही चिह्नित कर रखा था किंतु अगस्त, 1999 तक ठोस निर्णय न लिए जाने की दशा में इसे पुनः जीवित करते हुए राज्यों को निस्तारित कार्यक्रम प्रस्ताव देने हेतु राय दी। कई राज्य जिनमें उ.प्र. भी शामिल है, बड़े पैमाने पर विस्तार लाने के लिए प्रयासरत हैं जिससे अधिकाधिक विद्‌यालय इससे आच्छादित हो सकें तथा उनमें मांग पर आधारित पाठ्‌यक्रम यथाः फैशन एवं वस्त्र निर्माण, परिधान उत्पादन, आभूषण निर्माण, फैशन प्राविधिकी तथा कंप्यूटर विज्ञान आदि को स्थान प्राप्त हो सके।

विकलांगों के लिए समन्वित शिक्षा योजना को भी इन विद्‌यालयों में लागू किया जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप दो पालीटेक्निक्स एक मैसूर तथा दूसरा कानपुर में स्थापित हो चुके हैं।

राष्ट्रीय मुक्त विद्‌यालय अपने सेवार्थियों को दृष्टिगत रखकर दूरवर्ती शिक्षा के माध्यम से पाठ्‌यक्रम चलाता है तथा राष्ट्रीय स्तर पर माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का कार्य करता है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्ड्री एजूकेशन तथा भारतीय स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षाओं के परिषद् की तरह यह व्यावसायिक शिक्षा की परीक्षाएं भी आयोजित करता है।

4.7 माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा में सुधार के प्रयास

सन् 1951 से लेकर अब तक राज्य में माध्यमिक स्तर की शिक्षा में सुधार लाने हेतु कई प्रयास किए गए हैं। सर्वप्रथम सन् 1952 में आचार्य नरेंद्र देव समिति गठित हुई जिसका मुख्य विचारणीय विषय था माध्यमिक शिक्षा को सफल एवं प्रभावी बनाने की दृष्टि से विविध मुद्‌दों पर गहन परीक्षण करना। इस समिति ने पाठ्‌यचर्याओं में सुधार के साथ अभिक्षमता परीक्षण, निर्देशन की समस्याओं, परीक्षाओं, कक्षाओं में रोकने, प्रवेश एवं प्रोन्नति संबंधी नीति तथा सहायता प्राप्त विद्‌यालयों के बेहतर प्रबंधन के बारे में अपनी संस्तुतियां दीं।

इसके अनंतर माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952) की संस्तुतियों के आलोक में पाठ्‌यक्रमों को पुनर्गठित करने एवं विद्‌यालयीय प्रणाली को नई दिशा प्रदान करने की दृष्टि से सतत प्रयास होते

रहे जिससे राष्ट्रीय एकता एवं पाठ्यक्रमों में विविधता लाने की प्रक्रिया को गतिशील बनाया जा सके। फलतः पूरी माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन लाने हेतु योजनाएं विकसित की गई एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को शामिल करते हुए कई कार्यक्रम राज्य स्तर पर प्रवर्तित किए गए हैं।

शिक्षा आयोग की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए उ.प्र. राज्य ने अधिकाधिक वृत्तिपरक पाठ्यक्रमों को अपनाए जाने तथा माध्यमिक स्तर की शिक्षा में मूल्य एवं संस्कृति उन्मुख कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करने हेतु कई सराहनीय कदम उठाए हैं। इसके साथ ही, समान विद्यालयीय व्यवस्था एवं विद्यालय-संकुल की अवधारणा को भी अपनाए जाने के स्पष्ट संकेत हैं।

इस प्रकार सन् 1987 में नई शैक्षिक संरचना के अपनाए जाने के समय माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ाए जाने वाले विषयों की व्यापकता एवं विस्तार, शिक्षण की विधियों, मूल्यांकन तथा +2 स्तर की शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन आदि की दृष्टि से अधिकांश तब्दीलियां लाई गई थीं। अनेक नए विषयों के साथ +2 स्तर पर राष्ट्रीय मुद्दों एवं संवैधानिक समादेशों के अनुरूप वरीयताओं को अपेक्षित महत्त्व दिया गया है।

सन् 1991 में राज्य स्तर पर गठित डा. हरे कृष्ण अवस्थी समिति ने माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के संदर्भ में विस्तारपूर्वक चर्चा करते हुए पाठ्यक्रमों में सुधार, परीक्षा प्रणाली में अपेक्षित परिवर्तन तथा उ.प्र. राज्य के परिदृश्य में उभरते नवीन शैक्षिक एवं योजनागत मुद्दों के प्रति सुझाव दिया।

नवंबर 1999 की अवधि में राज्य ने बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में सुधार एवं विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य शिक्षा नीति निर्मित करने का विचार बनाया जिसके लिए एक निदानात्मक पत्रक प्रस्तुत किया गया। इस पत्रक में शिक्षा के अवसरों में समानता, शिक्षा की वैकल्पिक व्यवस्थाओं का सृजन, पाठ्यक्रम में परिवर्तित परिप्रेक्ष्यों को विकसित करने की पहल तथा नई सहस्राब्दि में विद्यालयों की भूमिका एवं गंतव्यों आदि पर बल दिया गया। इसके तहत बढ़ती विद्यार्थी-संख्या के अनुरूप सहायता प्राप्त विद्यालयों में एक सुनियोजित प्रभावी शिक्षण व्यवस्था कायम रखने तथा राज्य में दूरवर्ती शिक्षा की पद्धति को सुदृढ़ बनाए जाने की आवश्यकता को भी रेखांकित किया गया है।

4.8 सेमेस्टर प्रणाली का क्रियान्वित न हो पाना

राज्य में कई कारणों से विद्यालय स्तर पर सेमेस्टर प्रणाली लागू नहीं हो पाई है। कतिपय प्रमुख कारण है : वित्तीय संकट, राज्य की विशदता तथा उपयुक्त प्रकार का पाठ्यक्रम व्यवस्थाओं के बारे में अपेक्षित तैयारी का अभाव। तथापि राज्य की विद्यालयीय शिक्षा में 'व्यापक एवं सतत मूल्यांकन' की व्यवस्था को लागू किए जाने के संकल्प से कुछ आशा की किरण फूटी है। इस व्यवस्था के प्रारंभिक परीक्षण का कार्य तीन जनपदों में संपन्न हो चुका है। पहले चरण में इसे प्राथमिक स्तर की शिक्षा में क्रियान्वित किया जा रहा है। ऐसी आशा की जाती है कि बाद में

चलकर माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तरों पर भी इसे लागू किया जाएगा। इससे अन्वितिबद्ध के क्रियान्वयन हेतु मार्ग प्रशस्त होगा।

4.9 विद्यालय-संकुल तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की भूमिका

'विद्यालय-संकुल' की अवधारणा का अभ्युदय शिक्षा आयोग (1964-66) की संस्तुतियों से जुड़ा हुआ है इसका मुख्य प्रयोजन शिक्षा में न्याय एवं अवसरों की समानता को सुनिश्चित करने के साथ शिक्षा की गुणवत्ता एवं उत्कृष्टता को अपेक्षित रूप में महत्त्व देना है। इसके तहत उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को अपने क्षेत्र के विद्यालयों की गुणवत्ता एवं स्तर सुनिश्चित करने की दृष्टि से 'छात्र-संस्था' की भूमिका अदा किए जाने के प्रति आग्रह है। विगत तीन दशकों में इस अवधारणा के विकसित न होने पर भी अभी हाल ही में आयोजित राज्य स्तरीय संगोष्ठी (मार्च, 2001) के माध्यम से इस सही अर्थों में अपनाए जाकर राज्य की विद्यालयीय शिक्षा में लागू करने की पहल एवं चिंता मुखर हुई है। इस संगोष्ठी में राज्य के माध्यमिक एवं बेसिक शिक्षा मंत्रियों के अतिरिक्त प्रमुख सचिव शिक्षा, सचिव, बेसिक शिक्षा एवं सभी शिक्षा निदेशालयों के निदेशकों के साथ शिक्षाविदों, शिक्षक प्रतिनिधियों, प्रतिभागियों तथा शिक्षा से जुड़ी संस्था के प्रबंधकों एवं प्रशासकों ने प्रतिभाग किया। यह विचार सामने आया है कि विद्यालयीय शिक्षा में न्यूनतम अधिगम स्तर सुनिश्चित करने एवं उनके पाठ्यक्रमों को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के उद्देश्य, उच्चतर-माध्यमिक स्तर की संस्थाएं अपने पड़ोसी विद्यालयों के संबंध में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।

4.10 माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा स्तरों पर महत्त्वपूर्ण मुद्दे एवं युक्तियां

राज्य में माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक शिक्षा से संबंधित मुख्य मुद्दे निम्नवत सारांकित किए गए हैं :

- बालिकाओं और अन्य सुविधावंचित वर्गों की आवश्यकता पूर्ति
- ग्रामीण संवर्ग के छात्रों की आवश्यकता पूर्ति
- पाठ्यक्रम का विविधीकरण
- माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की शिक्षा गुणवत्ता में सुधार
- विद्यालयों में भौतिक संसाधनों की उपलब्धता में सुधार
- अध्यापकों की अभिप्रेरण/व्यावसायिक दक्षताओं में विकास।

इसके अतिरिक्त विद्यालयों में उपयुक्त आधारिक सुविधाओं का न होना, मान्यता प्राप्त विद्यालयों विशेषतौर से वित्तविहीन मान्यता धारित करने वाली संस्थाओं की संदिग्ध आर्थिक पोषणीयता, धनाभाव, कुशल शिक्षकों की कमी तथा पूरी विद्यालयीय व्यवस्था में अपेक्षित स्तर

का शैक्षणिक माहौल न पाए जाने, कतिपय ऐसे ज्वलंत प्रकरण हैं जिन पर विशेष ध्यान अपेक्षित है। पूरी स्थिति कहीं अत्यंत विकट न हो जाए - इस दृष्टि से सुधार लाने हेतु तत्काल प्रयास करने होंगे।

4.11 +2 स्तर पर व्यावसायीकरण

4.11.1 ऐतिहासिक परिदृश्य

+2 स्तर पर शिक्षा के व्यावसायीकरण का मुद्दा कोठारी आयोग (1964-66) की संस्तुतियों से जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश राज्य ने इसे अपनाए जाने के प्रति जो विशेष बात ध्यान में रखी है वह उद्यमिता-दक्षताओं एवं क्षमताओं से सन्नद्ध मानव-शक्ति के विकास को बढ़ावा देने से संबंधित है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 तथा संशोधित कार्ययोजना (1992) के लक्ष्यों के अनुरूप सन् 1995 तक 25 प्रतिशत माध्यमिक स्तरीय विद्यालयों को व्यावसायिक शिक्षा के तहत आच्छादित करने का संकल्प रहा है। लेकिन अभी तक कई राज्यों जिनमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है इन विषयों में अभी तक 5 प्रतिशत से भी कम नामांकन सुनिश्चित कर सके हैं।

ऐतिहासिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की शुरुआत बेसिक विद्यालयों में शिल्प-केंद्रित शिक्षा प्रणाली जिसका समारंभ राष्ट्रपिता बापू ने किया था, से संबंधित है। 'वर्धा योजना' के नाम से प्रचलित इस व्यवस्था को उ.प्र. राज्य स्तर पर गठित आचार्य नरेन्द्र देव समिति ने भी विद्यालयीय शिक्षा में अपनाए जाने पर बल दिया था। इस प्रकार विद्यालयीय पाठ्यक्रमों में पूर्व-व्यावसायिक अंशों को शामिल करने हेतु संशोधन एवं सुधार लाया गया। इन अंशों में हाथ एवं शिल्प कार्यों एवं उत्पादन प्रक्रियाओं से संबंधित क्रियाएं पाठ्यक्रम का अंग बनाई गईं।

विद्यालयीय पाठ्यक्रम में एक नया आयाम तब जुड़ा जब कार्यानुभव को पाठ्यक्रमों का अविच्छिन्न अंश माना गया। बाद में चलकर इसे समाजोपयोगी एवं उत्पादक कार्यों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया।

माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक दोनों ही स्तरों पर नवीन शैक्षिक संरचना 10+2 के लागू होने के साथ महत्त्वपूर्ण परिवर्तन परिलक्षित हुए। माध्यमिक विद्यालयों में पूर्व-व्यावसायिक पाठ्यक्रमों पर उन्हें समाजोपयोगी एवं उत्पादक कार्यों की सूची में लाकर एक बार फिर बल दिया गया। इन कार्यों के सम्पादन द्वारा कौशलों एवं उद्यमिताओं के विकास को अपेक्षित महत्त्व दिया गया।

उच्च माध्यमिक स्तर पर तब से लेकर अब तक पाठ्यक्रम संरचनाओं के तहत अपेक्षित विविधता लाने का प्रयास किया गया है। विगत पांच वर्षों में व्यावसायिक धारा के अंतर्गत अध्येय विषयों की सूची 35 व्यापार-अनुक्षेत्रों को शामिल कर व्यापक बना दी गई है जिससे प्रदेश के भिन्न-भिन्न अंचलों की विशिष्टताओं के अनुरूप व्यावसायिकता का पुट विकसित हो सके।

4.11.2 केंद्रीय पुरोनिधानित योजना के रूप में व्यावसायिक शिक्षा

फरवरी 1988 से माध्यमिक शिक्षा स्तर पर केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना के रूप में व्यावसायीकरण की प्रणाली चलाई गई है। यह योजना सभी राज्यों एवं केंद्र-शासित प्रदेशों — (त्रिपुरा, दामन एवं दीव, दादरा तथा नागर हवेली एवं लक्षद्वीप को छोड़कर) में लागू की गई। सन् 1991-92 के अंत तक 4,400 विद्यालयों में 12,543 व्यावसायिक वर्ग अनुमोदित किए जा चुके थे। जिससे +2 स्तर पर 6.27 लाख विद्यार्थियों को भिन्न-भिन्न धाराओं में जाने की सुविधा उपलब्ध हो सकी। यह विद्यार्थी संख्या +2 स्तर की विद्यार्थियों की कुल संख्या का लगभग 9.3 प्रतिशत मानी जा सकती है।

पूर्वोक्त योजना के मुख्य उद्देश्य

- शैक्षिक अवसरों में विविधता का समावेश कर व्यक्तिगत रूप में नियुक्त हो सकने की संभावना अभिवृद्ध करना।
- कुशल मानवीय शक्ति की मांग एवं आपूर्ति में पाई जाने वाली एकरूपता के अभाव की स्थिति को न्यून बनाना।
- उच्च शिक्षा के विकल्प प्रावधानित करना।

इस क्रम में उत्तर प्रदेश राज्य में व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रमों को नितांत ईमानदारी के साथ प्रारंभ किया गया। इस प्रकार यह योजना राज्य की 910 संस्थाओं (जिनमें अब 118 उत्तरांचल में है) में चलाई जा रही है। ये सभी संस्थाएं केंद्रीय पुरोनिधानित व्यवस्था से आच्छादित हैं। सारणी 4.07 में चयनित संस्थाओं, उनमें अभिमन्य वर्क शेडों तथा आवंटित ट्रेड्स को वर्षवार दर्शाया गया है।

सारणी 4.07 : *चयनित संस्थाएं, स्वीकृत वर्कशेड और आबंटित ट्रेड्स*

चरण	*वर्ष*	*चयनित विद्यालयों की संख्या*	*स्वीकृत विद्यालय*	*स्वीकृत धनराशि (लाख में)*	*आबंटित ट्रेडस*	*उपकरणों के लिए धनराशि (लाख में)*
प्रथम	1988-89	200	800	400	436	400.00
द्वितीय	1989-90	260	1040	520	529	411.95
तृतीय	1991-92	250	500	325	500	354.49
चतुर्थ	1993-94	100	200	150	200	150.00
पंचम	1995-96	100	200	200	200	153.94
योग		**910**	**2740**	**1595**	**2065**	**1469.68**

स्रोत : *शिक्षा की प्रगति*, शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, 1999-2000

सारणी 4.07 से अवगत होगा कि व्यावसायिक शिक्षा के कार्यक्रमों हेतु विद्यालयों का चयन सन् 1988-89 से प्रारंभ कर पांच चरणों में संपन्न हुआ है। पहले चरण के तहत सन्

1988-89 में 200 विद्यालयों का चयन किया गया जिनमें वर्कशेडों के निर्माण हेतु 400 लाख रुपए का अनुदान स्वीकृत था। इसी चरण में 436 ट्रेडों को चिह्नित करते हुए उपकरणों के क्रय हेतु खर्च के लिए 400 लाख रुपए का प्रावधान किया गया था। दूसरे चरण (1989-90) में 260 विद्यालयों का चयन करते हुए उनमें 1040 वर्क शेडों के निर्माण हेतु 520 लाख रुपए का प्रावधान किया गया। इसी प्रकार उपकरणों के क्रय हेतु 529 ट्रेड्स के लिए 411.95 लाख रुपए की धनराशि अनुमन्य थी।

तीसरे चरण (1991-92) में 250 विद्यालयों को चयनित करते हुए 500 वर्कशेडों का निर्माण अनुमन्य था। इसके लिए 325 लाख रु. की धनराशि स्वीकृत थी। इसके तहत 500 ट्रेड्स आवंटित किए गए जिनमें उपकरणों के क्रय हेतु 354.49 लाख रु. की स्वीकृति प्रदान की गई थी। चौथे चरण (1993-94) में केवल 100 विद्यालयों को चयनित करते हुए 200 वर्कशेडों के निर्माण हेतु 150 लाख रु. अनुमन्य था। इसके साथ ही 200 ट्रेडों के लिए उपकरण क्रय हेतु 150 लाख रु. की धनराशि आवंटित की गई थी। योजना के पांचवे चरण (1995-96) में 100 विद्यालयों को चयनित करते हुए 200 स्वीकृत वर्कशेडों के निर्माण हेतु 200 लाख रु. का प्रावधान किया गया था। इसके अंतर्गत 200 ट्रेडों को आवंटित करते हुए 153.94 लाख रु. की धनराशि के उपकरण क्रय हेतु खर्च करने का प्रावधान था। छठे चरण में इस योजना के विस्तार हेतु भारत सरकार द्वारा 400 लाख रु. की धनराशि 100 विद्यालयों में इसे लागू करने हेतु अनुमन्य किया गया।

पूर्व विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि व्यावसायीकरण की केंद्र द्वारा पुरोनिधानित परियोजना का क्रियान्वयन अत्यंत संतोषजनक रूप में किया गया है। इस प्रकार छठे चरण के तहत 1010 विद्यालयों में वर्कशेडों के निर्माण हेतु 1995 लाख रु. की धनराशि स्वीकृत है। इस क्रम में यह भी उल्लेखनीय है कि पांचवे चरण तक उपकरणों के क्रय हेतु किया गया कुल खर्च 1469.68 लाख रु. रहा है।

4.11.3 व्यावसायीकरण कहां तक : समस्याएं एवं मुद्दे

व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम के क्रियान्वयन में एक लंबे अंतराल के बावजूद जो प्रगति देखने को मिल रही है वह अत्यंत धीमी है। उपलब्ध आंकड़ों से यह संकेत मिलता है कि सन् 2000 तक 25 प्रतिशत माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों को इस धारा में आकर्षित करने का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सका। व्यावसायिक शिक्षा की इन मंदित गति के लिए जो मुख्य समस्याएं जिम्मेदार हैं उन्हें आगे सारांकित किया जा रहा है।

नामांकन : विद्यार्थियों में यह आम धारणा बनी हुई है कि व्यावसायिक शिक्षा एक द्वितीय श्रेणी की शिक्षा है तथा जिसका प्रावधान द्वितीय श्रेणी के नागरिकों के लिए किया गया है। इस धारणा का सीधा प्रभाव व्यावसायिक शिक्षा के नामांकन पर पड़ता है जिससे अच्छे विद्यार्थी इन पाठ्यक्रमों में जाने से कतराते हैं। इसके अलावा व्यावसायिक शिक्षा के विद्यार्थियों का चयन किसी व्यावसायिक

अभिक्षमता एवं रुचि परीक्षण के माध्यम से न किए जाने के कारण भी ऐसी परिस्थिति बनी है। राज्य में इन पाठ्यक्रमों के लिए विद्यार्थियों की चयन प्रक्रिया एक जैसी नहीं है।

पाठ्यक्रम : व्यावसायिक शिक्षा का पाठ्यक्रम अधिकांशतः समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है। यह पाठ्यक्रम स्थानीय आवश्यकताओं की संपूर्ति नहीं करता है। उत्तर प्रदेश राज्य कृषि प्रधान है तथा यहां की 70 प्रतिशत से अधिक आबादी गांवों में रहती है। लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कृषि पर आधारित ट्रेडों का प्रावधान ग्रामीण विद्यालयों में उस हद तक नहीं किया जा सकता है। अधिकांश विद्यार्थी बैंकिंग, टंकण, आशुलिपि, फोटोग्राफी एवं परिधान रचना जैसे पाठ्यक्रमों की ओर आकर्षित होते हैं तथा समुदाय की आवश्यकताओं पर आधारित पाठ्यक्रम नहीं लागू हो पाते।

अनुदेशनात्मक सामग्री : इन पाठ्यक्रमों के संयक संचालन हेतु अपेक्षित गुणवत्ता एवं मात्रा में अनुदेशनात्मक सामग्री की उपलब्धता का अभाव है। इन पाठ्यक्रमों से संबंधित पुस्तकें एवं अन्य आवश्यक सामग्रियां भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हैं। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय भाषाओं में पाठ्यपुस्तकें भी सुलभ नहीं हैं। कई पाठ्यक्रमों में जो पाठ्यपुस्तकें निर्धारित हैं वे प्रायः अनुपलब्ध होती हैं जिससे विद्यार्थियों को कक्षा शिक्षण की अवधि में लिए गए नोट्स पर निर्भर रहना पड़ता है। इस प्रकार इन पाठ्यक्रमों से संबंधित शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में पर्याप्त मात्रा में अधिगम सामग्री का न होना एक गंभीर समस्या बनी हुई है।

शिक्षक : व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के समुचित संचालन हेतु पर्याप्त मात्रा में प्रशिक्षित एवं योग्य शिक्षकों का अभाव है। वस्तुतः इनका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ऐसे पूर्णकालिक शिक्षकों की आवश्यकता है जो संबंधित व्यवसायों की विषय-वस्तु के सिद्धांत एवं व्यवहार पक्षों से सुपरिचित हों। ऐसे शिक्षकों के अभाव में अधिकांश व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का संचालन अतिथि शिक्षकों द्वारा किया जाता है जिन्हें 50 रु. प्रति व्याख्यान की दर से भुगतान किया जाता है। इस प्रकार व्यावसायिक शिक्षा से जुड़े शिक्षकों एवं अनुदेशकों को पूरे शिक्षण व्यवसाय में अपेक्षाकृत निम्न स्तर मिल सका है जिसे व्यावसायिक शिक्षा में घटिया स्तर होने का एक कारण कहा जा सकता है।

वित्त : राज्य सरकार द्वारा प्रावधानित अनुदान इन पाठ्यक्रमों को भली प्रकार संचालित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। राज्य सरकार कार्यशालाओं के निर्माण, पुस्तकों एवं उपकरणों के क्रय तथा सामग्रियों की रचना हेतु एक मुश्त अनुदान प्रायः स्वीकृत करती है। लेकिन अनुरक्षण अनुदान का कोई प्रावधान नहीं किया जाता। फलतः कई विद्यालयों में उपलब्ध उपकरण या तो उपयोग हेतु उपयुक्त दशा में नहीं पाए जाते या उन्हें उपयोग में इस भय से नहीं लाया जाता कि कहीं वे क्षतिग्रस्त न हो जाएं। ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों को व्यावहारिक कार्यों एवं दक्षता विकास के सत्रों का लाभ नहीं मिल पाता जिससे वे किसी व्यवसाय या स्व-नियुक्तिपरक उद्यमिताओं के लिए अपेक्षित दक्षताओं से सज्जित नहीं हो पाते।

कार्य स्थलीय प्रशिक्षण : कार्य स्थलीय प्रशिक्षण का प्रावधान अत्यंत असंतोषजनक है। कई व्यावसायिक केंद्र अप्रेंटीसशिप अधिनियम के तहत आच्छादित नहीं है। उत्तर प्रदेश राज्य में केवल

16 ऐसे ट्रेड्स हैं जो इस अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार प्रशिक्षु प्रशिक्षण हेतु सुविधाएं अत्यंत सीमित हैं।

शोध : विविध पंचवर्षीय योजनाओं में भारत सरकार ने व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा के क्षेत्र में शोध की आवश्यकता पर बल दिया है किंतु यह समुचित ढंग से पूरा नहीं किया जा सका है। वस्तुतः राज्य की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखकर अनुसंधान कार्य न तो नियोजित होता है और न उसका संचालन किया जा सकता है।

4.11.4 उपलब्ध व्यावसायिक पाठ्यक्रम तथा नामांकन स्थिति

व्यावसायिक पाठ्यक्रम उत्तर प्रदेश के 910 माध्यमिक विद्यालयों में संचालित किए जाते हैं जिनमें नव वृजित उत्तरांचल राज्य के 118 विद्यालय भी सम्मिलित हैं। इन्हें सारणी 4.08 में दर्शाया गया है।

सारणी 4.08 : *उपलब्ध व्यावसायिक पाठ्यक्रम*

समूह	*ट्रेड्स*	*कुल संख्या*
कृषि	मधुमक्खी पालन, बीजोत्पादन प्रौद्योगिकी, फल संरक्षण, दुग्ध प्रौद्योगिकी, भू-संरक्षण, पौधशाला, रेशम का पालन, फ़सल सुरक्षा प्रौद्योगिकी, कुलाल विज्ञान	09
व्यापार एवं वाणिज्य	लेखाविधि एवं अंकेक्षण, बैंकिंग, सहकारिता, बीमा, विपणन एवं विक्रय कला, सचिवीय पद्धति, टंकण, आशुलिपि मुद्रण	09
गृह-विज्ञान	बैकिंग एवं कंफेक्शनरी, पाक शास्त्र, परिधान रचना एवं सज्जा, धुलाई-रंगाई, नर्सरी शिक्षण प्रशिक्षण एवं शिशु प्रबंधन, खाद्य संरक्षण, वस्त्र शिल्प	08
स्वास्थ्य	बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मी (पुरुष)	02
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	ऑटोमोबाइल, रेडियो तथा टेलीविजन	02
सेवा और अन्य	पुस्तकालय विज्ञान, फोटोग्राफी, धातु शिल्प, हस्त फुलकारी, ब्लॉक मुद्रण	05

स्रोत : वीना शाह तथा पी.के. मिश्रा *व्यवसाय शिक्षा : स्थिति, चुनौतियां एवं भावी संभावनाएं,* फरवरी 26-28, 2001 में राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, उ.प्र. में आयोजित गोष्ठी में प्रस्तुत।

सारणी 4.08 से यह स्पष्ट है कि कृषि तथा व्यापार एवं वाणिज्य संवर्गों में प्रत्येक में 9 ट्रेड्स हैं। गृह-विज्ञान संवर्ग में 8 ट्रेड्स तथा स्वास्थ्य और विज्ञान प्रौद्योगिकी संवर्गों में प्रत्येक में दो ट्रेड्स हैं। सेवा एवं अन्य में 5 ट्रेड्स हैं। प्रदेश की जनसांख्यिकीय संरचना को ध्यान में रखते हुए, स्थानीय आवश्यकताओं तथा उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप व्यवसायों की संख्या को बढ़ाया जाना चाहिए।

व्यावसायिक पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों के नामांकन की स्थिति को दर्शाने के लिए उ.प्र. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा में पंजीकृत अभ्यर्थियों की संख्या को आधार बनाया गया है। सारणी 4.09 में विगत 6 सत्रों (1994-95 से 1999-2000 तक) में व्यावसायिक पाठ्यक्रम में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या को प्रदर्शित किया गया है।

सारणी 4.09 : *विद्यार्थियों का वर्षवार नामांकन*

वर्ष	*+2 स्तर पर नामांकित विद्यार्थियों की संख्या*
1994-95	40,000
1995-96	43,272
1996-97	50,176
1997-98	45,000
1998-99	49,890
1999-2000	62,625

स्रोत : *शिक्षा की प्रगति,* शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, 1999-2000

सारणी 4.09 से ज्ञात होता है कि सन् 1999-2000 में व्यावसायिक संवर्ग में विद्यार्थियों की संख्या में भारी बढ़त हुई है। यह संख्या 62,625 तक पहुंच गई है। सन् 1994-95 में इस अनुक्षेत्र में मात्र 40,000 विद्यार्थी नामांकित थे जबकि 1995-96 में यह संख्या थोड़ा बढ़कर 43,272 हो गई। इस प्रकार सन् 1996-97 में यह संख्या बढ़कर 50,176 तथा 1997-98 में ह्रास के साथ 45,000 तक चली गई। 1998-99 में यह स्थिति थोड़ी भिन्न थी। उस समय 49,890 विद्यार्थी नामांकित थे जबकि 1999-2000 में नामांकन में वृद्धि 1.4 गुना के आधार पर 62,625 हो गई।

4.11.5 पाठ्यक्रम एवं विभिन्न घटकों का सापेक्ष महत्त्व

यहां यह बताना उपयोगी होगा कि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य, विद्यार्थियों की एक बड़ी संख्या को कार्य जगत की ओर मोड़ना है। विभिन्न विषयों के लिए नियत अंक तथा प्रति सप्ताह आबंटित कालांश सारणी 4.10 में प्रदर्शित है।

सारणी 4.10 से यह स्पष्ट है कि सिद्धांत एवं व्यवहार के पाठ्यक्रमों में 4:3 के अनुपात का 400 तथा 300 अंक सिद्धांत एवं व्यवहार के लिए क्रमशः नियत किए गए हैं। भाषा में 50 अंक हिंदी के लिए तथा 50 अंक अंग्रेजी के लिए निर्धारित हैं तथा आधारभूत पाठ्यक्रमों के लिए भी 50 अंक की व्यवस्था की गई है। प्रति सप्ताह कालांशों का सापेक्ष निर्धारण इस प्रकार है - हिंदी के लिए 4 वादन, अंग्रेजी के लिए 4 वादन, आधारभूत पाठ्यक्रम के लिए 6 वादन, किसी ट्रेड विशेष में सिद्धान्त के लिए 20 वादन, तथा प्रयोगात्मक कार्य के लिए 12 वादन नियत हैं। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि ट्रेड विशेष में प्रयोगात्मक अंशों को अपेक्षित महत्त्व नहीं दिया जा रहा है।

सारणी 4.10 : *निर्धारित विषय, अंक तथा कालांश*

क्रमांक	*विषय*	*अंक*	*पेपर*	*कालांश*	*प्रतिशत*
1.	भाषा				
	हिंदी	50	01	04	30
	अंग्रेजी	50	01	04	30
2.	आधारभूत विषय	50	01	06	45
3.	व्यावसायिक विषय				
	सैद्धान्तिक	400	05	20	70
	प्रायोगिक	300		12	70

स्रोत :वीना शाह तथा पी.के. मिश्रा, *व्यवसाय शिक्षा : स्थिति, चुनौतियां एवं भावी संभावनाएं,* फरवरी 26-28, 2001 में राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, उ.प्र. में आयोजित गोष्ठी में प्रस्तुत।

नवीन पाठ्यक्रम निविष्टियां : इंटरमीडिएट स्तर पर लागू वाणिज्यिक क्षेत्र के 8 व्यवसायों के पाठ्यक्रमों को और अधिक अद्यतन बनाने की दृष्टि से उ.प्र. शासन ने निर्णय लिया कि इन पाठ्यक्रमों में कंप्यूटर विज्ञान का यथास्थान समावेश किया जाए। एतदर्थ दिनांक 26 अक्टूबर से 28 अक्टूबर 1995 तक एक त्रि-दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें वाणिज्यिक क्षेत्र के 8 व्यवसायों के साथ-साथ कंप्यूटर विज्ञान के विषय विशेषज्ञों को भी आमंत्रित किया गया। विषय विशेषज्ञों में इंटरमीडिएट, डिग्री कालेज तथा विश्वविद्यालय के प्राध्यापक एवं प्रवक्ता सम्मिलित किए गए। संशोधित पाठ्यक्रमों का अनुमोदन तदर्थ व्यावसायिक शिक्षा समिति एवं परिषद् द्वारा किया जा चुका है एवं अग्रेतर कार्यवाही प्रक्रियांतर्गत है। ये 8 व्यवसाय इस प्रकार हैं : (1) लेखाविधि एवं अंकेक्षण, (2) बैंकिंग, (3) आशुलिपि एवं टंकण, (4) विपणन एवं विक्रय कला, (5) सचिवीय पद्धति, (6) सहकारिता, (7) टंकण, (8) बीमा।

स्वास्थ्य संबंधी 5 व्यवसायों के पाठ्यक्रमों का निर्माण

शासन के आदेशानुसार पैरामेडिकल क्षेत्र में पाठ्यक्रमों का निर्माण 13 नवंबर से 16 नवंबर 1995 तक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इन पाठ्यक्रमों हेतु आवश्यक न्यूनतम उपकरणों की सूची भी विषय विशेषज्ञों द्वारा तैयार की गई। ये नवीन पाठ्यक्रम इस प्रकार हैं : (1) सहायक नर्स तथा मिडवाइफ, (2) एक्स रे टेक्नीशियन, (3) आप्थलिम्क टेक्नीशियन, (4) प्रयोगशाला टेक्नीशियन, (5) स्वास्थ्य रक्षा तथा सौंदर्य रक्षा।

शिक्षक-निर्देशिकाओं की पांडुलिपि का निर्माण

व्यावसायिक शिक्षा के 35 व्यवसायों के पाठ्यक्रमों में से 14 व्यवसायों की शिक्षक निर्देशिकाएं पहले ही तैयार की जा चुकी थीं। जनवरी तथा फरवरी 1996 में कार्यशाला का आयोजन करके 7 अन्य व्यवसायों की शिक्षक निर्देशिकाएं भी तैयार की गई हैं। ये व्यवसाय इस प्रकार हैं : (1) पाक शास्त्र, (2) वस्त्र शिल्प, (3) बीजोत्पादन प्रौद्योगिकी, (4) मुद्रण, (5) टंकण, (6) पौधशाला तथा (7) दुग्ध प्रौद्योगिकी।

पूर्व व्यावसायिक शिक्षा संबंधी कार्य

सन् 1995-96 से 47 चयनित माध्यमिक विद्यालयों के व्यवसायीकरण की केंद्र पुरोनिधानित योजना के अंतर्गत कक्षा 9 और 10 स्तर पर पूर्व-व्यावसायिक पाठ्यक्रम लागू किया गया। उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ.प्र. के पाठ्यक्रम शोध एवं मूल्यांकन अनुभाग ने 20 व्यवसायों का चयन किया जो +2 स्तर पर पहले से ही पढ़ाए जा रहे हैं। ये व्यवसाय इस प्रकार हैं : (1) वस्त्र निर्माण (2) पुस्तकालय विज्ञान (3) पाक शास्त्र (4) फोटोग्राफी (5) बैंकिंग तथा कंफेक्शनरी (6) मधुमक्खी पालन (7) पौधशाला (8) आटोमोबाइल (9) धुलाई-रंगाई (10) परिधान रचना (11) खाद्य संरक्षण (12) लेखा विधि एवं अंकेक्षण (13) आशुलिपि टंकण (14) बैंकिंग (15) टंकण (16) फल संरक्षण (17) फ़सल संरक्षण (18) मुद्रण (19) रेडियो तथा टेलीविजन तथा (20) बुनाई तकनीक

पाठ्यक्रम में नए ट्रेड्स का समावेश

राज्य में +2 स्तर पर 14 पुराने पाठ्यक्रमों के स्थान पर नए ट्रेड यथा कंप्यूटर शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स आदि सम्मिलित किए गए हैं।

4.11.6 प्रमाणीकरण प्रक्रियाएं

उत्तर प्रदेश राज्य में व्यावसायिक संवर्ग के विद्यार्थियों की परीक्षा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के माध्यम से आयोजित की जाती है। इस परीक्षा में 400 अंक सिद्धांत के लिए तथा तीन सौ अंक व्यवहार परीक्षाओं के लिए नियत हैं। प्रमाणीकरण के लिए वही प्रक्रिया अपनाई जाती है जो अन्य संवर्गों के विद्यार्थियों के लिए विहित है। विभिन्न ट्रेड्स में प्रयोगात्मक परीक्षाएं उनकी प्रकृति एवं आवश्यकताओं के अनुरूप कराई जाती है। अंक पत्रों में सिद्धांत के लिए 400 अंक तथा प्रयोगात्मक के लिए 300 अंक दर्शाए जाते हैं। उत्तीर्ण विद्यार्थियों के प्रमाणपत्र उत्तर प्रदेश बोर्ड द्वारा उसी रूप में निर्गत किए जाते हैं जो प्रक्रिया अन्य संवर्ग के परीक्षार्थियों के लिए निर्धारित है।

4.11.7 शिक्षण कर्मियों की उपलब्धता

व्यावसायिक कार्यक्रमों के लिए शिक्षण कर्मियों में अधिकांशतः अस्थायी कोटि के हैं। स्थायी शिक्षण कर्मियों की नियुक्ति विशेषतौर से वित्तीय कठिनाई के कारण नहीं हो पाती। विषय विशेषज्ञों को व्यावसायिक शिक्षा के विभिन्न ट्रेड्स में प्रशिक्षण हेतु आमंत्रित किया जाता है। इसके लिए संबंधित विद्यालयों के प्राचार्यों को अधिकृत किया जाता है। अतिथि विशेषज्ञों को 50 रु प्रति व्याख्यान की दर से प्रतिमाह अधिकतम 1500 रु. के मानदेय का प्रावधान है। इस मानदेय का भुगतान संबंधित प्राचार्य के माध्यम से किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2000-2001 के तहत अतिथि वक्ताओं के भुगतान हेतु 570 लाख रुपए का प्रावधान किया गया था जिसमें 285 लाख रुपए की धनराशि क्षेत्रीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को सन् 1998-99 तथा सन् 1999-2000 में इस मद से खर्च हेतु उपलब्ध कराई गई। अभी तक पूर्णकालिक शिक्षक कर्मियों के पद सृजित नहीं हो सके हैं। इस संबंध में भारत सरकार को एक प्रस्ताव अपेक्षित कार्यवाही हेतु भेजा जा रहा है।

4.11.8 शिक्षण अधिगम सामग्री

+2 स्तर पर राज्य सरकार द्वारा शिक्षण-अधिगम सामग्री निर्धारित करने की व्यवस्था प्रचलित नहीं है। इस दिशा में निजी अनुक्षेत्र को पाठ्यक्रमानुसार अध्ययन सामग्री प्रावधानित करने हेतु प्रोत्साहन दिया जाता है। विभागीय स्तर पर व्यावसायिक संवर्गों में भी शिक्षण-अधिगम सामग्री नहीं विकसित की गई है। अपेक्षित अध्ययन पैकेज एवं अनुदेशनात्मक सामग्री को स्थानीय जरूरतों एवं अपेक्षाओं के अनुरूप प्रत्येक संस्था के स्तर पर ही चिह्नित एवं विकसित किया जाता है। इन सामग्रियों का चयन पाठ्यक्रम-अनुदेशकों के माध्यम से स्थानीय बाज़ारों में उनकी उपलब्धता के आधार पर किया जाता है।

4.11.9 सेवार्थियों के संवर्गों की रचनात्मक स्थिति

यहां प्रारंभ में ही यह बता देना उचित होगा कि व्यावसायिक शिक्षा से लाभ लेने वाले सेवार्थियों के संवर्गों को उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति यथाः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग बालक एवं बालिका आदि के रूप में चिह्नित करना संभव नहीं हो पाया है। इसके पीछे मुख्य कारण अपेक्षित एवं विश्वसनीय अभिलेखों का अभाव है। तथापि मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि व्यावसायिक शिक्षा संवर्ग को चयनित करने वाले 50 से 70 प्रतिशत सेवार्थी मध्य एवं निम्न मध्य सामाजिक-आर्थिक स्तरों के हैं। उच्च सामाजिक-आर्थिक स्तरों वाले विद्यार्थी प्रायः व्यावसायिक संवर्ग से इतर संवर्गों की ओर इसलिए आकर्षित होते हैं क्योंकि उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा अपेक्षाकृत अधिक होती है।

इन सेवार्थियों की संख्या लिंग के आधार पर भी आकलित नहीं हो सकी क्योंकि संबंधित संस्थाओं से इस बारे में भी सूचनाएं अनुपलब्ध थीं। कतिपय ट्रेड्स के बालिकाओं के सापेक्ष बालक अधिसंख्य रूप में पाए जाते हैं जबकि गृह-विज्ञान, सेवाओं एवं अन्य में बालिकाएं ही अधिसंख्य होती हैं।

व्यावसायिक संवर्ग में विद्यार्थियों की शैक्षिक निष्पत्ति का आकलन करने हेतु प्रचलित संसूचकों यथाः उत्तर प्रदेश की बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण प्रतिशत को ही आधार बनाया जा सकता है। इस दृष्टि से विगत छः वर्षों के उत्तीर्ण प्रतिशत से संबंधित आंकड़े सारणी 4.11 में दर्शाए गए हैं।

सारणी 4.11 : *व्यावहारिक संवर्ग के +2 उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत*

वर्ष	*परीक्षार्थियों की संख्या*	*सफल परीक्षार्थियों की संख्या*	*प्रतिशत परीक्षाफल*
1994-95	11525	10142	86
1995-96	14907	10855	73
1996-97	18121	14939	91
1997-98	23217	20252	87
1998-99	28028	19531	69
1999-2000	19821	14779	75

स्रोत : *शिक्षा की प्रगति,* शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, 1999-2000

सारणी 4.11 को देखने से यह स्पष्ट होता है कि विगत छः वर्षों में उत्तीर्ण प्रतिशत 69 प्रतिशत से 91 प्रतिशत के मध्य रहा है। इस प्रकार सन् 1994-95 में उत्तीर्ण प्रतिशत 86 प्रतिशत था जो सन् 1995-96 में घटकर 73 प्रतिशत रह गया। सन् 1996-97 में यह पुनः बढ़कर 91 प्रतिशत हो गया जो सन् 1997 में घटकर 87 प्रतिशत तथा सन् 1998-99 में और घटकर 69 प्रतिशत रह गया। सन् 1999-2000 में इस उत्तीर्ण प्रतिशत में थोड़ा सुधार हुआ जो 75 प्रतिशत हो गया। इस प्रकार व्यावसायिक संवर्ग में विद्यार्थियों की शैक्षणिक निष्पत्ति अन्य संवर्गों के विद्यार्थियों के सापेक्ष कुल मिला कर अत्यंत आशाजनक प्रतीत होती है।

4.11.10 सहलग्नताएं

व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को प्रभावी एवं सफल बनाने की दृष्टि से एक आम मुद्दा जो चर्चा का विषय रहता है वह उद्योगों, ट्रेडों, नियुक्तियों एवं स्वनियुक्तियों के अवसरों से इनकी समुचित तालमेल एवं सहलग्नता कायम करने से संबंधित है। इस प्रकार व्यावसायिक पाठ्यक्रमों तथा कार्य जगत में अन्योन्य पोषक संबंध विकसित हो सकेगा। प्रशिक्षु अधिनियम भी इस दिशा में सहायक सिद्ध होगा। कहने का आशय यह है कि इस प्रकार की योजना से विद्यालय एवं व्यवसाय जगत-व्यवस्थित एवं अव्यवस्थित में एक प्रकार का अन्योन्य पोषक संबंध दृढ़ होगा।

उत्तर प्रदेश राज्य में व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम अपने प्रारंभिक चरणों में इसलिए गतिशील नहीं हो सका क्योंकि इसके बारे में कोई स्पष्ट नीति नहीं बन पाई थी। अब इधर के वर्षों में यह महसूस किया गया है कि अपेक्षित सहलग्नताएं विकसित करने के लिए उद्योगों एवं नियोक्ता अनुक्षेत्रों को आमंत्रित कर एक प्रभावी रणनीति तैयार करना आवश्यक है। इससे उद्यमिता विकास की क्रियाओं को भी गति मिलेगी। इस दृष्टि से कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार संवर्ग के व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को ऐसी संस्थाओं/संगठनों से जोड़ा जा सकता है जो अपने क्षेत्र में प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं।

प्रारंभिक सहलग्नताओं को विकसित करने की दृष्टि से प्रशिक्षु सुविधाओं को उपलब्ध कराना होगा जिससे उद्यमिता प्रशिक्षण एवं कार्यों में समुचित संबंध बन सके। राज्य में संप्रति कानपुर के अप्रेंटिस ट्रेनिंग बोर्ड द्वारा एक ऐसे कार्यक्रम का समारंभ किया गया है जिसमें व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में उत्तीर्ण विद्यार्थी लक्ष्य समूह के रूप में चिह्नित हैं। इस प्रकार 16 ऐसे ट्रेड्स हैं जिनमें इस बोर्ड के माध्यम से सुविधाएं उपलब्ध हैं, ये इस प्रकार हैं-

- लेखा विधि एवं अंकेक्षण
- विपणन एवं विक्रय कला
- खाद्य संरक्षण
- बैंकिंग
- सचिवीय पद्धति
- आशुलिपि
- बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मी (पुरुष)
- रेशम कीट पालन
- मधुमक्खी पालन
- पादप संरक्षण
- वस्त्र शिल्प
- यांत्रिक सेवाएं
- सहकारिता
- बीज उत्पादन प्रौद्योगिकी
- बीमा
- दुग्ध प्रौद्योगिकी

इन प्रशिक्षु-प्रशिक्षण सुविधाओं के माध्यम से 400 बालक तथा बालिकाएं लाभान्वित हो सकी हैं। इस प्रकार के प्रयास आगरा, फिरोजाबाद तथा भदोही शहरों के औद्योगिक संकुलों में भी किए जा रहे हैं।

4.11.11 कार्यक्रमों से प्राप्त अनुभव एवं राज्य में इनका प्रभाव

जैसाकि पूर्व विवरण से यह आभास मिलता है कि राज्य में व्यावसायिक शिक्षा के कार्यक्रम से संबंधित अनुभव यद्यपि उत्साहवर्धक नहीं रहे हैं इसके बारे में शिक्षा नियोजकों एवं प्रशासकों ने मिली-जुली प्रतिक्रियाएं व्यक्त की हैं। सन् 1990 की अवधि में व्यावसायिक शिक्षा के लिए रचित नवीन पाठ्यचर्याओं एवं पाठ्यक्रमों के जरिए उद्यम-उन्मुख अध्ययन क्रमों को प्रोत्साहन मिला है। उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को कार्य जगत को सहयोग देने वाली संस्थाओं के नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है। फलतः 35 ऐसे ट्रेड जो +2 स्तर के व्यावसायिक संवर्ग में निर्धारित हैं, स्थानीय परिस्थितियों एवं संदर्भों से एकदम जुड़ जाएंगे। इससे व्यावसायिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होने के साथ इससे लाभ लेने वाले विद्यार्थियों का नामांकन भी अभिवृद्ध होगा। कुल मिलाकर यह प्रभाव देखा जा सकता है कि नियोजकों एवं शैक्षिक प्रशासकों में स्थानीय आवश्यकताओं पर आधारित व्यावसायिक शिक्षा के कार्यक्रम विकसित करने के प्रति रुचि बढ़ी है।

4.11.12 भावी परिदृश्य

व्यावसायिक शिक्षा के प्रभावी एवं समर्थ कार्यक्रमों की योजना तैयार करने में अनेकानेक विवशताओं, स्थितियों एवं संसाधन जुटाने की संभावनाओं पर विचार करना परम आवश्यक है। इस दृष्टि से अधोलिखित भावी परिदृश्य उभरता हुआ दृष्टिगोचर हो रहा है :

- **स्थानीय आवश्यकताओं एवं संसाधन संबंधी विशेषताओं के आलोक में ट्रेड्स का पारस्परिक गठजोड़**

  इसके लिए स्थानीय संसाधनों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना अत्यावश्यक है। इस दृष्टि से कतिपय चयनित विद्‍यालय संकुलों में कुछ विशेष प्रकार के ट्रेड्स पर विशेष जोर देने के लिए सर्वेक्षणों एवं परियोजनाओं को चालू किया जा सकता है।

- **व्यावसायिक निर्देशन एवं परामर्श**

  इसके तहत हाई स्कूल उत्तीर्ण विद्‍यार्थियों को दृष्टिगत रखकर निर्देशन के कार्यक्रमों को व्यापक रूप में संचालित करने की जरूरत है।

- **उपकरण एवं आधारिक संरचनाएं**

  विद्‍यालयों की आवश्यकताओं के अनुरूप उपकरणों एवं आधारिक संरचनाओं को अभिवृद्‍ध कर व्यावसायिक शिक्षा के कार्यक्रमों को सुदृढ़ बनाना परमावश्यक है।

- **शिक्षकों की आपूर्ति**

  अंशकालिक शिक्षकों के स्थान पर कतिपय चयनित ट्रेड्स में स्थायी शिक्षकों/अनुदेशकों की नियुक्ति संविदा के आधार पर करनी चाहिए।

- **शिक्षकों एवं अनुदेशकों का प्रशिक्षण**

  पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की आपूर्ति सुनिश्चित करने की दृष्टि से सेवापूर्व एवं सेवारत प्रशिक्षण के नियमित कार्यक्रम संचालित किए जाने चाहिए। इस परिप्रेक्ष्य में परंपरागत बी.एड. पाठ्‍यक्रम को व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकताओं के अनुरूप बी.एड. व्यावसायिक पाठ्‍यक्रम भी विकसित किए जाने चाहिए जैसाकि राज्य के एक विश्वविद्‍यालय के उच्च्व अध्ययन केंद्र द्‍वारा यह प्रशिक्षण कार्य संप्रति प्रगति पर है।

अध्याय 5

विद्यालय आधारिक संरचना एवं सुविधाएं

यह अध्याय राज्य के विद्यालयीय शिक्षा क्षेत्र के संदर्भ में आधारिक संरचना तथा सुविधाओं की रूपरेखा प्रस्तुत करने से संबंधित है। अतिरिक्त आधारिक संरचना के सृजन के लिए दसवें वित्त आयोग द्वारा प्राप्त पुरस्करण तथा केंद्र पुरोनिधानित योजनाओं के क्रियान्वयन के संदर्भ में हुई प्रगति एवं प्राप्य वास्तविक स्थिति के महत्त्व को यहां दर्शाया गया है। वित्त प्रदायनी अभिकरणों के माध्यम से उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रमों एवं अन्य योजनाओं के लिए प्राप्त सहायता को भी रेखांकित किया गया है।

शिक्षा के नियोजकों तथा नीति निर्धारकों के सामने समुचित विद्यालयीय आधारिक संरचना का प्रावधान सुनिश्चित करना एक शाश्वत समस्या बनी हुई हैं। अधिकांश राज्य में इस मुद्दे को उनकी सामान्य अर्थव्यवस्था एवं आर्थिक विकास के स्तर के अनुरूप देखा जा सकता है। शिक्षा को एक महत्त्वपूर्ण सेवा क्षेत्र माना गया है जो मानव पूंजी के विकास को निश्चित करता है। इस दृष्टि से विद्यालयीय आधारिक संरचना तथा सुविधाओं का निर्माण अत्यंत आवश्यक एवं महत्त्वपूर्ण बन जाता है। उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालय क्षेत्र में विद्यालयीय आधारिक संरचनाओं एवं सुविधाओं के सृजन हेतु अनेक प्रयास किए गए हैं। प्रस्तुत अध्याय में विद्यालय भवन, कक्षा तथा वास्तविक सुविधाओं जैसे पीने का पानी, शौचालय, पुस्तकालय, प्रयोगशाला इत्यादि की व्यवस्था के संदर्भ में हुई प्रगति का आकलन विभिन्न गौण स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर किया गया है। इसके अतिरिक्त आधारिक संरचना के निर्माण के लिए केंद्र द्वारा चलाई गई योजनाओं जैसे - ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, सबके लिए शिक्षा एवं वित्त आयोगों के पुरस्करण की क्रियान्वयन संबंधी स्थिति को भी उपलब्ध आंकड़ों तथा सूचनाओं की सहायता से दर्शाया गया है।

5.1 विद्यालय भवन/कक्षों एवं सुविधाओं की व्यवस्था पर प्रगति

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम के तहत अशासकीय व्यवस्था में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की मान्यता के लिए कुछ आवश्यक शर्तें विहित थीं। वे इस प्रकार थीं - (1) पक्का

भवन, (2) शौचालय सुविधाएं, (3) पुस्तकालय, (4) उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए प्रयोगशाला, (5) अन्य सुविधाएं जैसे टाट, पट्टी, श्यामपट्ट, फर्नीचर आदि।

यहां उल्लेखनीय है कि बेसिक शिक्षा अधिनियम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त तथा अशासकीय व्यवस्था के अंतर्गत चलाए जाने वाले ऐसे विद्यालयों की वास्तविक संख्या जो निश्चित नहीं की जा सकती लेकिन ऐसा माना जा सकता है कि विभाग द्वारा मान्यता के लिए उनके पास निर्धारित संसाधन हैं।

5.1.1 प्राथमिक विद्यालय

परिषद्रीय प्राथमिक विद्यालयों में प्रत्येक विद्यार्थी से एक रुपया प्रतिवर्ष लेने की व्यवस्था की गई थी जिसे संशोधन के बाद तीन माह पश्चात् 1 रुपया लेने और अब विद्यालय विकास अनुदान के अंतर्गत 1.00 रु लेने को कहा गया ताकि विद्यालय भवन का रखरखाव एवं अन्य सुविधाओं जैसे शौचालय, फर्नीचर, टाट-पट्टी इत्यादि की व्यवस्था हो सके। इस निधि का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानाध्यापक एवं ग्राम प्रधान के संयुक्त खाते के अंतर्गत किया जाता है जबकि शहरी क्षेत्र में शिक्षा अधीक्षक द्वारा नामजद राजकीय कर्मचारी (कार्यरत या अवकाश प्राप्त) एवं प्रधानाध्यापक के द्वारा किया जाता है।

उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-1990) के अंतर्गत 18,857 प्राथमिक विद्यालय थे, जिनके पास भवन नहीं थे। 1989-90 से 1997-98 के बीच में यह संख्या बढ़कर 22,783 हो गई। इसके बावजूद 2,166 प्राथमिक विद्यालय ऐसे थे जिनके पास भवन नहीं थे। सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 9,653 भवनों के पुनर्निर्माण/निर्माण का लक्ष्य रखा गया। जबकि आठवीं पंचवर्षीय योजना में 6,049 विद्यालयों के मरम्मत का लक्ष्य अंकित था।

सारणी 5.01 में अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण 1993 से प्राप्त अधोसंरचना संबंधी आंकड़ों को प्रस्तुत किया गया है।

सारणी 5.01 यह प्रकट करती है कि छठे सर्वेक्षण के समय उत्तर प्रदेश में कुल 86,539 प्राथमिक विद्यालय थे जिनमें से 77,681 विद्यालयों के पास पक्के भवन थे। यह कुल 89.76 प्रतिशत है। यह राष्ट्रीय प्रतिशत 83.73 के सापेक्ष उच्चतर था। उत्तर प्रदेश की यह स्थिति महाराष्ट्र के 70.08 प्रतिशत, मध्य प्रदेश के 57.15 प्रतिशत, केरल के 78.25 प्रतिशत के सापेक्ष अच्छी थी। इस संबंध में पंजाब तथा हरियाणा की स्थिति क्रमशः 91.41 प्रतिशत तथा 92.73 प्रतिशत थी जो उत्तर प्रदेश से बेहतर थी। इसका मूल कारण इन दोनों राज्यों में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या का सापेक्षतः कम होना माना जा सकता है। इसी प्रकार आंशिक पक्के भवन 4,503 प्राथमिक विद्यालयों में पाए गए जो कुल विद्यालयों का 5.2 प्रतिशत था, यह राष्ट्रीय स्थिति 18.66 प्रतिशत से बिल्कुल कम था। खपरैल तथा छज्जायुक्त झोपड़ियों में चलाए जाने वाले प्राथमिक विद्यालय 635 तथा तम्बू में चलाए जाने वाले विद्यालय 26 थे।

सारणी 5.01 : *उत्तर प्रदेश के लिए एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा छठे अखिल भारतीय शिक्षा सर्वेक्षण स्तर पर उपलब्ध आंकड़े*

क्रमांक	*आधारिक संरचना*	*प्राथमिक विद्यालय*	*उच्च प्राथमिक विद्यालय*
1.	विद्यालयों की संख्या	86539	19114
2.	पक्के भवन	77681	14905
3.	अंशतः पक्के भवन	4503	2051
4.	कच्चे भवन	1290	260
5.	खपरैल	635	006
6.	तंबू	26	1563
7.	खुली जगह	2404	-
8.	पीने का पानी	48044	13305
9.	मूत्रालय	21871	10342
10.	लड़कियों के लिए अलग मूत्रालय	9670	7010
11.	शौचालय	15044	7072
12.	लड़कियों के लिए अलग शौचान्लय	7221	4747

स्रोतः *ए.आई.इ.एस., 1993* के चुनिन्दा आंकड़े।

30 सितम्बर, 1993 की आख्या के अनुसार 86,539 प्राथमिक विद्यालयों में से 48,044 प्राथमिक विद्यालयों के पास पीने के पानी की सुविधा थी। इस प्रकार ऐसे विद्यालयों का प्रतिशत 55.42 रहा है जो राष्ट्रीय प्रतिशत 44.23 के सापेक्ष अधिक था।

इसी प्रकार 21,871 प्राथमिक विद्यालयों के पास मूत्रालय सुविधा थी। लेकिन इस क्षेत्र में हरियाणा, पंजाब, केरल की स्थिति सापेक्षतः अच्छी है। इसके विपरीत, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश राज्यों की स्थिति उत्तर प्रदेश की तुलना में अच्छी नहीं रही है। लड़कियों के लिए अलग मूत्रालय की सुविधा पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। यहां केवल 9,670 प्राथमिक विद्यालयो में ऐसी सुविधा है जो राष्ट्रीय प्रतिशत से अधिक है।

पूर्वोक्त आख्या यह भी प्रदर्शित करती है कि 15,044 प्राथमिक विद्यालयों के पास शौचालय सुविधा थी जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक तथा राष्ट्रीय प्रतिशत के सापेक्ष 10.86 प्रतिशत उच्चतर है। उत्तर प्रदेश में 7,221 प्राथमिक विद्यालयों (8.34 प्रतिशत) में अलग से शौचालय की व्यवस्था कर दी गई है जो राष्ट्रीय प्रतिशत से 5.12 प्रतिशत तथा आन्ध्र प्रदेश (9.27 प्रतिशत) को छोड़कर कर्नाटक (1.77 प्रतिशत), मध्य प्रदेश (4.56 प्रतिशत) तथा महाराष्ट्र (7.54 प्रतिशत) के सापेक्ष बेहतर है।

5.1.2 उच्च प्राथमिक विद्यालय

प्रारंभिक शिक्षा की आठवीं पंचवर्षीय योजना में प्रस्तुत प्रस्ताव के तहत बिना भवन के प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 2,710 दर्शाई गई थी जबकि सातवीं योजना में इस प्रकार के 1,468 विद्यालयों

को ही पुनरुद्धार/निर्माण हेतु लक्ष्य बनाया गया था। वास्तविक रूप में इस श्रेणी में आने वाले विद्यालयों की अनुमानित संख्या 1,552 थी। आठवीं पंचवर्षीय योजना (1990-95) में ऐसे 100 विद्यालयों की मरम्मत कराने का लक्ष्य बनाया गया। 1994-95 से 1997-98 तक 643 उच्च प्राथमिक विद्यालय भवनरहित देखे गए जिनमें से 229 विद्यालय के भवन की मरम्मत कराई गई है तथापि 1997-98 के अंत तक भवनरहित विद्यालयों की संख्या 414 बनी रही।

छठें अखिल भारतीय शिक्षा सर्वेक्षण के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल 19,914 में से 14,905 (77.9%) उच्च प्राथमिक विद्यालयों के पास पक्के भवन थे जो राष्ट्रीय प्रतिशत (68.53) से अधिक था लेकिन महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, गुजरात, पंजाब में यह स्थिति सापेक्षतः अच्छी रही है। लेकिन यह कर्नाटक (86.3 प्रतिशत), हरियाणा (95.87 प्रतिशत), गुजरात (91.5 प्रतिशत), पंजाब (90.43 प्रतिशत) और केरल (75.2 प्रतिशत) से कम है। विद्यालयों में आंशिक रूप से पक्के भवनों की संख्या 2,051 (10.73 प्रतिशत) है। राष्ट्रीय स्तर पर (20.77 प्रतिशत) तथा महाराष्ट्र (46.5 प्रतिशत) के सापेक्ष उत्तर प्रदेश में मात्र 260 उच्च प्राथमिक विद्यालय फूस/झोपड़ियों तथा 6 तम्बुओं से संचालित थे। इस प्रकार केरल 8.77 प्रतिशत ऐसे उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं जो भवन विहीन हैं इसके विपरीत राष्ट्रीय स्तर पर केवल 1.82 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालय भवनविहीन हैं। लेकिन कालांतर में 1346 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को 1995-96 तथा 1999-2000 में 1160 भवन विहीन विद्यालयों को जीर्णोद्धार अथवा निर्माण किया गया है। इस अवधि में उच्च प्राथमिक विद्यालयों की कुल संख्या बढ़कर 21,678 हो गई है। नवनिर्मित भवनों में शौचालय, हैंडपंप तथा चहारदीवारी की व्यवस्था मानक के अनुसार पायी गई।

सर्वेक्षण आख्या पर दृष्टि डालने से ज्ञात होता है कि 13,350 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पेयजल की व्यवस्था थी। राष्ट्रीय स्तर पर इसका प्रतिशत 63.47 के सापेक्ष प्रदेश में ये 69. 61 प्रतिशत है। इसी प्रकार शौचालय की सुविधा 10342 (54.11 प्रतिशत), उच्च प्राथमिक विद्यालयों में दी गई है जो अपेक्षाकृत आंध्र प्रदेश (32.91 प्रतिशत), कर्नाटक (29.97 प्रतिशत), महाराष्ट्र (51.82 प्रतिशत), मध्य प्रदेश (52.66 प्रतिशत) तथा राष्ट्रीय स्तर के 48.44 प्रतिशत से अधिक है किंतु अन्य राज्यों हरियाणा (88.22 प्रतिशत), केरल (92.63 प्रतिशत) तथा पंजाब (88.76 प्रतिशत) से कम है। लगभग यही स्थिति बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय की सुविधा में भी पायी गई है। उत्तर प्रदेश में 7,010 उच्च प्राथमिक विद्यालयों (33.67 प्रतिशत) में यह सुविधा उपलब्ध थी जो राष्ट्रीय स्तर के 31.59 प्रतिशत की तुलना में अधिक है। प्रसाधन की श्रेणी में सुविधाएं 7,072, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में (36.77 प्रतिशत) उपलब्ध करायी गई थी जो कि राष्ट्रीय स्तर के 31.54 प्रतिशत की तुलना में अधिक है। पृथक प्रसाधन सुविधाएं 4,747 उच्च प्राथमिक विद्यालयों (24.84 प्रतिशत) में उपलब्ध करायी गई जो राष्ट्रीय स्तर की (17.17 प्रतिशत) की तुलना में अधिक है।

5.2 वर्तमान प्रस्थिति

1993 में एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा अखिल भारतीय शिक्षा सर्वेक्षण संपन्न कराने के बाद परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों की आधारिक संरचनात्मक सुविधाओं के संदर्भ में पर्याप्त सुधार हुआ है। सर्वेक्षण के अनुसार उत्तर प्रदेश में 4,355 प्रारंभिक विद्यालय थे जो कच्चे भवन, खपरैल वाली झोपड़ियों, तंबुओं अथवा भवनरहित स्थानों पर कार्य कर रहे थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2,757 विद्यालयों के निर्माण/जीर्णोद्धार हेतु स्वीकृति प्रदान की। इसके अलावा डी.पी.ई.पी. के अंतर्गत 3,627 विद्यालयों तथा बी.ई.पी. के अंतर्गत 7006 विद्यालयों में आवश्यक निर्माण/जीर्णोद्धार कराए गए हैं।

सारणी 5.02 में यू.पी.बी.ई.पी. तथा डी.पी.ई.पी. II के अंतर्गत 31 जनवरी 2000 की अवधि तक आधारिक संरचना विकास के संदर्भ में सूचना प्रस्तुत की गई है।

सारणी 5.02 : *बी.ई.पी. तथा डी.पी.ई.पी. II (31.01.2000 तक) के अंतर्गत आधारिक संरचना का विकास*

क्रमांक	*डी.पी.ई.पी. II के अंतर्गत जिले*	*नए प्राथमिक विद्यालय*	*निर्मित भवन पी.एस.*	*जोड़ी गई कक्षाएं*	*शौचालय*	*हैंड पंप*
1.	महाराजगंज	209	334	399	825	303
2.	सिद्धार्थनगर	222	315	428	636	489
3.	गोंडा	166	353	261	1008	438
4.	बदायूं	147	257	129	1193	671
5.	लखीमपुर खीरी	168	213	400	1316	330
6.	ललितपुर	108	130	281	600	261
7.	पीलीभीत	167	239	300	893	286
8.	बस्ती	150	283	227	622	260
9.	मुरादाबाद	130	198	248	794	572
10.	शाहजहांपुर	132	207	245	1258	448
11.	सोनभद्र	187	224	232	800	334
12.	देवरिया	124	206	483	525	652
13.	हरदोई	158	257	265	761	422
14.	बरेली	120	231	407	725	286
15.	फिरोजाबाद	136	180	169	782	222
16.	बाराबंकी	-	45	141	320	200
17.	रामपुर	-	30	80	100	50
18.	बहराइच	-	12	30	50	50
19.	श्रावस्ती	-	8	20	-	-
	कुल	**2324**	**3722**	**4745**	**13108**	**6274**

क्रमांक	*यू.पी.बी.ई.पी. II के अंतर्गत जिले*	*नए प्राथमिक विद्यालय*	*निर्मित भवन पी.एस.*	*जोड़ी गईं कक्षाएं*	*शौचालय*	*हैंड पंप*
1.	वाराणसी	349	637	1666	702	218
2.	भदोही	96	238	730	161	78
3.	गोरखपुर	531	811	1026	658	280
4.	इलाहाबाद	598	1062	3296	1616	872
5.	बांदा	328	800	653	1104	526
6.	इटावा	415	886	235	923	393
7.	सीतापुर	611	840	754	1307	735
8.	अलीगढ़	418	509	430	841	116
9	सहारनपुर	243	376	892	714	166
10.	पौड़ी	173	435	381	1260	828
11.	नैनीताल	183	238	193	511	364
12.	उधम सिंह नगर	37	174	165	405	65
	कुल	**3982**	**7006**	**10111**	**10201**	**4611**

स्रोत : *शिक्षा की प्रगति,* शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, 1999-2000

यू.पी.बी.ई.पी. के माध्यम से इस स्थिति में सुधार लाने हेतु प्रयास किया गया। इस परियोजना में 10,510 अतिरिक्त कक्षों की आवश्यकता को रेखांकित किया गया था जिनमें से 10,111 कमरों का निर्माण 31 जनवरी 2000 तक करा दिया गया। इसी प्रकार डी.पी.ई.पी. II के अंतर्गत परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 31 जनवरी 2000 तक 4,744 ऐसे अतिरिक्त कक्षों का निर्माण हो चुका है।

सर्वेक्षण से यह स्पष्ट है कि 19,114 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में से 2,158 विद्यालय कच्चे भवन, झोपड़ियों, तंबुओं तथा बिना भवन के कार्य कर रहे थे। 1993-94 में 14,427 उच्च प्राथमिक विद्यालय कार्य कर रहे थे। इनमें 4,687 मान्यता प्राप्त विद्यालय अशासकीय थे। 1994-95 से 1997-98 के बीच 2,325 नए परिषद्ीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भवन एवं अन्य सुविधाएं पानी, शौचालय की उपलब्धता के साथ खोले गए, भवन युक्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों का प्रतिशत बढ़कर 90.95 हो गया। बी.ई.पी. के अंतर्गत 31.1.2000 तक 2,162 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भवन बनाए गए और 1,771 नए विद्यालय खोले गए जिससे भवन विहीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या घटकर लगभग 252 रह गई।

5.2.1 प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में हैंडपंप

प्राप्त सूचना के अनुसार सन् 1988-89 में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् के तहत 1,17,485 प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालय चलाए जा रहे थे जिनमें 1,04,182 विद्यालय मैदानी इलाकों में तथा 13,303 उत्तराखंड में थे। राज्य सरकार ने 'सभी के लिए शिक्षा' के अंतर्गत

प्रत्येक प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में पीने का पानी मुहैया कराने का प्रयास किया। लेकिन सीमित संसाधनों के कारण केवल 69,062 प्राथमिक विद्यालयों में ही यह सुविधा प्राप्त हो सकी।

मैदानी इलाकों में इंडिया मार्क II हैंडपंप दिए गए हैं। कार्यरत अभिकरण यू.पी. जल निगम और यू.पी. स्टेट एग्रो लिमिटेड हैं। पहाड़ी क्षेत्रों के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पीने के पानी की सुविधा प्रदान करने के संबंध में विशेष व्यवस्था करने के लिए ध्यान भी अपेक्षित है।

1998-99 की सर्वेक्षण आख्या के अनुसार मथुरा, सोनभद्र, गाजियाबाद, सन्त रविदासनगर, मऊ, ललितपुर, महोबा एवं महाराजगंज जनपदों में यह सुविधा प्राप्त थी। हाथरस, कौशांबी, वाराणसी, चित्रकूट एवं बाराबंकी जनपदों में स्थिति अच्छी नहीं थी और इसके लिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

सभी के लिए शिक्षा कार्यक्रम में राजीव गांधी पेय जल अभियान के अंतर्गत विचारार्थ एक प्रस्ताव भेजा गया।

5.2.2 प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शौचालय सुविधाएं

राज्य सरकार तथा यू.पी.ई.एफ.ए. द्वारा सन् 1998-99 में 1,17,485 परिषद्रीय विद्यालयों में से 40,061 प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शौचालय सुविधाएं प्रावधानित की गईं जबकि राज्य के 77,424 प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में इस सुविधा के प्रावधानित करने की प्रतीक्षा थी। कौशांबी जिले में 550 प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं लेकिन किसी भी विद्यालय में ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं है। अन्य जिलों में कुछ हद तक सुविधाएं प्राप्त हैं फिर भी स्थिति असंतोषजनक है और यहां विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

5.2.3 माध्यमिक विद्यालय

यू.पी. इंटरमीडिएट एक्ट के तहत अशासकीय व्यवस्था द्वारा चलाए जाने वाले विद्यालयों की मान्यता के लिए कुछ शर्तें दी गई हैं। इस व्यवस्था के अंतर्गत विद्यालयों के पास पक्का भवन, उचित सफाई सुविधा, फर्नीचर, प्रयोगशाला तथा पुस्तकालय होना आवश्यक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अतिरिक्त कक्षाओं, फर्नीचर, रख-रखाव तथा पुस्तकालय विकास के लिए ऐसे विद्यालयों में धन का प्रावधान किया। बालिकाओं की शिक्षा के विस्तार को दृष्टिगत रखकर उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष तौर से पिछड़े क्षेत्रों के फर्नीचर, विज्ञान उपकरणों तथा पुस्तकालय के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान किया। 1987 से 1992 तक की अवधि में प्राप्य आंकड़ों से यह पता चलता है कि 277 विद्यालयों में जहां सह-शिक्षा दी जाती है लड़कियों के लिए कामन रूम का निर्माण किया गया है।

उत्तर प्रदेश शासन में राज्य द्वारा संचालित व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत चार सौ विद्यालयों में तथा केंद्र द्वारा संचालित व्यावसायिक शिक्षा योजना के अंतर्गत 810 विद्यालयों में ट्रेड की प्रयोगशाला हेतु सुविधा प्रदान की गई।

सारणी 5.03 : उत्तर प्रदेश राज्य में भवन विहीन राजकीय हाई स्कूल/इंटर कालेज

मंडल	हाईस्कूल			इंटरमीडिएट			पूर्ण योग
	लड़के	लड़कियां	योग	लड़के	लड़कियां	योग	
मेरठ	1	4	5	–	--	–	5
आगरा	2	6	8	–	2	2	10
सहारनपुर	1	1	2	–	–	–	2
मुरादाबाद	3	6	9	–	2	2	11
बरेली	2	5	7	–	1	1	8
लखनऊ	9	19	28	2	2	4	32
फैजाबाद	–	8	8	–	2	2	10
देवीपाटन	4	5	9	–	–	–	9
गोरखपुर	–	4	4	–	–	--	4
बस्ती	–	2	2	–	2	2	4
आजमगढ़	–	6	6	–	–	–	6
वाराणसी	–	5	5	1	1	2	7
मिरजापुर	–	1	1	–	–	–	1
इलाहाबाद	1	11	12	1	1	2	14
कानपुर	1	5	6	–	–	–	6
झांसी	4	3	7	–	1	1	8
चित्रकूट	2	8	10	4	0	4	14
योग	**30**	**99**	**129**	**8**	**14**	**22**	**151**

स्रोत : उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा निदेशालय।

भवन विहीन माध्यमिक विद्यालय जो अशासकीय व्यवस्था के अंतर्गत चल रहे हैं चाहे वे सहायता प्राप्त अथवा असहायता प्राप्त अथवा स्थानीय निकायों के अंतर्गत चल रहे हैं उनके आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। लेकिन भवन विहीन बालक/बालिकाओं के लिए हाई स्कूल/इंटर विद्यालयों की संख्या 151 है जिनमें 90 राजकीय बालिका हाईस्कूल तथा 12 राजकीय बालिका इंटर कालेज हैं। लखनऊ मंडल में भवन विहीन विद्यालयों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक है।

5.3 आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता : वर्तमान स्थिति

विशेष सुविधाएं जैसे पीने का पानी, शौचालय, पुस्तकालय, प्रयोगशाला इत्यादि की उपलब्धता के संदर्भ में स्थिति विभिन्न स्रोतों जैसे – बेसिक शिक्षा के महत्त्वपूर्ण आंकड़े 1998, शिक्षा की प्रगति तथा बेसिक शिक्षा निदेशालय एवं राज्य परियोजना कार्यालय से उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर स्पष्ट हो चुकी है। जनवरी 2000 तक पीने का पानी तथा शौचालयों की उपलब्धता का संक्षिप्त विवरण सारणी 5.04 में प्रस्तुत है।

सारणी 5.04 : उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में पीने का पानी तथा शौचालयों की उपलब्धता के लिए 30.01.2000 तक की स्थिति का सारांश

क्र.	जिला/मंडल	1989-90 से 1996-97 तक की प्रगति	बी.ई.पी. + डी.पी.ई.पी. के अंतर्गत	डी.पी.ई.पी. + बी.ई.पी. नवनिर्माण प्राथमिक विद्यालय भवन	योग	बी.ई.पी. + डी.पी.ई.पी. के अंतर्गत	राज्य सरकार के नए विद्यालय 1994-95 से 1997-98 तक
1	मेरठ	612			612		82
2	बागपत						
3	बुलंदशहर	612			612		209
4	गाजियाबाद	612			612		118
5	गौतमबुद्ध नगर	-					
	मेरठ मंडल	-			1836		
6	आगरा	688			688		202
7	मैनपुरी	688			688		
8	एटा	688			688		591
9	मथुरा	688			688		118
10	अलीगढ़		416	418	834	841	
11	हाथरस						1
12	फिरोजाबाद	369	222	136	727	782	82
	आगरा मंडल				4313		
13	बरेली	368	286	120	771	735	78
14	बदायूं	368	671	147	1186	1193	59
15	पीलीभीत	368	356	167	923	893	75
16	शाहजहांपुर	368	443	18	993	1258	167
	बरेली मंडल				**3873**		
17	इलाहाबाद		872	598	1470	872	
18	कौशांबी						
19	फतेहपुर	661			661		323
20	प्रतापगढ़	661			661		211
	इलाहाबाद मंडल				**2792**		
21	वाराणसी		218	349	567	702	
22	चंदौली						
23	गाजीपुर	766			766		296
24	जौनपुर	612			612		461
	वाराणसी मंडल	**9129**	**3514**	**1953**	**1945**		
25	मिरजापुर	767			767		241
26	सोनभद्र	368	334	187	899	800	112
27	भदोई	368	96	78	542	161	46

	मिरजापुर मंडल	**1503**	**430**	**265**	**22028**		
28	लखनऊ	717			717		105
29	सीतापुर		735	611	1346	1307	
30	लखीमपुर खीरी	368	330	168	816	1316	122
31	हरदोई	368	422	158	948		186
32	उन्नाव	768			768		218
33	रायबरेली	768			768		241
	लखनऊ मंडल			**4113**	**5408**		
34	गोरखपुर		280	531	811	658	
35	देवरिया	368	652	124	1144	525	178
36	कुशीनगर	614			614		359
37	महाराजगंज	368	303	209	880	825	143
	गोरखपुर मंडल				**3449**		
38	बस्ती	368	260	150	778	622	242
39	संत कबीरनगर	368			368		
40	सिद्धार्थनगर		489	222	711	636	162
	बस्ती मंडल				**1857**		
41	झांसी	616			616		62
42	जालौन	618			618		130
43	ललितपुर	305	261	108	674	600	35
44	बांदा		526	328	854	1104	
45	साहूजी नगर						
46	महोबा	619			619	50	
47	हमीरपुर	618			618	45	
	झांसी मंडल	**9354**	**4688**	**2874**	**3999**		
48	फैजाबाद	616			616		214
49	अंबेडकर नगर	395			395		182
50	बाराबंकी	368	200		568	320	215
51	सुल्तानपुर	617			617	46	467+12
52	गोंडा	368	438	166	972	1008	208
53	बहराईच	368	50+50		418	50	534+4
	फैजाबाद मंडल				**3586**		
54	मुरादाबाद	368	572	130	1070	794	303
55	ज्योतिबाफूलेनगर						
56	रामपुर	368	50		418	100	228
57	बिजनौर	921			921		398
	मुरादाबाद मंडल				**2429**		
58	कानपुर नगर	677			677		63
59	कानपुर देहात	617			617		328

60	फर्रुखाबाद	617			617		306
61	कन्नौज						
62	इटावा		393	415	808	923	
63	औरैया						
	कानपुर मंडल				**2719**		
64	आजमगढ़	613			613	436	436
65	मऊ	613			613		223
66	बलिया	613			613		261
	आजमगढ़ मंडल				**1839**		
67	सहारनपुर		466	243	709		
68	हरिद्वार	530			530		86
69	मुजफ्फरनगर	612			612		107
	सहारनपुर मंडल	**9261**			**1651**	**714**	
	पूर्ण योग	**27741**	**10371**	**6574**	**81884**	**10371**	**11550**

स्रोत :(1) *बेसिक शिक्षा के महत्त्वपूर्ण आंकड़े-1998,* उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा निदेशालय।
(2) *शिक्षा की प्रगति,* शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश।

दसवें वित्त आयोग एवार्ड के अंतर्गत पानी की सुविधा 27,741 प्राथमिक विद्यालयों को उपलब्ध कराई गई है और डी.पी.ई.पी. II तथा बी.ई.पी. के अंतर्गत 31.1.2000 तक क्रमशः 6,574 एवं 3,983 प्राथमिक विद्यालयों ने यह सुविधा प्रावधानित कर दी है जबकि 6,574 नए प्राथमिक विद्यालयों को बी.ई.पी. तथा डी.पी.ई.पी. के अंतर्गत 31.1.2000 तक पहले ही सुविधा दी जा चुकी थी। इस प्रकार 45,416 नए विद्यालयों के साथ कुल 81,884 प्राथमिक विद्यालयों के पास पीने के पानी की सुविधा थी।

सारणी 5.05 दसवें वित्त आयोग के अंतर्गत बालिकाओं के लिए शौचालयों के निर्माण तथा हैंडपंप लगाने के संदर्भ में स्थिति का चित्रण दर्शाती है।

सारणी 5.05 : *दसवें वित्त आयोग के अंतर्गत उच्च प्राथमिक बालिका विद्यालयों में शौचालयों के निर्माण तथा हैंडपंप लगाने में हुई प्रगति*

वर्ष	*उ.प्र. में नए बालिका विद्यालयों का निर्माण*	*नए बालिका विद्यालयों में हैंडपंप*	*हैंडपंप लगाना*	*हैंडपंप की कुल संख्या*	*शौचालय निर्माण (नए विद्यालय)*	*शौचालय निर्माण*	*शौचालयों की कुल संख्या*
1995-96	-	-	200	200	-	668	668
1996-97	249	249	245	494	249	836	1085
1997-98	235	235	297	532	235	896	1131
1998-99	234	234	-	234	234	-	234
कुल	**718**	**718**	**742**	**1460**	**718**	**2400**	**3118**

स्रोत : *बेसिक शिक्षा के महत्त्वपूर्ण आंकड़े - 1998,* उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा निदेशालय।

सारणी 5.05 से स्पष्ट है कि 1995-96 से 1998-99 तक उच्च प्राथमिक बालिका विद्यालयों में लगाए गए हैंडपंपों की संख्या बढ़कर 1,460 हो गई तथा शौचालयों की संख्या बढ़कर 3,118 हुई।

माध्यमिक स्रोतों जैसे राज्य परियोजना कार्यालय, बेसिक शिक्षा निदेशालय तथा शिक्षा की प्रगति इत्यादि के विभिन्न आख्याओं द्वारा प्राप्त आंकड़ों का विवरण सारणी 5.06 द्वारा स्पष्ट है।

सारणी 5.06 : *नए प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों तथा शौचालयों का निर्माण एवं हैंडपंप का लगना*

क्र.	वर्ष	*लगाए गए हैंडपंप*	*निर्मित शौचालय*	*नए प्राथमिक विद्यालय (निर्मित)*	*नए निर्मित उच्च प्राथमिक विद्यालय*
1	1994-95	10744	8000	-	423
2	1995-96	3561	-	-	238
3	1996-97	1753	-	-	531
4	1997-98	6514	-	-	1113
5	31.1.2000 तक बी.ई.पी. के अंतर्गत	-	-	3982 7000 10982	1771 2162 3933
6	31.1.2000 तक डी.पी.ई.पी.के अंतर्गत	-	-	2324 3722 6046	
	योग	**22572**	**8000**	**17028**	**6258**

स्रोत : (1) *बेसिक शिक्षा के महत्त्वपूर्ण आंकड़े-1998,* उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा निदेशालय।
(2) *शिक्षा की प्रगति,* शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश।

उल्लेखनीय है कि 12,286 परिषद्रीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पीने के पानी की सुविधा एवं 5,891 परिषद्रीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शौचालय सुविधा भी उपलब्ध थी। उक्त अवधि में उत्तर प्रदेश सरकार ने 2,325 नए उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले और कुछ भवनों का जीर्णोद्धार भी कराया। शिक्षा की प्रगति 1999-2000 के अभिलेख के अनुसार उत्तर प्रदेश में उच्च प्राथमिक विद्यालयों की कुल संख्या 21,678 थी और इनमें से 7,916 विद्यालयों के पास 31.1.2000 तक पानी तथा शौचालय की सुविधा प्रावधानित थी।

सारणियों के अनुशीलन से जो स्थिति स्पष्ट होती है वह इस प्रकार है :

(1) 31.1.2001 तक प्राथमिक विद्यालयों में लगाए गए हैंडपंपों की संख्या 21,221 है जो 97.89 प्रतिशत है।

(2) ऐसे उच्च प्राथमिक विद्यालय जिनमें शौचालय उपलब्ध हैं उनकी संख्या 13,807 हो गई है जो कुल विद्यालयों की संख्या का 63.69 प्रतिशत है।

5.4 केंद्र द्वारा संचालित योजनाएं

5.4.1 ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड

उपर्युक्त योजना के अंतर्गत भारत सरकार ने शिक्षण-अधिगम सामग्री की आपूर्ति हेतु तीन अनुवर्ती वर्षों में स्वीकृति प्रदान की है। सारणी 5.07 इस योजना के अंतर्गत आच्छादित विद्यालयों की स्थिति प्रदर्शित करती है।

सारणी 5.07 : *ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड के अंतर्गत आच्छादित विद्यालय*

वर्ष	*विकसित खंडों की संख्या*	*प्राथमिक विद्यालयों की संख्या*	*स्वीकृत धनराशि (रु. हजार में)*
1987-88	227	18924	151587
1988-89	372	26633	186657
1989-90	246	19831	157378
योग	**845**	**65388**	**495622**

स्रोत : बेसिक शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश में 1986-87 में एक अध्यापक वाले प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 7,224 थी। भारत सरकार ने ऐसे विद्यालयों में दूसरे अध्यापक की व्यवस्था करने हेतु वित्तीय सहायता का प्रावधान किया और तदनुसार 1989-90 में 7,224 अध्यापकों की नियुक्ति की गई।

ऑपरेशन ब्लैक-बोर्ड योजना के तहत भवनों का निर्माण कराना भी एक दूसरा महत्त्वपूर्ण घटक है। सारणी 5.08 में 1987-88 तथा 1989-90 की अवधि में निर्मित विद्यालय भवनों का विवरण दिया गया है।

सारणी 5.08 : *निर्मित विद्यालय भवनों की संख्या*

वर्ष	*भवनरहित/जीर्ण विद्यालयों की संख्या*	*निर्मित विद्यालय भवनों की संख्या*
1987-88	2311	2042
1988-89	4249	3620
1989-90	4590	4590
1990-91	-	898
योग	**11150**	**11150**

स्रोत : बेसिक शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश।

केंद्र द्वारा संचालित ऑपरेशन ब्लैक-बोर्ड योजना को सन् 1996-97 में संशोधित किया गया। इस योजना के अंतर्गत सौ से अधिक विद्यार्थियों की संख्या वाले विद्यालयों के लिए भारत सरकार द्वारा एक अतिरिक्त अध्यापक का वेतन दिया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा आशा की

गई है कि राज्य सरकार द्वारा एक अतिरिक्त कक्ष तथा आवश्यक शौचालय सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी। 11,800 विद्यालयों में उतने ही अतिरिक्त कक्ष एवं शौचालय के लिए 59 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया।

इसी प्रकार उच्च प्राथमिक विद्यालयों को भी ऑपरेशन ब्लैक-बोर्ड योजना के अंतर्गत भारत सरकार शिक्षण-अधिगम सामग्री की आपूर्ति तथा दो अध्यापिकाओं की वेतन राशि प्रावधानित करेगी। राज्य सरकार अतिरिक्त कक्षों, हैंडपंप एवं शौचालय आदि की व्यवस्था करेगी।

5.5 अतिरिक्त आधारिक संरचना का निर्माण

दसवें वित्त आयोग ने विद्यालय स्तर को ऊंचा करने तथा पीने का पानी, बालिकाओं के लिए शौचालय तथा अतिरिक्त कक्षों के निर्माण करने की सिफारिश की। इस बारे में सारणी 5.09 में स्थिति दर्शाई गई है।

सारणी 5.09 : ***दसवें वित्तीय कमीशन की संस्तुति के अनुसार उच्च प्राथमिक विद्यालयों में निर्मित विद्यालय भवन/शौचालय तथा चहारदीवारी की स्थिति***

क्र.	वर्ष	भवन निर्माण			शौचालय निर्माण			हैंडपंप की व्यवस्था			चहारदीवारी		
		स्वी.	निर्मित	शेष	स्वी.	निर्मित	शेष	स्वी.	निर्मित	शेष	स्वी.	निर्मित	शेष
1	1996-97	249	193	56	249	-	249	249	141	108	249	-	249
2	1997-98	235	16	219	235	-	235	249	-	249	235	-	235
3	1998-99	234	-	-	234	-	-	234	-	-	234	-	-
	योग	**718**	**209**	**275**	**718**	**-**	**484**	**732**	**141**	**357**	**718**	**-**	**484**

स्रोत : *बेसिक शिक्षा के महत्वपूर्ण आंकड़े-1998,* उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा निदेशालय।

जैसाकि आंकड़ों से स्पष्ट होता है 1996-97 में 249 उच्च प्राथमिक विद्यालयों, 1997-98 में 235 उच्च प्राथमिक विद्यालयों और 1998-99 में 234 विद्यालयों, कुल मिलाकर 718 विद्यालयों में भवन निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान की गई थी। ठीक ऐसी ही स्थिति चहारदीवारी और शौचालय की सुविधाओं की संख्या की थी। हैंडपंप लगाने हेतु वर्ष 1996-97 में 249, 1997-98 में 249 और 1998-99 में 234 के लिए प्रावधान किया गया।

दसवें वित्त आयोग द्वारा प्रदत्त आंकड़ों से जनपदवार स्थिति सारणी 5.10 में प्रदर्शित है। इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि विभिन्न अनुक्षेत्रों में पुरस्करण (एवार्ड) का निर्धारण एवं समंजन कई कारकों यथाः उनका उ.प्र. बेसिक शिक्षा परियोजना एवं डी.पी.ई.पी. से पूर्व आच्छादन तथा जनपदीय स्तर पर आकलित वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार किया गया है।

सारणी 5.10 : दसवें वित्त आयोग के पुरस्करण के अनुसार नए बालिका विद्यालय/शौचालय/चहारदीवारी तथा हैंडपंप लगवाने के संबंध में क्रियान्विति

क.	क्षेत्र/जिला	भवन निर्माण में प्रगति						शौचालय निर्माण						हैंडपंप						चहारदीवारी					
		96-97		97-98		98-99		96-97		97-98		98-99		96-97		97-98		98-99		96-97		97-98		98-99	
		स्वी.	नि.	स्वी.	नि.	स्वी.	नि.	स्वी.	नि.	स्वी.	नि.	स्वी.	नि.	स्वी.	नि.	स्वी.	नि.	स्वी.	नि.	स्वी.	नि.	स्वी.	नि.	स्वी.	नि.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	मेरठ	2	2	2	–	2	–	2	–	2	–	2	–	2	2	2	–	2	–	2	–	2	–	2	–
2	बुलंदशहर	4	4	4	–	4	–	4	–	4	–	4	–	4	4	4	–	4	–	4	–	4	–	4	–
3	गाजियाबाद	2	–	2	–	2	–	2	–	2	–	2	–	2	2	2	–	2	–	2	–	2	–	2	–
4	गौतम बुद्ध नगर	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5	बागपत	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	कुल	**8**	**6**	**8**	**-**	**8**	**-**	**8**	**-**	**8**	**-**	**8**	**-**	**8**	**8**	**8**	**-**	**8**	**-**	**8**	**-**	**8**	**-**	**8**	**-**
6	सहारनपुर	4	2	4	–	4	–	4	–	4	–	4	–	4	3	4	–	4	–	4	–	4	–	4	–
7	मुजफ्फरनगर	2	1	4	–	4	–	2	–	4	–	4	–	4	4	4	–	4	–	4	–	4	–	4	–
8	हरिद्वार	4	3	2	–	2	–	4	–	2	–	2	–	2	1	2	–	2	–	2	–	2	–	2	–
	कुल	**10**	**6**	**10**	**-**	**10**	**-**	**10**	**-**	**10**	**-**	**10**	**-**	**10**	**8**	**10**	**-**	**10**	**-**	**10**	**-**	**10**	**-**	**10**	**-**
9	आगरा	2	2	–	–		–	–	–		–	–	–	2	1	2	–	2	–	2	–	2	–	2	–
10	अलीगढ़	4	4	4	–	4	–	4	–	4	–	4	–	3	3	4	–	4	–	3	–	4	–	4	–
11	इटावा	5	4	5	–	5	–	5	–	5	–	5	–	5	4	5	–	5	–	5	–	5	–	5	–
12	मैनपुरी	2	2	2	–	2	–	2	–	2	–	2	–	2	2	2	–	2	–	2	–	2	–	2	–
13	मथुरा	5	4	5	–	5	–	5	–	5	–	5	–	5	5	5	–	5	–	5	–	5	–	5	–
14	फिरोजाबाद	4	4	4	–	4	–	4	–	4	–	4	–	4	4	4	–	4	–	4	–	4	–	4	–
15	महामायानगर	1	1	–	–		–	1	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
	कुल	**23**	**21**	**22**	**-**	**22**	**-**	**22**	**-**	**22**	**-**	**22**	**-**	**22**	**20**	**22**	**-**	**22**	**-**	**22**	**-**	**22**	**-**	**22**	**-**
16	बरेली	5	5	5	1	5	–	5	–	5	–	5	–	5	5	5	–	5	–	5	–	5	–	5	–
17	बदायूं	5	5	5	2	5	–	5	–	5	–	5	–	5	5	5	–	5	–	5	–	5	–	5	–
18	शाहजहांपुर	5	5	5	1	5	–	5	–	5	–	5	–	5	–	5	–	5	–	5	–	5	–	5	–
19	पीलीभीत	5	5	5	–	5	–	5	–	5	–	5	–	5	3	5	–	5	–	5	–	5	–	5	–
	कुल	**20**	**20**	**20**	**4**	**20**	**-**	**20**	**-**	**20**	**-**	**20**	**-**	**20**	**13**	**20**	**-**	**20**	**-**	**20**	**-**	**20**	**-**	**20**	**-**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
20	इलाहाबाद	4	2	4	-	4	-	4	-	4	-	4	-	4	3	4	-	4	-	4	-	4	-	4	-
21	फतेहपुर	2	2	2	2	2	-	2	-	2	-	2	-	2	2	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-
22	प्रतापगढ़	5	5	5	-	5	-	5	-	5	-	5	-	5	1	5	-	5	-	5	-	5	-	5	-
23	कौशांबी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	कुल	**11**	**9**	**11**	**2**	**11**	-	**11**	-	**11**	-	**11**	-	**11**	**6**	**11**	-	**11**	-	**11**	-	**11**	-	**11**	-
24	वाराणसी	2	1	4	-	4	-	2	-	4	-	4	-	2	-	4	-	4	-	2	-	4	-	4	-
25	गाजीपुर	4	4	4	-	4	-	4	-	4	-	4	-	4	-	4	-	4	-	4	-	4	-	4	-
26	जौनपुर	5	5	5	-	5	-	5	-	5	-	5	-	5	-	5	-	5	-	5	-	5	-	5	-
27	चंदोली	2	1	-	-	5	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
	कुल	**13**	**11**	**13**	-	**18**	-	**13**	-	**13**	-	**13**	-	**13**	-	**13**	-	**13**	-	**13**	-	**13**	-	**13**	-
28	मिर्जापुर	5	5	5	-	5	-	5	-	5	-	5	-	5	-	5	-	5	-	5	-	5	-	5	-
29	सोनभद्र	5	5	5	-	5	-	5	-	5	-	5	-	5	-	5	-	5	-	5	-	5	-	5	-
30	भदोही	4	-	4	-	4	-	4	-	4	-	4	-	4	-	4	-	4	-	4	-	4	-	4	-
	कुल	**14**	**10**	**14**	-	**14**	-	**14**	-	**14**	-	**14**	-	**14**	-	**14**	-	**14**	-	**14**	-	**14**	-	**14**	-
31	लखनऊ	2	2	2	1	2	-	2	-	2	-	2	-	2	1	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-
32	रायबरेली	5	5	5	2	5	-	5	-	5	-	5	-	5	4	5	-	5	-	5	-	5	-	5	-
33	हरदोई	5	4	5	1	5	-	5	-	5	-	5	-	5	5	5	-	5	-	5	-	5	-	5	-
34	उन्नाव	4	4	4	1	4	-	4	-	4	-	4	-	4	3	4	-	4	-	4	-	4	-	4	-
35	लखीमपुर खीरी	5	3	5	-	5	-	5	-	5	-	5	-	5	5	5	-	5	-	5	-	5	-	5	-
36	सीतापुर	4	3	4	-	4	-	4	-	4	-	4	-	4	2	4	-	4	-	4	-	4	-	4	-
	कुल	**25**	**21**	**25**	**5**	**25**	-	**25**	-	**25**	-	**25**	-	**25**	**20**	**25**	-	**25**	-	**25**	-	**25**	-	**25**	-
37	गोरखपुर	4	-	4	-	4	-	4	-	4	-	4	-	4	1	4	-	4	-	4	-	4	-	4	-
38	कुशीनगर	4	4	4	-	4	-	4	-	4	-	4	-	4	4	4	-	4	-	4	-	4	-	4	-
39	देवरिया	5	5	5	1	5	-	5	-	5	-	5	-	5	-	5	-	5	-	5	-	5	-	5	-
40	महाराजगंज	5	5	4	-	5	-	5	-	4	-	5	-	5	3	4	-	5	-	5	-	4	-	5	-
	कुल	**18**	**14**	**17**	**1**	**18**	-	**18**	-	**17**	-	**18**	-	**18**	**8**	**17**	-	**18**	-	**18**	-	**17**	-	**18**	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
41	बस्ती	5	4	5	3	5	–	5	–	5	–	5	–	5	–	5	5	5	–	5	–	5	–	5	–
42	सिद्धार्थनगर	5	5	5	1	5	–	5	–	5	–	5	–	5	–	5	5	5	–	5	–	5	–	5	–
43	कबीरनगर	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	कुल	**10**	**9**	**10**	**4**	**10**	–	**10**	–	**10**	–	**10**	–	**10**	–	**10**	**10**	**10**	–	**10**	–	**10**	–	**10**	–
44	आजमगढ़	5	5	5	–	5	–	5	–	5	–	5	–	5	5	5	–	5	–	5	–	5	–	5	–
45	मऊ	4	4	5	–	5	–	4	–	5	–	5	–	4	4	5	–	5	–	4	–	5	–	5	–
46	बलिया	4	3	4	–	5	–	4	–	4	–	5	–	4	3	4	–	5	–	4	–	4	–	5	–
	कुल	**13**	**12**	**14**	–	**15**	–	**13**	–	**14**	–	**15**	–	**13**	**12**	**14**	–	**15**	–	**13**	–	**14**	–	**15**	–
47	फैजाबाद	5	1	4	–	5	–	4	–	4	–	5	–	4	–	4	–	5	–	4	–	4	–	5	–
48	सुल्तानपुर	4	4	5	–	5	–	5	–	5	–	5	–	5	5	5	–	5	–	5		5	–	5	–
49	बाराबंकी	5	4	5	–	5	–	5	–	5	–	5	–	5	5	5	–	5	–	5	–	5	–	5	–
50	अम्बेडकर नगर	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	कुल	**14**	**9**	**14**	–	**15**	–	**14**	–	**14**	–	**15**	–	**14**	**10**	**14**	–	**15**	–	**14**	–	**14**	–	**15**	–
51	गोंडा	1	1	5	–	5	–	1	–	5	–	5	–	1	1	5	–	5	–	1	–	5	–	5	–
52	बहराइच	3	3	5	–	5	–	3	–	5	–	5	–	3	3	5	–	5	–	3	–	5	–	5	–
53	बलरामपुर	4	4	–	–	–	–	4	–	–	–	–	–	4	4	–	–	–	–	4	–	–	–	–	–
54	श्रावस्ती	2	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	2	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–
	कुल	**10**	**10**	**10**	–	**10**	–	**10**	–	**10**	–	**10**	–	**10**	**10**	**10**	–	**10**	–	**10**	–	**10**	–	**10**	–
55	झांसी	2	2	2	–	2	–	2	–	2	–	2	–	2	–	2	–	2	–	2	–	2	–	2	–
56	ललितपुर	5	5	5	–	5	–	5	–	5	–	5	–	5	–	5	–	5	–	5	–	5	–	5	–
57	जालौन	2	2	2	–	2	–	2	–	2	–	2	–	2	–	2	–	2	–	2	–	2	–	2	–
	कुल	**9**	**9**	**9**	–	**9**	–	**9**	–	**9**	–	**9**	–	**9**	–	**9**	–	**9**	–	**9**	–	**9**	–	**9**	–
58	बांदा	4	–	4	–	4	–	4	–	4	–	4	–	4	–	4	–	4	–	4	–	4	–	4	–
59	हमीरपुर	5	5	5	–	5	–	5	–	5	–	5	–	5	–	5	–	5	–	5	–	5	–	5	–
60	महोबा	2	–	2	–	2	–	2	–	2	–	2	–	2	–	2	–	2	–	2	–	2	–	2	–
61	महाराजनगर	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	कुल	**11**	**5**	**11**	–	**11**	–	**11**	–	**11**	–	**11**	–	**11**	–	**11**	–	**11**	–	**11**	–	**11**	–	**11**	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
62	मुरादाबाद	5	5	5	–	5	–	5	–	5	–	5	5	5	–	5	5	5	–	5	–	5	–	5	–
63	रामपुर	5	5	5	–	5	–	5	–	5	–	5	–	5	–	5	5	5	–	5	–	5	–	5	–
64	बिजनौर	5	5	4	–	5	–	5	–	5	–	4	–	5	–	5	3	4	–	5	–	4	–	5	–
65	ज्योतिबाफूलेनगर	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	कुल	**15**	**15**	**15**	–	**15**	–	**15**	–	**15**	–	**14**	**5**	**15**	–	**15**	**13**	**14**	–	**15**	–	**14**	–	**15**	–
66	कानपुर नगर	2	1	2	–	2	–	2	–	2	–	2	–	2	1	2	–	2	–	2	–	2	–	2	–
67	कानपुर देहात	2	1	2	–	2	–	2	–	2	–	2	–	2	–	2	–	2	–	2	–	2	–	2	–
68	फर्रुखाबाद	2	2	2	–	2	–	2	–	2	–	2	–	2	2	2	–	2	–	2	–	2	–	2	–
69	इटावा	2	–	2	–	2	–	2	–	2	–	2	–	2	–	2	–	2	–	2	–	2	–	2	–
70	औरैया	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
71	कन्नौज	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	कुल	**8**	**4**	**8**	–	**8**	–	**8**	–	**8**	–	**8**	–	**8**	**3**	**8**	–	**8**	–	**8**	–	**8**	–	**8**	–
72	नैनीताल	2	2	1	–	–	–	2	–	1	–	–	–	2	–	2	–	–	–	2	–	1	–	–	–
73	ऊधम सिंह नगर	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
74	अल्मोड़ा	2	2	1	–	–	–	2	–	1	–	–	–	2	–	2	–	–	–	2	–	1	–	–	–
75	पिथौरागढ़	2	1	1	–	–	–	2	–	1	–	–	–	2	–	2	–	–	–	2	–	1	–	–	–
76	बागेश्वर	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	चम्पावत	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	कुल	**6**	**5**	**3**	–	–	–	**6**	–	**3**	–	–	–	**6**	–	**6**	–	–	–	**6**	–	**3**	–	–	–
78	पौड़ी	2	–	1	–	–	–	2	–	1	–	–	–	2	–	2	–	–	–	2	–	1	–	–	–
79	टिहरी	4	–	–	–	–	–	4	–	–	–	–	–	4	–	4	–	–	–	4	–	–	–	–	–
80	उत्तरकाशी	2	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	2	–	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–
81	चमोली	2	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	2	–	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–
82	देहरादून	2	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	2	–	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–
83	रूद्रप्रयाग	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	कुल	**12**		**1**	–	–	–	**12**	–	**1**	–	–	–	**12**	–	**12**	–	–	–	**12**	–	**1**	–	–	–
	सर्वयोग	**249**	**193**	**235**	**16**	**234**	–	**249**	–	**235**	–	**234**	–	**249**	**141**	**249**	–	**234**	–	**249**	–	**235**	–	**234**	–

*स्रोत : *बेसिक शिक्षा के महत्त्वपूर्ण आंकड़े - 1998*, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा निदेशालय।

परिषद् की शालाओं हेतु दसवें वित्त आयोग के निर्णयों के अनुसार 27,741 हैंडपंप स्वीकृत किए गए जैसाकि सारणी 5.11 से स्पष्ट है।

सारणी 5.11 : *दसवें वित्त आयोग के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों में लगाए गए हैंडपंप*

क्रमांक	*वर्ष*	*हैंडपंप*		
		स्वीकृत	*लगे हुए*	*शेष*
1.	1996-97	7398	6628	770
2.	1997-98	9245	1579	7666
3.	1998-99	11098	-	-
	योग	**27741**	**8207**	**8436**

स्रोत : *बेसिक शिक्षा के महत्त्वपूर्ण आंकड़े-1998*, बेसिक शिक्षा निदेशालय, उ.प्र.।

सारणी 5.11 से यह स्पष्ट है कि वर्ष 1996-97 में प्राथमिक विद्यालयों के लिए कुल 7,398 हैंडपंप स्वीकृत किए गए जिनकी संख्या बढ़कर 1997-98 में 9,245 और 1998-99 में 11,098 हो गई।

सारणी 5.12 दसवें वित्त आयोग के निर्णयानुसार परिषद्रीय प्राथमिक विद्यालयों में लगाए गए हैंडपंपों की प्रगति की स्थिति इंगित करती है।

सारणी 5.12 : *परिषद्रीय प्राथमिक पाठशालाओं में लगाए गए हैंडपंपों की प्रगति*

क्र.	*क्षेत्र/जिला*	*हैंडपंप*					
		1996-97		*1997-98*		*1998-99*	
		स्वीकृत	*लगे हुए*	*स्वीकृत*	*लगे हुए*	*स्वीकृत*	*लगे हुए*
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	मेरठ	206	206	184	66	222	-
2.	बुलंदशहर	206	206	184	142	222	-
3.	गाजियाबाद	206	200	184	41	222	-
4.	गौतम बुद्ध नगर	-	-	-	-	-	-
5.	बागपत	-	-	-	-	-	-
	कुल	**618**	**612**	**552**	**249**	**666**	-
6.	सहारनपुर	-	-	-	-	-	-
7.	मुजफ्फरनगर	206	206	184	-	222	-
8.	हरिद्वार	206	124	184	-	222	-
	कुल	**412**	**330**	**368**	-	**444**	-
9.	आगरा	256	256	210	-	222	-
10.	अलीगढ़	-	-	-	-	-	-
11.	इटावा	256	256	210	164	222	-

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	मैनपुरी	256	228	210	–	222	–
13.	मथुरा	256	255	210	134	222	–
14.	फिरोजाबाद	–	–	147	89	222	–
15.	महामायानगर	–	–	–	–	–	–
	कुल	**768**	**739**	**777**	**387**	**1110**	–
16.	बरेली	–	–	146	–	222	–
17.	बदायूं	–	–	146	–	222	–
18.	शाहजहांपुर	–	–	146	–	222	–
19.	पीलीभीत	–	–	146	10	222	–
	कुल	–	–	**584**	**10**	**888**	–
20.	इलाहाबाद	–	–	–	–	–	–
21.	फतेहपुर	206	206	184	103	221	–
22.	प्रतापगढ़	206	180	184	138	221	–
23.	कोशांबी	–	–	–	–	–	–
	कुल	**412**	**386**	**368**	**241**	**442**	–
24.	वाराणसी	–	–	–	–	–	–
25.	गाजीपुर	309	281	235	–	222	–
26.	जौनपुर	206	205	184	–	222	–
27.	चंदोली	–	–	–	–	–	–
	कुल	**515**	**486**	**419**	–	**444**	–
28.	मिरजापुर	309	223	236	–	222	–
29.	सोनभद्र	–	–	146	–	222	–
30.	भदोई	–	–	146	–	222	–
	कुल	**309**	**223**	**528**	–	**666**	–
31.	लखनऊ	276	276	219	58	222	–
32.	रायबरेली	310	310	236	70	222	–
33.	हरदोई	–	–	146	–	222	–
34.	उन्नाव	310	310	236	10	222	–
35.	लखीमपुर खीरी	–	–	146	–	222	–
36.	सीतापुर	–	–	–	–	–	–
	कुल	**896**	**896**	**983**	**138**	**1110**	–
37.	गोरखपुर	–	–	–	–	–	–
38.	कुशीनगर	207	207	185	104	222	–

1	2	3	4	5	6	7	8
39.	देवरिया	-	-	146	-	222	-
40.	महाराजगंज	-	-	146	-	222	-
	कुल	**207**	**207**	**477**	**104**	**666**	-
41.	बस्ती	-	-	146	10	222	-
42.	सिद्धार्थनगर	-	-	146	27	222	-
43.	कबीरनगर	-	-	-	-	-	-
	कुल	-	-	**292**	**37**	**444**	-
44.	आजमगढ़	206	206	185	148	222	-
45.	मऊ	206	206	185	17.	222	-
46.	बलिया	206	196	185	-	222	-
	कुल	**618**	**608**	**552**	**165**	**666**	-
47.	फैजाबाद	206	206	188	-	222	-
48.	सुल्तानपुर	206	206	189	-	222	-
49.	बाराबंकी	-	-	146	-	222	-
50.	अंबेडकर नगर	206	206	189	-	-	-
	कुल	**618**	**618**	**712**	-	**666**	-
51.	गोंडा	-	-	146	-	222	-
52.	बहराइच	-	-	146	-	222	-
53.	बलरामपुर	-	-	-	-	-	-
54.	श्रावस्ती	-	-	-	-	-	-
	कुल	-	-	**292**	-	**444**	-
55.	झांसी	175	116	219	-	222	-
56.	ललितपुर	37	-	46	-	222	-
57.	जालौन	178	36	221	-	222	-
58.	बांदा	-	-	-	-	-	-
59.	हमीरपुर	175	80	219	-	222	-
60.	महोबा	175	35	220	-	222	-
61.	महाराजनगर	-	-	-	-	-	-
	कुल	**740**	**267**	**925**	-	**1110**	-
62.	मुरादाबाद	-	-	-	-	222	-
63.	रामपुर	-	-	-	-	222	-
64.	बिजनौर	412	382	287	-	222	-

1	2	3	4	5	6	7	8
65.	ज्योतिबाफूलेनगर	–	–	–	–	–	–
	कुल	**412**	**382**	**287**	–	**666**	–
66.	कानपुर नगर	206	206	249	9	222	–
67.	कानपुर देहात	206	206	189	50	222	–
68.	फर्रूखाबाद	206	206	189	189	222	–
69.	इटावा	–	–	–	–	–	–
70.	औरैया	–	–	–	–	–	–
71.	कन्नौज	–	–	–	–	–	–
	कुल	**618**	**618**	**627**	**248**	**666**	–
	सर्वयोग	**7788**	**6780**	**9731**	**1579**	**11764**	–

स्रोत : *बेसिक शिक्षा के महत्वपूर्ण आंकड़े-1998,* बेसिक शिक्षा निदेशालय, उ.प्र.।

सारणी 5.12 के आंकड़े प्रकट करते हैं कि यद्यपि आगरा मंडल 3,120 हैंडपंपों के साथ इन वर्षों में सर्वाधिक लाभान्वित रहा है लेकिन इसी प्रकार लाभान्वित होने वाले अन्य जनपदों में विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं - रायबरेली तथा उन्नाव जहां प्रत्येक में 768 हैंडपंप, मिर्जापुर जहां 767 हैंडपंप तथा गाजीपुर जहां 766 हैंडपंप लगवाए गए हैं।

5.6 निधि प्रदायक अभिकरणों से सहायता

5.6.1 उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना

यह परियोजना अक्तूबर 1993 में 7 वर्षों के लिए दस जनपदों यथाः वाराणसी, गोरखपुर, इलाहाबाद, बांदा, इटावा, सीतापुर, अलीगढ़, सहारनपुर, पौड़ी एवं नैनीताल को आच्छादित करते हुए प्रदर्शित हुई। बाद में, तत्कालीन जनपदों के पुनर्गठन के आलोक में अन्य सात जिले ऊधम सिंह नगर, भदोही, हाथरस, चित्रकूट, कौशांबी, औरैया तथा चंदौली को भी परियोजना के अंतर्गत रखा गया। इस परियोजना का लक्ष्य था — बेसिक शिक्षा (कक्षा 1 से 8 तक) में सार्वभौम नामांकन एवं हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के साथ गुणवत्ता में सुधार लाना। इस परियोजना पर कुल परिव्यय 728.78 करोड़ रुपया रखा गया है। व्यापक रूप में परियोजना के उद्देश्य इस प्रकार परिभाषित किए गए हैं :

- बेसिक शिक्षा के विकास से संबंधित कार्यक्रमों को नियोजित, व्यवस्थित एवं मूल्यांकित करने की दृष्टि से संस्थागत क्षमता निर्माण करें।
- प्राथमिक शिक्षा की पूरी अवधि में भागीदारी एवं गुणवत्ता सुधार, तथा
- परियोजना से संबंधित जनपदों में बेसिक शिक्षा में अभिगम्यता (पहुंच) की संभावना बढ़ाना।

परियोजना की क्रियान्विति के प्रथम चरण में आधारिक संरचना जुटाने तथा निर्माण कार्यों को त्वरित करने पर विशेष बल दिया गया। प्रारंभ में ही यह निर्णय लिया गया कि परियोजना से आच्छादित सभी निर्माण कार्य प्रथम पांच वर्षों में पूरे कर लिए जाएं जिससे बाद की अवधि में परियोजना के गुणवत्ता पक्षों पर पूरा-पूरा ध्यान दिया जा सके। अगले स्तर पर किए जाने वाले कार्यों में विशेष रूप से उल्लेखनीय है - अध्यापक शिक्षा एवं अनुदेशनात्मक सामग्रियों का विकास।

दिसम्बर 1996 में विश्व बैंक मिशन द्वारा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना की मध्यावधि समीक्षा की गई। मिशन ने परियोजना की क्रियान्विति की प्रशंसा की तथा इसे अपने लक्ष्यों के अनुरूप आगे बढ़ाते हुए यह सुझाव दिया कि परियोजना से आच्छादित जनपदों में गुणवत्ता की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखकर आगे के कार्यक्रमों एवं प्रयासों को समर्थन देना नितान्त आवश्यक है। इस प्रकार परियोजना के विस्तार का प्रस्ताव इस आशय से विकसित किया गया कि अतिरिक्त अधोसंरचनाएं प्रावधानित हो सकें एवं गहन शिक्षण संबंधी निविष्टियों को प्रोत्साहित किया जा सके। इस प्रस्ताव के आधार पर यू.पी.बी.ई.पी.-II का समारंभ किया गया। यह कार्यक्रम प्रथम चरण में चलाए गए यू.पी.बी.ई.पी. के पूरक के रूप में अभिकल्पित था तथा इसका ध्येय यह भी था कि उत्तर प्रदेश राज्य इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के प्रथम तीन वर्षों में दृष्टिगत अभूतपूर्व नामांकन अभिवृद्धि से जुड़ी समस्याओं से भली प्रकार निपट सके। यू.पी.बी.ई.पी. I तथा यू.पी.बी.ई.पी. II विश्व बैंक से की गई संविदा के अनुसार सन् 2000 में पूरा कर चुकी है।

5.6.2 जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम सितम्बर 1997 में 15 जनपदों को लक्ष्य बनाकर प्रवर्तित किया गया जो दिसम्बर 2002 तक चलेगा। इसके तहत आच्छादित जनपद हैं - बरेली, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बदायूं, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, बस्ती, महाराजगंज, मुरादाबाद, ललितपुर, सोनभद्र, शाहजहांपुर, देवरिया, हरदोई, फिरोजाबाद, बलरामपुर, संत कबीर नगर तथा ज्योतिबाफूले नगर। पूरी परियोजना पर परिव्यय 567.55 करोड़ रुपए था। कुल परिव्यय नियत है। इसमें केंद्र सरकार की भागीदारी 85 प्रतिशत तथा राज्य सरकार की भागीदारी 15 प्रतिशत के आधार पर सुनिश्चित है। इस परियोजना के तहत जो मुख्य कार्यक्रम शामिल किए गए हैं वे इस प्रकार हैं-

- अभिगम्यता में विस्तार लाना
- विद्यालयों में धारिता (ठहराव) को प्रोत्साहित करना.
- गुणवत्ता सुधार
- क्षमता संवर्धन
- नियोजन, शोध एवं मूल्यांकन तथा
- राज्य एवं जनपदीय स्तरों पर कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण।

डी.पी.ई.पी. I

यू.पी.बी.ई.पी. एवं डी.पी.ई.पी. के तहत कुल मिलाकर 39 जनपदों को आच्छादित किया गया था। शेष 44 जनपदों में से 38 जनपदों में महिला साक्षरता की दर राष्ट्रीय औसत से कम पायी गई तथा उन्हें डी.पी.ई.पी. के लिए अर्ह पाया गया। इस प्रकार शेष 38 जनपदों को डी.पी.ई.पी. III के अंतर्गत आच्छादित करने का निर्णय लिया गया। इस प्रकार डी.पी.ई.पी. III के 38 अतिरिक्त जनपदों में लागू किया गया। ये जनपद हैं - आगरा, आजमगढ़, बागेश्वर, बलिया, बिजनौर, बुलंदशहर, एटा, फैजाबाद, अंबेडकरनगर, फर्रूखाबाद, कन्नौज, फतेहपुर, गाजीपुर, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, हमीरपुर, महोबा, हरिद्वार, जालौन, जौनपुर, झांसी, कानपुर देहात, कुशीनगर, मैनपुरी, मथुरा, मऊ, मेरठ, बागपत, मिर्जापुर, मुजफ्फरनगर, पिथौरागढ़, चंपावत, प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर, टेहरी गढ़वाल, उन्नाव तथा उत्तरकाशी। यह कार्यक्रम 1 अप्रैल, 2000 से पांच वर्षों के लिए क्रियान्वित किया जा रहा है। इसमें प्रयुक्त युक्तियां एवं रणनीतियां प्रायः वही हैं जिन्हें डी.पी.ई.पी. II के तहत विकसित किया गया था।

5.7 अगला कार्य

विद्यालय-शिक्षा के लिए नवीन राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना की अपेक्षानुसार शैक्षिक अवसर की समानता, पर्यावरणीय शिक्षा के घटकों, मूल्यों एवं कौशलों पर आधारित शिक्षा एवं सूचना-प्रौद्योगिकी की शिक्षा पर बल दिया जा रहा है। इसके लिए अतिरिक्त अधोसंरचना एवं सुविधाएं आवश्यक हैं। कुछ क्षेत्रों में विशेष ध्यान की आवश्यकता है जैसे :

(1) उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बालिकाओं के लिए अलग से मूत्रालय एवं शौचालय के साथ 'सार्वजनिक कक्ष' का प्रावधान करना।

(2) प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय में कौशल पर आधारित प्रशिक्षण योजना के संचालन के लिए प्रयोगशाला।

(3) प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा के प्रभावकारी संचालन हेतु विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना।

(4) प्रत्येक प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में चहारदीवारी का होना तथा परिसर में पेड़-पौधों का लगाना।

(5) ग्राम पंचायत विकास योजना को गांव शिक्षा विकास योजना से जोड़ना। ग्राम पंचायत की 15 प्रतिशत आय को सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत विद्यालय विकास पर खर्च करना ताकि शत-प्रतिशत बच्चे विद्यालय में बने रहें और निर्धारित शिक्षा अवधि की अंतिम कक्षा तक पढ़ाई कर सकें।

अध्याय 6

विद्‌यालय पाठ्‌यक्रम में विकास

इस अध्याय का मुख्य उद्‌देश्य विद्‌यालयीय पाठ्‌यक्रमों में किए गए विकास, उसमें सुधार लाने हेतु राज्य द्‌वारा कृत प्रयासों तथा पाठ्‌यक्रम नियोजन एवं नवीनीकरण संबंधी व्यवस्था को उजागर करना है। पाठ्‌यक्रम नवीनीकरण की दिशा में स्तर विशेष पर प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करने के साथ यह राज्य के भीतर पाठ्‌यपुस्तकों की तैयारी, उनका निर्माण, प्रकाशन एवं आपूर्ति आदि के बारे में आवश्यक विवरण भी प्रस्तुत करता है।

विगत पांच दशकों में निष्पक्षता, उत्कृष्टता तथा प्रासंगिकता के मुद्‌दों संबंधी विश्वव्यापी चिन्तन की मुखर अभिव्यक्ति विद्‌यालय पाठ्‌यक्रम के विकास में स्पष्टतः परिलक्षित है। यह सामान्यतः स्वीकार किया जाता है कि समाज में तेजी से होने वाले परिवर्तन की गति को देखते हुए गुणात्मक सुधार सुनिश्चित करने के लिए विद्‌यालय पाठ्‌यक्रम में सुधार अपेक्षित है। एक सार्थक एवं उपयोगी पाठ्‌यक्रम में समाज तथा अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं तथा आकांक्षाओं के प्रति संवेदनशीलता का समावेश होता है। पाठ्‌यक्रम शिक्षा एवं शिक्षण का एक ऐसा औज़ार है, जिसे समाज में पाए जाने वाले पूर्वाग्रहों के विरुद्‌ध प्रयुक्त किया जा सकता है। एक प्रभावी पाठ्‌यक्रम में विद्‌यार्थियों की भावात्मक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक आवश्यकताओं की ओर उन्मुखता एवं उनकी संतुष्टि के प्रति सहज आग्रह सन्निहित होता है।

6.1 राज्य स्तर पर विद्‌यालय पाठ्‌यक्रम को सुधारने का प्रयास

इस संदर्भ में सबसे महत्त्वपूर्ण विकास जो ध्यान देने योग्य है – पाठ्‌यपुस्तकों एवं उनके मूल्यांकन की प्रक्रिया सहित अनुदेशनात्मक सामग्रियों की तैयारी, पाठ्‌यक्रम की रूपरेखा एवं पाठ्‌यक्रम विकास का व्यावसायीकरण है। राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् तथा राज्य स्तर पर राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् विद्‌यालय शिक्षा से संबंधित मामलों के अनुवर्ती अभिकरण के रूप में कार्य करते हैं। उत्तर प्रदेश में लखनऊ में स्थित राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् का कार्य राज्य सरकार को एक प्राविधिक अवलंब के रूप

में सहायता प्रदान करना है। यह पाठ्यक्रम का निर्माण तथा प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए पाठ्यपुस्तकों की रचना अपने अधीन संस्थाओं यथा – राज्य शिक्षा संस्थान – इलाहाबाद, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान – इलाहाबाद , आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान – इलाहाबाद, राजकीय सी.पी.आई.—इलाहाबाद तथा राज्य हिंदी संस्थान – वाराणसी द्वारा कराती है। माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के लिए ये कार्य उत्तर प्रदेश हाईस्कूल और इंटरमीडिएट शिक्षा परिषद् को दिए गए हैं।

राज्य में विद्यालयीय शिक्षा की पुनः संरचना के लिए पहली महत्त्वपूर्ण कार्यवाही एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा 1975 में *द करिकुलम फॉर द टेन इयर स्कूल – ए फ्रेमवर्क* तथा 1976 में *हायर सेकेंडरी एजूकेशन एंड इट्स वोकेशनलाइजेशन* के प्रकाशन के बाद की गई। राष्ट्रीय स्तर के पाठ्यक्रम के सदृश पर्यावरणीय अध्ययन, विज्ञान एवं गणित की शिक्षा को सामान्य शिक्षा पाठ्यक्रम के रूप में रखा गया है। विद्यालय के बच्चों को दृष्टिगत रखकर विज्ञान को लोकप्रिय बनाने हेतु विज्ञान की शिक्षा का प्रावधान राज्य के विद्यालयीय पाठ्यक्रम में सुनिश्चित किया गया है और विभिन्न स्तरों पर क्रिया पर आधारित शिक्षण-अधिगम सामग्री के विकास के लिए भी प्रयास किया गया है।

उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 तथा कार्ययोजना (प्रोग्राम ऑफ एक्शन) द्वारा मुख्य दबाव और सिफारिशों के संदर्भ में एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा *'द नेशनल करिकुलम फॉर एलीमेंटरी एण्ड सेकंडरी एजूकेशन - ए फ्रेमवर्क' (1988)* के माध्यम से दूसरी कार्यवाही की गई। राज्य के शिक्षा विभाग ने अपनी तकनीकी शाखा राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के माध्यम से सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं शैक्षणिक मुद्दों को शामिल करते हुए विद्यालयीय पाठ्यक्रम को अभिनव स्वरूप प्रदान करने हेतु कई कदम उठाए। विद्यालयीय शिक्षा के सभी स्तरों पर पाठ्यपुस्तकों की रचना में विद्यालयों के कुशल विशेषज्ञ, अनुभवी अध्यापक, अध्यापक-प्रशिक्षक एवं अन्य विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा मदद ली गई।

इसके तत्काल बाद सन् 1993 में राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ के गठन एवं जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम तथा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना के समारंभ होते ही शिक्षा के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के संदर्भ में पाठ्यक्रम विकास का मुद्दा महत्त्वपूर्ण बन गया। न्याय एवं संवैधानिक प्रतिबद्धताओं को प्रत्यक्षतः प्रभावित करने वाले सामाजिक एवं राष्ट्रीय महत्त्व के विशिष्ट मुद्दों को विश्लेषित करने हेतु कई संगोष्ठियां एवं कार्यशालाएं आयोजित की गईं। इन मुद्दों में विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं – बाल श्रम, महिला सशक्तीकरण, पर्यावरण संकट तथा विशिष्ट संवर्ग के बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताएं एवं उनका पुनर्वास। इस संबंध में यह मुख्य रूप से प्रयास किया गया कि 1988 के राष्ट्रीय पाठ्यक्रम परिप्रेक्ष्य तथा सन् 1992 की संशोधित शिक्षा नीति की भावनाओं को पूरे तौर पर आत्मसात् कर लिया जाए। इस दृष्टि से राज्य स्तरीय विद्यालयीय शिक्षा पाठ्यक्रम में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन तथा प्रौद्योगिकी एवं माध्यमों के उपयोजन पर विशेष बल दिया गया। प्रौद्योगिकी एवं माध्यमों को दृष्टिगत रखकर

राज्य स्तर पर एक स्वायत्तशासी इकाई गठित की गई, जिसका प्रमुख ध्येय माध्यमों के अनुप्रयोग को बढ़ावा देना है। यह संस्था तत्कालीन शैक्षिक प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ को पुनर्गठित करते हुए स्थापित की गई।

विद्यालयीय पाठ्यक्रम के सुधार से संबंधित तीसरा महत्त्वपूर्ण प्रयास उस समय किया गया जबकि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् द्वारा *'राष्ट्रीय कार्यक्रम परिप्रेक्ष्य'* विषयक प्रस्ताव वर्ष 1999-2000 की अवधि में गहन एवं व्यापक परिचर्चा हेतु निर्गत किया गया। यहां यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि इस अभिलेख के बहुत से बिंदु राज्य शिक्षा विभाग द्वारा पूर्व प्रत्याशित थे। पूर्वोक्त राष्ट्रीय स्तर के दस्तावेज़ में निरूपित सिद्धान्तों एवं निर्देशक तत्वों को सार्थक रूप में अपनाए जाने की दृष्टि से राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (राज्य परियोजना कार्यालय की सहायता से) तथा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् पाठ्यक्रमों को उपयुक्त रूप में संशोधित एवं परिवर्तित करने हेतु नियत लक्ष्यों की ओर अग्रसर हो रही है। वर्ष 1999-2000 से प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तरीय पाठ्यक्रमों को लागू कर दिया गया है तथा इनकी प्रभावी एवं उपयोगी क्रियान्विति सुनिश्चित करने की दृष्टि से जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, विकास खंड एवं न्याय पंचायत स्तरों पर शिक्षकों के प्रशिक्षण एवं पुनर्बोधात्मक कार्यक्रमों को गतिशील बनाया गया है।

इन प्रयासों में निहित कतिपय विशिष्ट बिंदु, जो विद्यालयीय शिक्षा के राष्ट्रीय पाठ्यक्रम परिप्रेक्ष्य (नवम्बर, 2000) के समकालिक हैं, अधोलिखित रूप में इंगित किए जा सकते हैं :

- प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर विद्यालयीय पाठ्यक्रम विद्यालयीय शिक्षा को एक इकाई मानते हुए अभिकल्पित किया गया है।
- इस पाठ्यक्रम को माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे विभिन्न शैक्षणिक स्तरों पर एकात्मकता का भाव उद्भासित हो सके।
- पाठ्यक्रम में सामाजिक संबद्धता, धर्मनिरपेक्षता एवं राष्ट्रीय एकता के मुद्दों पर, जिन्हें नए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में रेखांकित किया गया है, बल दिया गया है।
- पाठ्यक्रम नवीकरण उपागम में सामान्य केंद्रीय घटकों, सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन, स्वतंत्रता एवं लचीलेपन के पक्षों, न्यूनतम अधिगम स्तर से जुड़े कतिपय मुद्दों पर नए दृष्टिकोण, मूल्य शिक्षा, सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग तथा प्रबंध एवं व्यवस्था की जवाबदेही को उच्च वरीयता प्रदान की गई है।
- प्राथमिक से उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर तक का पाठ्यक्रम सुसंगत एवं सामंजस्यपूर्ण बनाया गया है, ताकि (+2) स्तर तक विद्यार्थी पाठ्यक्रम के वैविध्य का लाभ उठा सकें।
- विद्यार्थी की संलिप्तता एवं क्रियोन्मुखता के प्रति स्पष्ट आग्रह है।

- शिक्षा द्वारा व्यक्तित्व के विकास के उद्देश्य को महत्त्व प्रदान करने की दृष्टि से मूल्यांकन की योजना, विद्यार्थियों के विकास संबंधी स्थिति एवं व्यवहार के संज्ञानात्मक एवं संज्ञानेत्तर पक्षों को विशेष रूप से दर्शाती है।
- पाठ्यक्रम के विविध स्तरों पर विद्यार्थियों की मनोवैज्ञानिक विलक्षणताओं एवं शैक्षिक आवश्यकताओं के अनुरूप नैतिक, सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय महत्त्व के बिंदुओं पर पर्याप्त बल दिया गया है।

6.2 पाठ्यक्रम नवीनीकरण एवं नियोजन की पद्धति

पाठ्यक्रम का प्रभावी नियोजन चार मुख्य घटकों पर निर्भर होता है। वे हैं –

(1) आयु विशेष तथा स्तर विशेष पर अधिगम अनुभवों एवं अधिगम परिणामों के परास को परिभाषित करना।

(2) उन युक्तियों को विनिर्दिष्ट करना जो परिभाषित उद्देश्यों एवं परिणामों के अनुरूप संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं एवं व्यवहार परिवर्तनों को सुनिश्चित कर सकें।

(3) अधिगम की प्रक्रियाओं को प्रभावी एवं कुशल बनाने के लिए समर्थन व्यवस्था एवं अपेक्षित निविष्टियों को इंगित करना।

(4) उद्देश्य आधारित मूल्यांकन उपकरणों को पहचानना तथा उनका चयन करना।

विद्यालय शिक्षा के सभी चारों स्तरों विद्यालय पूर्व, प्राथमिक विद्यालय (1-5), उच्च प्राथमिक विद्यालय (6-8), माध्यमिक विद्यालय (9-10) एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (11-12) पर उद्देश्यों को विशिष्ट शब्दों में वर्णित किया गया है। ये उद्देश्य कथन के रूप में हैं, जो संज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक अनुक्षेत्र के अधिगम परिणामों को सम्बोधित करते हैं। इन उद्देश्य कथनों को अंतिम रूप देने के बाद ऐसे अधिगम अनुभवों का एक विस्तृत एवं व्यापक विश्लेषण करना पड़ता है, जो निरूपित लक्ष्यों के समरूप हों। पाठ्यक्रम नियोजन की प्रक्रिया तब तक अधूरी या आंशिक मानी जाती है, जब तक उसके क्रियान्वयन हेतु समर्थन व्यवस्था एवं उससे प्राप्त परिणामों के मापन एवं मूल्यांकन के बारे में उल्लेख नहीं किया जाता।

इस प्रकार एक प्रभावी पाठ्यक्रम व्यवस्था के तहत उपर्युक्त चारों बिंदुओं पर अपेक्षित सूक्ष्मता एवं गहनता के साथ विचार किया जाता है। इन अवयवों को समाहित करते हुए पाठ्यक्रम नियोजन की रूपरेखा निम्नांकित रेखाकृति में दर्शाई गई है :

यहां पहला अवयव यह संसूचित करता है कि स्तर विशेष पर पाठ्‌यक्रम के लिए उद्‌देश्य क्या हैं तथा विषय/कार्यक्रम/पाठ्‌यचर्या के अनुरूप उन्हें किस रूप में निरूपित किया गया है? इस कार्य हेतु प्रभावी एवं सार्थक परिणाम सुनिश्चित करने के उद्‌देश्य से अनुभवी शिक्षकों, पणबंधधारियों-अभिभावकों, समुदाय के नेताओं, नीति-निर्माताओं एवं ऐसे शिक्षाशास्त्री, जो विद्‌यालयीय शिक्षा के बारे में अपेक्षित पृष्ठभूमि रखते हैं, की टीम अपेक्षित है।

दूसरे अवयव के अंतर्गत उद्‌देश्यों के अनुरूप विषय एवं कक्षा स्तरों पर विषय-वस्तु (कथ्य) का विशिष्ट रूप में विवरण अपेक्षित होता है। ये कथ्य इकाई स्तर पर प्रस्तुत किए जाते हैं तथा इनमें संज्ञानात्मक एवं संज्ञानेत्तर पक्षों के संयक् विकास के प्रति विशेष आग्रह होता है।

तीसरा अवयव एक समर्थवान अवलंब व्यवस्था सर्जित करने से संबंधित है। इसके तहत शैक्षिक प्रौद्‌योगिकी, जिसमें श्रव्य-दृश्य साधनों, आधारिक निविष्टियों, प्रविधियों, उपकरणों के साथ पाठ्‌यपुस्तकों एवं शिक्षण अधिगम सामग्रियों का उल्लेख किया जाता है, जिससे कक्षागत शिक्षण की अंतःक्रिया एवं उसमें अधिगमकर्ता उन्मुख क्रियाओं को प्रोत्साहन मिल सके। नई सहस्राब्दी में, जहां सूचना प्रौद्‌योगिकी एवं संप्रेषण संकुलों का जाल तेजी से उभर रहा है, यह परमावश्यक है कि पाठ्‌यक्रम में उनकी महत्त्वपूर्ण भूमिका को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया जाए। इससे पाठ्‌यक्रम के क्रियान्वयन में अपेक्षित स्तर की यथार्थवादिता एवं प्रभाविता का समावेश होगा तथा विद्‌यालयीय शिक्षा के निर्दिष्ट उद्‌देश्यों की संप्राप्ति भी सुनिश्चित हो सकेगी।

अधिगम परिणामों की विश्वसनीयता एवं वैधतापूर्वक मूल्यांकन एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। विद्‌यालयीय परिस्थितियों में परीक्षण करते समय प्रयुक्त परखों एवं मापन प्रक्रियाओं में पर्याप्त अस्पष्टता एवं संदिग्धता की स्थिति देखी जा सकती है। पाठ्‌यक्रम के प्रभावों का आकलन विद्‌यार्थी द्‌वारा अधिगृहीत सूचनाओं एवं अवधारणाओं तथा समीक्षात्मक चिंतन के आधार पर ही न कर उनमें अभिवृतिजन्य परिवर्तनों, रुचियों एवं मूल्यों तथा मनोगतिक प्रवीणताओं के विकास के आधार पर भी करना चाहिए। इससे मूल्यांकन की प्रक्रिया व्यापक हो पाएगी तथा यह संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र की परिलब्धियों में ही अनुसीमित नहीं होगी। इससे मूल्यांकन की प्रक्रिया सतत एवं व्यापक बनने के साथ शिक्षण-अधिगम परिणामों के संबंध में प्रक्रियात्मक एवं संकलनात्मक (उत्पाद उन्मुख) दोनों ही रूपों में प्रवर्तित हो सकेगी।

6.3 पाठ्‌यक्रम नियोजन

वर्तमान संदर्भों में पाठ्‌यक्रम नियोजन कुछ आधारभूत सिद्‌धांतों पर केंद्रित होना चाहिए। इन्हें आगे रेखांकित किया जा रहा है :

- विद्‌यालयीय शिक्षा के राष्ट्रीय पाठ्‌यक्रम परिप्रेक्ष्य (नवम्बर, 2000) से संबंधित निरूपण में इस बात पर बल दिया गया है कि पाठ्‌यक्रम विकास को एक संपूर्ण प्रक्रिया के रूप में लेना चाहिए, जिसमें पाठ्‌यक्रम संबंधी नीति, पाठ्‌यक्रम शोध, पाठ्‌यक्रम नियोजन एवं क्रियान्वयन तथा उसका मूल्यांकन महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।

- एक सार्थक पाठ्यक्रम व्यवस्था के तहत लचीलापन आवश्यक है, जिससे स्थानीय परिस्थितियों एवं मुद्दों से संबंधित पक्षों को समन्वित किया जा सके।
- पाठ्यक्रम क्रियान्वयन की रणनीति में "संस्कृति विशिष्ट शिक्षण विधियों" को अपनाए जाने पर बल देना चाहिए। इसके तहत विविध लक्ष्य समूहों के अधिगमकर्ताओं की पृष्ठभूमि में प्रचलित प्रथाओं को कहानियों, नाटकों, कठपुतलियों, लोक-नाटिका, समुदाय आवास, समूहगान एवं नृत्य आदि के माध्यम से प्रदर्शित करना चाहिए। शिक्षण पद्धति में भी इन पर विशेष जोर होना चाहिए। भारतीय समुदाय की विविधता को देखते हुए शिक्षण एवं अनुदेशन की परिस्थितियों में इन्हें विशेष रूप से प्रतिबिंबित करना आवश्यक है। इस प्रकार अनुसूचित जनजाति, ग्रामीण, शहरी एवं अन्य आदिम समूहों के शिक्षण में इन सांस्कृतिक पक्षों को आधारभूत स्वरूप देना होगा।
- इधर दो दशकों में शैक्षिक प्रतिमान के तहत भारी बदलाव इस रूप में दिखाई पड़ रहा है कि संज्ञानात्मक दक्षताओं यथा—पढ़ना, लिखना एवं गणना के स्थान पर अंतर वैयक्तिक संबंधों एवं व्यक्ति के मानसिक विकास पर बल दिया जा रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में पाठ्यक्रम व्यवस्था के अंतर्गत सूचना एवं अवधारणा से जुड़े अंशों तथा संवेगात्मक प्रज्ञा एवं सामाजिक दक्षताओं के प्रोत्साहन के मध्य एवं संतुलन अपेक्षित है।
- पाठ्यक्रम नियोजन बहु-विमात्मक बुद्धि की अवधारणा पर आधारित होना चाहिए, जिससे अधिगमकर्ता के समग्र जीवन की अपेक्षाओं को कक्षागत अनुभवों एवं अभिव्यक्तियों से संबंधित करते हुए शिक्षा में वैयक्तीकरण को बढ़ावा मिल सके।

6.4 उत्तर प्रदेश में विद्यालयीय स्तर पर पाठ्यक्रम नवीनीकरण

राज्य के पाठ्यक्रमों एवं पाठ्यचर्याओं के विकास में उत्तर प्रदेश राज्य का शिक्षा विभाग पाठ्यक्रम से संबंधित पूर्वोक्त मुद्दों एवं बहुचर्चित सिद्धान्तों के प्रति विशेष रूप से सजग रहा है। अब कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक के पाठ्यक्रम को एक समन्वित रूप देते हुए उसे नए रूप में विकसित करने का भी प्रयास मुखर हो रहा है। इस प्रकार कक्षा 1 से 8 तक की प्रारंभिक शिक्षा व्यवस्था के लिए एक ही पाठ्यक्रम विगत शैक्षिक सत्र से प्रवर्तित कर दिया गया है। इससे निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की प्रक्रिया अधिक सहज एवं सुगम बन जाने की आशा है।

इस प्रकार के नवीकरण सुनिश्चित करने की दृष्टि से सहभागिता पर आधारित प्रयास किया गया है, जिसमें पाठ्यक्रम के उद्देश्यों, अधिगम अनुभवों (कथ्यों) तथा कक्षागत परिस्थितियों में पाठ्यक्रम के क्रियान्वयन को विशेष रूप से महत्त्व दिया गया है। इस कार्य को संपादित करने हेतु सेवारत विद्यालयीय शिक्षकों, शिक्षाशास्त्रियों, समुदाय के नेताओं, विद्यार्थियों एवं जन-प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए कार्यदल गठित किया गया है। यह कार्यदल शिक्षा की 21वीं सदी की

चुनौतियों एवं संभावनाओं पर विचार करते हुए कई बैठकें आयोजित कर चुका है। राज्य शिक्षा संस्थान, जो राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् का प्राथमिक शिक्षा प्रभाग है, अत्यंत सक्रिय रीति से इस कार्य में जुटा हुआ है तथा कक्षा 1 से 5 एवं कक्षा 6 से 8 तक के पाठ्यक्रमों एवं पाठ्य पुस्तकों को अंतिम रूप दे सका है। ये पाठ्यक्रम उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमन्य हो चुके हैं। इन पाठ्यक्रमों को लागू करने से पूर्व प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के चयनित शिक्षक समूहों का प्रारंभिक परीक्षण भी किया गया था, जिससे इनकी उपादेयता सुनिश्चित की जा सके।

6.5 पाठ्यक्रम नवीनीकरण

राज्य स्तर पर विकसित पाठ्यक्रम की शैक्षणिक विशिष्टताओं एवं अन्य प्रमुख बिंदुओं को आगे सारांकित किया जा रहा है –

- यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किया जा रहा है कि कक्षा 1 से 5 तथा कक्षा 6 से 8 तक को प्राथमिक शिक्षा की एक विशिष्ट इकाई मानते हुए विषयवस्तु एवं अवधारणाओं की दृष्टि से अधिक्रमित आरोह एवं अपेक्षित गहनता लाई जाए।
- कक्षा 1 से 3 तक के पाठ्यक्रम के तहत विषय वस्तु को क्रियाओं, अनुभवों, आदत निर्माण, जीवन दक्षताओं, अभिवृत्तियों, रुचियों एवं पर्यावरण केंद्रित अधिगम की अंतःक्रियाओं के रूप में व्यवस्थित किया गया है।
- राज्य में औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा व्यवस्थाओं के अंतर्गत पढ़ाए जाने वाले विषयों के संदर्भ में शिक्षक केंद्रित पहल के स्थान पर विद्यार्थी केंद्रित गतिविधियों को बढ़ावा देकर एक प्रतिमान परिवर्तन स्पष्टतः देखा जा सकता है।
- प्रथम पांच वर्ष की विद्यालयीय शिक्षा के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम में भाषा एवं संप्रेषण कौशलों का विकास, गणना की दक्षताएं एवं पर्यावरणीय अध्ययन पर बल दिया गया है, जिससे विद्यार्थियों में अपने परिवेश के प्रति अपेक्षित अभिज्ञता एवं अभिवृत्ति विकसित करने के साथ पर्यावरण के समुचित उपयोग हेतु कुशल एवं अच्छी आदतों को प्रोत्साहित किया जा सके।
- उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6 से 8 तक) पर संप्रत्ययों के विकास, जीवन-कौशलों, सामाजिक एवं राष्ट्रीय मूल्यों को भाषा, गणित, सामाजिक अध्ययन एवं प्राकृतिक विज्ञान जैसे विषयों में समाविष्ट करते हुए किशोर पूर्व अवस्था की मनोवैज्ञानिक विशेषताओं के अनुरूप बनाने को विशेष रूप से महत्त्व दिया गया है। इस स्तर के अधिगम में स्थानीय एवं वैश्विक संदर्भों को उजागर करते हुए भिन्न-भिन्न विषयों (विधाओं) से जुड़े संप्रत्ययों पर बल दिया गया है।

- माध्यमिक स्तर (कक्षा 9 से 10) पर एक समन्वित उपागम विकसित करने का प्रयास किया गया है, जिससे विद्‌यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं दक्षताओं के विकास के साथ उनके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया जा सके। इस दृष्टि से पाठ्‌यक्रम में विषयों से संबंधित मुख्य अवधारणाओं के अवबोध एवं उनकी अनुप्रयोज्यता पर बल दिया गया है।
- उच्च माध्यमिक स्तर (कक्षा 11 व 12) पर पाठ्‌यक्रम की मुख्य विशेषता उसकी विविधताओं (प्रशासन) एवं लचीलेपन के रूप में देखी जा सकती है। यह प्रयास किया गया है कि इस पाठ्‌यक्रम में आधारभूत विषयों एवं विशिष्ट वैकल्पिक विषयों के मध्य समुचित सामंजस्य रखा जाए।
- प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तरों पर पाठ्‌यक्रम में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन निहित है, जिससे विद्‌यार्थियों के व्यक्तित्व-विकास को दृष्टिगत रखकर उनके अधिगम संबंधी आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जा सके। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की योजना का तीन जनपदों, जिनमें से एक अब उत्तरांचल में स्थित है, के एक-एक विकास खंड के सभी प्राथमिक विद्‌यालयों में प्रारंभिक परीक्षण का कार्य संपन्न हो चुका है तथा सत्र 2001-2002 से राज्य के सभी जनपदों के सभी प्राथमिक विद्‌यालयों में यह योजना लागू होने वाली है। इस संबंध में राज्य मनोविज्ञानशाला की मदद से आवश्यक अभिलेख एवं शिक्षकों के लिए कार्ययोजना तथा अन्य संबंधित साहित्य विकसित किया गया है। इसके तहत संज्ञानात्मक पक्षों के मूल्यांकन के साथ संज्ञानेत्तर पक्षों, अभिवृत्तियों, आदतों एवं मूल्यों के संबंध में आकलन एवं टिप्पणियां अंकित होंगी। इस प्रकार पूरा मूल्यांकन कार्य सावधिक रूप में पूरा किया जाएगा, जिससे शिक्षण अधिगम के अविच्छिन्न रूप में इस धारणा को स्थापित करने में सफलता मिलेगी। इस क्रियान्वयन द्‌वारा प्राप्त प्रतिपुष्टि के आधार पर मूल्यांकन की सतत एवं व्यापक अवधारणा पर आधारित योजना को माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तरों पर भी लागू करने का प्रस्ताव है।
- राज्य के उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्‌वारा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक परीक्षाओं में वस्तुनिष्ठ एवं लघु उत्तरीय प्रकार के प्रश्नों को पर्याप्त अधिभार दिया गया है। इससे इन परीक्षाओं की विषयगत वैधता अभिवृद्‌ध करने के साथ उनकी विश्वसनीयता एवं निर्भरता को भी सुनिश्चित किया गया है। इस संबंध में हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों माध्यमों से दैनिक समाचार पत्रों में आदर्श प्रश्नपत्र विज्ञापित किए जाते हैं, जिससे मूल्यांकन की प्रक्रिया में पारदर्शिता का समावेश हो सके।

- पाठ्यक्रम को प्रत्येक 3 से 5 वर्ष की अवधि में संशोधित एवं परिवर्द्धित करने की नीति अपनाई जा रही है, जिससे तेजी से बढ़ रहे ज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं सामाजिक मुद्दों के बारे में जागरूकता को समुचित स्थान देते हुए पाठ्यक्रम के कलेवर को नूतन स्वरूप दिया जा सके। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तरों पर पाठ्यक्रम नवीकरण संबंधी यह कार्य सन् 1999 तथा 2000 में क्रमशः पूरा किया गया है।

6.6 शिक्षा-स्तर विशेष पर राज्य में पाठ्यक्रम नवीनीकरण संबंधी विशिष्टताएं

यहां 10+2 नवीन शैक्षिक संरचना जो राज्य में क्रियान्वित है, के अंतर्गत प्रारंभिक, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तरों पर प्रचलित पाठ्यक्रम नवीनीकरण की विशिष्टताओं को प्रकाश में लाना समीचीन होगा।

6.6.1 प्रारंभिक स्तर

इस स्तर के लिए पाठ्यक्रम प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 5) तथा उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6 से 8) से संबंधित है। यहां यह इंगित किया जा सकता है कि एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा निर्गत राष्ट्रीय पाठ्यक्रम परिप्रेक्ष्य का स्थानीय आवश्यकताओं एवं राज्य की स्थिति के आलोक में कुछ परिवर्तनों के साथ पूरे तौर पर अनुपालन किया जा रहा है। शैक्षिक सत्र 2000-2001 से लागू पाठ्यक्रम के मुख्य बिंदु नीचे दिए जा रहे हैं –

- पाठ्यक्रम योजना द्वारा शिक्षण के कार्यक्रमों एवं क्रियाकलापों को माहवार विभाजन करते हुए 220 प्रभावी कार्य दिवसों का विवरण उपलब्ध कराया गया है।
- पाठ्यक्रम संरचना के अंतर्गत पांच घटक हैं, जिनमें प्रत्येक इकाई के लिए व्यवहार परक विशिष्ट उद्देश्य, अधिगम अनुभव (विषय-वस्तु) जिन्हें विकसित करना है, शिक्षण की विधियां जिनमें क्रियाकलापों, क्रियाओं, प्रविधियों एवं शिक्षण उपकरण आदि शामिल हैं, शिक्षक अवलंब, जिसमें अतिरिक्त शैक्षिक निविष्टियों एवं अपेक्षित अधोसंरचनाओं तथा मूल्यांकन पद्धतियों एवं परीक्षणों का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार पूरा पाठ्यक्रम अपने आप में बहुत सारे आवश्यक बिंदुओं को समाहित करता है तथा जनपद, विकास खंडों तथा संकुल स्तरों पर शिक्षकों, पर्यवेक्षकों एवं प्रशासकों के लिए विशेष रूप से सहायक है, जिससे इसका प्रभावी एवं कुशल रूप में क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सका है। इसके साथ ही अभिभावकों एवं पणबंधधारकों के लिए उसमें जवाबदेही एवं उत्तरदायित्व का पक्ष मुखर हो गया है।

विषय-वस्तु के संदर्भ में इस स्तर पर निर्धारित विशिष्ट पाठ्यक्रम को सारणी 6.01 में दर्शाया गया है।

सारणी 6.01 : *अधिभार संरूप के साथ कक्षा 1 से 5 तक की पाठ्यक्रम संरचना*

विषय	*कालावधि में अधिभार*		*मूल्यांकन संरूप के साथ पूर्णांक*		*उत्तीर्णांक*
	कक्षा 1 से 2	*कक्षा 3 से 5*	*कक्षा 1 से 2*	*कक्षा 3 से 5*	
भाषा	9	9	50	50	17
गणित	6	8	50	50	17
सामाजिक अध्ययन	6	4	मौखिक	50	17
विज्ञान	–	4	मौखिक	50	17
कार्यानुभव	5	5	ग्रेडिंग	25	08
कला एवं संगीत	3	4	मौखिक	25	08
शारीरिक शिक्षा, व्यायाम, योगासन, स्काउटिंग/निर्देशन	5	5	ग्रेडिंग	50	08
नैतिक शिक्षा	1	2	ग्रेडिंग	25	17
पर्यावरणीय शिक्षा	1	1	ग्रेडिंग	25	08
संस्कृत	–	3	ग्रेडिंग	50	08
अंग्रेजी	–	3	ग्रेडिंग	50	17
योग	**36**	**48**	**100**	**450**	

स्रोत : *प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम,* बेसिक शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, 1999

सारणी 6.01 से स्पष्ट है कि विषय-वस्तु तथा कौशल पर आधारित पाठ्यक्रम में विषय-वस्तु का अनुपात प्राथमिक स्तर पर लगभग 50:50 का है तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 60:40 का है। इसके अतिरिक्त विद्यालयीय एवं कक्षागत परिस्थितियों में क्रिया एवं अनुभव केंद्रित गतिविधियों पर विशेष बल दिया गया है।

6.6.2 मूल्यांकन संरूप के साथ कक्षा 6 से 8 तक के लिए पाठ्यक्रम प्रारूप

नए पाठ्यक्रम में कक्षा 6 से 8 तक के लिए निम्नलिखित विषय निर्धारित किए गए हैं :

प्रारूप में विषय

1. निर्धारित भाषा—हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, बंगाली, गुजराती, मराठी, कन्नड़, असमिया, उड़िया, कश्मीरी, मलयालम, तमिल, तेलगू, अरबी, पर्शियन तथा संविधान में क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में उल्लिखित भाषाएं।
2. गणित, विज्ञान, इतिहास/नागरिक शास्त्र, भूगोल, रेखाचित्र (ड्राइंग), संगीत, वाणिज्य, कृषि विज्ञान, भेड़ तथा बकरी पालन, मुर्गी तथा मधुमक्खी पालन उद्योग, फल संरक्षण, उद्यान कृषि (बागवानी), काष्ठकला, कताई एवं बुनाई, ग्रंथ कला, धातु कला, चर्मकला, सिलाई एवं संबंधित कला, गृहकला, शारीरिक शिक्षा, व्यायाम एवं योगासन, स्काउटिंग/गाइडिंग, नैतिक शिक्षा तथा पर्यावरणीय अध्ययन।

पूर्वोक्त सभी विषयों को पाठ्यक्रम संरचना के तहत दिए गए समय संबंधी अधिभार एवं मूल्यांकन व्यवस्था के साथ सारणी 6.02 में प्रदर्शित किया गया है।

सारणी 6.02 : *समय अधिभार एवं मूल्यांकन संरूप के साथ कक्षा 6 से 8 तक के लिए पाठ्यक्रम प्रारूप*

विषय	*प्रति सप्ताह समय अधिभार*	*पूर्णांक*	*उत्तीर्णांक*
हिंदी तथा अनिवार्य संस्कृत, सामान्य हिंदी	7	100	33
अंग्रेजी	5	50	17
तृतीय भाषा	3	50	17
गणित	7	100	33
विज्ञान	5	100	33
सामाजिक विषय–इतिहास, भूगोल, ना. शास्त्र	5	100	33
ऐच्छिक विषय–कला,संगीत, वाणिज्य से एक	3	50	17
बेसिक कला एवं संबंधित कला नोट-संबंधित कला से एक प्रश्न अनिवार्य होगा, मनोप्रेरक पहलू	3	50	17
सामाजिक रूप से लाभदायक एवं उत्पादक कार्य	3	50	17
शारीरिक शिक्षा, व्यायाम, योगासन, स्काउटिंग/गाइडिंग	5	50	17
नैतिक शिक्षा	1	25	08
पर्यावरणीय शिक्षा	1	25	08

स्रोत : बेसिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश - 2000 का पाठ्यक्रम।

6.6.3 माध्यमिक स्तर (हाई स्कूल)

नई शिक्षा संरचना के प्रकाश में एक नया पाठ्यक्रम प्रारूप माध्यमिक स्तर की शिक्षा के लिए 1998 में स्वीकार किया गया तथा उसे क्रियान्वित भी किया गया, जिसमें यू.पी. बोर्ड द्वारा अध्ययन की निम्नांकित योजना निर्धारित की गई है। नए पाठ्यक्रम में सात अनिवार्य विषय सम्मिलित किए गए हैं –

1. हिंदी अथवा प्रारंभिक हिंदी उन परीक्षार्थियों के लिए जिन्हें किसी रूप में छूट प्रदान की गई हो।
2. भारतीय भाषा–गुजराती, उर्दू, पंजाबी, बंगाली, मराठी, असमिया, उड़िया, कश्मीरी, सिंधी, तमिल, तेलगू, मलयालम, नेपाली, एक आधुनिक विदेशी भाषा (अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, रूसी, तिब्बती, चीनी), एक प्राचीन भाषा (संस्कृत, अरबी, पर्शियन, लैटिन)।
3. गणित अथवा प्रारंभिक गणित अथवा गृहविज्ञान (केवल बालिकाओं के लिए)।
4. विज्ञान–भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान के समकालीन अवयवों को सम्मिलित करते हुए।
5. सामाजिक विज्ञान–इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र तथा अर्थशास्त्र।

6. एक अतिरिक्त ऐच्छिक विषय :
   (क) एक प्राचीन भाषा (यदि इसे क्रमांक 2 पर दी गईं प्राचीन भाषाओं पर नहीं लिया गया)/ एक आधुनिक भारतीय भाषा (यदि इसे क्रमांक 2 पर दी गईं भारतीय भाषाओं पर नहीं लिया गया)।
   (ख) संगीत (गायन)
   (ग) संगीत (वादन)
   (घ) वाणिज्य
   (ङ) रेखाचित्र
   (च) कृषि
   (छ) गृह विज्ञान (उन बालकों एवं बालिकाओं के लिए जिन्होंने क्रमांक 3 पर प्रदर्शित यह विषय नहीं लिया है)
   (ज) सिलाई
   (झ) ललित कला।
7. नैतिक शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, सामाजिक रूप से लाभदायक उत्पादक कार्य, समाज सेवा कार्य तथा पूर्व व्यावसायिक शिक्षा
   (1) टेक्सटाइल डिजाइनिंग
   (2) पुस्तकालय विज्ञान
   (3) पाक शास्त्र
   (4) छायाचित्रण (फोटोग्राफी)
   (5) बेकरी और कंफेक्शनरी
   (6) मधुमक्खी पालन
   (7) ऑटोमोबाइल
   (8) धुलाई एवं रंगाई
   (9) सिलाई
   (10) खाद्य संरक्षण
   (11) बही खाता
   (12) आशुलिपि तथा टंकण
   (13) बैंकिंग
   (14) टंकण
   (15) फल संरक्षण
   (16) फसल बचाव
   (17) रेडियो और टेलीविजन
   (18) छपाई
   (19) बुनाई तकनीक

6.6.4 उच्चतर माध्यमिक स्तर

10+2 के पाठ्यक्रम प्रारूप में जिसे उत्तर प्रदेश में इंटरमीडिएट के रूप में जाना जाता है, उसकी रूपरेखा में परिवर्तन हुआ है। प्रचलित 11 वर्गों में 6 वर्ग वाणिज्य वर्ग (2 और 3), रचनात्मक वर्ग, तकनीकी वर्ग, बेसिक वर्ग को तोड़ दिया गया है। अब निम्नांकित प्रारूप अंगीकृत किया गया है।

6.6.4.1 इंटरमीडिएट (+2) स्तर के लिए निर्धारित अध्ययन की प्रचलित योजना

1. एक अनिवार्य विषय—हिंदी या सामान्य हिंदी

(अ) मानविकी वर्ग

निम्नांकित में से 4 विषय

(i) भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में दर्शाई गई भाषाओं में से एक, जैसे — संस्कृत, उर्दू, गुजराती, पंजाबी, बंगाली, मराठी, असमिया, उड़िया, कश्मीरी, सिंधी, तमिल, तेलगू, मलयालम तथा नेपाली।

(ii) एक आधुनिक भारतीय भाषा—अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, रूसी, तिब्बती अथवा चीनी भाषा।

(iii) एक प्राचीन भाषा—संस्कृत, अरबी, फारसी अथवा लैटिन

(1) दो से अधिक भाषाएं ऐच्छिक विषय के रूप में नहीं ली जा सकती हैं।

(2) एक स्थान से ज्यादा पर संस्कृत लिया जा सकता है।

(3) कश्मीरी और चीनी भाषा बोर्ड से पहले स्वीकृति लेकर लिया जा सकता है।

(iv) अन्य विषय

(1) इतिहास

(2) नागरिक शास्त्र

(3) गणित

(4) अर्थशास्त्र

(5) संगीत—गायन, वादन अथवा नृत्य

(6) समाजशास्त्र

(7) गृहविज्ञान

(8) सांख्यिकी

(9) भूगोल

(10) कंप्यूटर

(11) सैन्य विज्ञान

(12) मनोविज्ञान अथवा शिक्षाशास्त्र अथवा तर्कशास्त्र

(13) काष्ठ कला अथवा ग्रंथ विज्ञान, बाद में सिलाई।

(ब) विज्ञान वर्ग

निम्नलिखित में से 4 विषय —

(क) भौतिक विज्ञान

(ख) रसायन विज्ञान

(ग) जीव विज्ञान
(घ) गणित
(ङ) कंप्यूटर
(च) इलेक्ट्रिकल एवं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के तत्व
(छ) मानविकी वर्ग से कोई एक विषय।

(स) वाणिज्य वर्ग

(1) बहीखाता और लेखाशास्त्र
(2) औद्योगिकी संगठन तथा पत्राचार
(3) निम्नलिखित में से कोई दो विषय –
(क) अर्थशास्त्र वाणिज्य भूगोल
(ख) अधिपोषण के तत्व
(ग) औद्योगिक संगठन
(घ) गणित एवं प्रारंभिक सांख्यिकी
(ङ) कंप्यूटर
(च) बीमा एवं अभ्यास के सिद्धान्त
(छ) मानविकी वर्ग के विषयों में से कोई एक।

(द) कृषि वर्ग

भाग 1 (प्रथम वर्ष की परीक्षा)

(1) हिंदी अथवा सामान्य हिंदी
(2) शस्य विज्ञान
(3) वनस्पति शास्त्र
(4) भौतिक विज्ञान एवं जलवायु विज्ञान
(5) कृषि इंजीनियरिंग के तत्व
(6) गणित एवं प्रारंभिक सांख्यिकीय।

भाग 2 (द्वितीय वर्ष की परीक्षा)

(1) हिंदी अथवा सामान्य हिंदी
(2) शस्य विज्ञान
(3) अर्थशास्त्र
(4) जीव विज्ञान
(5) पशुपालन तथा चिकित्सा विज्ञान

- इस स्तर के बच्चों के सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवबोध के आधार को व्यापक बनाने के लिए सामाजिक अध्ययन के विषयों से संबंधित तथ्य विशेष रूप से चुने गए हैं तथा उन्हें पाठ्यक्रम में समन्वित करने का प्रयास किया गया है, जिससे विद्यार्थी भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, विश्व की अन्य पुरानी सभ्यताओं एवं उनके अंतर-संबंधों का विश्व सभ्यता में भारत के योगदान आदि बिंदुओं को भली-भांति समझ सकें। इस संबंध में ऐतिहासिक विकास संबंधी परिप्रेक्ष्य को मुख्य रूप से पाठ्यक्रम का अंग बनाया गया है। विद्यार्थियों की दैनंदिन की जीवन प्रक्रियाओं में प्रभावी सहभागिता में सहायक होने की दृष्टि से आधुनिक समाज से जुड़ी सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक संस्थाओं, उनके कार्य, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था के साथ नगरीकरण एवं सामाजिक तथा आर्थिक विकास के मुद्दों को शामिल किया गया है।

6.8 पाठ्यक्रम के भार की समस्या का निराकरण

पाठ्यक्रम संरचना में अवधारणाओं, कौशलों, दृष्टिकोणों तथा मूल्यों के विकास के साथ अधिगम अनुभवों की उचित संरचना तथा पुनर्संरचना पर बल दिया गया है। किसी भी तरह से विद्यार्थियों पर सूचनाओं का बोझ न डाला जाए, इस पर विशेष सावधानी बरती गई है। विद्यार्थियों के स्तर पर तोता रटंत की प्रवृत्ति तथा अध्यापकों के स्तर पर स्मरण स्तरीय शिक्षण की व्यवस्था करने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए सन् 2000-2001 के अकादमिक सत्र से सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना प्रवर्तित की गई है। प्रारंभिक स्तर पर प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर ही इससे आच्छादित है, परंतु इसका विस्तार माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर तक उत्तरोत्तर होगा। इसके अतिरिक्त, नीतिगत ढांचा के रूप में पाठ्यक्रम संरचना को प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर तक क्रिया आधारित शिक्षण-अधिगम, कौशलों तथा अवधारणागत तत्वों को सम्मिलित करते हुए पूरे तौर पर नया स्वरूप प्रदान किया गया है।

इस प्रकार सभी चार स्तरों—प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम के बोझ की समस्या का समाधान ढूंढ़ने के लिए त्रिकोणीय व्यवस्था को विकसित किया गया है। यह सूचना की अपेक्षा अवधारणाओं पर आधारित इकाइयों की पहचान एवं उन्हें चयनित करने तथा क्रिया आधारित शिक्षण और अधिगम के कार्यक्रमों के प्रोत्साहन से संबंधित है।

6.9 राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के पाठ्यक्रमों की अपेक्षाओं के अनुरूप क्रियान्वयन

विद्यालयीय स्थिति के विभिन्न स्तरों का गुणवत्ता संबंधी बिंदुओं के प्रति सचेत रहते हुए राज्य सरकार ने सकारात्मक कदम उठाए हैं। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तरीय पाठ्यक्रमों में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम एवं राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण

परिषद् के सहयोगात्मक प्रयास से पुनर्गठन एवं नवीनीकरण का कार्य सफलतापूर्वक निष्पन्न हुआ है। पाठ्यक्रम के संशोधन एवं समीक्षा के संदर्भ में शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य अंतरक्रिया पर बल देते हुए बाल केंद्रित एवं क्रिया आधारित अधिगम व्यवस्थाओं के गठन पर विशेष ध्यान दिया गया है। राज्य स्तरीय संदर्भदाताओं की समिति की सहभागिता के आधार पर इस कार्य को जहां महत्त्वपूर्ण स्वरूप दिया गया है, वहीं इसे कार्य स्तर पर लाने के लिए एक नीतिगत परिप्रेक्ष्य के रूप में भी विकसित किया गया है। इस कार्य के पूर्व कार्यशालाएं आयोजित की गईं, जिनमें शैक्षणिक नवीकरण के मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान देते हुए आधारभूत पत्रक एवं उपागम पत्रक प्रस्तुत किए गए। इन पत्रकों के माध्यम से पाठ्यक्रम के परिवर्धन एवं संशोधन की प्रक्रिया को महत्त्वपूर्ण आयाम दिया गया। राज्य स्तरीय संदर्भदाताओं को न्यूनतम अधिगम स्तर की संकल्पनाओं से परिचित कराते हुए उन्हें प्राथमिक स्तरीय पाठ्यक्रम के अपेक्षित नवीन विषय-वस्तु एवं परिप्रेक्ष्य से भी अवगत कराया गया।

राज्य स्तरीय संदर्भदाता समिति ने यह कार्य राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, शिक्षकों, विशेषज्ञों एवं पणबंधधारियों से गहन विचार विमर्श के आधार पर तत्समय प्रचलित पाठ्यक्रम की समीक्षा के साथ पूरा किया। कई अवधारणात्मक कार्यशालाएं एवं उनके माध्यम से प्राप्त अनुभवों के माध्यम से राज्य शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद में दस दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें न्यूनतम अधिगम स्तर के बारे में विस्तारपूर्वक चर्चाएं हुईं एवं पाठ्यक्रम में सुधार लाने के लिए नई दृष्टि विकसित करते हुए पत्रक प्रस्तुत किए गए।

पूरा पाठ्यक्रम न्यूनतम अधिगम की अवधारणा तथा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के मानकों के आधार पर परिवर्तित एवं संवर्द्धित किया गया है। इसके अंतर्गत कक्षा शिक्षण की वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए बच्चों के अभिनव बोध, नए शिक्षण प्रतिमानों एवं अपेक्षित अनुक्रमों पर ध्यान देते हुए पाठ्यक्रम संशोधन का कार्य प्रारंभ किया गया। इस प्रयास के आधार पर नई पाठ्यक्रम संबंधी दृष्टि को स्पष्ट करते हुए नवीन पाठ्यक्रम की दिशा निरूपित की गई।

पाठ्यक्रम समीक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान अधोलिखित मुद्दे महत्त्वपूर्ण बने रहे :

- पाठ्यक्रम से न्यूनतम अधिगम स्तर का संबंध
- सीमित कार्यदिवसों, बहुश्रेणी तथा बहुस्तरीय परिस्थितियों, अपार भीड़ वाली कक्षाओं की समस्याएं
- पाठ्यक्रम भार का आकलन
- बच्चे का ज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया को समझना
- अध्ययन प्रणाली से संयुक्त करना
- पाठ्यपुस्तकों तथा शिक्षण अधिगम उपकरणों की प्रकृति के संबंध में मान्यताएं
- सम्मिलित किए जाने वाले प्रकरणों तथा कौशलों की पहचान करना

- प्रकरणों का प्राथमिकीकरण/अनुक्रमण एवं उनके परस्पर संबंधों की श्रृंखलाबद्धता
- स्थानीय प्रसंग से संबद्धता।

कई कार्यशालाओं के जरिए पाठ्यक्रम अभिलेख तैयार किया गया। इन कार्यशालाओं में आसान या अनावश्यक दक्षताओं को हटाने, कठिन दक्षताओं को बाद के स्तरों पर डालने तथा छूटी हुई क्षमताओं को सम्मिलित करने के लिए विस्तृत चर्चाएं की गईं। इस प्रकार तैयार किए गए प्रथम अभिलेख को बाह्य विशेषज्ञों के दल के पास समीक्षात्मक पश्चपोषण के लिए भेजा गया। अंतिम पाठ्यक्रम अभिलेख पर प्राप्त पश्चपोषण के आलोक में कार्यशालाओं के दूसरे समूह में पुनर्विचार किया गया तथा मुख्य बिंदुओं को समाहित करते हुए पूरे पाठ्यक्रम के सम्पादन को अंतिम रूप दिया गया।

प्राथमिक कक्षाओं (1-5) के लिए संशोधित पाठ्यक्रम बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा जनवरी 16, 1999 को स्वीकार किया गया और यह वर्तमान में संपूर्ण राज्य के लिए अनुमन्य एवं क्रियान्वित है।

शिक्षक अपनी शिक्षण-अधिगम इकाइयों को लघु रूप में व्यवस्थित कर सकें, इस दृष्टि से उन्हें सहायता देने के लिए पाठ्यक्रम का विभाजन राज्य शिक्षा संस्थान के स्तर पर माहवार एवं विषयवार रूप में किया गया। इस प्रकार के विभाजन से शिक्षकों की शिक्षा संबंधी की गई प्रगति एवं विद्यार्थियों द्वारा किए गए अधिगम का आकलन करने में पर्यवेक्षकों को भी मदद मिलेगी, जिससे यह सुनिश्चित हो सकेगा कि वे अपेक्षित गति के साथ पूरी व्यवस्था में अग्रसर हो रहे हैं।

इसी तरह का कार्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तरों के पाठ्यक्रमों में संशोधन लाने की दृष्टि से किया जा रहा हैं। उत्तर प्रदेश हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट शिक्षा परिषद् ने इस संबंध में कई समितियां गठित की हैं, जो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम परिप्रेक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए पाठ्यक्रम पुनर्रचना का कार्य प्रारंभ कर चुकी हैं। विज्ञान के पाठ्यचर्याओं/पाठ्यक्रमों को पूरी तरह से पुनर्बोधित किया गया, जिससे विद्यार्थीगण उपयुक्त वैज्ञानिक अभिवृत्तियों एवं कुशलताओं को अर्जित करते हुए कार्य जगत में प्रवेश कर सकें। माध्यमिक स्तर पर विज्ञान संबंधी अधिगम को पर्यावरण के प्राकृतिक एवं सामाजिक अंश के साथ सम्बद्ध किया गया है। इसकी अपेक्षानुसार विद्यार्थियों को विज्ञान की प्रकृति एवं संरचना के साथ प्रौद्योगिकी विकास को संबंधित करने वाले पक्षों के संबंध में जानकारी दी जा रही है।

उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रमों की पुनर्रचना करते समय जो निर्देशक सिद्धान्त कार्यशील रहे हैं, उनमें प्रमुख रूप से उल्लेखनीय हैं — बुनियादी ज्ञान, कौशलों, अभिवृत्तियों एवं उद्यमिताओं से सज्जित करना, जिससे वे स्वरोजगार के लिए भी अर्ह हो सकें। इस संबंध में अद्यतन संशोधन दिसम्बर सन् 2000 में किया गया है। इन पाठ्यक्रमों में पर्याप्त रूप से लचीलापन लाने का प्रयास किया गया है। अब 5 विशिष्टीकरण के वैकल्पिक विषय आधारभूत

पाठ्यक्रमों—हिंदी/सामान्य हिंदी, शारीरिक प्रशिक्षण एवं नैतिक शिक्षा के अलावा निर्धारित हैं। विशिष्टीकरण के विषयों को 5 अनुक्षेत्रों यथा—मानविकी, विज्ञान, वाणिज्य, कृषि तथा व्यावसायिक शिक्षा में विभाजित किया गया है। विद्यार्थियों को कतिपय व्यावहारिक सीमाओं के भीतर एक से अधिक समूह के पाठ्यक्रमों को अपनी आवश्यकताओं, रुचियों एवं अभिक्षमताओं के अनुरूप चयन करने की स्वतंत्रता दी गई है, जो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम परिप्रेक्ष्य (2000) के अनुरूप है।

+2 स्तर पर मुक्त अधिगम की व्यवस्था उत्तरोत्तर रूप में लोकप्रिय बनती जा रही है। इस क्रम में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय के पाठ्यक्रमों में प्रतिपुष्टि के आधार पर पत्राचार पाठ्यक्रमों को पुनर्गठित किया जा रहा है। समरूपता सुनिश्चित करने की दृष्टि से औपचारिक एवं मुक्त अधिगम की व्यवस्थाओं में समान तथा समतुल्य पाठ्यक्रम का प्रावधान किया गया है। इससे औपचारिक एवं मुक्त अधिगम की व्यवस्थाओं में अन्योन्य पोषक संबंधों का विकास सहज हो सकेगा। उद्देश्य आधारित सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन की परियोजना जिसके अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्तित्व का विकास है, राज्य स्तर पर लागू की जा चुकी है। यह प्रयास किया जा रहा है कि वर्तमान में वाह्य परीक्षाओं पर दिए जाने वाले अत्यधिक महत्त्व को न्यून बनाते हुए निकष संदर्भित शिक्षण अधिगम की व्यवस्थाओं को विशेष रूप से प्रोत्साहन प्रदान किया जाए।

व्यवहार में प्रायः यह देखा जाता है कि पाठ्यक्रम क्रियान्वयन की युक्तियों के अनुपयुक्त एवं अयथार्थवादी होने के कारण भी पाठ्यक्रम का बोझ बढ़ता है। इस परिस्थिति से बचने के लिए प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तरों के पाठ्यक्रमों में शिक्षकों के द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली शिक्षण विधियों, प्रविधियों एवं सहायक सामग्रियों का भी उल्लेख किया गया है। ऐसा विवरण इकाईवार प्रस्तुत किया गया है। प्रत्येक इकाई में अपेक्षित शिक्षक समर्थन एवं मूल्यांकन पद्धति का भी उल्लेख है। इसी तरह के पाठ्यक्रम की रूपरेखा को माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा में भी अपनाए जाने की योजना है।

उत्तर प्रदेश राज्य में विद्यालयीय शिक्षा के सभी स्तरों पर पाठ्यक्रम की पुनर्रचना के जो मुख्य बिंदु अंगीकृत किए गए हैं, उनमें विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं — अधिगम के प्रति संज्ञानवादी अवधारणा, क्रिया आधारित शिक्षण सत्र, क्षेत्रीय लघु कथाएं एवं प्रेक्षण। इसके अलावा समूह कार्य एवं सहपाठी के सानिध्य में होने वाले अधिगम को भी पर्याप्त महत्त्व दिया जा रहा है। पाठ्यक्रम को शिक्षकों के लिए प्रभावी उपकरण बनाने की दृष्टि से इकाइयों, क्रिया सत्रों एवं परियोजना कार्य के रूप में गठित करते हुए समानता, प्रासंगिकता एवं उत्कृष्टता के आदर्शों के अनुरूप ढालने के लिए निर्देशक सिद्धान्त निरूपित किए गए हैं।

6.10 पाठ्यपुस्तकों की संरचना, उत्पादन तथा आपूर्ति की व्यवस्थाएं

जैसाकि पहले वर्णित किया गया है, प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तरों की शिक्षा से संबंधित सभी पाठ्यपुस्तकों की पांडुलिपियां राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के संपूर्ण नियंत्रण के अधीन लेखकों की कार्यशालाओं के माध्यम से तैयार करा ली गईं हैं। राज्य स्तरीय पाठ्यक्रम

कार्यालय मुख्य नोडल एजेंसी की तरह उनके उत्पादन और आपूर्ति के लिए कार्य करता है। माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक स्तर की पाठ्यपुस्तकों के विषय में माध्यमिक शिक्षा परिषद् इसी उद्देश्य के लिए गठित संबंधित विषयों के विशेषज्ञों की समिति की सहायता से स्वीकृत पाठ्यपुस्तकों की सूची प्रकाशित करता है। पाठ्यपुस्तकों के मुद्रण तथा वितरण का दायित्व निजी क्षेत्र पर है। इनका वितरण तथा आपूर्ति जिला, विकास खंड और संकुल स्तरों पर बिना राज्य कोष पर दबाव डाले की जाती है। सुदूरवर्ती बस्तियों में भी पाठ्यपुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने में यह प्रणाली अच्छी तरह से कार्य कर रही है।

यह देखा जा रहा है कि प्राइमरी स्तर से उच्चतर स्तर तक पाठ्यपुस्तकों का राष्ट्रीयकरण प्रदेश में 1941 में आरम्भ किया गया। विकास और राजकीय तथा मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों को खुले बाजार में उचित मूल्य पर पाठ्यपुस्तकों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना राज्य का उत्तरदायित्व है।

इस प्रकार उत्तर प्रदेश में पाठ्यपुस्तकों का विकास और उत्पादन सरकार द्वारा एक निश्चित दिशा में हो रहा है। राज्य एजेंसियां भीतरी तथा बाहरी संसाधनों का उपयोग करते हुए पाठ्यपुस्तकों के विकास एवं उत्पादन का कार्य कर रही हैं। इस पूरे क्रियाकलाप में राज्य सहायता देता है तथा पाठ्यक्रम संशोधन से लेकर पाठ्यपुस्तकें बच्चों को उपलब्ध कराने तक के संपूर्ण चक्र को समय से तथा संतोषजनक ढंग से पूरा कराना सुनिश्चित करता है।

6.10.1 बेहतर पाठ्यपुस्तकों को विकसित करना : गुणवत्ता, प्रचुर साधन प्राप्ति की संभाव्यता और समय से उपलब्ध कराना

नवीन अध्ययनों में स्कूल स्तर पर बेहतर पुस्तकें विकसित करने के संबंध में गुणवत्ता तथा क्षमता/योग्यता विकास पर चिंताएं व्यक्त करना प्रारंभ कर दिया है। बहुतेरे अध्ययन यह संकेत देते हैं कि बहुत सी पुस्तकों की पठनीयता निम्न है, पाठ्यपुस्तकों की भौतिक गुणवत्ता प्रायः खराब है और बच्चे भारी पाठ्यपुस्तकों का बोझ ढोने के लिए बाध्य हैं। इन अध्ययनों में प्रमुख रहस्योद्घाटन में से एक पाठ्यपुस्तकों के सक्षम, योग्यतापूर्ण उत्पादन और वितरण की आवश्यकता से संबंधित है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् की पाठ्यपुस्तकों के अंगीकरण एवं अनुकूलन का आरंभिक प्रयास राज्य के अपने ऐसे प्रकाशनों की शृंखला प्राप्त करने में, जिनमें उचित ढंग से राष्ट्रीय विचारणीय विषयों एवं समस्या को उजागर किया गया हो, पूर्णतया बदल गया है।

6.10.2 पाठ्यपुस्तक लेखकों का चयन

पाठ्यपुस्तकों को विकसित करने की प्रक्रिया में पाठ्यपुस्तकों के लेखकों का चयन करना पहला कदम है। इस उद्देश्य के लिए अच्छी तरह से निर्धारित रणनीति बनाई गई है।

उन लोगों के चयन में ढाई माह लंबी प्रक्रिया अपनाई गई, जो पाठ्यपुस्तकों के लेखकों के

रूप में कार्य करेंगे। राज्य स्तर पर विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार किए गए और जनपदों को दिए गए। उन व्यक्तियों को आमंत्रित करना पहला कदम था, जिनमें रचनात्मक लेखन कौशल हो तथा जो ब्लॉक स्तर पर पाठ्यपुस्तक विकास की कठोर प्रक्रिया में काम करने के लिए उत्सुक हों। अंत:क्रिया के आधार पर दिशा-निर्देशक के अनुसार 20 व्यक्तियों को चयनित कर एक संक्षिप्त सूची बनाई गई। इस संक्षिप्त सूची के व्यक्तियों ने जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान पर आयोजित एक कार्यशाला में भाग लिया और चयन प्रक्रिया के दूसरे चक्र से उन्हें गुजरना पड़ा।

इस स्तर के अंत में तीन व्यक्तियों की प्रति जनपद पहचान की गई। तत्पश्चात् अंतिम राज्य स्तरीय चुनाव के लिए ये लोग गए। दो राज्य स्तरीय कार्यशालाएं एक वाराणसी और दूसरी इलाहाबाद में आयोजित की गई। वाराणसी में आयोजित कार्यशाला में 67 व्यक्तियों ने प्रतिभाग किया और उनमें से 12 चयनित किए गए। इस प्रकार चयन प्रक्रिया बिल्कुल पूर्व स्तर की प्रक्रिया की प्रकृति के समान थी। एक मात्र अंतर था, सम्पादित किए जाने वाले कार्य की जटिलता में।

एक बार चुनाव प्रक्रिया समाप्त हो जाने पर राज्य संदर्भ में समूह सदस्यों को दो समूहों में उन चयनित व्यक्तियों के साथ बांट दिया गया। हर दल में 45 सदस्य थे। एक समूह पाठ्यपुस्तकों के विकास के लिए और दूसरा समूह शिक्षक प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करने के लिए। दोनों समूहों में संतुलन बनाए रखने के लिए वे जिन्हें **केंद्रक सन्निवेश** प्राप्त था, दोनों समूहों में बराबर बांट दिए गए। रणनीति के तहत मानव संसाधन की आवश्यकताओं को पूरा करने तथा आवश्यक विशेषज्ञता प्रदान करने के लिए दोनों समूहों के बीच कुछ सदस्यों को अदला-बदला जाता रहा। समूह कार्य को अलगाव/पृथकत्व में न होकर एकजुटता में सुनिश्चित करने का कार्य मुख्य था।

चुने गए व्यक्तियों को एक अन्वाख्यान प्रक्रिया से गुजरना पड़ा, जो विजनिंग कार्यशाला, अवधारणा-I तथा II कार्यशालाओं के परिणामों तथा पाठ्यपुस्तकों के विकास के लिए पहचाने गए आधारभूत विषय वस्तुओं पर विशेष रूप से परिकल्पित संघनित केप्सूल थीं। उन्हें पाठ्यक्रम की प्रतियां भी दी गईं।

अंतत: यह 45 व्यक्तियों का समूह था, जिसमें कार्यरत प्राथमिक स्कूल के अध्यापक, लिंग विशेषज्ञ, ब्लॉक संसाधन, केंद्र के समन्वयक, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान के संकाय सदस्य तथा राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् तथा उसके विभिन्न विभागों, जैसे – राज्य शिक्षा संस्थान, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान, सेंट्रल पैडागॉजिकल इंस्टीट्यूट, राज्य हिंदी संस्थान के विशेषज्ञ, प्रशिक्षण समन्वयक, एस.पी.ओ. में अध्ययन विधा इकाई के सदस्य तथा बाह्य प्रणाली के ऐसे विशेषज्ञ सम्मिलित थे, जिन्होंने अध्यापन विधा संबंधी नवीनीकरण प्रक्रिया के दायित्व का निर्वहन किया हो। लिखने के बाद प्रकरणों को सुस्पष्ट करने के लिए चित्रकार इस समूह में सम्मिलित किए गए।

6.10.3 कार्यशाला विधि में

कार्यशाला विधि उत्तर प्रदेश की पाठ्यपुस्तकों के विकास के लिए विस्तृत रूप से प्रयोग में लाई गई है। संपूर्ण 15 कार्यशालाओं की शृंखला में प्रत्येक पाठ्यपुस्तक विकास में विभिन्न कदमों पर केंद्रीभूत है। 14 प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तकों की अंतिम पांडुलिपियों का विकास हुआ।

6.11 संदर्भ सामग्री

प्रक्रिया प्रारंभ होने पर पाठ्यपुस्तकों की संरचना एवं लेखन के उद्देश्य में संलग्न दल को बड़ी संख्या में संसाधन सामग्री उपलब्ध कराई गई। प्रयुक्त संदर्भ उपकरणों में अन्य राज्यों की पाठ्यपुस्तकों, बाल साहित्य, कहानी की पुस्तकों, चित्रमय पुस्तकों, दृश्य शब्दकोशों (पूर्ण व्याख्याता) विविध प्रकरणों/विषयों/विषय-वस्तु पर बाल विश्वकोशों, संदर्भ पुस्तकों—क्रिया/अभ्यास पुस्तकों, विज्ञान, गणित तथा भाषा पर हस्त पुस्तिकाओं को सम्मिलित किया गया।

"विकल्प" नामक अधिगम सुधार/उन्नयन परियोजना जनपद हरदोई के तीन संकुलों में चलाई गई, जिससे कक्षा 1 की पाठ्यपुस्तक में समुन्नत अधिगम सामग्री प्राप्त हो सकी। इन परियोजना संकुलों में प्रयुक्त संपूरक अध्ययन सामग्री 'अपनी भाषा' हटाकर कक्षा 1 की पाठ्यपुस्तकों में समाहित कर दी गई है।

6.11.1 लेखनपूर्व कार्यशाला

लेखनपूर्व कार्यशालाओं में विस्तृत विषयवार तथा कक्षावार पाठ्युपस्तकों के लेखन के लिए मार्ग-निर्देशकों एवं सूचकों की संरचना की गई।

पाठ्यपुस्तकों की प्रासंगिकता/अनुरूपता :

- ❑ निश्चित समय, बिंदु या अवस्था पर निश्चित विषय-वस्तु के ज्ञान के विकास में सहायता देना।
- ❑ बच्चों को घर पर सीखने के लिए समर्थ बनाना।
- ❑ बच्चों को पढ़ने द्वारा सीखने की बुद्धि प्रदान करना।
- ❑ स्वाध्याय सुगम बनाना।
- ❑ न्यूनतम अधिगम स्तर प्राप्त करने में सहायता देना।
- ❑ बच्चों में सीखने के स्तर पर एकरूपता कायम करने को सुनिश्चित करना।
- ❑ ध्यान केंद्रित करने में बच्चों की सहायता करना।
- ❑ खास तौर से कक्षा शिक्षण बहुश्रेणी की परिस्थितियों में कक्षाकक्ष में समय प्रबंधन को सुगम बनाना।
- ❑ विभिन्न विषयों/विषय-वस्तु के क्षेत्रों के बीच एकता/युग्मन स्थापित करना।
- ❑ पाठ्यक्रम में बताए गए उद्देश्यों की संप्राप्ति को सुगम बनाना।

पाठ्यक्रम के तत्व पाठ्यपुस्तकों में इस प्रकार हैं :

- अच्छी पाठ्यपुस्तक का गुण/विशेषण तथा आकार।
- पाठ्यपुस्तकों की भाषा।
- विषय-वस्तु का अनुरूप हिस्सा छात्रों तथा अध्यापकों के लिए निर्देशित हो।
- कविताओं, कहानियों, नाटकों, अभ्यासों, जीवनियों, निबंधों, यात्रा वृत्तांतों और पत्रों के प्रकार, जिन्हें पाठ्यपुस्तकों में सम्मिलित किया जा सके।
- बच्चों की अवस्था तथा स्तर के अनुरूप विषय-वस्तु का चयन।
- उपकरण तथा सामग्रियाँ, जिनके प्रयोग से पाठ्यपुस्तकों को रोचक बनाया जा सके।
- पाठ्यपुस्तकों में स्वाध्याय को सुनिश्चित करना।
- पाठों का अनुक्रम तथा वर्तुलाकार होना।
- पाठ्यपुस्तकों में पाठों की संख्या।
- पूछे जाने वाले प्रश्नों के प्रकार।
- प्रयोग में लाए जाने वाली क्रियाओं और प्रयोगों के प्रकार।
- नियमित अंतरालों पर मूल्यांकनों को जोड़ना।

पाठ्यपुस्तकों के लेखन के लिए विस्तृत ढांचा यह सुनिश्चित करने के लिए सुदृढ़ बनाया गया कि पाठ्यपुस्तकें :

- करके सीखने के लिए अवसर देंगी।
- बच्चों में और अधिक जानने के लिए जिज्ञासा उत्पन्न करेंगी।
- स्थानीय विशेष कविताएं/कहानियां शामिल करेंगी ताकि बच्चे पाठों की विषय-वस्तु से संबंध स्थापित कर सकें।
- जीवंत एवं रोचक दृष्टांतों, चित्रों तथा पाठ्य वस्तु का भली प्रकार से वर्णन हो।
- आलोचनात्मक तथा तार्किक ढंग से चिंतन करने और समस्या को हल करने के लिए बच्चों को अवसर प्रदान करती हैं।
- गृह कार्य तथा पाठों के हिस्से के रूप में अभ्यास को सम्मिलित करने के द्वारा कल्पना, सृजनशीलता तथा वैज्ञानिक स्वभाव उत्पन्न करना सुगम बनाती हैं।
- इकाई परीक्षण पद्धति जैसे (कितना सीखा) को शामिल करना।
- स्वमूल्यांकन का अवसर प्रदान करती हैं।
- विशेष विषय शिक्षण तकनीकें उदाहरणस्वरूप — भाषा शिक्षण, समझ के साथ सुनना, बोलना, लिखने और पढ़ने की दक्षताओं की मांग कक्षा 1 से 2 के स्तर पर करती हैं।
- दस केंद्रक तत्वों जैसे — लिंग, चेतना, सामाजिक न्याय, राष्ट्रीय एकता, पर्यावरणीय जागरूकता, अनुशासन, देशभक्ति आदि का समावेश करती हैं।

पाठ लिखने के पहले :

- पाठ्यक्रम का वितरण।
- पाठ की बाह्य रूपरेखा तैयार करना।
- पाठ का स्वभाव एवं व्यवहार निश्चित करना .... सुनिश्चित किया गया।

पाठ की बाह्य रूपरेखा तैयार करने के पहले लेखक निम्नांकित से अभिज्ञात हो :

- बच्चे पहले से क्या जानते हैं ?
- पाठ्यक्रम उद्देश्यों के निर्धारित प्रकार को प्राप्त करने में कैसी समस्या का सामना संभवतः करते हैं ?
- इस प्रकार के प्रसंग में बच्चों की कितनी रुचि रही होगी ?

पाठों के लिखने की योजना इन प्रश्नों के प्रति प्रतिक्रिया और पाठ विशेष के लिए उपलब्ध स्थान के आधार पर बनाई गई थी।

कहानियां

कहानियां शिक्षण-अधिगम का प्रभावी साधन और भाषा विकास के लिए सशक्त उपकरण हैं – इस सिद्धान्त को मानते हुए पाठ्यपुस्तकों में कहानियां तथा कहानी कथन के विस्तृत प्रयोग को सुनिश्चित किया गया है। उच्च अधिगम के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विविध प्रकार की कहानियां शामिल की गई हैं –

- कहे जाने के लिए।
- पढ़े जाने के लिए।
- जो स्पष्ट अंत वाली हैं।
- जो मूल्यों पर आधारित हैं।
- जो वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के विषय में हैं, तथा
- जो कल्पना पर आधारित हैं।

चित्रांकन/दृष्टांत

पाठ्यपुस्तक में पाठ्यवस्तु तथा चित्रों के बीच जीवंत संबंध हैं। प्रशिक्षित चित्रकार पहले से ही इस प्रक्रिया से जोड़ दिए गए थे। इसीलिए पाठ्यपुस्तक के लेखक तथा चित्रकारों ने मिलजुल कर एक साथ कार्य किया। उनका पहले से शामिल होना पाठ्यपुस्तकों के विकास की अवधारणा की समझ को विकसित करने में सहायक रहा।

चित्रांकनकार रंगों तथा कोमलता में संतुलन के साथ चित्रों के आकर्षण को बनाए रखे। ध्यान दिए जाने वाले अन्य पक्ष थे – व्यवस्था के दृश्य प्रभाव। आगे रचना, रंग रेखा, संरचना और दृश्य डिजाइन के तत्व हैं, जिन्हें लय, मनोदशा, सुगंध, रस और क्या होने जा रहा है या पाठ्यवस्तु के वर्णन में क्या घटित हो रहा है, की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए प्रयोग में लाया गया।

6.12 संपादकीय निर्देशक बिंदु

लेखक समूह बीच से एक बाहरी संदर्भ व्यक्ति को सम्मिलित करते हुए तीन व्यक्तियों का संपादकीय दल कार्य में लगाया गया। संपादकीय दल ने निम्नलिखित की आलोचनात्मक ढंग से जांच एवं समीक्षा की :

- प्रस्तुतीकरण की शैली।
- विषय-वस्तु का दिया जाने वाला परिमाण, अनुपात और विस्तार-अन्य पाठों के साथ निरंतरता एवं अविच्छिन्नता।
- वर्णन में अनुक्रम।
- वर्णन की भाषा (लिंगबोधक भाषा का प्रयोग जहां क्रियाएं प्रयुक्त हों और यह सुनिश्चित करना कि लड़के और लड़कियां समान रूप से संबोधित की गई हैं)।
- चित्रांकन संगत एवं उचित है।
- विषय शिक्षण-विशेष तत्व।

जैसे-जैसे पाठ्यपुस्तकों के लेखन की प्रक्रिया बढ़ी यह प्रतिभागी लेखकों तथा चित्रांकनकारों को स्पष्ट हो गया कि वह सब जो एक विशेष पाठ के लिए देखा गया या सोचा गया, उसे पाठ विशेष में समाहित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे पुस्तक पृष्ठ समायोजना के लिए कार्य कर रहे हैं। उपलब्ध स्थान में जितना आ सकता था, उससे बहुत अधिक उनके पास कहने के लिए था। तीन विभिन्न परंतु पूरक उपकरणों जैसे पाठ्यपुस्तकों, शिक्षक संदर्शिकाओं और शिक्षक-प्रशिक्षण में वांछित विषय-वस्तु को वरीयता क्रम में वितरित करने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई।

पाठ्यपुस्तक विकास प्रक्रिया के दौरान निरंतर समीक्षा, आत्मलोचना, बेहतर विकल्प की तलाश, ऐच्छिक प्रयोग, पाठ की डिजाइन (परिकल्पना) में नवाचार का प्रयोग होता रहा। पाठ्यपुस्तकों का मसविदा तैयार करने तथा अंतिम रूप देने में सचेष्ट प्रयास, विचारों की प्रगति के अनुरूप पाठ्यपुस्तकों के ढांचे की पुनर्रचना के लिए किए गए। इस प्रक्रिया की कठोरता का तात्पर्य है प्रायः एक ही प्रकरण पर पीछे और आगे चलना। उत्पादन के मानकों (प्रमाणिकताओं) को सुनिश्चित करने में इसने आश्चर्यजनक कार्य किया।

6.13 क्षेत्र परीक्षण

विकसित पाठ्यपुस्तकें, शिक्षकों, बच्चों तथा समुदाय से उनके विषय में पश्चपोषण प्राप्त करने के लिए कार्यक्षेत्र में ले जाई गईं। यह अभीप्सित था कि प्रयोग करने वालों – अध्यापकों और विद्यार्थियों से प्राप्त पश्चपोषण पाठ्यपुस्तकों के विकास के लिए समृद्धि-प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा। अकादमिक सत्र 1999-2000 में परियोजना जनपदों राज्य के छः भाषिक क्षेत्रों (अलीगढ़, बांदा, नैनीताल, पौड़ी, गढ़वाल और वाराणसी) का प्रतिनिधित्व करते हैं, के सभी प्राइमरी स्कूलों (प्रति संकुल एक) में सभी पाठ्यपुस्तकों का क्षेत्र परीक्षण किया गया।

इस प्रयोग को बढ़ाने का तात्पर्य है जमीनी/आधारिक कार्य का आवश्यक/सार्थक परिमाण,

जो उत्पादन तथा चुने गए विद्यालयों में नमूने की प्रतियों के वितरण, उन लोगों को जो इस प्रयोग/कार्य से जुड़े हुए हैं, दिशा-निर्देश देने तथा तैयार करने, क्षेत्र परीक्षण की प्रक्रिया के खोजों तथा निरीक्षणों को अभिलिखित करने के लिए उपकरणों के विकास निर्माण को जरूरी बनाया। राज्य शिक्षा संस्थान तथा राज्य संदर्भ समूह ने मिलकर शिक्षकों, बच्चों, माता-पिता/समुदाय से पश्चपोषण प्राप्त करने के लिए प्रारूप पत्र तैयार किया। एक आरंभिक कार्यशाला राज्य शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद में आयोजित की गई। इसके बाद डाइट संकाय के प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। उन्होंने न्याय पंचायत संसाधन केंद्र स्तर पर अध्यापकों को 'परीक्षण अभ्यास के लिए प्रयुक्त पाठ्यपुस्तकों का किस प्रकार से उपयोग किया जाएगा' पर प्रशिक्षण दिया। इसकी सहायता/समर्थन के लिए एक हस्तपुस्तिका थी, जो परीक्षण के लिए मुद्रित पाठ्यपुस्तकों का एक हिस्सा थी।

डाइट संकाय द्वारा क्षेत्र से पश्चपोषण संग्रह किया गया और पुस्तक के रूप में आकार का विश्लेषण जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों (डाइट्स) और राज्य शिक्षा संस्थान द्वारा किया गया। राज्य संदर्भ समूह द्वारा पश्चपोषण के आधार पर पाठ्यपुस्तकों को राज्य शिक्षा संस्थान में अंतिम स्वरूप प्रदान किया गया।

क्षेत्र परीक्षण से पाठ्यपुस्तकों के विषय में उद्भूत मुख्य विचारणीय बिंदु या तो सामान्य हैं या विशिष्ट पाठ्यपुस्तकों पर लागू होने वाले हैं।

अकादमिक सत्र 2000-2001 में प्राथमिक विद्यालयों में संपूर्ण नवीन पाठ्यपुस्तकों के समूह का आगमन हुआ। पुस्तकें जो कठोर सहभागी प्रक्रिया की देन थीं, सुविचारित एवं संसूचित निर्णय पर आधारित थीं, पुस्तकें जो विभिन्न आकार और शक्ल में थीं, पुस्तकें जो विद्यार्थियों में जिज्ञासा उत्पन्न करती थीं तथा अध्यापकों को और व्यस्त रखती थीं, पुस्तकें जो भिन्न हैं, पुस्तकें जो डिजाइन और निर्माण खाके पर अत्यधिक बल के साथ विकसित की गईं, जिसके लिए विशेषज्ञों की सेवाएं ली गईं और पांडुलिपियों की कैमरा द्वारा खींची गई प्रतियां मुद्रकों को उपलब्ध कराई गईं। पहली बार राज्य के सभी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों तथा सभी बालिकाओं ने निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें प्राप्त कीं।

6.14 विश्लेषणोपरांत पाठ्यपुस्तकों के कुछ विशिष्ट लक्षण

पाठ्यपुस्तकों के विकास की समूची प्रक्रिया के दौरान पाठ्यपुस्तक विकास की प्रक्रिया के प्रारंभिक स्तर पर निर्देशक सिद्धान्तों के रूप में स्वीकृत किए गए बहुत से आवश्यक, अपरिवर्तनीय आदर्शों को सम्मिलित करना सुनिश्चित करने के लिए ध्यान दिया गया।

पाठ्यपुस्तकों के नवीन संग्रह में खास तत्व को उपस्थित करने में समर्थता होना महत्त्वपूर्ण है, जो महान कार्य/अभ्यास/प्रयोग, जो लगभग दो वर्षों तक चला, की देन है। उनके विषय में क्या भिन्न है। शिशु मित्रता प्रतिपादित दर्शन के कितने इंच के अनुरूप हैं। क्या वे शिक्षण

अधिगम पर आधारित वास्तविक क्रिया के लिए सामग्री उपस्थित करती है ? केंद्रक पाठ्यक्रम के तत्वों के वर्णित नमूनों/मानकों को कितनी अच्छी तरह से पाठ्यपुस्तकों में शामिल किया गया है। दक्षता आधारित प्रश्न कैसे प्रयुक्त किए गए हैं, बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो संभवतः पाठक के मस्तिष्क में गूंजते रहते हैं। यह भाग विकसित की गई पाठ्यपुस्तकों के विशिष्ट लक्षणों का वर्णन करने का प्रयास करते हैं।

भाषा

- कक्षा 1 से 2 के स्तर पर भाषा शिक्षण समझ के साथ बोलने, सुनने, लिखने और पढ़ने की दक्षताओं की संप्राप्ति की मांग करता है। कक्षा 1 में पाठ्यपुस्तक के प्रथम चार अध्याय सूचनात्मक प्रश्नों के साथ चित्राधारित हैं, जो विशेष स्तर के अधिगम अनुभव को सुनिश्चित करते हैं तथा अध्यापक को अवसर देते हैं, विस्तृत अधिगम के लिए इसका सहायक सुगम उपकरण के रूप में प्रयोग करने के लिए। ये अध्याय मूल रूप में अंतःक्रियाशील हैं, बच्चों में अवलोकन और खोज को प्रोत्साहित करने की इच्छा रखते हैं, ताकि स्पष्ट बोल सकें और उसके द्वारा अपने शब्द भंडार को बढ़ा सकें। इसी उद्देश्य को दृष्टि में रखकर उसी तरह के और अधिक जटिल स्तर के पाठ कक्षा 2 के भाषा पाठ्यपुस्तक में जोड़े गए हैं।
- पाठ्यक्रम की विषय-वस्तु में विद्यालय पूर्व दक्षताओं की अविच्छिन्नता पूर्व विद्यालय से कक्षा 1 तक दक्षताओं का सरल परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए कायम की गई है।
- भाषा में द्विविभाजन समझने में बाधा खड़ी करता है, जो बच्चों के अधिगम को रोकता है। घर की भाषा से स्कूल की भाषा तक सरल परिवर्तन कायम करने के लिए स्थानीय वस्तुओं के चित्रों के प्रयोग द्वारा प्रयास किया गया है, जिन्हें बच्चे पहचानते हैं तथा अपने घर की भाषा में नाम बताते हैं। तब अध्यापक मानक हिंदी भाषा में इन वस्तुओं के नाम से परिचित कराता है। इस प्रकार बच्चे क्रमशः मानक हिंदी भाषा से परिचित होते हैं।
- कक्षा 2 से 5 की भाषा पाठ्यपुस्तकों में पाठों के अंत में अभ्यास दिए गए हैं, जो भाषा संरचना तथा व्याकरण की समझ को पुष्ट करने के आवश्यक साधन हैं। उदाहरण के लिए बच्चों को वाक्य रचना, वाक्य संशोधन, पर्याय तथा विलोम आदि सीखने का कार्य सौंपा जाता है। व्याकरण की समझ के सार की जांच करने के लिए साधारण परिभाषाएं पाठ्यवस्तु में डाली गई हैं, जिन पर आधारित पाठ्यवस्तु से उसी तरह के उदाहरणों की पहचान करने की अपेक्षा बच्चों से की गई है।
- पाठ कहानियों के हैं, जो बाल साहित्य से अन्य भारतीय भाषाओं से ली गई हैं। साथ ही साथ विदेशी लेखकों की कहानियां—रस्किन बांड की 'वनदेवी और राजा' के साथ के.के. नारायण की कहानी 'पिताजी का कमरा' और शंकर की कहानी 'किस्मत का खेल' कक्षा 4 की भाषा पाठ्यपुस्तक में शामिल की गई हैं। कक्षा 3 में ऑस्कर वाइल्ड

की कहानी 'घमंडी का बाग' और कक्षा 5 में लियो टालस्टॉय की कहानी 'तीन सवाल' अंतर्राष्ट्रीय लेखकों द्वारा लिखित बाल कहानियों के उदाहरण हैं। विश्व के उच्च कोटि के साहित्य का दर्शन पाने का सुअवसर बच्चों को इससे प्राप्त होता है।

- कहानी-कथन, कविता-वाचन, खेल-खेलना, रूपांतर और वाद-विवाद जिसमें सक्रिय भाषा प्रयोग मिश्रित है, परिभाषा पाठ्यपुस्तकों में बल दिया गया है। स्व-अधिगम को सुगम बनाने के अतिरिक्त बच्चों में विशेष गुणों/क्षमताओं/दक्षताओं की छाप डालने के स्पष्ट इरादे से कहानी की हर एक किस्म जो बाल पुस्तक में दी गई हैं, रखी गई हैं।
- स्पष्ट अंत वाली सरल कहानियां और कल्पना पर आधारित कहानियां बच्चों की कल्पना और सृजनात्मकता के बढ़ाने में सहायक होती हैं। कहानी, कथन बच्चों की सुनने की क्षमता को बढ़ाता है, जबकि कहानी पठन-पाठन की दक्षता की ओर ले जाता है। वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से संबंधित कहानियां बच्चों को वास्तविक घटनाओं का दर्शन कराती हैं और बढ़ा हुआ ज्ञान देती हैं।
- भाषा/साहित्य/रूपों का विस्तृत चयन—जैसे गद्य, पद्य, कहानियां, नाटक, आत्मकथा और जीवनी, पत्रों, यात्रा वृत्तांतों, संस्मरणों, लोक कहानियां, निबन्ध, हास्य, कथोपकथन, दृष्टांत आधारित पाठों को पाठ्यपुस्तकों में स्थान दिया गया है।
- बच्चों की रुचि पाठों में बनाए रखने तथा राहत के साधन के रूप में हास्य और परिहास को भाषा की पाठ्यपुस्तकों में पाठ्यपुस्तकों की एकरसता से हटाने के लिए सम्मिलित किया गया है। पाठ 'अंधेर नगरी' नाटक है, जिसमें हास्य का तत्व है, 'हां में हां' (पेज 44) और 'बच्चों का पूछताछ केंद्र' कक्षा 4 की भाषा पाठ्यपुस्तक के पाठ हैं जिनमें हास्य तत्व है।

गणित

- बच्चों को अमूर्त से संबंध स्थापित करने में समर्थ बनाने के दृष्टिकोण से अवधारणाओं को अनुभवों के द्वारा मूर्त वस्तुओं से परिचित कराया गया है इनके उदाहरण कक्षा 2 के पाठ 'नाप, जोख, लंबाई' में पाए जाते हैं, जिसमें सामान्यतया खेले जाने वाले खेल (गिल्ली डंडा) लंबाई नापने की अवधारणा को सुस्पष्ट करने के लिए प्रयुक्त हैं। पाठ 'हिस्सा' में भाग की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए कक्षा 4 की पाठ्यपुस्तकों में स्वतंत्रता दिवस पर बच्चों में मिठाई (लड्डू) वितरण का प्रयोग किया गया है।
- बच्चों के साथ वास्तविक जीवन की परिस्थितियों तथा वस्तुओं का प्रयोग करते हुए गणितीय संक्रियाओं की अवधारणा को पढ़ाने का एक अच्छा उदाहरण कक्षा 3 की पाठ्यपुस्तक के पाठ 'संख्याओं का बंटवारा' में पाया जाता है। कक्षा 1 की पाठ्यपुस्तक के 'सैर-सपाटा' पाठ में उदाहरणस्वरूप आरोही क्रम में 1 से 9 तक की संख्याओं के विषय में वर्णन है। इसे रुचिकर बनाने के लिए कहानी का रूप दिया गया है। पुनः

'शून्य' की अवधारणा पर पाठ में पुस्तकीकरण इस ढंग से किया गया है कि बच्चों की रुचि बनी रहे तथा अवधारणा सरलता से बोधगम्य हो सके। बच्चों में अवधारणाओं की समझ के सबलीकरण के लिए तथा अनियमित परीक्षार्थियों को भी लाभान्वित करने के लिए पाठ्‌यपुस्तकों में वर्तुलाकार गति को एकीकृत किया गया है। इसे विभिन्न तरह से किया गया है। प्रथम स्थान में प्रकरण पाठ्‌यपुस्तक के विभिन्न हिस्सों में उठाया गया है। संबंधित प्रकरण के प्रसंग में प्रकरण प्रस्तुत करने का दूसरा रास्ता है। कक्षा 1 की पाठ्‌यपुस्तक में संख्याएं 1 से 5 एक स्थान पर दी गई हैं और फिर दूसरे घटनाक्रम/समय पर पुनः दिया गया है, जब 1 से 9 तक की संख्याओं को लिया गया। उसी तरह से घटाने की अवधारणा के सबलीकरण के लिए अवधारण उसी कक्षा में — कक्षा 1 से एक बार पृष्ठ 43-46 के बीच और पुनः पृष्ठ 71 पर देखी गई है। दूसरी चक्रीय गति कक्षा 2 की पाठ्‌यपुस्तक में देखी जा सकती है, जहां गुणा तथा भाग की अवधारणा को प्रस्तुत करते समय जोड़ और घटाने की अवधारणाओं का स्पर्श किया गया है।

- आगे गणित में जोड़, घटाने, गुणा तथा भाग की संक्रियाएं जटिल क्रियाओं में सम्मिलित की गईं, जैसे हासिल समझना और उधार लेना और संक्रिया में सम्मिलित अंकों की संख्या को बढ़ाना, परंतु हर स्तर पर इसके जटिल रूप में संक्रिया पर विवेचना करते समय आधारों को एक बार पुनः स्पर्श किया गया है। दूसरे शब्दों में जटिल संक्रियाएं पूर्व ज्ञान की कल्पना बनाई नहीं जाती हैं।
- गणित सीखने के सरलीकरण के प्रशिक्षण का एक अच्छा उदाहरण कक्षा 4 के पाठ दशमलव (पृष्ठ 63-64) में दिखाई पड़ता है, जहां अधिक से कम इकाइयों में परिवर्तन या इसका विलोम परिवर्तन के साधारण तरीके के प्रयोग द्‌वारा किया गया है। आरोही या अवरोही क्रम इकाइयों के बढ़ने या घटने से जोड़ा जाता है।

पर्यावरणीय अ ध्ययन

- पर्यावरणीय अध्ययन की पाठ्‌यपुस्तकें वास्तविक परिस्थितियों को चित्रित करने वाले चित्रों/दृष्टांतों के प्रयोग से सजीव हो गई हैं, जिससे अधिगम को अनुभवजन्य सीखने के उतना समीप ले जाया जा सके, जितना संभव हो सके। ऐसे प्रकरणों के उदाहरण सौर प्रणाली, देश के विषय में कहानियां, विभिन्न राज्यों का जीवन और लोगों को शामिल करता है।
- उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विविधता से बच्चों को परिचित कराने के लिए पाठों में वनस्पतियों और पशुओं के विवरण, त्यौहारों, परंपराओं, पोशाक और लोगों के भोजन की आदतों को शामिल किया जाता है। साथ ही आगरा, लखनऊ और वाराणसी जैसे प्रमुख नगरों पर पाठ हैं, जो उनके महत्त्व के कारणों के विषय में बच्चों से चित्रमयता

के विस्तृत उपयोग के द्वारा चेतना पैदा करते हैं।

- बच्चों के मानसिक क्षितिज के किसी के निकटतम परिवेश से अपरिचित परिवेश की ओर परिवर्तन की अनुमति के लिए एक उपागम अंगीकार किया गया है। उनके चारों तरफ वास्तविकताओं से शुरुआत करते हुए, विभिन्न कक्षाओं में पाठों पर क्रमशः परिवर्तन किए गए हैं। कक्षा 2 की पाठ्यपुस्तक गांव से प्रारंभ होती है और जिले तक जाती है। भारत और विभिन्न राज्यों को कक्षा 4 की पुस्तकों में शामिल किया गया है। भारत के पड़ोसी देशों को कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तकों में शामिल किया गया है।
- कक्षा 1 की पाठ्यपुस्तक में पाठ 'रसोई' ग्रामीण और शहरी परिवारों के रसोईघर का वर्णन करता है। ग्रामीण रसोईघर के विषय में अधिकांश बच्चे जानते हैं। शहरी संदर्भ में उसी अवधारणा के प्रयोग द्वारा बच्चों को अज्ञात के विषय में जानने के लिए समर्थ बनाता है। ज्ञात से अज्ञात को बच्चों के समक्ष अनावृतं करने का यह एक उदाहरण है।
- मानचित्र पठन को समझने तथा उसकी व्याख्या के लिए एक सामान्य सरल विधि कक्षा 3 की पाठ्यपुस्तक में पाठ 'एशिया में भारत' में अंगीकार की गई है, जो इस अध्याय के अभ्यासों के जरिए मानचित्र या ग्लोब का प्रयोग करके उत्तर प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करती है। भौतिक मानचित्र की समझ के सबलीकरण का दूसरा रोचक अभ्यास कक्षा 4 की पाठ्यपुस्तक के पाठ 'उत्तर प्रदेश प्राकृतिक बनावट व रहन-सहन' में दिया गया है, जिसमें बच्चों से भूमि प्रदेश का नमूना बनाने के लिए कहा गया है।
- कक्षा 4 की पर्यावरणीय पाठ्यपुस्तक के पाठ 'उत्तर प्रदेश प्राकृतिक बनावट और रहन सहन' में क्षेत्रवार विशिष्टताओं को उजागर किया गया है। लोक कथाएं कक्षा 4 की भाषा की पाठ्यपुस्तक (पृष्ठ 45) 'सवारी का प्रबंध' और कक्षा 5 की भाषा पाठ्यपुस्तक (पृष्ठ 68) में 'चिड़िया का दाना' उदाहरण के रूप में दी गई हैं। पाठ के अंत में बच्चों को अपने क्षेत्र की लोककथाओं के संग्रह का कार्य दिया गया है। इसमें अभ्यास से घर के अंदर सीखने को प्रोत्साहित करने और अपने बच्चों की शिक्षा में माता-पिता की सहभागिता सूचीबद्ध करने की आशा रखी गई है।

विज्ञान

- कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक के पाठ 'मानव कंकाल, पेशियां और गतियां' में कंकाल प्रणाली के सरस वर्णन प्रस्तुतीकरण की शैली द्वारा सजीव बनाया गया है। रोचक पक्षों जैसे मानव की खोपड़ी अलग-अलग 24 हड्डियों का मिलाजुला बना हुआ ढांचा है, एनामल हड्डी से सख्त है इत्यादि की सजावट/सुंदरता सीखने वालों का ध्यान खींच लेती है (पृष्ठ 35-41)।
- पाठ के अंत में दिए गए अभ्यासों के द्वारा स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों से

सीखने का प्रयास किया गया है। उदाहरणस्वरूप कक्षा 4 और 5 के बच्चों से विभिन्न वृक्षों की पत्तियों, बीजों की विभिन्न किस्मों, विभिन्न पक्षियों के पंखों को इकट्ठा करने की आशा की गई है।

- कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक के पाठ 'पौधे के विभिन्न भाग एवं उनके कार्य' (पृष्ठ 7) में विज्ञान के अधिगम के प्रयास का एक उदाहरण दिखाई देता है। पकाने तथा खाना बनाने की प्रक्रिया के विषय में बच्चों को पूर्वज्ञान से इसे जोड़कर तथा पत्तियों को पौधों के लिए रसोईघर बताकर प्रकाश संश्लेषण की अवधारणा को समझाया गया है। अनुभव द्वारा सीखना और करके सीखना मुख्य पाठ्यवस्तु में बुने गए हैं। दैनिक जीवन के अनुभवों पर आधारित वर्गीकरण पर अभ्यास कक्षा 4 और 5 की पाठ्यपुस्तकों (कक्षा 4 पृष्ठ 16-19 और कक्षा 5 पृष्ठ 16 व 51) में दिए गए हैं।
- बच्चों का अवलोकन/निरीक्षण के द्वारा निर्णयों पर पहुंचाने का प्रयास कक्षा 4 में पाठ 'मानव शरीर के अंग एवं उनके कार्य' में किया गया है, जैसे — स्पर्शेन्द्रिय द्वारा 'कोई वस्तु कठोर या कोमल है' को जानना।

विद्यार्थी का मूल्यांकन

विविध प्रकार की क्रियाओं और अभ्यासों को चलती हुई शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ सतत विद्यार्थी मूल्यांकन को सुगम बनाने के लिए पाठ्यपुस्तकों में शामिल किया गया है। ये इस ढंग से परिकल्पित किए गए हैं कि बच्चे अवगत न होंगे कि उनका मूल्यांकन किया जा रहा है। भय या किसी दबाव के नीचे मूल्यांकन उपलब्धि के वास्तविक स्तर को प्रकट नहीं कर सकता है।

विद्यार्थियों के मूल्यांकन के लिए पाठ्यपुस्तकों में दोनों मौखिक तथा लिखित उपकरण तैयार किए गए हैं। प्रश्नों का एक मिश्रित झोला शामिल किया गया है — वस्तुनिष्ठ, बहुविकल्पीय, पाठ आधारित लघु उत्तरीय, वर्णनात्मक दीर्घ उत्तरीय। प्रश्नों की यह शृंखला बच्चों में कूटकर अनुमान लगाने की क्षमता को विकसित करने, कल्पना और तार्किक अनुक्रमीकरण के कौशलों को उत्पन्न करने में सहायक है। पाठों के अंत में दिए गए प्रश्नों के प्रकार हैं :

शब्दों का खेल
करके जानें
अब करने की बारी
इसे भी जानें
तुम्हारी कलम से
पता करें

इकाई के अनुसार नियमित अंतराल पर मूल्यांकन की व्यवस्था की गई है — कितना सीखा।

6.15 दूसरे लक्षण

देशप्रेम

देशप्रेम की भावना भरने के लिए कक्षा 1 की पाठ्यपुस्तक में हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों पर पाठ, निबंध 'मैं और मेरा देश' कविता जैसे 'विमल इन्दु की विशा' और 'भारत है मेरा घर' पाठों को

शामिल करके प्रयास किया गया है। इस भाव की अभिव्यक्ति महान राष्ट्रीय व्यक्तियों जैसे - तिलक, शास्त्री, सुभाष चन्द्र बोस की जीवनियों तथा 'पिता (नेहरू) का पुत्री के नाम पत्र' उदाहरणों में हुआ है। कक्षा 5 की पर्यावरणीय अध्ययन की पाठ्‌यपुस्तक के पाठ — 'उत्तर प्रदेश - भाषाएं अनेक हम सब एक' राष्ट्रीय एकता के भाव भरने का प्रयास करता है।

स्वास्थ्य और आरोग्य/स्वास्थ्य विज्ञान संबंधी चेतना

कक्षा 5 में पाठ 'कुपोषण एवं उसके परिणाम' में कुपोषण जन्म रोग को पहचानने और उससे बचने से बच्चों को परिचित कराया गया है, जिसमें ऐसे रोगों के स्पष्ट लक्षणों का निरूपण किया गया है। प्रचलित आदतों को प्रभावित करने वाले विचारों के साथ-साथ व्यक्तिगत आरोग्य, संक्रामक रोगों से छुटकारा, प्राथमिक उपचार आदि के विषय में उन्हें सचेत भी किया गया है।

शिक्षण समय का नमनीय प्रयोग

उपलब्ध वास्तविक अध्यापन समय तथा अध्यापकों की उपलब्धता को ध्यान में रखकर अनेक उपाय/उपकरण/तकनीक और विकल्प पाठ्यक्रम की आवश्यकताओं को पूरा करने को सुनिश्चित करने के लिए खोजे गए हैं। स्वयं और समूह में सीखने, सीधे पाठ्‌यपुस्तकों से अभ्यासों के जरिए सीखने और करके सीखने के प्रयोग से पाठ्यक्रम की आवश्यकताओं को पूरा करने को सुनिश्चित किया गया है। अधिगम के मानकों से समझौता किए बिना इन विधियों के प्रयोग के द्‌वारा अध्यापन-समय की मांग में कमी करने का प्रयास किया गया है। उदाहरणस्वरूप विज्ञान और पर्यावरणीय अध्ययन में अभ्यासों के माध्यम से बच्चों को सिखाने का प्रयास किया गया है, जिसमें बच्चों से अपेक्षा की गई है कि वे अपने पार्श्ववर्ती परिवेश से सूचनाओं का संग्रह, सारणीयन यथा वर्गीकरण करें। समान पद्‌धति, भाषा पाठ्‌यपुस्तकों में भी अपनाई गई है। ऐसे प्रकरण में बच्चों से स्थानीय त्यौहार, महापुरुषों, महत्त्वपूर्ण स्थानों आदि के विषय में स्थानीय कहानियों, कविताओं, गीतों और सूचनाओं का संग्रह करने के लिए कहा गया है।

साथ ही अध्यापकों को पाठ्यक्रम के क्षेत्रों में कार्य करने में नवाचार उपागमों को प्रयोग में लाने के लिए नमनीयत/लचीलापन प्रदान किया गया है।

लिंग पक्षपात हीनता/न्याय का समाकलन

- कक्षा 2 की भाषा पाठ्‌यपुस्तक में माताओं को बुद्‌धिमान व्यक्तियों के रूप में प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है। उसी कक्षा की भाषा की पाठ्‌यपुस्तक में अध्याय 'नन्हा चांद' (पृष्ठ 35) माता को अपने बच्चे को चन्द्रमा के विषय में पढ़ाते हुए दिखाया गया है। कक्षा 3 की भाषा की पाठ्‌यपुस्तक में भी अध्याय 'बापू की शिक्षा' में उसे वह सब करते हुए दिखाया गया है, जो उसने अपनी मां से सीखा था, क्योंकि वह उस सब के प्रति बड़ा आदर रखता था, जो माता ने उसे पढ़ाया था (पृष्ठ 44)।

- माताओं को अपने घरों की चारदीवारी में कैद होने के रूप में प्रदर्शित नहीं किया गया है। पिता को घर के अंदर का कार्य करते हुए प्रमुख रूप में दिखाया गया है। कक्षा 2 की भाषा की पुस्तक में एक पाठ 'मगन का घर' है, जिसमें लिंग के अपरिवर्तनशील भूमिकाओं में गूढ़ परिवर्तन मां को साक्षरता केंद्र पर काम करते हुए और पिता को घरेलू कार्य के दायित्व में हिस्सा बंटाते हुए दिखाया गया है (पृष्ठ 20)।
- कक्षा 2 की भाषा पाठ्यपुस्तक के 'जगतपुर गांव के बच्चे' नामक पाठ में कहानी की विषयवस्तु एक लड़की के चारों ओर केंद्रित है, जो अपने गांव को स्वच्छ करने के लिए सभी बच्चों को एकजुट करने में नेतृत्व की भूमिका निभाती है (पृष्ठ 41)।
- पाठ 'सीमा बाढ़ में फंसी' जो कक्षा 3 की पाठ्यपुस्तक में है, व्यक्त करता है, कि सीमा विपरीत परिस्थिति में कैसे विवेक का प्रयोग करती है और बाढ़ के पानी पर विजय प्राप्त करती है (पृष्ठ 15)।
- कक्षा 3 के पर्यावरणीय अध्ययन की पाठ्यपुस्तक के अध्याय 'महिमा शहर चली' में महिला की विज्ञान शिल्प/यंत्र विज्ञान और आधुनिक उपायों/विधियों में रुचि को गुड़ियों के बजाए केलकुलेटर क्रय करने के उसके चुनाव के द्वारा प्रमुखता दी गई है (पृष्ठ 53)।
- मनुष्यों का पृथक होना समाप्त : कक्षा 3 के पर्यावरणीय अध्ययन की पाठ्यपुस्तक के अध्याय 'अचरज भरा आकाश' में वैलेंटीना टेरेसोवा-प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री की चर्चा है। यह शीर्ष/प्रधान अध्याय है। इस कहानी के माध्यम से महिलाओं का प्रवेश उस पेशे में हुआ है, जिसे सदैव से पुरुषों का अधिकार समझा जाता रहा है। विविध भूमिकाओं और पेशों में महिलाओं की बालस्वीकृति का विस्तार होना है (पृष्ठ 21)।

लघु परिवार का मानक

- कक्षा 5 की विज्ञान पाठ्यपुस्तक में विभिन्न स्थानों में विभिन्न प्रसंगों में छोटे परिवार के मानक की अवधारणा डाली गई है। पाठ 'आओ बात करें' (पृष्ठ 12) में राज्य में चल रही जनसंख्या परियोजना की वकालत की गई है। बच्चों के समक्ष रहन-सहन के स्तर, पोषण, शिक्षा स्वास्थ्य तथा जीवन के विविध अन्य पक्षों पर बड़े परिवारों के नकारात्मक प्रभाव को अनावृत करने का प्रयास किया गया है। 'बढ़ते मानव घटते संसाधन' निवास स्थान की कमी, तथा पोषण की कमी तथा कुछ प्रजातियों के विलोपनाश को जनसंख्या वृद्धि से जोड़ता है (पृष्ठ 24)। उसी प्रकार पाठ्यपुस्तक का पाठ 'तस्वीरें बोलती हैं' (पृष्ठ 25) लघु परिवार के पक्षों विधि और निषेध पर बहस चलाता है। सहायक दृष्टांत, बहस को प्रोत्साहित करते हैं तथा बच्चों के मस्तिष्क में लघु परिवार के मानक सबल करते हैं।

विकलांगों के प्रति संवेदनशीलता

कक्षा 3 के पर्यावरणीय अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में शरीर से विकलांग बच्चे जो अपने अनुभव को व्यक्त करता है और कैसे दूसरे बच्चे उसे अपना प्रियपात्र बनाते हैं और अपने क्रियाकलाप में उसे शामिल करते हैं, के विषय में, पाठ 'दोस्ती' अक्षम बच्चों के प्रति संवेदनशीलता उत्पन्न करता है।

बच्चे के अधिकारों का केंद्रीकरण

कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक में बाल अधिकार के प्रश्न को सोहन, एक लड़का जो चाय की दुकान पर कार्य करता था, कैसे भाग गया, क्योंकि वह पढ़ना चाहता था, कहानी के चारों ओर रचा गया है। पाठ के अंत में बच्चों को श्रम बल में नियोजित करने के औचित्य पर बहस/वादविवाद आयोजित करने के लिए अभ्यास दिया गया है (पृष्ठ 112-116)।

6.16 निष्कर्ष-टिप्पणी

इस प्रक्रिया से जहां एक तरफ पाठ्यपुस्तकों की गुणवत्ता सुनिश्चित की गई, वहीं दूसरी तरफ, इन सामग्रियों के मूल्य को जहां तक संभव हो सका व्ययसाध्य तथा कम रखा गया। अकादमिक सत्र के प्रारंभ में ही अध्यापकों तथा बच्चों के हाथ में पहुंच जाए इसके लिए काफी पूर्वोपाय किए गए। यह प्रसन्नता की बात है कि अनेक असमानताओं के बावजूद जुलाई 2000 के सत्र के प्रारंभ के डेढ़ माह के अंदर पाठ्यपुस्तकों की समय से उपलब्धता तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों और बालिका वर्ग में उनके निःशुल्क वितरण की व्यवस्था की गई।

अध्याय 7

विद्‍यालयी शिक्षा की गुणवत्ता

इस अध्याय की मुख्य बात स्कूली शिक्षा के संबंध में गुणवत्ता के मुद्‍दों को उठाना है जिसके दायरे में पूर्व स्कूली शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, उच्च प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा तथा अध्यापक-शिक्षा क्षेत्र के भी स्तर पर संबंधित सरोकार अभिव्यक्त होते शिक्षण अधिगम, निरीक्षण और स्कूली खुलाव से संबंधित गुणवत्ता के सरोकारों के अलावा सार्वजनिक परीक्षा व्यवस्था और राज्य में विशेष रूप से प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्‍यालयीय शिक्षा के स्तर पर व्यापक तथा सतत मूल्यांकन के गुणात्मक पहलुओं को यहां उजागर किया गया है।

इस परिप्रेक्ष्य में शिक्षकों की व्यावसायिक शिक्षा हेतु ठोस कार्यक्रम तथा प्रभावी छात्र-मूल्यांकन, शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण सुधार लाने के लिए नितांत आवश्यक है। जीवन कौशल एवं व्यापक सामाजिक लोकाचार के द्रुत लाभ को प्रोत्साहित करने हेतु जो भी प्रयास करते हैं उसमें स्कूली शिक्षा की निर्णायक भूमिका है। इस प्रक्रिया में शिक्षक एक शिल्पी होता है जो न केवल ज्ञान देता है, अपितु शिक्षार्थियों को प्रभावित करता एवं उनके व्यक्तित्व का निर्माण भी करता है। वैयक्तिक एवं सामाजिक विकास के रूप में हम जो कुछ परिणाम सुनिश्चित करना चाहते हैं तथा इस दृष्टि से यह उचित ही कहा गया है कि अध्यापकों की शिक्षा में विनिवेश का बहुत अधिक लाभ मिल सकता है क्योंकि लाखों लोगों की शैक्षिक प्रगति की तुलना में इसमें अपेक्षित वित्तीय संसाधन बहुत कम लगता है। कोलमैन और जैक्स के अध्ययनों (1966) के बाद के शोधों से यह पता चलता है कि विद्‍यालय की अपेक्षा एक शिक्षक व्यक्तिगत रूप में अपने विद्‍यार्थियों पर शक्तिशाली प्रभाव डाल सकता है। सैकड़ों विद्‍यालयों के दस हजार से अधिक विद्‍यार्थियों की उपलब्धि प्राप्तांकों के विश्लेषण से सैंडर्स तथा हार्न (1994), राइट, हार्न एण्ड सैंडर्स (1997) और पाण्डेय (1999) इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि विद्‍यार्थियों के सीखने में शिक्षक ही सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण कारक होता है।

इस संबंध में निश्चयात्मक साक्ष्य के बावजूद यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि स्वातंत्र्योत्तर काल में शिक्षकों की व्यावसायिक शिक्षा अपेक्षाकृत बड़ी उपेक्षित रही है। हमारी आबादी एक

अरब से अधिक हो गई है और हमने जीवन के हर एक क्षेत्र में ठोस उन्नति की है। स्वतंत्रता के पश्चात् हमारी शैक्षिक व्यवस्था में हर स्तर पर कई गुना विस्तार हुआ है, किंतु यह उत्थान केवल मात्रात्मक उत्थान बनकर ही रह गया है। चाहे वह प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च या अध्यापक-शिक्षा ही क्यों न हो, सभी जगह शैक्षिक अनावृत्तियों, शैक्षिक प्रक्रियाओं तथा उनसे संबंधित उत्पादों में गुणवत्ता की न्यूनता है।

विद्यालयीय शिक्षा की गुणवत्ता में शिक्षक कारक की भूमिका पर जोर देते हुए प्रोग्राम ऑफ एक्शन (1986) और पुनः संशोधित कार्य योजना (1992) ने निम्नांकित को दर्शाया था :

- जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण पाने वाले अध्यापकों को इन संस्थानों में उपलब्ध सुविधाओं का प्रयोग करते हुए तथा उन सामग्रियों को शैक्षणिक संसाधन की भांति प्रयोग करते हुए उनके स्वयं के कार्यक्रमों को विकसित करने में प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- प्रशिक्षण के हर स्तर पर सेवाकालीन शैक्षिक कार्यक्रमों एवं अन्य शैक्षिक कार्मिकों को योजित एवं प्रायोजित करने की दृष्टि से अनुश्रवण तथा मूल्यांकन के संबंध में राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् की प्रमुख भूमिका होगी।
- शिक्षा और संस्कृति, कार्यानुभव, शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद के एकीकरण समेत भारत की एकता की समस्याओं तथा एकीकरण पर जोर दिया जाएगा।

1986 के बाद से निम्नलिखित प्रगति हुई है :

- उत्तर प्रदेश सहित सभी राज्यों में तथा प्रायः सभी जिलों में डाइट की स्थापना हुई हैं।
- प्राथमिकता के क्षेत्रों—जैसे सुविधावंचित तथा विकलांग बालकों की शिक्षा, शैक्षिक प्रौद्योगिकी तथा कंप्यूटर साक्षरता को महत्त्व दिया जा रहा है। नए सिरे से चार वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम की उपयोगिता (उपादेयता) पर भी अब विचार किया जा रहा है।

यह माना जा सकता है कि राष्ट्रीय स्तर पर एन.सी.टी.ई. की, राज्य स्तर पर एस.सी.ई.आर.टी. की, जिला स्तर पर डाइट की तथा क्षेत्रीय स्तर पर सी.टी.ई. की स्थापना के फलस्वरूप अध्यापक शिक्षा के उच्चीकरण कार्यक्रमों ने अतिरिक्त ध्यान आकृष्ट किया है।

स्वातंत्र्योत्तर अवधि में विभिन्न समितियों, आयोगों तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) ने अध्यापक-शिक्षा-कार्यक्रम को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से अनेक सिफारिशें की हैं। इनमें से अधिकांश को लागू किया जा चुका है, इस क्रम में नई संस्थाएं खोली गई हैं, कई एक विद्यमान संस्थाओं को उच्चीकृत किया गया है। किंतु यहां मुश्किल से कोई टिप्पणी की जा सकती है कि किसी संस्था की स्थापना या उच्चीकरण के उद्देश्यों की प्राप्ति दोनों अलग-अलग बातें हैं।

दोनों के मध्य अंतराल में क्रमप्रपातीय प्रभाव हो सकता है। उदाहरण के लिए डाइट को ही देखिए। इनमें से कई एक स्थापित संस्थाओं का अभी भी पूर्णतः क्रियाशील होना बाकी है, कई एक आज भी निर्णायक अंतर्धारिताओं जैसे स्टाफ एवं संसाधनों की प्रतीक्षा में हैं।

राज्य में प्रारंभिक एवं माध्यमिक दोनों स्तर के स्कूलों में प्रशिक्षित शिक्षकों की मांग को पूरा करने के लिए कई शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थाएं हैं। अनेक शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थाएं जैसे शिशु शिक्षक प्रशिक्षण तथा माध्यमिक स्तर शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाएं जिनमें शिक्षा महाविद्यालय और कई विशेष राजकीय संस्थाएं भी हैं, राज्य की शिक्षक-निर्माण व्यवस्था में अवदान कर रही हैं। डाइट तथा आई.ए.एस.ई. की स्थापना से अध्यापक-शिक्षा का परिदृश्य सुधरा है और इससे राज्य की सेवापूर्ण एवं सेवारत अध्यापक शिक्षा की जरूरतों को पूरा करने में राज्य की सामर्थ्य को बल मिला है। निम्न सारणी 7.01 से अध्यापक शिक्षा संस्थाओं की इस समय की अवस्थिति की साफ झलक मिलती है।

सारणी 7.01 : *अध्यापक शिक्षा संस्थाएं (प्रकारात्मक)*

संस्थाएं	*संख्या*	*प्रवेश क्षमता*
(अ) स्कूलपूर्व स्तर		
1. सी.टी. शिशु संस्थाएं	2	62
(ब) प्रारंभिक स्तर		
1. जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्था (डाइट) बी.टी.सी. हेतु	65	3200
2. राजकीय गृह विज्ञान संस्था सी.टी. हेतु (गृह विज्ञान)	1	34
3. शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय सी.पी.एड. हेतु (अब स्थगित)	1	145
4. अध्यापक प्रशिक्षण महाविद्यालय बधिरों हेतु (अब स्थगित)	2	20
(स) माध्यमिक स्तर		
1. बी.एड.	16	2459
महाविद्यालय (विश्वविद्यालयीय शिक्षा संकाय)	106	14480
2. एल.टी. महाविद्यालय (स्थगित)	13	1018
3. शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय डी.पी.एड. हेतु	04	175
4. अंग्रेजी भाषा शिक्षण संस्था डी.टी.ई. हेतु	01	20
5. मनोविज्ञान ब्यूरो डी.जी.पी. हेतु	01	20
(द) आई.ए.एस.ई.	03	

स्रोत : शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

7.1 विद्यालय पूर्व स्तर पर अध्यापक शिक्षा

विद्यालय पूर्व आयुवर्ग (1-5 वर्ष) की संख्या एक करोड़ तीस लाख से ज्यादा है किंतु राज्य में शिशु विद्यालयों की तथा शिशु शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं की संख्या क्रमशः 46 एवं 2 ही हैं। होनहार विद्यालय पूर्व शिक्षा के दावेदार शिशुओं के लिए यह संख्या अपर्याप्त है।

विद्यालय पूर्व अध्यापक शिक्षा अथवा शिशु अध्यापक शिक्षा उत्तर प्रदेश में सन् 1951 से नर्सरी विद्यालयों हेतु शिक्षक तैयार करने वाले एच.टी.सी. प्रशिक्षण विद्यालयों के उच्चीकरण के बाद ही प्रारंभ हुई। इस समय राज्य में मात्र दो ही राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाएं हैं। ये संस्थाएं दो-वर्षीय शिशु अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाती हैं और इनकी प्रवेश क्षमता महज 62 है। प्रशिक्षणार्थियों को सिचुएशनल प्रशिक्षण की व्यवस्था हेतु इन प्रशिक्षण-संस्थाओं को शिशुओं के आकर्षक कक्षों सहित भली-भांति सुसज्जित होना चाहिए। एक शिशु प्रशिक्षण संस्थान भाड़े के भवन में चलाया जा रहा है। इसके पास दो पढ़ाने के कक्ष, स्टाफ तथा पुस्तकालय हेतु एक कक्ष, संगीत तथा शिल्प हेतु एक ही कक्ष है, जो मूलभूत जरूरतों को पूरा करने में अत्यंत अपर्याप्त है। दूसरे संस्थान के पास एक प्रधानाचार्य का तथा एक उनके कार्यालय का कक्ष और दो खुले मैदान हैं। इस संस्थान के पास नर्सरी प्रैक्टिस हेतु एक स्कूल है जिसमें तीन कमरे, एक हाल तथा एक बरामदा भी है। छात्रावास की सुविधा उपलब्ध है किंतु अत्यंत अपर्याप्त। स्टाफ के लिए आवासीय सुविधा नहीं है। परिसर में प्राथमिक उपचार उपलब्ध है। कुल मिलाकर यह नहीं कहा जा सकता है कि यह एक आदर्श (माडल) नर्सरी अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान है।

यहां न कोई रोजगार और परामर्श की सुविधा, न ही रोजगार पाए हुए जनों का कोई अभिलेख ही है। प्रशिक्षणार्थियों का कोई (यूनियन-जैसा) संगठन भी नहीं है।

यह नर्सरी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सी.टी. (नर्सरी) कोर्स कहलाता है। नर्सरी शिक्षक प्रशिक्षण की विषय सूचियां अनौपचारिक व्यवस्था (non-formal system) से संबंधित हैं। अध्यापकों से अपेक्षा की जाती है कि वे दो से पांच वर्ष के आयुवर्ग के शिशुओं को स्वतंत्रतापूर्वक खेलना, घूमना-फिरना सिखाएं तथा वे शिशु वातावरण और अंतर्दृष्टि से सीखें, पर यह सुलभ नहीं है और एक अव्यवस्थित वातावरण में अध्यापक-प्रशिक्षक को प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण देना पड़ता है।

इन पाठ्यक्रम में प्रवेश की न्यूनतम अर्हता इंटरमीडिएट या समकक्ष है। प्रवेश परीक्षाएं रजिस्ट्रार, विभागीय परीक्षाएं, आयोजित करते हैं। तदुपरांत योग्यता सूची बनाकर प्रवेश की कार्रवाई हेतु संस्थानों को भेजी जाती है। संस्थानों के प्रधानाचार्यों द्वारा प्रवेश की प्रक्रिया पूरी की जाती है। विभागीय परीक्षाएं भी उत्तर प्रदेश के रजिस्ट्रार ही संचालित करते हैं और सफल अभ्यर्थियों को प्रमाण-पत्र देते हैं।

सी.टी. प्रशिक्षु अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण तकनीक के तौर पर विचार-विमर्श, शिशु-गीत, कहानियों, वाद-विवाद, व्याख्यान प्रदर्शन तथा अन्योन्य क्रियाकलाप प्रयोग में लाए जाते हैं। वातावरण अध्ययन के निमित्त दृश्य श्रव्य उपकरणों जैसे चार्ट, कठपुतली प्रदर्शन, प्रोजेक्टर, फिल्मस्ट्रिप और कटिंग का प्रयोग किया जाता है। मैदानी अध्ययन के लिए विभिन्न विद्यालयों तथा मनोविज्ञान ब्यूरो का चयन किया जाता है।

विषयों की प्रस्तुति के दौरान कक्षा-कक्ष की अंतः क्रियाएं, विमर्श तथा वाद-विवादों का व्यवहार-तकनीक के रूप में प्रयोग होता है। दृश्य-श्रव्य उपकरणों तथा और भी दूसरी

शिक्षण-सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। प्रशिक्षुओं के शिक्षक शैक्षिक प्रमाण के जरिए पाठ्‌यक्रम व्यवहृत करते हैं। एक प्रशिक्षु शिक्षक को नर्सरी विद्‌यालय में विभिन्न आयुवर्ग के बालकों को सोलह पाठ पढ़ाने पड़ते हैं।

इन नर्सरी-प्रशिक्षण पाठ्‌यक्रमों के प्रशिक्षुओं में शैक्षिक सक्षमता की न्यूनता होती है और वे अध्यापक की नई भूमिका वहन करने को प्रायः आधे-अधूरे सज्जित तथा आधे-अधूरे ही तैयार होते हैं। इनमें से अधिकांश में अपने कार्य को गंभीरतापूर्वक करने के लिए अभिप्रेरणा की कमी होती है और वे पाठ्‌यक्रम के अंत में प्रमाणपत्र प्राप्त कर लेने के वास्ते मात्र इसमें बहते चले जाते हैं। अनुक्रियाओं से प्रकट होता है कि इन नर्सरी प्रशिक्षण संस्थानों में पिछले सात वर्षों में कोई नवाचारित कार्य नहीं किया गया है।

मानव विकास संसाधन की रणनीति में प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा एक निर्णायक अंतर्धारिता है। इसके कार्य हैं :

- पोषक की भांति काम और प्राथमिक शिक्षा के लिए कार्यक्रम का समर्थन।
- समाज के सुविधावंचित वर्ग की काम करने वाली महिलाओं के लिए सेवा समर्थन का काम।

इस परिप्रेक्ष्य में उद्‌देश्य प्राप्ति हेतु उत्तर प्रदेश शासन ने निम्न रणनीतियों को अपनाया है:

- प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा में लगे कर्मियों का प्रशिक्षण।
- गर्भवती महिलाओं और बच्चों की नियमित स्वास्थ्य परीक्षण तथा अनुपरीक्षण सेवाएं।
- बच्चों की पौष्टिक स्थिति के तारतम्य में दैनिक पूरक पौष्टिकता का प्रावधान भी इसमें सम्मिलित हैं।
- कर्मियों को एस.सी.ई.आर.टी./एस.आर.सी./डाइट्‌स तथा विश्व बैंक परियोजना के माध्यम से प्राविधिक संसाधन सहायता या समर्थन है।

पूर्व प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के गुणात्मक सुधार के लिए पैतृक एवं सामुदायिक सहायता, बच्चों के लिए शैक्षिक सामग्रियों की आपूर्ति, खेलविधि का प्रयोग, तीनों को प्रारंभ में ही पढ़ाने को हतोत्साहित करना और अनुश्रवण व्यवस्था आवश्यक है।

7.2 प्रारंभिक शिक्षा हेतु सेवापूर्व अध्यापक शिक्षा

राज्य में जब प्रारंभिक स्तर के शिक्षक की शिक्षा प्रारंभ हुई तब प्रारंभिक एवं उच्च प्रारंभिक स्तर के शिक्षकों को तैयार करने के वास्ते ये पाठ्‌यक्रम चलाए जाते रहे – वर्नाक्यूलर टीचर सर्टिफिकेट (वी.टी.सी.) और बाद में हिन्दुस्तानी टीचर सर्टिफिकेट पाठ्‌यक्रम (एच.टी.सी.) तदंतर जिसे बेसिक टीचिंग सर्टिफिकेट (बी.टी.सी.) में बदल दिया गया, सी.टी. (नर्सरी), सी.टी. (गृह विज्ञान) और शारीरिक शिक्षा सर्टिफिकेट (सी.पी.एड.)।

इस समय 65 डाइट्स बी.टी.सी. पाठ्यक्रम चलाते हैं जबकि दो सी.टी. नर्सरी महाविद्यालय तथा एक गृह विज्ञान सी.टी. महाविद्यालय प्रारंभिक स्तर के प्रशिक्षित अध्यापक तैयार करने के लिए उत्तरदाई हैं। इस समय सी.पी.एड. तथा बधिरों के लिए टीचर ट्रेनिंग कॉलेज नहीं हैं।

7.2.1 डाइट्स की भूमिका और कार्य

शिक्षा की राष्ट्रीय नीति तथा प्रोग्राम ऑफ एक्शन (1986) की अनुसंशाओं के आधार पर राज्य के विभिन्न जिलों में डाइट्स की चरणबद्ध स्थापना की गई है।

डाइट्स पर एस.सी.ई.आर.टी. का सीधा नियंत्रण है और वे राज्य सरकार के शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त है। रजिस्ट्रार, विभागीय परीक्षाएं इनकी प्रवेश-परीक्षा से लेकर अंतिम परीक्षा तक सभी परीक्षाएं संचालित करते हैं और प्रशिक्षण के सफलतापूर्वक पूरा कर लेने पर प्रशिक्षणार्थियों को बेसिक टीचर सर्टिफिकेट जारी करते हैं।

शिक्षा में गुणात्मक सुधार के निमित्त राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय अभिकरणों जैसे एन.सी.ई. आर.टी., नीपा और एस.सी.ई.आर.टी. के अलावा डाइट तीसरा जिला स्तरीय अनुपोषण निकाय है। (1) प्रारंभिक/प्राथमिक शिक्षा के वैश्वीकरण और (2) 15 से 35 वर्ष आयुवर्ग की क्रियात्मक साक्षरता के संबंध में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के विशेष संदर्भ में प्रारंभिक एवं प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्रों में विभिन्न रणनीतियों एवं कार्यक्रमों की सफलता के लिए निचले स्तर पर शैक्षिक तथा संसाधन-सहायता मुहैया कराना डाइट का मिशन है।

विद्यालयीय शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए छात्राध्यापकों, उनके माता-पिता एवं समुदायों के प्रति तथा अपने स्वयं के पेशे के प्रति अध्यापक का उत्तरदायित्व आवश्यक है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना और जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के माध्यम से राज्य सरकार ने निम्नांकित रणनीतियों का प्रयोग करते हुए प्राथमिक स्तर पर अध्यापकों की कमी तथा नियमित अध्यापकों के असंगत वितरण जैसी समस्याओं को हल करने का प्रयास किया है :

- वर्तमान रिक्तियों को भर करके।
- वर्तमान अध्यापकों को पुनः स्थानांतरित करके।
- सह शिक्षकों की नियुक्ति करके जो समुदायों द्वारा चयनित एवं पर्यवेक्षित होंगे।
- परियोजना के तहत मुख्य नवाचारों में वैकल्पिक विद्यालयीय के विकल्प शामिल होंगे जो एकाकी झोपड़ियों के स्कूल न जाने वाले लगभग 18,00,000 बच्चों तक पहुंच आश्वस्त करने में सहायता करेंगे और बालिका-शिक्षा के निमित्त निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने में सहायक होंगी।
- नियमित अध्यापकों की अपेक्षा वैकल्पिक शिक्षक अधिक उत्साहपूर्वक काम करते हैं।
- वे माध्यमिक स्तर तक योग्यता रखते हैं।
- उन्हें 30 दिनों का प्रेरणा प्रशिक्षण और उसके बाद प्रतिवर्ष 15 दिनों का रिफ्रेशर प्रशिक्षण दिया जाता है।
- उन्हें सतत क्लासरूम अनुगमन तथा सहायता दी जा रही है।

- सह-शिक्षक की सेवाएं जारी रखने हेतु अभिप्रेरित करने तथा समुदाय को अच्छी सेवाएं प्रदान करने के लिए योग्यता संवर्धन का मौका दिया जाता है।
- वैकल्पिक विद्‍यालयीय व्यवस्था के माध्यम से विद्‍यालयीय शिक्षा की गुणवत्ता के संगत स्तर को निश्चित करने हेतु अध्यापकों की सहायता से यथेष्ट प्रबंध किए गए हैं। औपचारिक विद्‍यालयों की अपेक्षा इन विकल्पों में जाने वाले बच्चे नियमित स्कूलिंग व्यवस्था की मुख्य धारा में आ जाते हैं।
- अध्यापकों की कमी की समस्या को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने डाइट्स के तहत बी.टी.सी. पाठ्‍यक्रम में प्रशिक्षणार्थियों की संख्या 50 से बढ़ाकर 100 कर दी है।
- बी.टी.सी. अध्यापकों की अनुपलब्धता की स्थिति में अध्यापकों की कमी को पूरा करने के लिए प्राथमिक विद्‍यालयों के रिक्त स्थानों को एल.टी. और बी.एड. अध्यापकों से भरा जाता है।
- शिक्षण की गुणवत्ता सुधारने और अधिगम उपलब्धि-स्तर को बढ़ाने के लिए परियोजना समग्र प्रशिक्षण कार्यक्रम को वित्तीय सहायता देती है, जो अध्यापक विकास के लिए सतत सहायता, अध्यापकों, वैकल्पिक-शिक्षकों और वैकल्पिक स्कूलिंग शिक्षण को अनुगमन व्यावसायिक सहायता प्रदान करता है। उन तमाम परियोजना जिलों में जो बच्चे पाठ्‍य-पुस्तकें नहीं ले सकते हैं के लिए बुक-बैंक का प्रावधान तथा उन्नत शिक्षण सामग्रियों को विकसित एवं आपूर्ति करने के लिए भी कदम उठाए हैं।

परियोजना के अंतर्गत, अध्यापक-प्रशिक्षण शोध, शिशु देखरेख एवं शिक्षा, वैकल्पिक विद्‍यालयीय कार्यक्रमों को लागू करने और सामुदायिक लामबंदी में सहायता प्रदान करने में योग्य गैर सरकारी संगठन एक भूमिका अदा करते हैं। परियोजना ने प्राथमिक शिक्षा प्रबंधन के लिए राज्य, जिला और उप जिला स्तर की सामर्थ्य को मजबूत किया है।

- सबके लिए शिक्षा के तहत प्रत्येक प्राथमिक अध्यापक हर वर्ष 8 दिनों का सेवारत प्रशिक्षण प्राप्त करता है।
- डाइट्स के द्‍वारा अध्यापकों को दो वर्ष तक सेवापूर्व प्रशिक्षण दिया जाता है।
- स्वसूचना और अनुपस्थिति के आधार पर शोध बताते हैं कि भारत में अध्यापक कम अभिप्रेरित होते हैं।
- *लाकहेड और वर्सपूअर (1991) के अनुसार इस संबंध में खराब काम की दशाएं,* निम्न स्तर और वृत्तिक प्रगति एवं उन्नति के सीमित अवसर सबसे महत्त्वपूर्ण कारक हैं। यह कहना अनावश्यक है कि उत्तर प्रदेश में नियमित उपस्थिति सहित अच्छा कार्य करने के लिए प्रोत्साहनों में सुधार करना एक महत्त्वपूर्ण चुनौती है। यहां तक कि

कुशल अध्यापक भी प्रभावहीन हैं यदि विद्यालयों में नियमित उपस्थिति नहीं है (विश्व बैंक, 1997)।

- अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए यह आवश्यक है कि अध्यापकों की शिकायतें दूर की जाएं। उदाहरणार्थ, सेवा-पुस्तिका की पूर्णता, यात्रा-व्यय का भुगतान, चिकित्सा-व्यय की प्रतिपूर्ति और भविष्य-निधि एवं पेंशन के कागजों को पूरा करना – ये कुछ बहुत महत्त्वपूर्ण पहलू हैं जिन पर ध्यान देने की अपेक्षा है।

7.2.2 बहुकक्षा शिक्षण

ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत से एकल विद्यालय हैं। एक ही अध्यापक को कक्षा के 70-80 विद्यार्थियों को पढ़ाना पड़ता है। अध्यापक का काम केवल अनुशासन बनाए रखने तक ही सीमित हो जाता है और वह अध्यापन अधिगम की स्थितियों को सुधारने में असमर्थ हो जाता है। गुणवत्ता सुधार के कार्यक्रम में यह प्रावधान जरूर होना चाहिए कि इन विद्यालयों में कम से कम एक अध्यापक और हो। यह सुनिश्चित करने का हर प्रयास होना चाहिए कि प्रत्येक विद्यालय में दो में से एक अध्यापिका रहे। इसके लिए अलग-अलग क्षेत्रों में परिस्थितियों के अनुसार स्थानीय शिक्षित महिला का चयन किया जा सकता है। चयनित महिलाओं के विशेष प्रशिक्षण तथा योग्यता सुधार के अवसरों का प्रावधान होना चाहिए। यही रणनीति दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुष अध्यापकों के लिए भी आवश्यक हो सकती है।

अध्यापकों को सहायता पहुंचाने हेतु बहुस्तरीय व्यवस्था का परीक्षण किया गया है और बहुकक्षा शिक्षण की स्थितियों के अध्यापकों को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए सामग्रियों का एक व्यापक पैकेज तैयार किया गया है। बी.ई.पी. जनपदों में, सेवारत-अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रथम चक्र में विभिन्न दृष्टिकोणों से विचार विमर्श किया गया है जैसे बहुकक्षा शिक्षण के वास्ते कक्षा में बैठने की व्यवस्था, पीअर लीडर्स की भूमिका, मानीटर्स, समूह अधिगम, विषय-शिक्षण तथा अभ्यासों/क्रियाओं के लिए समय योजना तैयार करना, एक दिन की पाठ-योजना तैयार करना, शिक्षण रणनीतियां आदि। अध्यापकों से अपेक्षा की गई कि वे प्रशिक्षण के दौरान अपनी स्थिति को खूब परखेंगे और विमर्श करेंगे तथा स्वयं के उपयोग हेतु एक विस्तृत प्लान तैयार करेंगे।

सेवारत अध्यापक प्रशिक्षण खासकर प्रशिक्षण के द्वितीय एवं तृतीय चक्र में, डी.पी.ई.पी. II तथा III के अंतर्गत बहुकक्षा शिक्षण का मुद्दा भी केंद्र में रखा गया है। अध्यापक प्रशिक्षण पैकेज अध्यापकों को विभिन्न प्रबंधकीय मुद्दे भी दर्शाते हैं जैसे समय, सामग्री-संसाधन, कक्षा-संगठन, समूह-अधिगम, पाठ योजना, अध्यापन-समय तथा उपलब्ध-संसाधनों का अधिकतम उपयोग, शिक्षण अधिगम रणनीतियां आदि। प्रशिक्षण के तृतीय चक्र में अध्यापकों से अपेक्षित था

कि विषय सूची, स्तर विशेष सामग्री और कक्षा की पाठ योजना, स्वयं के उपयोग तथा वास्तविक कक्षा की स्थितियों में अभ्यासार्थ तैयार करें।

7.2.3 अध्यापक अभिप्रेरणा

अभिप्रेरणा सुनिश्चित करने की दृष्टि से प्राथमिक अध्यापकों को उनकी गुणवत्ता या अच्छा परिणाम प्रदर्शन के आधार पर जिला स्तर पर रु. 500/- का दक्षता पुरस्कार दिया जाता है। यह परियोजना न केवल पहाड़ी बल्कि मैदानी क्षेत्रों में भी लागू है।

प्रादेशिक और राष्ट्रीय स्तर पर भी अध्यापकों को पुरस्कार दिए जाते हैं। इस योजना के अंतर्गत प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के कुछ चुने हुए अध्यापक राज्य तथा केंद्रीय सरकारों द्वारा पुरस्कार पाते और सम्मानित होते हैं। चयनित अध्यापकों को ऊनी शाल, पदक, प्रमाणपत्र तथा बीस हजार रुपए का चैक प्रदान किया जाता है।

7.3 माध्यमिक शिक्षा के लिए सेवापूर्व अध्यापक शिक्षा

7.3.1 शिक्षक शिक्षा संस्थाएं

प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में माध्यमिक स्तर के लिए प्रशिक्षित अध्यापक तैयार करने के लिए राज्य विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण संस्थान चलाता रहा है। इन्हें निम्नोक्तानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है :

1. बी.एड. महाविद्यालय
   (क) विश्वविद्यालयों से संबद्ध
   (ख) विश्वविद्यालयों के शिक्षा-संकाय
   (ग) स्वायत्तशासी शिक्षा महाविद्यालय
2. एल.टी. प्रशिक्षण महाविद्यालय (जो अब बंद हो गए)
   (क) कला एवं विज्ञान धारा के लिए सी.पी.आई.
   (ख) राजकीय महिला एल.टी. महाविद्यालय
   (ग) राजकीय महिला गृह विज्ञान प्रशिक्षण महाविद्यालय
   (घ) राजकीय बेसिक एल.टी. प्रशिक्षण महाविद्यालय
   (ङ) राजकीय रचनात्मक एल.टी. प्रशिक्षण महाविद्यालय
   (च) अन्य व्यक्तिगत एल.टी. महाविद्यालय सामान्य धारा के लिए।

इन प्राइवेट महाविद्यालयों ने एल.टी. प्रशिक्षण के स्थान पर अब बी.एड. कोर्स का स्थान ले लिया है।

3. दूसरे संस्थान जो निम्न कोर्स प्रदान करते हैं :
   (क) डी.पी.एड. डिप्लोमा
   (ख) मनोविज्ञान परामर्श में डिप्लोमा
   (ग) अंग्रेजी भाषा शिक्षण में डिप्लोमा।

राज्य में कुल 105 शिक्षा महाविद्‌यालय हैं। ये उसी विश्वविद्‌यालय से संबद्‌ध हैं, जिसके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर अवस्थित हैं। इसके अलावा, 16 विश्वविद्‌यालय शिक्षा संकाय और तीन आई.एस.ई. हैं जिनमें से एक को अब आई.ए.एस.ई. श्रेणी में उच्चीकृत किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में प्रायः ये महाविद्‌यालय या तो शिक्षा महाविद्‌यालयों के अंग हैं था समाज विज्ञान संकाय के अंग हैं। 71 में से 19 ऐसे महाविद्‌यालय हैं जो शिक्षा महाविद्‌यालयों के अंग हैं जहां बी.एड. के साथ एम.फिल. तथा पी-एच.डी. कार्यक्रम चलते हैं। 52 संस्थाएं ऐसी हैं जहां केवल बी.एड. पाठ्‌यक्रम चलाए जाते हैं। इनमें से 10 महिलाओं के प्रशिक्षण हेतु हैं तथा तीन स्वायत्तशासी संस्थाएं हैं। शिक्षा-महाविद्‌यालय तथा बरेली के रूहेलखंड विश्वविद्‌यालय के शिक्षा महाविद्‌यालयों को उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थानों के रूप में उच्चीकृत कर दिया गया है। सी.पी.आई. जो अब मानविकी और समाज विज्ञान विभाग के नाम से जाना जाता है को संप्रति बतौर आई.ए.एस.ई. उच्चीकृत किया जा रहा है।

ये महाविद्‌यालय निम्नलिखित पाठ्‌यक्रम संचालित करते हैं और विभिन्न अभिगमों का अनुसरण करते हैं :

1. बी.एड.
   - (क) परंपरित अधिगम
   - (ख) गैर परंपरित अधिगम
     - ❑ सेवारत पाठ्‌यक्रम
     - ❑ समानान्तर पाठ्‌यक्रम
     - ❑ शैक्षिक आकलन
     - ❑ व्यावसायिक शिक्षा
     - ❑ विशेष शिक्षा
     - ❑ पत्राचार पाठ्‌यक्रम।
2. एम.एड.
   - (क) परंपरित अधिगम
   - (ख) गैर परंपरित अधिगम
     - ❑ सेवारत
     - ❑ व्यावसायिक शिक्षा
     - ❑ अनुप्रयुक्त
     - ❑ सेमेस्टर व्यवस्था।
3. एम.फिल.
   - (क) परंपरित अधिगम
   - (ख) गैर परंपरित अधिगम
     - ❑ व्यावसायिक।
4. पी-एच.डी.

7.3.2 प्रवेश प्रक्रिया और पाठ्यक्रम

किसी विश्वविद्यालय के बी.एड. कोर्स में प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कला, वाणिज्य और विज्ञान में स्नातक या तत्समकक्ष उपाधि। केवल वे जो बी.एड. उपाधि से विभूषित हैं, शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर अध्यापन के लिए योग्य हैं। 10+2 स्तर के लिए वे ही पढ़ाने के लिए योग्य हैं जो संबंधित विषय से स्नातकोत्तर तथा बी.एड. हों।

राज्य के सभी विश्वविद्यालय बी.एड. कोर्स में प्रवेश के लिए उनके द्वारा अनुमोदित तथा स्वीकृत नियमों एवं प्रक्रिया के अनुसार प्रवेश परीक्षा संचालित करते हैं। एक बार परीक्षा तथा प्रक्रिया विनिर्दिष्ट होती है, विश्वविद्यालय प्रत्येक संबद्ध बी.एड. के लिए स्वीकृत स्थानों के लिए योग्यता/पात्रता सूची तैयार करता है। एम.एड. में प्रवेश के लिए भी इसी तरह के प्रवेश का ढांचा लागू है। प्रवेश परीक्षाएं और विभिन्न भागों के लिए प्रदत्त अधिभार के प्रारूप की संरचना में एक विश्वविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय में विभिन्नता है।

एम.फिल. (शिक्षा) में पंजीयन के लिए एम.एड. या एम.ए. (शिक्षा) में 55 प्रतिशत लब्धांक अनिवार्य हैं। योग्यता सूची उपकृत विषय में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाती है और विद्यार्थियों का प्रवेश स्वीकृत स्थानों के अनुसार किया जाता है।

शिक्षा में पी-एच.डी. करने के लिए पंजीयन हेतु एम.एड. या एम.ए. (शिक्षा) या एम.फिल. में 55 प्रतिशत लब्धांक अनिवार्य हैं। विद्यार्थी द्वारा चयनित शोध प्रकरण अनुमोदित हो जाने के बाद ही उसका पंजीयन पी-एच.डी. कार्यक्रम के लिए होता है। पी-एच.डी. के लिए स्वीकृत स्थानों की संख्या विभिन्न विश्वविद्यालयों में संकाय की स्थितियों के अनुसार बदलती है।

जहां तक स्थानों के आरक्षण से संबंध हैं, 50 प्रतिशत स्थान सामान्य कोटि के विद्यार्थियों के लिए हैं और शेष 50 प्रतिशत निम्नलिखित श्रेणी/वर्ग के अनुसार आरक्षित कोटे के लिए अलग किया जाता है।

अनुसूचित जाति	21 प्रतिशत
अनुसूचित जनजाति	2 प्रतिशत
दूसरी पिछड़ी जाति	27 प्रतिशत
विकलांग	2 प्रतिशत

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और कार्य योजना 1986 की घोषणा होने के बाद प्रवेश परीक्षा चालू करने की वर्तमान नीति अपनाई गई। प्रवेश परीक्षाएं 1989-90 में शुरू की गईं और ये अत्याधिक प्रभावशाली साबित हुई हैं।

7.3.3 माध्यमिक स्तर पर सेवारत शिक्षक शिक्षा

1987 के पूर्व, माध्यमिक स्तर के अध्यापकों के लिए सेवारत कार्यक्रम सतत शिक्षा कार्यक्रम के रूप में चलाया जाता था परंतु अब विश्वविद्यालयों और कालेजों के द्वारा खास तौर से

अध्यापकों का अध्यापन विषयों में पुनर्बोधात्मक मार्गदर्शन करने के लिए तथा नवाचार अभ्यासों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए चलाए जा रहे हैं।

उपर्युक्त प्रकृति के सेवारत शिक्षा कार्यक्रम दो दिवसीय रिफ्रेशर कोर्स के रूप में संपूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी द्वारा चलाए जाते हैं। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी द्वारा सेवारत अध्यापकों के लिए स्ववित्त पोषित दो छमाही कोर्स चलाया जाता था जो अब बंद हो गया है। शिक्षा के उच्च अध्ययन संस्थान (आई.ए.एस.ई.), लखनऊ तथा बरेली में माध्यमिक स्तर के शिक्षकों के लिए सेवारत कोर्स अभी हाल में चलाना शुरू किया है। लखनऊ विश्वविद्यालय ने भी पर्यावरणीय शिक्षा में रिफ्रेशर कोर्स प्रारंभ किया है।

कुछ दशकों से राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (एस.सी.ई.आर.टी.), लखनऊ तथा उसके विभिन्न विभाग और विशेष संस्थान अपनी विशेषता के क्षेत्र में कुछ सेवारत कार्यक्रम चला रहे हैं।

स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में किए गए शोध से स्पष्ट है कि विद्यार्थियों की संप्राप्ति का स्तर न केवल उत्तर प्रदेश में अपितु देश के बहुतेरे अन्य राज्यों में भी बहुत निम्न है। विद्यार्थियों में अधिगम के न्यूनतम स्वीकार्य स्तर सुनिश्चित करने के लिए वृहद स्तर पर सेवारत अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम चालू करना पड़ेगा। ब्लाक संसाधन केंद्रों और न्याय पंचायत संसाधन केंद्रों के नवसृजित शैक्षिक संरचनाओं (ढांचों) को शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम प्रभावशाली ढंग से और अध्यापकों के सेवास्थल के अति समीप में चलाने के लिए सशक्त एवं सबल बनाना होगा।

7.3.4 प्रशिक्षित माध्यमिक शिक्षकों का आच्छादन क्षेत्र – मांग और पूर्ति

माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों तथा प्रशिक्षित शिक्षकों का आच्छादित क्षेत्र – मांग और पूर्ति की स्थिति सारणी 7.02 और 7.03 में दर्शाई गई है।

सारणी 7.02 : माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों का आच्छादन क्षेत्र – नवीं पंचवर्षीय योजनांतर्गत सेवारत शिक्षक शिक्षा

वर्ष	*उद्देश्य*	*अवधि*
1997-98	पाठ्यक्रम मंजूषाओं का विकास एवं प्रकाशन	1 वर्ष
1998-99	20,000 अध्यापकों का प्रशिक्षण	6 दिवसीय
1999-2000	तथैव	4 दिवसीय
2000-2001	तथैव	4 दिवसीय
2001-2002	तथैव	4 दिवसीय

स्रोत : *उत्तर प्रदेश में शिक्षक शिक्षा पर राज्यों का अध्ययन,* एन.सी.टी.ई. का प्रकाशन (1999)।

सारणी 7.03 : *प्रशिक्षित अध्यापक — मांग और पूर्ति (1997-2002)*

वर्ष	प्राथमिक स्तर			माध्यमिक स्तर		
	मांग	पूर्ति	अंतर	मांग	पूर्ति	अंतर
1996-97	4400	4424	+24	1350	18107	+16757
1997-98	4445	4424	-21	1350	18107	+16757
1998-99	4591	4424	-167	1377	18107	+16730
1999-2000	4636	4424	-212	1391	18107	+16716
2000-2001	4683	4424	-259	1405	18107	+16702
2001-2002	4730	4424	-306	1419	18107	+16688

स्रोत : राज्य शिक्षा विभाग, उ.प्र.।

प्रदत्त से अभिव्यक्त है कि प्रारंभिक स्तर के प्रशिक्षित अध्यापकों की तैयार मात्रा को पहले से बढ़े हुए प्रशिक्षित अध्यापकों के अतिरिक्त समूहों को सेवा में योजित करते हुए राज्य की आवश्यकताओं के साथ समायोजित करना होगा।

माध्यमिक स्तर के प्रशिक्षित अध्यापकों की संख्या मांग से बहुत अधिक है जो राज्य की आवश्यकताओं से बहुत अधिक मेल नहीं खाती है। यद्यपि प्रशिक्षित बी.एड. का थोड़ा हिस्सा दूसरी सेवाओं में नियुक्ति पाने का प्रयास कर रहा है तथा उच्चतर कोर्स जैसे एम.एड. और पी-एच.डी. आदि में भी प्रवेश लेता है, तथापि ऐसे प्रशिक्षित अध्यापकों का बहुत बड़ा भाग बेकार पड़ा है। यहां मानव के समुचित नियोजन का गंभीर मामला विद्यमान है। राज्य सरकार को केंद्रीय सरकार की सहायता से इन समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करना चाहिए।

7.4 मुद्दे

भारतीय अनुभव तथा अंतर्राष्ट्रीय शोध दृढ़ साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं कि अध्यापक गुणवत्ता के लिए प्रतिपत्रों जैसे प्रमाणन का प्रकार, सेवापूर्व-शिक्षा या वेतन प्रतिरूपी, विद्यार्थी-अधिगम से संबंधित नहीं है (हानुशेक 1994 एवं किंगडम 1996)। जो वास्तव में महत्त्व रखता है वह है अध्यापक का विषय-ज्ञान (फुलर एवं क्लार्क, 1994)। भारत में अपेक्षाकृत अध्यापकों की औपचारिक उच्च स्तरीय सेवापूर्व शिक्षा के बावजूद बहुत से अध्यापकों में विषय-ज्ञान की दृष्टि से मजबूत बुनियाद की कमी होती है। उदाहरण के लिए तमिलनाडु में स्तर 4 के मात्र आधे अध्यापक ही स्तर 4 की गणित-ज्ञान की परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों में से 80 प्रतिशत सही उत्तर दे पाए (बशीर, 1994)।

तद्नुसार इस संबंध में अध्यापक का ज्ञान सुधारने और उपयुक्त दखल की योजना के द्वारा छात्र अधिगम के प्रतिफल को सुधारने की ओर भविष्य में शोध होने चाहिए। जहां तक विद्यालय पाठ्यचर्या पर आधारित पाठ्यक्रमों में चुने हुए महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संबंध है, विश्वविद्यालयों, शिक्षा महाविद्यालयों और डाइट्स की महत्त्वपूर्ण भूमिका है।

अध्यापक के अन्य गुण जो अधिगम तथा विद्यालयीय शिक्षा की गुणवत्ता में अंशदान करते हैं अध्यापकीय कौशल तथा सक्षमताएं हैं जिन्हें वह छात्र मित्रवत् रणनीतियों तथा विधियों के अभिकल्पन, क्रियान्वयन तथा प्रभावों एवं संघटनों के मूल्यांकन के संबंध में प्रयुक्त करता है। सेवापूर्व तथा सेवारत-दोनों प्रशिक्षण कार्यक्रमों को इस तरह संगठित किया जाए कि शिक्षण कौशल खासकर बातचीत के कौशल का अध्यापक प्रशिक्षु के व्यावहारिक भंडारों का पर्याप्त एवं प्रभावी विकास हो। यह देखकर आश्चर्य होता है कि भारतीय मामले में इस संबंध में शुक्ला एवं अन्य (1994) के शोध इंगित करते हैं कि सेवापूर्व अध्यापक प्रशिक्षण, अध्यापकों की अर्हताओं और सेवारत प्रशिक्षण अधिगम उपलब्धि से कदाचित संबद्ध नहीं हैं। वर्तमान परिदृश्य में सेवापूर्व स्तरों पर अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम के सूक्ष्म परीक्षण से प्रकट होता है कि शिक्षण अभ्यास तथा अध्यापकों की जरूरतों को पूरा करने के कौशल पर यह न प्रतिबल प्रदान करता, न ही जोर देता है।

अतएव अध्यापक की विशेषताओं से जुड़े हुए मुद्दों को इस प्रकार निर्देशित किया जा सकता है :

- ❑ सेवापूर्व शिक्षा के द्वारा अध्यापक की ज्ञान-बुनियाद को सुधारना।
- ❑ शिक्षण कौशल तथा क्षमताओं के संबंध में सेवापूर्व एवं सेवारत अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारना।
- ❑ माध्यमिक स्तर पर कार्यनिष्पादन, प्रोत्साहनों एवं बेहतर कार्य की दशाओं के माध्यम से अध्यापकों की अभिप्रेरणा तथा संकल्प स्तर को सुधारना।
- ❑ बहुस्तरीय, बहुभाषीय और बहुपृष्ठभूमीय स्थितियों के घटकों को संबंधित करने के लिए प्रस्तावित पैकेजयुक्त दखलों को समाविष्ट करके प्रशिक्षण कार्यक्रमों का सुधार करना।
- ❑ क्रियात्मक शोध तथा नवाचारित रणनीतियों के प्रयोग के माध्यम से अध्यापकों के कौशल स्तर को, उन्हें योजना बनाने, उसे अपनाने और दीर्घकालिक विकास का प्रबंधन करने हेतु सुधारना।
- ❑ संगठनात्मक लोकाचार और विद्यालय के शैक्षिक वातावरण के सुधार की दृष्टि से क्षमता-निर्माण के सतत कार्यक्रम के प्रति अध्यापकों में खुलाव लाना।

राष्ट्रीय परिदृश्य में, माध्यमिक अध्यापकों की एक ऐसी सारभूत संख्या है जो अप्रशिक्षित या न्यून-प्रशिक्षित कोटि से संबंध रखती है। कुछ निश्चित क्षेत्रों जैसे उत्तर-पूर्व में, यहां तक कि न्यून अर्ह अध्यापक भी हैं। जहां तक अध्यापक की शैक्षिक और व्यावसायिक अर्हता का संबंध है उत्तर प्रदेश राज्य में विशेषकर राजकीय एवं शासन द्वारा अनुदानित विद्यालयों की प्राप्य स्थिति अपेक्षाकृत बहुत अच्छी होती है। तो भी, सेवारत शिक्षा के संबंध में स्थिति कुछ अंश तक भयानक है। भारत सरकार के आकलन के अनुसार औसत 40 अध्यापकों

को सेवारत शिक्षा पांच वर्षों में एक बार प्रदान की जाती है। अनौपचारिक शिक्षा के संबंध में अध्यापकों तथा व्यवस्था के लिए अन्य कमियों को तैयार किए जाने में अभी बहुत कुछ किया जाना अपेक्षित है। तो भी, सेवारत अध्यापक प्रशिक्षण में समय, धन और ऊर्जा के रूप में होने वाले बड़े निवेश के बावजूद कुछ सैद्धान्तिक और प्रत्ययात्मक आधार (मैकलालिन एंड बर्मन, 1984) और शोध आधार (स्वेनसन, 1981) का क्षेत्र रह ही जाता है।

इस मान्य सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में कि शिक्षा की गुणवत्ता, अध्यापकों एवं अध्यापक शिक्षा व्यवस्था का सीधा प्रतिफल तथा परिणाम है, खासकर नीति निर्माताओं के स्तर पर ये टिप्पणियां बहुत से आत्मावलोकन और परावर्तन की अपेक्षा करती है। इस तथ्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है कि अध्यापक शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक बदलाव का काम सुनिश्चित किया जाना स्वयं कठिन और चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है।

विगत छः दशकों के दौरान पारंपरिक अध्यापक शिक्षा व्यवस्था को परिवर्द्धित करने और स्वदेशी बनाने के अनेक प्रयास किए गए हैं किंतु व्यवस्था कमोवेश काम करने की उसी विलक्षणता के साथ पुराने सिद्धान्तों, समान विषयसूची और अधिगमों तथा सततता एवं परिवर्तन की अनिच्छा से ग्रस्त उसी पुराने पावदान पर ठहरी हुई है। स्थिति का सबसे दुखद पहलू यह है कि एन.सी.टी.ई. के नाम से एक वैधानिक संस्था की स्थापना के बावजूद, संपूर्ण देश खासकर उत्तर प्रदेश में अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों एवं नीतियों को सुधारने के संबंध में काम की विशालता चुनौतीपूर्ण क्षेत्र है।

अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम विद्यालयीय शिक्षा के लोकाचार गुणवत्ता और विकास से घनिष्ट रूप से जुड़ा हुआ है। अपने उद्देश्य और प्रकृति में अध्यापक शिक्षा रूढ़िगत बनकर रह गई है। विशेषतः 10+2 शैक्षिक ढांचा स्वीकार करने के बाद विभिन्न विद्यालयीय व्यवस्था की जरूरतों के प्रति यह अनुत्तरदायी रह गई है। अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रमों को समग्रतः कौशल और सक्षमता आधारित न बनाकर उन्हें सिद्धान्त प्रभावित बनाने की प्रवृत्ति है। सिद्धांत तथा प्रयोगात्मक घटकों के मध्य की दरार इतनी स्पष्ट है कि सक्षम (कुशल) एवं समर्पित अध्यापकों को तैयार करने हेतु मुश्किल से कोई छाप पड़ती है। इस तरह, शिक्षा के प्राथमिक एवं माध्यमिक दोनों स्तरों पर अध्यापक तैयारी की गुणवत्ता का अपेक्षित अध्यापकीय रणनीतियों का पुनर्नवीन संदर्शो, क्षमताओं तथा मूल्य-आधारित शिक्षा के रूप में परीक्षण किया जाना चाहिए।

अध्यापक तैयारी से संबंधित मुद्दों को उत्तर प्रदेश की अध्यापक शिक्षा परिदृश्य के विशिष्ट संदर्भ में इस प्रकार रखा जा सकता है :

- सेवापूर्व अध्यापक की स्तर विशिष्ट तैयारी की नवीन अभिमुखता और आच्छादन अवश्य दिया जाना चाहिए।
- संवैधानिक आदेशों, सामाजिक रूप से सुविधावंचित एवं शारीरिक, मानसिक रूप से चुनौतियों के अधीन समूहों की जरूरतों से संबंधित नए मुद्दों में प्रत्याशित होनहार अध्यापकों को प्रेरणा पाठ्यक्रम दिए जाने चाहिए।

- अध्यापक तैयारी में सक्षमताओं के साथ ही अपेक्षित मूल्य-आधारित शिक्षा के लिए डाइट्स, आई.ए.एस.ई. और सी.टी.ई. को एस.सी.ई.आर.टी. के निर्देशन/मानीटरिंग के अंतर्गत व्यापक सक्षमता आधृत पैकेजों को तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए।

7.5 विद्यालयों में आंतरिक अकादमिक देखरेख करने की प्रक्रिया

आजकल विद्यालयों के आंतरिक अकादमिक देखरेख करने की पद्धति औपचारिक नहीं है। ऐसे क्रियाकलाप, प्रधानाचार्यों, प्रधानाध्यापकों, समन्वयकों और विद्यालय संरचना के प्रसंग में निर्मित विभिन्न समितियों द्वारा क्रियान्वित किए जाते हैं। प्राथमिक स्तर पर ब्लाक संसाधन केंद्रों, संकुल संसाधन केंद्रों के समन्वयकों से शिक्षण अधिगम क्रियाओं तथा उनकी गुणवत्ता की देखरेख करने के लिए अपेक्षा की गई है। इसके अतिरिक्त ग्राम शिक्षा समितियों को भी पंचायत स्तर पर आंतरिक देखरेख करने का दायित्व सौंपा गया है।

माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में आंतरिक अकादमिक देखरेख प्रधानाचार्यों द्वारा और विषय समितियों द्वारा नियंत्रित की जाती है जो विद्यालय स्तर पर अनौपचारिक रूप से प्रधानाचार्यों द्वारा गठित है। इसके अतिरिक्त विभिन्न पाठ्यक्रमीय क्रियाकलापों के अनुश्रवण के लिए प्रभारी शिक्षक इन कार्यक्रमों तथा क्रियाओं के विषय में नियंत्रण और समन्वय करने के लिए विनिर्दिष्ट होते हैं।

7.6 विद्यार्थियों का मूल्यांकन

7.6.1 पृष्ठभूमि

विद्यालयीय शिक्षा में गुणवत्ता संवर्धन के सबसे प्रमुख पहलुओं में से एक है। विद्यार्थी का मूल्यांकन वह क्षेत्र है जिसे नीति नियामकों तथा शिक्षा जगत के विशेषज्ञों ने विभिन्न रूपों में निरखा और परखा है। इस संबंध में जाकिर हुसैन समिति की रिपोर्ट (1938) है कि हमारे देश में चल रही परीक्षा पद्धति-शिक्षा के लिए अभिशाप सिद्ध हुई है और मुदलियार 'आयोग (1952) के विचार कि वे परीक्षाएं विद्यालयीय जीवन के संपूर्ण वातावरण पर इस तरह से व्याप्त हैं कि वे शिक्षक तथा शिक्षार्थी के स्तर पर किए जाने वाले सभी प्रयासों के लिए मुख्य प्रेरक बल है आज भी संगत मालूम पड़ते हैं। कोठारी आयोग (1964) ने भी उनकी कमजोरियों को उजागर किया जब उसने बताया कि भारत में परीक्षा पद्धति की बुराइयां हर व्यक्ति को मालूम हैं। विद्यालयीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (2000) ने खतरे की घंटी बजाकर आगाह किया है कि आदर्श कथन यह है कि जो कुछ पढ़ाया जाता है उसकी जांच की जानी चाहिए। परंतु चलन इसके विपरीत है, जो कुछ जांचा जाता है वही पढ़ाया जाता है।

दो शब्द 'मापन' और 'मूल्यांकन' कभी-कभी समानार्थी की तरह प्रयुक्त होते हैं। वस्तुतः मापन मूल्यांकन की ओर ले जाने वाली पद्धति है। एक साधन है जबकि दूसरा साध्य है।

फिर भी निर्विवाद सत्य है कि प्रभावहीन मूल्यांकन प्रक्रिया प्रायः दोषपूर्ण मूल्यांकन की ओर ले जाती है। मापन की क्रियाशील परिभाषाओं पर विचार करने पर यह परिलक्षित होता है कि मापन शिक्षण के परिणामों का संक्षिप्त, संख्यात्मक आकलन है जबकि मूल्यांकन विद्यार्थियों की प्रगति के आकलन की वृहत्तर, अधिक व्यापक एवं सही स्थायी पद्धति है। मूल्यांकन केवल ज्ञानात्मक क्षेत्र में उपलब्धियों के आकलन से ही संबंधित नहीं है अपितु उससे आगे जाता है और शिक्षण में सुधार को सम्मिलित करते हुए शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया एवं पद्धति से एकबद्ध एवं समेकित है। कुछ सामाजिक, सांस्कृतिक या वैज्ञानिक मानकों से सामान्यतया जुड़े हुए मूल्य या उपादेयता की विशिष्टताओं को प्रकट करने के लिए नैसर्गिक घटना को ये प्रतीकों से जोड़ता है। शिक्षा में यह विद्यालय के माध्यम से छात्रों की प्रगति के आधार पर उनके व्यवहारगत परिवर्तनों पर साक्ष्य इकट्ठा करने तथा उनकी व्याख्या करने की पद्धति सामान्यतया संदर्भित करता है।

7.6.2 प्रचलित पद्धति

उत्तर प्रदेश के विद्यालयों की प्रगति के मूल्यांकन की प्रचलित पद्धति शिक्षा के पूर्व प्राथमिक स्तर से लेकर उच्चतर माध्यमिक स्तर पर भिन्न-भिन्न है। पूर्व प्राथमिक स्तर के अधिकांश विद्यालय नगरीय क्षेत्रों में स्थित हैं जहां खेल के माध्यम से सीखने पर बल दिया जाता है। अतएव मूल्यांकन का आधार विद्यार्थियों की क्रियाएं होती हैं और औपचारिक परीक्षाएं लगभग नहीं ली जाती हैं, विद्यार्थियों को अंक न देकर क्रम स्तर प्रदान किया जाता है। प्राथमिक स्तर पर निचली कक्षाओं में सामान्यतः अनवरोधन नीति का अनुसरण हो रहा है जहां अध्यापकों द्वारा गृह परीक्षाएं ली जाती हैं और विद्यार्थियों को स्वतः अगली श्रेणी में प्रोन्नत किया जाता है। पांचवीं कक्षा के स्तर पर सावधि परीक्षाएं होती हैं। एक निश्चित क्षेत्र में सभी विद्यार्थियों की परीक्षा ऐसे क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों में ली जाती है। प्रायः शिक्षा विभाग के कनिष्ठ अधिकारी या प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक परीक्षा संचालित करते हैं। कक्षा 6 और 7 में उनके अध्यापकों द्वारा गृह परीक्षाएं संचालित की जाती हैं परंतु अंतिम परीक्षाफल वार्षिक परीक्षा में कार्यनिष्पादन एवं उसके परिणाम पर निर्भर है। जिला और नगर पंचायतों द्वारा संचालित विद्यालयों में आठवीं कक्षा के स्तर पर सार्वजनिक परीक्षा ली जाती हैं जिसमें व्यक्तिगत परीक्षार्थियों को भी सम्मिलित होने का अवसर दिया जाता है। पहले इस परीक्षा को वर्नाक्यूलर (स्वदेशी) मिडिल स्कूल परीक्षा के नाम से जाना जाता था और राज्य स्तर पर इसे संचालित किया जाता था। वर्तमान उच्च प्राथमिक परीक्षाएं 1951 में प्रारंभ की गईं और जिले स्तर पर संचालित की जाती थीं। यद्यपि पूरे राज्य में लिखित परीक्षाएं सामान्य थीं। व्यक्तिगत प्रबंधाधीन उच्च प्राथमिक विद्यालय आठवीं कक्षा के लिए परीक्षाएं संचालित करते थे और विद्यार्थियों को अगली श्रेणी के लिए प्रोन्नत करते थे। अब राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा यथोचित रूप से संचालित जिला स्तरीय परीक्षा ने इस प्रणाली का स्थान ले लिया है।

माध्यमिक स्तर पर द्विवर्षीय हाईस्कूल तथा तद्नुसरित द्विवर्षीय इंटरमीडिएट जो सर्वसाधारण द्वारा विद्यालय का माध्यमिक (जूनियर सेकेंड्री) और उच्चतर माध्यमिक (सीनियर सेकेंड्री) स्तर के रूप में जाना जाता है की प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा है। माध्यमिक स्तर पर सामान्य तथा तिमाही, छमाही तथा तत्पश्चात वार्षिक नाम से तीन गृह परीक्षाएं ली जाती हैं और दसवीं कक्षा में प्रोन्नति का आधार होता है, सबकी उपलब्धियों का योग। सार्वजनिक परीक्षा दसवीं कक्षा के स्तर पर ली जाती है जिसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित किया जाता है।

इसी तरह का ढांचा कक्षा 11 और 12 के लिए अपनाया जाता है। बहुत बड़ी संख्या में माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालय केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद् (सी.बी.एस.ई.) तथा भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषदों (आई.ए.एस.ई.) द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। लेकिन परीक्षा का ढांचा न्यूनाधिक वही है। दो केंद्रीय विश्वविद्यालय अपने द्वारा संचालित माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिए अपनी निजी परीक्षाएं संचालित करते हैं। परीक्षा का ढांचा, उत्तर प्रदेश परिषद् की परीक्षा के ढांचे से भिन्न है परंतु उत्तर प्रदेश परिषद् दोनों परीक्षाओं में व्यक्तिगत रूप से सम्मिलित होने की सुविधा क्रमशः आठवीं कक्षा और दसवीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद 2 वर्ष के अंतराल पर ही देती है।

पूर्व दिए गए विवरण से सुस्पष्ट है कि :

- इन परीक्षाओं में एक व्यापक और सतत मूल्यांकन की अवधारणा सन्निहित नहीं है।
- न्यूनतम अधिगम स्तर की संकल्पना केवल प्राथमिक विद्यालयों की श्रेणी 1 से 5 तक ही सीमित है तथा वह भी बहुत सीमित अर्थ में।
- प्रायः परीक्षाएं स्थापित विश्वसनीयता तथा प्रभाविकता और वैधता रहित निबंधात्मक स्वरूप में संचालित की जाती हैं। इन परीक्षाओं में वस्तुनिष्ठता तथा क्रियात्मक परीक्षणों का अभाव है।
- प्राथमिक विद्यालयों की केवल चार श्रेणियों में अनवरोधन उपागम लागू है फिर भी हाल में ही कुछ सुधार लागू किए गए हैं।
- माध्यमिक स्तर पर दसवीं कक्षा से नवीं कक्षा के कोर्स को पृथक करके कार्यभार को कम किया गया है और हाईस्कूल परीक्षा केवल दसवीं कक्षा के लिए स्वीकृत निर्धारित कोर्स पर ही आधृत है।
- इन परीक्षाओं को और अधिक सोद्देशय बनाने के लिए बाह्य परीक्षाओं में कुछ वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों को जोड़ा गया है।

7.7 अनवरोधन

शब्दावली के स्थान पर विद्यालयीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा–2000 में 'अनवरोधननीति' (न रोकने की नीति) रखा गया जिसका तात्पर्य है कि अपेक्षित शिक्षण अधिगम के घंटों के पूरा होने पर प्रत्येक विद्यार्थी अगली कक्षा में प्रोन्नति प्राप्त कर ले। शिक्षा के विविध स्तरों पर इस प्रथा के ह्रास एवं अवरोध में कमी आ सकती है। शालात्यागियों की दर में भी कमी हो सकती है क्योंकि अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों में बहुतेरे संभाव्य शालात्यागी हैं। फिर भी समुचित तैयारी के बिना अनवरोधन नीति का प्रयोग नहीं करना चाहिए।

कुछ बिंदु जिन पर ध्यान देना है, इस प्रकार हैं :

- न्यूनतम अधिगम स्तर स्थिर किया जाना चाहिए और इन स्तरों को उत्तीर्ण करना अनिवार्य बनाया जाना चाहिए।
- न्यूनतम उपस्थिति स्तर (60 प्रतिशत के दायरे में) निश्चित होना चाहिए और उसे हर विद्यार्थी को पूरा करना अनिवार्य होना चाहिए।
- यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इस स्तर के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल और दक्षताओं को विद्यार्थी प्राप्त कर ले।
- शिक्षक को गलत व्याख्या नहीं दी जानी चाहिए कि अनवरोधन वाली कक्षा में उन्हें शिक्षण कार्य में गंभीर एवं सच्ची लगन वाला होने की आवश्यकता नहीं है।
- अनवरोधन नीति का तात्पर्य 'मूल्यांकन नहीं' से नहीं है। वस्तुतः व्यापक और सतत मूल्यांकन इस कार्यक्रम का अभिन्न अंग होना चाहिए। उपचारात्मक शिक्षण कार्यक्रम द्वारा अनुमानित यथेष्ठ निदानात्मक कार्यक्रम के बिना अनवरोधन कार्यक्रम सफल एवं लाभदायक नहीं हो सकता है।

अतः अनवरोधन कार्यक्रम का सफल कार्यान्वयन के लिए गंभीर तैयारी और अनुवर्ती क्रिया की आवश्यकता है। इसलिए यह स्पष्ट है कि शिक्षा के प्राथमिक स्तर के परे इस कार्यक्रम को शुरू करना निकट भविष्य में संभव नहीं है।

7.8 व्यापक और सतत मूल्यांकन

एक पाठ्यक्रम के अंत में एक परीक्षा को अगली श्रेणी में प्रोन्नति देने का एकमात्र आधार बनाने की आलोचना शिक्षाविदों तथा विशेषज्ञों द्वारा की गई है। क्योंकि यह विद्यार्थियों को चयनित अध्ययन के लिए और प्रश्नपत्रों के संभावित विषय-वस्तु का अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यहां सफलता के लिए केवल एकमात्र अवसर है, इस अवधि में विद्यार्थी अत्याधिक तनावग्रस्त हो जाता है और तोता रटंत पर निर्भर रहने का प्रयत्न करता है या अनुचित साधन प्रयोग का आश्रय लेता है जिससे विद्यालय के बाहर तथा परीक्षा हाल में अनुशासनहीनता की समस्याएं पैदा होती हैं, कक्षा निरीक्षकों तथा परीक्षकों के विरुद्ध हिंसा

के मामले में विगत वर्षों में वृद्धि हुई हैं। ऐसी बहुत सी समस्याओं का समाधान एवं निदान सतत् तथा व्यापक मूल्यांकन में प्राप्य है।

सतत् तथा व्यापक मूल्यांकन पद्धति की मांग है कि पाठ्यक्रम को उपयुक्त इकाइयों में विभाजित किया जाए तथा उसके साथ दोनों संज्ञानात्मक तथा असंज्ञानात्मक क्षेत्रों के लिए ज्ञान, कौशलों और दक्षताओं के संदर्भों में उद्देश्य अच्छी तरह से परिभाषित हों। प्रत्येक इकाई के पूरा होने पर मूल्यांकन किया जाए। मूल्यांकन के इस प्रकार में सीखने वाला विद्यार्थी इकाई को ईमानदारी के साथ सीखने के लिए बाध्य हो जाता है और अध्यापक के लिए प्रत्येक इकाई को निष्ठापूर्वक पढ़ाना आवश्यक हो जाता है। मूल्यांकन में सातत्य बना रहता है क्योंकि अधिगम और मूल्यांकन लगभग एक साथ चलते हैं फिर भी मूल्यांकन के इस प्रकार की सफलता इस तथ्य पर निर्भर करती है कि अध्यापक पाठ्यक्रम को इकाइयों में बांटते हैं, अतिरिक्त सामग्री प्रत्येक पूरी इकाई को सरल बनाने के लिए निर्मित करते हैं, और मानकीकृत या अध्यापक निर्मित उपकरणों को विभिन्न अधिगम संबंधी सौंपे गए कार्यों के परिणामों के मूल्यांकन के लिए खोज निकालते हैं। मूल्यांकन करने के इस प्रकार में विद्यार्थी विवरणिका का रखरखाव करना भी महत्त्वपूर्ण है।

यह उत्साहवर्द्धक बात है कि उत्तर प्रदेश का शिक्षा विभाग अपने राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के तकनीकी विभाग तथा मनोविज्ञानशाला के माध्यम से आगामी सत्र से बेसिक शिक्षा परिषद् के प्राथमिक विद्यालयों के लिए 'चाइल्डहुड केयर एंड एजूकेशन' को शुरू करने जा रहा हैं। इस संदर्भ में विकसित संपूर्ण सामग्री का परीक्षण राज्य के तीन जिलों में एक-एक विकास खंड के सभी विद्यालयों के लिए पूरा कर लिया गया है।

7.9 सार्वजनिक परीक्षा पद्धति

राज्य में सामान्य सार्वजनिक परीक्षा पद्धति तीन स्तरों पर पाई जाती है :

1. 8वीं कक्षा में उच्च प्राथमिक परीक्षा
2. 10वीं कक्षा में हाई स्कूल परीक्षा
3. 12वीं कक्षा में उच्चतर माध्यमिक परीक्षा।

उच्च प्राथमिक परीक्षा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् के क्षेत्र में आती है। पूरे राज्य के लिए एक समान प्रश्नपत्र होते हैं। यद्यपि परीक्षाएं जिला स्तर पर संचालित की जाती हैं। जिला पंचायतों, नगर पंचायतों तथा अन्य निकायों द्वारा संचालित सभी विद्यालयों के विद्यार्थी तथा व्यक्तिगत परीक्षार्थी भी इन परीक्षाओं में सम्मिलित होते हैं। इस परीक्षा में खास तौर से सर्वाधिक निबंधात्मक प्रश्नपत्र होते हैं लेकिन वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों को भी समाहित करने का प्रयास किया जा रहा है। इन परीक्षाओं के सुरक्षित एवं सुचारू संचालन के लिए 1992 में उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा एक्ट लागू किया गया जिसे 1994 में रोक दिया गया।

माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर 'माध्यमिक शिक्षा परिषद् उ.प्र.' दो परीक्षाएं संचालित कर रहा है। 10वीं कक्षा के विद्‌यार्थियों के लिए हाई स्कूल और 12वीं कक्षा के विद्‌यार्थियों के लिए इंटरमीडिएट परीक्षा के रूप में यह जानी जाती हैं। ये परीक्षाएं देश की ही नहीं अपितु विश्व की सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक हैं। परिषद् की स्थापना 1921 में 5,744 छात्रों से शुरू हुई थी। यह संख्या क्रमशः हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट स्तर पर लगभग 23 लाख तथा 5.97 लाख तक सन् 2000 में पहुंची। संस्थागत विद्‌यार्थियों के अतिरिक्त बहुत बड़ी संख्या में व्यक्तिगत परीक्षार्थी भी इन परीक्षाओं में सम्मिलित होते हैं।

परीक्षा प्रक्रिया को सुचारू रूप से गतिशील रखने के लिए समय-समय पर निश्चित उपाय लागू किए गए जो निम्नलिखित हैं :

- इलाहाबाद में स्थित परिषद् के केंद्रीय कार्यालय को पांच क्षेत्रीय केंद्रों में विभक्त कर दिया गया है जो राज्य में क्षेत्रीय मुख्यालय में स्थित हैं।
- परीक्षाओं के साफ-सुथरा संचालन को सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा एक्ट अनुचित साधन के प्रयोग को रोकने के लिए लागू किया गया है।
- परीक्षाओं में निरीक्षण उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करने और मूल्यांकन केंद्रों पर मूल्यांकन कार्य करने को अध्यापकों के कर्तव्य का एक हिस्सा बनाया गया है।
- विभिन्न मूल्यांकन केंद्रों पर मूल्यांकन कार्य पूर्ण करने की अवधि 10 दिन से बढ़ाकर 15 दिन कर दी गई है।
- मूल्यांकन कार्य तथा दूसरे संबंधित कार्यों के लिए पारिश्रमिक उचित रूप से 1998 से संशोधित भी कर दिया गया है।
- परीक्षाफल को तैयार करने का कार्य कंप्यूटरीकृत हो चुका है।
- परीक्षा शुल्क का ढांचा शुल्क में वृद्‌धि करके पहले से अधिक तर्कसंगत बनाया गया है।
- परीक्षा केंद्रों के आबंटन में सेवाकेंद्र पद्‌धति को लागू किया गया है जिसमें बालिकाएं अपने ही संस्थाओं से परीक्षा दे सकेंगीं जबकि लड़कों को उनके विद्‌यालय के पास के केंद्र आबंटित किए जाते हैं।
- मूल्यांकन में कदाचार को रोकने के लिए मूल्यांकन केंद्रों के आबंटन का कार्य कंप्यूटर के प्रयोग द्‌वारा संपादित किया जाता है।
- अभ्यर्थियों की प्रमाणिकता सिद्‌ध करने के लिए प्रमाण-पत्र पर उनके माता-पिता दोनों का नाम अंकित करने का प्रावधान किया गया है। संबंधित अभ्यर्थियों के छायाचित्र भी प्रमाण-पत्रों पर लगाना विचाराधीन है।

निम्नलिखित बिंदु खासतौर पर सामने आते हैं जब कोई परीक्षा की इस प्रकार कमियों के बारे में सोचता है :

- सारी परीक्षाएं निबन्धात्मक प्रश्नपत्रों, बाह्य संचालित मूल्यांकन और संपूर्ण परीक्षाफल को तीन श्रेणियों में लब्धांक (प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय) श्रेणी ही प्रचलित है।
- इन परीक्षाओं की वैधता, प्रामाणिकता और विश्वसनीयता का अध्ययन करने के लिए और प्राप्त पश्चपोषण के आधार पर इनमें सुधार करने के लिए क्रमबद्ध प्रयास नहीं किया गया है।
- सी.बी.एस.ई. और आई.सी.एस.ई. परिषदों से तुलना करने पर यू.पी. बोर्ड परीक्षाओं का संपादन स्तर बहुत निम्न है जो उच्चतर कक्षाओं या रोजगार के लिए निर्वाचित होने में समस्याएं उत्पन्न करता है जबकि चयन की कसौटी उनके द्वारा प्राप्त संपूर्ण अंक हैं।
- निम्न उत्तीर्ण प्रतिशत अनवरोधन नीति के विपरीत है जबकि कक्षा 4 तक छात्रों के सही मूल्यांकन और कमजोर छात्रों के उपचारात्मक शिक्षण के लिए कोई व्यवस्था नहीं है।

7.10 उत्तर प्रदेश परिषद् का पांच वर्षों (1996-2000) के परीक्षाफल का विश्लेषण

सारणी 7.04 में विगत पांच वर्षों के हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षाफल का बालक और बालिका के अनुसार तथा समग्र रूप में विवरण मौजूद है। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का परीक्षाफल चित्र 7.1 की सहायता से स्पष्ट किया गया है।

सारणी 7.04 : *विगत पांच वर्षों का उत्तर प्रदेश परिषद् का परीक्षाफल*

वर्ष	*उत्तीर्ण प्रतिशत*		*हाई स्कूल*		*इंटरमीडिएट*	
	हाई स्कूल	*इंटरमीडिएट*	*बालक*	*बालिका*	*बालक*	*बालिका*
1996	44.46	72.43	37.01	65.61	67.28	84.17
1997	47.94	68.18	40.32	69.57	62.41	82.39
1998	28.07	55.29	18.21	54.92	46.31	74.20
1999	36.79	61.34	23.68	40.95	53.6	78.4
2000	30.36	68.23	24.46	47.19	60.37	81.81

स्रोत : सचिव, हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद।

यद्यपि सारणी 7.04 में संग्रहित आंकड़े किसी संख्यात्मक तथा गुणात्मक विश्लेषण के लिए अपर्याप्त हैं तथापि कुछ विस्तृत विशेषताएं जो दृष्टांत के रूप में दी जा सकती हैं निम्नवत हैं:

- हाई स्कूल पर उत्तीर्ण प्रतिशत 50 प्रतिशत के नीचे रहा है और इंटरमीडिएट का उत्तीर्ण प्रतिशत 75 प्रतिशत के ऊपर कभी नहीं पहुंचा। अनुमान लगाया जा सकता है कि असफलता के बहुसंख्यक मामले व्यक्तिगत वर्ग से संबंधित हैं जो अध्ययन के प्रति बहुत गंभीर नहीं रहते हैं। यह एक तथ्य है कि वे सभी जो अनुत्तीर्ण हो जाते

***चित्र 7.1 :** उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् का हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाफल (2000)*

हैं, शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर ह्रास एवं अवरोध के ऊंचे प्रतिशत में जुड़ जाते हैं। कई लाख युवक असफलता के दाग से चिह्नित हो जाते हैं जो उनके शारीरिक और मानसिक संताप का कारण बनता है। यह मानव संसाधन का बहुत विशाल राष्ट्रीय ह्रास है।

- अनुचित साधन प्रयोग की घटनाएं सीधे परीक्षाओं के परिणाम से जुड़ी हुई हैं। न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत को भी अनुचित साधन के संदर्भ में 1992 एक्ट से जोड़ा जा सकता है। 1992 के उत्तीर्ण प्रतिशत संख्या से स्पष्ट है कि जब यह संदर्भगत एक्ट पहली बार लागू किया गया था। इस प्रकार संख्या हाई स्कूल स्तर पर 14.71 प्रतिशत और इंटरमीडिएट स्तर पर 30.38 पहुंची। जब इसकी तुलना 1991 के समतुल्य संख्या से करते हैं जो क्रमशः 58.03 और 80.54 थी।
- इन परीक्षाफलों का लिंगानुसार विश्लेषण प्रदर्शित करता है कि हाई स्कूल और उच्चतर माध्यमिक परीक्षाओं से भी लड़कियों ने बेहतर प्रदर्शन कर दिखाया है।
- विभिन्न मूल्यांकन केंद्रों तथा एक ही केंद्र के विभिन्न परीक्षकों के अभिलेखों के तुलनात्मक आकलन से यह संकेत मिल सकता है कि केंद्रों पर परीक्षकों को आदर्श निर्देश द्वारा प्रक्रिया के स्वागत योग्य परिवर्तन की घोषणा की गई है कि मूल्यांकन कार्य समाप्त होने के बाद कुछ उत्तरपुस्तिकाओं का पुनरीक्षण (पूरी तथा विस्तृत जांच) समुचित मूल्यांकन को सुनिश्चित करने के लिए विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा।

7.11 शासकीय और अशासकीय संस्थाओं की गुणवत्ता

एक समय था जब जिले में शासकीय विद्यालय, अन्य अनुदानित और व्यक्तिगत विद्यालयों के लिए आदर्श प्रस्तुत करते थे। अब परिदृश्य बदल गया है। दोनों शासकीय तथा सहायता प्राप्त संस्थाएं असहायिक व्यक्तिगत संस्थाओं से संसाधनों के अभाव के कारण पिछड़ गई हैं। व्यक्तिगत संस्थाएं भारी शुल्क ले रही हैं और विभिन्न प्रकार के शैक्षिक उपकरणों से युक्त शानदार भवन बनाने की स्थिति में हैं। प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में स्थानीय निकायों द्वारा चलाए जा रहे बहुत से विद्यालयों के पास विद्यालय भवन नहीं हैं या पुराना ध्वस्तप्राय एवं उपकरण रहित भवन हैं। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड तथा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम योजना के अंतर्गत राज्य सरकार ने उपकरणों के क्रय के लिए प्रति अध्यापक रु. 450/- देकर सुविधाएं मुहैया कराने का प्रयास किया है।

माध्यमिक स्तर पर न्यूनाधिक यही स्थिति है। राजकीय तथा सहायिक विद्यालयों के अध्यापकों के वेतन भुगतान की जिम्मेदारी राज्य सरकार पर है। शिक्षा की आबंटित धनराशि का एक बड़ा हिस्सा इसी पर खर्च होता है। शुल्क माफ की उदार व्यवस्था आग में घी डालने का काम कर रही है। सामुदायिक सहायता आशा का एक क्षेत्र है, अभिभावक अध्यापक संघों तथा विद्यालयों को सजीव एवं समर्थ बनाने में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

स्पष्ट है कि शिक्षा की गुणवत्ता में कोई अभिवर्धन एवं उन्नयन विद्यालयों में उपलब्ध अधिगम सुविधाओं से सीधे संबद्ध हैं। इनमें अध्यापकों और भौतिक संसाधन तथा आंतरिक

संरचना संबंधी सुविधाओं का भी प्रावधान सम्मिलित है। यह शिक्षा के लिए बजटीय आबंटन बढ़ाकर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की मांग करता है। इसके लिए राज्य में शिक्षा कर लगाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में शासकीय और अशासकीय संस्थाओं की गुणवत्ता का तुलनात्मक दृश्य उत्तीर्ण प्रतिशत की शब्दावली में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं के परीक्षाफलों के विश्लेषण से प्राप्त कर सकते हैं। ये परीक्षाफल यद्यपि एकमात्र संकेतक नहीं समझे जा सकते हैं, तथापि ये कुछ सीमा तक सर्वमान्य कसौटी के अनुसार संस्थाओं के सापेक्ष कार्य संपादन में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। राज्य के सभी पांच क्षेत्रों से संबंधित उत्तर प्रदेश परिषद् के 1999 के परीक्षाओं के उत्तीर्ण प्रतिशत को सारणी 7.05 में प्रदर्शित किया गया है। दूसरे वर्षों के आंकड़े प्राप्त नहीं हो सके।

सारणी 7.05 : *राजकीय तथा अराजकीय संस्थाओं के हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट का परीक्षाफल*

क्षेत्र	*राजकीय विद्यालय*		*राजकीय सहायता प्राप्त*		*असहायिक*	
	सम्मिलित	*उत्तीर्ण*	*सम्मिलित*	*उत्तीर्ण*	*सम्मिलित*	*उत्तीर्ण*
हाई स्कूल						
मेरठ	9666	5208	292300	114113	60132	227237
रामनगर	89409	41381	95197	42765	18215	7562
बरेली	12871	5226	163315	67274	17447	6423
इलाहाबाद	28669	1456	304993	118100	276607	88331
वाराणसी	28213	15020	466144	185421	121639	53670
योग (i)	168828	81361	1318349	527673	494040	178723
%	48.19		40.02		36.17	
इंटरमीडिएट						
मेरठ	6057	4368	35103	20864	154794	89099
रामनगर	43730	31348	17264	13052	-	-
बरेली	7650	5243	43014	29915	4453	3050
इलाहाबाद	18412	13978	168160	110447	102173	55751
वाराणसी	19853	13890	532037	347134	34206	22055
योग (ii)	95702	68827	7955578	521412	295626	169955
%	71.91		65.53		57.48	

स्रोत : सचिव, हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद।

सारणी 7.05 के अध्ययन से यह सुस्पष्ट है कि राजकीय तथा अराजकीय संस्थाओं के उत्तीर्ण प्रतिशत में यद्यपि बहुत ठोस रूप से अंतर नहीं है तथापि कुछ अंतर हैं। 1999 की दोनों हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं के अच्छे परीक्षाफल के संदर्भ की पुष्टि होती है जैसे कि उपर्युक्त सारणी से प्रतिबिंबित है। इस सारणी के अनुसार हाई स्कूल परीक्षा के विषय में

राजकीय विद्यालयों का उत्तीर्ण प्रतिशत 48.19 है वहीं राजकीय सहायता प्राप्त असहायिक विद्यालयों का प्रतिशत क्रमशः 40.02 और 36.17 है (चित्र 7.2)। राजकीय विद्यालयों के परीक्षाफल प्रतिशत से तुलना करने पर राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों का लगभग 8 प्रतिशत तथा असहायिक विद्यालयों का लगभग 12 प्रतिशत का अंतर प्रदर्शित करता है।

संदर्भित सारणी से और आगे पता चलता है कि 1999 की इंटरमीडिएट परीक्षा में राजकीय विद्यालयों का उत्तीर्ण प्रतिशत 71.99 है वहीं सहायक और असहायक विद्यालयों का प्रतिशत क्रमशः 65.23 और 57.48 है। यह स्पष्ट है कि राजकीय और राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के उत्तीर्ण प्रतिशत के अंतर की मात्रा 7 प्रतिशत है जबकि राजकीय विद्यालयों और असहायिक विद्यालयों के बीच यह लगभग 15 प्रतिशत है।

7.12 विद्यालय परिषद्रों की भूमिका एवं कर्तव्य

राज्य में प्राथमिक शिक्षा बेसिक शिक्षा परिषद् के अधीन है और माध्यमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश के अधीन है। इन परिषद्रों के व्यापार क्षेत्र में निम्नलिखित शामिल हैं :

- शिक्षा संस्थाओं का दायित्व एवं अधिकार प्रदान करना।
- विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए पाठ्यचर्या का निर्धारण करना।
- निरीक्षक कार्यालय की सहायता से विद्यालयों के सामान्य संचालन एवं गतिविधि को सुनिश्चित करना।
- सहायक विद्यालयों को वित्तीय सहायता का वितरण करना।
- परीक्षाओं का संचालन तथा प्रमाणपत्रों का वितरण करना।
- इसके अतिरिक्त राज्य अध्यापक चयन परिषद्रों के माध्यम से अध्यापकों की नियुक्ति का दायित्व भी इन्हें सौंपा गया है।

मान्यता देने में भौतिक संसाधन तथा मूलभूत ढांचा संबंधी सुविधाओं की उपलब्धता के संबंध में दी गई शर्तों से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। वस्तुतः परिषद् को मान्यता के निर्धारित मानक का कड़ाई से पालन करना चाहिए। विद्यालय परिसर को विद्यार्थियों के लिए आकर्षक बनाने के संबंध में राज्य सरकार की कल्प योजना का यहां उल्लेख करना आवश्यक है।

पाठ्यचर्या का निर्माण एक सतत प्रक्रिया द्वारा होना चाहिए जिससे जब कभी आवश्यकता महसूस हो उसमें परिवर्तन लाया जा सके तथा अध्यापक और समुदाय को विश्वास में लिया जा सके। कंप्यूटर शिक्षा और पर्यावरणीय शिक्षा को सम्मिलित करने के लिए प्रयास स्वागत योग्य है। माध्यमिक स्तर पर हाल में किया गया पाठ्यक्रम पुनर्गठन सही दिशा में एक कदम के रूप में देखा जा सकता है।

चित्र 7.2 : *विद्यालय प्रबंधन के आधार पर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत (1999)*

प्रबंध के अनुसार प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्‌यालयों का विभाजन सारणी 7.06 में दिया गया है।

सारणी 7.06 : *प्रबंध का प्रकार और विद्‌यालयों की संख्या*

प्रबंध का प्रकार	*विद्‌यालयों की संख्या*	
	प्राथमिक	*माध्यमिक*
राजकीय विद्‌यालय	-	548
सहायिक/मान्यता प्राप्त विद्‌यालय	-	4435
असहायिक/मान्यता प्राप्त विद्‌यालय	16620	6541
स्थानीय निकाय/मान्यता प्राप्त	88684	-
योग	105304	11524

स्रोत : राज्य शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश।

सारणी 7.06 से यह देखा जा सकता है कि राज्य में प्राथमिक शिक्षा स्थानीय निकायों तथा व्यक्तिगत प्रबंध के नियंत्रणाधीन है। स्थानीय निकायों में वित्तीय कमी है क्योंकि व्यक्तिगत प्रबंधाधीन संस्थाओं की भांति अधिक फीस लेने की अनुमति नहीं है। इसलिए स्थानीय निकायों दूवारा संचालित विद्‌यालयों में न्यूनतम अधिगम सुविधाओं को प्रदान करने के संबंध में और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। माध्यमिक विद्‌यालयों के मामले में विद्‌यालयों की सबसे बड़ी संख्या असहायिक श्रेणी में है जो अपने विद्‌यार्थियों से अधिक फीस लेने में स्वतंत्र हैं। वे बेहतर अधिगम सुविधाओं को भौतिक संसाधनों की सहायता के रूप में प्रदान करने की स्थिति में हैं। राजकीय और अराजकीय संस्थानों में भौतिक संसाधनों एवं मूलभूत संरचना संबंधी सुविधाओं को बेहतर बनाया जा सकता है यदि उन्हें वित्तीय अनुदान देने का प्रावधान किया जाए। कुछ अतिरिक्त कोष शुल्क बढ़ाकर या शिक्षा कर का प्रावधान करके बढ़ाया जा सकता है। बाह्‌य परीक्षा का संचालन परिषद् से विशेष प्रपत्र की अपेक्षा करती है ताकि परीक्षाओं में स्वच्छता एवं शुचिता सुनिश्चित की जा सके। इस संबंध में मूल्यांकन के नए उपागमों की तकनीकों को अपनाने की आवश्यकता है।

7.13 भावी स्वरूप तथा परिदृश्य

शिक्षा में गुणवत्ता संवर्धन की समस्या पर विभिन्न दृष्टिकोणों से विचार तथा चर्चा करने की आवश्यकता है। मूल्यांकन पद्‌धति सुधारने के लिए नियोजित प्रपत्र की मांग है। इस दिशा में कुछ उपायों की ओर संकेत किया जा सकता है जो निम्नवत् हैं :

- ❑ मूल्यांकन को अधिकाधिक विश्वसनीय बनाने के लिए मूल्यांकन उपकरणों तथा तकनीकों के विकास की आवश्यकता है तथा प्रबल आवश्यकता को प्राथमिकता दी जा रही है। तीनों आई.ए.एस.ई., जो क्रमशः लखनऊ तथा बरेली विश्वविद्‌यालयों तथा पूर्व सी.पी.आई., इलाहाबाद में स्थापित किए गए हैं परीक्षा सुधार का कार्य करेंगे। एक तरफ वस्तुनिष्ठ समूह/प्रकार के उपकरण की संरचना पर तो दूसरी तरफ विद्‌यालय

के परीक्षाफलों की समुचित व्याख्या करने में विद्यालय के अध्यापकों के प्रशिक्षण को बल दिया जाएगा।

- बहुत पहले से *मनोविज्ञानशाला, इलाहाबाद इस संबंध में बहुत अच्छी तरह से जाना* पहचाना केंद्र है। ये विद्यालयीय शिक्षा अधिगम के पहलू को आच्छादित करने के लिए असंज्ञानात्मक प्रकार/समूह के उपकरणों की संरचना में विशेष योगदान कर सकता है। जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान भी प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में इसी तरह की भूमिका अदा कर सकते हैं।
- राज्य के शिक्षा महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के विभिन्न शिक्षा विभागों में मूल्यांकन के क्षेत्र में पहले से अनुसंधान कार्य हो रहे हैं। इन अनुसंधानकर्ताओं और अध्यापकों के बीच का सहयोग सार्थक परिणाम देगा। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् इस संबंध में समन्वय करने वाले अभिकर्ता के रूप में कार्य कर सकती है।
- अधिगम के विभिन्न स्तरों के लिए विभिन्न विषयों में पहले से प्रश्न-बैंक उपलब्ध हैं इन्हें आगे और विस्तार देने की आवश्यकता है ताकि अध्यापकों के सामने अपने विद्यार्थियों की प्रगति के मूल्यांकन में कोई समस्या न खड़ी हो सके।
- परीक्षा में श्रेणियां देने की पुरानी पद्धति में सुधार करने की और उसके स्थान पर वर्गीकरण पद्धति की आवश्यकता है। कुछ सार्वजनिक परीक्षाओं में इस पद्धति का प्रयोग पहले से हो रहा है। आशा की जाती है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश भी इस उदाहरण का अनुसरण करेगा।
- राज्य के चयनित जिलों में पहले से सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना क्रमशः चालू की जा चुकी है जिसके और सबलीकरण की आवश्यकता है।
- न्यूनतम अधिगम स्तर की जांच करने के लिए उपकरण पहली, दूसरी और तीसरी कक्षाओं के लिए पहले से सुलभ हैं। निकट भविष्य में न्यूनतम अधिगम स्तर को उच्च कक्षाओं के लिए विकसित किया जा सकता है। फिर भी कक्षा 1, 2 और 3 के लिए न्यूनतम अधिगम स्तर को अभिवर्धन करने की आवश्यकता है।
- निदानात्मक और उपचारात्मक अध्यापन कार्यक्रम से मन्द उपलब्धि वाले विशेष रूप से लाभान्वित होते हैं, वे छात्र जो लिंग भेद या सामाजिक अपवंचन एवं असुविधा के शिकार हैं। इस प्रकार विशेष सहायता बालिकाओं, ग्रामीण अंचल के विद्यार्थियों और ऐसे विद्यार्थियों को दी जा सकती है जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और दूसरे पिछड़े वर्गों से संबंधित हैं।
- परीक्षाओं/मूल्यांकन के क्षेत्र में सुधार के विषय में दृष्ट एवं अनुभूत कठिनाइयों तथा बाधाओं के आलोक में विचार एवं चिंतन किया जा सकता है। इनमें से कुछ अधिकतर वस्तुनिष्ठ प्रश्नपत्रों को बनाकर परीक्षा के ढांचे को बदलने, मानक अंक प्रदान करने और मूल्यांकन तथा परीक्षाओं के संचालन के सुधरे तरीकों से संबंधित हैं।

अध्याय 8

विद्यालयीय शिक्षा में शैक्षिक तथा प्रशासनिक आधारभूत व्यवस्था

प्रस्तुत अध्याय का मुख्य अभिप्रेत राज्य में विद्यालय स्तर पर प्रचलित शैक्षणिक एवं प्रशासनिक अवलंब तथा व्यवस्थाओं पर प्रकाश डालना है। इसके तहत प्रबंध एवं नियंत्रण को दृष्टिगत रखकर सर्जित वर्तमान व्यवस्थाओं, नवीन पर्यवेक्षणात्मक संरचनाओं तथा विद्यालयीय शिक्षा के विभिन्न घटकों के मध्य अन्योन्य पोषक संबंध कायम करने की दृष्टि से विकसित नवीन युक्तियों का विश्लेषण किया गया है।

यह अध्याय दो भागों में विभाजित है – शैक्षिक आधारभूत व्यवस्था और प्रशासनिक आधारभूत प्रणाली। इसका प्रथम भाग जो कि शैक्षिक आधारभूत व्यवस्था से संबद्ध है, अध्यापकों की दक्षता बढ़ाने के लिए दिए गए प्रशिक्षण का विस्तृत चित्रण प्रस्तुत करता है। इसमें शामिल है जिला तथा राज्य स्तर पर आधारभूत संरचना जो कि पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों, अध्यापकों का पूर्वाभिमुखीकरण, विद्यालय बोर्ड की शैक्षिक भूमिका, डी.आर.सी. और बी.आर.सी. से संबद्ध है।

दूसरा भाग प्रशासनिक आधारभूत व्यवस्था का वर्णन करने, साक्षरता दर को बढ़ाने, विद्यालय शिक्षा के एवं अन्य विद्यालयीय विकल्पों के विकास हेतु प्रयास करने से जुड़ा है। यह पूर्व के वर्षों में चलाई गई विभिन्न योजनाएं, जो कि प्रशासनिक और पर्यवेक्षणीय तंत्र को सुधारने में रचनात्मक पक्ष से संबंधित हैं, उनका विवरण देने के साथ स्वायत्तता में वृद्धि हेतु संस्थागत आत्म मूल्यांकन और शैक्षिक योजनाकर्ताओं और प्रशासकों के प्रशिक्षण का चित्रण करता है।

8.1 शैक्षिक अवलंब आधारभूत पद्धति/व्यवस्था

'शैक्षिक अवलंब' एक नई अवधारणा है जैसाकि यहां प्रयुक्त हुआ है, यह विभिन्न कार्यक्रमों, गतिविधियों और समर्थनों जैसे पाठ्यक्रम व पाठ्यपुस्तकों और संस्थागत संरचना के माध्यम से विद्यालयीय लक्ष्यों की संप्राप्ति को सुकर बनाने के लिए सर्जित किया गया है। शैक्षिक अवलंब

का मुख्य उद्देश्य शिक्षकों, शैक्षिक प्रशासकों, पर्यवेक्षकों और अन्य तंत्रों में दक्षता के स्तर को समुन्नत करना है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए विशिष्ट ढांचों और संसाधनों को निर्मित करके उनका निर्देशन करना होगा जिससे कि संसाधनों और कारकों को तुरंत क्रियाशील और प्रभावशाली बनाया जा सके। यहां लक्ष्यों की संप्राप्ति में होने वाली असफलताओं और उपलब्धियों का भी संकेत किया गया है तथा पिछले दशक में शिक्षकों के सामर्थ्य में वृद्धि के लिए कुछ सुझाव भी दिए गए हैं। इन रणनीतियों के संदर्भ में शिक्षक शिक्षण कार्यक्रमों के संचालन के लिए दो उच्च स्तरीय संस्थाएं एन.सी.टी.ई. और एन.सी.ई.आर.टी. कार्यरत हैं। इसके लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों का निर्माण हुआ है। एक तरफ शैक्षिक आदान-प्रदान के लिए जरूरी सामर्थ्य पर ध्यान दिया गया है और दूसरी ओर विद्यालयों के संचालन में सामूहिक योगदान की जरूरतों और चुनौतियों की संपूर्ति पर भी ध्यान दिया गया है। आशा है कि यह शिक्षक केंद्रित शिक्षा को छात्र केंद्रित करने में महत्त्वपूर्ण कदम साबित होगा। निम्नलिखित परिचर्चा हमें प्रशिक्षुओं व शिक्षकों के कौशल/सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए प्रयुक्त व विचाराधीन कार्यक्रमों की स्थिति व प्रकृति की जानकारी सेवापूर्व और सेवारत कार्यक्रम के कार्यकाल में देती है।

8.2 शिक्षक दक्षताओं को समुन्नत करना : कार्यक्रमों की प्रकृति एवं आच्छादन

शिक्षकों के कौशल/सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए कई प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। यू.पी.बी.ई.पी. ने 1994 में शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए प्रथम चक्र प्रशिक्षण आयोजित किया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य घटक यूनेस्को रिसोर्स पैक था जिसने गतिविधि संबंधित प्रशिक्षण और अधिगम के लिए आधार स्थापित किया। इस पैकेज के मुख्य क्षेत्र—प्रभावी अधिगम, क्रियाशील लक्ष्य संबंधित उद्देश्यों पर वार्ता, निरूपण (प्रदर्शन), प्रतिपुष्टि और व्यावहारिकता, निरंतर आकलन व अवलंब थे। अन्य मुख्य घटक इस प्रकार थे – शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण एवं उपयोग, विद्यालय जाने की तत्परता, गणित, हिंदी और पर्यावरणीय शिक्षा के अन्य अधिगम के साधन, विद्यालयों के स्तर में बढ़ोत्तरी, गणित और विज्ञान के किट्स का प्रयोग। हिंदी में संबंधित सामग्री का निर्माण एन.सी.ई.आर.टी. विशेषज्ञों के निरीक्षण में राज्य की केंद्रीय टीम द्वारा किया गया। इस टीम को एन.सी.ई.आर.टी. के विशेषज्ञों द्वारा 21 दिन में प्रशिक्षित किया गया। इस केंद्रीय टीम ने फिर, 18 दिनों में हर डाइट्स के 3-4 मुख्य प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया। इसी क्रम में इस माडल का अनुप्रयोग ब्लाक स्तर पर ब्लाक संसाधन केंद्रों में कार्यरत व्यक्तियों को जिसमें कि बी.आर.सी. समन्वयक, उप-समन्वयक और 3-4 अच्छे शिक्षक प्रशिक्षक शामिल थे प्रशिक्षण कार्य को विस्तारित किया गया।

शिक्षकों का प्रशिक्षण ब्लाक संसाधन केंद्र से भी प्रारंभ हुआ। प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रारंभिक चरण में मुख्य प्रशिक्षकों की उपस्थिति अनिवार्य थी ताकि संबंधित शिक्षकों को आवश्यक निर्देश दिए जा सकें। प्रशिक्षण सत्र इस बात पर आधारित था कि अनुभवी और प्रतिभागीय सोच का विकास हो। साथ ही साथ कक्षा की वास्तविक और सम्भावित समस्याओं के निदान के लिए उपाय

खोजे जा सकें। इस प्रशिक्षण का संकलनात्मक मूल्यांकन किया गया ताकि इस कार्यक्रम के निष्पादन में सुधार लाया जा सके और इसे अधिक मजबूती से पेश किया जा सके।

इस प्रकार दस परियोजनागत जनपदों के 42,000 से भी अधिक शिक्षकों को प्रथम चक्र में प्रशिक्षित किया गया। इस बात को कहना आवश्यक नहीं है कि प्रशिक्षण की इस नई विधि में कक्षा अध्यापन की विधियों को एक नई दिशा प्रदान की गई। इससे शिक्षण को ज्यादा क्रियात्मक और आनंदमय बनाया गया। इस बात का अनुभव किया गया कि इस चक्र के प्रारंभिक स्तर में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा है क्योंकि तत्कालिक शिक्षक-केंद्रित पारंपरिक शिक्षण विधियों को छोड़ कर नई क्रियात्मक उपागम पर आधारित शिक्षार्थी-केंद्रित शिक्षा को गति देना आसान नहीं था।

बाद में जो प्रशिक्षण सत्र संचालित किए गए उनमें महत्त्वपूर्ण अंशों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया परंतु विचारधारा वही रही जो कि प्रथम चक्र के क्रियात्मक अधिगम की थी।

दूसरे चक्र के शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाषा संबंधी शिक्षण पर जोर दिया गया है। साथ ही इस बात पर भी ध्यान दिया गया कि आधारभूत दक्षताओं का विकास कैसे हो। इस अवधि में हिंदी के संदर्भ में न्यूनतम अधिगम स्तरों को पहचाना गया। इस प्रकार यह प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्ण रूप से कक्षा में दक्षता आधारित शिक्षण अधिगम पर आधारित था। निर्देशात्मक सामग्री विषय विशेषज्ञों द्वारा तैयार की गई। शिक्षण कार्यक्रम कैसकेड पर आधारित मॉडल था। इस प्रकार डाइट्स के मुख्य प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया जिन्होंने तत्पश्चात बी.आर.सी. के संबंधित व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया। ब्लॉक संसाधन केंद्रों में शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए जिसमें 43,000 से भी अधिक शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया। शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण के लिए आवश्यक व प्रभावशाली दिशा निर्देश दिए गए और भाषा के इस पाठ्यक्रम को एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में पहचान मिली।

तृतीय चक्र में पढ़ने की आदतों और पढ़ने की तत्परता को विकसित करने के लिए विशेष ध्यान दिया गया। पूरक पठन सामग्री के रूप में 'इन्द्र-धनुष' इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का आधार बना। शिक्षक-प्रशिक्षण मैनुअल एस.सी.ई.आर.टी. द्वारा विकसित किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम का लक्ष्य कक्षा शिक्षण को और अधिक रुचिपूर्ण और सशक्त बनाने के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री व निर्देश सामग्री के स्वयं निर्माण और प्रयोग पर परिलक्षित किया गया। इस चक्र के प्रशिक्षण में 43,000 से भी अधिक शिक्षकों ने हिस्सा लिया।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के चतुर्थ चक्र में विषय ज्ञान और अध्यापन दक्षताओं में सुधार के लिए गणित के मूल सिद्धान्तों के ऊपर ध्यान केंद्रित किया गया। छात्रों के आधारभूत और मध्यावधि सर्वेक्षण के परिणामों में यह पाया गया कि गणित अध्यापन एक कमजोर क्षेत्र है। प्राथमिक विद्यालयों के अधिकतर शिक्षक गणित के मूल सिद्धान्तों से अनभिज्ञ थे। इसीलिए छात्रों में दक्षता कौशल के विकास में कोई योगदान नहीं दे पा रहे थे। गणित के प्रशिक्षण कार्यक्रम में इन्हीं क्षेत्रों पर अधिक ध्यान दिया गया।

इस माड्‌यूल का विकास विशेषज्ञों द्‌वारा किया गया जो कि सी.ए.एस.ई., जामिया मिलिया इस्लामिया, एन.सी.ई.आर.टी., सी.आई.ई.टी., एड.सिल., एस.आई.ई. से संबंधित थे और कुछ कार्यरत शिक्षक भी इसमें शामिल थे। इस मॉड्‌यूल में विभिन्न गतिविधियों की मदद से गणित के अधिगम को रुचिपूर्ण बनाने में सहायता मिली।

इस चक्र में 'होलिस्टिक स्कूल एप्रोच' को अपनाया गया। गणित पैकेज पर आधारित प्रशिक्षण 43,000 से अधिक शिक्षकों को दिया गया।

पांचवां और अंतिम चक्र का प्रशिक्षण पर्यावरणीय शिक्षा जिसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और विज्ञान का समावेश था, पर आधारित था। यह भी एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र था जिसमें तथ्य आधारित पैकेज के साथ प्रशिक्षणार्थियों के लिए उचित क्रियाकलाप का विकास किया गया। इस प्रकार लगभग 43,000 प्राथमिक शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया गया, जिनमें सामग्री मॉड्‌युलर और सहभागिता पर विशेष बल दिया गया।

8.3 जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम आच्छादित जिलों में शिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम

प्रथम चक्र (1997-98) में शिक्षकों के प्रशिक्षण में निम्नांकित बातों पर प्रकाश डाला गया:

(1) शिक्षकों को अभिप्रेरित करना और उनकी छवि में सुधार लाना।

(2) शिक्षकों को वर्तमान परिस्थितियों, मुख्यतः लिंग भेद और सुविधावंचित समूह के संदर्भ में विश्लेषण के लिए सहयोग देना।

(3) सामूहिक सहभागिता और स्वामित्व को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों को अधिकार देना।

(4) बाल-केंद्रित, क्रिया-आधारित, रुचिपूर्ण शिक्षण के लिए दिशा प्रदान करना और आदर्श विद्‌यालय चित्रण के लिए एक दृष्टि का निर्माण करना।

(5) शिक्षकों को प्रभावी कक्षा-शिक्षण के लिए प्रोत्साहित करना।

प्रशिक्षण का प्रपातीय प्रतिदर्श (कैसकेड मॉडल) जिसका उल्लेख पहले किया जा चुका है, प्रयोग में लाया गया परंतु 'कैसकेड' के एक स्तर को प्रसारण ह्रास सीमित करने के उद्‌देश्य से परिव्यक्त कर दिया गया। अभिकरण ने 25 जिला संदर्भ समूह (डी.आर.जी.) सदस्यों के लिए 10 दिन की समयावधि के लिए और प्रत्येक जिले से चुने हुए अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण का प्रबंध किया। इसी क्रम में अध्यापक प्रशिक्षण के दो चक्र (45 अध्यापक प्रत्येक चक्र में) मास्टर प्रशिक्षकों को पहचान के लिए दिए गए हैं। इन प्रशिक्षकों में से अध्यापक प्रशिक्षकों को अगले स्तर के प्रशिक्षण के लिए चुना गया। चुने हुए प्रशिक्षकों को बाह्‌य सलाहकारी अभिकरणों द्‌वारा पांच दिन का प्रशिक्षण दिया गया। डी.आर.जी. सदस्यों और अध्यापक प्रशिक्षकों ने भी डाइट स्तर पर 10 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया। अध्यापकों में से लगातार नए प्रशिक्षकों को ढूंढ़ा गया और उन्हें 'प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण' दिया गया। सभी प्रशिक्षण कार्यक्रम, अधिकतम सहभागिता बढ़ाने के लिए आवश्यक रूप से आवासीय प्रकृति के थे।

प्रशिक्षण मापदंड 'शिक्षकोदय' को अक्टूबर 15, 1997 में हुई कार्यशाला में DEVNET बाह्य सलाहकारी अभिकरण, डाइट, स्टाफ, बी.आर.सी. समन्वयक, प्राइमरी शिक्षक और राज्य परियोजना कार्यालय की शैक्षणिक इकाई द्वारा विकसित किया गया। प्रशिक्षण मापदंड के बाद दिसम्बर 97 में डाइट और विकल्प स्थानों में अध्यापक प्रशिक्षण बड़े पैमाने पर शुरू हुआ। यह उल्लेखनीय है कि सभी उपरोक्त प्रशिक्षकों ने एक ही भावना व्यक्त की जिसके अनुसार यह स्पष्ट हुआ कि :

- प्रशिक्षकों में स्वमूल्यांकन की प्रक्रिया शुरू होती है जहां उन्होंने बच्चे की सीखने की क्षमता और शिक्षण अधिगम की विभिन्न प्रक्रियाओं पर अपने विश्वास और प्रत्ययों का मूल्यांकन किया।
- इस प्रशिक्षण ने उन बच्चों को व उनकी अधिगम-प्रक्रियाओं को समझने में सहायता की। उन्होंने विद्यालय और पर्यावरण समृद्धिकरण में अपने योगदान की संभावना को खोजा।
- पूर्व में विद्यालय (आदर्श) का उनका दृष्टिकोण था 'आधारिक संरचना में अच्छा' लेकिन अब उनका दृष्टिकोण है कि प्रत्येक बच्चे के लिए अधिगम कैसे एक सुखद अनुभव बनाया जा सके।

8.4 एस.सी.ई.आर.टी., एस.आई.ई./डाइट्स आदि की सेवापूर्व/सेवारत प्रशिक्षण को प्रभावी बनाने में भूमिका

'सभी के लिए शिक्षा' तथा 'साक्षरता कार्यक्रम' को वास्तव में सफल बनाने के लिए एस.सी.ई. आर.टी., एस.आई.ई. और डाइट के साथ बहुमुखी उपागमों का विकास किया गया जो कि सेवापूर्व तथा सेवारत प्रशिक्षण के परिप्रेक्ष्य में नोडल इकाई के रूप में कार्यरत हैं। निम्नलिखित विवरण इन गतिविधियों का संक्षिप्त परिचय देता है।

8.4.1 सेवापूर्व अध्यापक शिक्षण

शिक्षा के क्षेत्र में अध्यापक का कार्य सबसे महत्त्वपूर्ण निवेश है। जो भी नीतियां लागू की जाएं, अंतिम विश्लेषण के पश्चात् वे अध्यापक द्वारा ही लागू की जाएंगी। राज्य में प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की शिक्षा के लिए प्रशिक्षित अध्यापकों की मांग को पूरा करने के लिए बड़ी संख्या में अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान हैं। विभिन्न प्रकार के अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान जैसे कि नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग माध्यमिक स्तर का, अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान शिक्षा के विद्यालय और अन्य विशेष सरकारी संस्थान राज्य की शैक्षिक व्यवस्था में योगदान दे रहे हैं। डाइट्स और आई.ए. एस.ई. की स्थापना ने शैक्षिक परिदृश्य को सुधारा है और राज्य की अध्यापक शिक्षा की आवश्यकता को सच्चे अर्थों में पहचानने की क्षमता को मजबूत किया है।

8.4.2 सेवारत अध्यापक शिक्षण संस्थान और कार्यक्रम

नई शिक्षा नीति (1986) के उदय के साथ जिसे 1992 में सुधारा गया, विद्यालयीय शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के लिए सेवारत अध्यापक शिक्षा मुख्य भूमिका निभाते हुए उभर कर आयी है। आवश्यक संरचनात्मक निवेश आवश्यकतानुसार दिए गए और विभिन्न प्रकार के सेवारत प्रशिक्षण पैकेज विकसित किए गए। अपेक्षित गुणात्मक क्रांति के लिए राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् को नोडल अभिकरण के रूप में चिह्नित किया गया है। इस सेक्टर में जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान और दूसरे अभिकरण भी सहयोग दे रहे हैं, और विभिन्न सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित कर रहे हैं।

8.4.2.1 जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान द्वारा सेवारत शिक्षा

सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम अपने लक्ष्य समूह और अवधि के संबंध में भिन्न हैं। मुख्य प्रशिक्षण कार्यक्रम अवधि सहित इस प्रकार है :

	प्रशिक्षण कार्यक्रम	**अवधि**
(क)	अध्यापकों के लिए विशेष ओरिएंटेशन कार्यक्रम (एस.ओ.पी.टी.)	7 दिन
(ख)	प्राथमिक विद्यालय के प्रधान और सहायक अध्यापकों के लिए रिओरिएंटेशन कार्यक्रम	5 दिन
(ग)	प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापकों हेतु रिओरिएंटेशन कार्यक्रम	5 दिन
(घ)	उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रधान अध्यापकों हेतु रिओरिएंटेशन कार्यक्रम	5 दिन
(ङ)	उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापकों हेतु रिओरिएंटेशन कार्यक्रम	5 दिन
(च)	विषय-वस्तु ओरिएंटेशन कार्यक्रम	7 से 10 दिन

8.4.2.2 राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के विभागों द्वारा सेवारत प्रशिक्षण

राज्य शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद

- "विकलांग बच्चों" की योजना के अंतर्गत विभिन्न विषयों में जूनियर हाई स्कूल के प्रधान अध्यापकों का सेवारत प्रशिक्षण जैसाकि उनके कैलेंडर में दिखाया गया है।

हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषा विभाग, वाराणसी

- प्राथमिक और जूनियर हाई स्कूल के प्रधान और सहायक अध्यापकों का हिंदी में रिओरिएंटेशन

अंग्रेजी भाषा शिक्षण संस्थान, इलाहाबाद

- जूनियर हाई स्कूल के अंग्रेजी अध्यापकों का रिओरिएंटेशन

शिक्षा प्रसार, इलाहाबाद

- ❑ जूनियर हाई स्कूल के प्रधान अध्यापकों के लिए सेवारत प्रशिक्षण में श्रव्य दृश्य साधन — 6 दिन
- ❑ अनौपचारिक शिक्षा के पदाधिकारियों का प्रशिक्षण — 6 दिन

8.4.2.3 "सभी के लिए शिक्षा" परियोजना के अंतर्गत सेवारत प्रशिक्षण

8.4.2.4 माध्यमिक स्तर पर सेवारत शिक्षा

राज्य शिक्षा संस्थान

- ❑ जनसंख्या शिक्षा पर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों का प्रशिक्षण — 3 दिन
- ❑ जनसंख्या शिक्षा पर उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों का प्रशिक्षण — 2 दिन
- ❑ विषय-वस्तु कार्यक्रम के तहत स्कूल निरीक्षकों को पूर्वाभिमुखीकरण कार्यक्रम — 3 दिन

मानविकी एवं समाज विज्ञान संस्थान, इलाहाबाद

- ❑ उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक का शैक्षिक प्रशिक्षण — 10 दिन
- ❑ सामान्य विज्ञान में पढ़ाने वाले हाई स्कूल शिक्षकों हेतु पूर्वाभिमुखीकरण कार्यक्रम — 6 दिन

राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद

- ❑ विज्ञान अध्यापकों का पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण — 5 दिन
- ❑ हाई स्कूल के विज्ञान शिक्षकों का पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण — 5 दिन
- ❑ डाइट के विज्ञान अध्यापकों का पुनर्बोधात्मक कार्यक्रम — 6 दिन

मनोविज्ञानशाला, इलाहाबाद

- ❑ शिक्षा और मनोविज्ञान के प्रवक्ताओं हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम
- ❑ डाइट प्रवक्ताओं हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम

राज्य हिंदी संस्थान, वाराणसी

- ❑ हाई स्कूल के प्रधानाध्यापकों हेतु सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम

अंग्रेजी भाषा शिक्षण संस्थान, इलाहाबाद

- ❑ उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों हेतु सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम — 4 माह
- ❑ डाइट प्रवक्ताओं (अंग्रेजी) हेतु सेवारत डिप्लोमा कोर्स — 4 माह
- ❑ डाइट फैकल्टी में अंग्रेजी विषय में संदर्भ व्यक्ति हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम

शिक्षा प्रसार, इलाहाबाद

- ❑ शैक्षिक प्रौद्योगिकी में डाइट शिक्षकों हेतु सेवारत कार्यक्रम 10 दिन

पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन विभाग, लखनऊ

- ❑ डाइट्स के प्रवक्ताओं हेतु पाठ्यक्रम और मूल्यांकन पर सेवारत प्रशिक्षण।
- ❑ विद्यालयों में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन हेतु प्रशिक्षण पैकेज का विकास।

8.4.2.5 उच्च शिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के विभागों द्वारा आयोजित सेवारत प्रशिक्षण

1987 के पूर्व राज्य के संबद्ध महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालयों द्वारा माध्यमिक स्तरीय शिक्षकों हेतु सतत शिक्षा कार्यक्रम संचालित किया जाता था। लेकिन वर्तमान समय में ऐसा कोई भी कार्यक्रम संचालित नहीं हो रहा है। कुछ विश्वविद्यालय सेवारत अथवा स्नातक तथा परास्नातक स्तरों पर सीमित संख्या में निम्नलिखित पाठ्यचर्याएं संचालित कर रहे हैं।

- ❑ सेवारत बी.एड. – 15 माह अवधि
- ❑ सेवारत बी.एड. (पत्राचार) एक वर्ष (स्ववित्तपोषित आधार पर)
- ❑ सेवारत एम.एड. (पत्राचार) एक वर्ष/2 सेमेस्टर (स्ववित्तपोषित आधार पर)
- ❑ बी.एड. शैक्षिक कम्प्यूटिंग
- ❑ बी.एड. व्यावसायिक शिक्षा
- ❑ बी.एड. विशेष शिक्षा
- ❑ एम.एड. सेवारत शिक्षा
- ❑ एम.एड. सेमेस्टर पद्धति
- ❑ एम.एड. व्यावसायिक

8.5 विकास खंड संसाधन केंद्र

'सबके लिए शिक्षा' कार्यक्रम 1993 में उ.प्र. के 10 जिलों में प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु प्रारंभ किया गया। इनकी रणनीतियों में से एक रणनीति बी.आर.सी. तथा एन.पी.आर.सी. स्थापित करना था। बी.आर.सी. को विद्यालयीय प्रभाविकता तथा शिक्षक सशक्तीकरण के लिए विकेंद्रीकृत संरचना के रूप में जाना गया। विद्यालय व्यवस्था तथा इसके शिक्षकों को नियमित तथा लगातार निर्देशन/सहायता प्रदान करने के लिए बी.आर.सी. शैक्षिक संसाधनों के रूप में आधार प्रदान करती है।

राज्य के 38 जिलों में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है। कार्यक्रम के तीसरे चरण के अंतर्गत बी.आर.सी. तथा सी.आर.सी. जैसे ही शैक्षिक संसाधन केंद्रों की योजना बनाई जा रही है। चयन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अंतर्गत विगत शैक्षिक सेवा अभिलेखों के

आधार पर बी.आर.सी. समन्वयकों तथा सह-समन्वयकों की नियुक्तियाँ की गई हैं। उनका चयन कार्यशाला पद्धति से किया गया है।

प्रत्येक बी.आर.सी. के समायोजन के लिए एक समन्वयक की नियुक्ति की जाती है जिसका वेतनमान रु. 4,625-7,000 प्रति माह होता है। सामान्यतः बी.आर.सी. प्रमुख जूनियर हाई स्कूल का प्रधानाचार्य होता है। उसकी सहायता के लिए एक सहायक समन्वयक की नियुक्ति की जाती है।

बी.आर.सी. सीधे जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान के अधीन होती है। बी.आर.सी. मुख्यतः विद्यालय तथा विकास खंड स्तर पर प्रतियोगिताओं का आयोजन करता है। साथ ही विकास खंड स्तर पर विद्यालयीय बच्चों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित करता है। इसके अलावा बी.आर.सी. प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करता है।

8.5.1 बी.आर.सी. समन्वयक की जिम्मेदारियां

बी.आर.सी. समन्वयक की निम्नलिखित जिम्मेदारियां हैं :

- प्रशिक्षण, पर्यवेक्षण एवं शिक्षा में सहायता प्रदान करना।
- सूक्ष्म नियोजन एवं विद्यालयीय मानचित्रण।
- एम.आई.एस. के द्वारा आंकड़े एकत्र करना एवं उनका संश्लेषण करना।
- एन.पी.आर.सी. का अनुरक्षण एवं प्रबंधन।
- विद्यालयों में शैक्षिक, सांस्कृतिक एवं अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।
- बी.आर.सी. के खातों को व्यवस्थित रखना।

प्रत्येक बी.आर.सी. को एक पूर्णतयाः निर्मित भवन का आबंटन किया गया है। भवन में टी.वी., वी.सी.आर., ग्लोब एवं अन्य शैक्षिक उपकरणों की सुविधा दी गई है।

8.5.2 बी.आर.सी. की भूमिका

विद्यालयों में गुणात्मक सुधार हेतु सुझाव देना भी बी.आर.सी. समन्वयक का उत्तरदायित्व है। विद्यालय में छात्रों के ठहराव को प्रोत्साहन देने के लिए तथा शिक्षकों को नई शिक्षण विधियों का प्रयोग करने हेतु उनको प्रेरित करने के लिए बी.आर.सी. समन्वयक विद्यालयों का दौरा करते हैं। बी.आर.सी. एवं उनके समन्वयकों की भूमिका एवं उत्तरदायित्व इस प्रकार हैं :

- अच्छे शिक्षकों की पहचान करना।
- अनुदानों का उचित तरीके से प्रयोग।
- सी.आर.सी. गोष्ठियों में शिक्षकों को कार्य करने तथा भागीदारी करने हेतु प्रेरित करना।
- न्याय पंचायत स्तर पर मेलों का आयोजन करना। उदाहरण – टी.एल.एम. मेला।

- ❑ अनौपचारिक शैक्षिक कार्यक्रमों को सहायता प्रदान करना।
- ❑ शैक्षिक सर्वेक्षण, विद्यालय मानचित्रण एवं आंकड़ों का एकत्रीकरण करना।
- ❑ शिक्षण-अधिगम सामग्रियों में विद्यालयी शिक्षकों की सहायता करना।
- ❑ ग्रामीण शिक्षा समितियों के सदस्यों को प्रशिक्षण देना।
- ❑ ब्लाक स्तर पर मेला आयोजित कर गुणात्मक सुधार लाना।

8.6 सी.आर.सी./एन.पी.आर.सी. की भूमिका

प्रत्येक बी.आर.सी. के अंतर्गत 8 से 10 एन.पी.आर.सी. की स्थापना की गई है। न्याय पंचायत समन्वयक जो कि प्रायः प्राथमिक विद्यालय का प्रधान अध्यापक होता है, बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नियुक्त किया जाता है। न्याय पंचायत समन्वयक के निम्नलिखित मुख्य कार्य हैं :

- ❑ न्याय पंचायत भवन की देखभाल एवं सुरक्षा।
- ❑ न्याय पंचायत स्तर पर मासिक शिक्षक गोष्ठियों का आयोजन करना।
- ❑ उपरोक्त गोष्ठियों एवं कार्यशालाओं का प्रपत्रीकरण एवं उनकी समीक्षा करना।
- ❑ प्राथमिक विद्यालय प्रबंधन में सामुदायिक सहभागिता को सुनिश्चित करना।
- ❑ जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रदत्त प्रशिक्षण एवं शिक्षण सामग्रियों के उचित प्रयोग हेतु प्राथमिक विद्यालयों की सहायता करना।
- ❑ संबंधित न्याय पंचायत के सभी प्राथमिक विद्यालयों का माह में दो बार दौरा करना।
- ❑ विशेष अभियानों द्वारा गांवों में प्राथमिक शिक्षा के लिए समुचित वातावरण तैयार करना।
- ❑ विशेष अवसरों पर बाल मेला एवं प्रदर्शनी आदि का आयोजन करना।

8.7 राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् का मुख्य कार्य राज्य में प्रचलित प्रारंभिक शिक्षा व्यवस्था को शैक्षिक, व्यावसायिक एवं तकनीकी सहायता प्रदान करना है। सहायता प्रदान करने हेतु एस.सी.ई.आर.टी. अपनी भूमिका, उद्देश्य लक्ष्य आदि को इन कार्यों के द्वारा स्पष्ट रूप से चिह्नित करता है :

- ❑ पाठ्यक्रम अनुसंधान, पाठ्यक्रम विकास तथा उसका प्रारूप तैयार करना।
- ❑ शिक्षण अधिगम सामग्रियों का विकास करना।
- ❑ अधिगम का मापन एवं मूल्यांकन।
- ❑ शिक्षकों, अनुदेशकों/शिक्षकों, पर्यवेक्षकों एवं प्रशासकों का प्रशिक्षण एवं उनके व्यावसायिक कौशल का विकास करना।
- ❑ सर्वेक्षण/अध्ययन/अन्वेषण एवं अनुसंधान।
- ❑ शैक्षिक आंकड़ों का नियोजन, समन्वयन एवं प्रबोधन।
- ❑ प्रपत्रीकरण, अनुवाद एवं प्रचार करना।

- शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान के अनुप्रयोग का विकास सुनिश्चित करना और शैक्षिक अनुसंधान में समन्वय स्थापित करना।
- लक्ष्य/उद्देश्य प्राप्ति हेतु आवश्यक प्रपत्रों/पुस्तकों/पत्रिकाओं और अन्य साहित्यों की तैयारी और उनका सार्वजनीकरण करना।

डी.पी.ई.पी. और यू.पी.बी.ई.पी द्वारा उठाए गए कदमों का प्राथमिक शिक्षा पर सार्वभौमिक प्रभाव पड़ा है। ऐसा भी देखा जाता है कि विद्यालय की भागीदारी में मौलिक बाधाएं जैसे कि विद्यालय की असुविधाजनक दूरी को दूर किया जा रहा है। अब परियोजना के लिए यह आवश्यक और संभव हो गया है कि यह अपने कार्यक्रमों को अधिगम की गुणवत्ता पर केंद्रित करे जिससे बच्चे विद्यालय में नियमित रूप से आकर्षित हो सकें और संतोषजनक अधिगम स्तर प्राप्त कर सकें। सार्वभौमिक पहुंच निश्चित रूप से गुणात्मक अधिगम को समुचित कदम के साथ साम्यता प्रदान करती है। इसलिए राज्य के लिए यह आवश्यक है कि राज्य विद्यालय कार्यों को प्रभावकारी इकाइयों के रूप में देखे।

गुणात्मक कार्यों का प्राथमिक उद्देश्य यह है कि प्रत्येक बालक के अधिगम स्तर को वांछित मानकों तक लाया जा सके। इनका गौण उद्देश्य विद्यालय के स्थानीय अधिग्रहण को प्रेरित करना तथा विद्यालयों को आत्मनिर्भर इकाइयों के रूप में विकसित करना है। गौण होने के कारण ये उद्देश्य कम महत्त्वपूर्ण नहीं हैं परंतु दीर्घ अवधि स्वरूप होने के कारण इनके वांछित परिणाम प्राप्त करने में अधिक समय लगता है।

यह कम ही होता है कि गौण उद्देश्यों की प्राप्ति सभी बालकों के सतत गुणात्मक अध्ययन के द्वारा ही की जा सकती है। यहां मुख्य रूप से यह चिंतनीय है कि मूलभूत सुविधाओं से वंचित समुदायों के इलाकों में स्थापित विद्यालय का उत्तरदायित्व वहां के लोगों को केवल साक्षर करना ही नहीं बल्कि उनको अपने जीवन को अर्थपूर्ण और उपयोगी बनाने के बारे में भी शिक्षित करता है।

इन उद्देश्यों के आधार पर अपेक्षित परिणाम इस प्रकार हैं :

- 100 प्रतिशत नामांकन निश्चित करना।
- औसत 200 दिवसों में सभी बच्चों की उपस्थिति निश्चित करना।
- सभी बालकों द्वारा न्यूनतम अधिगम स्तर प्राप्त करना।
- अधिगम वातावरण का सुधार करना।
- संदर्भित आवश्यकताओं की शैक्षिक सूची का बेहतर रूप में एकीकरण करना।
- विद्यालयों को अधिकतम स्थानीय अधिग्रहण प्रदान करना।
- अधिकतम आत्मनिर्भर विद्यालयों का विकास करना।

8.8 शैक्षिक अनुसमर्थन के संवर्धन हेतु कार्यक्रमों/संस्थाओं का विश्लेषण एवं चित्रण

8.8.1 डाइट-बी.आर.सी.-सी.आर.सी.

यू.पी.बी.ई.पी. आच्छादित जनपदों में पाठ्यक्रम को सुधारने के साथ ही पाठ्यपुस्तकों का विश्लेषण, स्थानीय आवश्यकता पर आधारित पूरक अध्ययन सामग्रियों के विकास को संदर्भित सूची में प्रविष्ट कर सराहनीय कार्य किया गया है। क्षमता संवर्धन हेतु योजनाएं और विकेंद्रीकृत संस्थाओं के ढांचों का सशक्तिकरण, सेवारत शिक्षकों को सतत प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए किया गया है। शिक्षकों को 6 दिनों का प्रशिक्षण, भाषा शिक्षण, गणित शिक्षण तथा पर्यावरणीय अध्ययन के कुशल शिक्षण को विकसित करने के लिए पूरक अधिगम सामग्रियों द्वारा दिया जाता है। विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट और अध्ययन जैसे – बी.ई.पी. का मध्यावधि मूल्यांकन, बी.ई.पी. का सामर्थ्य अध्ययन, कक्षा-कक्ष निरीक्षण अध्ययन, विद्यालयीय दौरा, पर्यवेक्षित प्रकाशित क्षेत्र आदि सभी के लिए विशेष प्रयत्न के क्षेत्र को रेखांकित करती है।

इस तथ्य की अवहेलना नहीं की जा सकती है कि यू.पी.बी.ई.पी. ने डाइट को विभिन्न अनुभवों द्वारा उत्तरदायित्वपूर्ण बनाकर प्राथमिक शिक्षा से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों को करने हेतु एक कुशल शैक्षिक नेतृत्व विकसित किया है।

बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी का बी.आर.सी. एवं एन.पी.आर.सी. पर पूर्णतया नियंत्रण रहता है। डाइट संस्थानों को अक्सर यह महसूस होता है कि बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी उनके कार्यों एवं विद्यालय शिक्षकों के बारे में प्राप्त सूचनाओं को कम महत्त्व देते हैं। इसकी वजह से एन.पी.आर.सी. एवं बी.आर.सी. स्तर पर कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए जा सके हैं। प्रायोगिक तौर पर डाइट–बी.आर.सी.-एन.पी.आर.सी. समन्वयकों को गहन प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। साथ ही उनको विभिन्न तकनीकों, शिक्षकों के व्यावसायिक विकास एवं प्रभावी शैक्षिक पर्यवेक्षण के लिए भी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। इससे यह भी प्रदर्शित होता है कि डाइट, बी.एस.ए., ए.बी.एस.ए., बी.आर.सी. समन्वयक तथा एन.पी.आर.सी. समन्वयक के लिए शैक्षिक नियोजन, प्रबंधन एवं सामुदायिक संबंधों के क्षेत्र में नई क्षमताओं का विकास करना जरूरी है। इस बात की आवश्यकता महसूस की जा रही है कि डाइट, बी.आर.सी.–सी.आर.सी. एवं विद्यालय के बीच में अच्छा एवं मजबूत संबंध होना चाहिए।

कक्षा-कक्ष निरीक्षण एवं विद्यालय पर्यवेक्षण के दौरान यह बात साबित होती है कि शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का प्रभाव पूरी तरह से विद्यालय एवं कक्षा तक नहीं पहुंच सका है। इस संबंध में एक उचित वातावरण बनाने की आवश्यकता है जिसमें शिक्षकों के संपूर्ण कौशल का पूर्ण रूप से उपयोग किया जा सके। इस नजरिए के आधार पर यह अत्यंत जरूरी है कि डाइट, बी.आर.सी. एवं सी.आर.सी. जैसी संस्थाएं विभिन्न स्कूलों एवं अध्यापकों को शैक्षिक सहयोग दें।

इस विश्लेषण एवं परिणाम को ध्यान में रखते हुए एक सुनियोजित एवं सुविचारित तीन दिवसीय कार्यशाला आयोजन डाइट, पटनी, सहारनपुर में 10-12 मई, 1999 को आयोजित की गई। इसमें डाइट के सदस्यों, बी.एस.ए., ए.बी.एस.ए., गुणवत्ता समन्वयक, बी.आर.सी. एवं एन.पी.आर.सी. समन्वयक एवं यू.पी.बी.ई.पी. से आच्छादित जनपदों के शिक्षकों द्वारा भाग लिया गया। इस कार्यशाला के मुख्य उद्देश्य थे :

- डाइट-बी.आर.सी.-एन.पी.आर.सी. के मध्य संबंधों को और मजबूत बनाना।
- शैक्षिक सहयोग एवं पर्यवेक्षण के स्पष्ट दृष्टिकोण को लागू करना।
- डाइट, बी.एस.ए./ए.बी.एस.ए., बी.आर.सी. समन्वयकों एवं सी.आर.सी. समन्वयकों के लिए कार्यक्रमों का निर्माण करना।
- विद्यालय में कक्षा निरीक्षण के लिए विभिन्न बिंदुओं को निर्धारित करना।
- शिक्षकों के वार्षिक-शैक्षिक-योजनाओं का विकास करना।
- शिक्षण-अधिगम सामग्री का निर्माण एवं उपयोग करना।

उपरोक्त संस्थानों के करीब 70 प्रतिभागियों ने इस कार्यशाला में भाग लिया। इसमें विचार पत्रकों, एवं भ्रमण आख्याओं पर विस्तृत चर्चा की गई। इसी आधार पर स्थिति की विवेचना के लिए विभिन्न निरीक्षण बिंदुओं एवं मानकों का विकास किया गया।

इसी प्रकार के अन्य कार्यक्रमों को सभी डाइट सदस्यों, ए.बी.एस.ए., बी.आर.सी. एवं सी. आर.सी. समन्वयकों के लिए आयोजित करने की एक विस्तृत योजना तैयार की गई। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन डाइट संस्थानों में किया गया था। कुल मिलाकर 2,503 प्रतिभागी लाभान्वित हुए। पटनी कार्यशाला के बाद प्रत्येक डाइट ने प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए व्यवस्थित प्रक्रिया को तैयार किया। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में डाइट की सहायता के लिए राज्य परियोजना कार्यालय के अधिकारियों को तैनात किया गया था। इस कार्यक्रम से प्राप्त मूल्यांकन एवं अन्य जानकारी काफी उत्साहवर्द्धक सिद्ध हुई। इन विस्तृत प्रतिवेदनों की विवेचना के लिए एस.पी. ओ. स्तर पर एक समिति गठित की गई और इसी आधार पर शैक्षिक सहयोग की एक विस्तृत योजना का क्रियान्वयन किया गया। विद्यालयों में प्रत्येक स्तर पर व्यापक पर्यवेक्षण करने हेतु अकादमिक कोर टीम का निर्माण किया गया। इसमें प्रत्येक स्तर पर पर्यवेक्षण एवं विद्यालयीय दौरों के लिए एक स्पष्ट रूपरेखा तैयार की गई।

8.9 राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठनों का सहयोग

8.9.1 राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) तथा संशोधित कार्ययोजना (1992) का सेवापूर्व एवं सेवारत प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा है। बीते वर्षों में भारत ने अध्यापक शिक्षण के लिए एक बहुरेखीय प्रारूप का विकास किया है। राष्ट्रीय स्तर पर एन.सी.ई.आर.टी. जिसका गठन 1961 में किया गया, इस समय देश में पाठ्यक्रम निर्माण एवं अध्यापक शिक्षा के लिए निर्देशन सामग्री आदि का निर्माण करने वाली एक अग्रणी संस्था है।

अध्यापक शिक्षा जिसमें प्राथमिक अध्यापकों की शिक्षा भी शामिल है, इस विषय में एन.सी.ई.आर.टी. का अनुभव तीन दशक से भी ऊपर का है। इसमें शामिल हैं पाठ्यक्रम निर्माण एवं क्षेत्रीय शिक्षण संस्थानों द्वारा शिक्षण से संबंधित अन्य सामग्रियों का सफलतापूर्वक प्रतिपादन। सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अंतर्गत एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा तीन केंद्र प्रायोजित योजनाओं को चलाया जा रहा है। जैसे पी.एम.ओ.एस.टी., जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान एवं एस.ओ.पी.टी.।

8.9.1.1 प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कुछ मुख्य भूमिकाएं

- प्राथमिक शिक्षकों के लिए पाठ्यक्रम निर्माण एवं संस्थान सामग्री को तैयार करने में स्टेट टास्क फोर्स को उचित सलाह देना।
- अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए मॉड्यूलर पाठ्यक्रम का निर्माण करने के लिए स्टेट टास्क फोर्स को उचित सलाह देना।
- मानक अनुदेशन सामग्री का प्रिंट और इलेक्ट्रोनिक माध्यम का विकास करना।
- एस.सी.ई.आर.टी. और डाइट् को आवश्यक शैक्षिक सहयोग प्रदान करना।
- अध्यापकों और संदर्भ व्यक्तियों हेतु अनुस्थापन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।

8.9.2 राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एन.सी.टी.ई.)

अध्यापक शिक्षा में गुणवत्ता नियंत्रण के लिए संसद के अधिनियम के अंतर्गत एन.सी.टी.ई. की 1993 में स्थापना की गई। एन.सी.टी.ई. एक नई संस्था है जिसे अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की विधिक शक्ति प्राप्त है। एन.सी.टी.ई. ने कई क्षेत्रों में (सेवापूर्व शिक्षक शिक्षा हेतु) पाठ्यक्रम निर्माण तथा स्वानुदेशित मॉड्यूल्स इत्यादि के विकास में कार्य किया है। एन.सी.टी.ई. ने एक नया संगठन होते हुए भी विश्वविद्यालयों एवं उन सभी संस्थाओं से जो कि अध्यापक शिक्षा पर बल देती हैं संबंध स्थापित कर विशेषज्ञता अर्जित की है।

कुछ मुख्य भूमिकाएं

- शिक्षाशास्त्रियों की सतत शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम निर्माण एवं अनुदेशन सामग्री को तैयार करने हेतु स्टेट टास्क फोर्स को उचित सलाह देना।
- शिक्षाशास्त्रियों के प्रशिक्षण के लिए उदाहरण सहित अनुदेशन सामग्री का प्रिंट एवं इलैक्ट्रोनिक माध्यम से विकास करना।
- शिक्षक प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण का पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन करना।
- अध्यापक शिक्षा के लिए विभिन्न मानकों का निर्धारण एवं अनुरक्षण करना।
- अध्यापक शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों में से मानक विहीन एवं आक्षेप योग्य आचरण करने वाले संस्थानों को अलग करना।
- सतत अध्यापक शिक्षा को विशेष महत्त्व प्रदान करना।
- अध्यापक शिक्षा व्यवस्था एवं उससे संबंधित अन्य व्यवस्थाओं के मध्य अच्छे समन्वय

बनाना एवं संबंधों को प्रोत्साहन देना। देश में अध्यापक शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न खोजों एवं अनुसंधानों को प्रोत्साहित करना एवं उनके निष्कर्षों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना।

- अध्यापक एवं शिक्षाशास्त्रियों के शैक्षिक एवं व्यावसायिक विकास तथा प्रौढ़ एवं अनौपचारिक शिक्षा कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए मानकों एवं कार्यक्रमों का निर्धारण करना।
- अध्यापक शिक्षा के विकास, विशेषतया प्राथमिकताओं, नीतियों, योजनाओं एवं कार्यक्रमों के संबंध में केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालयों एवं अन्य अध्यापक शिक्षा संस्थानों को उचित सलाह प्रदान करना। इसी दिशा में राज्य अध्यापक शिक्षा परिषद् की भी स्थापना की जानी है।
- एन.सी.ई.आर.टी. के सहयोग से राज्य स्तर पर पाठ्यक्रम निर्माण, पाठ्यपुस्तकों की रचना एवं अन्य शिक्षण अधिगम सामग्रियों को प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के लिए तैयार करना। साथ ही सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की सहायता से शिक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करना।

उत्तर प्रदेश सरकार के शिक्षा विभाग ने राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के मार्गदर्शक अपेक्षाओं को प्रयोग में लाना सुनिश्चित किया है। इसके साथ ही राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने एन.सी.टी.ई. के मानकों के अनुसार सेवापूर्व प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के पुनर्निर्माण की भी एक योजना प्रारंभ की है।

8.9.3 राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय

सन् 1978 में सी.बी.एस.ई. के अंतर्गत मुक्त विद्यालय से अनुभव प्राप्त करने के बाद राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय की सन् 1989 में स्थापना की गई। दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से विद्यालय स्तरीय शिक्षा प्रदान करने का राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय के पास महत्त्वपूर्ण एवं उल्लेखनीय अनुभव है, विशेषतया पाठ्यक्रम निर्माण एवं अनुदेशन सामग्री विकसित करने के क्षेत्र में, दूरस्थ शिक्षा एवं विद्यालय से संबंधित पाठ्यक्रम विकास में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय को विशेष कुशलता प्राप्त है। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय के अंतर्गत 500 से अधिक अध्ययन केंद्र स्थापित हैं जो कि माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के परिसर में चलाए जा रहे हैं।

अभ्यर्थियों को नामांकन के लिए साल में दो बार बुलाया जाता है। इसके साथ ही हर बार दस दिन का सम्पर्क शिविर लगाया जाता है जिसमें उनकी समस्याओं का निराकरण होता है। 1995 से संस्थान ने निरंतर अध्ययन संपर्क की योजना भी शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत अभ्यर्थियों को कक्षा में बैठने का अवसर प्राप्त होता है। इस कार्यक्रम की अवधि 8 महीने की होती है जिसमें 3 शिक्षक प्रतिदिन सप्ताह में 4 दिन पढ़ाते हैं। यह योजना नियमित कक्षा शिक्षण के समान ही लाभकारी है। इस समय प्रदेश के 117 केंद्रों पर यह योजना चल रही है।

8.9.3.1 भूमिका

- अप्रशिक्षित अध्यापकों को माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम की पूर्ति करना।
- अप्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के निर्माण में राज्य मुक्त विद्यालय एवं शिक्षा परिषदों को उचित सलाह प्रदान करना।

यद्यपि उत्तर प्रदेश सरकार अपना राज्य स्तरीय मुक्त विद्यालय स्थापित करने की योजना पर विचार कर रही है फिर भी थोड़े समय के लिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय की सहायता से पत्राचार शिक्षा सामग्री एवं राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय की ही अन्य शैक्षिक सहायता ली जा रही है।

8.9.4 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय को स्थापित हुए दस वर्ष हो चुके हैं। यह विश्व में दूरस्थ शिक्षा की अग्रणी संस्था है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय दूरस्थ शिक्षा द्वारा 50 से अधिक कार्यक्रम एवं 250 से अधिक पाठ्यक्रम संचालित करता है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने प्रिन्ट सामग्री, व्यक्तिगत सम्पर्क कार्यक्रम, ऑडियो एवं वीडियो केसेट्स, टी.वी. प्रसारण एवं टेलीकान्फ्रेंसिंग के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी प्रयोग का महत्त्वपूर्ण अनुभव प्राप्त किया है।

दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में इन सभी तकनीकी प्रयोग के निर्माण एवं पूर्ति हेतु पूरे विश्व में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की विशिष्टता मानी जाती है। उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम के निर्माण में भी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय को विशेष कुशलता प्राप्त है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने सेटेलाइट के माध्यम से विभिन्न राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों एवं अपने क्षेत्रीय केंद्रों के बीच सह-संबंध स्थापित कर लिए हैं। पूरे देश में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के 200 अध्ययन केंद्र विभिन्न कालेजों एवं विश्वविद्यालयीय विभागों में स्थापित हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने प्राथमिक स्तरीय प्रशिक्षण के लिए विभिन्न प्रदेशों के पाठ्यक्रम पर आधारित अपना डिप्लोमा कार्यक्रम भी प्रारंभ किया है। इस मुक्त विश्वविद्यालय ने अप्रशिक्षित अध्यापकों के लिए सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम का समारंभ पहले से ही कर दिया है।

8.9.4.1 भूमिका

इस संस्था की भूमिकाएं इस प्रकार हैं :

- प्राथमिक शिक्षकों के लिए दूरस्थ शिक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।
- मातृभाषा में दूरस्थ शिक्षा के द्वारा मॉड्यूलर अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करने के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों के साथ गठबंधन किया है।
- राज्य को प्राप्त सुविधाओं एवं केंद्रों के विषय में उचित सलाह प्रदान करना।

- राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् एवं जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान कर्मियों द्वारा टी.बी कार्यक्रमों के पारस्परिक प्रयोग हेतु अनुस्थापन कार्यक्रम।
- दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों के प्रभाव का पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन करना।

अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का राज्य के प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के सेवारत प्रशिक्षण में विशेष योगदान रहा है।

8.9.5 राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान (नीपा)

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान का शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासन में लंबा अनुभव है। शैक्षणिक मुद्दों पर आधारित शोधों में योगदान के लिए महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान ने प्रशिक्षु प्रशासकों एवं पर्यवेक्षणों को दृष्टिगत रखकर, अनुदेशन सामग्री निर्माण एवं भारत और अन्य विकासशील देशों के ऐसे लक्ष्य समूहों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की भी पूर्ति की है। शैक्षिक नियोजन एवं सुधार के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान का मुख्य उद्देश्य शोध एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यावसायिक सहयोग प्रदान करना है।

8.9.5.1 भूमिका

- पंचायती राज्य संस्थाओं के बी.ई.ओ.आई./सी.ई.ओ. पर्यवेक्षकों एवं अन्य विभागीय कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए तैयार होने वाले पाठ्यक्रम एवं अनुदेशन सामग्री में स्टेट टास्क फोर्स को उचित परामर्श देना।
- पंचायती राज्य संस्थाओं के विभागीय कर्मचारियों एवं शिक्षा समितियों के सदस्यों के प्रशिक्षण के लिए दृष्टांत सहित प्रशिक्षण सामग्री का विकास करना।
- राज्य स्तरीय शिक्षा से जुड़े अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए कार्यक्रम आयोजित करना।

उत्तर प्रदेश के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान का सहयोग कई तरह से महत्त्वपूर्ण रहा है। उच्च स्तरीय शैक्षिक अधिकारियों के प्रशिक्षण पर पड़ने वाले दबाव के फलस्वरूप राज्य ने राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान के समान एक ऐसी ही संस्था की स्थापना की है जो सीमेट (SIEMAT)के नाम से जानी जाती है। अब प्रशिक्षण, कार्यक्रमों का नियोजन, शोध एवं मूल्यांकन कार्यक्रमों हेतु सीमेट द्वारा आयोजन किया जाता है।

8.10 राज्य स्तरीय संदर्भ समूह (एस.आर.जी.)

शैक्षणिक योजना को लागू करने एवं सुधारों के क्रियान्वयन के लिए एक राज्य स्तरीय संदर्भ समूह की स्थापना की गई है जिसमें कुशल एवं अनुभवी कार्यकर्ताओं को स्थान दिया गया है। पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकें एवं अध्ययन, प्रशिक्षण, दृष्टांत सामग्री के विकास में प्रभावपूर्ण योगदान के लिए राज्य संदर्भ समूह सदस्यों को नवीन कौशलों का उचित प्रशिक्षण प्रदान किया

जाता है। एस.आर.जी. के गठन के समय राज्य परियोजना कार्यालय ने इस बात का विशेष ध्यान रखा कि इसमें केवल वे ही लोग सम्मिलित हों जो शैक्षणिक सुधारों की प्रक्रिया के क्रियान्वयन में अपना योगदान दे सकें।

पाठ्य-पुस्तकों में सुधार के लिए विभिन्न क्षेत्रों के कुशल व्यक्तियों के अनुभवों एवं विचारों को भी आधारभूत महत्त्व प्रदान किया गया है। पहली बार इस प्रक्रिया में प्राथमिक विद्यालयों के 16 शिक्षकों को शामिल किया गया है। इन सदस्यों में 6 डाइट प्रवक्ता, 6 महिलाओं एवं गुणवत्ता समन्वयकों, तीन विश्वविद्यालय विशेषज्ञों और 14 अन्य सदस्यों जो कि एस.सी.ई.आर.टी., एस.आई.ई., सी.पी.आई., एस.आई.एस.ई., राज्य हिंदी संस्थान इत्यादि तथा गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधि हैं तथा जिन्हें शैक्षिक क्षेत्र एवं एन.सी.ई.आर.टी. में कार्य करने का अनुभव था, सम्मिलित किए गए।

शैक्षणिक योजना में एस.आर.जी. की भूमिका इस प्रकार है :

- मानक निर्धारण, विभिन्न गतिविधियों के मार्गदर्शक बिंदुओं का विकास करना, उचित कार्य संस्कृति एवं प्रेरणा का सृजन करना।
- विभिन्न गतिविधियों के नवीनीकरण एवं सुदृढ़ीकरण योजनाओं का वर्तमान स्तर में बदलाव करना।
- विभिन्न गतिविधियों एवं प्रक्रियाओं से मूल्यांकन एवं पर्यवेक्षण करना।
- योजनाओं एवं शैक्षिक प्रक्रियाओं से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर आवश्यक परिवर्तन।
- अपनी पहल पर अधिक संसाधन विकसित करने वाले व्यक्तियों का समावेश करना।
- जिला एवं ब्लाक स्तर पर क्षमताओं का विकास करना।

एस.आर.जी. सदस्यों के लिए आयोजित प्रतिस्थापन कार्यक्रम के बाद में इन सदस्यों को भ्रमण के लिए हैदराबाद, जयपुर और सियालदाह (कोलकाता) भेजा गया जहां पर इनको वैकल्पिक शिक्षा के प्रतिदर्शों के बारे में जानकारी प्रदान की गई। इन सदस्यों ने वैकल्पिक 'विद्यालय प्रतिदर्शों के अंतर्गत, बाल श्रम, विद्यालय से बाहर पाए जाने वाले बच्चों तथा स्कूल चलो अभियान, आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की। इसमें हैदराबाद में एम.वी. फाउंडेशन, हैदराबाद, लॉरेटो डे स्कूल, सियालदाह, लोक जुम्बिश स्कूल, राजस्थान से जुड़ी बोध शिक्षा समिति, जयपुर आदि संस्थान प्रमुख हैं। उपरोक्त प्रतिदर्शों के आधार पर उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक शिक्षा के प्रतिदर्शों के निर्माण की योजना भी है। इन सदस्यों ने जिलों का भी भ्रमण किया और जिला कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रभावपूर्ण ढंग से लागू किए गए विभिन्न वैकल्पिक शिक्षा प्रतिदर्शों का अध्ययन किया। इस प्रक्रिया के द्वारा विभिन्न लक्ष्य समूहों के लिए विभिन्न वैकल्पिक शिक्षा नीतियों का विकास किया गया।

8.11 प्रशासकीय तथा पर्यवेक्षण कौशल की प्रभावी रणनीति

8.11.1 प्रशासन का विकेंद्रीकरण और आधुनिकीकरण

प्रशासकीय क्रियाविधि, एवं पर्यवेक्षण की प्रचलित नीतियों का कुछ वर्णन पहले भी किया गया है। कई वर्षों से प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्‌यालयों के शिक्षा संघों में इस योजना के विकेंद्रीकरण पर बल दिया जा रहा है। इस योजना के अनुसार प्राथमिक शिक्षा संरचना जिलों में, विकास खंडों तथा एन.पी.आर.सी. स्तर पर बनाए गए हैं तथा क्रियाशील किए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा में क्षेत्रीय और जिला स्तरीय संस्थाएं भी स्थापित की गई हैं जो प्रशासकीय और पर्यवेक्षण के कौशल से संबद्‌ध हैं। लोक सेवा आयोग द्‌वारा प्रशासन तथा पर्यवेक्षण कार्य हेतु सक्षम अधिकारियों की भर्ती के लिए इन संस्थाओं का निर्माण किया गया है। उनमें से अधिकतर शिक्षा अधिकारी पी.सी.एस. स्तर के हैं।

प्रशासनिक तंत्र को आधुनिक बनाने के लिए एक प्रयास और भी किया गया है जिसमें कंप्यूटर के उपयोग और सूचना प्रबंधन तंत्र को बढ़ावा दिया गया है। रिकार्डों की क्षेत्र स्तरीय देखभाल की जिम्मेदारी जिला तथा बी.आर.सी./सी.आर.सी. स्तर के संगठनों की है जबकि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्‌यालयों के संबंध में यह कार्य क्षेत्रीय कार्यालय तथा जिले स्तर पर संपादित किया जाता है।

प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तरों के लिए विशेष तौर पर बी.आर.सी., सी.आर.सी. तथा वी.ई.सी. द्‌वारा सामुदायिक सहभागिता प्राप्त होती है। इस प्रकार विकेंद्रीकरण की नीति के परिणामस्वरूप विद्‌यालयीय स्तर पर समाज की भागीदारी बहुत उत्साहवर्द्‌धक रही है।

8.11.2 निरीक्षण और पर्यवेक्षण क्रियाविधि

राज्य के शिक्षा विभाग द्‌वारा विद्‌यालय के निरीक्षण के मुख्य उद्‌देश्य इस प्रकार हैं :

1. संस्था के प्रमुख के साथ समसामयिक मसलों पर चर्चा करना।
2. कक्षा का निरीक्षण तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के प्रभाव तथा कुशलता का निर्धारण करना।
3. विद्‌यालय की शैक्षिक आवश्यकताओं का पता लगाना और उसी क्षेत्र के दूसरे विद्‌यालयों से इसके संबंध की स्थिति का आकलन करना।
4. शैक्षणिक तथा शिक्षणेत्तर स्टाफ के वेतन के वितरण को नियमित तथा ठीक करना।

8.11.3 निरीक्षण के मानक

जिला विद्‌यालय निरीक्षकों को मानक के अनुसार दो साल में कम से कम एक बार सरकारी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट विद्‌यालय में निरीक्षण करना आवश्यक है। इसके अलावा जिन विद्‌यालयों का 1 साल में पूरी तरह से निरीक्षण नहीं हुआ है उन्हें उन विद्‌यालयों में भी जाना चाहिए। आवश्यकता महसूस होने पर निरीक्षण सूचना उप निदेशक (शिक्षा) को भेजी जानी चाहिए। इसे शिक्षा निदेशक अपनी टिप्पणियों के साथ भेज सकते हैं। अन्य बातों के साथ ही

सूचना में अध्यापकों का विवरण उनकी शैक्षिक योग्यता, विद्यालयों में खेल तथा सांस्कृतिक क्रियाकलापों के साधनों का संचालन, संस्था का अनुशासन, पुस्तकालय का स्तर और विद्यालय की इमारत तथा फीस का वर्णन, वित्तीय प्रबंधन, परीक्षाफल आदि का वर्णन भी होना चाहिए।

पैनल निरीक्षण की दशा में, पैनल के सदस्य अपनी व्यक्तिगत सूचनाएं प्रस्तुत करते हैं जो उपर्युक्त बातों से संबंधित होती हैं (विशेष संदर्भ के साथ)। शैक्षिक क्रियाकलापों संबंधी आख्या को निरीक्षण के तत्काल समाप्त होने के बाद जिला विद्यालय निरीक्षक को सौंप दिया जाता है।

उच्च प्राथमिक तथा प्राथमिक विद्यालयों के सब डिप्टी निरीक्षक से आशा की जाती है कि वे वर्ष में मैदानी क्षेत्रों में 60 विद्यालयों तथा पहाड़ी क्षेत्रों के 40 विद्यालयों का निरीक्षण करें। निरीक्षक अधिकारी को तीन महीने के अंतराल पर साल में कम से कम 2 बार संस्थान का पूरा निरीक्षण करना होता है।

शैक्षिक वर्ष के दौरान पहला निरीक्षण दिसम्बर माह के अंत में तथा दूसरा मार्च माह के अंत में किया जाना चाहिए।

सर्वेक्षण के आधार पर यह पता चलता है कि निरीक्षण अधिकारी बताए गए मानकों के अनुसार सभी विद्यालयों का निरीक्षण नहीं कर पाते हैं। सभी जिला स्तरीय निरीक्षण अधिकारियों का कहना है कि वे प्रत्येक वर्ष सभी विद्यालयों का निरीक्षण करने में असमर्थ हैं क्योंकि इसके अलावा भी उन्हें बहुत से कार्य करने होते हैं। मान्यता प्रदान करने के लिए गैर सरकारी विद्यालयों का निरीक्षण, शैक्षणिक तथा कार्यालय कर्मचारी स्टाफ का वेतन भुगतान, वित्तीय सहायता प्राप्त करना तथा परिषद्रीय विद्यालयों में छात्रवृत्ति की स्वीकृति तथा वितरण, राष्ट्रीय योजनाओं का क्रियान्वयन जैसे सूक्ष्म नियोजन, वृक्षारोपण, परिवार कल्याण, जिला योजना आयोग की बैठक, ब्लाक विकास समिति, चुनाव ड्यूटी, जनगणना कार्य, विभिन्न शिकायतों का निरीक्षण, प्रशासनिक पर्यवेक्षण, विद्यालय की इमारत का निर्माण-कार्य आदि।

8.11.4 विषय पर आधारित पर्यवेक्षण

पैनल निरीक्षण का एक भाग आदर्श पाठों का निर्धारण या निरूपण करना है। उन अध्यापकों के क्रियाकलाप तथा गतिविधियों को उदाहरण के रूप में, अन्य अध्यापकों के सामने लाया जाता है जिनका कार्य उच्च कोटि का है। इसमें यह भी कार्य सम्मिलित किया गया है जिसमें संबंधित अध्यापक की कमियों को दूर करने के लिए सलाह टिप्पणी तथा निर्देश दिए गए हैं।

निरीक्षण सूचना तैयार करने के लिए एक निश्चित प्रारूप होता है। पैनल निरीक्षण के समय प्रत्येक विद्यालय "विद्यालय अध्ययन आख्या" तैयार करता हैं जिसे पैनल निरीक्षकों को प्रस्तुत किया जाता है। पैनल द्वारा अपना दौरा खत्म करने पर, निरीक्षण की रिपोर्ट जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक के समक्ष उसके निर्देशों सहित (यदि आवश्यक हो तो निदेशक को भेजी जाती है) तथा एक प्रति संबंधित संस्था को भी भेजी जाती है।

8.12 शैक्षिक आयोजकों तथा प्रशासकों का प्रशिक्षण

8.12.1 राज्य शैक्षिक प्रबंधन और प्रशिक्षण संस्थान की भूमिका

राज्य शैक्षिक प्रबंधन तथा प्रशिक्षण संस्थान 17 नवंबर 1994 को अस्तित्व में आया। यह एक स्वतंत्र ढांचा है जो सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत रजिस्टर्ड है। इसने जुलाई 1995 में कार्य करना शुरू किया। संस्था के मुख्य उद्देश्य निम्नवत हैं :

- ❑ शैक्षिक प्रशासन के सभी स्तरों के अंतर्गत शोध, मूल्यांकन, योजनाओं के क्रियान्वयन तथा प्रबंधन को शामिल करना।
- ❑ शैक्षिक मूल्यांकन की प्रक्रिया का प्रबंध और विस्तार करना।
- ❑ प्रशासन के सभी स्तर पर शिक्षा योजना तथा प्रबंधन में व्यावसायिक तथा संसाधन अवलंब देना।
- ❑ शैक्षिक कार्यकर्ताओं तथा कम्यूनिटी अध्यक्ष जो कि राज्य क्षेत्र या जिला स्तर के हैं, उनके लिए पूर्व प्रेरक, सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा पूर्वाभिमुखीकरण पाठ्यक्रम का आयोजन करना।
- ❑ शैक्षिक योजनाओं तथा प्रबंधन के क्षेत्र में राज्य, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सूचनाओं का संकलन एवं विश्लेषण।
- ❑ शोध कार्यक्रमों एवं शैक्षिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहायता, विस्तार एवं समन्वयन का अध्ययन।
- ❑ उत्तर प्रदेश राज्य के अलावा भारत सरकार तथा दूसरी शैक्षिक संस्थानों के अनुग्रह पर राज्य को सलाह उपलब्ध कराना।
- ❑ दूसरे राज्यों को शैक्षिक योजनाओं और प्रशासन में प्रशिक्षण और शोध की सुविधा प्रदान करना और उन कार्यक्रमों में स्वयं की सहभागिता देना।

सीमेट के पास पांच शैक्षिक विभाग हैं जो विद्यालय से संबंधित प्रशिक्षण और शोध आदि विशिष्ट कार्यक्रमों से संबंधित हैं :

- ❑ नीति और योजना विभाग
- ❑ प्रबंधन विभाग
- ❑ शैक्षिक वित्त विभाग
- ❑ शोध, मूल्यांकन तथा शैक्षिक नवाचार विभाग
- ❑ शैक्षिक सूचना-प्रबंधन विभाग।

इसके साथ ही सीमेट में प्रशिक्षण और शोध कार्य के लिए दो अलग-अलग इकाइयां हैं। प्रशिक्षण इकाई में यह संस्थान चार प्रकार के आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करता है। ये हैं –

8.12.2 संवर्ग आधारित प्रशिक्षण

संवर्ग आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम अलग-अलग शैक्षिक योजनाओं और प्रबंधन कार्यों में चलाए जाते हैं जो कि उनके दायित्वों को प्रभावशाली ढंग से करने में मदद करते हैं।

मुख्य संवर्ग आधारित कार्यक्रमों के अंतर्गत सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/विद्यालय उप निरीक्षक, उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, प्राचार्य और योजना के सदस्य और डाइट्स की इकाइयों के प्रबंधन, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के जिला समन्वयक, जनपदीय और अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत अभिकर्मी/अधिकारी शामिल हैं।

8.12.3 योजना आधारित प्रशिक्षण

महत्त्वपूर्ण योजनाओं और बेसिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार पर प्रकाश डालने के लिए सीमेट प्रत्येक स्तर पर क्षमता संवर्धन हेतु शैक्षिक प्रसार के लिए विषय-वस्तु हेतु प्रशिक्षण का आयोजन करती है। इनका मुख्य उद्देश्य स्कूलों के लिए, सूक्ष्म योजना, वित्तीय प्रबंधन, बी.आर.सी. और एन.पी.आर.सी. की वार्षिक कार्ययोजनाओं तथा बजट की तैयारी, पंचवर्षीय योजनाओं की तैयारी और विद्यालय प्रबंधन और क्रियात्मक शोध में दक्षता विकसित करना है।

8.12.4 क्षेत्रीय स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

स्थानीय संदर्भों के आलोक में प्रशिक्षण को अधिक से अधिक प्रासंगिक संस्था के ढांचा तथा महत्त्वपूर्ण मुद्दों के आधार पर शैक्षिक कार्यक्रम क्षेत्रीय स्तर पर लागू किया है। इसके मुख्य कार्यक्रम ए.बी.एस.ए. का प्रशिक्षण, क्रियात्मक शोध की युक्ति के अनुप्रयोग तथा विद्यालय प्रबंधन से संबंधित हैं।

8.12.5 इंडक्शन प्रशिक्षण

यह संस्था राज्य के प्रादेशिक शैक्षिक सेवा में चयनित अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण आयोजित करती है।

8.12.6 उपलब्धियां

इसने पर्यवेक्षण में शैक्षिक दृष्टि विकसित करने पर भी प्रभाव डाला है। अनेक क्षमता संवर्धन कार्यशालाओं में स्थायी विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है।

यह देखा गया है कि शैक्षिक नियोजकों एवं प्रशासकों के प्रशिक्षण में विशेष महत्त्व देने के कारण विद्यालयों की क्रियाएं सहभागिता आधारित हो गईं हैं। पर्यवेक्षण कार्यक्रमों में भी शैक्षिक पहुंच सुनिश्चित हुई है। कुल मिलाकर एक स्थायी प्रकार का संस्थागत संवर्धन विकसित हो रहा है।

8.12.7 न्यूनताएं

सारे जनपदों में विद्यालयीय स्तर पर नियमित रूप में पर्यवेक्षण न हो पाना और प्रशासनिक आधार पर नए संबंध नहीं बना पाना वर्तमान व्यवस्था की मुख्य न्यूनताएं हैं। सभी प्रकार के

प्रशिक्षण का उद्‌देश्य इन सबका विकास करना है। इन कमियों को दूर करने के लिए प्रशिक्षण पैकेज तैयार करने की आवश्यकता है।

8.13 भविष्य की शैक्षिक योजनाओं का नवीनीकरण और प्रशासनिक अवलंबन प्रक्रिया

उपलब्ध स्थितियों के विश्लेषण से यह विदित है कि राज्य सरकार द्‌वारा शैक्षिक योजनाओं और प्रबंधन तथा साक्षरता और सभी के लिए शिक्षा उपलब्ध कराने की अनुभूत आवश्यकता के सापेक्ष शिक्षा में गुणवत्ता सुनिश्चित करना भी मुख्य मुद्‌दा बनाया गया है।

8.13.1 प्रशासनिक तंत्र

राज्य ने सचिवालय, मुख्यालय, क्षेत्रीय, जनपदीय और खंड स्तर पर पर्याप्त शैक्षिक प्रशासनिक तंत्र को स्थापित किया है। उनके कार्यों में नई कुशलताओं के साथ शैक्षिक प्रशासन को सुधारने की महत्त्वपूर्ण आवश्यकता है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रत्येक स्तर की प्रतिभागिता जनपदीय और खंड स्तर पर अनिवार्य होनी चाहिए। प्रभावपूर्ण सहभागिता की आवश्यकता केवल प्राथमिक शैक्षिक कार्यालयों और विद्‌यालयों के जनपदीय निरीक्षण कार्यालयों के संदर्भ में नहीं है बल्कि दूसरे विभागों जैसे जिला परिषद्‌, पी.डब्ल्यू.डी. योजना कार्यालय, राजस्व और भूमि विकास तथा परिवहन विभाग अलग-अलग शैक्षिक कार्यक्रम जिला स्तर पर शिक्षा को सफल बनाने के लिए करते हैं।

8.13.2 स्थानीय स्तर पर सृजित अवलंब को मजबूत करना

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 द्‌वारा राज्य/कस्बे तथा ग्रामीण स्तर पर एक ढांचा स्थापित करने की ओर ध्यान दिया गया। तद्‌नुसार प्रत्येक गांव में एक 'ग्राम शिक्षा समिति' इस आशय से बनाई गई है कि वे गांव स्तर पर शिक्षा के प्रबंधन तथा योजना में सुधार के लिए विद्‌यालयों का पर्यवेक्षण करें तथा जिला स्तर पर "जिला बेसिक शिक्षा समिति" को आवश्यक सूचनाएं दें। ये समितियां प्रारंभिक स्थिति में केवल तीन नामांकित सदस्यों द्‌वारा बनी थीं। इसके बाद इनमें सदस्यों की संख्या 3 से बढ़कर 9 हो गई। 6 अन्य सदस्यों का भी नामांकन समिति द्‌वारा किया गया जिसमें उप प्रधान, महिलाएं तथा अनुसूचित जाति के सदस्य शामिल हैं। इन समितियों की भूमिका तथा कार्य प्रारंभ से ही आलोचना के विषय रहे हैं। ग्राम शिक्षा समिति केवल वहां ज्यादा सक्रिय रही है जिस गांव के विद्‌यालयों की इमारत का निर्माण करना था। इसके अलावा इन समितियों ने मुश्किल से ही कोई महत्त्वपूर्ण भूमिका विशेष तौर पर निभाई। उसका कारण (क) प्रजातांत्रिक ढांचे की कमी, (ख) उनकी भूमिका तथा कार्यों में स्पष्ट वर्णित नीतियों तथा निर्देशों का अभाव, (ग) अध्यक्षों तथा सदस्यों में उत्साह की कमी, (घ) वी.ई.सी. के लिए प्रशासनिक या वित्तीय शक्तियों का अभाव तथा (ङ) वी.ई.सी. सदस्यों का अप्रशिक्षित होना।

इस दृष्टि से वी.ई.सी. को उनके ढांचों की बनावट तथा स्पष्ट वर्णित कार्यों और जिम्मेदारियों में आगे मजबूती की आवश्यकता है और साथ ही प्रशासनिक तथा वित्तीय शक्तियों

को बढ़ाना है। ग्राम शिक्षा समिति से यह अपेक्षा है कि वह मासिक सभाओं का नियमित आयोजन करें तथा माता-पिता विशेष रूप से, माता को अपने बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय भेजने के लिए प्रेरित करने की जिम्मेदारी दें। ग्रामीण शिक्षा समिति के सदस्यों को इन कार्यों में संलग्न होना चाहिए — (क) सामान्य जनता तथा माता-पिता को शिक्षा के महत्त्व के बारे में जागरूक बनाना, (ख) अध्यापकों तथा छात्रों की नियमित उपस्थिति का पर्यवेक्षण, (ग) बच्चों का विद्यालय छोड़ने की प्रक्रिया को हतोत्साहित करना, (घ) इस उद्देश्य के लिए विद्यालय की इमारत की देखभाल तथा वित्त सहायता पर ध्यान देना, (ङ) इसी के साथ दूसरी सुविधाओं जैसे पीने का पानी, शौचालय, बागवानी, विद्यालय परिसर की देखभाल, चहारदीवारी का निर्माण तथा यदि विद्यालय में आवश्यक हो तो अतिरिक्त कमरों का निर्माण, स्थानीय वित्त साधनों का उपभोग जो कि सरकारी या गैर सरकारी संस्थाओं से प्राप्त हो तथा (च) गांव की सामान्य जनता तथा माता-पिता को गांव की शिक्षा योजना में भागीदार बनाना।

विकास-खंड स्तर पर वी.ई.सी. द्वारा दिए गए निर्णयों के लिए एक औपचारिक प्रक्रिया निर्धारित होनी चाहिए जिससे उनकी कार्यक्षमता तथा आत्मविश्वास में वृद्धि हो सके।

8.14 योजना प्रक्रिया को प्रभावी बनाना

जिला स्तर पर 'विकेंद्रीकरण योजना' प्रयुक्त साधनों के मूल्यांकन, समस्याओं तथा स्थानीय अपेक्षाओं में अनुरूपता पर ध्यान देती है जिससे जिले की शैक्षिक जरूरतों के लिए निवेश कार्यक्रम विशेष तौर पर संगत बन सकें। राज्य ने वार्षिक कार्ययोजना की तैयारी की प्रक्रिया प्रारंभ की जो कि यू.पी.बी.ई.पी. तथा डी.पी.ई.पी. के अंतर्गत है, परंतु यह कार्य अभी तक अन्य जिलों में अनुकरणीय स्तर पर नहीं पहुंच सका है इसीलिए शिक्षा को आवश्यकता आधारित बनाने और स्थानीय उपलब्ध संसाधनों का पूरा उपयोग करने हेतु विकेंद्रीकरण योजना शुरू की गई। इससे शिक्षा की प्रगति में जो लक्ष्य समूह हैं उनकी सहायता सुकर बन सकती है। जिनमें शिक्षा में कम सहभागिता की स्थिति को सुधारना, उच्च कक्षा त्याग दर न्यून बनाना, ठहराव दर बढ़ाना तथा उच्च निरक्षरता दर की ओर ले जाना। मुख्यतः अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक तथा अन्य पिछड़ी जातियों के संदर्भ में विशेष रूप से आवश्यक है। जिला स्तर पर नियोजन में सहभागितापूर्ण उपागम का प्रयोग होना चाहिए यह निश्चित करने के लिए कि सेवाओं का सम्मिलन हो। चयनित प्रस्तुतकर्ताओं, जो कि स्थानीय ढांचों के हों जैसे जिला परिषद् और ग्राम पंचायत, शैक्षिक संसाधन संस्थान जैसे डाइट्स, विश्वविद्यालय, शिक्षा विभाग की सहभागिता हो ताकि योजना नियोजन प्रक्रिया में तकनीकी और व्यावसायिक निवेश हो सके। सभी स्तरों पर शैक्षिक कार्यकर्ताओं की सहभागिता जिनमें मुख्य रूप से अध्यापक और सामान्य जनता, वी.ई.सी. के सदस्य, महिला समूह, युवा समूह आदि सम्मिलित हों बढ़ाने की जरूरत है। जिला स्तर पर नियोजन और अधिक प्रभावी और जिम्मेदार बनाने के लिए प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों को उनके लिए और बढ़ाना चाहिए।

जनपदीय स्तर की योजनाओं को समग्र रूप से लेना चाहिए। इसके अंतर्गत नए विद्‌यालय खोलने की योजना के साथ विद्‌यालय के बच्चों का नामांकन या बच्चों को विद्‌यालय तक पहुंचाना एवं सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम की योजना को गतिशील रखने की महती आवश्यकता है। इस दृष्टि से विद्‌यालयों में शिक्षण-अधिगम सामग्री को पर्याप्त रूप में उपयोगी स्वरूप देना, प्रेरणा तथा वजीफा प्रदान करना, विद्‌यालय की इमारतों को व्यवस्थित रखना तथा जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान की क्षमता को बढ़ाना भी महत्त्वपूर्ण बिंदु है।

8.15 गैर सरकारी प्रयासों को बढ़ाना

सहायता प्राप्त गैर सरकारी विद्‌यालय राज्य में विद्‌यालयीय शिक्षा के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे राज्य में 50 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्‌यालय और 80 प्रतिशत से अधिक हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट कालेजों को प्रबंधित कर रहे हैं।

इन संस्थाओं द्‌वारा जो शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं वर्तमान में उनका पूरा उपभोग नहीं हो रहा है। प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनीकरण के दूरगामी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इन संस्थाओं को उस क्षेत्र के लोगों को प्रेरित करना चाहिए ताकि वे अपने 6-14 वर्ष तक के बच्चों को विद्‌यालय भेजें। इसीलिए लगभग सभी हाईस्कूल और इंटरमीडिएट कालेजों को प्राइमरी कक्षाएं प्रारंभ करने की अनुमति देनी चाहिए। इन संस्थाओं ने प्रबंधन शिक्षा दक्षता में अपने को समर्थ बताया है तथा वह भी संकेत दिया है कि वे उच्च प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक स्तर तक कक्षाएं चलाने में सक्षम हैं। बेसिक शिक्षा परिषद् के विद्‌यालयों में पहले से ही अध्यापक और छात्र अनुपात लगभग 60 से ऊपर है। ये संस्थाएं सरकारी प्रयासों की पूरक हैं। यदि इन संस्थाओं में प्राथमिक कक्षाएं प्रारंभ कर दी जाएं तो विद्‌यालय जाने योग्य बच्चों के लिए भी बढ़ती जनसंख्या को आवश्यकता आधारित शिक्षा उपलब्ध कराई जा सकती है।

गैर सरकारी स्वैच्छिक संगठनों/ट्रस्टों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए ताकि वे ग्रामीण क्षेत्रों में अपने संस्थान खोल सकें। लेकिन, नर्सरी विद्‌यालयों की तेजी से वृद्‌धि ने, जो कि व्यक्तिगत तौर पर खोले जा रहे हैं, छात्रों की शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। एक तरफ तो वे अभिभावकों से मनचाही फीस ले रहे हैं और छात्रों को कोई गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान नहीं कर रहे हैं, दूसरी ओर इन विद्‌यालयों के पास न तो प्रशिक्षित अध्यापक हैं, न ही अच्छी इमारतें तथा पाठ्‌यपुस्तकें व अन्य पठन-पाठन सामग्री।

8.16 शैक्षिक संसाधनों का संचालन

प्राथमिक शिक्षा के लिए बजट राशि में इस क्षेत्र के लिए निर्धारित 50 प्रतिशत से अधिक वित्तीय सहायता देने के बावजूद भी शिक्षा के क्षेत्र में इस राज्य की स्थिति में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं हुआ है। इसका मुख्य कारण शिक्षा के लिए आय-व्यय विवरण के तहत कुल चार प्रतिशत धनराशि ही उपलब्ध कराने की नीति। राज्य की स्थिति की तुलना में प्रति बालक शिक्षा खर्च हर स्तर पर (केवल 1988-89 के प्राथमिक स्तर को छोड़कर) कम है। इसके अलावा, विद्‌यालयीय

भवनों के रखरखाव और दूसरे विकासीय मदों में खर्च नहीं के बराबर हैं। विद्यालयीय भवनों के ढांचागत सुधार व शिक्षण अधिगम सामग्री के लिए भी मदों का अभाव है क्योंकि 90 प्रतिशत से भी अधिक धनराशि वेतन देने में ही खर्च हो जाती है।

इसलिए, यह जरूरी है कि सरकार के प्रयासों के पूरक रूप में समुदायों के दूसरे संसाधनों का भी उपभोग इस दिशा में सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उदाहरणस्वरूप, मध्य प्रदेश में शिक्षा क्षेत्र में अतिरिक्त धन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अतिरिक्त कर लगाया गया। यह नीति उत्तर प्रदेश में भी लागू करने की व्यवस्था की जानी चाहिए। वर्तमान प्रयासों के अंतर्गत, लगभग प्रत्येक गांव में विद्यालयीय भवन निर्माण के लिए भूमि समुदाय द्वारा प्रदत्त है अथवा यह किसी व्यक्तिगत या ग्रामसभा के 'स्वामित्व' में है जिस पर विद्यालय बना हुआ है। लेकिन विद्यालय की इमारत की देखभाल और विद्यालय में अन्य सुविधाओं तथा वित्तीय संसाधनों की लामबंदी ग्राम शिक्षा समिति द्वारा सुदृढ़ीकृत रूप से की जानी चाहिए जिससे समुदाय को दान के रूप में विद्यालय विकास के लिए धन देने हेतु प्रेरित किया जा सके।

8.17 पर्यवेक्षण और निरीक्षण का सुदृढ़ीकरण

सर्वेक्षण से स्पष्ट है कि शैक्षिक सत्र के दौरान निरीक्षण अधिकारी अपने कार्याधिकार में सभी विद्यालयों का निरीक्षण करने में असमर्थ रहे हैं। निरीक्षण के मानकों के अनुसार विद्यालय के जिला निरीक्षक को दो वर्ष में कम से कम एक बार जनपद में प्रत्येक मान्यता प्राप्त हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कालेजों का निरीक्षण करना चाहिए। यह पाया गया कि जिलों में 60 से 80 विद्यालयों का निरीक्षण करने में वहां के अधिकारी वर्ष में प्रत्येक संस्था में एक बार भी नहीं गए। वास्तव में, सब-डिप्टी इंस्पेक्टर को एक वर्ष में सारे विद्यालयों का निरीक्षण करने का समय नहीं मिलता है। निरीक्षण अधिकारियों को निरीक्षण हेतु विद्यालयों की अधिक संख्या तथा अन्य कार्य जैसे जनगणना कराना, मतदान का कार्य भी निरीक्षण में बाधा पहुंचाते हैं। 1973-74 के प्रथम शैक्षिक प्रशासनिक सर्वेक्षण में जांच अधिकारियों का 24 प्रतिशत समय ही निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण में लग पाता था। वहीं दूसरे सर्वेक्षण (नीपा द्वारा किया गया) में यह पाया गया है कि अधिकारी इस कार्य के लिए केवल 15 प्रतिशत समय दे पाते हैं। केवल पर्यवेक्षण को मजबूत बनाने की आवश्यकता नहीं है बल्कि कार्य का विस्तार और अधिकारियों को अधिक से अधिक विद्यालयों का निरीक्षण करने की अपेक्षा के प्रति भी संवेदनशील बनाना है जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में विकास हो सके।

निरीक्षकों द्वारा आकस्मिक निरीक्षण भी करना चाहिए। निरीक्षक को अध्यापक की केवल त्रुटियां नहीं ढूंढ़नी चाहिए बल्कि उन्हें उचित सलाह तथा दिशा निर्देश भी देना चाहिए। अतः केवल निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण को सुदृढ़ बनाना ही आवश्यक नहीं है बल्कि उनमें आवश्यक कौशलों एवं विशेषता का विकास प्रशिक्षण के माध्यम से करने पर विशेष बल देने की आवश्यकता है। इस प्रकार निरीक्षकों के कार्यों एवं कार्य निष्पादन क्षमता का मूल्यांकन कर बच्चों को दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता विकसित की जा सकती है।

8.18 सूचना प्रबंधन तंत्र का सुदृढ़ीकरण

समय की कमी के अलावा संस्था स्तर के मुख्यालय स्तर तक सूचनाओं का संकलन, प्रकाशन तथा प्रबंधन के लिए सांख्यिकी तंत्र का अभाव है जिससे पर्याप्त सूचना-सामग्री कई जगहों पर शिक्षा विभाग में उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त जिला स्तर पर स्थानीय निकाय के विद्यालयों में शैक्षिक कार्य तथा शिक्षा की गुणवत्ता संबंधी सूचनाएं अनुपलब्ध हैं। राज्य सरकार की तरफ से स्टाफ को सूचना प्रबंधन प्रशिक्षण प्रदान करना एक महत्त्वपूर्ण प्रयास है, विशेष तौर से उनका प्रयास तकनीकी और शैक्षिक योजनाओं से है। इस तरह के अल्पअवधि प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन नियमित रूप से राज्य, क्षेत्रीय, जिले और खंड स्तरों पर किया जाना चाहिए। इस दिशा में व्यवधानों को हटाने के लिए, आंकड़ों का संकलन, आकलन तथा सूचना का प्रकाशन किए जाने की आवश्यकता है जिसके लिए कंप्यूटरीकृत सूचनातंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है इससे मुख्यालय, क्षेत्रीय और जिला स्तर पर भी शैक्षिक सूचना प्रबंध योजना में मदद होगी।

यहां उल्लेखनीय है कि राज्य में क्षेत्र आधारित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रशासनिक तंत्र को पुनर्गठित करने की आवश्यकता को रेखांकित किया जाना चाहिए। संस्थागत क्षमता संवर्धन और संसाधनों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने हेतु उपयुक्त नीतियों के क्रियान्वयन की भी महती आवश्यकता है।

अध्याय 9

स्कूल शिक्षा हेतु संसाधन

वित्तीय संसाधन और शैक्षिक विकास, शैक्षिक वित्त के स्रोत, राज्य सरकार का दायित्व, बाह्य पोषित शैक्षिक योजनाएं, शैक्षिक व्यय का प्रारूप तथा राज्य के बजट में स्कूल शिक्षा की व्यवस्था की संपूर्ण स्थिति का चित्रण इस अध्याय का प्रमुख ध्येय है। संसाधनों के उपयोग, अतिरिक्त संसाधन विदोहन, सहायता अनुदान, शैक्षिक कार्यपूर्ति एवं समानता से जुड़े बिंदुओं का भी इसमें गहन परीक्षण किया गया है।

शैक्षिक विकास में संसाधन केंद्रीय भूमिका का निर्वाह करते हैं। इस अध्याय के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में शैक्षिक व्यय के विभिन्न आयामों के विश्लेषण का प्रयास किया गया है। इसमें शैक्षिक वित्त के स्रोत तथा उनके तुलनात्मक योगदान का उल्लेख भी किया गया है। राज्य के बजट में स्कूल शिक्षा, फीस का ढांचा, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर संसाधनों के उपयोग का वर्णन इस अध्याय में प्रस्तुत है। इसमें आर्थिक एवं शैक्षिक सुधारों तथा स्कूल शिक्षा के लिए संसाधनों के विदोहन की युक्तिसंगत वैकल्पिक व्यवस्थाओं का भी विवेचन है। इस अध्याय में भावी चुनौतियों को भी उजागर किया गया है।

9.1 वित्तीय संसाधन तथा शैक्षिक विकास

अनेक प्रकार की तकनीकी प्रगति के बावजूद शिक्षा अभी भी मूलरूप से एक मानवीय प्रक्रिया है। सदियों पुराना गुरु-शिष्य संबंध अभी भी जारी है परंतु व्यक्ति आधारित अथवा वैयक्तिक शिक्षा व्यवस्था संगठित शिक्षा प्रणाली में परिणत हो गई है। स्कूलों, अध्यापकों तथा विद्यार्थियों की संख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में स्कूल शिक्षा का नेटवर्क सबसे विस्तृत है। इतने बड़े आकार की शैक्षिक व्यवस्था की निर्भरता केवल अनुकंपा के रूप में संसाधनों पर ही नहीं हो सकती है। प्रारंभ में अंशदान तथा निजी क्षेत्र द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों ने अपनी भूमिका निभाई परंतु उत्तरोत्तर शिक्षा के वित्तीयन की अधिकांश जिम्मेदारी स्वयं राज्य ने स्वीकार की। शिक्षा के वित्तीयन में सरकार के बढ़ते हुए अंशदान ने ही शैक्षिक विकास को विशेष रूप से आगे बढ़ाया। शिक्षा के लिए संसाधनों से जुड़े नियोजक एवं नीति निर्धारक आज भी कोठारी आयोग द्वारा संस्तुत राष्ट्रीय आय के 6 प्रतिशत के तिलस्माती आंकड़े वाले अनुपात

को शिक्षा पर व्यय करने के प्रयास में लगे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर, सकल राष्ट्रीय उत्पाद (राष्ट्रीय आय) के अनुपात का जो महत्त्व है, वही राज्य स्तरीय घरेलू उत्पाद के बारे में भी सही है। इस दृष्टि से यदि देखा जाए तो शिक्षा के संसाधन इच्छित मात्रा में नहीं जुटाए जा सके हैं। यद्यपि वित्तीय संसाधन बहुत महत्त्वपूर्ण हैं। यह इस बात से प्रमाणित है कि अभी भी उत्तर प्रदेश में राज्य घरेलू उत्पाद (एस.डी.पी.) के चार प्रतिशत से कम धनराशि शिक्षा पर व्यय की जाती है। सारणी 9.01 से स्पष्ट है कि वर्ष 1998-99 में राज्य की आय का केवल 3.82 प्रतिशत शिक्षा के सभी क्षेत्रों पर व्यय किया गया तथा स्कूल शिक्षा पर व्यय का यह अनुपात मात्र 3.39 प्रतिशत रहा।

सारणी 9.01 : *उ.प्र. में शैक्षिक व्यय राज्य घरेलू उत्पाद (एस.डी.पी.) के प्रतिशत के रूप में*

वर्ष	*अनुपात (प्रतिशत में)*
1950-51	0.44
1960-61	0.97
1970-71	1.76
1980-81	2.48
1985-86	3.13
1990-91	4.23
1995-96	3.28
1998-99	3.82

स्रोत : राज्य बजट आंकड़ों एवं नियोजन विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए राजकीय आय के आंकड़ों के आधार पर।

टिप्पणी : वर्ष 1955-56 तथा 1998-99 के अनुपातों की गणना राजकीय आय की नई सीरीज पर आधारित है।

तालिका 9.01 यह स्पष्ट करती है कि राज्य में शिक्षा पर व्यय बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने सकारात्मक प्रयास किया है। एक तरह से कह सकते हैं कि राज्य घरेलू उत्पाद (एस.डी.पी.) शिक्षा के लिए संसाधन उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकार की "योग्यता" प्रदर्शित करता है। 1950-51 में राजकीय आय का केवल 0.44 प्रतिशत शिक्षा पर व्यय किया गया, जो धीरे-धीरे बढ़ते हुए 1970-71 में 1.76 प्रतिशत पर पहुंच गया। वर्ष 1980-81 में यह बढ़कर ढाई प्रतिशत हो गया तथा 1990-91 में इसका स्तर 4 प्रतिशत से ऊपर पहुंच गया। परंतु 1995-96 में यह पुनः घटकर 3.28 प्रतिशत हो गया। शैक्षिक दृष्टि से भारत के अग्रणी राज्य (जैसे केरल) अपनी राजकीय आय का एक बड़ा अनुपात शैक्षिक विकास पर व्यय करते हैं।

वास्तव में, धन ही सबसे बड़ा अवरोधक नहीं है परंतु शैक्षिक विकास की आधुनिक व्यवस्था में इसकी निर्णायक भूमिका है। इसलिए संसाधनों का अभाव शैक्षिक प्रगति में ठहराव उत्पन्न कर देता है।

वास्तव में किसी भी वस्तु या सेवा के उपलब्ध कराने में वित्त की केंद्रीय भूमिका होती है। शिक्षा में अच्छा विनियोग न केवल शैक्षिक प्रगति लाता है वरन् यह आर्थिक विकास की दर में बढ़ोत्तरी भी सुनिश्चित करता है। इस प्रकार शिक्षा, विकास का कारण और प्रभाव दोनों है। यही वजह है कि (उत्तर प्रदेश जैसे) पिछड़े राज्य एक प्रकार के दुष्चक्र में जकड़े हैं, जहां आर्थिक विकास कम है तथा शैक्षिक प्रगति भी धीमी है।

जब तक शैक्षिक विकास लक्ष्य से बहुत नीचे रहता है, शिक्षा हेतु संसाधनों का महत्त्व अधिक रहेगा, बल्कि अत्यधिक रहेगा। समस्त संभावित संसाधनों का उपयोग करना होगा तथा राज्य की स्कूल शिक्षा के विकास में उनका विनियोग करना होगा तथा स्कूल शिक्षा को निःसन्देह उच्च शिक्षा की तुलना में अधिक प्राथमिकता प्रदान करनी होगी।

9.2 शैक्षिक वित्त के साधन

उत्तर प्रदेश में स्कूल शिक्षा के वित्तीयन के विविध स्रोत हैं। यद्यपि यह मुख्यतः घरेलू अथवा आन्तरिक संसाधनों पर निर्भर हैं, प्राथमिक स्तर की स्कूल शिक्षा की विशिष्ट योजनाओं का वित्तीयन अनुदान देने वाले बाह्य संस्थाओं द्वारा सहायित हैं। कभी-कभी विशिष्ट शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए दूसरे देशों से भी सहायता प्राप्त की गई है। घरेलू अथवा आंतरिक संसाधनों को पुनः सार्वजनिक एवं निजी स्रोतों में वर्गीकृत किया जा सकता है। सार्वजनिक स्रोत शिक्षा के विकास में सरकार की भागीदारी का संकेत देते हैं तथा भारत की संघीय व्यवस्था के कारण तीनों स्तर की सरकारें शिक्षा के वित्तीयन में अपनी भूमिका निभाती हैं। उत्तर प्रदेश में स्कूल शिक्षा के वित्तीयन के संबंध में, यहां की राज्य सरकार सबसे बड़ा दायित्व निभाती है। केंद्र सरकार और स्थानीय निकायों की भूमिकाएं सीमित रही हैं।

शिक्षा के लिए वित्त के निजी स्रोत दो प्रकार के हैं — स्वैच्छिक और अनिवार्य। स्वैच्छिक संसाधनों में अंशदान तथा शैक्षिक निधि सकल रूप से अनुकंपा के रूप में प्राप्त होते रहे हैं। इन स्रोतों ने उत्तर प्रदेश में स्कूल शिक्षा के विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत में नियोजन काल की प्रारंभिक अवधि में कुल शैक्षिक वित्त का लगभग 25 प्रतिशत प्राप्त होता था, परंतु गत लगभग पचास वर्षों में यह घटकर लगभग महत्त्वहीन स्तर पर पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश में स्कूल शिक्षा हेतु स्वैच्छिक योगदान की घटती हुई प्रवृत्ति के लिए कई कारण उत्तरदाई हैं। एक ओर शिक्षा के वाणिज्यीकरण के अनुकम्पा के रूप में अनुदान के दरवाजे बन्द किए हैं, वहीं दूसरी ओर शैक्षिक संरक्षक सम्भावित निजी शैक्षिक अनुदानकर्ताओं पर अपना प्रभाव बनाए रखने में असफल रहे हैं। शिक्षा हेतु निजी अनिवार्य योगदान को शैक्षिक फीस (तथा संबंधित अन्य भुगतान) की संज्ञा दी जाती है। स्कूल में पंजीकृत विद्यार्थियों को यह अनिवार्य भुगतान करना पड़ता है।

सामान्यतः उ.प्र. में निजी स्रोतों के योगदान, योजना काल में घटे हैं। इसके विपरीत सरकार का योगदान बढ़ा है और प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा के वित्तीयन में लगभग संपूर्ण

भागीदारी सरकार की हो गई है। इससे उत्तर प्रदेश में स्कूल शिक्षा के वित्तीयन हेतु सरकार पर संपूर्ण निर्भरता परिलक्षित होती है। यही कारण है कि प्रायः राज्य स्तर पर वित्तीय संकट प्रदेश में शैक्षिक कार्यक्रमों की प्रगति में रुकावट पैदा कर देते हैं। दूसरी तरफ यह बात भी सही है कि सार्वजनिक व्यय में वृद्धि पूर्ण रूप से शैक्षिक उपलब्धियों में परिणत नहीं हो सकी है।

यद्यपि स्कूल शिक्षा के वित्तीयन की बड़ी जिम्मेदारी राज्य सरकार के ऊपर है, केंद्र सरकार ने स्कूल शिक्षा के दोनों स्तरों पर विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं के माध्यम से अपना योगदान दिया है।

9.3 केंद्र सरकार की भूमिका

भारतीय संविधान के 42वें संशोधन के पूर्व राज्य की स्कूल शिक्षा में केंद्र सरकार की भूमिका बहुत सीमित थी। उपयुक्त संशोधन के द्वारा "शिक्षा" को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया। इस प्रकार केंद्र सरकार ने स्कूल शिक्षा में हस्तक्षेप करने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त कर लिया। यद्यपि अभी भी स्कूल शिक्षा के वित्तीयन में केंद्र सरकार की भूमिका अत्यंत सीमित है।

माध्यमिक शिक्षा में केंद्र सरकार की सबसे उल्लेखनीय भूमिका 1986 में प्रारंभ हुई, जब उसने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु नवोदय विद्यालय (आवासीय स्कूल) स्थापित करने का निर्णय लिया। यह योजना पूर्ण रूप से केंद्र सरकार द्वारा पोषित है। यद्यपि सांकेतिक सहयोग राज्य सरकार द्वारा भी प्रदान किया जाता है। राज्य में सह-शिक्षा की ये संस्थाएं केंद्र द्वारा नियन्त्रित हैं। इस योजना के कार्यान्वयन में उत्तर प्रदेश, देश के अग्रणी राज्यों में एक है।

नवोदय विद्यालयों की स्थापना से पहले, 1962 में केंद्र सरकार ने द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय विद्यालय प्रारंभ किए। इस केंद्रीय योजना से उ.प्र. सबसे बड़ा लाभार्थी राज्य है। इसका उद्देश्य हस्तांतरण योग्य केंद्र सरकार के कर्मचारियों तथा सुरक्षा कर्मियों के बच्चों को देशव्यापी सामान्य शिक्षा का कार्यक्रम उपलब्ध कराना है। उ.प्र. में केंद्रीय विद्यालयों का बड़ा नेटवर्क है, जिसका वित्तीय तथा प्रशासनिक नियंत्रण केंद्र सरकार के अधिकार में है।

माध्यमिक स्तर पर केंद्र द्वारा पोषित इन दो विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं के अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश सरकार के बजट के माध्यम से, निम्नलिखित योजनाओं हेतु केंद्र सरकार धन उपलब्ध कराती है :

1. प्राथमिक शिक्षा

(अ) केंद्रीय आयोजनागत परियोजनाएं
(ब) केंद्रीय पुरोनिधानित योजनाएं
(स) अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट कंपोनेंट प्लान।

2. माध्यमिक शिक्षा

(अ) केंद्रीय आयोजनागत परियोजनाएं

(ब) केंद्रीय पुरोनिधानित योजनाएं

(स) अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट कंपोनेंट प्लान।

प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर पर केंद्र द्वारा पोषित उपर्युक्त योजनाओं के लिए प्रदेश सरकार भी सहायता अनुदान देती है।

निम्न साक्षरता वाले जनपदों में शैक्षिक उत्थान हेतु समय-समय पर गठित वित्त आयोग की सिफारिशों पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार को सहायता अनुदान प्रदान करती है। इन्हें उ.प्र. सरकार के बजट में आयोजनागत अनुदान शीर्षक के अंतर्गत दर्शाया जाता है। 1998-99 में यह राशि 28.04 करोड़ रुपए थी तथा 1999-2000 (बजट अनुमान) में यह 24.25 करोड़ रुपए थी। केंद्र का यह सहयोग भी सापेक्षिक दृष्टि से बहुत कम है।

9.4 राज्य सरकार का उत्तरदायित्व

देश के संघीय वित्तीय स्वरूप के अंतर्गत तीन स्तर पर (केंद्र, राज्य एवं स्थानीय) सरकारों के क्रियाकलापों के बावजूद स्कूल शिक्षा का वित्तीयन मुख्य रूप से अभी भी राज्य सरकार का दायित्व है। उत्तर प्रदेश में स्कूल शिक्षा हेतु राज्य सरकार का वित्तीय योगदान इतना अधिक है कि शिक्षा पर राज्य के बजट का लगभग पांचवां भाग व्यय हो जाता है। कुछ वर्षों में तो एक चौथाई भाग शिक्षा पर खर्च किया गया।

प्राथमिक स्तर पर (निम्न तथा उच्च) प्रदेश सरकार की दो तरह की शैक्षिक जिम्मेदारियां हैं। सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के लिए यह सीधे वित्तीयन करती हैं तथा गैर-सरकारी प्राथमिक विद्यालयों को सहायता अनुदान प्रदान करती हैं। इसी प्रकार माध्यमिक स्तर पर भी, राज्य सरकार सरकारी माध्यमिक विद्यालयों का पूर्णरूप से वित्तीयन करती है तथा निजी प्रबंध वाले सहायित माध्यमिक विद्यालयों को सहायता अनुदान प्रदान करती है।

प्राथमिक तथा माध्यमिक दोनों स्तर की स्कूल शिक्षा के निर्देशन तथा निरीक्षण की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। इस उद्देश्य के लिए राज्य सरकार ने शैक्षिक प्रशासन के लिए पूरे प्रदेश में मजबूत प्रशासनिक नेटवर्क बनाए रखा है।

स्कूल शिक्षा के वित्तीय संबंध में राज्य सरकार की जिम्मेदारी बढ़ती ही जा रही है। अन्य आवश्यकताएं हैं — (1) गैर सरकारी शिक्षकों के वेतन में वृद्धि करना, (2) राज्य कर्मचारियों के समान वेतन तथा अन्य भत्ते, (3) अधिक मात्रा में नए-नए स्कूलों को सरकार की सहायता अनुदान सूची पर लाना। इनके दबाव में ही सरकार ने 1971 का वेतन भुगतान अधिनियम पारित किया, जिससे स्कूल शिक्षा के वित्तीयन में राज्य सरकार का दायित्व बहुत बढ़ा दिया।

9.5 बाह्य पोषित परियोजनाएं

उत्तर प्रदेश जैसे विस्तृत राज्य के लिए बाह्य स्रोतों द्वारा शिक्षा का वित्तीयन बहुत महत्त्वपूर्ण नहीं है। इस राज्य में शिक्षा का बजट सन् 2000-2001 में 6,000 करोड़ रुपए से अधिक है फिर भी विश्व बैंक इसकी सहयोगी संस्था आई.डी.ए. तथा यू.एस.ए.आई.डी. कुछ विशिष्ट शैक्षिक क्षेत्रों में विशेष भूमिका निभा रहे हैं। विश्व बैंक निम्नलिखित योजनाओं हेतु वित्त उपलब्ध करा रहा है।

- उत्तर प्रदेश में सबके लिए शिक्षा (ई.एफ.ए.)
- ई.एफ.ए. II
- जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम-II (डी.पी.ई.पी.-II)
- जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम-III (डी.पी.ई.पी.-III)

यू.एस.ए.आई.डी. प्राथमिक स्तर पर लड़कियों की शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए विशेष सहायता उपलब्ध करा रहा है।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी.पी.ई.पी.) के लिए वित्त केंद्र सरकार के माध्यम से उपलब्ध होता है, जिसमें 15 प्रतिशत अंश राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

उत्तर प्रदेश में स्कूल शिक्षा के बाह्य वित्तीयन की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि यह केवल विशिष्ट उद्देश्यों तथा विशिष्ट जनपदों के लिए उपलब्ध है जहां ये कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं अथवा चल रहे हैं। ये कार्यक्रम मुख्य रूप से प्राथमिक शिक्षा, लड़कियों की शिक्षा तथा महिला अध्यापकों के सशक्तीकरण से जुड़ी है। राजस्थान में एस.आई.डी.ए. द्वारा संचालित लोक जुम्बिश की तुलना में उ.प्र. की योजनाएं अब तक कम सफल रही हैं। बाह्य सहायित योजनाओं का सबसे प्रमुख लाभ यह है कि इसके माध्यम से केंद्रीय सरकार के संसाधन प्राप्त होते हैं, जो राज्य के संसाधनों में वृद्धि करते हैं।

बाहरी स्रोतों से वित्तीयन का एक दूसरा लाभ यह है कि इस धनराशि का केवल 70 प्रतिशत वापस करना होता है, जबकि शेष 30 प्रतिशत अनुदान के रूप में प्राप्त हो जाता है। बाह्य पोषित योजनाओं की अच्छी सफलता और अधिक मात्रा में विदेशी संसाधन आकर्षित करती है, जिससे राज्य के शैक्षिक विकास हेतु संपूर्ण संसाधनों में वृद्धि होती है। बाह्य सहायित शैक्षिक योजनाएं न केवल सरकार के शैक्षिक विकास के प्रयासों को आगे बढ़ाती हैं, वे बाहर से अद्यतन तकनीक तथा शैक्षिक विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध सर्वोत्तम तरीके अपने साथ लाती हैं, जिससे राज्य अध्यापक एवं शैक्षिक तकनीक के स्तर को सुधारने में सहायता मिलती है।

बाह्य सहायित परियोजना विभाग में स्थापित नोडल समिति इस प्रकार की विदेशी सहायता अथवा प्रशिक्षण करने के वास्ते बनाए गए प्रस्तावों की जांच करती है। नोडल समिति द्वारा अनुमोदित कर दिए जाने के बाद, ये प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे जाते हैं। राज्य सरकार अपने प्रस्ताव अनुदान देने वाली विदेशी संस्थाओं के पास सीधे नहीं भेज सकती है। जब अनुदानकर्ता इन प्रस्तावों

के तकनीकी एवं आर्थिक पक्षों की जांच करके पूरी तरह संतुष्ट हो जाते हैं तो वे केंद्र सरकार को धन उपलब्ध करा देते हैं, जो बाद में उस राशि को उ.प्र. सरकार हेतु जारी करती है, जो अतिरिक्त केंद्रीय सहायता का रूप धारण कर लेती है।

9.6 राज्य के बजट में शैक्षिक व्यय

पिछले पांच दशकों में उत्तर प्रदेश में शैक्षिक व्यय में अत्यंत तीव्रता दर्ज की गई है। राज्य के केवल बजट व्यय की तुलना में शैक्षिक व्यय अधिक तेजी से बढ़ा है। सारणी 9.02 में दिए गए आंकड़े दिखाते हैं कि 1950-51 में उत्तर प्रदेश का कुल शैक्षिक बजट मात्र 7.10 करोड़ रुपए का था, जो नियोजन के पहले दशक में बढ़कर 17.75 करोड़ रुपए हो गया। परंतु इसका कुल बजट व्यय में अनुपात 1950-51 में 13.70 प्रतिशत से घटकर 1960-61 में 12.30 प्रतिशत रह गया। तदुपरांत नियोजन के अगले चार दशकों में शैक्षिक व्यय का अनुपात निरंतर बढ़ता गया। यह 1960-61 में 12.30 प्रतिशत से बढ़कर 1999-2000 में 20.48 प्रतिशत हो गया। कुल मिलाकर पांच दशकों की अवधि में शैक्षिक व्यय राज्य के कुल बजट व्यय के अनुपात के रूप में 14 प्रतिशत से कम के स्तर से बढ़कर 20 प्रतिशत से अधिक हो गया (चित्र 9.1)।

सारणी 9.02 : *उ.प्र. में शैक्षिक तथा कुल बजट व्यय*

(रुपए करोड़ में)

वर्ष	*शैक्षिक व्यय*	*कुल बजट व्यय*	*(2), (3) के प्रतिशत के रूप में*
1950-51	7.10	51.84	13.70
1960-61	17.75	144.31	12.30
1970-71	74.84	413.86	18.13
1980-81	345.87	1716.09	20.15
1990-91	2093.81	9538.36	21.95
1995-96	3360.92	17555.86	19.14
1997-98	4156.85	22195.03	18.73
1998-99	5840.15	27465.89	21.26
1999-2000	6096.33	29761.88	20.48

स्रोत : नियोजन विभाग एवं सांख्यिकीय डायरी (विभिन्न अंक)।

टिप्पणी : कुल बजट व्यय में शैक्षिक व्यय का अनुपात 1975-76 में।

प्रायः शैक्षिक व्यय कुल बजट व्यय के पांचवें भाग के बराबर रहा है। 1975-76 तथा 1989-90 के वर्षों में यह बजट के लगभग एक चौथाई भाग के बराबर पहुंच गया था।

1990 के दशक में शैक्षिक व्यय में कुल बजट व्यय की तुलना में वृद्धि दर धीमी रही। शैक्षिक व्यय 1990-91 में 2,093.81 करोड़ रुपए से बढ़कर 1999-2000 में 6,096.33

करोड़ रुपए पहुंचा जबकि इसी अवधि में कुल बजट व्यय 9,538.36 करोड़ से बढ़कर 29,761.88 करोड़ रुपए पहुंचा।

गत 20 वर्षों की अवधि में, उत्तर प्रदेश में शैक्षिक व्यय की वृद्धि दर कुल बजट व्यय की वृद्धि दर से थोड़ी सी अधिक रही। 1980-81 में शैक्षिक व्यय 345.87 करोड़ रुपए से बढ़कर 1999-2000 में 6,096.33 करोड़ रुपए हो गया जबकि इसी अवधि में राज्य का कुल बजट व्यय 1,716.09 करोड़ रुपए से बढ़कर 29,761.88 करोड़ रुपए हो गया।

चित्र 9.1 : उत्तर प्रदेश के कुल बजट में शिक्षा बजट का प्रतिशत (1950-51 से 1999-2000)

9.7 शैक्षिक बजट में स्कूल शिक्षा

गत पांच दशकों में स्कूल शिक्षा के लिए बजट आबंटन, कुल शैक्षिक बजट प्रावधानों के साथ सारणी 9.03 में प्रस्तुत किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि 1950-51 से उ.प्र. की स्कूल शिक्षा पर हुए व्यय में अत्यधिक वृद्धि हुई है (चित्र 9.2)। 1950-51 में प्राथमिक शिक्षा हेतु बजट का आकार मात्र 3.21 करोड़ रुपए था तथा माध्यमिक शिक्षा का बजट केवल 1.69 करोड़

रुपए था। ये राशियां 1960-61 में बढ़कर क्रमशः 6.02 करोड़ रुपए तथा 3.56 करोड़ रुपए हो गईं।

1970-71 में स्कूल शिक्षा पर व्यय बढ़ते हुए प्राथमिक शिक्षा पर 36.43 करोड़ रुपए तथा माध्यमिक शिक्षा पर 17.92 करोड़ रुपए हो गया। 1980-81 में व्यय राशियां क्रमशः 171.45 तथा 109.72 करोड़ रुपए हो गईं तथा पुनः बढ़कर 1990-91 में क्रमशः 1,211.68 करोड़ रुपए तथा 629.33 करोड़ रुपए हो गईं। वर्ष 1999-2000 (बजट अनुमान) आंकड़ों के अनुसार प्राथमिक स्कूल शिक्षा पर व्यय बढ़कर 3,327.91 करोड़ रुपए हो गया तथा माध्यमिक स्कूल शिक्षा पर बढ़कर 1,896.81 करोड़ रुपए हो गया।

सारणी 9.03 : *उत्तर प्रदेश में स्कूल शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय*

(रुपए करोड़ में)

वर्ष	*प्राथमिक शिक्षा*	*माध्यमिक शिक्षा*	*स्कूल शिक्षा (2+3)*	*कुल शैक्षिक व्यय*
1950-51	3.21	1.64	4.85	7.10
1960-61	6.02	3.56	9.56	17.75
1970-71	36.43	17.92	54.35	74.84
1980-81	171.45	109.72	281.17	345.87
1990-91	1211.68	629.33	1841.01	2093.81
1995-96	1863.00	1110.02	2973.02	3360.92
1997-98	2269.95	1375.84	3645.79	4156.85
1998-99	3318.70	1855.41	5174.11	5840.15
1999-2000	3327.91	1896.81	5224.72	6096.33

स्रोत : उ.प्र. सरकार का विभिन्न वर्षों का बजट।

उत्तर प्रदेश में स्कूल शिक्षा पर व्यय कुल शैक्षिक व्यय के अनुपात के रूप में सारणी 9.04 में दिया गया है जो यह दर्शाती है कि 1950-51 में कुल शैक्षिक व्यय का 45.21 प्रतिशत प्राथमिक शिक्षा पर तथा 23.9 प्रतिशत माध्यमिक शिक्षा पर व्यय किया गया। इस प्रकार कुल मिलाकर 68.31 प्रतिशत शैक्षिक व्यय स्कूल शिक्षा पर किया गया। यह भाग 1960-61 में घटकर लगभग 54 प्रतिशत रह गया। लेकिन 1970-71 में पुनः तेजी से बढ़कर 71.62 प्रतिशत हो गया। प्राथमिक शिक्षा का भाग 48.68 प्रतिशत तथा माध्यमिक शिक्षा का भाग 23.94 प्रतिशत था। सन् 1980-81 में कुल शैक्षिक व्यय में स्कूल शिक्षा का भाग बढ़कर 81.29 प्रतिशत हो गया जो 1998-99 में और अधिक बढ़कर 88.60 प्रतिशत हो गया। वर्ष 1999-2000 में स्कूल शिक्षा पर व्यय 85.70 प्रतिशत रहा। प्राथमिक शिक्षा पर व्यय 54.59 प्रतिशत तथा माध्यमिक शिक्षा पर 31.11 प्रतिशत रहा। इस तरह, कुल मिलाकर स्कूल शिक्षा पर व्यय कुल शैक्षिक व्यय के अनुपात के रूप में गत पांच दशकों में 68.31 प्रतिशत से बढ़कर 85.70 प्रतिशत हो गया। दोनों स्तरों की शिक्षा को यदि पृथक-पृथक देखें तो गत पांच दशकों में प्राथमिक शिक्षा पर आनुपातिक व्यय 45.21 प्रतिशत से बढ़कर 54.59 प्रतिशत हो गया और

चित्र 9.2 : उत्तर प्रदेश में विद्यालयी शिक्षा पर जन-व्यय

माध्यमिक शिक्षा पर 23.10 प्रतिशत से बढ़कर 31.11 प्रतिशत पहुंच गया। विद्यालयी शिक्षा पर 1999-2000 के लिए विभिन्न स्तरों पर व्यय चित्र 9.3 द्वारा स्पष्ट किया गया है।

सारणी 9.04 : उत्तर प्रदेश में शैक्षिक व्यय, अनुपात

(प्रतिशत)

वर्ष	प्राथमिक शिक्षा	माध्यमिक शिक्षा	स्कूल शिक्षा	अन्य	कुल शैक्षिक व्यय
1950-51	45.21	23.10	68.31	31.69	100
1960-61	33.92	20.06	53.97	46.03	100
1970-71	48.68	23.94	72.62	23.38	100
1980-81	49.47	31.72	81.29	18.71	100
1990-91	57.87	30.06	87.93	12.07	100
1995-96	55.43	33.03	88.46	11.54	100
1997-98	54.61	33.10	87.71	12.29	100
1998-99	56.83	31.37	88.60	11.40	100
1999-2000	54.59	31.11	85.70	14.30	100

स्रोत : सारणी 9.03 के आंकड़ों पर आधारित।

चित्र 9.3 : उत्तर प्रदेश में स्तरवार शिक्षा पर व्यय (1999-2000)

9.7.1 प्राथमिक शिक्षा पर व्यय

उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा पर सबसे अधिक संसाधन व्यय करना पड़ता है। जैसाकि उल्लेख किया जा चुका है इस स्तर की स्कूल शिक्षा पर राज्य के शैक्षिक बजट का 55 प्रतिशत व्यय किया जाता है। प्राथमिक शिक्षा पर व्यय के निम्नलिखित प्रमुख उपशीर्षक हैं:

- निर्देशन और प्रशासन
- उपस्कर तथा भवनों की देखरेख
- सरकारी प्राथमिक विद्यालय
- गैर-सरकारी प्राथमिक विद्यालय
- निरीक्षण
- अनौपचारिक शिक्षा
- शिक्षक सेवाएं तथा शिक्षक-प्रशिक्षण
- छात्रवृत्तियां तथा पुरस्कार
- अन्य मदें (इसमें मुख्य रूप से वे कार्यक्रम सम्मिलित हैं, जो बाहरी स्रोतों अथवा केंद्र सरकार द्वारा पोषित हैं, जैसे – डी.पी.ई.पी., डाइट, ई.एफ.ए. इत्यादि)।

प्राथमिक शिक्षा पर व्यय के उपर्युक्त मदों में गैर-सरकारी प्राथमिक विद्यालय सबसे बड़ी मद है जिस पर 1998-99 के कुल प्राथमिक शैक्षिक व्यय का 92 प्रतिशत खर्च किया गया।

9.7.2 माध्यमिक शिक्षा पर व्यय

सामान्यतया माध्यमिक शिक्षा पर व्यय प्रदेश के कुल शिक्षा बजट के एक तिहाई से कुछ कम रहा है। 1997-98 में इस स्तर की शिक्षा पर कुल शैक्षिक बजट का लगभग एक तिहाई भाग ही व्यय किया गया। पहले के वर्षों में (जैसे 1960-61 के आस-पास) इसका भाग कुल शिक्षा बजट के लगभग पांचवें भाग के बराबर था।

माध्यमिक शिक्षा पर व्यय के निम्नलिखित शीर्षक प्रमुख हैं :

- ❑ निदेशन और प्रशासन
- ❑ निरीक्षण
- ❑ शिक्षक सेवाएं तथा प्रशिक्षण
- ❑ छात्रवृत्तियां
- ❑ परीक्षाएं
- ❑ सरकारी माध्यमिक विद्यालय
- ❑ गैर-सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान
- ❑ अन्य व्यय।

व्यय के इन मदों में, गैर-सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान के माध्यम से सबसे अधिक धन उपलब्ध कराया जाता है। वर्ष 1998-99 में अकेले इसी मद में माध्यमिक शिक्षा पर 75.8 प्रतिशत खर्च किया गया। सरकारी माध्यमिक विद्यालयों पर व्यय दूसरा महत्त्वपूर्ण मद है, जिस पर उसी वर्ष के माध्यमिक शिक्षा बजट का 17.3 प्रतिशत व्यय किया गया।

9.8 आयोजनागत तथा आयोजनेत्तर व्यय

गत लगभग 40 वर्षों से शिक्षा ही नहीं सभी प्रकार के बजट व्यय को आयोजनागत तथा आयोजनेत्तर व्यय की श्रेणियों में विभक्त किया जाता रहा है। शिक्षा के लिए इस प्रकार का वर्गीकरण उत्तर प्रदेश सरकार के बजट 1965-66 से उपलब्ध है। साधारण शब्दों में, आयोजनागत व्यय किसी नई परिसंपत्ति के सृजन अथवा इसकी बढ़ोत्तरी को दर्शाता है और आयोजनेत्तर व्यय का संबंध रख-रखाव वाले व्यय से है जो पहले से सृजित परिसम्पत्तियों पर खर्च होता है। इसीलिए प्रायः शिक्षा पर होने वाले आयोजनेत्तर व्यय को "विकासात्मक व्यय" की संज्ञा दी जाती है तथा आयोजनागत व्यय को "गैर-विकासात्मक व्यय" कहा जाता है। इसलिए घटते हुए आयोजनागत व्यय का तात्पर्य यह है कि नई शैक्षिक सुविधाओं के सृजन या उसकी बढ़ोत्तरी के प्रयास घट रहे हैं। बढ़ता हुआ आयोजनागत व्यय सरकार के कंधों पर बढ़ते हुए रखरखाव के खर्चे के बोझ को इंगित करता है।

स्कूल शिक्षा में आयोजनागत तथा आयोजनेत्तर व्यय के अनुपात को सारणी 9.05 में प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा के लिए अथवा अलग-अलग प्रदर्शित किया गया है। इस सारणी से स्पष्ट है कि दोनों ही स्तर पर संपूर्ण रूप से आयोजनागत व्यय में कमी तथा आयोजनेत्तर

व्यय में वृद्धि हुई है। 1965-66 से 1999-2000 तक प्राथमिक शिक्षा पर आयोजनागत व्यय 37.9 प्रतिशत से घटकर 11.6 प्रतिशत हो गया तथा आयोजनेत्तर व्यय 62.1 प्रतिशत से बढ़कर 88.4 प्रतिशत हो गया है। माध्यमिक स्तर पर, आयोजनागत व्यय 1965-66 में 36.3 प्रतिशत से घटकर सन् 2000-2001 में 3.2 प्रतिशत रह गया। आयोजनेत्तर व्यय इसी समयावधि में 63.7 प्रतिशत से बढ़कर 96.8 प्रतिशत हो गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर लगभग संपूर्ण व्यय रखरखाव पर ही चला जाता है।

सारणी 9.05 : *उत्तर प्रदेश में विद्यालयीय शिक्षा पर आयोजनागत तथा आयोजनेत्तर व्यय*

(प्रतिशत)

वर्ष	*प्राथमिक शिक्षा*			*माध्यमिक शिक्षा*		
	आयोजनागत	*आयोजनेत्तर*	*योग*	*आयोजनागत*	*आयोजनेत्तर*	*योग*
1965-66	37.9	62.1	100	36.3	63.7	100
1970-71	10.9	89.1	100	4.8	95.2	100
1975-76	9.4	90.6	100	3.5	96.5	100
1980-81	3.3	96.7	100	2.1	97.9	100
1990-91	8.3	91.7	100	2.9	97.1	100
1995-96	12.8*	87.2	100	6.1	93.9	100
1998-99	8.9*	91.1	100	1.8	98.2	100
1999-2000	14.8*	85.2	100	3.7	96.3	100
2000-2001	11.6*	88.4	100	3.2	96.8	100

स्रोत : राज्य के वार्षिक बजट आंकड़ों से संगणित।

टिप्पणी : * ये अनुपात इसलिए अधिक हैं कि इनमें प्राथमिक शिक्षा की केंद्र पुरोनिधानित तथा बाह्य स्रोतों द्वारा पोषित योजनाएं सम्मिलित हैं। इसके लिए धन का आबंटन आयोजनागत व्यय के रूप में दर्शाया जाता है, जो इन आंकड़ों के लगभग 50 प्रतिशत के बराबर है। राज्य सरकार द्वारा किया जाने वाला प्राथमिक शिक्षा पर वास्तविक आयोजनागत व्यय वास्तव में बहुत कम है।

प्राथमिक शिक्षा का मामला कुछ भिन्न है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा पर आयोजनागत व्यय 1990-91 से बड़ी वृद्धि संसूचित करता है। इसे एक प्रकार से विलोमात्मक प्रवृत्ति भी कह सकते हैं। यह वृद्धि विशेषतया प्रदेश में बाह्य स्रोतों, मुख्य रूप से विश्व बैंक द्वारा पोषित योजनाओं के कारण हुई है। विश्व बैंक द्वारा होने वाले संपूर्ण व्यय को बजट में आयोजनागत व्यय के रूप में दर्शाया जाता है। इन मदों में आयोजनेत्तर व्यय की धनराशि शून्य है।

यह सबसे बड़ा कारण है जिससे प्राथमिक शिक्षा पर घटते हुए आयोजनागत व्यय की प्रवृत्ति में 1990-91 से पुनः बढ़ने का रुझान उत्पन्न हो गया है। वर्ष 1999-2000 में यह बढ़कर प्राथमिक शिक्षा पर हुए कुल व्यय का 14.8 प्रतिशत तक पहुंच गया। इस वर्ष में विश्व बैंक की

सहायता राशि 252.45 करोड़ रुपए थी जो इसी वर्ष प्राथमिक शिक्षा पर हुए कुल आयोजनागत व्यय का 5.8 प्रतिशत था।

9.9 शैक्षिक शुल्क की दरें

यद्यपि शैक्षिक शुल्क मूलतः एक सांकेतिक शुल्क है, अब इसे शैक्षिक वित्तीयन के एक स्रोत के रूप में देखा जा रहा है। क्रमशः विद्यार्थियों से लिए जाने वाले शुल्क पर निर्भरता बढ़ रही है। यही कारण है कि अन्य सेवाओं की भांति शिक्षा में भी सरकार की ओर से शुल्क बढ़ाने की पहल की जा रही है। इसे आर्थिक सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत "यूजर चार्ज" अथवा उपयोग शुल्क का नाम दिया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश की स्कूल शिक्षा में शैक्षिक शुल्क का ढांचा विभिन्न स्तरों पर भिन्न-भिन्न है। यद्यपि स्कूल शिक्षा शुल्क मुक्त सेवा है, शुल्क की दरें विद्यार्थियों के लिए बहुत कम नहीं हैं। वास्तविक अर्थों में न तो निम्न प्राथमिक और न ही उच्च प्राथमिक शिक्षा पूर्ण रूप से शुल्क मुक्त है। छठे अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण ने अपने प्रतिवेदन में इस तथ्य का उल्लेख किया जो वास्तव में ध्यानाकर्षक है।

उत्तर प्रदेश में स्कूल शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर विद्यार्थियों से ली जाने वाली वार्षिक फीस की राशि को सारणी 9.06 में दर्शाया गया है।

सारणी 9.06 : *उत्तर प्रदेश में स्कूल शिक्षा का शुल्क ढांचा*

(रुपयों में)

शैक्षिक स्तर	*लिया जाने वाला शुल्क*	*विवरण*
1. प्राथमिक स्तर	12	क्रीड़ा शुल्क+2 अन्य/विकास निधि 10
2. उच्च प्राथमिक स्तर	24	पुस्तकालय शुल्क 2 क्रीड़ा शुल्क+2 अन्य/विकास शुल्क 20
3. माध्यमिक स्तर	51	पुस्तकालय शुल्क 8 प्रयोगशाला शुल्क 18 क्रीड़ा शुल्क 4 विद्यार्थी कल्याण कोष 1 अन्य/विकास शुल्क 20
4. उच्च माध्यमिक स्तर	71	पुस्तकालय शुल्क 8 क्रीड़ा शुल्क 6 विद्यार्थी कल्याण कोष 1 अन्य/विकास शुल्क 20 प्रयोगशाला शुल्क 36

स्रोत : छठा अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण, मुख्य प्रतिवेदन, एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली 1999

उत्तर प्रदेश की सरकार उच्च माध्यमिक स्तर तक कोई (शिक्षण) शुल्क नहीं वसूल करती। नाममात्र के अन्य शुल्क वसूल किए जाते हैं जैसाकि सारणी 9.06 में दर्शाया गया है।

9.9.1 राज्य के बजट हेतु शुल्क का योगदान

उत्तर प्रदेश के बजट हेतु शुल्क का योगदान बहुत कम रहा है। 1984-85 में, शुल्क से राज्य के बजट में 13.46 करोड़ रुपए प्राप्त हुए थे जो उस वर्ष के कुल शैक्षिक व्यय के 2 प्रतिशत के बराबर था। 1990-91 में शुल्क के योगदान की राशि बढ़कर 33.90 करोड़ रुपए हो गई, परंतु इसका सापेक्षिक योगदान घट कर 1.62 प्रतिशत हो गया।

सारणी 9.07 से स्पष्ट होता है कि किसी एक वर्ष में शुल्क का योगदान कुछ शैक्षिक व्यय के 2.5 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सका। 1997-98 में शुल्क का योगदान 95.89 करोड़ रुपए था, जो उस वर्ष के शैक्षिक व्यय का 2.31 प्रतिशत था, जो उस वर्ष के लिए शुल्क का सबसे बड़ा सापेक्षिक (प्रतिशत) योगदान है।

वर्ष 1999-2000 में शुल्क का योगदान 125.25 करोड़ रुपए था, जो निरपेक्ष रूप में सबसे बड़ी राशि है। लेकिन तुलनात्मक रूप में यह योगदान लगभग 2 प्रतिशत ही था।

सारणी 9.07 : *उत्तर प्रदेश में शैक्षिक शुल्क तथा शैक्षिक व्यय*

(करोड़ रुपए)

वर्ष	*शैक्षिक शुल्क आदि से प्राप्त राजस्व*	*शैक्षिक व्यय*	*(2), (3) के प्रतिशत*
1984-85	13.46	675.42	1.99
1990-91	33.90	2093.81	1.62
1995-96	53.35	3360.92	1.59
1997-98	95.89	4156.85	2.31
1998-99	101.34	5840.15	1.74
1999-2000	125.25 (आर.ई.)	6096.33	2.05

स्रोत : विभिन्न वर्षों का राज्य सरकार का बजट।

जैसाकि सारणी 9.08 में दर्शाया गया है किसी वर्ष विशेष में तथा दर्शाए गए लगभग सभी वर्षों में शुल्क से प्राप्त आय का अनुपात तथा वास्तविक संग्रह दोनों में बहुत अंतर है। 1980 के दशक में प्रायः अनुमान अधिक परंतु वास्तविक संग्रह बहुत कम था। परंतु 1950 के दशक से यह प्रवृत्ति बदल गई। वास्तविक संग्रह राशि, अनुमानित राशि तथा कभी-कभी पुनरीक्षित अनुमानित राशि से भी अधिक थी। ऐसा प्रतीत होता है कि अब सरकार राज्य के बजट के वास्ते शैक्षिक शुल्क से अधिक धनराशि एकत्र करने के लिए प्रयत्नशील है। 1998-99 में शुल्क संग्रह का बजट अनुमान 46.24 करोड़ रु. था जो पुनरीक्षित करके 90.93 करोड़ रु.पर लाया गया और अंततः वास्तविक संग्रह 101.34 करोड़ रु. का हुआ। यह इस बात का द्योतक है कि

सरकार की आय के रूप में शुल्क का महत्त्व पुनर्जागृत हुआ है। इसीलिए स्कूल शिक्षा में भी "उपयोग शुल्क" (यूजर चार्जेज़) बढ़ाए जा रहे हैं।

सारणी 9.08 : *शैक्षिक शुल्क आदि से राज्य सरकार को प्राप्त आय*

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	वास्तविक आंकड़े	पुनरीक्षित अनुमान	बजट अनुमान
1985-86	11.09	19.23	—
1986-87	12.30	22.31	22.77
1987-88	-	24.04	23.98
1988-89	16.33	-	25.80
1989-90	44.95	28.84	-
1990-91	33.90	29.48	31.32
1991-92	34.73	29.66	31.32
1992-93	55.92	44.70	31.95
1993-94	29.94	43.85	45.24
1994-95	-	46.67	46.69
1995-96	53.35	-	47.49
1996-97	34.47	111.42	-
1997-98	95.89	40.76	71.41
1998-99	101.34	90.93	46.24
1999-2000	-	125.25	86.40

स्रोत : विभिन्न वर्षों का राज्य सरकार का बजट।

9.10 संसाधनों का उपयोग

विकासशील देशों में शिक्षा प्रदान करने की प्रक्रिया बड़ी अकुशल है। उत्तर प्रदेश इस सामान्य अनुभव का अपवाद नहीं है। यह एक तथ्य है कि आवश्यकताओं को देखते हुए संसाधन बहुत कम हैं। परंतु यह भी एक सच्चाई है कि जो धनराशि खर्च की जा रही है, उसका पूर्ण उपयोग नहीं हो रहा है, जिससे इष्टतम परिणाम प्राप्त किए जा सकें। अनेक ऐसी स्कूल व्यवस्थाएं विद्यमान हैं जहां संसाधनों की बर्बादी हो रही है अथवा इष्टतम स्तर से बहुत नीचे काम कर रही हैं। इससे संसाधनों का अपव्यय होता है। एक तरफ जहां धनाभाव के कारण अध्यापक नहीं हैं वहीं दूसरी ओर अध्यापक तो हैं परंतु पर्याप्त मात्रा में बच्चे स्कूल में नहीं हैं, जिन्हें शिक्षित किया जा सके। कई अन्य प्रकार की भी रुकावटें हैं जो प्रदेश के शैक्षिक व्यय की कुशलता को कम कर देती हैं।

शैक्षिक प्रक्रिया को अधिक कुशल बनाने के लिए मानवीय तत्व बहुत महत्त्वपूर्ण हैं। संसाधनों का प्रभावकारी उपयोग इसे केवल और आगे बढ़ाने में सहायक है। इसे सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है।

प्रायः इस बात पर बल दिया जाता रहा है कि स्कूल शिक्षा पर व्यय को राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में बढ़ाया जाए जो वास्तव में अभी भी उ.प्र. में बहुत कम है। परंतु स्कूल बजट के आकार को ध्यान में रखते हुए अब समय आ गया है कि इस बात पर ध्यान दिया जाए कि शिक्षा पर होने वाले व्यय को किस प्रकार अधिक कुशल एवं प्रभावकारी बनाया जाए। उत्तर प्रदेश में इस बात पर मतैक्य है कि कई प्रकार की शैक्षिक सुविधाओं का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाया है। इष्टतम व्यय की नीतियां प्रदेश के स्कूल शिक्षा के वित्तीयन के लिए अधिक संसाधन जुटाने में सकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं।

यद्‌यपि समान परिस्थितियों के अन्य राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश में शैक्षिक व्यय बहुत कम है, इसके शैक्षिक पिछड़ेपन का केवल यही एकमात्र कारण नहीं है। समान दशाओं वाले एवं समान राजकोषीय प्रयासों से अन्य राज्यों ने उत्तर प्रदेश की तुलना में अच्छे परिणाम दिए हैं। इस संबंध में कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश का उदाहरण दिया जाता है। उत्तर प्रदेश को अपने संसाधनों के उपयोग में अधिक कुशलता लानी होगी, जिससे बेहतर परिणाम प्राप्त किए जा सकें।

9.11 कार्यपूर्ति की तुलना में सहायता अनुदान

यह कहना गलत नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश में स्कूल शिक्षा की वित्तीय व्यवस्था अधिकांशतः राज्य की सहायता पर आधारित है जो माध्यमिक स्तर पर निजी प्रबंध वाली शैक्षिक संस्थाओं को तथा प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर स्थानीय निकायों द्‌वारा प्रबंधित (परिषद्‌ीय) विद्‌यालयों को सहायता अनुदान प्रदान करती है।

उत्तर प्रदेश में इन दोनों प्रकार के विद्‌यालयों पर सरकारी व्यय सबसे अधिक संसाधन उपयोग के लिए उत्तरदाई है। माध्यमिक स्तर पर यह व्यय 75 प्रतिशत भाग से भी अधिक है तथा प्राथमिक स्तर पर इस प्रकार का व्यय इसी स्तर पर कुल व्यय के 95 प्रतिशत से अधिक है।

उत्तर प्रदेश में शैक्षिक अनुदान की व्यवस्था ब्रिटिश राज से विरासत में मिली है। अनुमान आबंटन की वही प्रणाली बिना किसी बड़े परिवर्तन के आज भी विद्‌यमान है। शैक्षिक सहायता अनुदान दो प्रकार के हैं — (1) अनावर्तक अनुदान, (2) आवर्तक अनुदान।

यद्‌यपि शैक्षिक सहायता अनुदान की वर्तमान व्यवस्था कई प्रकार के शैक्षिक और प्रशासनिक मापदंडों को बनाए रखने की कई तकनीकी शर्तों पर आधारित है, वास्तव में राजनैतिक शक्ति एवं प्रभाव वाले स्कूल के प्रबंधन बिना कठिनाई के सहायता अनुदान हेतु अपना अधिकारपूर्ण पक्ष राज्य सरकार के सामने रखने में सफल हो जाते हैं। कुछ शर्तों को आसानी से पूरा कर लिया जाता है तथा कुछ अन्य की आसानी से उपेक्षा कर दी जाती है। इसीलिए उत्तर प्रदेश

की शैक्षिक सहायता अनुदान व्यवस्था को ठीक नहीं कहा जा सकता इसमें बहुत कुछ सुधार किया जाना शेष है।

इस परिप्रेक्ष्य में यह कहा जा सकता है कि एक परिष्कृत अनुदान ढांचा अपेक्षित है जो शैक्षिक अनुदान को स्कूल की उपलब्धियों के संकेतकों से जोड़ सके। इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार जापान तथा इंग्लैण्ड के अनुभव से बहुत कुछ सीख सकती है। स्कूल अनुदान को गुणवत्ता से जोड़े जाने की आवश्यकता है जिससे वे अच्छे तथा उचित परिणाम प्रदान कर सकें। इस प्रकार स्कूल शिक्षा की अनुदान व्यवस्था का पुनर्गठन समय की मांग है।

9.12 शिक्षा के लिए अतिरिक्त संसाधन विदोहन

राज्य सरकार के लिए बड़ी चिंता का विषय यह है कि सामाजिक सेवाओं को उपलब्ध कराने में राज्य स्तर पर संसाधनों का अत्यंत अभाव है। कई अन्य राज्यों की भांति उ.प्र. में भी कर आय को शिक्षा के वित्तीयन से जोड़ने की प्रथा विद्यमान नहीं है। इस समय आवश्यकता है कि कुछ करों की आय को शिक्षा के वित्तीयन हेतु सीधे आरक्षित किया जाए।

- ग्रामीण क्षेत्रों में भू-राजस्व महत्त्वपूर्ण स्रोत है, जिसका महत्व दिनोंदिन कम होता जा रहा है। यदि भू-राजस्व को गांव की ही प्राथमिक शिक्षा के वित्तीयन के लिए आरक्षित कर दिया जाए तो इसका महत्त्व बढ़ जाएगा तथा किसान इसका उचित प्रकार से भुगतान करेंगे। उन्हें जब यह ज्ञात होगा कि भू-राजस्व उनके ही गांव में बच्चों की शिक्षा पर ही व्यय किया जाएगा तो उनकी भू-राजस्व भुगतान की तत्परता बढ़ जाएगी।
- शहरी संपत्ति कर आय को शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा के वित्तीयन से जोड़ा जा सकता है। इससे स्थानीय निकाय अपने अधिकार क्षेत्र में स्कूल शिक्षा के वित्तीयन में अधिक उत्तरदाई बन जाएगी।
- उत्तर प्रदेश में राज्य उत्पाद शुल्क तथा व्यापार कर पर शैक्षिक उपकर (सेस) लगाया जा सकता है जो स्कूल शिक्षा के वित्तीयन हेतु विश्वसनीय धनराशि प्रदान कर सकता है।
- आने वाले दिनों में शैक्षिक शुल्क का योगदान अवश्य बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश में एक सामान्य विचार यह उभर रहा है कि प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक लागत का 20 प्रतिशत तथा माध्यमिक स्तर पर 33 प्रतिशत विद्यार्थियों के शुल्क से पूरा किया जाए। इस प्रकार की संस्तुति 1996 में उत्तर प्रदेश की कर सुधार एवं संसाधन विदोहन समिति ने किया।
- आर्थिक सुधारों के मद्देनजर कुल मिलाकर शैक्षिक लागत को आंतरिक साधनों द्वारा ही पूरा करना होगा, क्योंकि सरकार अपना आकार घटाना चाहती है तथा व्यय में कटौती उसकी नीति में सम्मिलित है।

- यद्यपि स्कूल शिक्षा के वाणिज्यीकरण की अधिक गुंजाइश नहीं है परंतु यह व्यवस्था यदि उच्च शिक्षा पर लागू की जाए तो वहां सार्वजनिक संसाधनों को बचा कर उसे राज्य सरकार द्वारा स्कूल शिक्षा पर व्यय किया जा सकता है।
- प्राथमिक शिक्षा के लिए स्थानीय संसाधनों के विदोहन में ग्राम शिक्षा समितियां बड़ी भूमिका निभा सकती हैं। वे थोड़ी मात्रा में गृहकर लगा सकती हैं। गांव की सड़कों को प्रयोग करने वाले वाहनों पर कर लगा सकती हैं तथा शिक्षा के लिए स्वैच्छिक दान प्राप्त कर सकती हैं। इस प्रकार यह व्यवस्था ग्रामीण शिक्षा में राज्य सरकार द्वारा वित्तीयन की पूरक बन सकती है।
- यदि स्कूल शिक्षा पर घटते हुए आयोजनागत व्यय के रुझान को बदलना है, जो कि बहुत वांछित है तो राज्य में पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से शिक्षा पर अधिक वित्तीय प्रबंध करना होगा। इस संबंध में केंद्र सरकार की भूमिका अधिक महत्त्वपूर्ण हो जाती है। प्रदेश की स्कूल शिक्षा पर केंद्र सरकार के विनियोग को बढ़ाने की आवश्यकता है जिससे इस राज्य की शैक्षिक प्रगति को कम से कम राष्ट्रीय औसत के बराबर तो लाया जा सके।

9.13 समता के मुद्दे : शुल्क-मुक्ति इत्यादि

उत्तर प्रदेश की स्कूल शिक्षा त्रिभुजीय समस्या में जकड़ी है। परिमाणात्मक उपलब्धियां, गुणात्मक कार्यपूर्ति तथा समानता के मुद्दे अर्थात् राज्य के निर्धन व पिछड़े वर्गों के लिए निःशुल्क अथवा कम लागत की शिक्षा उपलब्ध कराना—इस समस्या के तीन पक्ष हैं।

छठे अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण ने यह उद्घाटित किया है कि उत्तर प्रदेश में स्कूल शिक्षा अन्य राज्यों की तुलना में कम समानतापूर्ण है। चूंकि स्कूल शिक्षा क्रमशः महंगी होती जा रही है, निर्बल वर्गों को सुरक्षा प्रदान किए जाने की आवश्यकता है। यह इन्हें गुणवत्ता (मेरिट) एवं साधन के परीक्षण के आधार पर पूर्ण शुल्क मुक्ति तथा छात्रवृत्ति के रूप में प्रदान की जा सकती है, जिससे निर्बल वर्ग के बच्चे स्कूल शिक्षा प्राप्त कर सकें।

स्कूल शिक्षा के स्तर पर विभिन्न परिवार वर्गों/अध्यापक वर्गों के लिए उत्तर प्रदेश शासन कई प्रकार की छात्रवृत्तियां तथा पूर्ण शुल्क मुक्ति प्रदान करती है। छात्रवृत्ति योजना अभी भी बहुत प्रभावकारी नहीं है। शुल्क मुक्ति की योजना संबंधित वर्गों पर अपना प्रभाव इसलिए नहीं डाल पा रही है कि स्कूलों में उन विद्यार्थियों से भी कई तरह की वसूलियां की जाती हैं, जिन्हें पूर्ण शुल्क मुक्ति प्रदान की गई है। इस प्रकार उन्हें अपने स्कूल शिक्षा हेतु किसी न किसी रूप में पैसा देना पड़ जाता है। बहुत से लड़के-लड़कियों को वित्तीय दबाव में आकर स्कूल छोड़ना पड़ता है और वे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं।

निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा को सही अर्थों में निःशुल्क बनाने की आवश्यकता है। माध्यमिक शिक्षा भी शिक्षण शुल्क मुक्त है तथा सरकार शिक्षण शुल्क न मिलने की हानि को पूरा करने के लिए स्कूलों को राजकीय सहायता उपलब्ध कराती है। 1993-94 में इस प्रकार की राजकीय सहायता 12 करोड़ रुपए के बराबर थी। विद्यार्थियों से नाममात्र का विकास अभिदान भी लिया जाता है परंतु अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विद्यार्थियों तथा निर्धन वर्गों के 10 प्रतिशत विद्यार्थियों को इन भुगतानों से मुक्त रखा गया है।

निम्न प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर तक उत्तर प्रदेश सरकार की नीति शिक्षण शुल्क मुक्त शिक्षा प्रदान करने की है, परंतु छठे अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण के अनुसार उत्तर प्रदेश उन राज्यों में सम्मिलित नहीं है, जिनमें स्कूल शिक्षा पूर्ण रूप से मुक्त है।

अध्याय 10

भावी कार्य एवं परिदृश्य

इस अध्याय में उत्तर प्रदेश राज्य में प्रचलित विद्यालयीय शिक्षा के परिदृश्य से संबंधित मुख्य सकारात्मक पक्षों एवं न्यूनताओं को संक्षेप में दर्शाया गया है। इसके तहत सन् 1991 से बाद की अवधि के आर्थिक बनाम शैक्षिक सुधारों, बजट संबंधी घाटे से जुड़े मुद्दों, स्कूल स्तर की शिक्षा के लिए सीमित संसाधनों, विद्यालय पूर्व से विद्यालय तक की शिक्षा में दृष्टिगत निजी पहल, स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका एवं उनसे प्राप्त अवलंब तथा समर्थन, विकेंद्रीकरण तथा कार्यभार का निक्षेपण, पंचायती राज संस्थाओं, स्थानीय स्वशासन तथा सामुदायिक सहभागिता के बारे में चर्चा की गई है। इसके अलावा, उभरते नए प्रतिमान-बदलाव को संकेतित करते हुए अधूरे कार्यों एवं अनुत्तरित मुद्दों को भी उजागर किया गया है।

लगभग पांच दशकों की अवधि में सन् 1951 ई. से लेकर अब तक विकसित उत्तर प्रदेश राज्य के शैक्षिक परिदृश्य को थोड़ा नजदीक से देखने पर यह सुस्पष्ट होता है कि स्कूल स्तर की शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित कथ्य (विषयवस्तु) एवं प्रक्रियाओं—दोनों ही मामलों में यह राज्य 'समता' एवं 'उत्कृष्टता' सुनिश्चित करने के लक्ष्य की ओर शनैः शनैः किंतु मजबूती के साथ आगे बढ़ा है। तथापि यह कहा जा सकता है कि राज्य का वृहद् आकार अपने बहु-सांस्कृतिक एवं बहु-भाषायी प्रकृति तथा नाना प्रकार की जातीय स्थितियों के फलस्वरूप 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा मुहैया कराने की संवैधानिक वचनबद्धता को पूरा करने में मुख्य रूप से बाधक रहा है। ये कारक तत्व तथा इनके प्रभाव राज्य द्वारा लिंग संबंधी विषमताओं को दूर करने के लिए किए गए प्रयासों, जाति एवं वर्ग पर आधारित भेदभाव समाप्त करने, नवाचारी शैक्षिक प्रयोगों के माध्यम से शैक्षिक अवसरों की समानता सुनिश्चित करने तथा विशेष तौर से उच्चतर माध्यमिक शिक्षा स्तर के पाठ्यक्रमों में विविधता एवं उनमें व्यावसायिक पुट लाने की योजनाओं एवं गतिविधियों के प्रसंगों में मुखर होते रहे हैं। इस संदर्भ में यह उचित होगा कि राज्य स्तर की स्कूली शिक्षा से जुड़े सकारात्मक पहलुओं

एवं न्यूनताओं (अक्षमताओं) को संक्षेप में उद्घाटित किया जाए, जिससे यहां के अधूरे कार्यों एवं अनुत्तरित मुद्दों पर विशेष रूप से दृष्टि जा सके।

10.1 प्रमुख सकारात्मक पक्षों एवं न्यूनताओं का संक्षिप्त विवरण

सकारात्मक पक्ष

नई शिक्षा नीति में विनिर्दिष्ट वचनबद्धताओं के आलोक में राज्य द्वारा प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के विविध पक्षों में सुधार लाने की दृष्टि से नियोजित प्रयास किया गया है। यह माना जा सकता है कि मोटे तौर पर इस बारे में परिलब्धियां संतोषप्रद हैं तथापि कई दृष्टियों से अभी भी बहुत कुछ करने की गुंजाइश है। विशेष रूप से उल्लेखनीय उपलब्धियां इस प्रकार हैं :

- प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्रों में पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की संप्राप्ति हेतु राज्य स्तर पर शैक्षिक बदलाव लाने की आवश्यकता अनुभव की जा रही है। यह राज्य सरकार की **राज्य स्तरीय शिक्षा नीति** विकसित करने की चिंता एवं चेष्टा में स्पष्टतः परिलक्षित है।
- सन् 1950-51 से 2000-2001 की अवधि में दशाब्दीय विकास जो सारणी 1.08 तथा 1.09 में विद्यालयों (प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक) की संख्या, बच्चों का उनमें नामांकन, शिक्षकों की संख्या तथा भौतिक एवं अन्य संसाधनों की उपलब्धता के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है, अत्यंत संतोषजनक प्रतीत होता है। प्रतिशत की दर से सन् 1951 से सन् 2001 तक की स्थिति यह है कि विद्यार्थियों की संख्या लगभग 6.5 गुनी बढ़ी है, जबकि इसी अवधि में अध्यापकों की संख्या 5.5 गुनी बढ़ी है। इससे यह विदित होता है कि प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या में भारी वृद्धि होते हुए भी शिक्षक-छात्र अनुपात कुप्रभावित हुआ है।
- प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित करने की दृष्टि से नए विद्यालयों की स्थापना करने, उनमें विद्यार्थियों के नामांकन एवं उन्हें धारित करने तथा उनके लिए गुणवत्तापरक शिक्षा उपलब्ध कराने के सम्मिलित प्रयास किए गए हैं। शिक्षा गारंटी योजना के तहत यह नीतिगत फैसला किया गया है कि यदि 1 कि.मी. की परिधि में कोई विद्यालय नहीं है तो 30 बच्चों पर एक शिक्षा केंद्र सर्जित किया जाएगा। विद्यालयीय शिक्षा से वंचित बच्चों के लिए पूर्व में चलाए गए अनौपचारिक शिक्षा केंद्र 83 जनपदों तथा 596 विकास खंडों में उपलब्ध रहे हैं।
- ग्रामीण इलाकों में 800 की आबादी पर 3 कि.मी. की परिधि में एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रावधान का मानक है। संप्रति राज्य के लगभग 60 प्रतिशत बच्चे उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नामांकित हो पा रहे हैं।

- कक्षागत प्रेक्षण-अध्ययनों (सन् 1998) तथा (सन् 2000) के माध्यम से यह प्रकाश में आया है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना 17 जनपदों में तथा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी.पी.ई.पी.) द्वितीय एवं तृतीय 60 जनपदों में सफलतापूर्वक संचालित किंए गए हैं। इनका स्पष्ट प्रभाव विद्यालयों की भौतिक साज-सज्जा एवं संसाधनों में वृद्धि तथा विद्यालयीय एवं कक्षागत प्रक्रियाओं में सराहनीय अंतर के रूप में परिलक्षित है। विगत एक दशक में कई समय अंतराल से छः आधारिक सर्वेक्षणात्मक अध्ययन संपन्न कराए गए हैं जिनके द्वारा प्राथमिक विद्यालयों के कक्षा 2 एवं 5 के बच्चों की शैक्षिक निष्पत्ति का जायजा लिया गया है।
- इन आधारिक सर्वेक्षणों के प्रारंभिक, मध्य एवं अंतिम चरणों पर की गई तुलना से यह पता चलता है कि विद्यार्थियों के उपलब्धि स्तरों में प्रशंसनीय रूप से वृद्धि हुई है, विद्यालयों की भौतिक निविष्टियां समुन्नत हुई हैं, कक्षागत एवं विद्यालयीय संदर्भों में अनुदेशन गतिशील हुआ है तथा 6 से 14 वर्ष आयुवर्ग के बच्चों में विद्यालयीय-अवधि की शिक्षा पूरी किए बगैर स्कूल छोड़ देने वालों की संख्या घटी है।
- शिक्षा सत्र सन् 2000-2001 से शिक्षकों के स्थायी चयन होने तक उनकी संख्या में कमी को पूरा करने की दृष्टि से **शिक्षा मित्र** की पूरक व्यवस्था लागू की गई है। ऐसे अनु-शिक्षकों के लिए एक प्रशिक्षण पैकेज भी तैयार किया गया है तथा उसे व्यवहार में लाया जा रहा है। यहां उल्लेखनीय है कि ऐसे अनु-शिक्षकों की कल्पना एक अल्पकालिक उपाय के रूप में इस आशय से रची गई है जिससे सार्वभौम नामांकन तथा सर्व शिक्षा अभियान के फलस्वरूप विद्यालयीय बच्चों की बढ़ने वाली संख्या से निपटा जा सके।
- नई शिक्षा नीति (1986, संशोधित कार्ययोजना 1992) की अपेक्षानुसार पाठ्यक्रमों को परिवर्द्धित एवं संशोधित किया गया है, प्राथमिक शिक्षा स्तरीय पाठ्य-पुस्तकों को नए ढंग से सृजित किया गया है तथा एक प्रस्तावित कार्ययोजना के अनुरूप व्यापक एवं सतत मूल्यांकन की व्यवस्था को सावधानीपूर्वक परीक्षण के बाद अगले शैक्षिक सत्र से लागू किया जा रहा है।
- राज्य के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा से संबंधित प्रशासन, पर्यवेक्षण तथा शैक्षिक-अवलंब की व्यवस्थाओं में जनपद स्तर से विकास खंड स्तर पर नियंत्रण हस्तांतरित करने की प्रक्रिया शनैः शनैः प्रभावी हो गई है। विकास खंड स्तरों पर सहायक बेसिक अधिकारियों को पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पंचायती राज व्यवस्था के अधीन एक विकेंद्रीकृत उपागम विकसित किया जा रहा है।
- सन् 1995 के बाद विकास खंड संसाधन केंद्रों तथा संकुल संसाधन केंद्रों को प्रभावी

शैक्षिक अवलंबों के रूप में विकसित करते हुए उन्हें धीरे-धीरे और सुदृढ़ बनाया जा रहा है। इन संस्थाओं के क्षमता विकास को समर्थन देने की दृष्टि से प्रशिक्षण हेतु प्रपातिका प्रतिमान (कासकेड मॉडल) का अनुसरण किया जा रहा है। शिक्षकों के विभिन्न लक्ष्य समूहों, विकास खंड संसाधन केंद्रों तथा संकुल संसाधन केंद्रों के समन्वयकों, प्रभारी, बेसिक शिक्षा अधिकारियों, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के प्राचार्यों, प्रवक्ताओं तथा वरिष्ठ प्रशासनिक कर्मियों/अधिकारियों के लिए गैर सरकारी संगठनों, सीमेट तथा राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के सम्मिलित प्रयासों से कई आवश्यकता-उन्मुख प्रशिक्षण कार्यक्रम क्रियान्वित हो चुके हैं। पर्यवेक्षण, शिक्षण तथा अधिगम अंतर्क्रिया एवं विद्यालयीय परिवेश के शैक्षिक लोकाचार की गुणवत्ता में सुधार लाने के प्रयोजन से क्रियात्मक-अनुसंधान की युक्ति को अपनाए जाने पर बल दिया गया है जिससे पोषणीय विकास, कार्य संस्कृति तथा व्यवहार्य विद्यालय-समुदाय सहलग्नता (सहानुबंध) सुनिश्चित की जा सके।

- कई सामाजिक-राजनीतिक कारणों से मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में दोहरी प्रबंध व्यवस्था एवं नियंत्रण की पद्धति अपनाई जा रही है। इस प्रणाली को यथा-संभव अहानिकर बनाने की दृष्टि से शिक्षकों की शैक्षणिक योग्यताओं, उनकी वेतन संरचनाओं, पाठ्यक्रम क्रियान्वयन, पाठ्यपुस्तकों के सृजन एवं उनके वितरण में निजी क्षेत्र को प्रतिभाग करने, मूल्यांकन विधा, ग्रेडिंग तथा अभिलेखों के रख-रखाव तथा शिक्षकों, प्राचार्यों, प्रधानाध्यापकों तथा अन्य वरिष्ठ शैक्षिक कर्मियों के चयन हेतु वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया अपनाए जाने संबंधी अनेक नीतिगत निर्णय लिए गए हैं।
- प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तरों पर गुणवत्तापूर्ण सेवापूर्व-शिक्षकों की तैयारी का कार्य संबंधित जनपदों के डाइट्स को सौंपा गया है। इस संबंध में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा सन् 1998 में प्रसारित 'पाठ्यक्रम रूपरेखा' की अपेक्षानुसार ऐसे कार्यक्रमों के पाठ्यक्रमों एवं पाठ्चर्याओं को पूरी तौर पर अद्यतन कर दिया गया है।
- माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर के शिक्षकों की तैयारी हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के मानकों को दृढ़ता से लागू किया गया है। इस स्तर के पाठ्यक्रमों के नवीनीकरण का कार्य विश्वविद्यालयों के शिक्षा विभागों तथा केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित शिक्षा के उच्च-अध्ययन संस्थानों के जिम्मे है। उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप उन्हें यथासंभव संशोधित एवं परिवर्धित करते रहें।
- राज्य में प्राथमिक स्तर के सेवापूर्व शिक्षकों के प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु अर्हकारी योग्यता में परिवर्तन किया गया है। सामान्य शिक्षा की अवधि को बढ़ाकर अब इसे

किसी भी विद्यालयीय विषय में स्नातक की उपाधि के रूप में कर दिया गया है। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर के शिक्षकों के प्रशिक्षण में इस अर्हकारी योग्यता को स्नातक या परास्नातक स्तर पर विद्यालयीय विषय की अनिवार्यता के रूप में कर दी गई है। यह व्यवस्था सन् 2000-2001 से बी.एड. पाठ्यक्रमों में प्रवेश नियम एवं अर्हता में परिवर्तन लाकर सुनिश्चित की जा रही है। यह प्रकरण राज्य के संबंधित विश्वविद्यालयों के विचाराधीन है।

- प्राथमिक स्तरीय शिक्षकों का सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्य डाइट, संकुलों, विकास संसाधन केंद्रों एवं गैर सरकारी स्वैच्छिक संगठनों की सहायता से संचालित होता है। सेवाकालीन प्रशिक्षण हेतु इस समय राज्य में 65 डाइट्स (उत्तरांचल को शामिल करते हुए) प्राथमिक शिक्षकों की शिक्षा से संबंधित हैं। इन संस्थाओं के अधिकांश वरिष्ठ प्रवक्ताओं तथा प्रवक्ताओं को क्षमता संवर्द्धन उपायों में गहन प्रशिक्षण दिया गया है।
- माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर के शिक्षकों के सेवाकालीन प्रशिक्षण के लिए अनेक कार्यक्रम राज्य एवं जनपद स्तरों पर चलाए गए हैं। ये कार्यक्रम शिक्षा के उच्च अध्ययन संस्थानों, विश्वविद्यालयों के अध्यापक शिक्षा विभागों तथा राज्य सरकार के विशिष्ट संस्थानों यथा—आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान, राज्य हिंदी संस्थान तथा अन्य के माध्यम से संचालित होते हैं। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में विशेष रूप से विषय-ज्ञान उच्चीकरण, सूचना-प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग तथा नवाचारी शैक्षणिक पद्धतियों की जानकारी पर पर्याप्त बल दिया गया है।
- प्रशिक्षण निविष्टियों की गुणवत्ता एवं शोध तथा प्रबंध संरचनाओं का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने की दृष्टि से राज्य स्तर पर दो शीर्ष संस्थाएं स्थापित की गई हैं। ये हैं — राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् तथा राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान। ये दोनों ही संस्थाएं पूरी तौर से गतिशील हैं। सन् 1999-2000 में इन संस्थाओं के अतिरिक्त बाह्य विशेषज्ञों की मदद से राज्य में स्कूली शिक्षा की अवस्थिति दर्शाने के उद्देश्य से एक निदानात्मक पत्रक प्रस्तुत किया जा चुका है। इसके आधार पर एक नया नीति-निर्देशक दस्तावेज़ शीघ्र ही तैयार किया जाना है।
- प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शिक्षा स्तरों पर न्यूनतम 40 प्रतिशत विद्यालयों में श्रव्य-दृश्य साधनों, शिक्षण-अधिगम सामग्रियों तथा विज्ञान एवं गणित शिक्षण में इन किट्स का प्रभावी ढंग से अनुप्रयोग सुनिश्चित किया जा चुका है, जबकि शेष 60 प्रतिशत विद्यालयों में इनका उपयोग संतोषजनक से कम संतोषजनक स्थिति में पाया गया है। डी.पी.ई.पी. तृतीय के माध्यम से यह प्रयास किया जा रहा है कि पूरक सामग्रियों तथा सहायक साधनों के प्रयोग में दृष्टिगत अत्यधिक अंतरों को युक्तिसंगत बनाया जाए। स्कूल दूरदर्शन के साथ आकाशवाणी कार्यक्रम कतिपय अन्य अतिरिक्त

माध्यम हैं जो विद्‌यालयों के भीतर नामांकित बच्चों तथा विद्‌यालय के बाहर पाए जाने वाले बच्चों दोनों के लिए उपलब्ध हैं।

- राज्य में सूचना प्रौद्‌योगिकी के उपयोग को गति तब मिली जब राज्य के 222 माध्यमिक विद्‌यालयों की ग्यारहवीं तथा बारहवीं कक्षाओं में 'कंप्यूटर साक्षरता' का पाठ्‌यक्रम सन् 1984-85 में शामिल किया गया। यह कार्यक्रम केंद्र द्‌वारा प्रायोजित परियोजना के रूप में इस आशय से संचालित किया गया कि विद्‌यालयीय स्तर के विद्‌यार्थियों एवं शिक्षकों में कंप्यूटर साक्षरता को बढ़ावा मिल सके। इन्हीं संस्थाओं को आगे कंप्यूटर शिक्षा के लिए पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस सिलसिले में यह प्रयास भी हो रहा है कि प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों को कंप्यूटर साक्षरता के कार्यक्रमों से एक निश्चित समयावधि के भीतर जोड़ा जाए।

न्यूनताएं

- 'सभी के लिए शिक्षा' के संदर्भ में निर्धारित लक्ष्यों की संप्राप्ति के मद्‌देनजर यद्‌यपि सामाजिक विषमताओं, वर्ग भेद, स्थानीय परिस्थितियों, ग्रामीण-नगरीय विवशताओं तथा लिंग असमानताओं के प्रभावों को न्यूनातिन्यून बनाने के लिए बहु-शाखी युक्तियों का प्रयोग किया गया है, तथापि अक्षम बच्चों के लिए समन्वित शिक्षा, बालिकाओं की शिक्षा, अनुसूचित जाति एवं जनजाति संवर्ग, अल्पसंख्यक समूहों तथा समाज के कमजोर एवं सुविधावंचित वर्ग के बच्चों की शिक्षा के यथेष्ट प्रावधान एवं गुणवत्ता में अभी भी अंतर एवं न्यूनताएं विद्‌यमान हैं।
- उत्तर प्रदेश में राज्य-बजट का लगभग 14 प्रतिशत ही बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर खर्च हो पा रहा है। यह भी देखा गया है कि इस बजट का लगभग 4.5 प्रतिशत अंश ही शिक्षा के विकास कार्यों हेतु उपलब्ध हो पाता है। 12वीं कक्षा तक की शिक्षा निःशुल्क कर दी गई है। प्राइवेट मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्‌यालयों तथा वित्तविहीन मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्‌यालयों में शुल्क लेने का प्रावधान है, किंतु विगत वर्षों में बेसिक शिक्षा परिषद् के अधीन विद्‌यालयों तथा राज्य माध्यमिक विद्‌यालयों में 'छात्र कोष' से संबंधित शुल्क नहीं बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार समाज में सुविधावंचित संवर्ग के बच्चों को दृष्टिगत रखकर शिक्षा के विकास कार्यक्रमों को चलाने में शिथिलता के पीछे मुख्य कारण धनाभाव है।
- स्वातंत्र्योत्तर काल में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के लिए विद्‌यार्थियों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्‌धि हुई है, लेकिन इस हेतु संस्थाओं एवं शिक्षकों की संख्या में वृद्‌धि उसी रूप में सुनिश्चित नहीं की जा सकी है। परिणामस्वरूप प्राथमिक स्तर से लेकर माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तरों तक की कक्षाएं विपुल संख्यातिभार से बोझिल

हैं तथा उनकी शैक्षिक स्थिति कमजोर है। इस प्रकार शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात कुप्रभावित हुआ है, जिससे यांत्रिक शिक्षण पद्धतियों के अपनाए जाने की प्रवृत्ति बढ़ी है।

- पाठ्यक्रम नवीकरण तथा नई पाठ्यपुस्तकों एवं पूरक अध्ययन सामग्रियों के निर्माण संबंधी सोच में कुछ बुनियादी न्यूनताएं भी दृष्टिगत हुईं हैं। विगत पांच वर्षों में इन क्षेत्रों में प्रशंसनीय प्रगति किए जाने के बावजूद प्राथमिक स्तरीय पाठ्यक्रमों में स्थानीय संदर्भ के मुद्दों/विषयों को शामिल किए जाने को लेकर कतिपय प्रत्यक्ष कमियां भी हैं। कक्षा 1 से 12 तक के पाठ्यक्रम में निरंतरता का मुद्दा अभी भी विद्यमान है। पाठ्यपुस्तकों को समय पर उपलब्ध कराना तथा शारीरिक शिक्षा, कक्षातिरिक्त क्रियाओं, खेलों एवं सामाजिक दृष्टि से उपयोगी एवं उत्पादक कार्यों के प्रभावी कार्यान्वयन की समस्या बराबर बनी हुई है।
- इस प्रकार विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में न्यूनतम सुविधाओं एवं संसाधनों की कमी है। सरकारी एवं परिषदीय विद्यालयों में पब्लिक तथा निजी संगठनों द्वारा संचालित विद्यालयों के सापेक्ष शिक्षण-अधिगम एवं पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का स्तर सामान्यतः संतोषजनक नहीं है।
- उत्तर प्रदेश जैसे विशालकाय राज्य के लिए विद्यालयों का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण महत्त्वपूर्ण होते हुए भी ये दोनों ही गतिविधियां रस्म अदायगी का रूप धारण कर चुकी हैं तथा इनमें शैक्षिक बल एवं प्रयोजनबद्धता का अभाव सा है।
- विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं व्यावसायिक शिक्षा के संदर्भ में माध्यमिक एवं उच्च स्तरीय शिक्षण विशेष तौर से इतना प्रभावी नहीं हो सका है, जिससे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में इनकी विशेष पहचान बन सके।
- उच्च माध्यमिक शिक्षा के +2 स्तर पर विद्यार्थियों की पर्याप्त संख्या व्यावसायिक शिक्षा की ओर नहीं आकृष्ट हो सकी है। इस परिस्थिति के लिए राज्य में जिन कारकों को जिम्मेवार माना जा सकता है, उनमें मुख्य रूप से उल्लेखनीय हैं: व्यावसायिक शिक्षा के प्रशिक्षितों की समुचित ढंग से तैयारी में शिथिलता, रोजगार की कम संभावनाएं तथा व्यवसायों एवं कारोबारों के लिए उद्यमिता का अभाव।

10.2 सन् 1991 के बाद परस्परोन्मुखी आर्थिक एवं शैक्षिक सुधार

भारतीय अर्थव्यवस्था में जुलाई, 1991 ई. को विभाजक तिथि माना जा सकता है। इस समय विगत चार दशकों से चली आ रही राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था एवं सरकारी तौर पर निर्देशित समाज खंडित हो गया तथा विकास का नया दर्शन अपनाया गया, जिसमें बाजार तंत्र के संकेतों के अनुरूप अर्थव्यवस्था को चालित करने में अधिक आजादी दी गई तथा सामजिक अनुक्षेत्रों यथा—शिक्षा एवं स्वास्थ्य आदि को विनियमित करने की दृष्टि से एक उदारवादी उपागम उभरा।

10.2.1 आर्थिक सुधार संबंधी पैकेज का विकास एवं जन्म

भारत के लिए सन् 1980 के दशक में दो महत्त्वपूर्ण परिणाम परिलक्षित हुए :

- इस दस वर्ष की अवधि में व्यवस्था में वृद्धि दर को 5 प्रतिशत अंकित किया गया जो छठी एवं सातवीं पंचवर्षीय योजना के समकालिक है तथा
- देश की बाह्य एवं आंतरिक अर्थव्यवस्थाओं का निष्पादन प्रतिकूल रूप में पाया गया, जिसका तात्पर्य यह है कि भारत सरकार का बजट भारी घाटे में चला गया तथा देश के भुगतान-आय-व्यय खाते में बड़ी मात्रा में भुगतान-देनदारी संचित हो गई।

इन मिले-जुले ऋणात्मक भुगतान आय-व्यय खाते की स्थिति के दबाव में भारत को अंतर्राष्ट्रीय द्रव्य कोष एवं विश्वबैंक से संयुक्त रूप में उधार लेना पड़ा तथा इन प्रभावों में **संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमों** को अपनाया गया जिन्हें आर्थिक सुधार कार्यक्रम की संज्ञा दी गई। इसका उद्देश्य था भारत की अर्थव्यवस्था में दृष्टिगत आर्थिक समष्टिगत असंतुलन में सुधार लाना।

सुधार कार्यक्रम के तहत तीन ध्यानाकर्षक शब्द लोकप्रिय बनेः वैश्वीकरण, उदारीकरण तथा निजीकरण। इन शब्दों में सुधार-पैकेज की गति से संबंधित तीन दिशाएं चिह्नित हुईं। वैश्वीकरण से राष्ट्रों की परस्पर निर्भरता की अवधारणा विकसित हुई। इसका यह अभिप्राय है कि राष्ट्रों की आत्मनिर्भरता की सोच का स्थान परस्पर निर्भरता की धारणा ने ले लिया। यह केवल विदेशी व्यापार के माध्यम से ही नहीं प्रत्युत पूंजी संचलन में भी देखा गया।

विश्व व्यापार संगठन की स्थापना के पश्चात् सन् 1994 ई. में 'उदारीकरण की लहर' को और गति मिली। इससे न केवल आर्थिक अपितु सामाजिक एवं सांस्कृतिक वैश्वीकरण भी पनपा। उदारीकरण की नीति का एक प्रयोजन यह भी रहा है कि विशेषतौर से औद्योगिक विकास एवं सामान्य सामाजिक तथा आर्थिक विकास के क्षेत्रों में सरकारी नियंत्रण, प्रतिबन्धों एवं कठोर नियमों को शिथिल कर दिया जाए। इससे आर्थिक तथा सामाजिक उद्यमिताओं को स्वतंत्र परिवेश में अपने को परिचालित रखने तथा बाजार तन्त्र की शक्तियों के अधीन कार्य करने की आजादी मिली। उदारीकृत नीतियों ने न केवल आर्थिक सेवाओं यथा — कृषि एवं उद्योग को ही बल्कि सामाजिक सेवाओं यथा शिक्षा एवं स्वास्थ्य को भी नियन्त्रित एवं प्रभावित किया। निजीकरण की नीति के तहत सरकार ने लोक-अनुक्षेत्र में सुधार लाना प्रारंभ कर दिया। इसके अनुरूप सरकारी अंकुश एवं एकाधिकार के बजाए व्यक्तिगत कुशलता एवं प्रभुत्व की ओर आस्था विकसित होने लगी। इस प्रकार घाटे में चल रहे लोक-अनुक्षेत्र के उपक्रमों को निजी अनुक्षेत्रों को सौंपा जाने लगा तथा लोक-अनुक्षेत्र को अनुसीमित करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ।

10.2.2 बजट-घाटे का मुद्दा

सन् अस्सी के दशक में भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के बजट में भारी मात्रा में राजस्व घाटा संचित हो गया। राजस्व खाते भी घाटे में चले गए जिससे चालू खातों को भी अर्थयुक्त

बनाए रखने हेतु ऋण लेने की जरूरत पड़ी। फलस्वरूप ऋण का बोझ बढ़ने लगा जिससे सरकार को घाटे कम करने तथा अपने व्ययों में कटौती लाने के लिए विवश होना पड़ा। इस बीच कई व्यय-कटौती उपाय अपनाए गए तथा यह सुनिश्चित किया जाने लगा कि व्यय न बढ़े। इससे सामाजिक अनुक्षेत्र जिसमें शिक्षा भी शामिल है, कुप्रभावित हुए। यह संकटपूर्ण दशा उत्तर प्रदेश राज्य के लिए विशेषतौर से महत्त्वपूर्ण है जहां संसाधनों की अल्पता का दबाव पहले से ही विकट रूप धारण किए हुए है।

10.2.3 शैक्षिक सुधार

सन् 1991 ई. के बाद प्रवर्तित शैक्षिक उन्नयन कार्यक्रमों को आर्थिक सुधार कार्यक्रमों से जोड़ा जा सकता है। सन् 1991 तक यह धारणा बलवती थी कि अधिक से अधिक कार्य सरकार द्वारा संपन्न हो किंतु 'संरचनात्मक समायोजन' कार्यक्रमों के अधीन सरकार ने कई प्रकार की उद्यमितापरक क्रियाओं से अपने को विरत रखने की नीति अपनाई। यह व्यवस्था केवल आर्थिक अनुक्षेत्रों में ही न सिमटे रहकर सामाजिक अनुक्षेत्रों के लिए भी कार्यशील हो गई।

विगत एक दशक में शैक्षिक सुधार की जो प्रमुख विशेषताएं दृष्टिगोचर हुई हैं, वे इस प्रकार हैं :

- केवल विद्यालयीय शिक्षा को ही **दक्षता-उपकार** की श्रेणी में रखा गया है। उच्च शिक्षा को इस संवर्ग से बाहर माना गया। दूसरे शब्दों में, यह मान्यता जोर पकड़ने लगी कि केवल स्कूली शिक्षा ही अधिक से अधिक सामाजिक उपकार एवं सकारात्मक-परिणाम फैलाव को जनित करती है। इसके विपरीत उच्च शिक्षा केवल उच्च शिक्षा प्रापक को ही लाभ पहुंचाती है।
- सामाजिक-अनुक्षेत्र के तहत शिक्षा को अपेक्षाकृत उपेक्षित किया गया तथा सामाजिक सुरक्षा उपायों को वरीयता मिली।
- शिक्षा-अनुक्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया गया तथा यह तर्क दिया जाने लगा कि साक्षर व्यक्ति एक बेहतर **उद्यम बल** तैयार करने में सहायक होता है।
- उच्च शिक्षा के प्रति प्राथमिकता को कम किया जा रहा है। नीतिगत रूप में उच्च शिक्षा के लिए पब्लिक विनियोग घटाकर अधिकाधिक रूप में उसे धीरे-धीरे निजी वित्त द्वारा पुनः स्थापित किया जा रहा है।
- शिक्षा में उपभोक्ता व्यय-भार बढ़ाए जाने का संकल्प है जिसकी प्रक्रिया पूर्व में ही प्रारंभ हो चुकी है। यह नीति सामान्य रूप से आकलित मूल्य को बढ़ाए जाने की व्यवस्था के अनुरूप है।
- अन्य आर्थिक सहायता की भांति शिक्षा संबंधी आर्थिक सहायता को घटाने का प्रस्ताव है। विशेषतौर से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में इसे उल्लेखनीय रूप में कम करना है।

- शैक्षणिक शुल्क तथा संबंधित व्यय-भार को युक्तिसंगत बनाना है जिससे शैक्षिक वित्त-प्रबंध में शुल्क का दत्तांश बढ़ सके।
- प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने वाली नई संस्थाओं को मान्यता देने की दृष्टि से अपेक्षाकृत अधिक उदारवादी नीति अपनाई गई है।
- नई नीति के तहत शिक्षा के सभी क्षेत्रों एवं घटकों में निजी उद्यमिता को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इससे सरकार को अपनी भूमिका कम करने में मदद मिलेगी।
- शिक्षा, विशेषतौर से उच्च्य एवं व्यावसायिक शिक्षा को एक वाणिज्यिक क्रिया के रूप में माना जा रहा है।
- विदेशी सहभाग तथा विदेश-आधारित शैक्षिक संस्थाओं को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इससे शिक्षा तथा शैक्षिक संस्थाओं में अधिक प्रतिद्वंद्विता विकसित हुई है।
- प्रशासनिक सुधारों के दायरे में शैक्षिक अनुक्षेत्र भी शामिल किए गए हैं। संस्थाओं को अपने निजी संसाधन जनित करने तथा वित्तीय मामलों में स्व-पोषणीयता लाने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया है।

10.2.4 सुधार की आवश्यकता

यह एक बड़ा सवाल है। इस बात पर मतैक्य नहीं है कि जिस तरह का सुधार कार्यक्रम हाथ में लिया गया है, क्या वह आवश्यक था ? एक दृष्टिकोण तो यह है कि सुधार के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं था। दूसरा दृष्टिकोण यह है कि पुरानी व्यवस्था को कुछ संशोधनों के साथ चालू रखना चाहिए था। एक तीसरा दृष्टिकोण यह भी है कि सुधार कार्यों को एकदम लागू करने की अपेक्षा उन्हें धीरे-धीरे लाना चाहिए। इस विकल्प की अपेक्षानुसार कुछ समय के लिए बीच का रास्ता चुनना अधिक समीचीन है।

यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि सुधार कार्य परिवर्तन के उद्देश्य से लागू किया जाता है तथा परिवर्तन अवश्यंभावी है। शिक्षा-अनुक्षेत्र में विगत चालीस वर्षों का अनुभव कई उपलब्धियों एवं असफलताओं का साक्षी रहा है। बहुत सारे विकास अभी भी अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। सामान्य रूप से यह कहा जा सकता है कि पूरी व्यवस्था उन लक्ष्यों को नहीं प्राप्त कर सकी है जो (अ) भारतीय संविधान (ब) कोठारी कमीशन (स) पश्चवर्ती आयोग एवं समितियों तथा (द) अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक मंचों द्वारा निर्धारित किए गए हैं। इस प्रकार व्यवस्था को अधिक प्रभावी, परिणामोन्मुख, कुशल एवं गुणवत्तापरक बनाने के लिए सुधार सर्वथा अपेक्षित था। सभी विकासशील देश विगत 10-15 वर्षों में आर्थिक एवं शैक्षिक सुधारों की लहर से प्रभावित हुए हैं। भारत भी इनसे बच नहीं सकता था तथा उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को अपनी शैक्षिक-नीतियों के अंतर्लयन में राष्ट्रीय स्वरूप का अनुसरण करना पड़ा।

10.2.5 कार्यान्विति

सामाजिक अनुक्षेत्र में आर्थिक एवं शैक्षिक सुधार कार्य विगत 10 वर्षों से चल रहा है। कई

अनुक्षेत्रों में इसके महत्त्वपूर्ण परिणाम दृष्टिगत हुए हैं। संसाधनों के वितरण/आबंटन को लेकर स्कूली शिक्षा के पक्ष में स्पष्ट रूप से सरकार का झुकाव बढ़ा है। विश्वविद्यालयों को अपने संसाधन स्वयं जनित करने के लिए दबाव भी डाला गया है।

प्राथमिक शिक्षा की विशिष्ट योजनाओं यथा—जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम तथा 'सभी के लिए शिक्षा' को इस आशय से कार्यान्वित किया जा रहा है कि प्राथमिक शिक्षा पर किया गया व्यय अनेक ऐसे आर्थिक सुधारों जिनमें श्रमापेक्षी कार्योद्योग के प्रति विशेष आग्रह है, की सफलता में सहायक होगा। तथापि, इस बारे में कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं है कि प्राथमिक स्तरीय शिक्षा प्राप्त कर्मियों के लिए अधिक मांग के अभाव में प्राथमिक शिक्षा को उच्च प्रतिलाभ मिल सकेगा। सुधार कार्यक्रम के तहत प्राथमिक शिक्षा पर इस उद्देश्य से जोर दिया जा रहा है कि श्रम-प्रधान विकास उस स्थिति में बाधित हो जाएगा जब अधिकांश कार्य-बल निरक्षरों की पंक्ति में खड़ा होगा।

प्राथमिक शिक्षा पर बढ़ा हुआ व्यय संबंधी कार्यक्रम कार्यान्वित हो जाने पर अंततः अन्य तत्कालिक उपायों के सापेक्ष गरीबी कम होने जैसा परिणाम प्राप्त हो सकता है। लेकिन यह तभी संभव हो सकता है जबकि देश की आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था रोजगार के विरूद्ध पूर्वाग्रहग्रस्त न हो।

यह कहने में अत्युक्ति नहीं होगी कि आर्थिक सुधार कार्यक्रम द्रुत रूप में तथा शीघ्रता से लागू किया गया है लेकिन कई अनुक्षेत्रों में यह अकुशल एवं पंगुवत ढंग से चला है। आर्थिक सुधार के लाभ संपन्न लोगों के पक्ष में अभिनत हैं। पब्लिक तथा सामाजिक अनुक्षेत्रों में आर्थिक तर्क के आधार पर राजनीतिक विचार हावी रहे हैं। क्रियान्विति की प्रक्रिया में वर्धित राजनीतिक चेतना ने एक मिली-जुली भूमिका निभाई है। इस क्रम में जागरूकता तों दृष्टिगत होती है किंतु अर्थपूर्ण बहस नहीं। शैक्षिक सुधार कार्यक्रम को बड़ी सावधानी एवं सजगता से कार्यान्वित करने की अपेक्षा है।

10.2.6 गत्यावरोध

सन् 1990 के दशक में लागू किए गए शैक्षिक सुधार कार्य कई दृष्टियों में बुनियादी माने जा सकते हैं। शिक्षा के वित्तीय पक्ष से संबंधित सुधार अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं। शिक्षा में शुल्क वृद्धि अथवा उपभोक्ता व्यय भार बढ़ाने का प्रतिरोध है। यह तर्क दिया जाता है कि शिक्षा एक सामाजिक सेवा तथा इसे निःशुल्क या निम्न शुल्क दर पर उपलब्ध कराना चाहिए।

पूंजीवादी सिद्धान्तों के अनुरूप शिक्षा के वाणिज्यीकरण के मार्ग में भारतीय संविधान के आमुख में इंगित समाजवादी समाज का स्वरूप तथा सन् 1976 में प्रभावी 42वें संशोधन का अंश बाधक है। सामाजिक चिंतन-दर्शन शिक्षा को निःशुल्क बनाने का तर्क प्रस्तुत करता है तथा इसे राज्य वित्त पोषित सेवा का रूप देने का आग्रह करता है।

शिक्षा के प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च सभी स्तरों के शिक्षक संगठन अनेक सुधार प्रस्तावों का विरोध करते रहे हैं। ये संगठन शिक्षकों की संविदा पर आधारित नियुक्ति के विरूद्ध

हैं। यद्यपि सिद्धान्त रूप में किसी भी राजनीतिक दल ने सुधार कार्यक्रमों का सामान्यतः प्रतिरोध नहीं किया है, फिर भी कई मौकों पर विरोधी दल आर्थिक एवं शैक्षिक सुधारों के क्रियान्वयन को लेकर सरकार के लिए गतिरोध पैदा करते रहे हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि ऐसा वे राजनीतिक हित साधन के लिए करते हैं न कि देश की अर्थव्यवस्था या शिक्षा की अपेक्षाओं को दृष्टिगत रखकर।

10.3 विद्यालयीय शिक्षा के लिए सीमित संसाधन

शैक्षिक विकास विशेषतौर से साक्षरता के विस्तार के मार्ग में भारत के पिछड़े वर्ग में माने जाने वाले उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए वित्त हमेशा एक विवशता रही है। सन् 2001 में की गई (प्रारंभिक रिपोर्ट) जनगणना के अनुसार प्रदेश में साक्षरता प्रतिशत 57.36 है जो पुरुषों के लिए 70.23 प्रतिशत तथा महिलाओं के लिए 42.98 प्रतिशत है। यह उपलब्धि इस अवधि के लिए निर्धारित लक्ष्य से बेहतर है। देश में तथा प्रदेश में भी सभी के लिए शिक्षा एवं प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण एक अव्यावहारिक आदर्श बना हुआ है। अन्य राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश राज्य को सर्वाधिक बच्चों की शिक्षा के लिए व्यवस्था करने की आवश्यकता है। 6 से कम आयु वाले (विद्यालयपूर्व आयु वाले) बच्चों की संख्या उत्तर प्रदेश (जिसकी आबादी अब 16.60 करोड़ है) की कुल आबादी का 18.35 प्रतिशत है। सन् 1996-97 में विद्यालय से बाहर पाए जाने वाले बच्चों की संख्या 17.4 लाख अनुमानित थी। इन्हें शैक्षिक संस्थाओं में लाने के लिए भारी धनराशि की अपेक्षा है।

प्राथमिक शिक्षा के लिए प्रावधानित चालू राजस्व व्यय का 95 प्रतिशत से अधिक अंश शिक्षकों के वेतन में चला जाता है। इस प्रकार विद्यालय स्तर पर शैक्षिक व्यय का प्रचुर भाग शिक्षक खर्च से संबंधित है। जैसे-जैसे विद्यालयों में अधिकाधिक विद्यार्थियों को आकर्षित किया जाएगा वैसे-वैसे अधिकाधिक शिक्षकों की आवश्यकता होगी तथा इस मद में खर्च हेतु वित्त भी अपेक्षित होगा। इन परिस्थितियों के आलोक में उत्तर प्रदेश शासन ने वित्तीय भार से बचने के लिए 'शिक्षा-मित्र' तथा 'आचार्य जी' जैसी योजनाओं की संकल्पना की है। ये शिक्षक अंशकालिक एवं निर्धारित वेतनधारी होने के साथ संविदा पर नियुक्त होंगे। इससे उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा स्तर पर संसाधनों की कमी का अनुमान लगाया जा सकता है।

प्राथमिक शिक्षा स्तर (माध्यमिक शिक्षा स्तर पर भी) शिक्षक-व्यय की मात्रा अधिक होने के फलस्वरूप प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण तथा माध्यमिक शिक्षा के सबलीकरण हेतु अपेक्षित अन्य उपायों के लिए कम ही खर्च हो पाता है। इन उपायों में कतिपय उल्लेखनीय हैं — मांग जनित करना, गुणवत्ता सुधार तथा विपन्न (गरीब) परिवारों के लिए क्षतिपूरक कार्य।

इससे यह पता चलता है कि प्राथमिक शिक्षा पर औसत बजटीय परिव्यय का मौजूदा स्तर जिसे प्रायः विद्यालयपूर्व एवं विद्यालयीय आयु के सभी बच्चों की आवश्यकताओं का अनुमान करने हेतु आधार बनाया जाता है, बहुत ही अल्पानुमानित है। अवियुक्त रूप में

संसाधन-लामबंदी एक बेहतर एवं वास्तविक अनुमान प्रस्तुत कर सकता है। इसे प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लिए प्रयुक्त युक्तियों के विविध अंशों पर लागत के अनुरूप करने की आवश्यकता है।

सन् 1976 ई. में शिक्षा को समवर्ती सूची में लाने के निश्चय के पीछे वस्तुतः राज्यों द्वारा धनाभाव का महसूस किया जाना ही प्रमुख कारण रहा है।

इस समय विद्यालयीय शिक्षा केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों ही की संयुक्त जिम्मेवारी है। उत्तर प्रदेश राज्य में विद्यालयीय शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान बोधक संकेतों के माध्यम से राजकोषीय क्षमता से नहीं जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश भी ऐसे राज्यों की श्रेणी में आता है जहां एस.डी.पी. का कम प्रतिशत विद्यालयीय शिक्षा पर खर्च होता है।

अपेक्षित संख्या में विद्यालयों, शिक्षकों एवं उपयुक्त मात्रा में अधोसंरचना संबंधी सुविधाओं का न होना स्कूली शिक्षा स्तर पर संसाधनों की कमी का एहसास कराना है। कभी-कभी ऐसा प्रतीत होता है कि यह कार्य इतना भारी है कि विद्यालयीय शिक्षा में गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु अपेक्षित मात्रा में संसाधन प्रावधानित करना राज्य सरकार की सामर्थ्य से परे है। इस तर्क के पीछे केंद्र से राज्य को वित्तीय संसाधनों का निक्षेपण राज्य द्वारा स्कूली शिक्षा के संबंध में किए जाने वाले वित्तदान के निष्पादन से जोड़ दिया जाए, मुख्य कारण लगता है। यह भी आवश्यक है कि इस सूत्र को ऐसे अन्य निष्पादन संसूचकों से भी संबंधित कर दिया जाए जो व्यय की कुशलता एवं प्रभाविता को प्रोत्साहित करते हैं।

विद्यालयीय शिक्षा के परिमाणात्मक विस्तार तथा गुणात्मक सुधार दोनों ही दृष्टियों से संसाधनों की कमी लगातार महसूस की जा रही है। बच्चों की संख्या में वृद्धि के कारण, जैसे-जैसे व्यवस्था का आकार बढ़ता है, राजस्व की कमी सापेक्षतः उग्र रूप धारण कर लेती है।

विकास के प्रारंभिक चरण में सरकार पूरे बजट में शिक्षा-बजट तथा स्कूली शिक्षा के बजट के अनुपात को शिक्षा बजट में बढ़ा सकती है, किंतु अनुपात बढ़ाने की यह प्रवृत्ति लंबी अवधि तक नहीं चल सकती क्योंकि अन्य आर्थिक एवं सामाजिक अनुक्षेत्रों का अपने लिए भी यह अनुपात बढ़ाने का दबाव जोर पकड़ेगा। इस प्रकार अंततः संसाधनों की अभिवृद्धि की दर (जहां तक इसकी आपूर्ति सरकारी तौर पर होती है) बजट के लोक-राजस्व की वृद्धि पर टिकेगी। राज्य के संसाधन भी सीमित हैं। करों में वृद्धि लाकर अतिरिक्त संसाधनों की लामबन्दी करने में राज्य सरकार प्रायः हिचकती है। इससे राजस्व की उत्तरोत्तर वृद्धि की प्रक्रिया अवरुद्ध होती है।

शिक्षा के लिए प्रावधानित केंद्रीय सहायक-अनुदानों की अपनी सीमाएं हैं। अब भारत सरकार के संरचनात्मक सुधार कार्यक्रम को दृष्टिगत रखकर केंद्रीय बजट संबंधी व्यय को ही निरुद्ध किया जा रहा है तथा उसे न्यून बनाने का प्रयास जारी है। इस प्रकार की केंद्र सरकार की प्रतिबंधित बजट संबंधी नीति ने केंद्र से राज्य सरकार द्वारा अधिक अनुदान पा सकने की संभावना को सीमित कर दिया है। राज्य साहाय्य में पहले से ही कमी हो गई है तथा सामाजिक अनुक्षेत्र इससे बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इससे यह संकेत मिलता है कि स्कूली

शिक्षा के लिए सीमित संसाधनों की स्थिति आगे आने वाले समय में और विकट बनने वाली है।

ऐसी दशा में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के संसाधनों को अभिवृद्ध करने की दृष्टि से नवाचारी उपाय अपेक्षित हैं। इस भार का अधिकतर हिस्सा स्कूल आयुवर्ग के बच्चों के अभिभावकों को ही अपने ऊपर लेना होगा। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि सुधार कार्यक्रम के तहत स्कूली शिक्षा के खर्च को भी आभ्यांतरित करने का प्रयास है।

10.4 निजी पहल : विद्यालय पूर्व से विद्यालयीय शिक्षा तक

विकासशील समाज में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा द्वारा मिलने वाले सामाजिक प्रतिलाभ, निजी प्रतिलाभों के सापेक्ष अधिक होते हैं। इस तर्काधार के अनुरूप आधुनिक विश्व में स्कूली शिक्षा को पब्लिक अनुक्षेत्र अर्थात् सरकार को ही वास्तविक कार्यक्षेत्र माना गया है। लेकिन कई कारणों से स्कूली शिक्षा की व्यवस्था हेतु निजी उद्यमकर्ताओं के लिए भी दरवाजे खुले रहते हैं। वे केवल प्रशासन को ही नियंत्रित नहीं करते अपितु इसके वित्त पोषण की भी देखभाल करते हैं। इनमें से कई अपने शैक्षिक उपक्रमों (उद्यमों) के माध्यम से काफी मुनाफा भी अर्जित कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश राज्य की बढ़ती आबादी तथा नगरीकरण एवं जन सामान्य द्वारा शिक्षित होने के लाभ का एहसास होने के परिणामस्वरूप सरकारी प्रयासों द्वारा विद्यालयीय शिक्षा की सारी मांगों की पूर्ति नहीं हो पाई है। शहरी इलाकों में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा की जरूरतों को पूरा करने हेतु निजी (प्राइवेट) विद्यालय खुलने लगे। हाल ही में ऐसे विद्यालय ग्रामीण इलाकों में भी अधिसंख्य रूप में बढ़ रहे हैं।

निजी प्रबंधित विद्यालय दो प्रकार के हैं : निजी सहायता प्राप्त विद्यालय तथा निजी असहायता प्राप्त विद्यालय। कई अध्ययनों से यह प्रकाश में आया है कि निजी असहायता प्राप्त विद्यालय, निजी सहायता प्राप्त विद्यालयों के सापेक्ष शिक्षा की व्यवस्था में कहीं अधिक कुशल हैं। इससे यह भी साबित होता है कि स्कूली शिक्षा पर किया गया पब्लिक खर्च एक खर्चीला कवायद है क्योंकि इस प्रकार के विद्यालय अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की दृष्टि से कुशल व्यवस्था जनित कर पाने में असफल हैं।

उत्तर प्रदेश में विगत लगभग दो दशकों में विद्यालयीय शिक्षा स्तर पर निजी पहल जोरों से विकसित हुई है। ये उपक्रम न केवल सामाजिक सेवा प्रदान कर रहे हैं प्रत्युत लोगों को शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों के रोजगार भी उपलब्ध कर रहे हैं। सरकार इन्हें साझीदार के रूप में स्वीकार करती है, क्योंकि वह अपनी वित्तीय विवशताओं को समझती है तथा यह भी अच्छी तरह समझ रही है कि ये उपक्रम स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में राज्य स्तर पर विशेषतौर से नगरीय इलाकों में एक पूरक की भूमिका निभा रहे हैं।

वर्तमान विश्व संदर्भ में कोई भी निजी पहल लाभ की अभिप्रेरणा से ही अधिकतर प्रभावित

होती है। उदात्त उद्देश्य एवं खैरात की भावना प्रायः पीछे रह जाती है। तथापि कई निजी शैक्षिक संस्थाओं में इन्हें अच्छी तरह अपनाया गया है। वे विद्यार्थियों से उच्च्य शुल्क लेकर न केवल अपना अनुलाभ सुनिश्चित करते हैं, अपितु उन्हें अच्छी, गुणवत्तायुक्त तथा प्रतिद्वंद्विता पर आधारित शिक्षण व्यवस्था भी उपलब्ध कराते हैं लेकिन अनेकों संस्थाएं इन गैर-सरकारी शिक्षण संस्थाओं से अच्छी हैं। इन निजी विद्यालयों को "निजी दुकानों" की संज्ञा प्रायः दी गई है।

सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों की स्थिति थोड़ी भिन्न है। इन विद्यालयों के शिक्षकों का वेतन भुगतान शासन द्वारा राज्य सरकार के नियमों के अधीन होता है किंतु इन्हें राजनीतिक संगठनों में भाग लेने की छूट है। इन विद्यालयों के शिक्षक संगठन, विशेषतौर से माध्यमिक स्तर पर, माध्यमिक शिक्षा के राजनीतिकरण पर बहुत प्रभाव रखते हैं। इसका शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। राज्य सरकार का शिक्षा विभाग माध्यमिक शिक्षा के प्रशासन में 'माध्यमिक शिक्षक संघ' की राजनीतिक दखलअंदाजी की प्रायः शिकायत करता है।

सैद्धान्तिक रूप में निजी विद्यालयों के तीन सकारात्मक पक्ष हैं जो पब्लिक स्कूलों या लोक वित्त पोषित विद्यालयों के सापेक्ष उन्हें अधिक कुशल बना देते हैं। ये हैं :

1. निजी विद्यालयों में शिक्षा सेवा न केवल उत्पादित की जाती है प्रत्युत उद्यमकर्ता द्वारा बिक्रीत भी होती है। दूसरे शब्दों में यहां उत्पादक एक विक्रेता है।
2. निजी विद्यालयों के विद्यार्थी इनमें निःशुल्क या मामूली प्रतीकात्मक शुल्क के आधार पर प्रवेश नहीं ले सकते। वस्तुतः वे शिक्षा-सेवा को अच्छे खासे शुल्क के जरिए खरीदते हैं या उसकी कीमत चुकाते हैं। बाजार तंत्र में लागू मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया यहां भी पूरे तौर पर लागू होती है।
3. वित्त प्रदाता या उद्यमकर्ता स्वयं विद्यालय का नियंत्रक होता है। यह स्थिति उसे अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राविधानित करने में समर्थ बनाती है।
4. इन विद्यालयों का वातावरण और पर्यवेक्षण इतना अच्छा होता है कि अध्यापक सदैव प्रेरित रहते हैं, अपना अधिकतम योगदान देने के लिए।

इस प्रकार पूर्वोक्त कारक प्रतिद्वंद्विता जनित करते हैं तथा उत्तर प्रदेश जैसे विशालकाय राज्य जिनमें बच्चों की विपुल संख्या मौजूद है, स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में निजी उपक्रमों को उर्वर जमीन प्राप्त हो जाती है।

10.5 गैर सरकारी स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका एवं उनका समर्थन

शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर गैर सरकारी संगठनों की भूमिका सीमित रही है। प्रोब दल द्वारा किए गए अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि जिन 188 गांवों का सर्वेक्षण इसके माध्यम से संपन्न हुआ उनमें केवल 6 गांवों में गैर सरकारी संगठनों की गतिविधियां प्रकाश में आईं। स्कूली सुविधाओं के बावत ये संगठन क्रियाशील रहे हैं। सरकारी दस्तावेज़ों

ने उत्तर प्रदेश की विद्यालयीय शिक्षा की सुविधाओं के विस्तार एवं गुणवत्ता सुधार हेतु सरकार के प्रयासों को अनुपूरित करने की दृष्टि से गैर सरकारी संगठनों की सहभागिता का प्रायः उल्लेख किया है। यदा-कदा ये सरकारी विद्यालयों की तुलना में समर्थवान एवं कम खर्च वाली संस्थाएं मानी जाती हैं।

इस पृष्ठभूमि में यह बताना महत्त्वपूर्ण होगा कि गैर सरकारी संगठन जैसाकि इस समय भी स्थित हैं, उत्तर प्रदेश राज्य की विद्यालयीय शिक्षा के संदर्भ में अपेक्षाकृत कम महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा पा रहे हैं।

यद्यपि कई राज्यों में गैर सरकारी स्वैच्छिक संगठनों ने आश्चर्यजनक शैक्षिक परिणाम प्रदर्शित किया है, उत्तर प्रदेश में इनकी भूमिका अभी भी रेखांकित होनी है। यहां पर मध्य प्रदेश राज्य के स्वैच्छिक संगठन **एकलव्य** की प्राथमिक शिक्षा में सफल पैंठ, राजस्थान राज्य में चलाई जा रही 'लोकजुम्बिश' की प्रभाविता तथा आंध्र प्रदेश के एम.वी. फाउंडेशन की लोकप्रियता के कतिपय उदाहरणों का उल्लेख करना समीचीन होगा।

गैर सरकारी स्वैच्छिक संगठन चाहे वे जहां कहीं भी कार्यशील हैं — छोटे या बड़े पैमाने पर उनमें एक बात समान रूप से पाई जाती है। वह है उनकी समान शिक्षा व्यवस्था के क्रम में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता। वस्तुतः ये संस्थाएं सरकारी विद्यालयों का स्थानापन्न न बनकर उनमें सहयोगात्मक समर्थन प्रदान करती हैं तथा इस दृष्टि से विशेष रूप में सहायक होती हैं कि अन्य बच्चों की भांति वंचित बच्चे भी उन विद्यालयों में प्रवेश ले सकते हैं।

उत्तर प्रदेश के कुछ स्वैच्छिक संगठनों ने 'बाल श्रमिकों' को आम रोजगार के चंगुल से हटाने तथा उन्हें प्राथमिक शिक्षा हेतु विद्यालयों में प्रवेश कराने में मदद की है। इस प्रकार स्वैच्छिक संगठनों द्वारा प्रचलित शैक्षिक कार्यों में बाल-श्रम का उन्मूलन तथा विद्यालयीय शिक्षा का सार्वभौमीकरण व्यावहारिक दृष्टि से एक-दूसरे के पर्याय हैं। इन संगठनों ने यह दर्शाया है कि कामकाजी बच्चों के अभिभावक उन्हें विद्यालयों में भेजने के लिए कुछ न कुछ व्यवस्था करने हेतु उद्यत हैं। ये संस्थाएं यह महसूस करती हैं कि प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण की प्रक्रिया में ग्रामीण समुदाय की भागीदारी के लिए पर्याप्त गुंजाइश है। मिर्जापुर में आधारित क्रेडा (सेंटर फॉर रूरल एजूकेशन, डेवलपमेंट एण्ड असेसमेंट) एक ऐसी ही संस्था है जिसके सहयोग से बाल श्रमिकों को उन्मुक्त कराने में प्रशंसनीय परिणाम सामने आए हैं। डी.पी.ई.पी. के तत्वावधान में भी फिरोजाबाद जनपद में इसी प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं।

10.6 विकेंद्रीकरण तथा निक्षेपण

भारत एक संघीय राष्ट्र है जिसमें तीन स्तरों पर शासन चलता है — केंद्र स्तर, प्रदेश स्तर तथा स्थानीय स्तर। इनमें वित्तीय दृष्टि से केंद्रीय स्तर सर्वाधिक शक्तिशाली होता है। तत्पश्चात्

राज्य स्तर के शासन एवं स्थानीय स्तर के नगरीय एवं ग्रामीण अनुक्षेत्रों में शासन का दर्जा आता है। इस प्रकार एक शासन स्तर से दूसरे स्तर के शासन के मध्य वित्तीय असमानता को दृष्टिगत रखकर संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280(1) के तहत 'वित्त आयोग' के गठन का प्रावधान किया है जिसका कार्यक्षेत्र सरकार को निम्नांकित बिंदुओं पर संस्तुति देना है :

1. केंद्रीय कर राजस्व में राज्यों का अंश
2. केंद्र द्वारा राज्यों को अनुदान आबंटन
3. सुदृढ़ वित्त की दृष्टि से उधार एवं अन्य मामलों पर निर्णय लेना।

केंद्र सरकार से राज्य को 'निधि-निक्षेपण' की इस योजना के तहत अब तक के 11 वित्त आयोगों के माध्यम से सर्वाधिक लाभग्राही राज्य उत्तर प्रदेश रहा है। इसका प्रमुख कारण है :

- उत्तर प्रदेश राज्य की बड़ी आबादी
- राज्य का आर्थिक पिछड़ापन
- भारत के सर्वाधिक संपन्न राज्य के सापेक्ष उत्तर प्रदेश राज्य की प्रतिव्यक्ति आय में अपेक्षाकृत अधिक अंतर पाया जाना जिसे वित्त आयोग के प्रलेखों में 'अंतराल कारक' की संज्ञा दी जाती है।

भारतीय संविधान के 73वें तथा 74वें संशोधन को दृष्टिगत रखकर कई वित्त आयोगों (विशेषतौर से दसवें तथा ग्यारहवें) ने केंद्र द्वारा स्थानीय निकायों को भी वित्तीय अनुदान प्राविधानित करने की संस्तुति की है तथा राज्य सरकारों को भी ऐसी पहल के लिए सुझाया है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275 के अधीन वित्त आयोग द्वारा वित्तीय सहायता आबंटित की जाती है। इस अनुच्छेद की मनसा के अनुरूप केंद्र से राज्य को प्रशासनिक स्तर पर कोष-हस्तांतरण की अनुज्ञा है। यह वित्तीय सहायता संबंधित राज्य की अधोसंरचना संबंधी सुविधाओं की विपन्नता के आधार पर संस्तुत की जाती है। उत्तर प्रदेश राज्य की विपन्न शैक्षिक अधोसंरचना एवं निम्न साक्षरता स्तर के चलते केंद्र से अधिक वित्तीय सहायता प्राप्त होती रही है। केंद्र सरकार ऐसा इसलिए भी करती रही है कि राज्यों में सामाजिक-सेवाओं की उपलब्धता परस्पर समानताएं बनाए रखे।

ग्यारहवें वित्त आयोग की पुरस्कृति के अनुसार उत्तर प्रदेश को केंद्रीय कर मुद्रा से 19.89 प्रतिशत अंशदान प्राप्त होना है जो अन्य सभी राज्यों के सापेक्ष सर्वाधिक है। इसके अनुवर्ती राज्य हैं, बिहार (14.66 प्रतिशत) तथा मध्यप्रदेश (8.88 प्रतिशत)। दसवें वित्त आयोग की पुरस्कृति में केंद्रीय सकल कर मुद्रा हस्तांतरण में उत्तर प्रदेश का अंशदान 16.59 प्रतिशत

था, जबकि बिहार का 11.29 प्रतिशत, आंध्र प्रदेश का 8.35 प्रतिशत तथा मध्यप्रदेश का 7.94 प्रतिशत था।

इस रूप में प्राप्त धन (वित्त कमीशन एवार्ड के अंतर्गत) का कुछ अंश उत्तर प्रदेश राज्य के शैक्षिक विकास में किया गया है।

10.7 पंचायती राज संस्थाओं तथा स्थानीय स्वशासन का सशक्तीकरण

भारतीय संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधन के पश्चात् उत्तर प्रदेश में विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया प्रभावी हुई। ग्रामीण समुदाय में पंचायती राज संस्थाएं महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती रही हैं। संदर्भित संशोधनों से शक्ति लेकर इन संस्थाओं की दखल अपेक्षाकृत अधिक व्यापक एवं गहरी बनती जा रही है।

राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में गांव-पंचायतों का सशक्तीकरण शामिल है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 यह कहता है : ग्राम पंचायतों के गठन के लिए राज्य पग उठाएगा तथा उन्हें ऐसी शक्तियां एवं अधिकार प्रदान करेगा जो एक स्वशासन की इकाई के रूप में अपेक्षित कार्य पूरा करने में सहायक होंगे।

भारतीय संविधान के 73वें संशोधन की अपेक्षानुसार राज्य में **उत्तर प्रदेश पंचायत अधिनियम** (संशोधन बिल 1994) पारित हुआ। बिल की भावना के अनुरूप पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करते हुए उन्हें ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत के रूप में गठित किया गया है जो एक त्रिस्तरीय व्यवस्था का अंग है। संशोधित बिल सन् 1994 की अपेक्षा के अनुरूप उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम सन् 1947 तथा क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद् अधिनियम सन् 1961 को संशोधित कर उनमें अन्य के अलावा अधोलिखित प्रावधान किए गए :

1. पंचायत का गठन।
2. प्रत्येक पंचायत के लिए निधि का सृजन।
3. पंचायत के प्रकार्यों, शक्तियों एवं दायित्व में विस्तार।
4. पंचायतों को कर लगाने तथा राजस्व एवं शुल्क उगाहने का अधिकार देकर उनका सबलीकरण करना।
5. राज्य तथा स्थानीय निकायों के मध्य राज्यपाल की संस्तुति हेतु वित्त आयोग गठित करना, पंचायतों की वित्तीय दशा का परीक्षण तथा राज्य एवं पंचायतों में ऐसी आय जो पथकर, शुल्क आदि से प्राप्त हो उसमें परस्पर हिस्सेदारी के सिद्धांतों का प्रणयन।

पंचायतों को कई आर्थिक एवं सामाजिक प्रकार्य यथाः प्राविधिक प्रशिक्षण, व्यावसायिक शिक्षा, प्रौढ़ एवं अनौपचारिक शिक्षा, खेल एवं सांस्कृतिक मामले सौंपे गए हैं।

पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तीकरण के अनंतर ग्राम शिक्षा समितियां अधिक महत्त्वपूर्ण बन गई हैं। उत्तर प्रदेश शासन ने द्वितीय वित्त आयोग का गठन इस उद्देश्य से किया

है कि वह पंचायतों को वित्तीय अधिकार के साथ उनके व्यय संबंधी जिम्मेदारी तथा राज्य सरकार से पंचायत संस्थाओं को धन निक्षेपण के संबंध में राज्यपाल को संस्तुति दे।

प्राथमिक शिक्षा में पंचायतों की भूमिका के बारे में सन् 1948 में ही विशेष बल दिया गया था जब बी.जी. खरे की अध्यक्षता में गठित समिति ने भारत में शैक्षिक विकास के नियोजन हेतु तरीकों एवं साधनों पर विचार करते हुए यह संस्तुत किया था कि पंचायतों को प्राथमिक शिक्षा के वित्त पोषण को दृष्टिगत रखकर अपने संसाधन स्वयं जुटाने होंगे। ऐसा प्रायः सुझाया गया है कि एक ऐसी व्यवस्था विकसित की जाए जिसमें ग्राम पंचायतें, गांव की प्राथमिक शिक्षा के वित्त पोषण हेतु भू-राजस्व या उस पर कर चिह्नित कर दें।

भारत में विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया का मुख्य अभिप्रेत यह है कि पंचायत राज संस्थाएं वित्तीय दृष्टि से आत्मनिर्भर बन सकें जिससे वे ग्राम अनुक्षेत्र में प्राथमिक सेवाओं के लिए स्वयं वित्त पोषण कर सकें। यह निकट भविष्य में राज्य स्तर पर उनकी भूमिका को अधिक महत्त्वपूर्ण बना देता है।

10.8 सामुदायिक सहभागिता

विद्यालयीय स्तर की शिक्षा में अपेक्षित विकास सुनिश्चित करने के लिए इलाके का नियोजन एवं शैक्षिक जरूरतों तथा कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन में समुदाय की सहभागिता एवं उसकी अंतर्भाविता नितांत आवश्यक है। प्राथमिक शिक्षा में सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अब राज्य द्वारा 'ग्राम शिक्षा समितियां' गठित की गई हैं। नवीनतम शासनादेश के अनुसार राज्य सरकार द्वारा ग्राम शिक्षा समितियों के सदस्यों में कमजोर वर्ग, महिलाओं, स्वैच्छिक संगठनों तथा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम से आच्छादित जनपदों में अपंग बच्चों के अभिभावकों को शामिल करते हुए सदस्यता में विस्तार कर दिया गया है।

शिक्षा के प्रति लोगों की मनोवृत्ति में सुधार लाने की दृष्टि से ग्राम शिक्षा समितियों से महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाए जाने की अपेक्षा है। यह भी आशा की जाती है कि वे समुदाय की लामबंदी के लिए अधोलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति में महत्त्वपूर्ण योगदान कर सकेंगी :

- ❑ जो बच्चे अभी नामांकित नहीं हो सके हैं, उन्हें विद्यालयों में लाना।
- ❑ विद्यालयों में बच्चों (विशेषतौर से बालिकाओं तथा सुविधावंचित संवर्ग से जुड़े) का ठहराव सुनिश्चित करना।
- ❑ अपंग बच्चों को मुख्य धारा में लाना।
- ❑ ऐसे बच्चे जो 3-6 वर्ष आयुवर्ग के हैं, उन्हें विद्यालयपूर्व शिक्षा हेतु 'प्रारंभिक बाल शिक्षा एवं देखभाल केंद्रों' में लाने के लिए प्रयास करना।
- ❑ विद्यालयों से बाहर पाए जाने वाले बच्चों (विशेषतौर से लड़कियां एवं कामकाजी बच्चों) को वैकल्पिक विद्यालयों में प्रवेश लेने हेतु प्रोत्साहन एवं समर्थन प्रदान करना।

पूर्वोक्त कार्यों को दृष्टिगत रखकर उनमें ग्राम शिक्षा समिति की सहभागिता सुनिश्चित करनी है जिससे विद्यालय स्थापित करने हेतु अभिगम्य स्थानों एवं वैकल्पिक विद्यालय केंद्रों

की पहचान करने तथा जहां अपेक्षित हो वहां अनु-शिक्षकों की नियुक्ति करने में कठिनाई न हो।

राज्य तथा जनपद स्तरों पर बहुत से ऐसे कार्य हाथ में लिए गए हैं जिनका उद्देश्य है – समुदाय के लोगों, बच्चों के माता-पिता, अभिभावकों तथा अन्य परामर्शदाताओं में प्राथमिक शिक्षा के मुद्दों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना। इस दृष्टि से प्रत्येक जनपद स्तर पर ऐसी क्रियाओं का पंचांग तैयार किया गया है जिन्हें ग्राम शिक्षा समिति द्वारा सामुदायिक लामबंदी को ध्यान में रखकर पूरा किया जाना है। जुलाई-अगस्त 1998 में स्कूली बच्चों विशेषकर लड़कियों का नामांकन प्रोत्साहित करने के अभिप्राय से 'स्कूल चलो' अभियान का श्रीगणेश किया गया है।

जनपद स्तरों पर कई ऐसी क्रियाएं आयोजित की जा रही हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य है- प्राथमिक शिक्षा के प्रति जागरूकता लाना तथा विद्यालयीय व्यवस्था में सामुदायिक सहभागिता की लामबंदी सुनिश्चित करना। इन शैक्षिक परिणामों की प्राप्ति हेतु समुदाय की हिस्सेदारी बढ़ाने की दृष्टि से 'प्रभात फेरियां' 'जत्था' तथा अन्य प्रतियोगिताएं आयोजित की गई हैं। विद्यालयों में नामांकन की प्रक्रिया को गतिशील बनाने हेतु गांवों में 'विशेष नामांकन' कार्यक्रम चलाए गए हैं।

सामुदायिक सहभागिता के त्वरीकरण में शिक्षक-मातृ संगठनों में बड़ी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब तक जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम से आच्छादित 15 जनपदों के 30 संकुलों में 270 'शिक्षक-मातृ' संगठन कायम किए जा चुके हैं। इन संगठनों को बालिकाओं की शिक्षा, नेतृत्व तथा मनोवृत्ति बदलाव आदि मुद्दों के बारे में संवेदनशील बनाया गया है।

निम्न महिला साक्षरता दर से जुड़ी समस्या की उग्रता पर ध्यान देते हुए यह भी निर्णय किया गया है कि 30 आदर्श संकुलों में अपेक्षित गहनता के साथ कार्य किए जाएं। इस क्रम में सभी संभव निविष्टियों के साथ नित्य सम्पर्क, कोर-दल तथा महिला मंच (ग्राम शिक्षा समिति से चुनी महिला सदस्या को लेते हुए) बनाए जाने तथा उन्हें उत्प्रेरित करने का भी संकल्प है।

यहां विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि 15 जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम से आच्छादित जनपदों में 30 कोर दल कायम किए जा चुके हैं जिनमें सक्रिय एवं अपेक्षित स्तर की प्रतिबद्धता जताने वाले ऐसे व्यक्ति शामिल हैं जो समुदाय की सोच को प्रभावित कर सकते हैं तथा महिला समूहों, युवा संवर्गों तथा अन्य सामुदायिक संवर्गों को नेतृत्व भी प्रदान कर सकते हैं।

ग्राम शिक्षा समितियों से चुनी गई महिला सदस्यों से आदर्श संकुल विकास को दृष्टिगत रखकर कुल उन्नीस महिला मंच इन सभी उन्नीस चिह्नित संकुलों में गठित किए गए हैं। इन सदस्यों को बालिकाओं की शिक्षा को लामबंद करने के उद्देश्य से संवेदनशील एवं प्रतिबोधित किया गया है जिससे वे एक **अभिप्रेरक संवर्ग** का कार्य कर सकें।

10.9 औपचारिक व्यवस्था के साथ दूरवर्ती शिक्षा विधा को प्रोत्साहन

राज्य ने इंटरमीडिएट स्तर पर पहले से ही पत्राचार शिक्षा की व्यवस्था कर रखी है। यह विधा प्रचलित औपचारिक शिक्षा प्रणाली के लिए एक प्रभावी परिपूरक के रूप में चल रही है। इसमें शिक्षण का पाठ्यक्रम एवं परीक्षा पद्धति वही है जो औपचारिक शिक्षा के लिए निर्धारित है। आमने-सामने की शिक्षण प्रणाली (जो कैंपस पर आधारित होकर चलती है), पर अत्यधिक दबाव को कम करने में यह विधा पर्याप्त प्रभावी साबित हुई है। इसके द्वारा 'गुणवत्तायुक्त शिक्षा' की पहल को भी बल मिला है क्योंकि इसकी परिधि में अधिकांश 'व्यक्तिगत अभ्यर्थी' भी आकर्षित हुए हैं। इस प्रकार की दूरवर्ती शिक्षा व्यवस्था से 'जिन तक अभी नहीं पहुंचा जा सका है उन तक भी पहुंचने में' सुगमता हुई है। जैसाकि अध्याय 3 में वर्णित है, यह पद्धति राज्य में इंटरमीडिएट स्तर की शिक्षा हेतु एक समर्थ विधा प्रमाणित हुई है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि 'राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय' की भांति राज्य में भी 'खुली विद्यालयी प्रणाली' को अपनाए जाने की बात सोची जा रही है तथा इसे मूर्त स्वरूप प्रदान करने हेतु विधियां एवं युक्तियां राज्य सरकार के विचाराधीन हैं।

10.9.1 दूरवर्ती विद्या का विस्तार

विद्यालयीय शिक्षा के विविध स्तरों पर शिक्षण हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग नई व्यवस्था में उपकल्पित है। यह सुविधा पत्राचार पाठ्यक्रमों में प्रयुक्त मुद्रित पुस्तकों एवं सम्पर्क कक्षाओं के साथ अतिरिक्त रूप में प्रावधानित होगी। यह स्पष्ट है कि आगे चलकर कंप्यूटर शिक्षा का उपयोग बढ़ेगा। इसीलिए इंटरमीडिएट के पाठ्यक्रम में कंप्यूटर शिक्षा को एक वैकल्पिक विषय के रूप में पढ़ाए जाने संबंधी निर्णय कार्यान्वित हो चुका है।

10.10 नवीन प्रतिमान परिवर्तन

विद्यालयीय शिक्षा की पद्धति में स्पष्ट परिवर्तन लाने हेतु निम्नांकित अनुक्षेत्रों में प्रयास जारी हैं :

- पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या विकसित करने के स्तर पर जो प्रतिमान विषयक तब्दीली लाई गई है, उसमें कार्यान्वयन युक्तियों के तहत अधिक से अधिक सक्रिय अधिगम विधियों के अपनाए जाने पर बल दिया गया है।
- प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शिक्षा स्तरों पर जो स्पष्ट परिवर्तन परिलक्षित हैं, उसमें शिक्षक-केंद्रित व्यवस्थाओं के स्थान पर विद्यार्थी केंद्रित पद्धतियों को अपनाने के प्रति विशेष आग्रह है।
- राज्य में विद्यालयों के प्रशासन के संबंध में विकेंद्रीकरण एवं सूक्ष्म-नियोजन की नीति को प्रोत्साहित किया जा रहा है।
- प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रशासन को पूरी तरह विकेंद्रीकृत कर दिया गया है जिससे जनपदों, विकास खंडों एवं संकुलों को इनकी जिम्मेवारी सम्भालने के लिए समर्थ बनाया जा सके।

- विद्यालयीय शिक्षा संबंधी नीति निर्माण, सूक्ष्म नियोजन तथा कार्यक्रम क्रियान्वयन को दृष्टिगत रखकर जनपद स्तर पर डाइट को शीर्ष संगठन के रूप में विकसित किया जा रहा है।
- यह भी संकल्प है कि स्थानीय संसाधनों के उपयोजन के संदर्भ में ग्राम शिक्षा समितियों की लामबंदी की जाएगी। इसके साथ ही नवाचारी पद्धतियों जिसमें क्रियात्मक अनुसंधान भी शामिल है तथा कई तरह से सहभागिता पर आधारित कार्यक्रमों के माध्यम से क्षमता-संवर्द्धन कार्यों को प्रोत्साहित करने की योजनाएं क्रियान्वित हो रही हैं।

10.11 अपूर्ण कार्यों तथा अनुत्तरित मुद्दों का संबोधन

उत्तर प्रदेश राज्य के शैक्षिक विकास से संबंधित जिन सकारात्मक पक्षों एवं न्यूनताओं का संक्षिप्त विवरण पहले दिया जा चुका है, उससे यहां के अपूर्ण कार्यों तथा अनुत्तरित प्रश्नों या मुद्दों को रेखांकित करने में उपयोगी संकेत प्राप्त होते हैं। इस तथ्य को मानते हुए कि शिक्षा का आर्थिक एवं सामाजिक प्रतिलाभ उस स्थिति में सर्वाधिक होता है जब राज्य में उसकी आबादी के हर हिस्से में शैक्षिक उपलब्धि का क्रांतिक न्यूनतम स्तर प्राप्त हो चुका होता है, उत्तर प्रदेश राज्य को विद्यालयीय शिक्षा के लिए ठोस आधार विकसित करने की आवश्यकता है। यह भी कहा जा सकता है कि यतः शिक्षा के लाभ विद्यालयीय शिक्षा प्राप्त करने वाले व्यक्तियों से परे समाज के अन्य सदस्यों तक पहुंचता है, पब्लिक अनुक्षेत्र की शिक्षा में भागीदारी अभिवृद्ध करने के औचित्य को सद्यः देखा जा सकता है। इस बात पर बल देने की आवश्यकता नहीं है कि प्राथमिक शिक्षा तथा इसके बाद माध्यमिक शिक्षा सबसे अधिक आर्थिक एवं सामाजिक प्रतिफल प्रदान करती है।

विद्यालयीय शिक्षा के सभी स्तरों पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने की दृष्टि से ऐसे महत्त्वपूर्ण कार्य जिनकी क्रान्तिक भूमिका होती है प्रायः उपेक्षित रह जाते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य तथा इसका शैक्षिक परिदृश्य इस संबंध में अपवाद नहीं है। ये कार्य प्रमुखतः विद्यालयीय शिक्षा में निवेश बढ़ाने तथा शिक्षकों द्वारा अधिगम परिणामों की गुणवत्ता सुधारने से संबंधित हैं। इस दृष्टि से शिक्षकों के गुणवत्ता संवर्द्धन हेतु उनकी सेवापूर्व एवं सेवाकालीन प्रशिक्षण व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है। प्रभावी शिक्षकों की तैयारी हेतु उनके द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषयों के आधार को मजबूत बनाने के अलावा संस्कृति संबंधित शैक्षणिक अनुबोधन, दक्षता विकास तथा अभिप्रेरणा विकसित करना ये कतिपय बिंदु हैं जिन पर विशेष ध्यान अपेक्षित है। विद्यार्थी-सुगम अनुदेशनात्मक अभिकल्पों की रचना को दृष्टिगत रखकर कौशलों के विकास, पाठ्यक्रम की प्रभावी क्रियान्विति, पाठ्यपुस्तकों, शिक्षण की सहायक सामग्रियों तथा विद्यालय के भीतर क्रियाकलाप आधारित शैक्षिक सत्रों के संचालन पर बल देने की नितान्त आवश्यकता है। इस परिप्रेक्ष्य में शैक्षिक समर्थन एवं तत्संबंधी अवलंब को ऐसा स्वरूप देना

होगा, जिससे एक निष्पादन उन्मुख व्यवस्था उभर सके। शैक्षिक एवं प्रशासनिक पर्यवेक्षण से जुड़ी संरचनाओं को उनकी प्रबंध एवं नियंत्रण शैली की दृष्टि से निरंतर देखते रहने और उन्हें चुस्त एवं कुशल बनाने की भी आवश्यकता है।

उत्तर प्रदेश राज्य की विद्यालयीय शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐसा अन्य अपूर्ण कार्य जो 21वीं सदी में गंभीर चुनौतियां प्रस्तुत कर सकता है, शैक्षिक अवसरों की समानता एवं न्याय के मुद्दों से संबंधित है। वर्तमान सन्दर्भों में सामाजिक दृष्टि से बाधित एवं सुविधावंचित संवर्गों पर और अधिक ध्यान अपेक्षित है। हमारे समाज में विद्यमान असमानताओं में ऐसे कारक यथाः लिंग, ग्रामीण-शहरी निवास, जाति–अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े तथा वर्गभेद–निर्धन एवं अमीर आदि अभी भी बहुत हद तक प्रभावी हैं। इसका परिणाम यह है कि शैक्षिक दृष्टि से अविकसित जनपदों के बच्चों तथा वे जो लड़का या लड़की के रूप में अथवा वे जो दूर-दराज के गांवों अथवा वे जो अनुसूचित जाति या जनजाति या पिछड़े संवर्गों में जन्म लेते हैं, एक ही जैसे शैक्षिक अवसर नहीं प्राप्त कर पाते। न्याय के मुद्दे का यह तकाज़ा है कि विधिक व्यवस्थाओं के साथ समय-समय पर संवर्ग-सम्बद्ध सुधारात्मक पैकेजों को शामिल करते हुए उपयुक्त उपाय किए जाएं तथा उनके अनुवर्ती प्रभावों का सतत आकलन करते हुए अवरोधन तथा कम विकास की स्थितियों में सुधार लाया जाए। इस बात पर बल देने की जरूरत नहीं है कि 'न्यायपूर्ण' स्थिति लाने के लिए वित्तीय एवं प्रशासनिक दोनों ही उपायों की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। वित्तीय उपाय यथाः सुविधावंचित संवर्ग के बच्चों को वजीफे, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें, परिवहन, स्कूल पोशाक तथा आहार आदि उपलब्ध कराना वर्तमान स्थिति को सुधारने में सहायक हो सकते हैं।

इन सुपरीक्षित उपायों में से कुछेक को ही उत्तर प्रदेश राज्य लागू कर सका है। जहां इसके लिए प्रमुख कारण वित्तीय अभाव हो सकता है, वहां प्रशासनिक अकुशलता एवं संकल्प की कमी भी ऐसी दशा के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। निर्धन महिला संवर्ग, भाषायी दृष्टि से अल्पसंख्यक, घुमंतू, शरणार्थी, गलियों में पाए जाने वाले तथा कामकाजी बच्चों का विद्यालयों में नामांकन प्रोत्साहित करने की दृष्टि से किए गए प्रशासनिक उपाय प्रभावी ढंग से नियोजित एवं क्रियान्वित नहीं हो पाए हैं। इस परिप्रेक्ष्य में देखने पर यह स्पष्ट होगा कि **सर्व शिक्षा अभियान** में न्याय का मुद्दा एक महत्त्वपूर्ण आयाम है।

जैसाकि पहले इंगित किया जा चुका है कि समर्थ विकास सुनिश्चित करने की दृष्टि से 'गुणवत्ता' उपलब्ध कराना एक सतत एवं निरंतर विचारणीय मुद्दा होगा। किंतु प्रायः यह पाया जाता है कि वर्तमान शिक्षा पर किए जाने वाले व्यय तथा प्रबंध शैली एवं उनसे जुड़े हित साधकों की दुराग्रही प्रकृति के कारण यह मुद्दा अपेक्षित रह जाता है। विद्यालयीय शिक्षा की गुणवत्ता में सहायक चार कार्य महत्त्वपूर्ण माने जाते हैं। ये हैं : मुख्य विषयों यथा भाषा,

गणित एवं विज्ञान में उच्च उपलब्धि मानकों को स्पष्ट रूप में निरूपित कर शैक्षिक निष्पत्ति के स्तर को सुधारना, उपलब्धियों को समुन्नत बनाने वाली ज्ञात निविष्टियों को उपलब्ध कराना, निविष्टियों की प्राप्ति एवं उनके उपयोग हेतु लचीली युक्तियों को अपनाया जाना तथा निष्पादन स्तर पर अनुश्रवण या संयमन करते रहना।

10.11.1 अनुत्तरित मुद्दे

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, लखनऊ द्वारा आयोजित त्रि-दिवसीय संगोष्ठी (फरवरी 26-28, 2001) के प्रतिभागियों तथा पृथक रूप से संपन्न अध्ययन में दी गई प्रश्नावली एवं साक्षात्कार अनुसूची के उत्तरदाताओं ने राज्य स्तरीय स्कूली शिक्षा के संबंध में कतिपय अनुत्तरित मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित किया है। इन उत्तरदाताओं में प्रदेश के सुविज्ञ एवं अनुभवी शिक्षाविद्, शैक्षिक प्रशासक, सेवानिवृत्त शिक्षक एवं प्राचार्य तथा राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कृत शिक्षक भी शामिल थे। इन महत्त्वपूर्ण मुद्दों को अति संक्षिप्त रूप में आगे सारांकित किया जा रहा है :

- **अभिगम्यता :** राज्य द्वारा राष्ट्रीय मानक के अनुरूप 1.5 कि.मी. की परिधि में विद्यालयों की अभिगम्यता (पहुंच) सुनिश्चित करने के बावजूद सुविधावंचित संवर्गों यथाः अनुसूचित जाति/जनजाति, घुमंतू, शहरी इलाकों की गंदी बस्तियों में रहने वाले, श्रमिक वर्ग तथा गरीबी रेखा से नीचे के परिवार के बच्चों को विद्यालयों तक पहुंच पाने की सुविधा उसी रूप में उपलब्ध नहीं है, जो उसी आयु वर्ग के सुविधासंपन्न एवं धनी लोगों के बच्चों को प्राप्त हो रही है। इस प्रकार सामाजिक व्यवस्था में असमानताओं के चलते शैक्षिक अवसरों की समानता का मुद्दा कुप्रभावित होता है।
- **विस्तार एवं आच्छादन :** प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या, लड़कों तथा लड़कियों का विद्यालयों में नामांकन एवं शिक्षकों की तादाद को लेकर अभूतपूर्व वृद्धि हुई है तथापि सुविधावंचित संवर्गों के संबंध में विद्यालयीय शिक्षा स्थितियों का आच्छादन पूर्णरूपेण न्यायोचित एवं समान नहीं कहा जा सकता। ऐसा प्रमुखतः इसलिए है कि हमारी व्यवस्था में लिंग, वर्ग एवं आंचलिकता से जुड़े भेदभाव एवं सामाजिक-आर्थिक असंतुलन की परिस्थितियां विभिन्न रूपों में विद्यमान हैं। शिक्षकों के रिक्त पद न भरे जाने से शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात नकारात्मक रूप में प्रभावित हुआ है। यह स्थिति स्कूली शिक्षा के लगभग सभी स्तरों पर एक जैसी है।
- **गुणवत्ता एवं उत्कृष्टता :** शैक्षिक निष्पत्तियों एवं निष्पादन के मानदंड स्पष्ट एवं निश्चित रूप में अंकित न किए जाने से गुणवत्ता-गारंटी एवं उत्कृष्टता सुनिश्चित करने के प्रयासों को भारी आघात पहुंचा है तथा इनसे जुड़े मुद्दे विशेषतौर से जनपदों एवं विकास खंडों के स्तर पर आमतौर से उपेक्षित रहे हैं।

- **शिक्षक अभिप्रेरणा एवं व्यावसायिकता :** शिक्षकों की अभिप्रेरणा में उत्तरोत्तर ह्रास एवं उनकी व्यावसायिकता की भावना के अभाव से जुड़ी समस्या शाश्वत् रूप में बनी हुई है। इसका दुष्परिणाम शिक्षकों की अनुपस्थिति तथा पाठ्यक्रम का समुचित ढंग से कार्यान्वित न हो पाना विशेष रूप से माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा स्तर पर स्पष्टतः परिलक्षित है। शिक्षकों के वेतनमान तथा अन्य मानदेय एवं भत्ता आदि में पर्याप्त सुधार के बावजूद उनके द्वारा निजी ट्यूशन तथा व्यावसायिक कोचिंग की कक्षाओं द्वारा अधिक धन उपार्जित करने की प्रवृत्ति पर कोई प्रभावी प्रतिबन्ध नहीं लग सका है। इस संदर्भ में किए गए सर्वेक्षण के क्रम में एक उत्तरदाता ने यह स्पष्ट रूप से कहा है कि 'वाणिज्यीकरण के इस युग में हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि हमारे शिक्षक उच्च आदर्शों एवं समर्पण भावना से अभिप्रेरित नहीं हैं। शिक्षकों में व्यावसायिकता के उदात्त गुणों का विकास अंततः उनकी दक्षता एवं प्रतिबद्धता के स्तरोन्नयन से जुड़ा हुआ प्रश्न है जिसके लिए शिक्षकों को तैयार करने वाली व्यवस्थाओं को प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदारी लेनी होगी।'
- **सार्थक शिक्षक-विद्यार्थी अंतर्क्रिया में अभिवृद्धि :** पाठ्यचर्याओं के सार्थक एवं प्रभावी क्रियान्वयन को निर्धारित करने में प्रमुख रूप से जो विचारणीय मुद्दे हैं वे विद्यालयों के वास्तविक कार्यदिवसों तथा उनमें शिक्षण अधिगम के प्रभावी रूप में निष्पादन अवधि से सीधे-सीधे जुड़े हुए हैं। हमारी विद्यालयीय प्रणाली को इस दृष्टि से चुस्त-दुरुस्त करने की नितांत आवश्यकता है।
- **शिक्षा के लिए संसाधनों को जनित करना तथा उनका बेहतर उपयोजन सुनिश्चित करना:** यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि पर्याप्त भौतिक सुविधाओं की निरंतर आवश्यकता तथा शिक्षण-अधिगम की बढ़ती अपेक्षाओं को दृष्टिगत रखकर शिक्षा में अतिरिक्त संसाधनों को प्राविधानित करना वांछनीय है। संप्रति शिक्षा बजट का 90 प्रतिशत से अधिक अंश वेतन आदि में खर्च हो जाता है, जिससे विकास कार्यों के लिए बची राशि अत्यंत स्वल्प होती है। इस दृष्टि से शिक्षा आयोग (1964-66) के इस अभिमत पर जिसे नवीन शिक्षा नीति (1986) तथा बाद में संशोधित कार्ययोजना (1992) ने भी अपनाया है, विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इनके अनुरूप शिक्षा में किए जाने वाले निवेश को राष्ट्रीय आय की 6 प्रतिशत की सीमा तक बढ़ाने पर अमल अभी नहीं हो सका है। इसी प्रकार राज्य सरकार के शिक्षा बजट में भी अभिवृद्धि अपेक्षित है। बजट के आबंटन में ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों की वर्तमान विषमताओं पर भी ध्यान रखना आवश्यक है। इस दृष्टि से ऐसे लोगों पर जो सरलता से इस भार का वहन कर सकें, शैक्षिक कर लगाने का प्रस्ताव लंबे अरसे से विचाराधीन है।

वर्तमान संशोधनों का बेहतर उपयोजन उस स्थिति में ही संभव हो पाएगा जब शिक्षा से जुड़े सभी लोग एक समवेत भाव से कार्यों में जुटें न कि अपनी-अपनी डफली-अपना-अपना राग सुनाने की रीति से प्रेरित हों। 'विद्यालय-संकुल' की अवधारणा इस प्रकार के समवेत एवं सम्मिलित प्रयासों से वास्तविक रूप में विकसित हो सकेगी। स्थानीय उद्योगों तथा उपक्रमों से सहलग्नता स्थापित कर व्यावसायिक शिक्षा की सफलता के आसार बढ़ाए जा सकते हैं। इसी प्रकार भौतिक संसाधनों यथाः खेल के मैदान कई संस्थाओं द्वारा साझेदारी के आधार पर उपयोग में लाए जा सकते हैं। विद्यालयीय-अनुक्षेत्रों में इस प्रकार की समवेत साझेदारी लाने की बात अभी भी बहुत हद तक उपेक्षित या अनुत्तरित प्रश्न के रूप में चुनौती बनी हुई है।

- **अवलंब सामग्री निर्मित करना** : राज्य के शिक्षा विभाग ने समय-समय पर कई ऐसी सावधिक योजनाओं को हाथ में लिया है, जिनके माध्यम से शिक्षकों के निर्देशन तथा उपयोग की दृष्टि से आकर्षक पाठ्यपुस्तकें, पूरक सामग्रियां तथा हस्तपुस्तिकाएं विकसित एवं निर्मित की जा सकें। तथापि पाठ्यक्रमों की मनसा के अनुरूप सफल एवं प्रभावी कार्यान्विति के उद्देश्य से यह समीचीन होगा कि पाठ्यपुस्तकों, पूरक श्रव्य-दृश्य सामग्रियों, आडियो-वीडियो कैसेट, शिक्षक निर्देशिकाओं एवं स्वनिर्देशित अनुदेशनात्मक किट्स को शामिल करते हुए एक ऐसा पैकेज तैयार किया जाए जो विद्यालयों को उपलब्ध हो तथा जिसे शिक्षक एवं विद्यार्थी अपनी आवश्यकतानुसार मसन्वित एवं इष्टतम रूप में प्रयोग में ला सकें। इससे विद्यालयीय-शिक्षण व्यवस्था में विद्यार्थी-अनुकूल, स्व-अध्ययन केंद्रित (मॉड्युलर) बहुल-माध्यम निविष्ट पैकेजों की रचना करने का मार्ग प्रशस्त होगा।
- **स्वायत्तता, जवाबदेही एवम् शैक्षिक अंकेक्षण** : विगत कुछ वर्षों से शिक्षकों एवं विद्यालयों को स्वायत्तता प्रदान करने का मामला जटिल बनता रहा है। उन्हें कैसे तथा किस रूप में स्वायत्तता दी जाए जिससे राष्ट्रीय, आंचलिक एवं स्थानीय लक्ष्यों को संप्राप्ति में उनकी जवाबदेही तथा भागीदारी सुनिश्चित की जा सके, वे प्रत्याशित निष्पादन मानदंडों तक अपने विद्यार्थियों को पहुंचा सकें तथा बच्चों की शिक्षा के सभी मामलों में न्याय एवं उत्कृष्टता की अनुरक्षा कर सकें। इन सभी बिंदुओं को उनकी शैक्षिक अंकेक्षण (ऑडिट) का हिस्सा किस रूप में बनाया जाए, ये सभी अत्यंत महत्त्वपूर्ण एवं विचारणीय मुद्दे हैं।
- **लिंग विषमता** : लिंग संबंधी विषमता से जुड़े मुद्दों से निपटने में अभिभावकों (विशेषतौर से गांवों के) की मानसिकता मुख्य बाधा रही है। घरेलू कार्यों में बालिका की अहम् भूमिका होती है, किंतु अधिकांश स्थितियों में हमारी शिक्षा उन्हें घरेलू काम-काज एवं समुदाय से जुड़े व्यवसायों में अकुशल या पंगु बना देती है। ग्रामीण

अंचलों तथा मलिन बस्तियों के अभिभावक अपनी बच्चियों को विद्यालय में भेजने के लिए इसलिए भी कतराते हैं कि उन्हें वहां पर सुरक्षित एवं शालीनतापूर्ण जिन्दगी के लिए सम्भावित खतरों का अंदेशा रहता है।

- **साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा :** शत-प्रतिशत साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य अभी भी अपूर्ण है। पुरुष साक्षरता में 30 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता में 57 प्रतिशत की न्यूनता इस संकल्प के लिए चुनौती बनी हुई है। इस संबंध में प्राथमिक विद्यालयों के आभामंडल में विद्यार्थी-अनुकूल सहजता लाने के प्रयासों को गति देने के लिए स्थानीय विशिष्टताओं पर आधारित पाठ्यक्रमों, पाठ्यपुस्तकों, शिक्षण-अधिगम सामग्रियों तथा प्रभावी मूल्यांकन प्रणाली से युक्त वैकल्पिक शिक्षण विधाओं एवं उपागमों को ढूंढ़ निकालने की महती आवश्यकता है।
- **मूल्यांकन प्रणाली :** हमारे विद्यालय, शिक्षक तथा विद्यार्थीगण अपनी व्यवस्था के विशिष्ट सकारात्मक पक्षों एवं न्यूनताओं की पहचान करने की दृष्टि से शैक्षिक अंकेक्षण तथा स्वमूल्यांकन करने के लिए अभ्यस्त नहीं हैं। स्कूल सुधार के सिलसिले में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की अवधारणा अभी भी एक महत्त्वपूर्ण विचारणीय बिंदु के रूप में ही अंकित है। इस प्रणाली से होने वाले लाभों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मंचों से विज्ञापित करने के बावजूद पूरी विद्यालयीय शिक्षा में इसे लागू करने की प्रक्रिया किसी न किसी कारण से बाधित रही है। परिणामतः शैक्षिक मूल्यांकन में 'सूचना-आच्छादन' एवं 'रटंत' पर बल दिया गया है। इसके साथ ही विद्यालयों से लाभ लेने के इच्छुक कई संवर्गों के बच्चों की आवश्यकताओं के अनुरूप 'सुधारात्मक उपाय' लागू करने की व्यवस्था उपेक्षित हुई है।
- **उच्चतर माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण :** केंद्र समर्थित योजनाओं तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय की कार्ययोजना (1992) द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के बावजूद उच्च माध्यमिक शिक्षा (+2 स्तर) के पाठ्यक्रमों में व्यावसायिक पुट लाने का कार्य अपेक्षित रूप में प्रभावी नहीं हो सका है। इसके लिए जिम्मेवार मुख्य कारक इस प्रकार हैं: विद्यालयों तथा उद्योगों में सहलग्नता का अभाव, व्यावसायिक शिक्षा को निम्न दर्जा दिए जाने के रूप में देखना, समुचित ढंग से प्रशिक्षित कोर-शिक्षकों एवं अनुदेशकों की कमी तथा समुदाय द्वारा सामान्य रूप में एवं प्रशासन द्वारा विशेष रूप में अपेक्षित समर्थन एवं प्रतिबद्धता का न होना।
- **प्रमुख प्रतिमान बदलाव :** हमारी शैक्षणिक व्यवस्थाओं में शिक्षक-केंद्रित उपागमों को विद्यार्थी-केंद्रित उपागमों द्वारा प्रतिस्थापित करने के उद्देश्य से **शिक्षक द्वारा शिक्षण** के बजाए **विद्यार्थी द्वारा अधिगम** को महत्त्व देने की ओर उन्मुखता

आवश्यक है। विद्यार्थी-अनुकूल अधिगम-पैकेज अपेक्षित तत्परता के साथ नहीं विकसित किए जा रहे हैं। विद्यालयीय परिवेश में सक्रिय अधिगम प्रणालियों के अनुप्रयोग एवं प्रोत्साहन की दृष्टि से पूरी व्यवस्था को अभी भी इप्सित मील के पत्थर तक पहुंचना है। कक्षा शिक्षण में विद्यार्थियों की पहल बहुत पक्की नहीं बन सकी है। इस संबंध में मुख्य समस्या शैक्षिक व्यवस्था एवं शिक्षकों द्वारा गतिशील शिक्षण-अधिगम पद्धतियों एवं नवाचारी अनुदेशन की विधियों को अपनाए जाने संबंधी उनकी दक्षता पर केंद्रित है।

- **शासन, प्रशासन एवं पर्यवेक्षण की व्यवस्था** : विद्यालयीय शिक्षा के शासन एवं प्रशासन में सार्थक रूप से विकेंद्रीकरण लाने की दृष्टि से अधिक प्रयास अपेक्षित हैं। सूक्ष्म-नियोजन की प्रक्रियाएं समुचित रूप में विकसित नहीं हो पाई हैं। विकास खंडों, संकुलों तथा संस्थाओं के स्तर पर जो पर्यवेक्षण पर अवलंब खड़ा किया गया है, उसे निष्पादन-उन्मुख बनाने की आवश्यकता है। इस प्रकार विद्यालय प्रशासन एवं पर्यवेक्षण की नई अवधारणाओं एवं दर्शन के आलोक में उनकी भूमिका में बदलाव लाने का प्रयत्न करना होगा।
- **शोध अवलंब तथा प्रशिक्षण निविष्टियां** : विद्यालयीय शिक्षा से संबंधित नीतियों के निर्माण एवं कार्यान्वयन के संबंध में राज्य स्तर पर किया गया शोध एक समर्थवान् अवलंब विकसित नहीं कर पाया है। पूरे शिक्षा-अनुक्षेत्र को दृष्टिगत रखकर क्रियात्मक अनुसंधान तथा सतत् प्रशिक्षण निविष्टियों के माध्यम से क्षमता-संवद्र्धन का कार्य उच्च वरीयता लक्ष्यों में शामिल किए जाने की अपेक्षा रखता है।
- **शिक्षण-अधिगम में नवीन तकनीकों का प्रयोग** : आज यह आवश्यक हो गया है कि विभिन्न विषयों में संगणक समर्थित अधिगम को प्रोत्साहित किया जाय। विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता में त्वरित वृद्धि लाने हेतु उत्तर प्रदेश को इस दिशा में विशेषतया सजग होना होगा। यह ज्ञान आधारित समाज को प्रगतिवान बनाने एवं बच्चों के उज्जवल भविष्य की संभावनाओं में मददगार होगा।

संदर्भिका

- अहमद मंजूर, कोलेट केबॉट, अरुण जोशी एंड रोहिणी पांडेय, 1993. *प्राइमरी एजूकेशन फॉर ऑलः लर्निंग फ्रॉम द बी.आर.ए.सी. एक्सपीरिएंस, ए केस स्टडी,* प्रोजेक्ट ए.बी.ई.एल. (एडवांस बेसिक एजूकेशन एंड लिट्रेसी), वॉशिंगटन डी.सी.: एकेडमी ऑफ एजूकेशन डेवलपमेंट।
- एसोसिएट्स इन रूरल डेवलपमेंट, 1993. *"प्रेडिकामेंट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन" फोरम फॉर एडवांसिंग बेसिक एजूकेशन एंड लिट्रेसी* 2(3): 12-13.
- बशीर साजिथा. 1994. *"पब्लिक वर्सेज प्राइवेट इन प्राइमरी एजूकेशनः कंपेरिजन ऑफ स्कूल इफेक्टिवनेस एंड कॉस्ट्स इन तमिलनाडु"* पी.एच.डी. डिजर्टेशन, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन।
- काडवेल, जे.सी. 1979. *"एजूकेशन एज ए फैक्टर इन मॉर्टेलिटी डिकलाइन : एन एक्जामिनेशन ऑफ नाइजीरियन डाटा"* पॉपुलेशन स्टडीज 33(3):395-413.
- चतुर्वेदी एस., बी.सी. श्रीवास्तव, जे.वी. सिंह एंड एम. प्रसाद, 1987 *"इम्पैक्ट ऑफ सिक्स इयर्स एक्सपोजर टु आई.सी.डी.एस. स्कीम ऑन साइको-सोशल डेवलपमेंट"* इंडियन पैडिआट्रिक्स 24(2):153-60.
- कॉलक्लोफ, क्रिस्टोफर. 1990. *"रेजिंग एडीशनल रिसोर्सेज फॉर एजूकेशन इन डेवलपिंग कंट्रीजः आर ग्रेजुएट पेरोल टैक्सेज सुपीरियर टु स्टुडेंट्स लोन्स?"* इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एजूकेशनल डेवलपमेंट 10(2/3):169-80.
- डेविड, जे.एल. एंड एस.एम. पीटरसन. 1984. *केन स्कूल्स इम्प्रूव देमसेल्व्स? ए स्टडी ऑफ स्कूल बेस्ड इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम्स.* सैन फ्रैन्सिसकोः बे एरिया रिसर्च ग्रुप।
- डेनशन, एडवर्ड एफ. 1967. *व्हाई ग्रोथ रेट्स डिफरः पोस्ट वार एक्सपीरिएंस इन नाइन वेस्टर्न कंट्रीज,* वाशिंगटन, डी.सी.: बुकिंग्स इंस्टीट्यूशन।
- आइजमन, थॉमस ओवन, 1988. *बेनीफिटिंग फ्रॉम बेसिक एजूकेशन, स्कूल क्वालिटी एंड फंक्शनल लिट्रेसी इन केन्या. कंपरेटिव एंड इंटरनेशनल एजूकेशन सीरीज 2.* ऑक्सफोर्डः परगेमेन प्रेस।
- फैड्रिक, जे.एम. 1987 *मेजरिंग स्कूल इफेक्टिवनेसः गाइडलाइन्स फॉर एजूकेशनल प्रैक्टिसनर,* एरिक क्लीअरिंग हाउस ऑन टेस्ट मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, एजूकेशनल टेस्टिंग सर्विसेज, प्रिंसटन, एन.जे.।
- हालपर्न, राबर्ट. 1986. *"इफेक्ट्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड इंटरवेन्शन ऑन प्राइमरी स्कूल प्रोग्रेस इन लैटिन अमेरिका" कंपरेटिव एजूकेशन रिव्यू* 30(2):193-215.
- होलसिंगर, डोनाल्ड एंड डेविड बेकर. 1993, *"द साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंड्री एजूकेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज"* ई.एस.पी. डिस्कशन पेपर 7. वर्ल्ड बैंक, एजूकेशन एंड सोशल पॉलिसी डिपार्टमेंट, वाशिंगटन डी.सी.
- जैन एस. आदि, *चिल्ड्रेन : वर्क एंड एजूकेशन, इयर 2000 एसेसमेंट, एजूकेशन फॉर ऑल,* नई दिल्ली : नीपा, 2000.

- ज्वाइंट जी.ओ.आई.—यू.एन. *सिस्टम एजूकेशन प्रोग्राम-रीडिंग मैटीरियल ऑन अल्टरनेटिव स्कूलिंग*—डिपार्टमेंट ऑफ एजूकेशन, शास्त्री भवन, नई दिल्ली, फरवरी, 2000.
- जॉयस, ब्रूस आर. 1991. *"द डोर्स टु स्कूल इम्प्रूवमेंट"* एजूकेशनल लीडरशिप 48(8):59-62.
- जॉयस, ब्रूस आर., रिचर्ड एच. हर्ष एंड माइकल मैककीबिन. 1983. *द स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल इंप्रूवमेंट,* न्यूयार्कः लंदन।
- खंडेलवाल, बी.पी. *डिसटेंस एजूकेशन इन यू.पी., बिस्वास जी. (संस्करण) डिसटेंस एजूकेशन इन एस.ए.ए.आर.सी. कंट्रीज,* एन.ओ.एस., नई दिल्ली, 1994.
- लॉकहेड, मेरलीन ई., एड्रियान एम. वर्सपुअर तथा अन्य, 1991. *इंप्रूविंग प्राइमरी एजूकेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज.,* न्यूयार्कःऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
- लॉकहेड, मेरलीन ई. एंड इमैनुअल जिमनेज, 1994. *"पब्लिक एंड प्राइवेट सेकेंड्री स्कूल्स इन डेवलपिंग कंट्रीज", ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन्स पॉलिसी वर्किंग पेपर 43.* वर्ल्ड बैंक, वाशिंगटन डी.सी.
- मरजेनो, राबर्ट, जे., पिकरिंग, डेब्रा जे. एंड पोलक, जेन ई.—*क्लासरूम इंसट्रक्शन दैट वर्क्स —रिसर्च बेस्ड स्ट्रैटेजीज फॉर इनक्रीजिंग स्टुडेंट्स अचीवमेंट,* एसोसिएशन फॉर सुपरविजन एंड करीकुलम डेवलपमेंट, 2001.
- मिडलटन, जॉन, एड्रियान जिडरमैन, एंड अर्विल वान एडम्स, 1993. *स्किल्स फॉर प्रोडक्टिविटीः वोकेशनल एजूकेशन एंड ट्रेनिंग इन डेवलपिंग कंट्रीज.* न्यूयार्कः ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
- मुखोपाध्याय, एस. एंड मणि, एम.जी.एन., *एजूकेशन ऑफ चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड्स,* इयर 2000 एसेसमेंट, एजूकेशन फॉर ऑल, नई दिल्लीः एन.आई.ई.पी.ए., 2000.
- मुजम्मिल एम., *फाइनेन्सिंग ऑफ एजूकेशन,* आशीष पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली 1989.
- प्रियॉरिटी एण्ड स्ट्रैटेजीज़ फॉर एजूकेशन, 1995. ए वर्ल्ड बैंक पब्लिकेशन।
- रॉस, केनेथ एन. एंड लार्स महल्क. 1990. *प्लानिंग द क्वालिटी ऑफ एजूकेशनः द कलेक्शन एंड यूज ऑफ डाटा फॉर इनफॉर्म्ड डिसीजन-मेकिंग.* पेरिस : यूनेस्को।
- साहू, पी.के. एंड यादव, डी., *सोशल असेसमेंट स्टडी,* डिस्ट्रिक्ट इलाहाबाद, साइमेट प्रोजेक्ट, इलाहाबाद, 2001.
- स्कल्ज थ्यौडोर डब्ल्यू., 1961. *"एजूकेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ"* इन एन.बी. हेनरी, संस्करण, सोशल फोर्सेज इन्फ्लूएंसिंग अमेरिकन एजूकेशन, शिकागो : यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो प्रेस, 1975. "द वैल्यू ऑफ द एबिलिटी टु डील विद डिसेन्क्यूलिब्रिया." जर्नल ऑफ इकोनॉमिक लिट्रेचर 13(3):827-46.
- सियाल, बी.एस., 1981, *एजूकेशन इन उत्तर प्रदेश।*
- स्टेलर, ऑर्थर डब्ल्यू., 1998 *इफेक्टिव स्कूल्स रिसर्चः प्रैक्टिस एंड प्रॉमिस.* फास्टबैक 276, ब्लूमिंगटन, आई.एन.डी.: कप्पा एजूकेशनल फाउंडेशन।
- तिवारी, डी.डी. 1976. *प्राइमरी एजूकेशन इन उत्तर प्रदेश,* राम नारायण लाल, बेनी माधव, इलाहाबाद।
- तिलक, जनध्याला बी.जी. 1989. *एजूकेशन एंड इट्स रिलेशन टु इकोनॉमिक ग्रोथ, पावर्टी एंड*

इनकम डिस्ट्रीब्यूशन: पास्ट एविडेंस एंड फर्दर एनॉलिसिस. वर्ल्ड बैंक डिसकशन पेपर 46, वाशिंगटन डी.सी.

- तुइजमन, ए.सी. एंड टी.एन. पोस्लेथवेट, (संस्करण) 1994. मॉनिटरिंग द स्टैंडर्ड ऑफ एजूकेशन. ऑक्सफोर्ड: परगामन प्रेस।
- त्यागी एस.पी. एंड शरदिन्दु, एजूकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इन यू.पी., नई दिल्ली: नीपा, 1999.
- जहीर एम. एंड गुप्ता जे., द ऑरगेनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश–ए स्टडी ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, एस. चांद एंड कंपनी, नई दिल्ली।

आंकड़ा संग्रह तथा संकलन के स्रोत

अभिलेख/प्रतिवेदन/कार्यालयी संचार माध्यम

- बेसिक शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद
- अनौपचारिक शिक्षा निदेशालय, संप्रति साक्षरता और वैकल्पिक शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
- राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
- माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद
- उर्दू एवं प्राच्य भाषाएं निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
- सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद
- सचिव, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद
- शिक्षा के महत्त्वपूर्ण आंकड़े, बेसिक शिक्षा निदेशालय, 1995-96
- शिक्षा की प्रगति, शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, 1999-2000
- राज्य परियोजना कार्यालय (ई.एफ.ए.), लखनऊ
- शिक्षा संहिता, उत्तर प्रदेश, 1958
- उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972
- उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद् अधिनियम, 2000
- उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921
- उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षाएं (अनुचित साधन प्रयोग निवारण) अधिनियम, 1992/1998
- उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन परिषद् अधिनियम, 1982

विभिन्न विभागों के अध्यक्षों द्वारा प्रश्नावलियों का निष्पादन

- निदेशक, बेसिक शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश
- निदेशक, अनौपचारिक शिक्षा निदेशालय, संप्रति साक्षरता और वैकल्पिक शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश
- निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश
- निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, उत्तर प्रदेश
- निदेशक, उर्दू एवं प्राच्य भाषाएं, उत्तर प्रदेश
- सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश
- सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश

राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय प्रतिवेदन

- आचार्य नरेन्द्र देव कमेटी रिपोर्ट (1938 एवं 1952)
- आचार्य राम मूर्ति कमेटी रिपोर्ट, 1990

- *बुलेटिन ऑन रूरल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स (जून 2000),* स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली
- *सेंसज रिपोर्ट्स एंड प्रोविजनल पापुलेशन टोटल्स ऑफ उत्तर प्रदेश,* सेंसेज ऑफ इंडिया, 2001
- *क्लासरूम आबजर्वेशन इन स्कूल्स ऑफ यू.पी.बी.ई.पी. डिस्ट्रिक्ट्स,* 2000 एस.सी.ई.आर.टी., उत्तर प्रदेश
- जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम-II वार्षिक प्रतिवेदन, 1999-2000, उत्तर प्रदेश सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद्
- जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम-III, वार्षिक प्रतिवेदन, 1999-2000, उत्तर प्रदेश सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद्
- जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम-III, मार्च 1999
- डा. हरिकृष्ण अवस्थी कमेटी रिपोर्ट, 1993
- ड्राफ्ट आठवीं पंचवर्षीय योजना, 1992-1997, उत्तर प्रदेश सरकार
- ड्राफ्ट नवीं पंचवर्षीय योजना, 1997-2002, उत्तर प्रदेश सरकार
- सभी के लिए शिक्षा, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना, 1995
- *ग्लीमर ऑफ होप टूवर्ड क्वालिटी प्राइमरी एजूकेशन,* उत्तर प्रदेश सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद्, लखनऊ
- हर देव तिवारी, *स्टेट फाइनेन्स स्टडीज (एजूकेशन), 1996*
- कार्यपूर्ति दिग्दर्शक, एजूकेशन डिपार्टमेंट, उत्तर प्रदेश सरकार 1999-2000
- कोठारी कमीशन रिपोर्ट (1964-66)
- *मॉरल एजूकेशन कमेटी (1989)*
- *नेशनल करीकुलम फ्रेमवर्क (1988 और 2000)*
- राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय, नई दिल्ली प्रास्पेक्ट्स 2000-2001 एकेडमिक कोर्सेज
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986, संशोधित 1992)
- राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा फ्रेमवर्क, 1998
- नई शिक्षा नीति, उत्तर प्रदेश राज्य स्तर सेमीनार, 1985, सलाह एवं संस्तुतियां
- नवीं पंचवर्षीय योजना, 1997-2000 और वार्षिक योजना, 1997-98, वाल्यूम II और वार्षिक योजना, उत्तर प्रदेश, 2000-2001
- कार्य योजना, 1992
- *रिपोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश एजूकेशन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम, फरवरी 2000*
- *रिसर्च एक्टिविटीज एट साईमेट, 1996-2000* यू.पी.बी.ई.पी. और डी.पी.ई.पी. के अंतर्गत
- माध्यमिक शिक्षा कमीशन रिपोर्ट (1953)
- साईमेट, इलाहाबाद, बेसिक शिक्षा अधिकारी ट्रेनिंग गाइड, 1999
- साईमेट, इलाहाबाद, *डिस्कशन पेपर ऑन "चाइल्ड लेबर इनिशियेटिव इन उत्तर प्रदेश", नेशनल वर्कशाप ऑन चाइल्ड लेबर – उत्तर प्रदेश,* 11-12 जनवरी, 2000
- *साईमेट, इलाहाबाद, एम.आई.एस. डाटा ऑन डी.पी.ई.पी. II स्कूल्स, 2000*

- छठा अखिल भारतीय शैक्षणिक सर्वेक्षण, एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली (1993)
- राज्य शिक्षा नीति, 2000
- छात्र संप्राप्ति (अंतिम मूल्यांकन अध्ययन–यू.पी.बी.ई.पी. डिस्ट्रिक्स), 2000, एस.सी.ई.आर.टी., यू.पी.
- छात्र संप्राप्ति (मध्यावधि मूल्यांकन अध्ययन – डी.पी.ई.पी.-II 15 डिस्ट्रिक्ट्स), 2000, एस. सी.ई.आर.टी., यू.पी.
- *स्टडी ऑफ द सपोर्ट सिस्टम एण्ड प्रोसेसेज विच अंडरपिन डी.पी.ई.पीज. पेडागॉजिकल इनपुट्स इन द स्टेट ऑफ यू.पी. 1999, एड. सिल टी.एस.जी. एंड एस.सी.ई.आर.टी.,* उत्तर प्रदेश,
- *टीचर एजूकेशन इन उत्तर प्रदेश* (एनसीटीई)
- *यू.पी. डी.पी.ई.पी. डाक्यूमेंट ऑन अल्टरनेटिव स्कूलिंग प्रोग्राम इन यू.पी., 2000*
- *यू.पी. डी.पी.ई.पी. रिपोर्ट्स ऑन इंटिग्रेटेड एजूकेशन फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स 2000*
- उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना – *अंडरस्टैंडिंग द चैलेंजस ऑफ ससटेन्बिलीटी एंड मेन स्ट्रीमिंग, मई, 1999*
- यशपाल कमेटी रिपोर्ट।

परिशिष्ट III

साक्षात्कार अनुसूची के उत्तरदाताओं की सूची

- श्रीमती ग्यान कुमारी अजीत
  सेवानिवृत्त प्राचार्या
  भारत स्काउट एवम् गाईड स्कूल
  इलाहाबाद
- डॉ. शंकर सरन श्रीवास्तव
  निदेशक
  भारतीय शिक्षा शोध संस्थान, लखनऊ
- डॉ. कंचनलता सबरवाल
  भारतीय ग्रामीण महिला संघ
  16, ए.पी. सेन रोड, लखनऊ
- श्री गोविन्द बल्लभ पंत
  सेवानिवृत्त निदेशक
  राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, यू.पी.
  21/151, इंदिरा नगर, लखनऊ
- श्री पी.एस. खरे
  सेवानिवृत्त प्राचार्य
  108, पटेल नगर, इलाहाबाद
- श्री जे.पी. शुक्ला
  विशेष संवाददाता (द हिन्दू)
  आगन्तुक संकाय सदस्य
  लखनऊ विश्वविद्यालय
  लखनऊ
- प्रो. के.पी. पाण्डेय
  भूतपूर्व, कुलपति, काशी विद्यापीठ
  वाराणसी
- श्री बी.पी. वर्मा
  भूतपूर्व उप प्राचार्य
  सी.पी.आई., इलाहाबाद एवम्
  बेसिक शिक्षा अधिकारी, वाराणसी

परिशिष्ट *IV*

सेमिनार पेपर

- भटनागर, सुमन, *प्राइमरी एजूकेशन: एचिवमेंट एंड चैलेंजस ऑफ द न्यू मिलिनियम*
- मुखोपाध्याय एम., *इंफॉरमेशन टेक्नोलाजी इन स्कूल्स—रिस्पांस टू द चैलेंजस ऑफ डिजिटल डिवाइड*
- पांडे, के.पी., *क्वालिटी इश्यूज़ इन स्कूल एजूकेशन*
- साहू पी.के., *रोल एंड रेलेवेंस ऑफ अल्टरनेटिव पैटर्नस ऑफ स्कूलिंग इन द कानटेक्स्ट ऑफ स्कूल एजूकेशन*
- शाह बी. एंड मिश्रा पी.के., *वोकेशनल एजूकेशन: स्टैटस, चैलेंजस एंड फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स*
- *सिंह आर.डी., स्कूल मैनेजमेंट — इश्यूज़ एंड चैलेंजस*
- सिंह एस.वी.बी., *इमरजिंग डाइमेंशंस ऑफ ई.एफ.ए. एंड चैलेंजस एंड फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स*
- श्रीवास्तव ऊषा, *रोल एंड रेलेवेंस ऑफ अल्टरनेटिव पैटर्नस ऑफ स्कूलिंग इन द कानटेक्स्ट ऑफ स्कूल एजूकेशन।*